

# 1

## बीमा बाजार कैसे परिवर्तित होता है।

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य पद	
अ. बीमा क्या है?	1.1
ब. वित्तीय सेवाओं तथा बीमा की भूमिका	1.1
स. व्यावसायिक बीमा बाजार के लाभ	1.2
द. बीमा का इतिहास	1.3
य. बीमा संगठन एवं उनकी भूमिकाएँ	1.3 ,1.6
र. बीमा वितरण	1.4
ल. बीमा उत्पाद	1.5
व. अभिकर्ता का कार्य एवं उनकी भूमिका	1.7
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न—उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
अध्ययन उद्देश्य	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :—	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● बीमा की जरूरत को समझाने में;</li> <li>● बीमा कैसे कार्य करता है, को स्पष्ट करने में;</li> <li>● वित्तीय सेवा क्षेत्र की भूमिका तथा देश की अर्थव्यवस्था निर्माण में बीमा क्षेत्र की भूमिका की व्याख्या करने में;</li> <li>● भारत में बीमा के इतिहास के साथ बीमा उद्योग में हाल के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करने में;</li> </ul>	

- बीमा बाजार की संरचना, विभिन्न प्रकार के बीमा संगठनों तथा बीमा उद्योग की विविध भूमिकाओं का वर्णन करने में;
- बीमा उत्पादों का वितरण कैसे होता है, की व्याख्या करने में;
- बाजार में उपलब्ध विविध प्रकार के बीमा उत्पादों की रूपरेखा प्रस्तुत करने में;
- बीमा अभिकर्ता के कार्य एवं उसकी भूमिका के वर्णन में;

## परिचय

पहले चरण में आपको एक व्यावसायिक एवं सफल बीमा अभिकर्ता बनने के लिए जरूरी जानकारी प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से हम सर्वप्रथम जीवन बीमा – क्या है तथा यह क्यों जरूरी हैं की समीक्षा करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम भारत में बीमा बाजार की ओर दृष्टिपात करने तथा जीवन बीमा की कुछ मूल अवधारणाओं एवं विचारों का परिचय देना प्रारम्भ कर रहे हैं। हम आपको उन उत्पादों, जिन्हें आप अपने ग्राहकों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें बेचेंगे, की व्याख्या करने में सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी देने की प्रक्रिया अगले कुछ अध्यायों में जारी रखेंगे।

जीवन बीमा कैसे कार्य करता है, जानने के लिए हमें केवल मानव जीवन ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण बीमा बाजार का अध्ययन करना होगा क्योंकि अन्य वस्तुओं का भी बीमा किया जाता है परन्तु हमारा ध्यान जीवन बीमा पर ही केन्द्रित होगा।

इस पहले भाग में हम बीमा क्या है, यह किसके लिए है तथा लोगों के लिए यह क्यों जरूरी है के बारे में जानकारी प्राप्त करना प्रारम्भ करेंगे।

## मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

बीमा	जोखिम हस्तान्तरण	जोखिम प्रति धारण	पुनर्बीमा
उदारीकरण	जीवन बीमा	गैर-जीवन बीमा	बीमा मध्यस्थ
ई-विक्रय	बैंकाश्योरेंस	बीमा दलाल	प्रत्यक्ष विपणन
अप्रत्यक्ष विपणन	जोखिमांकनकर्ता	बीमांकक	तृतीय पक्ष प्रबन्धन(टी पी ए)
नियामक	एकल अभिकर्ता	अवधि बीमा	बन्दोबस्ती बीमा
मनी बैंक बीमा	यूनिट-लिंक्ड –बीमा योजना (यू एल आई पी)	पेंशन योजनाएँ	

## ध्यान रहें!

जहाँ संयुक्त वित्तीय योजनाएँ आवश्यक होती है, जैसे पति तथा पत्नी या दो व्यावसायिक भागीदारों में से प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में एक समान सूचनाएँ आवश्यक होती है।



## नोट

आप अध्याय में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर आप अध्याय के अन्त में पायेंगे।

### अ. बीमा क्या है?



हम बीमा को निम्नानुसार परिभाषित कर सकते हैं:-

बीमा, बीमा कम्पनी (बीमाकर्ता) एवं पॉलिसीधारक (बीमित) के मध्य एक संविदा है। एक प्रतिफल (प्रीमियम) के बदले में बीमा कम्पनी बीमित को एक विशिष्ट घटना घटने पर एक निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देती है।

यह सब बहुत सरल सा लगता है। लेकिन इसका अर्थ क्या है? इस प्रश्न के उत्तर हेतु आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के प्रथम चरण के रूप में हमें जानना होगा कि बीमा की आवश्यकता क्यों होती है।

### अ1. बीमा की जरूरत

बीमा की जरूरत को समझने के लिए निम्न प्रकरण—अध्ययन पर विचार करें :—

#### प्रकरण—अध्ययन

अजय की आयु 35 वर्ष है तथा वह एक बहुराष्ट्रीय निगम(एम एन सी) के लिए काम करता है उसका एक पुत्र विजय 10 वर्ष का है, जिसके लिए उसका सपना है कि एक दिन वह डॉक्टर बनेगा। अजय की पत्नी एक गृहिणी है तथा उसके माता-पिता सेवानिवृत हैं एवं उस पर निर्भर हैं। अजय ने एक गृह ऋण ले रखा है तथा अपने पुत्र की उच्च शिक्षा, विवाह तथा स्वयं के सेवानिवृति के लिए मासिक निवेश कर रहा है। अजय इसके बारे में आश्वस्त होना चाहता है कि विजय सब कुछ अच्छा प्राप्त करे तथा वह स्वयं अपनी सेवानिवृति के पश्चात विजय पर निर्भर न रहे, जिस तरह अजय के माता-पिता उस पर निर्भर हैं। काफी समय तक सब कुछ अजय की योजना के अनुसार अच्छा चल रहा है। लेकिन कल्पना करें कि निम्न परिदृश्य में क्या होगा :—

एक दिन ऑफिस से घर लौटते समय अजय की दुर्घटना हो जाती है एवं उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या होगा? कौन परिवार, विजय की शिक्षा, विजय के विवाह तथा गृह ऋण आदि की देखभाल करेगा? अजय के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं जिससे उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार की देखभाल होती रहे?

अब आप स्वयं को अजय के स्थान पर रखें और कल्पना करें कि आप परिवार के आय प्रदाता हैं तथा उपरोक्त परिदृश्य का सामना आपको करना है। आप क्या करेंगे? निश्चित रहें कि हमारा आशय आपको दर्द देना या डराना नहीं है। हम इस प्रकरण अध्ययन के उपयोग की सहायता से आपको बीमा की महत्ता का अहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं जो कि उपरोक्त घटित परिदृश्य में अजय एवं उसके परिवार द्वारा सामना किये जाने वाली सभी समस्याओं का हल है। अतः एक बार फिर उपरोक्त परिदृश्य की ओर नजर डाले तथा देखें कि बीमा किस प्रकार एक हल प्रदान कर सकता है।

जीवन बीमा आय प्रदाता की असमय मृत्यु पर उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। यदि अजय के पास पर्याप्त जीवन बीमा कवर है, तो जब उसकी मृत्यु होगी, जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि उसके परिवार के जीवनयापन खर्चों की पूर्ति, विजय की शिक्षा एवं विवाह, तथा गृह ऋण की भरपाई आदि में भी सहायता करेगी।

अब उपरोक्त परिदृश्य को देखने के बाद, हम पाते हैं कि इस प्रकरण में जीवन बीमा एक व्यक्ति के लिए अप्रिय घटनाओं के विरुद्ध सुरक्षा कवच की तरह काम कर सकता है।

### इस पर विचार करे

अपने परिवार की आय प्रदाता के रूप में, क्या जोखिम के खतरे से आप असुरक्षित है? क्या आपके कोई वित्तीय लक्ष्य हैं जिन्हें आप संरक्षित करना चाहते हैं?

### अ2 बीमा किस प्रकार कार्य करता है?

अब जब कि आप बीमा की जरूरत को समझ गये हैं, बीमा वास्तव में किस प्रकार कार्य करता है, पर हम आ सकते हैं।

हम अजय के प्रकरण अध्ययन को जारी रख सकते हैं। अजय जिन अनेकों जोखिमों का सामना करता है उनमें से एक है उसकी असमय मृत्यु परन्तु वह अन्य कई जोखिमों का भी सामना करता है— जैसे उसे किसी समय मेडिकल देखभाल की आवश्यकता होगी, उसका मकान जल सकता है। अजय इन जोखिमों का विभिन्न तरीकों से सामना कर सकता है।

**जोखिम प्रतिधारण** :- इन जोखिमों से निपटने का एक रास्ता यह है कि उनसे सुरक्षा की कोई व्यवस्था ही न की जाए, अर्थात् स्वयं संबंधित व्यक्ति द्वारा जोखिम वहन किया जाए। इसे जोखिम प्रतिधारण कहा जाता है। वास्तव में यह चतुराईपूर्ण विकल्प नहीं है, क्योंकि दैवयोग से यदि समय अच्छा रहे तो कुछ भी अप्रिय घटित नहीं होगा अतः अजय को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है और तब अजय मुसीबत में होगा अतः अजय के लिए इन जोखिमों को स्वयं धारण करना, या सामना करना वास्तव में चतुराईपूर्ण नहीं होगा।

- जोखिम हस्तान्तरण करना** :- इन जोखिमों से सुरक्षा पाने की व्यवस्था करने का अन्य रास्ता उन्हे किसी को हस्तान्तरित करना है जो कि उन्हें उचित रूप से वहन करे। सरल शब्दों में, एक व्यक्ति जिसके पास सामना करने की क्षमता नहीं है से जोखिम को अन्य किसी को हस्तान्तरण जिसमें सामना करने की क्षमता है, बीमा कहलाता है।

अतः अब बीमा की परिभाषा पर लौटना हमारे लिए उपयोगी हो सकता है:-

बीमा कम्पनी (बीमाकर्ता) तथा पॉलिसीधारक (बीमित) के मध्य प्रभावी होने वाली संविदा को बीमा कहते हैं। प्रतिफल (प्रीमियम) के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि के बदले बीमा कम्पनी किसी विनिर्दिष्ट घटना घटित होने पर बीमित को एक निर्धारित राशि का भुगतान करने का वचन देती है।

अतः अजय के प्रकरण में वह बीमा लेकर, प्रीमियम का भुगतान कर अपनी जोखिम का हस्तान्तरण बीमा कम्पनी को कर सकता है।

बीमा कम्पनियाँ अजय जैसे उन सभी लोगों से प्रीमियम एकत्रित करती हैं जो कि एक समान जोखिम का सामना करते हैं तथा प्राप्त राशि को जोखिम पूल में डालती है। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय पर बीमित घटना घटित होने का सामना नहीं करेगा परन्तु जो लोग बीमित घटना का सामना करेंगे उक्त जोखिम पूल से क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं।

अतः उपरोक्त व्याख्या से हम देख सकते हैं कि बीमा

- धारक(बीमित व्यक्ति) द्वारा जोखिम हस्तान्तरण की प्रक्रिया है;
- दूसरे पक्ष(बीमाकर्ता) को, जो जोखिम वहन कर सकता है;
- एक प्रतिफल(प्रीमियम)के बदले में;

बीमा व्यवसाय सम्पत्ति के आर्थिक मूल्य की सुरक्षा से सम्बन्धित है। एक सम्पत्ति उसके स्वामी के लिए मूल्यवान होती है क्योंकि वह उससे कुछ लाभ की अपेक्षा रखता है। यह लाभ सम्पत्ति से आय उपार्जन(एक कार किराये पर देने पर) या सुविधा (कार का स्वयं अपनी यात्रा में प्रयोग करने पर ) के रूप में हो सकता है।

मानव भी इस अभिप्राय से सम्पत्ति होता है कि उनमें आय उपार्जन करने की क्षमता होती है। प्रत्येक मानव की एक जीवन अवधि होती है एवं मृत्यु निश्चित है। लेकिन मृत्यु का समय अनिश्चित है। यदि एक व्यक्ति की अनपेक्षित रूप से अपने कार्यशील जीवन में जल्दी मृत्यु हो जाती हैं, तो उसका परिवार उस व्यक्ति द्वारा भविष्य में उपार्जन की जाने वाली आय खो देता है जिससे उसके कार्यशील जीवन में उनका निर्वाह होता था। ऐसे में जीवन बीमा किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु के कारण उत्पन्न वित्तीय कमी को भरने का काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का समय अनिश्चित होता है, संभवतया इसलिए सभी को कम आयु में ही अपनी भावी आय की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा की आवश्यकता होती है।

जीवन बीमा किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु से होने वाली आय की हानि के कारण उत्पन्न वित्तीय कठिनाई से परिवार की सुरक्षा करता है।

### ध्यान रहे!

बीमा बीमित घटना घटने से रोक नहीं सकता है। यह केवल बीमित घटना घटित होने के परिणाम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है।

### प्रश्न 1.1

कौनसा सही है? बीमा खरीदना एक कार्य है:-

- (अ) जोखिम हस्तान्तरण का; या
- (ब) जोखिम प्रतिधारण का।

### प्रस्तावित क्रिया :-

अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों से बातचीत करें जिन्होंने बीमा करवाया है। उनसे उन बिन्दुओं, जिन पर उन्होंने बीमा खरीदने से पहले विचार किया था तथा उन कारणों, जिससे उन्होंने इसे खरीदा, के बारे में जाने।

अतः अब हम सरलतम शब्दों में जानते हैं कि बीमा किस प्रकार कार्य करता है। हमने देखा कि यह किस प्रकार जीवन के सबसे दुखद घटनाओं से उत्पन्न होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करके एक व्यक्ति को लाभ प्रदान कर सकता है। तथापि बीमा के द्वारा व्यक्ति तथा बीमा उद्योग भी लाभान्वित होते हैं, तथा हम इस पर निम्नलिखित भाग में विचार करेंगे।

### **ब. वित्तीय सेवाओं तथा बीमा की भूमिका**

एक नियोक्ता, एक लाभ अर्जक तथा निवेश के लिए धन उपलब्ध कराकर वित्तीय सेवा उद्योग देश की विस्तृत अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बीमा विशेषतः समाज को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से लाभ पहुँचाता है। सामाजिक रूप से, एक आपदा घटित होने पर यह लोगों की वित्तीय कठिनाई से सुरक्षा करता है, उदाहरणतः एक परिवार अपना आय प्रदाता खो चुका है, उसके बच्चों की उच्च शिक्षा रोकनी नहीं पड़ेगी। आर्थिक रूप से, यह रोजगार उपलब्ध करवाता है। यद्यपि यह उद्योगों द्वारा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित नहीं करता है परन्तु किसी आपदा/जोखिम घटित होने पर उन्हें अपनी पूँजी के एक बड़े भाग को हानि की प्रतिपूर्ति के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होती है और इस प्रकार से बची हुई धनराशि (पूँजी) को अपने व्यवसाय में निवेशित करके व्यवसाय में वृद्धि करते हैं।

आर्थिक भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि, यदि सरकार को वर्तमान रफ्तार से विकास जारी रखना है तो देश के आधारभूत ढाँचे में निवेश के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है। सरकार का सकल व्यय हमेशा उसकी आय से अधिक होता है, अतः ढांचागत विकास में बीमा कम्पनियों सहित निजी कम्पनियों की विशेष भूमिका होती है। प्रीमियम से प्राप्त धनराशि को भारत के ढांचागत विकासः सिंचाई, आवास, जल, अवशिष्ट प्रवाह एवं सफाई जैसी जरूरतों में निवेश किया जा सकता है। इस तरह से बीमा न केवल बीमा धारकों को बल्कि सम्पूर्ण समुदाय को लाभ पहुँचाता है।

जीवन बीमा बीमित व्यक्ति के लिए एक दीर्घ—अवधि प्रतिबद्धता है, उन्हें वर्ष—दर—वर्ष लम्बे समय तक प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होगी। इस सम्बन्ध में दीर्घ—अवधि का अर्थ है कि बीमा उद्योग विशिष्ट मूलभूत परियोजनाओं जैसे हवाई—अड्डे, सड़क, पुल, बन्दरगाह एवं ऊर्जा इकाई आदि परियोजनाओं जिनके विकास में लम्बा समय लगता है को लागत पूँजी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक पूर्ण विकसित बीमा क्षेत्र आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है तथा साथ ही देश की जोखिम वहन क्षमता को मजबूत करता है।

एकल व्यक्ति के लिए बीमा की महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉलिसी धारक के लिए कुछ लाभ नीचे दर्शाये गये हैं :

निवेश विकल्प	बीमा उत्पाद एक उत्तम निवेश विकल्प है जहाँ पॉलिसीधारक को न केवल बीमा कवर का लाभ मिलता है बल्कि उसकी जोखिम वहन क्षमता के आधार पर उसके निवेश का प्रतिफल भी देता है।
वित्तीय प्रतिभूति की सुरक्षा	बीमा कम्पनियाँ पॉलिसी की शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार किसी बीमित व्यक्ति या सम्पत्ति के साथ कुछ घटित हो जाने के मामले में क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। जीवन बीमा आय प्रदाता के न रहने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर परिवार की

	आवश्यकताओं तथा बच्चों की शिक्षा एवं विवाह में सहायता प्रदान करता है। अतः एक व्यक्ति के लिए हानि का प्रभाव अपेक्षाकृत कम हो जाता है।
कर लाभ	बीमा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत काफी कर लाभ देता है। 1,00,000 रु.तक भुगतान किया गया प्रीमियम अधिनियम की धारा 80 C के अन्तर्गत कुछ शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन कर योग्य आय में छूट हेतु अनुमन्य होता है। वर्तमान नियमों के अनुसार अधिनियम की धारा 10(10D)के अतिरिक्त नामित या पॉलिसीधारक द्वारा प्राप्त मृत्यु परिलाभ या परिपक्वता परिलाभ भी कर सकत है।
जीवन की विभिन्न आयु वर्ग स्तरों की जरूरतों की योजना	आज बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित बीमा उत्पाद विभिन्न आयु वर्ग में व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किये गये हैं। यह व्यक्ति को उसकी विभिन्न एवं बदलती प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु निवेश के अवसर प्रदान करता है।

### उदाहरण

- एक युवा व्यक्ति जिसने अभी कमाना प्रारम्भ किया है, वह अपनी जोखिम वहन क्षमता के आधार पर शुद्ध सुरक्षा के लिए एक अवधि बीमा योजना या उच्च प्रतिफल के लिए एक यू एल आई पी (यूनिट लिंकड बीमा योजना) ले सकता है।
- एक व्यक्ति जो 25–30 वर्ष आयु का है तथा अपने परिवार के भविष्य के लिए, जैसे बच्चे की शिक्षा या विवाह के लिए निवेश करना चाहता है, वह अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर विभिन्न बाल यू एल आई पी या बन्दोबस्ती योजना में निवेश कर सकता है।
- एक व्यक्ति जो सेवानिवृति आय चाहता है, वह पेंशन योजनाओं में निवेश कर सकता है।
- एक व्यक्ति अपने पूर्ण जीवन काल के दौरान कवर पाने के लिए अपना पूरा निवेश आजीवन पॉलिसी में कर सकता है।

बचत की आदतों का विकास करें	एक व्यक्ति अपने बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिए अपनी आय से से कुछ धन राशि बचत करना सीखता है। यह व्यक्तियों में बचत की आदतों को प्रोत्साहित करता है।
बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण	व्यक्ति अपनी बीमा पॉलिसियों पर पॉलिसी लाभ को प्रभावित किये बिना पॉलिसी के निर्बन्धनों एवं प्रचलन के अनुसार ऋण ले सकता है।
पूँजी एवं प्रबन्धन की चिन्ता से मुक्त रहना	जब किसी कम्पनी का प्रबन्धन यह जानता है कि कम्पनी द्वारा सामना की जा सकने वाली कई जोखिमों का कवर बीमा द्वारा किया जाता है, तो उन्हें उन जोखिमों के परिणामों को कवर करने के लिए अलग से कोष स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रहती है। वे अपने व्यवसाय की वृद्धि एवं विकास पर ध्यान देने के लिए मुक्त रहते हैं। यह कम्पनी को अधिक प्रभावशाली बनाता है, इस प्रकार देश की सकल अर्थव्यवस्था के सुधार में मदद करता है।

बीमा समाज को एक सकारात्मक योगदान प्रदान करता है यदि लोगों में यह विश्वास हो कि उन्हें केवल वह पॉलिसी बेची जायेगी जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी तथा बीमित घटना के घटित होने पर पॉलिसी उनकी सुरक्षा करेगी अन्यथा लोग बीमा नहीं लेंगे। इस प्रकार बीमा व्यवसाय को अपने सभी कार्यों में एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

### **स. एक व्यावसायिक बीमा बाजार के लाभ**

एक व्यावसायिक बीमा बाजार वह होता है जो कि ग्राहकों के साथ लेनदेन करने में पारदर्शी एवं ईमानदार होता है तथा जो अपने सभी कार्यों के दौरान ग्राहकों के हितों को सर्वोपरि रखता है। ऐसे व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने के अनगिनत लाभ हैं जैसे हमनें यहाँ देखे हैं।

### **आवश्यकता आधारित विक्रय**

एक व्यावसायिक बाजार यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक वह प्राप्त करे जिनकी उन्हें तलाश है न कि जो कम्पनी उन्हें बेचना चाहती है। यह आवश्यकता आधारित विक्रय कहलाता है। एक ग्राहक जिसे यह विश्वास है कि उसे केवल ऐसा उत्पाद बेचा जायेगा जो उसकी जरूरत पूरी करता है तो वह उसे खरीदना अधिक पसन्द करता है तथा पुनः खरीदता है तथा दूसरों को भी बीमा की सलाह देता है। बीमा उद्योग का विनियामक( आई आर डी ए) गलत-विक्रय के मामलों के बारे में पता लगाने का सक्रिय प्रयास कर रहा है। ऐसा तब होता है जब ग्राहक को बेची गई पॉलिसी कुछ मामलों में उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करती है। जब ऐसा होता है तो जनता बीमा के लाभों को शंका तथा उपेक्षा से देखती है।

### **प्रकटीकरण**

इस प्रकार, एक व्यावसायिक बीमा बाजार वह होता है जो कि अपने लेनदेन में पारदर्शी होता है: जहाँ सभी सम्बन्धित सूचनाओं का स्पष्ट प्रकटीकरण होता है। उदाहरण के लिए, यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना (यू. एल आई पी) के साथ पॉलिसी पर प्रीमियम का विश्लेषण(सभी प्रभारों सहित) दिया गया है। बीमा विनियामक ने बीमा कम्पनियों द्वारा किसी उत्पाद से प्राप्त होने वाले लाभों के विवरण-साहित्य में अभिकर्ता को देय कमीशन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था द्वारा प्रत्याशित ग्राहक को सभी अपेक्षित सूचनाओं की जानकारी प्राप्त होती है अर्थात् उसके कुल निवेश में से कितनी राशि बीमा सुरक्षा, निवेश एवं अन्य व्ययों में लगायी जायेगी।

व्यवसायिक तरीके से संचालित एक व्यवसायिक बीमा बाजार अपने ग्राहकों को, स्वयं को, समाज एवं सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को बहुत से लाभ प्रदान करता है।

<b>पॉलिसीधारकों में उच्च विश्वास</b>	बीमा विक्रय (आवश्यकता आधारित विक्रय एवं प्रकटीकरण को शामिल करते हुए) का एक व्यावसायिक दृष्टिकोण विभिन्न कदमों जैसे नियमन, शिकायत निवारण तन्त्र, लोकपाल तथा आई आर डी ए शिकायत कॉल सेन्टर(खण्ड द 4 में देखें) से जनता का विश्वास बनाने में बहुत सहायक होता है। जनता आश्वस्त हो सकती है कि उनके साथ उद्योग द्वारा उचित व्यवहार किया जा रहा है तथा यदि उन्हें कोई शिकायत है, तो विनियामक उनकी सहायता करेगा। अतः वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यावहारिक साधन के रूप में बीमा को अधिक पसन्द करते हैं।
<b>बीमा पहुँच में वृद्धि</b>	भारत विश्व की दूसरी बड़ी जनसंख्या है अतः इसके दूसरे बड़े बीमा बाजार बनाने की भी संभावना है। यह बाजार इतना विशाल है कि यहाँ सभी बीमाकर्ताओं को पर्याप्त नये ग्राहक पाने की गुंजाइश है, साथ ही

	आपस में प्रतिद्वन्द्वता कर अपनी क्षमताओं एवं शक्तियों का अपव्यय करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बीमा बाजार की पहुँच एवं बढ़त में वृद्धि करेगा, लेकिन ऐसा तभी सत्य होगा जब जनता को विश्वास हो कि वे बीमा खरीदने के माध्यम से अपनी जरूरतों को पूरा करने हेतु सुरक्षित हैं।
सामाजिक लाभ	जिस प्रकार बीमा भारतीय समुदाय में अधिकाधिक रूप में अधिकाधिक लोगों द्वारा एक सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, पारिवारिक त्रासदी या अन्य अनपेक्षित घटना के परिणामों से लोगों को होने वाली कठिनाईयों में कभी आ रही है।
रोजगार सृजन	बीमा के प्रसार एवं पहुँच में वृद्धि से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। बीमा कम्पनियाँ लगातार अपने उत्पाद बेचने के लिए नये कर्मचारी एवं अभिकर्ता भर्ती कर रही हैं। गतिशील बाजार तथा नई भूमिकाएँ उभरने के साथ, स्व-व्यवसायी नये अवसरों की तलाश कर सकते हैं। बीमा बाजार जो एक व्यवसायिक उद्योग के रूप में प्रतिष्ठित है, अच्छे एवं योग्य कार्मिकों को बीमा में कैरियर के लिए आकर्षित करता है, और इस प्रकार यह बाजार के व्यवसायिकरण के प्रोत्साहन में भी मदद करता है।
बीमा कम्पनी के लिए लाभों में वृद्धि	एक कम्पनी जो बीमा बेचने में व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनाती है अपने ग्राहकों का विश्वास प्राप्त कर अधिक बीमा बेचने में समर्थ होती है। नये ग्राहकों द्वारा बीमा में विश्वास वृद्धि के फलस्वरूप बीमा विक्रय में वृद्धि होती है तथा इससे बीमा कम्पनियों का लाभ बढ़ता है। यह, नये ग्राहकों के लिए बीमा वृद्धि में विश्वास के रूप में बीमा प्रसारण सहित, बीमा कम्पनी की लाभदेयता में वृद्धि करेगा।


हम देख सकते हैं कि एक व्यावसायिक बीमा बाजार के ये लाभ उन सकल लाभों की वृद्धि में योगदान करेंगे जिनकी खण्ड ब में चर्चा में चर्चा की गई है। बीमा विस्तृत अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। अधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियाँ अधिक रोजगार, व्यक्ति को आर्थिक कठिनाईयों में कमी तथा निगमित स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था को समुद्ध तथा आर्थिक रूप से बल प्रदान कर उद्योगों तथा ढांचागत निवेश हेतु अधिक पूँजी उपलब्ध कराती है।

अब हम देख चुके हैं कि बीमा किस प्रकार न केवल व्यक्तियों को बल्कि सम्पूर्ण समाज को लाभ प्रदान कर सकता है, एक क्षण के लिए यह विचार करने हेतु रुके कि हम किस प्रकार यहाँ तक पहुँचें हैं जहाँ हम अभी हैं।

भारत में बीमा बाजार हमेशा से ही इस राह पर नहीं था जहाँ वह अभी है, तथा हम अगले खण्ड में देखेंगे कि वर्ष-दर-वर्ष यह किस प्रकार विकसित हुआ है।

## द—बीमा का इतिहास

भारत में बीमा के इतिहास की जड़े गहरी है। प्राचीन समय से बीमा किसी न किसी रूप में परिचालित हो रहा था। भारत में बीमा का विकास समय के साथ हुआ है तथा अन्य देशों विशेषतः इंग्लैण्ड से विचार लिये गये हैं। भारत में बीमा का इतिहास निम्न तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:-



### द1 चरण | –उदारीकरण पूर्व

1818– 1829	प्रथम बीमा कम्पनी: 1818 में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में ओरिएण्टल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी भारत में जीवन बीमा व्यवसाय शुरू करने वाली प्रथम कम्पनी थी। तथापि कम्पनी 1834 में असफल हो गई। 1829 में मद्रास इक्वीटेबल ने मद्रास प्रेसीडेन्सी में जीवन बीमा व्यवसाय करना शुरू किया।
1870	ब्रिटिश बीमा अधिनियम 1870 के लागू होने के पश्चात् बोम्बे प्रेसीडेन्सी में 19 वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में बोम्बे म्यूच्युअल (1870), ओरिएण्टल(1874) तथा एम्पायर ऑफ इण्डिया(1897) की शुरूआत होते देखा गया ।
1912	भारतीय बीमा कम्पनी अधिनियम 1912 व्यवसाय का नियमन करने वाला प्रथम विधायन था।
1928	भारतीय बीमा कम्पनी अधिनियम 1928 सरकार को भविष्यन्ति तथा बीमा समितियों सहित भारतीय एवं विदेशी बीमाकर्ताओं द्वारा भारत में जीवन एवं गैर–जीवन व्यवसाय के संचालन के बारे में सांख्यिकीय सूचनाएँ एकत्र करने की शक्ति प्रदान करता है।
1938	बीमा करवा रहे लोगों के हितों के संरक्षण के लिए, बीमा अधिनियम 1938 द्वारा पूर्व के विधायन को मजबूत तथा संशाधित किया गया जिसने सरकार को बीमाकर्ताओं पर प्रभावी नियन्त्रण प्रदान किया।
1950	1950 में, बीमा व्यवसाय में प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी तथा वहाँ अनुचित व्यापार व्यवहारों का प्रचलन था। अतः भारत सरकार ने बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय किया।
1957	सामान्य बीमा परिषद् (GIC) की स्थापना :— सामान्य बीमा परिषद् भारत में गैर जीवन बीमा कम्पनियों के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद् सामान्य हित के मामलों के बारे में चर्चा तथा नीति निर्माण सम्बन्धी परिचर्चाओं में भाग लेती है तथा बीमा उद्योग में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं के लिए एक अधिवक्ता की तरह कार्य करती है।
1972	सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972(GIBNA) पारित कर दिया गया। GIBNA की धारा 9(1) के अनुपालन में जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (GIC) की स्थापना की गई। 22 नवम्बर 1972 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत अंशधारिता द्वारा सीमित निजी कम्पनी के रूप में इसका निगमन किया गया।

### द2 चरण || – उदारीकरण

सुधारों की शुरूआत

1990 की अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान दुश्वारी / मंदी ने सरकार को उसकी औद्योगिक नीतियों एवं विनियमों पर पुर्णविचार हेतु बाध्य कर दिया। सरकार के पास केवल कुछ दिनों तक ही विदेशी मुद्रा भण्डार शेष रह गया था।

<b>1993</b>	मल्होत्रा समिति:- 1993 में, सरकार ने आर. एन. मल्होत्रा, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु अनुसंशालै करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। 1994 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने अन्य बातों के साथ अनुसंशालै दी कि निजी क्षेत्र एवं विदेशी कम्पनियों (लेकिन एक भारतीय साइदार की भागीदारी के साथ केवल एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से) को बीमा उद्योग में प्रवेश की अनुमति दी जाये।
<b>1999</b>	इरडा की स्थापना :- मल्होत्रा समिति के प्रतिवेदन की अनुसंशालैओं के अनुसरण में 1999 में बीमा उद्योग के नियमन एवं विकास के लिए इन्श्योरेन्स रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमेन्ट अथोरिटी(IRDA—इरडा) की एक स्वायत निकाय के रूप में स्थापना की गई। इरडा(IRDA) का एक वैधानिक निकाय के रूप में अप्रैल 2000 में निगमन किया गया।

### द३ चरण III :— उदारीकरण पश्चात्

जैसा कि हम देख चुके हैं कि मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। विदेशी कम्पनियों को भी भारतीय बीमा बाजार में भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से भागीदारी की अनुमति दी गई है। वर्तमान विनियमों के अनुसार —विदेशी भागीदार संयुक्त उपक्रम में 26% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकता है।

इरडा के मुख्य उद्देश्यों में, बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दौरान अधिक ग्राहक विकल्पों एवं न्यूनतम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि करने के दृष्टिकोण के साथ प्रतियोगिता को प्रोत्साहन शामिल है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114A के अन्तर्गत इरडा(IRDA)को विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। 2000 तक इसने बीमा व्यवसाय कर रही कम्पनियों के पंजीकरण से लेकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा तक बहुत से विनियम बनाये हैं।

बीमा अधिनियम 1938 तथा GIBNA संशोधित किया गया जिसने भारत में सामान्य बीमा के लिए जी आई सी (GIC) तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों के अनन्य विशेषाधिकारों को हटा दिया। परिणामतः सामान्य बीमा व्यवसाय निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया।

21 मार्च 2003 से प्रभावी सामान्य बीमा व्यवसाय(राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम 2002 के साथ, जी. आई. सी .(GIC) को अपनी चार सहायक कम्पनियों के नियन्त्रक कम्पनी होने से वचिंत कर दिया गया। उनका स्वामित्व भारत सरकार में निहित कर दिया गया।

### प्रश्न 1.2

भारत सरकार ने 1950 में बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों आवश्यक माना?

परिशिष्ट 1 में वर्तमान समय में भारत में सक्रिय जीवन एवं सामान्य बीमा कम्पनियों की सूची दी गई है। अब इस पर नजर डालें तथा महसूस करें कि कितनी कम्पनियाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं।

#### ध्यान रहे!

पुस्तक लेखन के समय बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(FDI) सीमा वर्तमान की 26%से 49%तक बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव संसद के अनुमोदनाधीन है।

#### द4 बीमा उद्योग में हाल में हुए विकास

2010 में भारत विश्व का पॉचवा सबसे बड़ा बीमा बाजार बन गया है तथा यह अभी भी तेजी से बढ़ रहा है।

बाजार को निजी क्षेत्र के लिए खोले गये दशक में बहुत सारे परिवर्तन हुए, इस खण्ड में हम गत कुछ वर्षों में हुए कुछ महत्वपूर्ण विकास पर नजर डालेंगे।

आई टी का बढ़ता महत्व	सभी बीमा कम्पनियाँ अब अपने व्यवसाय को लाभ पहुँचाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी(IT)का उपयोग करती है तथा अपने ग्राहकों के लिए सुविधा में सुधार करती है। आज ग्राहक कम्पनी की वेबसाइट का उपयोग करके प्रीमियम का भुगतान कर सकता है तथा अपनी पॉलिसी की स्थिति एवं अन्य तथ्यों की जाँच कर सकता है। ग्रहकों से प्रीमियम की प्राप्ति एवं उनकी पॉलिसी में परिवर्तन सम्बन्धी अद्यतन जानकारी ग्राहक को मोबाइल एस एस के माध्यम से भेजी जाती है।
बैंकाश्योरेंस	कई बैंक अपने ग्राहकों को बीमा उत्पाद के विक्रय हेतु बीमा कम्पनियों से जुड़ चुके हैं। बीमा कम्पनियाँ बैंकों के विस्तृत नेटवर्क एवं निष्ठावान ग्राहक आधार तथा योगदान से लाभ उठाती है। बैंकाश्योरेंस गत कुछ वर्षों से बीमा विक्रय को लगातार बढ़ा रहा है। बैंक अपने ग्राहकों को मूल्य-सर्वोत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में समर्थ होने के कारण बीमा कम्पनियों से प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली शुल्क आय का लाभ उठाते हैं। अनेक बैंक अपनी सहायक जीवन बीमा कम्पनी भी शुरू कर चुके हैं।
ऑनलाईन विक्रय	अधिकतर बीमा कम्पनियाँ अब बीमा उत्पादों का ऑनलाईन विक्रय प्रारम्भ कर चुकी है। इससे एक मध्यस्थ की जरूरत से निजात मिलती है तथा लागत घटती है। यह बचत ग्राहकों को घटे प्रीमियम के रूप में हस्तान्तरित की जा सकती है।
लघु-बीमा	इरडा(IRDA) द्वारा 2005 में लघु बीमा दिशा निर्देश जारी किये गये थे। लघु बीमा उत्पाद अत्य आय समूह के लोगों जैसे स्वयं सहायता समूह(SHG) सदस्यों, किसानों, रिक्षा चालकों तथा अन्य को उन जोखिमों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं जिनका उन्हें एवं उनकी सम्पत्तियों को सामना करना पड़ता है। इन उत्पादों के लिए प्रीमियम 15रु. तक हो सकता है तथा साप्ताहिक आधार पर एकत्रित किया जाता है। विनियामक द्वारा इस वर्ग के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम जीवन बीमा कवर 5000 रु. तथा अधिकतम दिया जा सकने वाला बीमा कवर 50,000 रु. हो सकता है। कृषि एवं सहायक गतिविधियों में लगे लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं अतः उन्हें मानसून की असफलता, बाढ़ आदि जैसे

	जोखिमों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब ऐसा हो तो लघु-बीमा सुरक्षा प्रदान करता है।
शिकायत निवारण	<p>जब कोई उद्योग तीव्र वृद्धि करता है तो उसकी चिन्ताओं एवं समस्याओं का उत्पन्न होना अवश्यमभावी है तथा बीमा उद्योग भी इससे अछूता नहीं रह सकता है। ग्राहकों के दावे निपटान एवं सामान्य ग्राहक सेवाओं के बारे में शिकायतों में वृद्धि होती है। जैसा कि हमने अभी देखा है कि इरडा(IRDA) ने पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए कदम उठाये हैं। उसने बीमा कम्पनियों से आन्तरिक ग्राहक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु कहा तथा एक बीमा लोकपाल की स्थापना की गई।</p> <p>इरडा(IRDA) द्वारा ताजा पहल में एक कॉल सेण्टर की स्थापना की जा रही है जिसे एक बीमित अपने बीमाकर्ता के विरुद्ध किसी शिकायत का समाधान पाने के लिए सम्पर्क कर सकता है। असन्तुष्ट व्यक्ति अपनी शिकायत को दर्ज करने के लिए एक टॉल फ़ी नम्बर 155255 पर कॉल कर सकते हैं या फिर <a href="mailto:complaint@irda.gov.in">complaint@irda.gov.in</a> पर ई-मेल कर सकते हैं।</p>

### प्रश्न 1.3

बैंकाश्योरेंस क्या हैं?


इनमें से कुछ विषयों पर हम इस अध्याय में बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रथमतः भारत में बीमा उद्योग से संबंधित संगठनों एवं उनकी भूमिका पर विचार एवं समीक्षा जारी रखेंगे।

य बीमा संगठन एवं भूमिकाएँ

य1 बीमा संगठनों के प्रकार

बीमा संगठन नीचे चित्र में दर्शाये अनुसार तीन मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम खण्ड ल में विभिन्न प्रकार के बीमा संगठनों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों पर संक्षिप्त नजर डालेंगे।

चित्र 1.2 बीमा संगठन के प्रकार



## य1अ जीवन बीमा कम्पनियाँ

जीवन बीमा कम्पनियाँ उन जोखिमों को कवर करती हैं जो मानव जीवन से सम्बन्धित होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के उत्पादों के अन्तर्गत विभिन्न लाभ प्रदान करती हैं तथा शीघ्र मृत्यु के जोखिम के साथ-साथ अधिक आयु तक जीने के जोखिम को भी कवर करती हैं।

परम्परागत योजनाओं जैसे अवधि बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमा कम्पनियाँ मृत्यु कवर प्रदान करती हैं। यदि बीमित व्यक्ति की पॉलिसी की अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है तो नामित/लाभग्रहिता एक निर्दिष्ट धन राशि प्राप्त करता है(जिसे बीमा धन भी कहा जाता है)। इसका एक उदाहरण इस अध्याय के प्रारम्भ में अजय के मामले पर नजर डालने पर प्राप्त होता है। पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत, बीमा कम्पनियाँ बीमित की सेवानिवृत्ति आयु के पश्चात उसकी सहायता के लिए आवर्ती मासिक भुगतान(वार्षिकी) देती हैं।

## य1ब गैर-जीवन बीमा कम्पनियाँ

गैर जीवन बीमा कम्पनियाँ सामान्यतः मानव जीवन से सम्बन्धित जोखिमों के अलावा अन्य जोखिमों को कवर करती हैं। इसका अपवाद व्यक्तिगत दुर्घटना तथा स्वारक्ष्य बीमा है, जो कि गैर जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदान किये जाते हैं। कोई सम्पत्ति जो या तो एक आर्थिक प्रतिफल देती है(उदाहरणार्थः किराये पर दिया गया एक मकान) या सुविधा प्रदान करती है(उदाहरणार्थः एक कार जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा में उपयोग की जाती है) बीमित की जा सकती है। सभी सम्पत्तियाँ विभिन्न जोखिमों का सामना करती हैं: वे आग, भूकम्प, दंगा, चोरी, बाढ़, चक्रवात आदि से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो सकती हैं। यदि सम्पत्ति इनमें से किसी भी जोखिम से क्षतिग्रस्त होती है, तो मालिक को हानि होगी तथा वह उस सम्पत्ति द्वारा उपलब्ध सुविधा या आय खो देगा। गैर-जीवन बीमा कम्पनियाँ ऐसे जोखिमों को कवर करने वाले उपवाद प्रदान करती हैं तथा इनमें से किसी सम्पत्ति के क्षतिग्रस्त हो जाने पर मालिक को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है। इस प्रकार की कम्पनियों द्वारा निर्मित एक उत्पाद है जिसे एक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों उदाहरणार्थः उनके घर में लगी आग के विरुद्ध आदि से सुरक्षा के लिए खरीद सकता है।


## य 1 स पुनर्बीमा कम्पनियाँ

हम खण्ड अ 2 में पहले देख चुके हैं कि बीमा एक जोखिम हस्तान्तरण प्रक्रिया है। जोखिम, उनसे जो उसके सहने में असमर्थ है, से उनको, जो सह सकते हैं को हस्तान्तरित किया जाता है। तथापि स्वयं बीमा कम्पनियों को बहुत अधिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। एक बार जब यह सीमा आ जाती है तो स्वयं बीमाकर्ता को विशाल हानि के जोखिम का सामना करना पड़ता है। जब ऐसा घटित होता है तो बीमाकर्ता स्वयं को अत्यधिक जोखिम से बचाने के लिए अपना कुछ जोखिम किसी अन्य को हस्तान्तरित करता है। ऐसे में पुनर्बीमा कम्पनियाँ उपयोग में आती हैं। एक पुनर्बीमा कम्पनी बीमा कम्पनी के लिए एक बीमाकर्ता होती है। पुनर्बीमा कम्पनियाँ एक प्रतिफल के भुगतान के बदले में बीमा कम्पनी की पुस्तकों में दर्ज जोखिम का एक निश्चित प्रतिशत ग्रहण करती है।

## य 2 बीमा उद्योग में भूमिकाएँ

बीमित एवं बीमाकर्ता के अतिरिक्त बीमा उद्योग में अन्य भूमिकाएँ निम्नानुसार हैं:-

### चित्र 1.3:- बीमा उद्योग में भूमिकाएँ



अभिकर्ता	ये भारत में बीमा विक्रय के एक बड़े प्रतिशत के रूप में योगदान देते हैं। भावी ग्राहक से मिलना उसकी जरूरतों को समझना तथा तदनुसार उचित उत्पाद का सुझाव देना अभिकर्ता का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। हम खण्ड व में अभिकर्ता की भूमिका के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।
निगमित अभिकर्ता	इसमें बैंक एवं दलाल सम्मिलित हैं। इनके बारे में अधिक विस्तृत वर्णन खण्ड र 2 में किया जायेगा।
मध्यस्थ	ये एकल व्यक्ति के साथ-साथ संगठन जैसे फर्म, बैंक तथा मिश्रित दलाल हो सकते हैं। मध्यस्थ बीमा कम्पनियों के लिए भावी ग्राहकों से व्यवसाय की याचना एवं प्राप्त करते हैं।
जोखिमांकनकर्ता	ये निर्णय करते हैं कि बीमा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये या अस्वीकार। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो जोखिमांकनकर्ता यह निर्णय करता है कि इसे किस मूल्य पर स्वीकार किया जाये।
बीमांकक	यह उत्पाद के आदर्श मूल्य की गणन करता है। ये कम्पनी के सांख्यिकीय डाटा तथा पिछले दावों के अनुभवों पर विचार करता है। व्यक्तिगत उत्पादों के मूल्य निर्धारण के अलावा, वे समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए बीमा कम्पनी का सम्पूर्ण वित्तीय आंकलन करता है कि कम्पनी के पास भावी दायित्वों के भुगतान के लिए पर्याप्त संचय है।
तृतीय पक्ष	ये अस्पताल नेटवर्क निर्मित करने का कार्य करते हैं। ये एक अस्पताल में


प्रबन्धक(टी पी ए)	प्रवेश के समय नकदविहीन व्यवस्था अनुमोदन के साथ-साथ डिस्चार्ज पर बीमाकर्ता से बिल निपटाने में भी सहायता करते हैं।
हानि समायोजक / सर्वेक्षक	ये हानि के आंकलन तथा सत्यापन का काम करते हैं जब बीमा कम्पनी पर दावा किया जाता है। ये गैर-जीवन बीमा व्यवसाय में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
विनियामक	बीमा क्षेत्र का निर्विधन चलना सुनिश्चित करना विनियामक का उत्तरदायित्व है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDA- इरडा) भारत में बीमा विनियामक है। इरडा(IRDA) बीमा कम्पनियों को लाइसेंस प्रदान करता है तथा सुनिश्चित करता है कि सभी बीमा कम्पनियाँ हर समय विनियमों का अनुपालन करती हैं। शक्तिशाली बीमा कम्पनियों के विरुद्ध छोटे पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा करना भी इसका दायित्व है।
प्रशिक्षण संस्थान	बीमा उद्योग में निरन्तर बढ़ रही कुशल श्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित मानवशक्ति की आपूर्ति करना इसका उत्तरदायित्व है। भारतीय बीमा संस्थान( III ) जोखिम प्रबन्धन का बीमा संस्थान( IIRM ) तथा राष्ट्रीय बीमा अकादमी( NIA ) बीमा क्षेत्र में मुख्य प्रशिक्षण संस्थान है।
ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे एन. जी. ओ.	गैर- सरकारी संस्थान( NGO ) बीमा उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एन जी ओ की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण होती है जहाँ वे निम्नतर स्तर पर लघु-बीमा उत्पादों की गहन पहुँच / बिकी हेतु स्वयं सहायता समूहों ( SHG ) तथा बीमा कम्पनियों के साथ कार्य करते हैं।

आप देखेंगे कि इन में से कुछ भूमिकाएँ बाजार में बीमा उत्पाद बेचने या जिसे बीमा वितरण भी कहा जाता है, के साथ की जाती है। ये ऐसा किस प्रकार करते हैं? चलो इस अगले खण्ड में एक नजर डाले।

## ल. बीमा वितरण

बीमा उत्पादों का विपणन दो माध्यमों द्वारा होता है:-

वित्र 1.4



निम्न पर विचार करें:-

खण्ड य में वर्णित बीमा बाजार के घटकों पर नजर डालें।

आपके विचार से बीमा वितरण में समिलित इनमें से कौनसे प्रत्यक्ष विपणन माध्यम तथा कौनसे एक अप्रत्यक्ष विपणन माध्यम हो सकते हैं?

## एफ 1 प्रत्यक्ष विपणन माध्यम

एक प्रत्यक्ष विपणन माध्यम में बीमाकर्ता द्वारा नियुक्त विक्रय दल शामिल हो सकता है तथा निश्चित रूप से बीमाकर्ता के कार्यालय में लगे पूर्णकालिक कर्मचारियों की गतिविधियाँ भी शामिल होगी। विज्ञापन लक्षित ग्राहकों पर केन्द्रित होगा, चाहे यह टेलीविजन, ई-मेल विपणन, समाचार पत्रों, होर्डिंगों या ऑनलाइन विज्ञापन के माध्यम से किया जाए। बीमा कम्पनी तथा बीमित के मध्य बिना किसी मध्यस्थ के संविदा लागू की जाती है।


### व 1 अ ई— विक्रय

ई—विक्रय से बीमा उत्पादों का इंटरनेट के माध्यम से विक्रय सन्दर्भित है। भारत में बीमा उत्पाद विक्रय का यह साधन अपेक्षाकृत नया है, लेकिन अधिक परम्परागत तरीकों की अपेक्षा तेजी से ग्रहण किया जा रहा है। कई बार, बीमा कम्पनियाँ नवीनीकृत प्रीमियम एकत्रित करने के लिए ऑनलाइन भुगतान तरीके तथा अपने बीमा उत्पादों के विक्रय के सम्बन्ध में ग्राहकों द्वारा पूछताछ आमन्त्रित करने के लिए अपनी वेबसाइट का उपयोग कर रही हैं, लेकिन भारत में बीमा कम्पनियों ने ऐसे उत्पाद जो इंटरनेट द्वारा विशेष रूप से बेचे जाते हैं, वर्ष 2009 के अन्त में निकालें हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन उत्पाद अन्तिम ग्राहक को बिना किसी मध्यस्थ के सीधे बेचे जाते हैं, मध्यस्थ कमीशन का विलोपन होने के कारण बीमा कम्पनी इन उत्पादों को अधिक सस्ता बेच सकती है।

### व 2 अप्रत्यक्ष विपणन माध्यम

यद्यपि, हम देख चुके हैं कि ऑनलाइन बीमा विक्रय एक तीव्र गति से बढ़ रहा है, बीमा कम्पनी उत्पादों के विक्रय में अब तक मध्यस्थों ने मुख्य योगदान दिया है। मध्यस्थ में निम्न शामिल हैं:—

#### चित्र 1.5 अप्रत्यक्ष विपणन माध्यम



एकल अभिकर्ता	इन्हें बीमा कम्पनियों द्वारा चयनित किया जाता है तथा उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् ये अभिकर्ता बीमाकर्ता के लिए बीमा व्यवसाय हेतु याचना एवं प्राप्त करते हैं। अभिकर्ता बीमा कम्पनी के वेतन पत्रक पर नहीं होते हैं तथा अपने द्वारा किये गये विक्रय पर कमीशन प्राप्त करते हैं। भारत में वर्तमान विनियमों के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में केवल एक जीवन बीमा कम्पनी के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में काम कर सकता है।
बैंकश्योरेंस	जैसा कि हमने खण्ड द 4 में देखा कि बीमा कम्पनियाँ बैंकों से भागीदारी कर उनके माध्यम से अपने उत्पाद विक्रय करती हैं। भारत में वर्तमान विनियम के अनुसार एक बैंक एक समय में केवल एक जीवन बीमा कम्पनी के लिए बीमा अभिकर्ता के रूप में कार्य कर

	सकता है।
बीमा दलाल	ये कई जीवन बीमा कम्पनियों के उत्पाद बेच सकते हैं। इनके पास विभिन्न बीमा कम्पनियों के बीमा उत्पादों की तुलना करने में समर्थ होने का लाभ है तथा ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुरूप एक योजना को प्रस्तावित करते हैं। दलाल ग्राहक का प्रतिनिधित्व करता है: उनके ध्यान में किसी विशिष्ट बीमा कम्पनी के किसी विशिष्ट उत्पाद के बजाय ग्राहक की आवश्यकताएँ रहती हैं।
तुलनात्मक वेबसाइट्स	इंटरनेट सुविधा आधारित यह अपेक्षाकृत नया माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों का एक ही स्थान पर विवरण प्राप्त किया जा सकता है। एक व्यक्ति अपना वर्णन डाल सकता है तथा विभिन्न कम्पनियों से उद्धरण की तुलना कर सकता है। वे उनमें से अपनी जरूरतों के अनुसार सबसे उपयुक्त उत्पाद का चयन कर सकते हैं। यद्यपि इन वेबसाइटों का कोई समुचित नियन्त्रण नहीं होता है अतः ग्राहक को खरीद पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व बीमा कम्पनी के साथ जाँच की चतुराई दिखानी होगी।

निम्न पर विचार करें:—

कौनसा अच्छा है— बीमा का विक्रय प्रत्यक्ष विपणन या अप्रत्यक्ष विपणन द्वारा करना? और क्यों ?

#### प्रश्न 1.4

ऐसे बीमाकर्ता जो अपना उत्पाद ग्राहक को इंटरनेट के माध्यम से बेचते हैं, क्यों बहुत कम प्रीमियम प्रस्तावित करने में समर्थ होते हैं?

हम यह स्थापित कर चुके हैं कि हम किस प्रकार अपना बीमा उत्पाद बेचने जा रहे हैं। हम कोई भी माध्यम अपनायें, हमें विक्रय के लिए कुछ उत्पादों की आवश्यकता हैं। किस वर्ग के उत्पाद उपलब्ध हैं? हम जीवन बीमा उत्पादों पर नजर डालने के लिए इस अध्ययन पाठ्यक्रम में बाद में समय लेंगे। अभी के लिए, हम उपलब्ध, बीमा उत्पादों की एक बहुत संक्षिप्त समीक्षा दे रहे हैं।

#### ल बीमा उत्पाद

जैसा कि हमने खण्ड य 1 में देखा, पुनर्बीमा के अलावा बीमा बाजार मौटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित है—


जीवन बीमा तथा गैर-जीवन बीमा।

जीवन बीमा मानव जीवन से सम्बन्धित जोखिम को कवर करता है अन्य सभी जोखिम गैर जीवन बीमा या सामान्य बीमा के अन्तर्गत कवर होते हैं।

#### ल 1 गैर जीवन बीमा बाजार

गैर— जीवन बीमा बाजार निम्न उपवर्गों में विभाजित किया जाता है:

#### चित्र 1.6 गैर जीवन बीमा बाजार




यह समाज की जरूरतों के अनुसार समय-समय पर आने वाले नये उत्पादों के साथ निरन्तर विकासशील बाजार है।

## ल 2 जीवन बीमा बाजार

जीवन बीमा बाजार में बहुत सारे उत्पाद उपलब्ध हैं तथा हम अध्याय 5,6 तथा 7 में उनके बारे में विस्तार से विचार करेंगे। तथापि, यहाँ हम उत्पादों के मुख्य प्रकारों का एक संक्षिप्त वर्णन देंगे ताकि आप देखना शुरू करें कि किन वर्गों के उत्पादों को आप विक्रय में शामिल कर सकते हैं। जीवन बीमा के अन्तर्गत उपलब्ध मुख्य उत्पाद नीचे दर्शाये गये हैं:-

#### चित्र 1.7 मुख्य जीवन बीमा उत्पाद



विशिष्ट सामान्य बीमा उत्पादों पर चर्चा इस पुस्तक के कार्यक्षेत्र से बाहर है।

#### प्रस्तावित किया:-

अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों से उनके जीवन बीमा योजनाओं के बारे में पूछे जो उनके पास हैं। उनसे पूछे कि उन्होंने क्यों उस विशेष योजना का चयन किया।

अब हम बीमा बाजार, इसमें निहित भूमिकाएँ तथा इसके द्वारा उपलब्ध उत्पादों की समीक्षा को सारांश में प्रस्तुत कर चुके हैं। इससे पूर्व कि हम बीमा के अन्तर्गत निहित विचार को देखने अगले अध्याय में जायें, इस पर नजर डालें कि एक अभिकर्ता होने का अर्थ क्या है।

## व एक अभिकर्ता की भूमिका एवं कार्य

### व 1 अभिकर्ता बनना

यदि आप एक जीवन बीमा अभिकर्ता बनना चाहते हैं तो आपको कई चरणों में कुछ मानकों को पूरा करना होगा। बीमा अधिनियम के अनुसार एक बीमा अभिकर्ता के पास एक लाइसेंस होना चाहिए, तथा इरडा(IRDA) लाइसेंस के सभी मामलों तथा अभिकर्ताओं से सम्बन्धित अन्य पहलूओं पर कार्य करता है। सम्पूर्ण प्रक्रिया में सभी चरणों पर कुछ विनियमों का अनुपालन करना चाहिए। इन विनियमों तथा आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण अध्ययन पाठ्यक्रम में बाद में शामिल किया जायेगा। इस परिचयात्मक अध्याय में हम एक अभिकर्ता बनने की प्रक्रिया को सिर्फ रेखांकित करेंगे तथा एक अभिकर्ता क्या करता है, का वर्णन करेंगे।

### व 2 अभिकर्ता की भूमिका

खण्ड र 2 में जैसा कि बताया गया है, अभिकर्ता बीमा कम्पनी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा वे बीमा कम्पनी तथा बीमित के मध्य मुख्य कड़ी के रूप में काम करते हैं। उनकी भूमिका ग्राहकों को सही उत्पादों की सलाह देने की है जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करें। इस कार्य के साथ-साथ अपने प्रत्याशित ग्राहक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्यों की जानकारी रखने की विशिष्ट स्थिति के कारण बीमाकर्ता के हितों के विरुद्ध किसी उत्पाद के विपरीत चयन रोकने में उसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है।

यह स्थिति पूरे बीमा व्यवसाय में अभिकर्ता की भूमिका को बहुत निर्णायक बनाती है।

बीमा उत्पाद की विक्रय प्रक्रिया के सरल एवं निर्विघ्न समापन हेतु अभिकर्ता आवश्यक कागजी कार्यवाही पूर्ण करने में प्रस्तावक की सहायता करते हैं।

पॉलिसी बेचने के बाद अभिकर्ता यह सुनिश्चित करता है कि उसे परिपक्वता या दावा उत्पन्न होने तक उचित रूप से सहायता देनी है। एक दावे के समय, अभिकर्ता शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने में ग्राहक की सहायता करेगा।

भारत में, जीवन बीमा अभिकर्ता बीमा की एक श्रृंखला जिसमें निम्नांकित उत्पाद सम्मिलित है, का विक्रय करता है :—

- मूल जीवन बीमा उत्पाद जैसे अवधिबीमा तथा आजीवन योजनाएँ;
- बचत उत्पाद; तथा
- अन्य वित्तीय उत्पाद, जैसे स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना मृत्यु योजनाएँ।

इन सभी उत्पादों पर अगले अध्यायों में नजर डालेंगे।

एक बार लाइसेंस प्राप्त करने पर एवं नियुक्ति हो जाने पर, अभिकर्ता एक स्वतन्त्र व्यवसायिक हो जाता है।

### व 3 अभिकर्ताओं के लिए आचार संहिता

अभिकर्ताओं को उनकी भूमिका एक व्यावसायिक तरीके से निभाने में सहायता के लिए, प्रत्येक लाइसेंस धारी अभिकर्ता को बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा अभिकर्ताओं को लाइसेंस देना) विनिमय 2000 के विनिमय 8 के अनुसार विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करना

चाहिए। आचार संहिता में इरड़ा(IRDA) ने पूर्ण विवरण दिया है कि अभिकर्ता को क्या करना होगा और क्या नहीं करना होगा। उदाहरण के लिए, अभिकर्ता जिस बीमा कम्पनी का प्रतिनिधित्व करता है उसके द्वारा विक्रय किये जाने वाले उत्पादों से संबंधित सारी जानकारी प्रत्याशित ग्राहक को देनी चाहिए। उसे ग्राहक के सर्वोत्तम हित में कार्य करना चाहिए तथा साथ ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कम्पनी के विरुद्ध कोई विपरीत चयन नहीं हो।(हम विपरीत चयन के बारे में अध्याय 4 अ में आगे चर्चा करेंगे)

इसके साथ ही, बीमा अभिकर्ता को अपनी कम्पनी के लिए किये गये व्यवसाय को बनाये रखने के लिए कदम उठाये जाने की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए उनको हमेशा मौखिक एवं लिखित प्रयासों द्वारा यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि पॉलिसीधारक प्रीमियम का भुगतान वांछित समय पर करता रहे।

हम अभिकर्ताओं के लिए आचार संहिता पर बाद मे लौटेंगे।

<b>मुख्य बिन्दु</b>
इस अध्याय में जिन मुख्य बिन्दुओं की चर्चा की गई है उन्हें निम्नानुसार सारांश रूप में व्यक्त किया जा सकता है:-
<b>वित्तीय सेवाओं की भूमिका</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>वित्तीय सेवा क्षेत्र(बीमा क्षेत्र सहित) देश की सकल आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।</li> <li>बीमा क्षेत्र द्वारा कम्पनियों एवं परियोजनाओं में निवेश किया जाता है जो उसे जनता द्वारा सुरक्षा तथा निवेश आधारित उत्पादों को खरीदने से प्राप्त होता है।</li> </ul>
<b>व्यावसायिक बीमा बाजार के लाभ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता आधारित विक्रय तथा पारदर्शितायुक्त एक व्यवसायिक बीमा बाजार पॉलिसीधारकों के मध्य उच्च विश्वास उत्पन्न करता है तथा बीमा की पहुँच , रोजगार सृजन मे वृद्धि तथा बीमा कम्पनी की सर्वांगीण सफलता बढ़ायेगा।</li> </ul>
<b>बीमा का इतिहास</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>भारत में बीमा का इतिहास तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है।</li> <li>प्रथम चरण( उदारीकरण—पूर्व ) में 1956 में सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण से पूर्व निजी एवं विदेशी बीमा कम्पनियों की प्रधानता थी।</li> <li>दूसरे चरण(उदारीकरण) में सुधार प्रारम्भ किये गये तथा इरड़ा (IRDA) को बीमा क्षेत्र के विनियामक के रूप में स्थापित किया गया। निजी भागीदारी तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश(FDI) को भी आमंत्रित किया गया।</li> <li>तीसरे चरण(उदारीकरण पश्चात) में कई निजी कम्पनियों ने एक विदेशी भागीदार के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में बीमा व्यवसाय प्रारम्भ किया। वर्तमान में भारत में 23 जीवन बीमा कम्पनियाँ कार्यशील हैं।</li> <li>हाल ही में बीमा कम्पनियों ने वृहद स्तर पर आई टी(IT) को लागू किया है। बैंकाश्योरेंस एवं लघु बीमा लाया जा चुका है तथा शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई।</li> </ul>
<b>बीमा संगठन एवं उनकी भूमिकाएँ :-</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>बीमा व्यवसाय तीन मुख्य प्रकारों— जीवन, गैर —जीवन तथा पुनर्जीवन में वर्गीकृत किया जाता है।</li> <li>बीमा बाजार अभिकर्ताओं, निगमित अभिकर्ताओं, मध्यस्थों, जोखिमांककों, बीमांककों, टी पी ए, सर्वेक्षकों, विनियामकों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं एन. जी. ओ. द्वारा संचालित होता है।</li> </ul>
<b>बीमा वितरण</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>बीमा प्रत्यक्ष विपणन (कर्मचारियों एवं इन्टरनेट विक्रय) तथा अप्रत्यक्ष विपणन (अभिकर्ताओं, बैंकाश्योरेंस, दलालों) के माध्यम से बेचा जाता है।</li> </ul>
<b>बीमा उत्पाद</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित उत्पादों में अवधि बीमा योजनाएँ, बन्दोबस्ती बीमा योजनाएँ, आजीवन योजनाएँ, पेशन एवं बचत योजनाएँ तथा यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ शामिल हैं।</li> </ul>
<b>अभिकर्ता बनना</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>एक अभिकर्ता बनने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक फार्म एवं शुल्क जमा करना होगा, उसके पास वांछित योग्यता हो, व्यवहारिक प्रशिक्षण पाकर वांछित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है।</li> <li>एक अभिकर्ता को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सर्वोत्तम उत्पादों का सुझाव देना चाहिए तथा उसी समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई विपरीत चयन न हो।</li> <li>एक अभिकर्ता को अपने बीमाकर्ता के उत्पादों, प्रतिद्वन्द्वी बीमाकर्ताओं के उत्पादों तथा बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी निवेश उत्पादों के बारे में अपने ज्ञान को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करना चाहिए।</li> <li>सभी लाइसेंस प्राप्त अभिकर्ताओं को हर समय आचार संहिता का अनुसरण करना होता है।</li> </ul>

<b>प्रश्न—उत्तर</b>	
1.1	उत्तर (अ) जोखिम हस्तान्तरण है। आप खुद सामना करने वाले जोखिम को बीमा कम्पनी को आपके लिए वहन करने हेतु हस्तान्तरित कर रहे हैं।
1.2	इसमें प्रतिस्पर्धा तथा अनुचित व्यवहारों के आरोप से सम्बन्धित अनेक पहलू संभावित थे।
1.3	बैंकाश्योरेंस में बीमा कम्पनियों के साथ बैंक भागीदार के रूप में बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद प्रस्तावित करते हैं।
1.4	मध्यस्थों की सेवा न लेकर उनको दिये जाने वाले कमीशन की राशि की बचत का लाभ बीमा कम्पनी अपने ग्राहकों से न्यूनतम दर पर प्रीमियम लेकर प्रदान करती है।

**स्व-परीक्षण प्रश्न**

- |   |
|---|
| 1. लोगों को जीवन बीमा की जरूरत क्यों है?  |
| 2. एक व्यावसायिक बीमा बाजार होने के क्या लाभ है?  |
| 3. (अ) भारत में बीमा क्षेत्र के विकास के तीन चरण क्या हैं?<br>(ब) वर्णन करें कि सबसे ताजा चरण में क्या घटित हुआ है? |
| 4. उन प्रतिभागियों की सूची बनाइए जो बीमा बाजार का निर्माण करते हैं।   |
| 5. बीमा कम्पनियों को क्या अप्रत्यक्ष विषयन साधन उपलब्ध है?  |
| 6. जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा बेचे गये विभिन्न प्रकार के उत्पाद क्या हैं?   |

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

### स्व—परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. लोगों को अपने दायित्वों को निभाने में सहायता के लिए जीवन बीमा की जरूरत होती है यदि उनकी असमय मृत्यु हो जाये। इसमें सम्मिलित है:—
  - परिवार की आय आवश्यकता;
  - बच्चों की शिक्षा; तथा
  - बच्चों का विवाह
2. आवश्यकता— आधारित विक्रय तथा पारदर्शिता पर आधारित एक व्यावसायिक बीमा बाजार के लाभों में सम्मिलित है:—
  - पॉलिसीधारकों के मध्य उच्च विश्वास;
  - बीमा पहुँच में वृद्धि;
  - सामाजिक लाभ;
  - रोजगार सृजन;
  - बीमा कम्पनियों के लिए लाभों में वृद्धि;
  - विकास तथा ढाँचागत परियोजनाओं में निवेश के लिए प्राप्त प्रीमियम के एक उचित अंश का उपलब्ध होना ; तथा
  - अर्थव्यवस्था की सकल वृद्धि में सुधार।
3. (अ) भारत में बीमा का इतिहास निम्नानुसार तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है:—
  - चरण I उदारीकरण— पूर्व ;
  - चरण II उदारीकरण; तथा
  - चरण III उदारीकरण पश्चात्

(ब) चरण III में, मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। विदेशी कम्पनियों को भी भारतीय बीमा बाजार में भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से भागीदारी की अनुमति दी गई है। वर्तमान विनियमों के अनुसार —विदेशी भागीदार संयुक्त उपक्रम में 26% से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकता है।

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 114A के अन्तर्गत इरडा(IRDA)को विनिमय बनाने की शक्ति प्राप्त है। 2000 तक इसने बीमा व्यवसाय कर रही कम्पनियों के पंजीकरण से लेकर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा तक बहुत से विनिमय बनाये हैं।

4. बीमा बाजार के घटकों में सम्मिलित है:—

अभिकर्ता  
निगमित अभिकर्ता  
मध्यस्थ  
जोखिमांकक  
बीमांकक  
टी पी ए  
सर्वेक्षक / हानि समायोजक  
विनियामक

<p>प्रशिक्षण संस्थान ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा कर रहे एन. जी. ओ.,</p>
<p>5. अप्रत्यक्ष विपणन साधनों में सम्मिलित है:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● एकल अभिकर्ता;</li><li>● बैंकाशयोरेंस / निगमित अभिकर्ता;</li><li>● बीमा दलाल: ये प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल तथा निगमित दलाल के रूप में उपवर्गीकृत किये जाते हैं; तथा</li><li>● तुलनात्मक वेबसाइट्स(यद्यपि ये नियन्त्रित नहीं की जाती है)।</li></ul>
<p>6. जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा बेचे गये विभिन्न प्रकार के उत्पादों में सम्मिलित है:-</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● अवधि बीमा योजनाएँ</li><li>● बन्दोबस्ती योजनाएँ;</li><li>● धन—वापसी योजनाएँ / मनी बेक योजनाएँ;</li><li>● आजीवन बीमा योजनाएँ;</li><li>● पेंशन एवं बचत योजनाएँ; तथा</li><li>● यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ(यू एल आई पी)</li></ul>

## परिशिष्ट 1.1 भारत में सक्रिय बीमा कम्पनियाँ(जनवरी 2011)

### सारणी 1.1 भारत में जीवन बीमा कम्पनियाँ

क्रमांक	जीवन बीमा कम्पनी का नाम
1.	एच डी एफ सी स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
2.	मेक्स न्यूयोर्क स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3.	आई सी आई सी आई प्रूडेन्शियल स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
4.	कोटेक महिन्द्रा ओल्ड म्यूच्युल स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
5.	बिरला सन लाईफ स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
6.	टाटा ए आई जी स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
7.	एस. बी. आई. स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
8.	आई एन जी वैश्य स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
9.	बजाज एलाइन्ज स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
10.	मेट लाईफ इण्डिया स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
11.	रिलाइन्स स्टेप्डर्ड लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड(पूर्व में 3 जनवरी 2002 से 29 सितम्बर 2005 तक ए एम पी सनमर लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी)
12.	अविवा लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
13.	सहारा इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
14.	श्री राम इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
15.	भारती एक्सा लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
16.	फ्यूचर जनरली इण्डिया लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
17.	आई डी बी आई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
18.	केनरा एस बी सी ओ बी सी लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
19.	ऐगॉन रिलीगेयर लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
20.	डी एल एफ प्रमेरिका लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
21.	भारतीय जीवन बीमा निगम(लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया)
22.	स्टार यूनियम डाई- ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
23.	इण्डिया फस्ट लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

## परिशिष्ट 1.1 भारत में सक्रिय बीमा कम्पनियाँ(जनवरी 2011)

### सारणी 1.2 भारत में सामान्य बीमा कम्पनियाँ

क्रमांक	सामान्य बीमा कम्पनी का नाम
1.	बजाज अलाइंज जनरल इन्�श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
2.	आई एफ एफ सी ओ टोकयो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
3.	एच डी एफ सी अरगो जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
4.	आई सी आई सी आई लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
5.	द न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
6.	द ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
7.	मेक्स बूपा हेल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
8.	रायल सुन्दरम अलाइंस इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
9.	यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
10.	एस बी आई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
11.	टाटा ए आई जी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
12.	रिलाइंस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
13.	कोलमण्डलम एम एस जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
14.	नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
15.	श्री राम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
16.	भारती एक्सा जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
17.	फ्यूचर जनरली इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
18.	एग्रीकल्वर इन्श्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया
19.	स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
20.	अपोलो म्यूनिक हेल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
21.	यूनिवर्सल शाम्पू जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
22.	एक्सपोर्ट केडिट एण्ड गारन्टी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
23.	राहेजा क्यू बी ई जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड
24.	एल एण्ड टी जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड

### सारणी 1.3 भारत में पुनर्बीमा कम्पनियाँ

जनरल इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन (GIC)

स्रोत:- इरडा (IRDA) वेबसाइट

# 2

## जोखिम तथा बीमा

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
विषयवस्तु	
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य पद	
अ. जोखिम का सिद्धान्त	2.1
ब. जोखिम के घटक	2.2
स. बीमायोग्य जोखिम	2.3
द. जोखिम हस्तान्तरण	2.4
य. जोखिमों का पूल बनाना	2.5
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न—उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
अध्ययन उद्देश्य	
<b>अध्ययन उद्देश्य</b>	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न हेतु समर्थ होंगे:—	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● बीमा के सम्बन्ध में जोखिम के सिद्धान्त की व्याख्या करने में;</li> <li>● जोखिम के मुख्य घटकों की व्याख्या करने में;</li> <li>● बीमित किये जा सकने वाले जोखिमों का वर्णन करने में;</li> <li>● एक जोखिम हस्तान्तरण प्रक्रिया के रूप में बीमा के महत्व का वर्णन करने में;</li> <li>● जोखिमों का पूल बनाने के सिद्धान्त की व्याख्या करने में।</li> </ul>	

## परिचय

अध्याय 1 में हमने व्याख्या की थी कि बीमा जोखिम के हस्तान्तरण पर आधारित होता है तथा हमने कुछ जोखिमों पर संक्षिप्त नजर डाली थी जिनका एक व्यक्ति सामना कर सकता है।

इस अध्याय में, हम जोखिम की प्रकृति पर अधिक विस्तार से तथा जोखिम के प्रकार, जिनके विरुद्ध बीमा किया जा सकता है, पर नजर डालेंगे, साथ ही जोखिम किस प्रकार हस्तान्तरित या पूल में डाला जाता है के बारे में कुछ अधिक व्याख्या करेंगे। निःसन्देह एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आप मानव जीवन से सम्बन्धित जोखिमों से सम्बद्ध होते हैं अतः इस अध्याय में हम अपना ध्यान इन्हीं पहलूओं पर केन्द्रित करेंगे। तथापि हम कुछ जोखिमों का सन्दर्भ देने का भी प्रयास करेंगे जो कि सामान्य बीमा में लागू होते हैं ताकि जोखिम के सिद्धान्त को इसके व्यापक अभिप्राय में अच्छी तरह समझने में आपको सहायता करेगा।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

जोखिम	जोखिम के घटक	अनिश्चितता	जोखिम
आपदा	समरूप जोखिम	दुर्घटनात्मक जोखिम	बीमायोग्य जोखिम
आर्थिक जोखिम	शुद्ध जोखिम	जोखिम हस्तान्तरण	जोखिम पूल बनाना

## अ जोखिम का सिद्धान्त

### अ1 जोखिम की परिभाषा

शब्द जोखिम का अनेक संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है। बीमा में जोखिम का आशय उन सम्पत्तियों से है जिन्हें बीमित किया जा सकता है उदाहरणार्थ मानव जीवन, मकान, कार आदि। जोखिम की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है क्योंकि इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग किया जा सकता है।


जोखिम की कुछ परिभाषाएँ इस प्रकार हैं:-

- किसी क्षति या हानि की सम्भावना जोखिम है।
- किसी परिस्थिति से उत्पन्न परिणामों के सम्बन्ध में सन्देह या अनिश्चितता।
- किसी व्यक्ति या वस्तु को संभावित खतरे से आच्छादित होना जोखिम माना जाना है।

### ध्यान रहे!

जीवन बीमा में शब्द “जोखिम” का उपयोग किसी अप्रिय घटना घटित होने की सम्भावना के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए असमय मृत्यु या एक अकल्पनीय अपंगता।

किसी व्यक्ति को अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में अनेकों जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है; इनमें से कुछ हैं:



बीमा इन जोखिमों को होने से नहीं रोक सकता है, लेकिन उनका प्रभाव कम कर देता है यदि वे घटित हो। जीवन बीमा मुख्यतः दो जोखिमों— समय पूर्व मृत्यु तथा अत्याधिक लम्बे जीवन से संबंधित है। मानव जीवन से संबंधित अन्य जोखिम अधिकांशतः गैर-जीवन बीमा द्वारा कवर किये जाते हैं। तथापि जीवन बीमा कम्पनियाँ निम्न जोखिमों—दुर्घटना से मृत्यु या अपंगता, बीमारी तथा बेरोजगारी को कवर करने के लिए जीवन बीमा योजना के साथ अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान करते हैं।

### उदाहरण

राकेश गुप्ता एक निजी कम्पनी के लिए काम करने वाला विक्रय कर्मचारी है। उसके कार्य में उसके मासिक एवं त्रैमासिक विक्रय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने क्षेत्र में विभिन्न खुदरा विक्रेताओं से मिलने के लिए लगातार यात्रा करना शामिल है। कई बार उसे बिना आराम के, कई दिनों तक लगातार यात्रा करनी पड़ती है।

राकेश गुप्ता को निम्नलिखित जोखिमों का खतरा है, जिसके लिए वह बीमा खरीदने पर विचार करे :—

**असमय मृत्यु—** राकेश के कार्य की मांग (प्रोफाइल) काफी तनावयुक्त है जिसमें गहन यात्रा करना शामिल है। उसे असामिक मृत्यु के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है जो किसी दुर्घटना या तनाव जनित बीमारी से हो सकती है। एक उचित जीवन बीमा योजना राकेश की असमय मृत्यु के जोखिम के विरुद्ध उसके परिवार की सुरक्षा कर सकती है।

**दुर्घटना—** राकेश द्वारा की जाने वाली अनवरत यात्राओं के कारण, वह दुर्घटना के जोखिम की ओर प्रवृत्त है जिसके फलस्वरूप स्थायी या अस्थायी अपंगता हो सकती है। अपंगता लाभ युक्त एक जीवन बीमा योजना या एक पृथक् दुर्घटना बीमा पॉलिसी राकेश के अपंग हो जाने के जोखिम से उसके परिवार की सुरक्षा कर सकती है।

**बीमारी—** उसके कार्य की तनावयुक्त प्रकृति के कारण, राकेश गंभीर बीमारियों के होने के जोखिम में है। एक गंभीर बीमारी लाभ के साथ एक जीवन बीमा योजना या एक स्वास्थ्य बीमा योजना, राकेश को कोई गंभीर बीमारी हो जाने पर अस्पताल के खर्चों की पूर्ति में सहायता कर सकती है।

**बेरोजगारी—** यदि राकेश की दुर्घटना होती है और वह अपंग हो जाता है, तो उसे अपना काम खोने तथा बेरोजगार होने के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है।

**बहुत लम्बा जीवन जीना—** यदि उसके कार्यशील जीवन के दौरान उपरोक्त में से कोई घटना नहीं घटती है तथा राकेश सेवानिवृत्त हो जाता है, उसे सेवानिवृत्ति के पश्चात् बहुत लम्बे जीवन का जोखिम हो सकता है। वह एक निजी कम्पनी के लिए कार्य करता है जो उसके सेवा अनुलाभों के रूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात् मासिक पैंशन प्रदान नहीं करती है। अतः उसे अपने कार्यशील जीवन के दौरान एक सेवानिवृत्ति पैंशन योजना में निवेश करके एक सेवानिवृत्ति कोष बनाने की जरूरत होगी। सेवानिवृत्ति पर वह बीमा कम्पनी से वार्षिकी योजना खरीद सकता है जो कि उसके सेवानिवृत्ति के बाद नियमित वार्षिक राशि का भुगतान करेगी।

**नोट:-** विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं तथा हानि प्रबन्धन के बारे में विवरण पर बाद के अध्यायों में चर्चा की जायेगी।

### ध्यान रहे!

बीमा कम्पनी केवल कुछ निर्दिष्ट जोखिमों के लिए कवर प्रदान करती है। ये जोखिम पॉलिसी प्रलेखों में सूचीबद्ध होते हैं। बीमा कम्पनी निर्दिष्ट जोखिमों के अलावा अन्य जोखिमों से उत्पन्न दावों के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी।

### प्रस्तावित क्रिया

किसी व्यक्ति द्वारा सामना किये जाने वाले जोखिमों का अध्ययन करने के पश्चात् परिवार के आय प्रदाता से चर्चा करें कि उनके कार्य की प्रकृति के कारण उन्हें कौन से जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप मुख्य आय प्रदाता हो; तो आपको व्यक्तिगत रूप से क्या जोखिम है?


### अ 2 जोखिम के प्रति दृष्टिकोण

जोखिम के प्रति प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। अतः हम सभी लोग जोखिमों का अलग तरीके से देखते हैं।

कुछ व्यक्ति जोखिम प्रतिधारण के इच्छुक होते हैं अतः जोखिम को स्वयं वहन करते हैं, जबकि अन्य सावधानी बरतते हैं तथा उसे किसी बीमा कम्पनी को हस्तान्तरित करते हैं।

### ब जोखिम के घटक

जोखिम के घटकों में शामिल है :



### ब १ अनिश्चितता

जीवन अनिश्चित है और इसलिए हमारा भविष्य अनिश्चित है। यदि हम पहले से यह जान सके कि एक घटना घटने जा रही है तो हम इसे रोकने या इससे पार पाने की योजना बना सकते हैं, तथा इस तरह सम्बंधित जोखिम सीमित या समाप्त भी किया जा सकता है।

एक सामान्य सिद्धान्त के अनुसार बीमा केवल अनिश्चित जोखिमों के लिए उपलब्ध होता है। इस कथन से एक प्रश्न उत्पन्न होता हैः— हम सभी जानते हैं कि मृत्यु निश्चित होती है— लेकिन हम यह भी जानते हैं कि जीवन बीमा मृत्यु के विरुद्ध उपलब्ध होता है इसलिए ऐसा कथन किस प्रकार सत्य हो सकता है?

यह सत्य है क्योंकि यद्यपि हम एक दिन मर जायेंगे, पर कब हमारी मृत्यु होगी, यह अनिश्चित है। मृत्यु के समय के बारे में अनिश्चितता ही है जो मृत्यु को बीमायोग्य बनाती है। एक बार जब मृत्यु का समय निश्चित हो जाता है, उदाहरण के लिए जब एक व्यक्ति किसी घातक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, तब एक बीमा कम्पनी जोखिम को कवर नहीं करती है। निम्न प्रकरण अध्ययन प्रदर्शित करता है कि यह किस प्रकार कार्य करता है।

#### प्रकरण—अध्ययनः—

- ऋषभ अग्रवाल एक 40 वर्षीय व्यवसायी है जिसकी एक स्वरथ जीवनशैली है। प्रत्येक सुबह वह योग का अभ्यास करता है तथा धुम्रपान, तम्बाकू तथा शराब से परहेज करता है। उसके पारिवारिक मेडिकल इतिहास में मधुमेह रोग का उल्लेख है उसके माता-पिता दोनों इससे ग्रसित हुए हैं। लेकिन ऋषभ अग्रवाल में मधुमेह रोग पहचाना नहीं गया है। क्या ऋषभ को जीवन बीमा दिया जा सकता है?

उतर हाँ है, क्योंकि ऋषभ ने एक स्वस्थ जीवन शैली बना रखी है तथा उसमें किसी रोग की पहचान नहीं की गई है। उसकी मृत्यु का समय अनिश्चित है।

2. राकेश शर्मा में एक बहुत विकसित अवस्था के ब्रेन ट्यूमर का पता चलता है। डॉक्टर जानते हैं कि वे उसे बचा नहीं सकते हैं तथा निकट भविष्य में राकेश की दुखद मृत्यु लगभग निश्चित है। क्या राकेश शर्मा को जीवन बीमा दिया जा सकता है?

उतर नहीं है, जीवन बीमा कम्पनियाँ राकेश को बीमा कवर देने का जोखिम नहीं लेगी क्योंकि उसकी मृत्यु एक बहुत कम समय के अन्तराल में लगभग निश्चित है।

## ब 2 जोखिम का स्तर

हम जानते हैं कि कुछ घटनाओं की अपेक्षा कुछ अन्य घटनाओं के घटित होने की सम्भावना अधिक होती है तथा इसे सम्बद्ध जोखिम का स्तर प्रभावित करता है।

जोखिम का स्तर सामान्यतया निम्न पदों में आंकलन किया जाता है:-

- एक निश्चित घटना घटने की प्रायिकता(या आवृत्ति), तथा
- घटना का प्रभाव क्षेत्र (या गंभीरता) यदि वह घटती है।

## आवृत्ति

किसी निश्चित व्यक्ति के एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने की सम्भावना की गणना बीमांककों द्वारा पूर्व के एकत्रित आंकड़ों से की जाती है, तथा मृत्यु दर सारणियों के रूप में उपलब्ध रहती है। यह बीमा कम्पनियों को किसी विशिष्ट घटना जैसे, विभिन्न परिस्थितियों में होने वाली मृत्यु की सम्भावना को निर्धारित कराती है।

व्यक्तियों के जीवन के प्रति जोखिम की प्रायिकता/सम्भावना उनकी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, पारिवारिक मेडिकल इतिहास, जीवनशैली, जॉब प्रोफाइल आदि के आधार पर अलग होगी। व्यक्तियों के किसी विनिर्दिष्ट (नमूना) आयु वर्ग में से एक वर्ष के भीतर होने वाली मृत्यु की सम्भावित संख्या को मृत्यु दर कहते हैं।

## उदाहरण

100 लोगों के दो भिन्न समूहों पर नजर डालें। प्रथम समूह की आयु वर्ग 30–39 है। इनमें से एक व्यक्ति की 31 वर्ष आयु से पूर्व मृत्यु हो जाती है। इस मामले में मृत्यु की प्रायिकता 1% या 100 में 1 आवृत्ति है। द्वितीय समूह का आयु वर्ग 60–69 है। इनमें से 15 लोगों की 61 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु हो जाती है (15%)। इस तरह द्वितीय समूह में मृत्यु की आवृत्ति प्रथम समूह से अधिक है।

## गंभीरता:-

बीमा कम्पनियाँ जोखिम की सम्भावता के आधार पर हानि की गहनता के परिणामस्वरूप देय दावों की राशि का आंकलन करती है यदि बीमित घटना वास्तव में घटित हो।

## ध्यान रहें।

जीवन बीमा कम्पनियाँ अपने विगत आंकड़ों (दावों के अनुभव) के आधार पर जोखिम के स्तर का निर्धारण करती हैं। यदि विगत ऑकड़े यह दर्शाते हैं कि एक निश्चित आयु (66–70 कहे तो) में

हृदयाधात की अधिक प्रवृत्ति होती है, तब इस आयु समूह के लिए जोखिम का स्तर उच्च माना जायेगा।

#### प्रकरण—अध्ययन

22 मई 2010 को एयर इण्डिया एक्सप्रेस फ्लाईट 812(दुबई—मंगलोर) कैश हो गई। 158 यात्री मारे गये। विमान कैश हादसे के शिकार लोगों को देय दावा राशि सहित दावे की कुल राशि करोड़ों रुपये में होने की आशंका होती है।

एयर लाईन बीमा में जोखिम की प्रकृति कम आवृत्ति परन्तु उच्च गंभीरता(प्रभाव) के रूप में वर्गीकृत की जा सकती है क्योंकि एक एयर कैश की प्रायिकता निम्न है लेकिन जब यह घटित होता है, हानि का विस्तार बहुत अधिक होता है।

#### आपदा एवं जोखिम

यह जोखिम का अन्तिम पहलू है तथा हानि के कारणों से सम्बन्धित है।

आपदा से एक विशिष्ट घटना सन्दर्भित है जिससे हानि हो सकती है। यह हानि जीवन की हानि या सम्पत्ति की हानि हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकम्प, तूफान, बाढ़ आदि सभी आपदायें हैं जिनके कारण जीवन की हानि या सम्पत्ति की क्षति हो सकती है।

आपदायें ऐसे जोखिम होते हैं जो बीमित के विरुद्ध होते हैं। उदाहरणतः ऐसे जोखिम जिनसे एक व्यक्ति अपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान मर जायेगा।

दूसरी ओर एक जोखिम, एक स्थिति है जो या तो एक खतरा होने की संभावना में वृद्धि करता है या फिर इसके होने पर विपरीत प्रभाव डालती है।

ध्यान रहें।

जोखिम आपदा के प्रचालन पर असर डालता है।

#### उदाहरण

यदि फेंफड़ो का केन्सर एक जोखिम है तो धूम्रपान एक आपदा हो सकती है जो जोखिम (फेंफड़ो के केन्सर) के होने की सम्भावना में वृद्धि कर सकता है।

#### प्रकरण—अध्ययन:-

26 जनवरी 2011 को गुजरात में आया भूकम्प भारत के इतिहास के सबसे बुरे भूकम्पों में से एक था। इस दुखद घटना में हजारों की संख्या में लोगों ने अपना जीवन गंवाया। लाखों की संख्या में लोग घायल हुए तथा हजारों करोड़ रुपये की सम्पत्ति नष्ट हो गई। भूकम्प का केन्द्र पश्चिमी गुजरात के भुज कस्बे के उत्तरी भाग में स्थित था।

इस मामले में भूकम्प एक आपदा थी तथा कमजोर निर्मित मकान तथा स्कूल जो भूकम्परोधी नहीं थे का आसानी से ढह जाना एक जोखिम था।

इसी प्रकार सुनामी की घटना में (जैसी एक 26 दिसम्बर 2004 को घटित हुई थी) जीवन एवं सम्पत्ति की व्यापक स्तर पर हानि हुई थी; सुनामी आपदा है तथा समुद्र के तट की लहरों के निकट कमजोर बने मकान एवं इमारतें जिनके बहने के कारण उनके निवासियों का ढूब जाना एक जोखिम है।

याद रखें कि बीमा आपदाओं को घटने से नहीं रोक सकता है, जोखिम के घटित होने से हुई हानि को बीमित किया जा सकता है।

### जोखिम के प्रकार

जोखिम को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

भौतिक जोखिम	नैतिक जोखिम
जोखिम के भौतिक आयामों एवं लक्षणों से आशय है। उदाहरण— हृदय रोग, उच्च रक्त चाप आदि का पारिवारिक इतिहास भौतिक जोखिम है।	व्यक्ति की आदतों एवं क्रिया कलापों से आशय है जो जोखिम में वृद्धि करती है। ये किसी व्यक्ति के मानसिकता तथा दृष्टिकोण एवं व्यवहार से भी उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणः— शराब का सेवन, धुम्रपान करना आदि।

जीवन बीमा के मामले में, कम्पनियाँ पॉलिसीधारकों को उनके जोखिम स्तर के आधार पर उच्च या निम्न जोखिम व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत कर जोखिम का विवरण लेती है। यह वर्गीकरण पॉलिसीधारकों की सम्पत्तियों तक भी विस्तारित होता है यदि वे उनका भी जोखिम बीमा करवाना चाहते हैं। इनमें से कुछ जोखिम के कारण व्यक्ति को उच्च जोखिम के रूप में निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है:

**जोखिम युक्त जॉब प्रोफाइलः**— यदि किसी व्यक्ति के जॉब प्रोफाइल के कारण उसे खतरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ता है तो जोखिम बढ़ेगा। **उदाहरणः** एक रासायनिक कारखाने, विस्फोटक कारखाने, भूमिगत खानों आदि में काम कर रहा व्यक्ति एक आई टी कम्पनी या एक बैंक में काम कर रहे व्यक्ति की तुलना में अधिक जोखिम का सामना करता है।

**वर्तमान मेडिकल स्थितिः**— यदि किसी व्यक्ति में पहले से ही उच्च रक्त चाप या मधुमेह जैसी किसी स्वास्थ्य समस्या से ग्रस्त होने का पता लग चुका है, वह उन व्यक्तियों की तुलना में उच्च जोखिम पर होगा जो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है।

**व्यक्ति की जीवन शैलीः**— यदि कोई व्यक्ति एक स्वस्थ जीवनशैली बनाये रखता है तथा धुम्रपान करने, शराब सेवन से परहेज करता है तो जोखिम कम होगा। इसके विपरीत एक व्यक्ति, जो एक अधिक धुम्रपान करने वाला या शराबी है एक उच्च जोखिम प्रदर्शित करेगा।

**व्यक्ति का आयु वर्ग :**— बीमा चाहने वाला एक अधिक आयु का व्यक्ति कम आयु के व्यक्ति की तुलना में एक उच्च जोखिम माना जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति को उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो बीमा कम्पनी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। उच्च जोखिम के प्रस्ताव सामान्य शर्तों / दरों के स्थान

पर अतिरिक्त प्रीमियम , अधिकतम बीमा धन पर प्रतिबन्ध या ग्रहणाधिकार सहित स्वीकार किये जा सकते हैं। हम इस विषय पर अधिक विस्तार से अध्याय 4 में नजर डालेंगे।

### इस पर विचार करें

किन्हीं तीन आपदाओं की पहचान करे जो किसी व्यक्ति के जीवन में घटित हो सकते हैं। कौन से जोखिम हैं जो इन आपदाओं को बढ़ा सकते हैं।

### प्रश्न 2.1

आपदा तथा जोखिम के मध्य अन्तर लिखिए।

### स. बीमा योग्य जोखिम

निम्न प्रकार के जोखिम के विरुद्ध बीमा किया जा सकता है:—

- वित्तीय जोखिम;
- शुद्ध जोखिम; तथा
- विशिष्ट जोखिम

### स 1 वित्तीय जोखिम

जोखिमों के परिणाम जिन्हें आर्थिक पदों में मापा जा सकता है को वित्तीय जोखिम कहा जाता है।

निम्नांकित वित्तीय जोखिम माने जाते हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को योजना बनाने की जरूरत होती है :—

**जीवन की हानि—** इससे अभिप्राय किसी परिवार के आय प्रदाता की मृत्यु जोखिम से है यदि परिवार की सभी आर्थिक मांग / आवश्यकताएँ तब तक पूरी नहीं हुई हो।

- मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना।
- उसकी मृत्यु होने पर विभिन्न वित्तीय दायित्वों जैसे गृह ऋण, कार ऋण आदि को पूर्ण रूप से चुकाने में आश्रितों की सहायता करना।

**बीमारी/अपंगता—** इसमें मेडिकल खर्च तथा आय उपार्जन की हानि शामिल है।

- किसी भी प्रकार के मेडिकल खर्चों की व्यवस्था करना जो उत्पन्न हो सकते हैं।
- बीमारी/ अपंगता के कारण काम करने में असमर्थ होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

### संचित बचत

- बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए।
- बच्चों के विवाह के खर्च प्रदान करने के लिए।
- एक व्यवसाय के लिए प्रारम्भिक पूँजी प्रदान करने के लिए आदि।

**सेवानिवृति:-** इससे अभिप्राय सेवानिवृति के पश्चात् अपर्याप्त आय के जोखिम से है।

- सेवानिवृति के पश्चात् आराम से रहने के लिए पर्याप्त पूँजी संचय के लिए।
- सेवानिवृति के पश्चात् आय के एक स्थिर स्रोत प्रदान करने के लिए।

### उदाहरणः—

राघव मिश्रा एक लेखाकार है जो एक स्थानीय फर्म के साथ कार्य करता है। वह शादीशुदा एवं दो बच्चों का पिता है। उसकी पत्नी काव्या एक गृहिणी है। उसके वृद्ध पिता सुहास भी उसके साथ रहते हैं। सुहास मिश्रा एक किसान है तथा कृषि भूमि के एक छोटे टुकड़े के स्वामी है। तथापि, कृषि भूमि से प्राप्त आय उनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है अतः वह राघव पर आश्रित है।

परिवार के मुख्य आय प्रदाता सदस्य के रूप में, राघव के पास भविष्य में विभिन्न आकस्मिकताओं के रूप में अनेक उत्तरदायित्व है। जैसे—

- **जीवन की हानि—** राघव को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटित होने पर उसकी पत्नी, बच्चों एवं पिता के लिए वैकल्पिक आय का स्रेत बना रहें। आय आर्थिक दायित्वों जैसे दैनिक जीवन के खर्च, बच्चों की स्कूल फीस, उसके पिता के मेडिकल खर्चों के प्रबन्धन आदि को पूरा करने हेतु पर्याप्त होनी चाहिए।
- **बीमारी / अपांगता—** एक जोखिम है कि राघव के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है तथा वह शारीरिक रूप से अयोग्य हो सकता है जिससे वह कार्य नहीं कर सके। इसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए, उसके पास मेडिकल खर्चों तथा दैनिक जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए।
- **बचत संचय—** राघव को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उसके बच्चों की शिक्षा धन की कमी के कारण प्रभावित नहीं हो। अतः उसे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह के खर्चों के लिए बचत की ज़रूरत होती है।
- **सेवानिवृति—** राघव को यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि वह सेवानिवृति के पश्चात् आय का स्थिर स्रोत प्राप्त करें जो कि उसके मेडिकल तथा अन्य जीवन व्ययों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

### प्रश्न 2.2

ऐसे मुख्य वित्तीय जोखिम क्या है जिनके लिए व्यक्ति को योजना बनाने की ज़रूरत होती है?

### स 2 शुद्ध जोखिम

शुद्ध जोखिम ऐसे जोखिम होते हैं जहाँ लाभ होने की संभावना नहीं होती है। शुद्ध जोखिम में, हानि भी हो सकती है तथा सर्वोत्तम संभव परिणाम बराबर विभाजन होता है।

शुद्ध जोखिम के साथ बीमित घटना घटने के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ की संभावना शून्य होती है।

### स 3 विशिष्ट जोखिम

विशिष्ट जोखिम अपने प्रभावों में निजी या स्थानीय होते हैं। इन जोखिमों के घटने का परिणाम विशिष्ट व्यक्ति या स्थानीय समुदाय को प्रभावित करता है।

### द. जोखिम हस्तान्तरण

जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है, बीमा का प्राथमिक कार्य जोखिम को एक व्यक्ति से एक बीमा कम्पनी को हस्तान्तरण करना है। बीमा कम्पनी जो जोखिम वहन करती है, बीमाकर्ता के रूप में

जानी जाती है तथा व्यक्ति जो अपना जोखिम हस्तान्तरित करता है बीमित के रूप में जाना जाता है।

जोखिम हस्तान्तरण इस मायने में बीमित वित्तीय सुरक्षा की अनुभूति करता है कि यदि उसे या उसकी वित्तीय सम्पत्तियों के साथ कुछ अप्रिय घटित होता है, तो पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति की जायेगी। इस हस्तान्तरित जोखिम के लिए, बीमित को एक निश्चित राशि(प्रतिफल) बीमाकर्ता को भुगतान करना होगा, जिसे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है।

### य. जोखिमों का पूल बनाना

जोखिमों का पूल बनाना बीमा के आधारभूत सिद्धान्तों में एक है।

जोखिमों का पूल बनाते समय एक बीमा कम्पनी समान जोखिमों का सामना करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से एकत्रित प्रीमियम उन्हें बीमित करने के लिए पूल में डालती है। बीमा कम्पनी विभिन्न जोखिमों के लिए विभिन्न पूल के समुच्चय बनाती है।

#### उदाहरण:

बीमा कम्पनी द्वारा निम्न के लिए पृथक् पूल रखे जायेंगे:—

- जीवन बीमा
- कार बीमा
- गृह बीमा तथा
- यात्रा बीमा

व्यक्तियों से एकत्रित किया गया प्रीमियम पूल खाते में जमा किया जाता है। जब एक दावे का निपटान किया जाता है तो इस पूल में से इसका भुगतान किया जाता है। बीमा कम्पनी को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एकत्रित प्रीमियम दावा भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। बीमा कम्पनी द्वारा प्रभारित प्रीमियम इस पूल के रखरखाव के लिए प्रशासनिक एवं अन्य खर्चों को पूरा करने हेतु भी पर्याप्त होना चाहिए। इसी प्रकार बीमा कम्पनी प्रीमियम के साथ एक निश्चित प्रतिशत लाभ भी शामिल करती है।

#### प्रश्न 2.3

बीमा में जोखिम का पूल बनाना क्या है? क्या एक ही पूल कार बीमा एवं जीवन बीमा के लिए दावों के भुगतान में उपयोग किया जा सकता है?

### य. बड़ी संख्या का सिद्धान्त

बीमा कम्पनियाँ कुल वार्षिक दावों की लागत का निर्धारण करने के लिए “बड़ी संख्या का सिद्धान्त” लागू करती है। बीमा कम्पनियाँ इस प्रायिकता का निर्धारण करती है कि यदि एक समान जोखिम के लिए बड़ी संख्या में लोगों को बीमित किया जाये तो उनको एक निश्चित दावा राशि का भुगतान करना होगा।

#### उदाहरण

एक बीमा कम्पनी द्वारा बीमित 1000 लोगों में से, यदि मृत्यु की प्रायिकता 1% है तब कम्पनी को 10 लोगों को दावों का भुगतान करना होगा।

बीमा कम्पनी जारी की गई पॉलिसियों की अवधि में उत्पन्न होने वाले दावों की सम्भावित संख्या के आधार प्रीमियम का निर्धारण करती है।

### मुख्य बिन्दु

इस अध्याय में शामिल किये गये मुख्य विचारों को हम सारांश में निम्नानुसार व्यक्त कर सकते हैं:-

### जोखिम का सिद्धान्त

- बीमा में, जोखिम उन सम्पत्तियों के सन्दर्भ में उपयोग किया जाता है जिनको बीमित किया जा सकता है; जैसे मानव जीवन, मकान, कार आदि।
- जोखिम एक निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर एक व्यक्ति को हो सकने वाले हानि की सम्भावना है।

### जोखिम के घटक

- जोखिम के घटकों में अनिश्चितता, जोखिम का स्तर, आपदा तथा जोखिम शामिल है।
- एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में, बीमा केवल उन्हीं जोखिमों के लिए उपलब्ध होता है, जो अनिश्चित होते हैं।
- जोखिम का स्तर : दो मानकों द्वारा निर्धारित होता है। एक निश्चित घटना घटने की प्रायिकता तथा उस घटना के घटित होने से होने वाली हानि की सीमा या परिमाण।
- आपदा एक निर्दिष्ट घटना के लिए सन्दर्भित है जिसके कारण हानि हो सकती है। जोखिम एक स्थिति है जो एक आपदा के प्रचालन को प्रभावित करती है।
- जोखिम को भौतिक जोखिम तथा नैतिक जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

### बीमा योग्य जोखिम

- जोखिम, जिनका परिणाम आर्थिक पदों में मापा जा सकता है, वित्तीय जोखिम के रूप में जाने जाते हैं।
- शुद्ध जोखिम ऐसे जोखिम है जहाँ लाभ होने की संभावना नहीं होती है। शुद्ध जोखिम में हानि भी हो सकती है तथा सर्वोत्तम संभव परिणाम समान रूप से विभाजन से प्राप्त होता है।
- विशिष्ट जोखिमों का प्रभाव व्यक्तियों पर तथा सीमित क्षेत्र में होता है।

### जोखिमों का पूल बनाना

- एक बीमा कम्पनी समान जोखिमों के लिए विभिन्न व्यक्तियों को बीमित करने के लिए उनसे प्राप्त प्रीमियम राशि को एक पूल में डालती है।
- बीमा कम्पनियाँ सम्भावित कुल दावों की लागत का निर्धारण करने के लिए “बड़ी संख्या के सिद्धान्त” को लागू करती है।

## प्रश्न—उत्तर

**2.1** यह जोखिम का अन्तिम पहलू है तथा हानि के कारणों से सम्बन्धित है।

आपदा से एक विशिष्ट घटना सन्दर्भित है जिससे हानि हो सकती है। यह हानि जीवन की हानि या सम्पति की हानि हो सकती है। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकम्प, तूफान, बाढ़ आदि सभी आपदायें हैं जिनके कारण जीवन की हानि या सम्पति की क्षति हो सकती हैं।

आपदा ऐसे जोखिम होते हैं जो बीमित के विरुद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ ऐसे जोखिम जिनसे एक व्यक्ति अपनी पॉलिसी की अवधि के दौरान मर जायेगा।

दूसरी ओर एक जोखिम, एक स्थिति है जो या तो एक खतरा होने की संभावना में वृद्धि करता है या फिर इसके होने पर बुरा प्रभाव डालता है।

एक जोखिम एक आपदा के प्रचालन पर असर डालता है।

**2.2** निम्नांकित वित्तीय जोखिम माने जाते हैं जिनके लिए किसी व्यक्ति को योजना बनाने की जरूरत होती है :—

जीवन की हानि— इससे अभिप्राय किसी परिवार के आय प्रदाता की मृत्यु जोखिम से है यदि परिवार की सभी आर्थिक मांग / आवश्यकताएँ तब तक पूरी नहीं हुई हो।

- मृत्यु के पश्चात् आश्रितों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करना।
- उसकी मृत्यु होने पर विभिन्न वित्तीय दायित्वों जैसे गृह ऋण, कार ऋण आदि को पूर्ण रूप से चुकाने में आश्रितों की सहायता करना।

बीमारी/अपंगता— इसमें मेडिकल खर्च तथा आय उपार्जन की हानि शामिल है।

- किसी भी प्रकार के मेडिकल खर्चों की व्यवस्था करना जो उत्पन्न हो सकते हैं।
- बीमारी / अपंगता के कारण काम करने में असमर्थ होने पर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।

### संचित बचत

- बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए।
- बच्चों के विवाह के खर्च प्रदान करने के लिए।
- एक व्यवसाय के लिए प्रारम्भिक पूँजी प्रदान करने के लिए आदि।

सेवानिवृति:— इससे अभिप्राय सेवानिवृति के पश्चात् अपर्याप्त आय के जोखिम से है।

- सेवानिवृति के पश्चात आराम से रहने के लिए पर्याप्त पूँजी संचय के लिए।
- सेवानिवृति के पश्चात् आय के एक स्थिर स्रोत प्रदान करने के लिए।

**2.3** जोखिमों का पूल बनाते समय बीमा कम्पनी एक समान जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बीमित करती है और बीमाधारक से प्राप्त प्रीमियम राशि को पूल में डालती है। बीमा कम्पनी विभिन्न जोखिमों के लिए अलग-अलग पूल के समुच्चय बनाती है।

जीवन बीमा के लिए पूल खाता कार बीमा के लिए पूल खाते से अलग रखा जायेगा।

एक जोखिम के पूल खाते को अन्य प्रकार के जोखिम के लिए दावों के निपटान में उपयोग नहीं किया जा सकता है।

### स्व-परीक्षण प्रश्न

1. जोखिम के मुख्य घटकों की सूची बनाओ।
2. उन प्रकार के जोखिमों की सूची बनाओ जिन्हें बीमित किया जा सकता है।

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

### स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1. जोखिम के मुख्य घटक हैः—
  - अनिश्चितता
  - जोखिम का स्तर
  - आपदा तथा जोखिम
2. निम्नलिखित प्रकार के जोखिमों को बीमित किया जा सकता हैः—
  - वित्तीय जोखिम;
  - शुद्ध जोखिम; तथा
  - विशेष जोखिम।

# 3

## जीवन बीमा सिद्धान्त तथा व्यवहार

विषय वस्तु

भाग 1: बीमा सिद्धान्त

भाग 2: बीमा व्यवहार

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य बिन्दु	
अ. एक वैध बीमा संविदा के आवश्यक तत्व	3.1, 3.2
ब. बीमा योग्य हित	3.3
स. परम सद्भाव	3.4
द. सारभूत तथ्य	3.5,3.6
य. क्षतिपूर्ति	3.7
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
<b>अध्ययन उद्देश्य</b>	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न हेतु समर्थ होंगे	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षणों की व्याख्या करने में;</li> <li>● बीमा योग्य हित के सिद्धान्त की व्याख्या करने में तथा यह व्यक्त करने में कि बीमायोग्य हित कब विद्यमान रहने की आवश्यकता होती है;</li> <li>● परम सद्भाव के महत्व की व्याख्या करने में;</li> <li>● बीमाकर्ता एवं बीमित के प्रकटन के कर्तव्य को रेखांकित करने में;</li> <li>● सारभूत तथ्यों के महत्व की व्याख्या करने में;</li> <li>● उन तथ्यों का वर्णन करने में, जिनका उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।</li> <li>● क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त तथा इसकी जीवन बीमा से संबद्धता की व्याख्या करने में।</li> </ul>	

### परिचय

एक बीमा पॉलिसी बीमा कम्पनी तथा बीमित व्यक्ति के मध्य एक विधिक संविदा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक वैध संविदा है कुछ शर्तों का अनुपालन आवश्यक है।

इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कुछ अद्वितीय सिद्धान्तों सहित जो केवल बीमा की संविदा पर ही लागू होते हैं एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण क्या है।

**मुख्य पद**

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

प्रस्ताव तथा स्वीकृति	प्रतिफल	मतैक्य	बीमायोग्य हित
प्रमुख व्यक्ति का बीमा	परम सद्भाव	प्रकटन दायित्व	सारभूत तथ्य
शुरू से ही	निर्विवादितता खण्ड	क्षतिपूर्ति	संविदा की सामर्थ्य
क्षतिपूर्ति का अनुबन्ध	मूल्य निर्धारित अनुबन्ध		


**अ. बीमा की एक वैध संविदा के आवश्यक तत्व**

एक बीमा संविदा बीमा कम्पनी तथा बीमित व्यक्ति के मध्य विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होता है; बीमित व्यक्ति बीमा कम्पनी को एक निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करने हेतु सहमत होता है तथा बीमा कम्पनी बीमित व्यक्ति के साथ एक विनिर्दिष्ट घटना के घटित हो जाने पर एक निर्धारित धन राशि के भुगतान हेतु सहमत होती है। दोनों पक्षकार किस प्रकार विधिक रूप से आबद्ध करार में सम्मिलित होते हैं तथा दोनों पक्षकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविदा वैध हो किन शर्तों को पूरा करना चाहिए ?

इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, पहले हम एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षणों पर दृष्टि डालेंगे, तथा फिर हम यह देखेंगे कि बीमा संविदा अन्य संविदाओं से किस प्रकार भिन्न है।

**अ 1 एक वैध संविदा के लक्षण**

निम्नलिखित लक्षण आवश्यक होते हैं, यदि एक संविदा को वैध होना हो:-



सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण प्रस्ताव एवं स्वीकृति तथा प्रतिफल है।

## अ1अ प्रस्ताव एवं स्वीकृति

एक संविदा तब अस्तित्व में आती है जब एक पक्षकार एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता है जिसे दूसरा पक्षकार बिना शर्त के स्वीकार कर लेता है। एक उदाहरण से यह समझना सरल होगा कि किस प्रकार एक बिना शर्त स्वीकृति कार्य करती है। चलो निम्नलिखित वार्तालाप पर विचार करें:-

### उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनी: आपके प्रस्ताव फार्म के आधार पर हम आपको XXXXX रु. बीमा धन का कवर देने का प्रस्ताव कर सकते हैं।  
प्रस्तावक, गणेश (व्यक्ति जो बीमा लेना चाहता है): मुझे स्वीकार है।

इस उदाहरण में, गणेश ए बी सी के प्रस्ताव की किसी भी शर्त में परिवर्तन नहीं करता है अतः स्वीकृति बिना शर्त कही जायेगी। अन्य आवश्यक तत्वों की पूर्ति होने पर एक संविदा का निर्माण होता है।

अब गणेश के वैकल्पिक उत्तर पर विचार करें :-

### उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनी: आपके प्रस्ताव फार्म के आधार पर हम आपको XXXXX रु. बीमा धन का कवर देने का प्रस्ताव कर सकते हैं।  
प्रस्तावक, गणेश (व्यक्ति जो बीमा लेना चाहता है): मुझे स्वीकार है,  
लेकिन मैं बीमा राशि को YYYY रु. तक बढ़ाना चाहता हूँ।  
इस मामले में, एक संविदा का निर्माण नहीं होता है क्योंकि गणेश ने प्रस्ताव को बिना शर्त के स्वीकार नहीं किया है। जब तक ए बी सी गणेश के प्रति प्रस्ताव की नई शर्त को स्वीकार नहीं करे, एक संविदा का निर्माण नहीं होता है।

## अ 1 ब प्रतिफल

एक संविदा को वैध होने के लिए प्रतिफल सहित होना चाहिए। प्रतिफल सौदे के प्रत्येक व्यक्ति के पक्ष में वर्णित किया जा सकता है जो संविदा के पक्षकार है। संविदा विधि में प्रतिफल केवल कुछ दिया गया मूल्य होता है जो कि करार लागू होने हेतु प्रेरक का कार्य करता है। धन का भुगतान प्रतिफल का एक सामान्य रूप है; तथापि एकमात्र रूप नहीं। बीमा पॉलिसी के संदर्भ में, हम बीमित के प्रतिफल को प्रीमियम कह सकते हैं।

## अ 1 स संविदा कर सकने का सामर्थ्य

संविदा करने वाले व्यक्ति ऐसा करने हेतु सक्षम होने चाहिए। एक व्यक्ति को संविदा करने के लिए सक्षम कहा जाता है जब वह:-

- वयस्कता की आयु (18 वर्ष आयु) का हो;
- स्वस्थ चित हो; तथा
- विधि द्वारा, संविदा कर सकने में अयोग्य नहीं हो।

इस प्रावधान के अनुसार अवयस्क (जो 18 वर्ष से कम आयु के हो) बीमा करार नहीं कर सकते हैं। साथ ही विधिक रूप से अस्वस्थ चित माने गये लोग तथा विधि द्वारा प्रतिबन्धित व्यक्ति एक बीमा करार नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों द्वारा की गई कोई संविदा अमान्य तथा शून्य होगी।

## अ1द मतैक्य

सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि संविदा के दोनों पक्षकार एक ही चीज को, समान अर्थ में समझकर सहमत होने चाहिए। प्रस्तावक को बीमा पॉलिसी के लक्षणों को उसी अर्थ(तरीके) में समझना चाहिए जिसमें वह अभिकर्ता द्वारा समझाई गई है।

## अ1य उद्देश्य या प्रयोजन की वैधता

बीमा के दोनों पक्षकारों का उद्देश्य एक विधिक सम्बन्ध की रचना होना चाहिए। संविदा का प्रयोजन भी वैध होना चाहिए।

### उदाहरण

एक पति के लिए यह अवैध होगा कि वह अपनी पत्नी का बीमा करवाकर उसकी हत्या कर दे तथा दावे का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक दुर्घटना से मृत्यु के मामले के रूप में प्रदर्शित करे जिसे वह विधिक लाभार्थी के रूप में प्राप्त करेगा। बीमा का उपयोग अवैध प्रयोजन या उससे आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

अवैध कार्य का दूसरा उदाहरण है कि भारी ऋण में छूबा व्यक्ति एक बड़ी राशि का जीवन बीमा लेता है तथा फिर आत्महत्या करता है ताकि उसका परिवार दावा राशि से लाभ प्राप्त कर सके। आत्महत्या से मृत्यु दावा अधिकाश बीमा कम्पनियों द्वारा प्रथम वर्ष में अपवर्जित होता है।

## अ1र निष्पादन का सामर्थ्य

संविदा के दोनों पक्षकारों में निष्पादन की क्षमता तथा योग्यता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बहुत बड़ी राशि के लिए जीवन बीमा करवाने की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति आवश्यक प्रीमियम भुगतान करने के लिए समर्थ होना चाहिए।

करार एवं उसकी शर्तें निश्चित एवं निष्पादन योग्य तथा स्थानीय विधि के प्रावधानों का अनुपालन करने वाला होना चाहिए।

### इस पर विचार करें

जिगर बीमा कम्पनी को 75 लाख रु. जीवन बीमा कवर के लिए 12,000 रु. प्रीमियम भुगतान के साथ प्रस्ताव करता है। मेडिकल जाँच के दौरान कम्पनी पाती है कि जिगर एक रोग से ग्रसित है तथा मानती है कि वह सामान्य से उच्च जोखिम प्रदर्शित कर रहा है। अतः बीमा कम्पनी उससे कहती है कि प्रभारित प्रीमियम 12,000 रु. के स्थान पर 15,000 रु. होगा।

उपरोक्त परिदृश्य को आप प्रस्ताव एवं स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार निपटायेंगें?

## प्रश्न 3.1

एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण क्या हैं?

## अ 2 पॉलिसी प्रलेख

बीमित व्यक्ति एवं बीमा कम्पनी दोनों की आपस में सहमति की शर्तों के बारे में स्पष्ट होने पर, एक पॉलिसी जारी कर दी जाती है। पॉलिसी में सुरक्षा (कवर), कवर की अवधि, अपवाद, निर्बन्धन, प्रीमियम तथा अन्य सम्बन्धित सूचना का पूर्ण विवरण शामिल होता है। पॉलिसी अपने आप में एक बीमा संविदा नहीं है; अपितु; संविदा का साक्ष्य होती है।

एक बार बीमा कम्पनी द्वारा बीमा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने, सहमति की शर्तों तथा प्रीमियम भुगतान करने या भुगतान करने हेतु सहमत होने के बाद बीमा की संविदा प्रभावी हो जाती है।

अतः एक वास्तविक रूप से पॉलिसी दस्तावेज जारी होने या न होने पर भी बीमा संविदा प्रभावी रहती है। पॉलिसी की अनुपस्थिति या हानि संविदा को अप्रमाणिक नहीं बनाती है लेकिन सहमत हुई शर्तों के बारे में कोई विवाद होने पर पॉलिसी एक साक्ष्य के रूप में उपयोगी होती है। हम इस अध्याय के भाग 2 में पॉलिसी की संरचना एवं अवयवों का परीक्षण करेंगे।

### **अ 3 बीमा संविदाओं में बीमा अभिकर्ताओं की भूमिका:-**

विधि की दृष्टि में, अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य कर रहा कोई व्यक्ति एक अभिकर्ता होता है। यदि हम किसी को अपनी ओर से कार्य करने की अनुमति देते हैं तो सम्भवतः हमें निर्धारित व्यवस्था की सीमा तक हमारी ओर से उसके द्वारा किये जाने वाले प्रत्येक कार्य का उत्तरदायित्व स्वीकार करना होता है। यह बीमा में लागू होता है, तथा जब कभी किसी मध्यस्थ का समावेश होता है, विधिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है।

हमने अध्याय 1 में देखा है कि बीमा उद्योग में विभिन्न प्रकार के मध्यस्थ सम्मिलित होते हैं तथा शब्द “अभिकर्ता” एक बीमा कम्पनी द्वारा अपनी ओर से कम्पनी के उत्पादों के विक्रय के लिए प्रयुक्त लाइसेन्स धारी मध्यस्थ होता है। ऐसा करते समय मध्यस्थ विधिक अभिकर्ता बन जाता है तथा प्रधान( इस मामले में बीमा कम्पनी) की ओर से कार्य करने वाला माना जाता है। ये एक तृतीय पक्षकार (इस मामले में प्रस्तावक / बीमा लेने की इच्छा वाला व्यक्ति ) के साथ प्रधान को एक संविदा सम्बद्ध सम्बन्धों के लिए प्रधान द्वारा अधिकृत होते हैं।

#### **ध्यान रहे!**

हम अध्याय 1 से यह भी याद रखेंगे कि मिश्रित दलालों के नाम से जाने जाने वाले कुछ मध्यस्थ स्वतन्त्र सलाहकार होते हैं। उनकी विधिक प्रास्थिति जटिल होती है क्योंकि वे कुछ कार्य अपने ग्राहकों तथा कुछ कार्य बीमाकर्ता की ओर से करते हैं इसलिए उन्हें बीमित तथा बीमाकर्ता के अभिकर्ता (उनके द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य की प्रकृति पर निर्भर) दोनों समझे जा सकते हैं।

#### **ध्यान रहे!**

बीमा संविदाएँ विशिष्ट संविदाएँ होती हैं तथा उपरोक्त वर्णित वैध संविदा के आवश्यक तत्वों के साथ ही अतिरिक्त सिद्धान्तों के विषयाधीन होती है।

हम निम्नखण्ड में इन अतिरिक्त सिद्धान्तों पर नजर डालेंगे:-

#### **ब. बीमायोग्य हित**

बीमायोग्य हित किसी वैध बीमा संविदा के प्रभावी होने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है।

## ब १ बीमायोग्य हित क्या है?

निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन बीमायोग्य हित का अर्थ समझने में आपकी मदद करेगा :

### प्रकरण अध्ययन

एक 30 वर्षीय व्यक्ति गणेश एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी (एम एन सी) के लिए कार्य कर रहा है। गणेश की पत्नी एक घरेलू फर्म के लिए कार्य करती है तथा वह उसके गृह ऋण के लिए गणेश के साथ सह आवेदक है। जब तक गणेश के पास एक अच्छे वेतन की नौकरी है, वह मासिक जीवन व्ययों का प्रबन्ध करने के साथ-साथ बकाया गृह ऋण तथा कार ऋण का भी भुगतान कर सकता है। गणेश अपनी सम्पत्तियाँ बनाने के लिए कठिन परिश्रम करता है इसलिए सब कुछ गणेश की योजना के अनुसार चल रहा है। फिर भी निम्नलिखित परिदृश्यों की कल्पना करो:-

**परिदृश्य 1:**— गणेश की दुर्घटना हो जाती है तथा वह एक माह तक अस्पताल में भर्ती रहता है।

**परिदृश्य 2:**— गणेश की पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाती है।

चलो उपरोक्त परिदृश्य तथा संभावित हलों को करीब से देखते हैं:-

**परिदृश्य 1:**— गणेश लगभग एक माह तक कार्य नहीं कर पाता है। उसे उस अवधि के लिए वेतन नहीं मिलेगा तथा उसे अस्पताल के बिलों का भी भुगतान करना होगा जिनकी लागत बहुत ज्यादा हो सकती है। इस परिस्थिति से बचने के लिए गणेश को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास अप्रत्याशित मेडिकल आकस्मिकताओं के कवर के लिए, यदि वह मेडिकल कारणों से कार्य से अनुपस्थित रहता है पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा है।

**परिदृश्य 2:**— गणेश की पत्नी पारिवारिक आय में योगदान के अलावा परिवार की देखभाल भी करती है। उसकी अचानक मृत्यु के बाद गणेश गृह ऋण के पुनर्भुगतान तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में वित्तीय कठिनाई का सामना करेगा। उपरोक्त परिदृश्य के विरुद्ध सुरक्षा के लिए गणेश अपनी पत्नी के जीवन पर जीवन बीमा ले सकता है जिससे उसकी पत्नी का अचानक मृत्यु होने पर भुगतान प्राप्त करेगा, इस प्रकार वह सुनिश्चित करता है कि परिवार की वित्तीय स्थिति खतरे में नहीं पड़ती है। गणेश की पत्नी भी गणेश के जीवन पर जीवन बीमा ले सकती है जो उसकी असामयिक मृत्यु पर भुगतान प्राप्त करेगी।

उपरोक्त परिदृश्यों से आप देखते हैं कि यदि दोनों में से कोई घटना घटित होती है, तो गणेश एवं उसके परिवार की वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी यदि उसने बीमा नहीं लिया हो।

### इस पर विचार करो:-

उपरोक्त परिदृश्य हमें बीमायोग्य हित को समझने में किस प्रकार सहायता करते हैं?

बीमायोग्य हित मौजूद कहा जाता है जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति(यों) या सम्पत्ति की उपलब्धता या निरन्तर मौजूदगी से लाभ या फायदा प्राप्त करता है तथा वित्तीय हानि या असुविधा से गुजरेगा यदि अन्य व्यक्ति(यों) या सम्पत्ति को हानि होती है।

इस प्रकरण अध्ययन से हम देख सकते हैं कि गणेश अपने स्वयं के अच्छे स्वास्थ्य तथा अपनी पत्नी के जीवन में बीमा योग्य हित रखता है क्योंकि वह उनकी विद्यमानता से लाभ प्राप्त करता है तथा उनमें से किसी एक या दोनों को कोई क्षति होने पर उस पर वित्तीय रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा।

## ब 2 बीमायोग्य हितों की सम्बद्धता

अब जबकि आप बीमा योग्य हित का अर्थ जानते हैं, आपको मनन करना चाहिए कि बीमा में बीमा योग्य हित का क्या महत्व या सम्बद्धता होती है? बीमायोग्य हित बीमा का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त होता है। किसी प्रकार का बीमा लेने के लिए, एक व्यक्ति का उस विषय वस्तु में बीमायोग्य हित होना होता है जिसका वे बीमा करवाना चाहते हैं। विषयवस्तु कोई वस्तु या बीमित घटना होती है तथा एक व्यक्ति का स्वयं का जीवन, अन्य का जीवन या सम्पत्ति हो सकती है। बीमा लिया जा सकता है या नहीं का निर्णय लेने का विधिक आधार बीमा योग्य हित है।

सारांश में— बीमा योग्य हित किसी व्यक्ति द्वारा उस विषयवस्तु का बीमा करवाने का विधिक अधिकार है जिससे उनका विधि सम्मत सम्बन्ध हो।

## ब 3 परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद रहता है।

न्यायालय के निर्णयों ने उन परिस्थितियों का उल्लेख किया है जिनमें बीमायोग्य हित मौजूद माना जाता है।

सामान्य विधि के अनुसार, निम्नलिखित परिस्थितियों में बीमायोग्य हित मौजूद माना जाता है:—


- स्वयं का जीवन:— एक व्यक्ति का अपने स्वयं के जीवन में असीमित बीमा योग्य हित होता है।

### उदाहरण

गणेश अपने भावी कमाई के वर्तमान मूल्य के बराबर राशि का एक जीवन बीमा ले सकता है। वैकल्पिक तौर पर, वह आंकलन करवा सकता है कि उसके न रहने पर उसके सभी दायित्वों जैसे गृह ऋण, कार ऋण, उसके परिवार के जीवन व्यय आदि की देखभाल के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी?

अन्य तरीका जिसे आवश्यक जीवन बीमा राशि की गणना के लिए उपयोग में लिया जा सकता है वार्षिक आय के एक गुणक; अर्थात्, वार्षिक आय का 15 गुणा या फिर वार्षिक आय का 20 गुणा भी उपयोग किया जाता है।

- **पति या पत्नी**— एक पति का अपनी पत्नी के जीवन में बीमायोग्य हित होता है, तथा उसी प्रकार, एक पत्नि का अपने पति के जीवन में बीमायोग्य हित होता है दोनों एक दूसरे की कुशलता से लाभ प्राप्त करते हैं तथा यदि उनमें से किसी एक के साथ कुछ भी अप्रिय घटित हो तो दूसरा बुरी तरह प्रभावित होता है। अतः एक पति अपनी पत्नी के लिए या विलोमतः एक दूसरे के लिए जीवन बीमा कवर ले सकता है।
- **बच्चे**— अभिभावक अपने बच्चों के लिए बीमा ले सकते हैं जब तक बच्चे आश्रित होते हैं। बच्चे भी अपने अभिभावक के लिए बीमा ले सकते हैं जब अभिभावक उन पर आश्रित होते हैं। इसी प्रकार गणेश के बच्चे गणेश के लिए उसकी वृद्ध आयु में स्वास्थ्य बीमा ले सकते हैं जब वह अपने बच्चों पर आश्रित रह सकता हैं।
- **सम्पत्तियाँ**— एक व्यक्ति का अपने स्वामित्व वाली सम्पत्तियों में बीमायोग्य हित होता है क्योंकि वे उनके उपयोग से लाभान्वित होते हैं तथा वे बुरी तरह प्रभावित होते हैं यदि सम्पत्तियों को क्षति होती है।



### प्रश्न 3.2

कुछ व्यवहारिक परिस्थितियों को सूचीबद्ध करो जिनमें एक व्यक्ति के लिए बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है।

अन्य परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है, में शामिल हैः—

- **लेनदार**— एक लेनदार का देनदार के जीवन में उस सीमा तक बीमा योग्य हित होता है जितना उसने देनदार को धन उधार दिया है।

### उदाहरण

यदि गणेश ने कैलाश से 10,000 रु उधार लिये है, कैलाश उधार दी गई ऋण राशि उदाहरणतः 10,000 रु. की सीमा तक गणेश के जीवन में बीमा योग्य हित रखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि यदि गणेश के साथ कुछ अप्रिय घटित होता है तब कैलाश 10,000 रु. की राशि वापस नहीं पायेगा तथा उसे हानि होगी। अतः इस मामले में कैलाश गणेश के जीवन पर ऋण राशि 10,000 रु. तक का जीवन बीमा ले सकता है।

- **जमानतदार**— एक जमानतदार ऋण की सीमा तक मुख्य ऋणी के जीवन में तथा सहजमानतदार के जीवन में भी बीमायोग्य हित रखता है।
- **कर्मचारी-नियोक्ता** :— एक कर्मचारी अपने नियोक्ता के जीवन में अपने मासिक वेतन की सीमा तक बीमा योग्य हित रखता है।
- **नियोक्ता- कर्मचारी** :— नियोक्ता अपने सभी कर्मचारियों की कुशलता में उनकी सेवाओं के मूल्य की सीमा तक बीमायोग्य हित रखता है, उदाहरण के लिए यदि एक कर्मचारी

बीमार पड़ जाता है तथा अपने कार्य से लम्बे समय तक अनुपस्थित रहता है तब उन परियोजनाओं के पूर्ण होने में बाधा उपस्थित हो सकती है जिन पर वे कार्य कर रहे हैं।

- **महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा—** एक कम्पनी का कुछ महत्वपूर्ण लोगों के जीवन में बीमा योग्य हित होता है। कम्पनी ऐसे लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण व्यक्ति बीमा ले सकती है।
- **सांझेदार—** एक व्यवसाय में सांझेदारों का एक दूसरे के जीवन में बीमा योग्य हित होता है।

### ध्यान रहें!

जीवन बीमा में, पॉलिसी लेते समय अर्थात् पॉलिसी के आरम्भ में बीमा योग्य हित मौजूद(प्रमाणित) होना आवश्यक है। एक दावा प्रस्तुत होने के समय, बीमा योग्य हित मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी तथा इसे प्रमाणित करना भी आवश्यक नहीं होता है।

सामान्य बीमा के मामले में, पॉलिसी के प्रारम्भ के समय में तथा दावा उत्पन्न होते समय भी बीमा योग्य हित मौजूद होना चाहिए।

समुद्री बीमा के लिए विभिन्न नियम लागू होते हैं जहाँ केवल दावा उत्पन्न होते समय ही बीमा योग्य हित मौजूद होने की जरूरत होती है।

### स परम सद्भाव

किसी बीमा की संविदा के वैध होने के लिए परम सद्भाव भी मौजूद होना चाहिए।

### स 1 परम सद्भाव का महत्व

निम्न परिदृश्य परम सद्भाव के सिद्धान्त को समझने में आपकी मदद करेगा:-

#### परिदृश्य

राजेश ने 50 लाख रु. की एक अवधि बीमा पॉलिसी 20 वर्षों के लिए ले रखी है।

एक दिन कार्यालय से घर लौटने के दौरान, राजेश की एक सड़क दुर्घटना हो जाती है तथा दुखद मृत्यु हो जाती है।

राजेश की पत्नी कोमल (पॉलिसी में नामित के रूप में) बीमा कम्पनी पर दावा करती है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा अस्वीकार करने पर कोमल को आश्चर्य होता है। जाहिर है कि कोमल बहुत उदास हो जाती है तथा दावा अस्वीकार करने के कारणों को पूछती है। बीमा कम्पनी को अपने अन्वेषण में पता चलता है कि राजेश ने कम प्रीमियम का लाभ उठाने के लिए अपने आयु प्रमाण प्रलेख के साथ हेराफेरी करके, अपनी आयु वास्तविक आयु से पॉच वर्ष कम घोषित की है। राजेश ने लाभदायक शर्तों पर बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए बीमा कम्पनी को जानबूझकर गुमराह किया है। इस कारण से बीमा कम्पनी ने पॉलिसी को अमान्य एवं शून्य घोषित किया है तथा राजेश की पत्नी द्वारा किया गया दावा अस्वीकार कर दिया है।

प्रस्तावक अपने बारे में सभी तथ्य जानता है तथा बीमा प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण करते समय तथा उचित प्रलेख प्रस्तुत करते समय सभी सत्य सूचनाओं का प्रकट करना उसका नैतिक कर्तव्य है। एक जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम मूल्य का निर्णय करने में एक व्यक्ति की आयु एक अत्यावश्यक मानक होता है जिसमें राजेश ने हेराफेरी की।

एक दृश्य उत्पाद की खरीद की बहुत सी संविदाओं में, प्रत्येक पक्षकार वस्तु का परीक्षण कर सकता है। बशर्ते एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को गुमराह नहीं करें तथा सत्यता से प्रश्नों के उत्तर दे, वहाँ दूसरे पक्षकार का संविदा से बचने का प्रश्न नहीं होता है। एक रेफिजरेटर खरीदने के मामले में इसके भागों का परीक्षण किया जा सकता है तथा चालू करके यह जाँच की जाती है कि यह उचित रूप से कार्य करता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के क्य एवं विक्य को विनियमित करने का सिद्धान्त “केवियट एम्प्टर” या “केता सावधान रहे” होता है।

लेकिन बीमा कम्पनी इस प्रकार कार्य नहीं कर सकती है हम पॉलिसी पढ़ सकते हैं लेकिन यह किस प्रकार कार्य करती हैं यह हम उसी समय जान पायेंगे जब दावा किया जाता है। इसमें छूने या देखने को कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार बीमा कम्पनी सूचनाओं के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तावक पर निर्भर रहती है जिसे वह जोखिम स्वीकार करने के निर्णय लेने में उपयोग करती है, तथा यदि वह स्वीकार करती है, तो किन शर्तों पर।

उपरोक्त परिदृश्य दर्शाता है कि सारभूत तथ्यों को आशयपूर्वक / जानबूझकर छुपाने की अनुमति नहीं है। इसलिए बीमा संविदाओं के लिए नियमों का एक अलग समुच्चय लागू होता है तथा उच्च स्तर का कर्तव्य आवश्यक है जो परम सद्भाव कहलाता है।

## स 2 परम सद्भाव की परिभाषा

हम परम सद्भाव को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:-

**“यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचना को स्वेच्छा से, शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।”**

इसका अर्थ है कि संविदा के पक्षकारों को संविदा के लागू होने से पूर्व स्वेच्छापूर्वक तथ्यात्मक सूचना देनी चाहिए। यह सिद्धान्त संविदा समझौतों की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रस्तावक एवं बीमाकर्ता दोनों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन विधि प्रस्तावक को संविदा के सारभूततथ्यों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखती है। हम खण्ड द में व्याख्या करेंगे कि सारभूत तथ्य क्या होते हैं।

## परम सद्भाव का कर्तव्य भंग

उत्तम सद्विश्वास के कर्तव्य भंग को निम्न प्रकार वर्णित किया जा सकता है:-

- प्रकट नहीं करना (अप्रकटन) या एक सारभूत तथ्य को प्रकट करने में चूक करना, भले ही अनजाने में या इसलिए कि प्रस्तावक ने सोचा कि वह सारहीन था।

उदाहरण के लिए, अजय कम्पनी ए बी सी को जीवन बीमा का आवेदन करते समय प्रकट नहीं करता है कि उसकी बचपन में सर्जरी की गई थी। उसने सोचा कि 15 वर्ष पूर्व, बचपन में की गई सर्जरी की यह सूचना बीमा कम्पनी को प्रकट करना सारहीन है, तथा वह बहुत समय पहले की इस सर्जरी घटना से पूरी तरह ठीक हो चुका है।

- एक सारभूत तथ्य का छिपाना

उदाहरण के लिए, अजय नियमित रूप से शराब का सेवन करता है। तथापि जीवन बीमा के लिए आवेदन से पूर्व वह एक माह तक शराब का सेवन नहीं करता है, वह सोच रहा था कि ऐसा करने पर मेडिकल जॉच के दौरान इसका पता नहीं लगेगा तथा वह अच्छी शर्तों पर बीमा प्राप्त कर सकेगा।

- कपटपूर्ण गलत प्रदर्शन या बीमाकर्ता को धोखा देने के आशय से कहा गया कथन।

उदाहरण के लिए, अजय अपनी आयु वास्तविक आयु से पाँच वर्ष कम घोषित करता है। इसके प्रमाण के लिए वह आयु प्रमाण अभिलेख के साथ जालसाजी करता है तथा अच्छी शर्तों पर बीमा पाने के लिए उन्हें बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करता है।

- निष्कपट गलत प्रदर्शन या अशुद्ध कथन जिसका सत्य होने का विश्वास हो।

### स 3 प्रकटन /प्रकट करने का कर्तव्य

हम व्याख्या कर चुके हैं कि सभी बीमा समझौतों में स्पष्टतः सारभूत तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य होता है; संविदा के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रस्ताव अवरथा में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।

प्रकट करने का कर्तव्य प्रत्येक नवीनीकरण तिथि को पुनः लागू हो जाता है।

### बीमित का प्रकट करने का कर्तव्य

यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावक संविदा से सम्बन्धित अब तक के सभी सारभूत तथ्यों को पूर्णतः प्रकट करें, क्योंकि अधिकांश मामलों में, विषय वस्तु की सभी परिस्थितियों का केवल प्रस्तावक को पता रहता है। बीमित को बीमा संविदा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान बीमाकर्ता के प्रति सद्विश्वास से कार्य करना चाहिए।

#### उदाहरण:—

- प्रस्तावक को अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी तथ्य प्रकट करने चाहिए। यदि वे किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो बीमाकर्ता के निर्णय को प्रभावित कर सकती है, तो इसे प्रस्ताव के समय प्रकट कर देना चाहिए।
- प्रस्तावक को अपनी सही आयु की घोषणा करनी चाहिए तथा इसे आयु के उचित प्रमाण से समर्थित करना चाहिए।
- यदि प्रस्तावक तम्बाकू का धूम्रपान या शराब का सेवन करता है, तो इसे प्रस्ताव फॉर्म में उल्लेखित करना चाहिए।
- यदि प्रस्तावक का बीमा पूर्व में किसी कम्पनी द्वारा अस्वीकार किया गया है या प्रस्ताव सामान्य से उच्च प्रीमियम दर पर स्वीकार किया गया है तो कारणों सहित प्रस्ताव फॉर्म में उल्लेख करना चाहिए।

### बीमाकर्ता का प्रकटन का कर्तव्य

बीमाकर्ता का भी बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्ता को भी परम सद्भाव का अनुपालन करना चाहिए।

#### उदाहरणः—

- बीमाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने अपने बीमा उत्पाद से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ अपने सभी विकल्प साहित्य जैसे पेम्फलेटों, विवरण-पुस्तिकाओं, वेबसाइट आदि पर प्रकट कर दी है।
- उदाहरणार्थ : बीमा कम्पनियाँ धूम्रपान नहीं करने वाले के लिए धूम्रपान करने वालों की तुलना में कम प्रीमियम प्रभारित करती है।
- स्वास्थ्य बीमा के मामले में, नवीनीकरण के समय कुछ कम्पनियाँ प्रीमियम पर छूट या प्रीमियम वही रखते हुए कवर में एक निश्चित प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव करती है, यदि बीमित द्वारा पूरे वर्ष में कोई दावा नहीं किया जाता है।

#### प्रस्तावित किया

हमने उपरोक्त कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है जहाँ बीमाकर्ता का प्रस्तावक / बीमित व्यक्ति के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। कुछ अन्य स्थितियों पर विचार करें जहाँ बीमाकर्ता का बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य हो सकता है।

या

कुछ मामलों या उदाहरणों के लिए इंटरनेट पर सर्च करे जहाँ बीमित ने प्रकट करने के कर्तव्य का पालन नहीं किया तथा उनके दावे अप्रकटीकरण के आधार पर बीमाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिये गये। ऐसे दावे के अस्वीकार करने के कारणों का अध्ययन करें।

#### द. सारभूत तथ्य

##### द 1 सारभूत तथ्यों का महत्व

सारभूत तथ्यों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वे ये तथ्य हैं जो “ किसी विवेकशील बीमाकर्ता के प्रीमियम निर्धारित करने तथा यह निर्धारण करने कि उसमें कितना जोखिम होगा के निर्णय को प्रभावित करेगा।”

उपरोक्त परिभाषा से हम देख सकते हैं कि सारभूत तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे बीमा कम्पनी के जोखिमांकक को दो प्रकार के निर्णय में मदद करते हैं:-

- क्या जोखिम प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या अस्वीकार; तथा
- यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो किस मूल्य (प्रीमियम) पर स्वीकार किया जायेगा।

यदि प्रस्तावक को सन्देह हो कि कोई विशेष तथ्य सारभूत है या नहीं तो उसे चाहिए कि वह तथ्यों का इस बात पर ध्यान दिये बिना कि वह प्रस्ताव पत्र में विशेष रूप से पूछे गये हैं या नहीं, प्रकटन करें। ऐसा इसलिये क्योंकि प्रस्तावक को ही सभी तथ्यों की पूर्ण जानकारी रहती है अतः उसे उन तथ्यों को जोखिमांकन हेतु बीमाकर्ता को अवश्य प्रकट करना चाहिए।

ऐसे तथ्य स्पष्टतया सारभूत होते हैं जो अन्य तथ्यों की तुलना में सामान्य से अधिक जोखिम प्रस्तुत करते हैं या वे तथ्य भी जो जोखिम के अपवादस्वरूप हो, या जो बीमा कराने के कठिपय विशिष्ट उद्देश्यों की ओर इशारा करते हों।

### **द 2 प्रकटन नहीं करने के परिणाम**

यदि बीमित व्यक्ति सारभूत तथ्यों के प्रकटन के दायित्व का उल्लंघन करता है तो बीमाकर्ता प्रारम्भ से ही संविदा को शून्यकारी मान सकता है अर्थात् टाल सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कोई दावा देय नहीं होगा।

यदि अप्रकटन कपटपूर्ण (धोखा देने के उद्देश्य से) हो (जिसे प्रायः "गोपन" या "छिपाव" कहते हैं) तो बीमाकर्ता प्राप्त किये गये प्रीमियम को अपने पास रख सकता है। विधि द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार किसी एक पक्षकार द्वारा अप्रकटन दूसरे पक्ष को संविदा को टालने हेतु उचित आधार प्रदान करता है जहाँ कोई तथ्य :—

- प्रथम पक्षकार(बीमित) की जानकारी में होता है;
- दूसरे पक्षकार(बीमाकर्ता) को पता नहीं होता है; या
- गणना करने पर यदि प्रकट होता है, दूसरे पक्षकार को संविदा को उन शर्तों पर लागू करने के लिए प्रेरित करता है जिसे वह उचित समझे या किसी भी प्रकार से संविदा में प्रवेश नहीं करने के लिए प्रेरित करता है।

### **द 3 निर्विवादितता खण्ड(धारा 45)**

जैसा कि बीमा अधिनियम की धारा 45 में प्रावधान है, पॉलिसी के प्रथम दो वर्षों में, यदि बीमा कम्पनी को पता चलता है कि कुछ सारभूत तथ्य प्रस्तावक द्वारा प्रकट नहीं किये गये हैं, तो वह (बीमाकर्ता) पॉलिसी को अमान्य तथा शून्य घोषित कर सकते हैं। बीमा कम्पनी सभी भुगतान किये गये प्रीमियम को भी रख सकती है। बीमा कम्पनी इस अधिकार को पॉलिसी प्रारम्भ होने से दो वर्षों तक ही लागू कर सकती है। दो वर्षों के पश्चात, यदि बीमा कम्पनी पॉलिसी को शून्यकारी बनाना चाहती हो तो उसे कपट सिद्ध करना होगा। यह खण्ड निर्विवादितता खण्ड के रूप में जाना जाता है तथा जीवन बीमा में लागू होता है।

### **द 4 जीवन बीमा: प्रकट करने का कर्तव्य**

जीवन बीमा के मामलों में प्रकट करने का कर्तव्य, प्रस्ताव के समय से प्रारम्भ होकर बीमा कम्पनी द्वारा जोखिम स्वीकार करने तथा पॉलिसी कवर शुरू होने के समय तक रहता है।

#### **ध्यान रहे!**

एक व्यपगत पॉलिसी को पुनर्जीवित करने पर, बीमा कम्पनी बीमित को निरन्तर अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण के साथ-साथ सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करने को कह सकती है। व्यपगत पॉलिसी के बारे में अधिक विवरण इस अध्याय के भाग 2 में चर्चा की गई है।

#### **उदाहरण**

परिदृश्य 1:— अर्जुन 30 वर्ष की आयु में बीमा कम्पनी से आजीवन पॉलिसी लेता है। प्रस्ताव फॉर्म को पूर्ण करते समय अजय सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करता है। पाँच वर्ष बाद अर्जुन में मधुमेह

का पता चलता है। अब यदि अर्जुन इस तथ्य को बीमा कम्पनी को प्रकट नहीं करता है तो यह किसी भी तरह से उसके बीमा कवर को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ऐसा पॉलिसी प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष पश्चात् घटित होता है। यदि अर्जुन की पॉलिसी व्यपगत हो जायें तथा वह पॉलिसी को पुनर्जीवित करवाता है तब, इसे पुनर्जीवित करवाते समय बीमा कम्पनी फिर से सभी सारभूत तथ्यों को प्रकट करने के लिए कह सकती है।

**परिदृश्य 2:**— 35 वर्ष की आयु में अर्जुन एक अन्य पॉलिसी (अवधि बीमा) लेना चाहता है और अब वह मधुमेह रोगी है। इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय, परम सद्भाव के सिद्धान्त के अनुसार, अर्जुन को प्रकट करना होगा कि वह मधुमेह से ग्रस्त है।

अर्जुन द्वारा किये गये प्रकटन के आधार पर, बीमा कम्पनी उसके प्रस्ताव का आंकलन करेगी, तथा जोखिम को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकती है। यदि कम्पनी जोखिम को स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो यह अर्जुन को इसके लिए प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम की सूचना देगी।

यदि अर्जुन प्रकट नहीं करता है कि वह मधुमेह से पीड़ित है तथा बीमा कम्पनी 6 माह बाद इस तथ्य के बारे में जान लेती है, तो वह इस पॉलिसी को अमान्य एवं शून्य घोषित कर सकती है तथा उस तिथि तक अर्जुन द्वारा भुगतान किये गये सभी प्रीमियम को रख (जब्त कर) सकती है।

## य. क्षतिपूर्ति

क्षतिपूर्ति को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:—

“बीमित को किसी हानि होने के पश्चात् उसी वित्तीय स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा देना, ताकि वे हानि होने से पूर्व की स्थिति में पहुँचनें के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।”

संक्षेप में, इसका अर्थ है कि कोई हानि होने पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अन्तर्गत बीमित को उसके द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देती है।

### उदाहरण

सुरेश 2,00,000 रु. बीमा धन की एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेता है। सुरेश बीमार हो जाता है तथा अस्पताल में भर्ती किये जाने पर अस्पताल बिल का 40,000 रु. बनता है। अतः इस मामले में बीमा कम्पनी सुरेश को 40,000 रु. मुआवजा(क्षतिपूर्ति) देगी।

**बीमा का उपयोग लाभ प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।**

क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त यह सुनिश्चित करता है कि बीमित को केवल उस सीमा तक मुआवजा दिया जाये जितनी उन्हें हानि हुई है। अतः बीमित बीमा से अनुचित लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है।

### उदाहरण

राजेश 1,00,000 रु. बीमा धन की एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेता है। राजेश के नियोक्ता ने भी उसे 1,00,000 रु. का स्वास्थ्य कवरप्रदान कर रखा है। राजेश बीमार हो जाता है तथा अस्पताल में भर्ती किये जाने पर अस्पताल का बिल 25,000 रु. बनता है। अतः इस मामले में राजेश दोनों बीमाकर्ताओं से 25,000 रु. का अलग अलग दावा प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वह दोनों बीमाकर्ताओं से समिलित रूप से कुल 25,000 का दावा प्राप्त करेगा। क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त सुनिश्चित करता है कि बीमा का उपयोग लाभ प्राप्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

सारांश में : क्षतिपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि बीमा कम्पनी द्वारा दावे के निपटान के पश्चात् बीमित न तो अच्छी और न ही बुरी स्थिति में आ जाये। यह भी सुनिश्चित करती है कि न तो बीमित को बीमाकर्ता की लागत पर लाभ प्राप्त हो और न ही बीमाकर्ता को बीमित की लागत पर लाभ प्राप्त हो।

## य 1 क्षतिपूर्ति तथा जीवन बीमा

सामान्य बीमा पॉलिसियाँ तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ क्षतिपूर्ति की संविदाएँ होती हैं जिसमें बीमित को उपरोक्त वर्णित सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्यक्ष हुई हानि के लिए मुआवजा दिया जाता है। लेकिन यह जीवन बीमा पर लागू नहीं होता है।

### उदाहरण

यदि अजय 10 वर्षों के लिए 1,00,000 रु. की बन्दोबस्ती पॉलिसी 10,000 रु. के वार्षिक प्रीमियम भुगतान पर लेता है तथा पॉलिसी के चौथे वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है, लाभार्थी सम्पूर्ण राशि 1,00,000 रु. ( उस समय तक संचित बोनस सहित ) प्राप्त करेगा, भले ही अजय ने केवल चार वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान किया है।

इसलिए जीवन बीमा संविदाएँ मूल्य निर्धारित संविदाएँ भी कही जाती हैं तथा क्षतिपूर्ति का सिद्धान्त उन पर लागू नहीं होता है। जीवन बीमा के मामले में, भले ही एक व्यक्ति एक से अधिक पॉलिसियाँ लेता है, तो भी बीमित की मृत्यु होने पर सभी बीमा कम्पनियाँ सम्पूर्ण बीमा धन का भुगतान करेगी।

इसलिए याद रखे कि जीवन बीमा सम्बन्धित दावों के निपटान में क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त पर आधारित सांझें की अवधारणा लागू नहीं होती है।

### उदाहरण

मनीष ए बी सी बीमा कम्पनी से 15,00,000 रु. की आजीवन बीमा पॉलिसी तथा एक्स वाई जेड बीमा कम्पनी से 10,00,000 रु. की बन्दोबस्ती पॉलिसी लेता है। पॉलिसी अवधि के भीतर उसकी मृत्यु होने पर दोनों बीमा कम्पनियाँ मनीष के नामित को भुगतान करेगी। अतः मनीष का नामित दो बीमा कम्पनियों से कुल 25,00,000 की बीमा राशि (15,00,000 रु.+ 10,00,000रु.) प्राप्त करेगा।

## मुख्य बिन्दुः—

इस अध्याय में जिन मुख्य बिन्दुओं की चर्चा की गई है उन्हें निम्नानुसार सारांश रूप में व्यक्त किया जा सकता है:—

### बीमा की वैध संविदा के आवश्यक तत्व

- एक संविदा अस्तित्व में तब आती है जब एक पक्षकार प्रस्ताव करता है जिसे दूसरा पक्षकार बिना शर्त स्वीकार कर लेता है।
- एक बीमा संविदा में प्रस्तावक द्वारा बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया प्रीमियम प्रतिफल होता है।
- अवयस्क, अस्वरथ चित्त के माने गये व्यक्ति तथा विधि द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति बीमा संविदा नहीं कर सकते हैं।

### बीमा योग्य हित

- बीमा योग्य हित किसी व्यक्ति का किसी विषय वस्तु का बीमा कराने का विधिक अधिकार होता है जो उसके स्वयं के, परिवार के सदस्यों के जीवन या उनकी सम्पत्तियाँ हो सकती हैं।
- जब एक व्यक्ति को बीमा योग्य हित होता है तो वह अन्य व्यक्ति या सम्पत्ति से लाभ प्राप्त करता है तथा उनको हुई हानि से कुप्रभावित होता है या हानि उठाता है।
- अन्य स्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है, में लेनदार—देनदार, कर्मचारी नियोक्ता अथवा विलोम रूप में, साझेदारों एक दूसरे के जीवन में तथा कम्पनियों— का उनके प्रधान अथवा प्रमुख व्यक्ति के जीवन में शामिल हैं।

### परम सद्भाव

- एक बीमा संविदा में संविदा के दोनो पक्षकारों के एक दूसरें के प्रति सद्विश्वास में कार्य करना चाहिए।
- हम परम सद्भाव को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं:  
“ यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचना को स्वेच्छा से , शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।”
- सभी बीमा समझौतों में अस्पष्ट सारभूत तथ्यों को प्रकट करने का कर्तव्य होता है; संविदा के अस्तित्व में आने से पूर्व प्रस्ताव प्रावस्था में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।
- बीमाकर्ता का भी बीमित के प्रति प्रकटन का कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए, बीमाकर्ता को भी परम सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए।

### सारभूत तथ्य

- सारभूत तथ्यों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यह वह तथ्य हैं जो—  
“ एक विवेकशील बीमाकर्ता के प्रीमियम निर्धारित करने तथा यह निर्धारण करने कि क्या उस जोखिम को स्वीकार किया जायें के निर्णय को प्रभावित करेंगे।”
- कुछ तथ्य, जैसे विधि संबंधी ज्ञान तथा सर्वविदित तथ्य को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है।
- यदि बीमित प्रकट करने के कर्तव्य का यथार्थ में उल्लंघन करता है, तो बीमाकर्ता संविदा को अमान्य तथा शून्य घोषित कर सकता है।

### क्षतिपूर्ति

- ‘क्षतिपूर्ति का आशय बीमित को उसी वित्तीय स्थिति में लाना है जो हानि होने से पूर्व थी।’
- क्षतिपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत दावों के माध्यम से बीमित द्वारा बीमा का उपयोग लाभ पाने में नहीं किया जाए।
- क्षतिपूर्ति जीवन बीमा पर लागू नहीं होती है क्योंकि जीवन बीमा संविदाएँ मूल्य निर्धारित संविदाएँ होती हैं।

## प्रश्न—उत्तर

3.1

एक वैध संविदा के आवश्यक लक्षण निम्न हैं—

प्रस्ताव एवं स्वीकृति

प्रतिफल

संविदा कर सकने का सामर्थ्य

मतैक्य

उद्देश्य या प्रयोजन की वैधता

निष्पादन का सामर्थ्य

3.2

वे परिस्थितियाँ जिनमें बीमा योग्य हित मौजूद माना जाता है जहाँ व्यक्ति रखता है—

- स्वयं के जीवन में असीमित हित;
- अपने पति या पत्नी के जीवन तथा विलोम में हित;
- अपने बच्चों के जीवन तथा विलोम में हित; तथा
- अपनी सम्पत्तियों में हित

## स्व—परीक्षण प्रश्न

1. परम सद्भाव को परिभाषित कीजिए तथा इसके अर्थ की व्याख्या कीजिए।

2. क्षतिपूर्ति क्या है?

आप उत्तर अगले पृष्ठ पर प्राप्त करेंगे।

## स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1.

“यह प्रस्तावित जोखिम के बारे में सभी तथ्यात्मक सूचनाओं को स्वेच्छा से , शुद्धतापूर्वक एवं पूर्णतः प्रकट करना, भले ही मांगी जाये या नहीं, का एक सकारात्मक कर्तव्य होता है।”

इसका अर्थ है कि संविदा के पक्षकारों को संविदा के लागू होने से पूर्व स्वेच्छा से तथ्यात्मक सूचना देनी चाहिए। यह सिद्धान्त संविदा को तय करने /प्रभावी बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया समझौतों के दौरान प्रस्तावक एवं बीमाकर्ता दोनों पर समान रूप से लागू होता है, लेकिन विधि द्वारा प्रस्तावक को संविदा के सारभूत तथ्यों के मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में देखा जाता है।

2.

क्षतिपूर्ति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:-

“बीमित को कोई हानि होने के पश्चात् उसी वित्तीय स्थिति में रखने के लिए पर्याप्त वित्तीय मुआवजा देना, ताकि वे हानि होने से पूर्व की स्थिति हेतु क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।”

इसका अर्थ है कि एक हानि के होने पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अन्तर्गत बीमित को उनके द्वारा उठाई गई हानि के लिए क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देती है।



# 3

## भाग 2 बीमा व्यवहार

अध्याय विषय वस्तु	पाठ्यक्रम शिक्षण के परिणाम
र बीमा पॉलिसियाँ किस प्रकार खरीदी व लिखी जाती है	3.9, 3.11, 3.15
ल मुख्य दस्तावेज	3.8, 3.12, 3.13, 3.14, 3.17
व बीमा की मुख्य शर्तें	3.8, 3.15, 3.16
श प्रीमियम भुगतान तथा वैध कवर की सम्बद्धता	3.10

### अध्ययन उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न हेतु समर्थ होंगे:—

- बीमा किस प्रकार लिया व लिखा जाता है, के सम्बन्ध में मुख्य बातों/तथ्यों के वर्णन में;
- बीमा में उपयोग में आने वाले मुख्य दस्तावेजों तथा उनके महत्व का विश्लेषण करने में;
- बीमा में उपयोग किये जाने वाले मुख्य शब्दों/शर्तों को परिभाषित करने में;
- प्रीमियम भुगतान की वैध कवर से सम्बद्धता की चर्चा करने में।

### परिचय

इस अध्याय के प्रथम भाग में हमने सभी प्रकार के बीमा के सिद्धान्तों को जाना है। इस द्वितीय भाग में हम दृष्टिपात करने जा रहे हैं कि बीमा, विशेष रूप से जीवन बीमा किस प्रकार लिया जाता है। हम दो तरह से ऐसा कर सकते हैं।

सर्वप्रथम हम मुख्य दस्तावेजों पर नजर डालेंगे ताकि बीमा लेने वाला कोई भी व्यक्ति उनसे परिचित हो तथा उनके महत्वों की चर्चा कर सके। इन दस्तावेजों का पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा कम्पनी तथा पॉलिसीधारक के मध्य आदान प्रदान किया जाता है। द्वितीय स्तर पर

हम जीवन बीमा में उपयोग में लाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण शब्दों पर नजर डालेंगे जिन्हें आपको अपने ग्राहकों को समझाने की जरूरत होगी।

इन विषयों का उचित सन्दर्भ प्रस्तुत करने हेतु बीमा किस प्रकार लिया व लिखा जाता है की हम एक संक्षिप्त समीक्षा करके प्रारम्भ करेंगे।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दों एवं विषयों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

समनुदेशन	निरस्तीकरण	व्यपगमन	प्रीमियम रसीद
समनुदेशक	कूलिंग—ऑफ अवधि	नामांकन	पॉलिसी दस्तावेज
समनुदेशिती	सशर्त समनुदेशन	नोटिस	विवरण—पुस्तिका
सशर्त समनुदेशन	अपवर्जन	चुकता मूल्य	पुनर्चलन
नियुक्त व्यक्ति	पृष्ठांकन	प्रस्ताव पत्र	समर्पण मूल्य

र बीमा पॉलिसियाँ कैसे ली व लिखी जाती हैं।

हम पूर्व के अध्यायों में पहले ही बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति के पास बीमा क्यों होना चाहिए, बीमा क्या है तथा इसके सिद्धान्त क्या है। अतः कोई व्यक्ति एक बीमा पॉलिसी कैसे खरीदता है? सर्वप्रथम उन्हें यह बताने की जरूरत होगी कि कौन—कौनसे बीमा उपलब्ध हैं।

### र 1 प्राथमिक सूचना के स्रोत

बीमा कम्पनियाँ मीडिया में व्यापक विज्ञापनों के माध्यम से अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाती तथा रुचि पैदा करती हैं। जैसा कि हम बाद में देखेंगे (भाग र 5 स), इरडा (IRDA) ने कुछ विशिष्ट दिशानिर्देश जारी किये हैं जिनका अनुपालन बीमा कम्पनी को विवरण पुस्तिका तथा विज्ञापन जारी करते समय करना आवश्यक है। कोई व्यक्ति इस सूचना से जान सकता है कि उसे बीमा कम्पनी या उसके एक अभिकर्ता तक पहुँचने की जरूरत है। हम विवरण पुस्तिकाओं के बारे में विस्तार से भाग र 5 स में देखेंगे।

उपरोक्त के विकल्प के रूप में कोई जीवन बीमा अभिकर्ता व्यक्तियों से सम्पर्क कर सकता है। जो उसे अपनी बीमा कम्पनी के उत्पादों का परिचय करवायेगा।

### र 2 बीमा खरीदने का प्रयोजन

किसी व्यक्ति को अपनी जरूरतों के आधार पर बीमा खरीदना चाहिए। बाजार में अनेक बीमा उत्पाद उपलब्ध होते हैं इनमें से किसे खरीदना है इसका निर्णय ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद करना चाहिए। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, कोई व्यक्ति एक आजीवन बीमा पॉलिसी, एक बन्दोबस्ती पॉलिसी, एक मनी—बैंक पॉलिसी, एक बाल योजना या एक सेवानिवृति योजना आदि खरीदने का चयन कर सकता है। हम इन उत्पादों पर बाद के अध्यायों में विस्तार से दृष्टिपात करेंगे।

### र 3 जीवन बीमा किस प्रकार लिखा (तैयार किया)जाता है।

अधिकतर पॉलिसियाँ केवल एक बीमित जीवन पर लिखी जाती हैं जिसे एकल जीवन के रूप में जाना जाता है। अधिकतर, परन्तु हमेशा नहीं, पॉलिसी ले रहा व्यक्ति तथा बीमित व्यक्ति एक

ही होता है। इसे स्वजीवन पॉलिसी कहा जाता है। पॉलिसी दो बीमित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से भी ली जा सकती है— उदाहरण के लिए पति तथा पत्नी एक पॉलिसी ले सकते हैं जिसमें दोनों पॉलिसीधारक तथा बीमित व्यक्ति हो सकते हैं। यह एक संयुक्त जीवन पॉलिसी कहलाती है।

#### **र 4 प्रस्ताव फॉर्म**

विज्ञापन तथा विवरण पुस्तिकाएँ ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा बीमा कम्पनियाँ प्रस्ताव आमन्त्रित करती हैं। बीमा ले रहा व्यक्ति प्रस्तावक कहलाता है वे स्वयं को जीवन ( या अन्य किसी प्रकार के ) बीमा के लिए प्रस्तावित करते हैं। प्रस्तावक प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण करके बीमा कम्पनी में जमा करवाता है। प्रस्ताव फॉर्म से प्राप्त सूचनाओं का जोखिमांकन मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर वह प्रस्ताव को स्वीकार, अस्वीकार या संशोधित शर्तों पर स्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। हम भाग ल 1 में देखेंगे कि प्रस्ताव फॉर्म का स्वरूप कैसा होता है तथा इनका महत्व क्या है?

#### **र 5 लागत विवरण (कोटेशन)**

सरलतम रूप में कोटेशन में पॉलिसी की लागत तथा शर्तों का उल्लेख होता है। यह निर्धारित अवधि के लिए मान्य रहता है जिसके दौरान प्रस्तावक पॉलिसी लेने का चयन तथा यह निर्णय कर सकता है कि क्या यह उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि प्रस्तावक कोटेशन स्वीकार करता है, तो बीमा कम्पनी इसमें उल्लिखित शर्तों एवं मूल्य से आबद्ध हो जाती है। तथापि यदि कोटेशन की अवधि के दौरान प्रस्तावक से सम्बन्धित सारभूत तथ्यों में परिवर्तन होता है, तो बीमा कम्पनी इससे आबद्ध नहीं होती है।

#### **र 6 बीमा संविदा**

एक बीमा संविदा उस तिथि से आरम्भ होती है जिस पर बीमा कम्पनी प्रथम प्रीमियम रसीद(भाग ल 3 अ देखें) जारी करती है। पॉलिसी दस्तावेज बाद में जारी किये जा सकते हैं (भाग ल 4 देखें)। यदि किसी व्यक्ति की पॉलिसी दस्तावेज जारी होने से पूर्व लेकिन प्रथम प्रीमियम रसीद जारी होने के पश्चात् मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कम्पनी मृत्यु दावे के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी।

#### **र 7 नवीनीकरण**

जीवन बीमा पॉलिसियाँ प्रायः कई वर्षों के लिए एक निर्धारित अवधि तक चलने वाली दीर्घ—अवधि पॉलिसियाँ होती हैं। दूसरी ओर गैर—जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ अल्प अवधि पॉलिसियाँ होती हैं जो केवल एक वर्ष तक चलती है। एक वर्ष की समाप्ति पर, पॉलिसीधारक को पॉलिसी के नवीनीकरण की सलाह दी जाती है ताकि वे बीमा द्वारा प्रदत्त सुरक्षा का लाभ नहीं खो दें तथा इसलिए भी कि बीमा कम्पनी ग्राहक को खोना नहीं चाहेगी। अतः बीमा कम्पनी पॉलिसीधारक को नवीनीकरण के लिए आमन्त्रित करती है। हम इस अध्याय में बाद में नवीनीकरण पर कुछ अधिक विस्तार से दृष्टिपात करेंगे।

#### **र 8 सारांश**

बीमा किस प्रकार खरीदा जाता है की समीक्षा कर हम एक परिदृश्य प्रस्तुत कर चुके हैं। अब हम इस ज्ञान के आधार पर बीमा के लिए अनिवार्य दस्तावेज तथा उसमें प्रयुक्त कुछ तकनीकी शब्दों पर नजर डाल सकते हैं। इन सभी को एक व्यावहारिक सन्दर्भ लेने के लिए हम नितिश शर्मा तथा उसके जीवन बीमा अभिकर्ता श्री कुमार को प्रकरण अध्ययन का अवलोकन करेंगे।

### प्रकरण—अध्ययन

नितिश शर्मा हाल ही में एक डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुआ है। वह 28 वर्षीय है तथा उसने सुमेधा से विवाह किया है जो एक गृहिणी है। एक दिन एक बीमा अभिकर्ता श्री कुमार उससे सम्पर्क करता है। बातचीत के दौरान, श्री कुमार नितिश को उसकी जीवन बीमा की जरूरतों को प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुत करता है। नितिश कहता है कि वह पहले से ही इस बारे में विचार कर रहा था, जबसे उसने एक बीमा कम्पनी द्वारा जारी विवरण पुस्तिका को देखा है तथा इसलिए वह एक बीमा योजना क्रय हेतु सहमति देता है।

### ल मुख्य दस्तावेज

बीमा से सम्बद्ध अनेक मुख्य दस्तावेज होते हैं— पिछले भाग में उनमें से कुछ के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। ये दस्तावेज बीमित तथा बीमा के बारे में सूचनाएँ तथा बीमा प्रभावी हैं का प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं, जब एक हानि घटित होने पर एक दावा उत्पन्न होता है। इस भाग में हम इन दस्तावेजों के बारे में देखेंगे।

### ल 1 प्रस्ताव फॉर्म

श्री कुमार यह सुनने पर कि नितिश जीवन बीमा लेने के लाभों को जानता है तथा वह बीमा लेने का इच्छुक है सबसे पहले नितिश को एक प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण करने के लिए देता है।

### प्रकरण—अध्ययन

जब नितिश फॉर्म की तरफ देखता है तो वह फॉर्म में पूछी गई राशि की सूचनाओं से भ्रमित हो जाता है। वह आश्चर्य व्यक्त करता है कि जब वह बीमा योजना को खरीदने के लिए मूल्य भुगतान हेतु तैयार है तो उसे प्रस्ताव फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। वह यह टिप्पणी भी करता है कि यह सब उसके जैसे शिक्षित आदमी के लिए ठीक है परन्तु यदि वह अशिक्षित होता है तो क्या वह तब भी बीमा योजना खरीद सकता था?

चलो हम देखते हैं कि श्री कुमार नितिश के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देंगे:—  
प्रस्ताव फॉर्म या आवेदन फॉर्म वह पहला दस्तावेज है जिसे प्रस्तावक को भरकर बीमा कम्पनी में जमा करवाने की जरूरत है। हमारे प्रकरण अध्ययन में नितिश प्रस्तावक है। प्रस्तावक को स्वयं अपनी हस्तालिपि में प्रस्ताव फॉर्म भरना चाहिए। तथापि, इसके कुछ अपवाद भी हैं, उदाहरण के लिए यदि प्रस्तावक अशिक्षित है या फॉर्म में प्रयुक्त भाषा नहीं समझता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्तावक बीमा योजना की खरीद तथा उसके साथ प्रभावी होने वाले करार के बारे में पूरी तरह जागरूक हो ध्यान देने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव फॉर्म सूचनाओं का मुख्य स्रोत है जिसे जोखिमांकक पूल में सम्मिलित जोखिमों का आंकलन करने के लिए उपयोग करेगा। अतः आप देखेंगे कि यह महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावक द्वारा दी गई जानकारी सही हो। हमने अध्याय 3 के पहले भाग में परम सद्भाव का महत्व तथा सारभूत तथ्यों की सम्बद्धता के बारे में विचार किया था।

बीमा कम्पनी प्रस्ताव फॉर्म के माध्यम से निम्नलिखित सूचना एकत्रित करती है:—

- बीमित व्यक्ति की सूचना : उसका नाम, उम्र, पता, वैवाहिक स्थिति, वजन, ऊँचाई, मेडिकल इतिहास आदि से सम्बन्धित विवरण;
- प्रस्तावक की सूचना: यदि प्रस्तावक तथा बीमित व्यक्ति अलग व्यक्ति हैं तो प्रस्तावक के बारे में सूचना जैसे नाम, उम्र, व्यवसाय तथा बीमित व्यक्ति से सम्बन्धित विवरण (उदाहरण: बीमित व्यक्ति के जीवन पर एक पॉलिसी को प्रभावी बनाने के जरूरी कारण) आदि भी

फॉर्म में होते हैं;

- मांगे गये बीमा योजना के प्रकार का विवरण;
- नामित का विवरण (भाग र 2 अ देखें)
- मांगे गये सम्पूरकों (यदि कोई हो) का विवरण (जब हम बाजार में उपलब्ध एकल उत्पादों की तरफ नजर डालेंगे तब हम जानेंगे कि सम्पूरक क्या हैं); तथा
- प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ली गई बीमा योजनाओं के बारे में विवरण।

## ल 1 अ प्रस्ताव फॉर्म में घोषणा

प्रस्ताव फॉर्म के अन्त में प्रस्तावक को घोषणा हस्ताक्षरित करनी होती है। इस घोषणा को हस्ताक्षरित करके प्रस्तावक पुष्टि करता है कि फॉर्म में दी गई सूचना सही है तथा कि उन्होंने उत्तर देने से पूर्व प्रश्नों को पूरी तरह समझ लिया है।

इस घोषणा को हस्ताक्षरित करना महत्वपूर्ण है। घोषणा पर सहमति देकर प्रस्तावक अनुमोदित करता है कि

- बीमा कम्पनी संविदा निरस्त कर सकती है तथा प्रीमियम को भी जब्त कर सकती है कि यदि यह पता चलता है कि कोई भी दी गई सूचना सत्य नहीं हैं, तथा
- यह पुष्टि करके कि उसने प्रश्नों को समझ लिया है, वे यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उन्हें किसी प्रकार से गलत सूचना दी गई थी या गुमराह किया गया था, यदि भविष्य में विवाद उत्पन्न होता है।

नितिश के अशिक्षित प्रस्तावक के प्रश्न का क्या उत्तर है— वे किस प्रकार प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण तथा घोषणा हस्ताक्षरित कर सकते हैं? यदि प्रस्तावक अशिक्षित है, तो बांये अँगूठे के निशान लिया जाता है तथा किसी तृतीय पक्ष (व्यक्ति) से अँगुठे के निशान को सत्यापित करवाना होता है। अँगुठे के निशान को सत्यापित करने वाला व्यक्ति (तृतीय पक्ष) यह घोषणा करता है कि उसने प्रस्तावकों को सभी प्रश्न, उसकी भाषा में पूर्णतः समझा दिये हैं तथा उसने प्रस्तावक से पूछकर सही उत्तर लिखे हैं। इस मामले में घोषणा करने वाले व्यक्ति का पता भी लिया जाता है।

कई बार प्रस्तावक की भाषा प्रस्ताव फॉर्म की भाषा से भिन्न होती है। इन मामलों में, जहाँ प्रस्तावक प्रस्ताव फॉर्म पूर्ण करता है तथा अपनी भाषा में घोषणा हस्ताक्षरित भी करता है, तो प्रस्तावक को अपनी हस्तालिपि में उपरोक्त घोषणा अपने हस्ताक्षर द्वारा करनी होती है कि सभी प्रश्न उसे समझा दिये गये हैं तथा उसने उन्हें पूरी तरह समझकर ही उत्तर दिया है।

प्रस्ताव फॉर्म तथा घोषणा पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर बीमा संविदा का आधार बनाते हैं तथा इसलिए विधिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावक प्रश्नों को समझकर सत्यतापूर्वक उनके उत्तर दें।

## उदाहरण

राकेश चावला एक अशिक्षित व्यक्ति है। उसकी आयु 48 वर्ष है तथा वह केवल हिन्दी भाषा बोल तथा समझ सकता है। उसने एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्णय लिया, जिसके लिए वह एक जीवन बीमा अभिकर्ता से सम्पर्क करता है। अभिकर्ता राकेश चावला को फॉर्म भरने हेतु उपलब्ध करवाता है। फॉर्म अंग्रेजी भाषा में है तथा राकेश इस भाषा को नहीं समझता है। अतः बीमा अभिकर्ता उसे उसके मित्र निलेश टण्डन से फॉर्म भरने में मदद लेने की सलाह देता है जो एक विद्यालय में अध्यापक है तथा हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रवीण है।

निलेश टण्डन राकेश की ओर से फॉर्म भरने के लिए सहमति देता है। वह राकेश को हिन्दी में एक के बाद एक प्रश्न समझाता है तथा राकेश द्वारा दिये गये उत्तरों को अच्छी तरह फॉर्म पर रिकार्ड करता है।

एक बार जब फॉर्म पूर्ण रूप से भर दिया जाता है, तो राकेश को यह घोषणा करते हुए अपने अंगूठे के निशान को फॉर्म पर लगाने की आवश्यकता होती है, कि उसने प्रश्नों को समझ लिया है तथा तदनुसार उत्तर दिये हैं।

निलेश टण्डन भी फॉर्म में दी गई यह घोषणा हस्ताक्षरित करता है कि प्रस्तावक को प्रस्ताव फॉर्म में दिये गये प्रश्नों को उसके द्वारा समझने वाली भाषा में समझा दिया गया है तथा तदनुसार उत्तर रिकॉर्ड कर लिया गया है।

## ल 2 आयु प्रमाण

### प्रकरण अध्ययन

नितिश शर्मा प्रस्ताव फॉर्म भरता है तथा श्री कुमार को दे देता है जो नितिश को उसकी आयु के प्रमाण के रूप में हाई स्कूल अंकतालिका संलग्न करने के लिए कहता है। नितिश कहता है कि उसे उसकी तलाश करनी होगी – क्या कोई अन्य दस्तावेज है जिसे वह आयु के प्रमाण के रूप में जमा करवा सकता है—तथापि उसे अपनी आयु सिद्ध करने की जरूरत क्यों है?

आयु उन कारकों में से एक है जिनका बीमा कम्पनी प्रस्तावक के जोखिम प्रोफाइल तथा प्रभारित की जाने वाली प्रीमियम राशि को निर्धारित करने के लिए उपयोग करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि बीमा कम्पनियाँ प्रस्तावक की सही आयु सत्यापित करें।

एक वैध आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जा सकने वाले दस्तावेजों को मानक आयु प्रमाण दस्तावेजों तथा गैर मानक/अमानक आयु प्रमाण दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ दस्तावेज जिनको मानक आयु प्रमाण के रूप में माना जा सकता है इस प्रकार हैः—

- स्कूल तथा कॉलेज के अभिलेखों के अनुसार एक प्रमाण पत्र;
- जन्म के समय नगरपालिका के रिकॉर्ड या जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र;
- पासपोर्ट;
- स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड;
- नियोक्ता का सेवा रजिस्टर;
- बापटिज्म का प्रमाण पत्र;
- पारिवारिक बायबल से प्रमाणित उद्धरण, यदि इसमें जन्म तिथि शामिल हो ;
- रक्षा विभाग द्वारा जारी, रक्षा कार्मिक का पहचान पत्र ;
- रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।

गैर मानक आयु प्रमाण दस्तावेजों में से कुछ, जो एक वैध आयु प्रमाण के रूप में स्वीकृत किये जा सकते हैं, इस प्रकार है :

- जन्म के समय तैयार जन्म कुण्डली;
- राशन कार्ड;
- स्वयं की घोषणा, बड़ों की घोषणा शपथ पत्र सहित ; तथा
- ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

किसी व्यक्ति को अपने जन्म प्रमाण के साथ अपने पते का प्रमाण, एक फोटोग्राफ तथा प्रीमियम जमा करना भी आवश्यक होता है। बीमा कम्पनी व्यक्ति को छः माह या एक वर्ष का बैंक खाता विवरणी प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकती है। नकद या चैक के अलावा प्रीमियम का भुगतान क्रेडिट कार्ड, प्रस्तावक के बैंक खाते से सीधे काटकर या ऑनलाईन भुगतान विधि या इलेक्ट्रॉनिक विलयरिंग व्यवस्था (ECS) आदि के माध्यम से भी किया जा सकता है।

बीमा क्षेत्र में मनी लॉण्डरिंग की रोकथाम करने के लिए, इरडा(IRDA) ने हाल के वर्षों में एन्टी मनी लॉण्डरिंग (AML) / आतंकवाद हेतु वित्त पोषण की रोकथाम(CFT) सम्बन्धी दिशा निर्देश बीमा कम्पनियों के लिए जारी किये हैं ताकि अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रक्रिया को लागू करने में वे अत्याधिक सावधानी बरतें।

के वाई सी (KYC) प्रक्रिया के अनुसार अपनी पहचान प्रमाणित करने के लिए ग्राहक को जमा करवाने की जरूरत है:-

- एक आयु प्रमाण;
- एक पहचान प्रमाण;
- एक पते का प्रमाण; तथा
- आयु प्रमाण दस्तावेज (यदि मांगी गई बीमा राशि के आधार पर बीमा कम्पनी को आवश्यकता हो)।

उपरोक्त दस्तावेज ग्राहक की पहचान तथा भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम के लिए आय के स्रोत को स्पष्ट तथा सुनिश्चित करने हेतु प्राप्त किये जाते हैं। एन्टी मनी लॉण्डरिंग के बारे में अधिक विवरण की चर्चा अध्याय 12 में की जायेगी।

### ल 3 प्रीमियम रसीदें:-

#### प्रकरण अध्ययन

नितिश शर्मा ने अपने वैध आयु प्रमाण, पते का प्रमाण तथा फोटोग्राफ श्री कुमार को प्रस्तुत कर दिये हैं। उसने प्रीमियम के लिए बीमा कम्पनी के पक्ष में एक चैक भी उसे दे दिया है। वह श्री कुमार से पूछता है कि वह कैसे एवं कब जान पायेगा कि उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है या नहीं।

श्री कुमार बताता है कि इरडा(IRDA) विनियमों के अनुसार बीमा कम्पनी को अपने निर्णय के बारे में 15 दिनों के भीतर उसे बताना होता है। वह नितिश से यह भी कहता है कि बीमा कम्पनी अपनी स्वीकृति प्रथम प्रीमियम रसीद जारी करके प्रदर्शित करती है तथा उसी समय या बाद में पॉलिसी दस्तावेज दे सकती है। इस भाग में हम दोनों प्रीमियम रसीदों— प्रथम

प्रीमियम रसीद तथा नवीनीकरण प्रीमियम रसीद के बारे में चर्चा करेंगे। हम अगले भाग ल 4 में पॉलिसी दस्तावेजों पर दृष्टिपात करेंगे।

### ल 3 अ प्रथम प्रीमियम रसीद(**FPR**)

हमने अभी श्री कुमार के द्वारा नितिश को प्रत्युत्तर में देखा है कि बीमा कम्पनी प्रस्तावक को प्रथम प्रीमियम रसीद (**FPR**) जारी करके सूचित करती है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा प्रीमियम प्राप्त हो गया है। एफ पी आर (**FPR**) महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह बीमा संविदा शुरू होने का प्रमाण है। पॉलिसी दस्तावेज जो कि संविदा का साक्ष्य होता है बाद में जारी किया जा सकता है।

प्रथम प्रीमियम रसीद में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं:-

- बीमित व्यक्ति का नाम एवं पता;
- पॉलिसी नम्बर ;
- भुगतान की गई प्रीमियम राशि;
- प्रीमियम भुगतान विधि तथा बारम्बारता (आवृत्ति) ;
- प्रीमियम भुगतान की अगली तिथि;
- जोखिम प्रारम्भ तिथि (अर्थात् बीमा कब से प्रारम्भ होगा ) ;
- पॉलिसी परिपक्वता तिथि;
- भुगतान किये जाने वाले अन्तिम प्रीमियम की तिथि; तथा
- बीमा धन।

### ल 2 ब नवीनीकरण प्रीमियम रसीद (**RPR**)

एफ पी आर जारी करने के पश्चात् बीमा कम्पनी जब-जब प्रस्तावक से अगला प्रीमियम प्राप्त करती है तब तब प्रीमियम रसीदें जारी करती हैं। ये रसीदें नवीनीकरण प्रीमियम रसीदें (**RPR**) कहलाती हैं। **RPR's** प्रीमियम भुगतान सम्बन्धी किसी विवाद उत्पन्न होने पर भुगतान के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं।

#### ध्यान रहे!

किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय बीमांकनकर्ता द्वारा लिया जाता है। यदि जोखिमांकक प्रस्ताव को संशोधित शर्तों एवं निर्बन्धनों के साथ स्वीकार करता है, तो प्रस्तावक द्वारा संशोधित शर्तों एवं निर्बन्धनों की सहमति तथा अतिरिक्त प्रीमियम (यदि कोई हो) के भुगतान करने पर ही **FPR** जारी की जाती है। इरडा(IRDA) द्वारा जारी विनियमों के अनुसार प्रस्ताव पर निर्णय 15 दिनों के भीतर प्रस्तावक को भेजना आवश्यक है। हम अगले अध्याय में जोखिमांकक की भूमिका पर अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे।

#### प्रश्न 3.3

कौनसे दस्तावेज आयु के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं?

ल 3 स “मुक्त लुक-इन अवधि” या “कूलिंग –ऑफ अवधि” क्या है?

#### प्रकरण अध्ययन

श्री कुमार द्वारा नितिश शर्मा का प्रस्ताव, प्रीमियम तथा प्रमाण पत्र बीमा कम्पनी को भेजने से पूर्व ; नितिश एक अन्तिम प्रश्न करता है “क्या होगा यदि मैं बीमा पॉलिसी लेने के पश्चात् अपना विचार बदलता हूँ?”

**FPR** जारी करना संविदा प्रभावी होने का साक्ष्य है तथा दोनों पक्षकारों को आबद्ध करता है। तथापि इरडा विनियम प्रस्तावक को पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर संविदा वापस लेने का विकल्प प्रदान करते हैं यदि वे पॉलिसी के शर्तों एवं निर्बन्धनों से असहमत हों। यह अवधि ‘मुक्त लुक-इन अवधि’ या ‘कूलिंग –ऑफ अवधि’ के रूप में जानी जाती है। यदि प्रस्तावक संविदा वापस लेता है, तो बीमा कम्पनी कुछ कटौतियों जैसे अल्प अवधि के लिए जोखिम कवर की लागत, जिसके लिए कवर दिया गया था, मेडिकल जाँच व्यय तथा स्टैम्प शुल्क घटाकर शेष प्रीमियम लौटा देगी।

#### प्रश्न 3.4

प्रथम प्रीमियम रसीद (**FPR**) में क्या सूचना दी जाती है?

#### ल 4 पॉलिसी दस्तावेज

नितिश शर्मा द्वारा प्रथम प्रीमियम रसीद प्राप्त करने के कुछ समय बाद, वह पॉलिसी दस्तावेज की एक प्रति प्राप्त करता है। नितिश इस दस्तावेज से क्या अपेक्षा करता है? ये देखने में कैसा लगता है?

पॉलिसी दस्तावेज बीमा से सम्बन्धित अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह बीमित तथा बीमा कम्पनी के मध्य संविदा का प्रमाण है। यह स्वयं संविदा नहीं है; यदि पॉलिसी दस्तावेज खो जाता है, तो बीमा संविदा प्रभावित नहीं होती है। बीमा कम्पनी संविदा में कोई परिवर्तन किये बिना एक डुप्लीकेट पॉलिसी जारी कर देती है। पॉलिसी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा भारतीय स्टैम्प अधिनियम के अनुसार स्टैम्प लगाया जाना चाहिए।

किसी मानक/आदर्श पॉलिसी में निम्नलिखित भाग होते हैं:-

शीर्षक	प्रस्तावना
प्रचालन खण्ड	उपबन्ध/परन्तुक
अनुसूची	प्रमाणन
शर्त तथा निर्बन्धन/विशेषाधिकार तथा निर्बन्धन	पृष्ठांकन

पॉलिसी के शीर्षक में कम्पनी का नाम, पता तथा लोगो(LOGO) शामिल है।

पॉलिसी की प्रस्तावना में उल्लेख रहता है कि प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव एवं घोषणा संविदा का आधार होती है।

प्रचालन खण्ड पक्षकारों के निम्नांकित पारस्परिक दायित्व निर्धारित करता है:-

- बीमित द्वारा प्रीमियम का भुगतान ; तथा
- बीमित घटना घटित होने पर बीमा कम्पनी द्वारा बीमा धन का भुगतान, दावाकर्ता का स्वत्वाधिकार तथा आयु प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर।

पॉलिसी की शर्तों तथा निर्बन्धनों में गारंटीड समर्पण मूल्य, नामांकन, समनुदेशन तथा पॉलिसी की प्रतिभूति पर ऋण आदि से सम्बन्धित सामान्य प्रावधानों का उल्लेख रहता है।

अनुसूची में पॉलिसी के सभी आवश्यक विवरण होते हैं; जैसे:-

- पॉलिसी प्रारम्भन तिथि;
- पॉलिसी परिपक्वता तिथि;
- बीमा धन ( पॉलिसी द्वारा कब तथा कितना भुगतान प्राप्त होगा);
- भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि तथा देय तिथियाँ;
- नामित (यदि प्रस्ताव फॉर्म में वर्णित हो);
- अन्य विशेष उपखण्ड;
- सम्पूरक के विवरण;
- निषेध; तथा
- ग्रहणाधिकार

किसी भी दुविधा या सन्चेह से बचने के लिए बीमाकर्ता पॉलिसीधारक द्वारा भरे गये प्रस्ताव फॉर्म की एक फोटो प्रति पॉलिसी दस्तावेज से सम्बद्ध करता है।

प्रमाणन यह सुनिश्चित करता है कि बीमाकर्ता ने हस्ताक्षर द्वारा पॉलिसी दस्तावेज को अभिप्रमाणित कर दिया है।

शर्तों एवं निर्बन्धनों से तात्पर्य है:-

- प्रीमियम भुगतान हेतु अनुग्रह अवधि ;
- प्रिमियम भुगतान में चूक होने के परिणाम ;
- ऋणों की उपलब्धता।

इस भाग में यह जानकारी भी दी जाती है कि पॉलिसी किस प्रकार समनुदेशित या समर्पित की जाती है या कैसे इसे चुकता पॉलिसी में परिवर्तित किया जाता है(हम इनके अर्थ भाग ब में देखेंगे) तथा किस प्रकार एक दावा किया जाता है। इस भाग में पॉलिसी के अन्तर्गत किसी निषेध(घों) का भी उल्लेख रहता है।

एक निषेध एक ऐसा कथन है कि कोई निश्चित जोखिम पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किया जाता है। यदि किसी ऐसे जोखिम से हानि हो जिसके कवर का निषेध हो तो बीमा कम्पनी द्वारा बीमा धन का भुगतान नहीं किया जायेगा। कोई निषेध सभी जीवन पॉलिसियों के लिए समान रूप से लागू होता है (यहाँ तक कि अन्य बीमा कम्पनियों द्वारा जारी पॉलिसी में भी)। इसका उदाहरण यह होगा कि पॉलिसी का भुगतान नहीं किया जायेगा यदि बीमित व्यक्ति बीमा पॉलिसी खरीदने के एक वर्ष के भीतर आत्महत्या करता है। किसी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रदर्शित/प्रस्तुत जोखिमों के कारण जोखिमांकक कुछ अन्य निषेध भी पॉलिसियों में लागू कर सकता है।

**उदाहरणतः जोखिमांकक ट्रेकिंग, वाटर राफिटिंग या पानी से सम्बन्धित अन्य विभिन्न खेलों आदि के समान साहसिक गतिविधियाँ जो बीमाकर्ता द्वारा जोखिमपूर्ण या खतरनाक माने जाते हैं से होने वाली मृत्यु का निषेध करने का निर्णय ले सकता है। हम अध्याय 4 में देखेंगे कि कोई जोखिमांकक ऐसा क्यों करेगा, हम देखेंगे कि कभी-कभी एक जोखिमांकक किस प्रकार एक खराब या उच्च जोखिम को संशोधित शर्तों पर स्वीकार करेगा।**

मूल जीवन बीमा पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों में कुछ विशेष परिवर्तन करने के लिए, खाली कागज पर पृष्ठांकन करके मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न किया जा सकता है। एक जीवन बीमा पॉलिसी पृष्ठांकन का उपयोग करके आसानी से संशोधित की जा सकती है। पृष्ठांकन पॉलिसी का ही भाग होता है।

### बीमा पॉलिसी सम्बन्धी सूचनाओं हेतु विवरणी

इरडा ने यह अनिवार्य कर दिया है कि प्रत्येक पॉलिसी के साथ पॉलिसी सम्बन्धी सूचनाओं हेतु विवरणी जारी की जानी चाहिए। पॉलिसी सूचना विवरणी में निम्न का उल्लेख होना चाहिए:-

- प्रीमियम भुगतान विधि तथा आवृति के लिए उपलब्ध सुविधा;
- पॉलिसी से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ या सेवा के लिए सम्पर्क किये जा सकने वाले व्यक्ति या कार्यालय का नाम व पता ;
- पॉलिसीधारक तथा नामित के पते में किसी परिवर्तन के बारे में बीमा कम्पनी को बताने का महत्व;,
- किसी शिकायत या असन्तुष्टि के मामले में क्या करना होता है; तथा
- बीमा लोकपाल के पते की सूचना ।

बीमा कम्पनी द्वारा जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तथा प्रथम प्रीमियम रसीद तथा पॉलिसी बाण्ड प्रस्तावक को जारी कर दी जाती है तो प्रस्तावक बीमा कवर प्राप्त कर लेता है। इस बिन्दु से आगे हम उन्हें प्रस्तावक नहीं कहेंगे वे अब पॉलिसीधारक हैं— वे लोग जो बीमा पॉलिसियाँ लेते हैं।

### ल 5 पृष्ठांकन, नोटिस तथा विवरण— पुस्तिकाएँ

#### प्रकरण—अध्ययन

श्री कुमार से वार्तालाप में नितिश शर्मा पूछता है कि क्या उसे संविदा में प्रीमियम भुगतान विधि तथा आवृति आदि में परिवर्तन करने की अनुमति होगी यदि हाँ तो, कैसे।

श्री कुमार नितिश को पृष्ठांकन के बारे में समझाता है। वह कुछ अन्य दस्तावेजों जैसे नोटिसों, तथा विवरण— पुस्तिकाओं की व्याख्या भी करता है जिसके आधार पर सर्वप्रथम नितिश का मन जीवन बीमा क्रय करने के बारें में तैयार हुआ था।

## ल 5 अ पृष्ठांकन

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा कम्पनी मूल पॉलिसी में परिवर्तन की अनुमति, पृष्ठांकन सलंगन करके देती है। पृष्ठांकन द्वारा बीमा धन, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान विधि तथा आवृत्ति, नामांकन तथा समनुदेशन आदि में परिवर्तन किया जाता है।

सादे कागज पर पृष्ठांकन अंकित करके पॉलिसी में परिवर्तन दर्शनों के लिए पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न किया जा सकता है।

पॉलिसीधारक द्वारा नामिति के नाम में परिवर्तन चाहने पर, पॉलिसी बाण्ड के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकन किया जा सकता है। इसी प्रकार, समनुदेशन भी पॉलिसी बाण्ड के पृष्ठ भाग पर पृष्ठांकन द्वारा किया जा सकता है। नामांकन तथा समनुदेशन के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा इस अध्याय के भाग व4अ तथा व4ब में की गई है।

## ल 2 ब नोटिस

पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा कम्पनी पॉलिसीधारक को निम्न प्रकार के नोटिस जारी करती है :-

- पॉलिसीधारक को प्रीमियम भुगतान की देय तिथि के बारे में याद दिलाने हेतु नोटिस;
- बोनस नोटिस;
- प्रीमियम में चूक या पॉलिसी कालातीत/व्यपगत होने का नोटिस ;
- पॉलिसी पुनरुज्जीवन के बारे में नोटिस;
- जीवित हितलाभ / उत्तरजीविता हितलाभ या परिपक्वता हितलाभ आदि देय होने का नोटिस;
- यूनिट लिंकड पॉलिसियों के सम्बन्ध में वार्षिक विवरणी;

यह ध्यान देना आवश्यक है कि उपरोक्त नोटिसें पॉलिसीधारकों को सूचनार्थ तथा केवल स्मरण दिलाने के लिए जारी की जाती है।

## ल 5 स विवरणिकाएँ

हमने भाग र 1 में देखा था कि बीमा कम्पनियों द्वारा विवरणिकाओं का उपयोग अपने उत्पादों की जानकारी प्रस्तुत करने तथा जनता द्वारा उन्हें क्रय करने में रुचि जाग्रत करने हेतु किया जाता है। इरडा (पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा) विनियम, अक्टूबर 2002, यथा संशोधित में उल्लेख है कि बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक बीमा योजना के लिए जारी की गई विवरणी में निम्न को स्पष्टतया व्यक्त किया जाना चाहिए:-

- प्रस्तावित लाभों का विस्तार/सीमाएँ ;
- शर्तें;
- वारन्टी, यदि कोई हो;
- शर्तें एवं निर्बन्धन;
- स्वत्वाधिकार;
- अपवाद; तथा
- बोनस में हिस्सेदारी अधिकार, यदि कोई हो।

यदि पॉलिसी प्रारम्भ होने के पश्चात बोनसे में हिस्सेदारी का अधिकार कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है, तो इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। इसमें स्पष्ट उल्लेख होना

चाहिए कि कौनसे लाभ गारंटीड और कौनसे गारंटीड नहीं है। विवरणिका में यह भी उल्लेखित होना चाहिए कि गैर गारंटीड लाभ पूर्व के समान भविष्य में नहीं भी हो सकते हैं तथा कि वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं।

## ल 6 दावे के समय आवश्यक दस्तावेज

जब एक बीमित घटना घटित होती है तथा दावे का भुगतान करना होता है तो बीमा कम्पनी को दावाकर्ता से कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, जीवन बीमा के लिए बीमा कम्पनी को इस प्रमाण की आवश्यकता होगी कि वास्तव में मृत्यु हुई है तथा इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। हम अध्याय 11 में दावे के समय आवश्यक दस्तावेजों पर दृष्टिपात करेंगे।

### संस्तुत क्रिया

किसी कम्पनी से प्रस्ताव फॉर्म एकत्रित करें। फॉर्म का विश्लेषण करें तथा वांछित सूचना की एक सूची तैयार करें।

बीमा से सम्बन्धित मुख्य दस्तावेजों में कई ऐसे शब्द (पद) शामिल होंगे जिनका बीमा में एक विशेष अर्थ होगा। एक बीमा पॉलिसी किस प्रकार कार्यान्वित की जाती है को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन शब्दों (पदों) का अर्थ समझा जाये। हम अगले भाग में कुछ मुख्य शब्दों (पदों) पर नजर डालेंगे।

### व मुख्य बीमा शब्दावली (पद)

हम पहले ही पिछले भाग में कुछ विशिष्ट बीमा पदों का उपयोग कर चुके हैं तथा इस भाग में हम इनकी तथा अन्य शब्दों (पदों) की व्याख्या करेंगे। आपको समझने में सहायता प्रदान करने के लिए हम मुख्य शब्दों (पदों) को निम्नांकित वर्गों में विभाजित करेंगे :—

- पॉलिसी के निरन्तर अस्तित्व में बने रहने से सम्बन्धित पद जैसे व्यपगत, चुकता मूल्य, समर्पण मूल्य। हम इस सन्दर्भ में पुनरुज्जीवन एवं नवीनीकरण की ओर ध्यान देंगे।
- पॉलिसी राशि प्राप्तकर्ता से सम्बद्ध पदः नामांकन तथा समनुदेशन; तथा
- एक पॉलिसी की प्रतिभूति के आधार पर प्रदान किये जाने वाले ऋण से सम्बद्ध पदः ऋण तथा मोचन निषेध।

### व 1 व्यपगत , चुकता मूल्य तथा समर्पण मूल्य

ये तीनो पद व्यक्त करते हैं कि बीमित द्वारा प्रीमियम भुगतान जारी रखने में असमर्थ होने पर क्या हो सकता है। किसी पॉलिसी विशेष के प्रचालन को वे किस प्रकार प्रभावित करेंगे जो इस पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों में वर्णित हैं।

### प्रकरण—अध्ययन

जब नितिश शर्मा बीमा कम्पनी से प्रथम प्रीमियम रसीद प्राप्त करता है, तो वह आश्वस्त हो जाता है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। तब वह अपनी पत्नी को अपने निवेश के बारे में बताता है। सुमेधा नितिश के निर्णय के प्रति आशंका व्यक्त करते हुए उससे पूछती है कि क्या होगा यदि वह भविष्य में प्रीमियम भुगतान में असमर्थ हो। क्या वह अपना निवेशित धन वापस पायेगा?

नितिश को कोई जानकारी नहीं है कि वह उसके प्रश्न का क्या उत्तर दे। वह अभिकर्ता श्री कुमार के पास पुनः जाता है तथा उससे पूछताछ करता है। तब श्री कुमार बताता है कि

यदि नितिश प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, तो पॉलिसी व्यपगत हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो नितिश बीमाकर्ता से पॉलिसी चुकता करने के लिए कह सकता है। वह नितिश को यह भी बताता है कि वह इसे समर्पित करके स्वैच्छा से पॉलिसी रद्द करा सकता है। इस स्थिति में बीमा कम्पनी कुछ शर्तों तथा निर्बन्धनों के अन्तर्गत समर्पण मूल्य का भुगतान करेगी।

नितिश शर्मा श्री कुमार द्वारा उपयोग किये जा रहे शब्दों (पदों) (व्यपगत, चुकता, समर्पण मूल्य) से भ्रमित हो जाता है तथा श्री कुमार से उनकों विस्तार से समझाने की प्रार्थना करता है। अतः श्री कुमार नितिश को पॉलिसी सम्बन्धित शर्तों को समझाना शुरू करता है।

किसी पॉलिसीधारक के पास तीन विकल्प होते हैं यदि वह निरन्तर प्रीमियम भुगतान वहन नहीं कर सकता है। ये हैं:-

यदि पॉलिसीधारक निरन्तर प्रीमियम भुगतान करना वहन नहीं कर सकता है तो भुगतान रोक दे तथा पॉलिसी को व्यपगत होने दे।  
पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में बदलवा दे।  
पॉलिसी को समर्पित कर दे।

## व 2 अ व्यपगमन

पॉलिसीधारक को बीमा कम्पनी के साथ सहमत देय तिथियों पर नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक होता है। बीमा कम्पनियाँ देय तिथि के बाद कुछ अनुग्रह दिनों की अनुमति देती है जिसके दौरान पॉलिसीधारक प्रीमियम का भुगतान कर सकता है जो समय के भीतर किया गया भुगतान माना जाता है। परन्तु यदि वह अनुग्रह दिनों में भी भुगतान नहीं करता है तो यह चूक मानी जाती है।

प्रिंमियम के भुगतान में चूक होने की स्थिति में बीमा कम्पनी संविदा समापन करने हेतु अधिकृत होती है। यह समापन व्यपगमन कहलाता है। पॉलिसी पर व्यपगमन के पश्चात् कोई दावा नहीं किया जा सकता है तथा सभी प्रीमियम जब्त हो जाते हैं।

### ध्यान रहे!

अनुग्रह अवधि सामान्यतया एक माह की होती है लेकिन वार्षिक, अर्द्धवार्षिक तथा त्रैमासिक प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन तथा मासिक प्रीमियम भुगतान के लिए 15 दिन से कम नहीं होती है। कुछ बीमाकर्ता मासिक प्रीमियम भुगतान के लिए भी 30 दिन अनुग्रह अवधि की अनुमति देते हैं।

व्यवहार में, बीमा अधिनियम किसी पॉलिसी के व्यपगमन होने पर बीमा कम्पनी को सभी प्रीमियम रख लेने की अनुमति नहीं देता है। इसका कारण है कि प्रत्येक पॉलिसी निम्न दो कारकों से कुछ राशि संचित / अर्जित करती है:-

- पॉलिसी अवधि के प्रारम्भिक वर्षों में प्रीमियम उचित / न्यायसंगत (संतुलित प्रिमियम) से अधिक होते हैं तथा
- प्रीमियम में बचत तत्व होता है।


पॉलिसीधारक के हित में यह अच्छा नहीं होगा यदि बीमाकर्ता इस संचय को जब्त कर लें। प्रीमियम में चूक होने की स्थिति में पॉलिसी की शर्तें पॉलिसीधारकों को विभिन्न सुरक्षा उपाय प्रदान करती हैं। ये प्रावधान गैर-जब्ती प्रावधान कहलाते हैं। पॉलिसी को चुकता बनाया जा

सकता है यदि पर्याप्त प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है क्योंकि पॉलिसी में एक बचत तत्व होता है। पॉलिसीधारक जब इसकी प्रार्थना करता है तो संविदा की प्रकृति के अनुसार भुगतान किये गये प्रीमियम की संख्या के आधार पर यह स्वतः ही चुकता बन जाती है।

### व 1ब चुकता मूल्य

यदि कोई पॉलिसीधारक किसी पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान में असमर्थ रहता है तथा पॉलिसी व्यपगत हो जाती है जिसका कुछ मौद्रिक मूल्य होता है जैसे एक बन्दोबस्ती या बचत योजना, तो बीमा कम्पनी पूर्ण बीमा धन भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होती है। ऐसी व्यपगत पॉलिसी एक चुकता पॉलिसी बन जाती है। चुकता पॉलिसी में भुगतान किये जा चुके प्रीमियमों की राशि के आधार पर बीमा धन घटा दिया जाता है।

चुकता मूल्य की गणना का सूत्र है:-



बीमा कम्पनियाँ इस बात पर बल देती है कि चुकता मूल्य के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि एक निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी। यदि चुकता मूल्य इस न्यूनतम राशि से कम होता है, तो गैर- जब्ती लाभ लागू नहीं होंगे तथा पॉलिसी व्यपगत हो जायेगी। पॉलिसीधारक समर्पण मूल्य प्राप्त कर सकता है। (जिसकी हम भाग व 1 स में चर्चा करेंगे)

सामान्यतया बीमा कम्पनियाँ पॉलिसीधारकों को किसी सामान्य पॉलिसी को चुकता पॉलिसी में परिवर्तित करने का अधिकार प्रदान करती है यदि उन्होंने न्यूनतम तीन वर्षों का प्रीमियम भुगतान कर दिया है। इस अवधि के बाद यदि पॉलिसीधारक शेष प्रीमियम भुगतान में असमर्थ होता है तब चुकता मूल्य विकल्प के अन्तर्गत पॉलिसी निरस्त नहीं होती है तथा बीमा धन भुगतान किये जा चुके प्रीमियमों के अनुपात में घटा दिया जाता है। यदि बीमा धन से सम्बद्ध अन्य कोई लाभ भुगतान योग्य होते हैं तो यह लाभ अब चुकता मूल्य अर्थात् घटे हुए बीमा धन पर लागू होंगे।

बोनस का क्या होता है यदि किसी लाभ-युक्त पॉलिसी में चुकता मूल्य स्वीकृत किया जाता है? किसी लाभ-युक्त पॉलिसी के चुकता मूल्य की गणना करते समय, पहले से निहित या प्रदत्त बोनस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल बीमा धन भुगतान किये जा चुके प्रीमियम के अनुपात में घट जाता है। चुकता मूल्य की गणना करने के लिए घटे हुए बीमा धन में प्रदत्त बोनस जोड़ दिया जाता है। परन्तु कोई चुकता पॉलिसी भविष्य में बोनस अर्जित नहीं करेगी।

### उदाहरण

राकेश सिंह के पास एक बन्दोबस्ती पॉलिसी है। पॉलिसी के विवरण निम्नानुसार हैं:-

पॉलिसी अवधि	20 वर्ष
पॉलिसी आरम्भ तिथि	4 जून 2001
बीमा धन	रु. 5,00,000
प्रीमियम भुगतान विधि	वार्षिक
अन्तिम भुगतान किया गया प्रीमियम	4 जून 2008

भुगतान किये गये प्रीमियमों की संख्या	8
कुल देय प्रीमियमों की संख्या	20
निहित बोनस	रु. 50,000

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, राकेश सिंह 8 वर्ष बाद प्रीमियम भुगतान रोक देता है। पॉलिसी पूर्णतया निरस्त नहीं होगी। इसके स्थान पर बीमा धन भुगतान किये जा चुके प्रीमियम के अनुपात में घट जाएगा।

$$\begin{aligned}
 \text{चुकता मूल्य} &= [(भुगतान किये गये प्रीमियमों की संख्या/कुल भुगतान योग्य प्रीमियमों की संख्या) \times \text{बीमा धन}] \\
 &= [8/20 \times 5,00,000] + 50,000 \text{ रु.} \\
 &= 2,00,000 + 50,000 \text{ रु.} \\
 &= 2,50,000 \text{ रु.}
 \end{aligned}$$

पॉलिसी का चुकता मूल्य रु. 2,50,000 होगा।

## व 1 स समर्पण मूल्य

हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं कि यदि पॉलिसीधारक भविष्य के प्रीमियम भुगतान नहीं कर सकता है तो पॉलिसी के अन्तर्गत दावा उत्पन्न होने या परिपक्वता से पूर्व समर्पित कर निरस्त करवा सकते हैं तथा उन्हें तुरन्त समर्पण मूल्य का भुगतान किया जाता है। पॉलिसी के अन्तर्गत कुछ न्यूनतम मूल्य अवश्य सम्बद्ध हो गया हो, उदाहरणार्थ एक बन्दोबस्ती या एक बचत योजना। पॉलिसी का समर्पण संविदा का स्वैच्छिक समापन है। बीमा कम्पनियाँ एक पॉलिसी को समर्पित किये जा सकने के पूर्व तीन से पाँच वर्ष की न्यूनतम अवधि अनुबन्धित होती है। समर्पण मूल्य या नकद मूल्य वह राशि है जिसका भुगतान करने हेतु बीमा कम्पनी उत्तरदायी होती है। समर्पण मूल्य प्रायः भुगतान किये गये प्रीमियम या चुकता मूल्य का एक निर्धारित प्रतिशत होता है।

समर्पण मूल्य की गणना भुगतान किये गये कुल प्रीमियम राशि के आधार पर की जाती है। अतः

समर्पण मूल्य कम होगा यदि पॉलिसी की अवधि कम होती है।
यदि एक 25 वर्ष अवधि की पॉलिसी पाँच वर्ष पश्चात् समर्पित की जाती है, तो भुगतान की गई प्रीमियम राशि दस वर्ष पश्चात् समर्पित पॉलिसी की तुलना में कम होती है। इस प्रकार समर्पण मूल्य पूर्व में भुगतान किये जा चुके प्रीमियम पर निर्भर करता है, दस वर्ष पश्चात् समर्पित पॉलिसी के लिए यह पाँच वर्ष पश्चात् समर्पित उसी पॉलिसी की तुलना में उच्च होगा।
एक लम्बी अवधि पॉलिसी के लिए एक अल्प अवधि पॉलिसी की तुलना में समर्पण मूल्य कम होगा यदि दोनों एक समान वर्षों के पश्चात् समर्पित की जाती है।

दो पॉलिसियों अ तथा ब पर विचार करें। पॉलिसी अ की अवधि 15 वर्ष है तथा पॉलिसी ब की 20 वर्ष है। दोनों पॉलिसियों दस वर्ष पश्चात् समर्पित की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष भुगतान किया गया प्रीमियम समान है। पॉलिसी अ के लिए समर्पण मूल्य पॉलिसी ब की तुलना में उच्च होगा क्योंकि अ में दो तिहाई अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है जबकि ब के लिए केवल आधी अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया है।

पॉलिसी की अवधि पॉलिसी की समर्पण तिथि तथा पॉलिसी की आरम्भ तिथि के मध्य अलग अलग होती है जैसे:-



उदाहरण के लिए, यदि पॉलिसी समर्पण की तिथि 14 फरवरी 2011 है तथा पॉलिसी आरम्भ की तिथि 7 जनवरी 2001 थी, तो पॉलिसी की अवधि दस वर्ष (दस वर्ष, एक माह तथा सात दिन) होगी।

पॉलिसीधारक ने केवल पाँच वर्ष के प्रीमियम का ही भुगतान किया हो, परन्तु समर्पण कारक दस वर्ष के लिए लिया जायेगा न कि पाँच वर्ष के लिए।

बीमा कम्पनी द्वारा विवरण पुस्तिका या पॉलिसी दस्तावेज में न्यूनतम गारंटीड समर्पण मूल्य को उल्लेखित करना विधिक रूप से आवश्यक है जो कि भुगतान किये गये प्रीमियम के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तथापि बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाने वाला वास्तविक समर्पण मूल्य गारंटीड समर्पण मूल्य से अधिक होता है।

## व 2 पुनरुज्जीवन

### प्रकरण—अध्ययन

श्री कुमार नितिश शर्मा को बीमा पॉलिसी निरस्त न करवाने सलाह देता है। इसके दो कारण हैं। पहला यह है कि जोखिम कवर निरस्त हो जाता है, नितिश विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर ज्यादा असुरक्षित हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि नितिश बाद में अधिक आयु होने पर कोई नई बीमा पॉलिसी खरीदता है, तो उसे उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा।


श्री कुमार फिर नितिश शर्मा को सूचित करता है कि यदि वह किसी कारण से प्रीमियम भुगतान नहीं कर पाता है तथा पॉलिसी व्यपगत हो जाती है, तो बीमा कम्पनी उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर उन्हीं मूल या संशोधित शर्तों पर पॉलिसी को पुनर्जीवित करने का मौका देती है।

जब कोई पॉलिसी व्यपगत हो जाती है तो यह न तो बीमाकर्ता और न ही बीमित को लाभान्वित करती है। बीमित पूरी राशि के लिए बीमा जोखिम कवर खो देता है तथा कोई दावा उत्पन्न होने की स्थिति में संभावित विपरीत परिस्थितियों में अनावृत हो जाता है। बीमाकर्ता की भी हानि होती है। संतुलित प्रीमियम इस प्रत्याशा पर आधारित होता है कि मृत्यु दावा उत्पन्न नहीं होने की स्थिति में पॉलिसी पूरी अवधि तक चलेगी। पॉलिसी जारी करने में प्रारम्भिक व्यय अधिक होता है और बीमाकर्ता उनकी प्रतिपूर्ति तभी कर सकता है जब पॉलिसी प्रभावी बनी रहे। सामान्यतः खराब स्वास्थ्य वाले लोग अपनी पॉलिसियों को जारी रखना चाहते हैं जबकि अच्छे स्वास्थ्य वाले लोग अपनी पॉलिसियों व्यपगत या समर्पित करने के इच्छुक हो सकते हैं। यह विपरीत चयन के रूप में फलित होता है। इसका अर्थ है कि बीमाकर्ता का दायित्व बीमा की लागत निर्धारित करते समय आकलित दायित्व से अधिक होगा।

चूंकि व्यपगमन दोनों पक्षकारों को बुरी तरह प्रभावित करता है; बीमा कम्पनियाँ व्यपगत पॉलिसियों को पुनः पूरे अस्तित्व में लाना संभव बनाती है। यह प्रक्रिया पुनरुज्जीवन कहलाती है। बीमा कम्पनियाँ पॉलिसीधारक को किसी व्यपगत पॉलिसी के पुनरुज्जीवन का विकल्प प्रदान करती है। विभिन्न बीमाकर्ताओं की पुनरुज्जीवन के लिए अलग अलग योजनाएँ होती हैं; ये सभी योजनाएँ पॉलिसीधारकों को व्यपगत पॉलिसियों को किश्त पुनरुज्जीवन तथा

ऋण—सह—पुनरुज्जीवन योजना आदि सहित आसान शर्तों पर पुनरुज्जीवन की सुविधा प्रदान करती है।

किसी पॉलिसी के पुनरुज्जीवन के लिए, निम्न औपचारिकताएँ साधारणतया अनिवार्य होगी :—



कुछ बीमाकर्ता किसी पॉलिसी के पुनरुज्जीवन की अनुमति नहीं देते हैं यदि वह पाँच वर्षों से अधिक समय तक व्यपगत रही हो। पॉलिसी के पुनरुज्जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य के प्रमाण की आवश्यकता व्यपगमन की अवधि तथा बीमा धन के आधार पर अलग अलग होती है।

### व 3 नवीनीकरण

भाग 7 में हमने संक्षेप में देखा है कि पॉलिसी के पुनरुज्जीवन का आशय क्या है।

नवीनीकरण के लिए नोटिस भेजते समय, बीमा कम्पनी उस पॉलिसी धारक द्वारा पूल के लिए प्रस्तुत जोखिम पर पुनः नजर डाल सकती है। तदनुसार वह भिन्न शर्तों पर या उच्च प्रीमियम पर नवीनीकरण प्रस्तावित करने का चयन कर सकती है। पॉलिसीधारक को यह भी बताया जायेगा कि प्रथम बार पॉलिसी लेने से अब तक किसी सारभूत तथ्य में हुऐ परिवर्तितों को बीमा कम्पनी को बताना जरूरी होगा। तत्पश्चात् नोटिस पॉलिसीधारक को समझायेगा कि पॉलिसी को नवीनीकृत करने के लिए उसे क्या करना होगा।

अब यह पॉलिसीधारक के हाथ में होता है कि वह प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करें।

यदि वे प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो उन्हें निर्देशों का पालन करना होगा तथा एक नई पॉलिसी आरम्भ हो जायेगी। यदि वे प्रस्ताव अस्वीकार करते हैं तब कवर समाप्त हो जायेगा।

## व 4 नामांकन तथा समनुदेशन

### प्रकरण—अध्ययन

नितिश शर्मा अपनी बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत प्रस्तावित लाभों एवं विशेषताओं पर विचार एवं मंथन करता है तथा उन अन्य शर्तों पर ध्यान देता है जिसे वह समझ नहीं पाता है। वह अभिकर्ता श्री कुमार से सम्पर्क करके सहायता मांगता है।

वह पूछता है कि प्रस्ताव फॉर्म भरते समय श्री कुमार नामांकन पर जोर क्यों देता है। नितिश यह भी पूछता है कि 'समनुदेशन क्या है? तथा यह कैसे किया जाता है?'

## व 4 अ नामांकन

नामांकन द्वारा बीमित व्यक्ति किसी व्यक्ति(यों) के नाम का प्रस्ताव करता है जिन्हें बीमा कम्पनी उसकी मृत्यु के पश्चात् बीमा धन का भुगतान करेगी। बीमित व्यक्ति नामिती के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है। नामिती वैध निकासी / उन्मोचन के लिए अधिकृत होते हैं तथा उन्हें स्वत्वाधिकार प्राप्त व्यक्तियों की ओर से द्रस्टी के रूप में धन प्राप्त करने का अधिकार होता है। नामांकन पॉलिसी खरीदते समय या बाद में किया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकता है। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 39 के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति अपने जीवन पर ली गई पॉलिसी हेतु किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामिती नियुक्त कर सकता है जिन्हें उसकी मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसी दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।

### ध्यान रहे!

जब समनुदेशन(नीचे भाग व 4 ब में देखें) किया जाता है तो नामांकन प्रभावी नहीं रहता है। किसी बीमा कम्पनी द्वारा बीमा पॉलिसी पर दिये गये ऋण के प्रतिफल में किये गये समनुदेशन में अपवाद रूप में नामांकन वैध रहता है।

### नामांकन के महत्वपूर्ण लक्षण

पृष्ठांकन द्वारा नामांकन परिवर्तित किया जा सकता है। यदि पॉलिसी दस्तावेज में पर्याप्त स्थान नहीं हो तो, सादे कागज पर नामांकन किया जा सकता है तथा बीमित व्यक्ति के हस्ताक्षर सहित पॉलिसी दस्तावेज के साथ संलग्न किया जाता है। बीमित व्यक्ति द्वारा पॉलिसी अवधि के दौरान नामांकन निरस्त या परिवर्तित किया जा सकता है।

किसी संयुक्त जीवन पॉलिसी में नामांकन आवश्यक नहीं होता है क्योंकि किसी एक बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर ; पॉलिसी राशि दूसरे जीवित बीमित व्यक्ति को भुगतान योग्य देय होती है। तथापि, दोनो बीमित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किसी व्यक्ति को बीमा धन प्राप्ति हेतु नामित किया जा सकता है। यदि दोनो बीमित व्यक्तियों की एक साथ मृत्यु हो जाये तो नामित को भुगतान किया जाता है।

नामांकन केवल नामित को बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर पॉलिसी राशि प्राप्त करने का अधिकार देता है। नामित का पूरे (या आंशिक) दावे पर कोई अधिकार नहीं होता है।

ऐसे मामलों में, जब नामित अवयस्क होता है, पॉलिसीधारक को एक नियुक्त व्यक्ति (एप्वांइटी) नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। किसी नियुक्त व्यक्ति को एक नियुक्त व्यक्ति के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति दर्शाने के लिए नामांकन हेतु पृष्ठांकन में हस्ताक्षर करना जरूरी होता है। नामिति के वयस्क हो जाने पर नियुक्त व्यक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती

है। बीमित व्यक्ति किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति को बदल सकता है। यदि कोई नियुक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया हो तथा नामित अवयस्क हो, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर दावे का भुगतान पॉलिसीधारक के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाता है।

जहाँ एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में नामांकन किया जाता है, तब उन्हें संयुक्त रूप से, या जीवित नामिती या नामितियों को दावा भुगतान किया जायेगा। किसी भी नामित को कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं दिया जा सकता है। यथाक्रम नामितियों के पक्ष में भी किया जा सकता है जैसे रश्मि गुप्ता तथा इनके जीवित न रहने पर या अयोग्यता की स्थिति में पल्लवी गुप्ता तथा इनके जीवित न रहने पर या अयोग्यता की स्थिति में माधव गुप्ता।

पॉलिसी आरम्भ होने के बाद किया गया नामांकन बीमाकर्ता को सूचित करने पर प्रभावी होता है।

यदि नामित बीमित व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् लेकिन दावा भुगतान के पूर्व मर जाता है, तब बीमा धन बीमित व्यक्ति की सम्पत्ति का एक भाग बन जायेगा तथा उसके विधिक उत्तराधिकारियों को भुगतान किया जायेगा।

### उदाहरण

विशाल मेहता एक वरिष्ठ एच आर एक्जीक्यूटिव है। 28 वर्ष की आयु में वह एक बन्दोबस्ती पॉलिसी खरीदता है वह अपने 2 वर्षीय पुत्र मोहित को पॉलिसी में नामित करता है। इसमें नियुक्त व्यक्ति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, तथा विशाल अभिकर्ता को वचन देता है कि वह एक नियुक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर बाद में करा देगा। 35 वर्ष की आयु में विशाल की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। अपने द्वारा की गई वसीयत में विशाल अपने पिता को विधिक उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

विशाल की मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी बच्चे की नैसर्गिक संरक्षक बन जाती है। क्या वह मोहित के नैसर्गिक संरक्षक के रूप में पॉलिसी राशि के लिए दावा कर सकती है।

इसका उत्तर “नहीं” है। अवयस्क का नैसर्गिक या नियुक्त संरक्षक पॉलिसी राशि का हकदार नहीं होता है। यदि विशाल अपनी पत्नी को एक नियुक्त व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता, केवल तब ही वह पॉलिसी राशि प्राप्त करने की अधिकारी होती क्योंकि नामित मोहित अवयस्क है।

इस मामले में वसीयत के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी के रूप में विशाल के पिता को पॉलिसी राशि दी जायेगी।

### व 4 ब समनुदेशन

समनुदेशन से तात्पर्य किसी बीमा पॉलिसी में हक, अधिकार तथा हित का अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण से है।

**समनुदेशक—** बीमा पॉलिसी में अपने हक का हस्तान्तरण कर रहा व्यक्ति समनुदेशक कहलाता है।

समनुदेशक वयस्क होना चाहिए तथा पॉलिसी में पूर्ण हक रखने वाला होना चाहिए।

**समनुदेशिती —** व्यक्ति या संस्थान जिसे पॉलिसी हस्तान्तरित की जाती है, समनुदेशिती कहलाता है।

एक बार जब पॉलिसी समनुदेशित कर दी जाती है तो समनुदेशक ग्राही पॉलिसी का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है तथा पॉलिसी से सम्बन्धित किसी भी विषय में उसे समनुदेशक की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार समनुदेशन होने के पश्चात् समनुदेशक उसे निरस्त या

किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तथापि पॉलिसी समनुदेशिती द्वारा समनुदेशक के पक्ष में पुनः समनुदेशित की जा सकती है।

### ध्यान रहे!

यद्यपि समनुदेशन ग्राही पॉलिसी के समनुदेशन होने पर हकदार बन जाता है लेकिन वह पॉलिसी में नामांकन नहीं कर सकता है क्योंकि समनुदेशनग्राही बीमित व्यवित नहीं होता है।

बीमा अधिनियम की धारा 38 बीमा पॉलिसियों के समनुदेशन से सम्बन्धित विधिक प्रावधान उल्लेखित करती है। इसमें उल्लेख है कि:-

- समनुदेशन पॉलिसी पर ही पृष्ठांकन द्वारा या एक पृथक् विलेख द्वारा किया जा सकता है। जब समनुदेशन पॉलिसी पर एक पृष्ठांकन द्वारा किया जाता है, तो कोई स्टैम्प शुल्क आवश्यक नहीं होता है। पृथक् विलेखों में स्टैम्प लगाना होता है।
- इसे समनुदेशक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
- हस्ताक्षर किसी साक्षी द्वारा सत्यापित होने चाहिए।
- निष्पादित करते ही समनुदेशन प्रभावी हो जाता है।
- बीमा कम्पनी को एक नोटिस के साथ समनुदेशन के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
- समनुदेशन तभी प्रभावी होता है जब बीमा कम्पनी को समनुदेशन के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हो जाता है।
- जब समनुदेशन के एक से अधिक विलेख होते हैं तो, दावों की प्राथमिकता उस क्रम से निर्धारित की जाती है जिसमें बीमाकर्ता को नोटिस सौंपे गये हैं।

### समनुदेशन के प्रकार

**सशर्त समनुदेशन—** एक विशिष्ट शर्त की पूर्ति होने पर स्वतः ही समनुदेशक को पॉलिसी में पुनः हित प्राप्त हो जाता है।

**परम समनुदेशन—**समनुदेशिती पॉलिसी में हकदार बन जाता है तथा पॉलिसी के साथ अपनी इच्छानुसार तरीके से व्यवहार कर सकता है।

### उदाहरण:—

एक सशर्त समनुदेशन स्वतः अप्रभावी हो जाता है जब:-

- समनुदेशिती समनुदेशक से पहले मर जाता है या
- समनुदेशक परिपक्वता तिथि तक जीवित रह जाता है।

### व 5 ऋण तथा मोचन निषेध

#### प्रकरण अध्ययन

अभिकर्ता श्री कुमार तथा नितिश शर्मा की पूर्व वर्णित वार्तालाप के दौरान नितिश शर्मा, श्री कुमार से कहता है कि उसने सुना है कि एक जीवन बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण प्राप्त करना संभव है। क्या यह सत्य है?

अब देखते हैं कि श्री कुमार इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देगा।

### व 5 अ पॉलिसी के विरुद्ध ऋण

पॉलिसीधारक के पास अपनी बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण लेने का विकल्प रहता है यदि शर्ते एवं निर्बन्धन ऐसी सुविधा प्रदान करें। ऋण सभी पॉलिसियों पर नहीं दिया जाता है। एक बीमा पॉलिसी के विरुद्ध ऋण के मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- ऋण राशि:-बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध ऋणों में, ऋण राशि पॉलिसी के समर्पण मूल्य का एक निश्चित प्रतिशत होती है।
- बन्दोबस्ती पॉलिसियों, सम्पूर्ण जीवन पॉलिसियों तथा कुछ अन्य पॉलिसियों में पॉलिसीधारकों को बीमाकर्ता कुछ निर्धारित शर्तों पर ऋण स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार की पॉलिसियों में बचत तत्व होता है। उन पॉलिसियों के विरुद्ध ऋण नहीं लिया जा सकता है जिनमें पॉलिसी अवधि के दौरान बीमा धन का एक या अधिक भागों में पुनर्भुगतान (मनी-बैंक) किया जाता है। अवधि बीमा पॉलिसियों का कोई समर्पण मूल्य नहीं होता है अतः ऋण प्राप्त करने हेतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है।
- ऋण लेने के लिए बीमा पॉलिसी का बीमा कम्पनी के पक्ष में परम समनुदेशन किया जाना जरूरी होता है। पॉलिसी के अन्तर्गत ऋण प्राप्ति के लिए बीमा कर्ता के पक्ष में किया गया समनुदेशन वर्तमान नामांकन को अवैध नहीं बनाता है।
- पॉलिसी की अवधि के दौरान ऋणी ऋण का आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान कर सकता है। ऋणी दावा उत्पन्न होने तक पुनर्भुगतान स्थगित रखने का विकल्प का भी उपयोग कर सकता है।
- यदि पॉलिसीधारक प्रीमियम का नियमित रूप से भुगतान करता रहता है तो समर्पण मूल्य बढ़ता जाता है तथा किसी बिन्दु पर बकाया ऋण तथा ब्याज से अधिक हो जाता है।

### ध्यान रहे!

बैंक भी पॉलिसी के कुल समर्पण मूल्य के 75% से 90% तक ऋण प्रदान करती है।

### व 5 ब मोचन निषेध

कोई बीमा पॉलिसी दो तरह से समर्पित की जा सकती है।

- पॉलिसीधारक द्वारा समर्पण; तथा
- बीमाकर्ता द्वारा समर्पण (निषेध)।

यदि ऋणी ब्याज या ब्याज तथा मूल का भुगतान नहीं करता है तो ब्याज सहित बकाया ऋण भुगतान योग्य दावे (परिपक्वता या मृत्यु पर) में से समायोजित (कटौती) कर लिया जाता है। जब बीमाकर्ता द्वारा कोई पॉलिसी समर्पित (निरस्त) की जाती है, तो यह मोचन निषेध कहलाता है। केवल व्यपगत पॉलिसियों के मामले में बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी निषेधित की जायेगी। ऋण देते समय पॉलिसी चालू रहती है, तदनुपरान्त पॉलिसी व्यपगत हो जाती है, अर्थात् पॉलिसीधारक न तो प्रीमियम का भुगतान करता है और न ही ऋण पर ब्याज या मूल ऋण का भुगतान करता है।

निषेध के दो मूल कारण हो सकते हैं:-

- ऋणी पॉलिसी अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान करने का चयन करता है परन्तु ऐसा करने में असमर्थ रहता है; या
- उधार (ऋण) पॉलिसी अवधि के दौरान तब तक संचित रहता है जब तक दावा उत्पन्न न हो जाये तथा संचित उधार (ऋण) पॉलिसी के समर्पण मूल्य से अधिक हो जाता है। चुकता पॉलिसियों में, समर्पण मूल्य संचित ब्याज के समान तेजी से नहीं बढ़ता है। कुछ समय पश्चात् मूल ऋण तथा ब्याज समर्पण मूल्य से अधिक हो जाता है। ऐसे मामलों में मोचन निषेध अनिवार्य होता है।

ऋणी को ऋण पर बकाया ब्याज के पुनर्भुगतान की प्रार्थना करते हुए मोचन निषेध का एक नोटिस जारी किया जाता है। यदि ऋणी ब्याज भुगतान में असफल रहता है तो पॉलिसी के निषेधित हो जाती है अर्थात् ऋण को समर्पित / ऋण तथा बकाया ब्याज का निपटारा करने के पश्चात् शेष समर्पण मूल्य (यदि कोई हो) का भुगतान पॉलिसी धारक को कर दिया जाता है। पॉलिसीधारक को उक्त बकाया राशि के लिए एक डिस्चार्ज वाउचर प्रस्तुत करना होता है।

#### **क्या एक निषेधित पॉलिसी पुनर्स्थापित की जा सकती है?**

निषेधित पॉलिसी पॉलिसीधारक द्वारा शेष समर्पण मूल्य पाने के लिए डिस्चार्ज वाउचर प्रस्तुत करने से पूर्व पुनर्स्थापित की जा सकती है। पॉलिसी की पुनर्स्थापना के लिए, पॉलिसीधारक को बकाया ब्याज का भुगतान तथा “अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा” जमा करवानी होगी।

#### **मोचन निषेध के मामले में नामांकन का क्या होता है?**

मोचन निषेध से नामांकन अप्रभावी हो जाता है। यदि समर्पण मूल्य के भुगतान से पूर्व कोई दावा उत्पन्न हो जाता है, तब भुगतान मृत बीमित के विधिक उत्तराधिकारियों को किया जाता है।

बीमा में उपयोग किये जाने वाले उपरोक्त शब्दों/ पदों की व्याख्या से इस विषय का समापन किया जा रहा है। तथापि इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व, एक बार फिर प्रीमियम के विषय पर लौटते हैं। आपने इस अध्याय का अध्ययन करने के परिणामस्वरूप यह अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि प्रीमियम का भुगतान यह सुनिश्चित करने में आवश्यक होता है कि बीमा कवर यथावत बना रहे। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अधिक विस्तार से जानने की आवश्यकता है।

#### **श. प्रीमियम भुगतान तथा वैध कवर की सम्बद्धता**

जब एक बीमा पॉलिसी खरीदी जाती है तो जोखिम बीमित से बीमाकर्ता को हस्तान्तरित हो जाता है। इस जोखिम हस्तान्तरण के प्रतिफल के रूप में, पॉलिसीधारक को बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि प्रस्तावक प्रीमियम का भुगतान नहीं करें तो पॉलिसी कभी भी अस्तित्व में नहीं आती है। अध्याय 3 के प्रथम भाग में हमने देखा है कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी संविदा के वैध होने के लिए प्रतिफल आवश्यक होता है। यदि प्रस्तावक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है, तो कोई प्रतिफल नहीं है तथा अतः कोई संविदा अस्तित्व में नहीं आयेगी। भाग ल 3 अ में हमने देखा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रथम प्रीमियम रसीद बीमा संविदा प्रारम्भ हो चुकी है इसका साक्ष्य होती है।

जैसे ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तथा प्रथम प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है, बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन मृत्यु दावा भुगतान के लिए उत्तरदायी हो जाती है। परन्तु यदि पॉलिसीधारक तदुपरान्त प्रीमियम भुगतान में चूक करता है, तो पॉलिसी व्यपगत हो जाती है तथा यदि कोई अप्रिय घटना घटित हो जाती है तो वे पॉलिसी

के अन्तर्गत लाभ पाने के हकदार नहीं रहते हैं। अधिक से अधिक वे भुगतान किए गए कुछ प्रीमियम की वापसी की आशा कर सकते हैं। हमने इस स्थिति को भाग व 1 अ में देखा है।

उपरोक्त चर्चा से आप देखेंगे कि प्रस्तावक ने जिस सुरक्षा को पाने की आकांक्षा हेतु बीमा क्रय किया था, के लिए वैध संविदा प्रभावी हो, के लिए प्रीमियम का भुगतान हो कितना आवश्यक है।

### **प्रकरण—अध्ययन**

नितिश शर्मा अपनी पॉलिसी के बारे में बहुत चिन्तित रहे हैं तथा कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर हेतु अन्तिम बार पुनः श्री कुमार से सम्पर्क करते हैं। वह पूछते हैं कि क्या होगा यदि उसे एक बीमारी के कारण प्रीमियम भुगतान में देरी हो जाती है तथा तत्पश्चात् वह उसका भुगतान करने के पूर्व मर जाते हैं? क्या होता है यदि अपने प्रीमियम चैक को डाक घर में प्रेषण के पश्चात् लौटते समय उसकी हत्या कर दी जाती है? क्या वह तब भी कवर रहेगा या सुमेधा सारी सुरक्षा खो देगी जिसको उपलब्ध कराने के लिए वह इतना कठिन परिश्रम करता है? श्री कुमार धैर्यपूर्वक एक बार फिर नितिश के प्रश्नों के उत्तर देता है।

**क्या होता है यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तथा प्रीमियम का भुगतान नहीं हुआ हो?**

जब तक भुगतान में विलम्ब बीमा कम्पनी द्वारा दिये गये अनुग्रह दिनों के भीतर होता है, तब तक बीमा कम्पनी नामित या विधिक लाभग्रहिता को दावे के पूर्ण भुगतान हेतु उत्तरदायी होगी। बीमा कम्पनी भुगतान नहीं किये गये प्रीमियम को दावे राशि में से काटेगी।

**कब प्रीमियम भुगतान किया गया माना जाता है?**

प्रीमियम केवल तभी भुगतान किया गया माना जाता है जब बीमा कम्पनी राशि प्राप्त करती है। यदि भुगतान चैक,डिमाण्ड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर द्वारा किया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान किया गया तब माना जाता है जब बीमा कम्पनी राशि प्राप्त करती है। यदि भुगतान चैक,डिमाण्ड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर द्वारा किया जाता है तो प्रीमियम का भुगतान किया गया तब माना जाता है जब राशि बीमा कम्पनी के खाते में जमा हो जाती है। तथापि, व्यवहार में, प्रीमियम तब भुगतान किया गया माना जाता है जब किसी रूप में भुगतान प्राप्त हो जाता है।

**क्या होगा यदि बीमित की मृत्यु चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट / मनी-ऑर्डर के पारगमन के दौरान हो जाती है?**

यदि बीमित की मृत्यु चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ मनी-ऑर्डर पारगमन के दौरान हो जाती है, जैसे चैक, डिमाण्ड ड्राफ्ट या मनी ऑर्डर पॉलिसीधारक द्वारा जारी कर दिया जाता है लेकिन बीमा कम्पनी ने प्राप्त नहीं किया हो, तब बीमा कम्पनी इन प्रपत्रों को भेजने का प्रमाण मांगती है। यह प्रमाण “डिमाण्ड ड्राफ्ट” तथा “मनी ऑर्डर” जैसे प्रपत्रों के लिए दिया जा सकता है। बीमा कम्पनी ऐसे मामलों में प्रमाण प्रस्तुत करने पर यह मान लेती है कि प्रीमियम का भुगतान किया जा चुका है परन्तु यदि चैक डाक द्वारा भेजा गया है तो बीमा कम्पनी को डाक प्रेषण का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

### **मुख्य बिन्दु**

**बीमा पॉलिसियाँ किस प्रकार ली एवं तैयार की जाती हैं**

- बीमा कम्पनियाँ विवरण— पुस्तिकाओं तथा विज्ञापनों द्वारा अपने उत्पादों में रूचि पैदा करती है।
- कोई उत्पाद किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है या नहीं इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचार करके ही इसे खरीदना चाहिए।
- जीवन बीमा एकल या संयुक्त जीवन के आधार पर प्रस्तावक के जीवन या अन्य

<b>व्यक्ति के जीवन पर प्रदान किया जा सकता है।</b>
<b>मुख्य दस्तावेज</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रस्ताव फॉर्म सूचना का एक मुख्य स्रोत होता है जिसके माध्यम से जोखिमांक प्रस्ताव के जोखिम का आंकलन करता है।</li> <li>एक वैध आयु प्रमाण के रूप में लिये जा सकने वाले कुछ दस्तावेज, हाई स्कूल परीक्षा की अंक तालिका, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आई.डी./मतदाता पहचान पत्र आदि हैं।</li> <li>बीमा कम्पनी प्रथम प्रीमियम रसीद (<b>FPR</b>) जारी करके प्रस्तावक को सूचित करती है कि उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है तथा कम्पनी द्वारा प्रीमियम प्राप्त किया जा चुका है।</li> <li>बीमा कम्पनी नवीनीकरण प्रीमियम रसीदें (<b>RPR</b>) जारी करती है जब वह पॉलिसीधारक से आगामी प्रीमियम प्राप्त करती है।</li> <li>पॉलिसी दस्तावेज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह बीमा कम्पनी तथा बीमित के मध्य संविदा का प्रमाण होता है।</li> <li>बीमा कम्पनी पृष्ठांकन के द्वारा मूल पॉलिसी दस्तावेज में परिवर्तन की अनुमति देती है।</li> </ul>
<b>मुख्य बीमा पद</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>देय तिथियाँ वे तिथियाँ होती हैं जिन पर पॉलिसीधारक को बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक होता है।</li> <li>अनुग्रह दिनों के पश्चात् प्रीमियम भुगतान में चूक जारी रहने पर, पॉलिसी व्यपगत हो जाती है।</li> <li>चुकता मूल्य=[(भुगतान किये गये प्रीमियमों की संख्या/भुगतान योग्य प्रीमियमों की संख्या)×बीमा धन]+बोनस</li> <li>समर्पण मूल्य या नकद मूल्य वह राशि होती है जिसके भुगतान हेतु बीमा कम्पनी पॉलिसी समर्पित करने पर उत्तरदायी होती है।</li> <li>जब एक व्यपगत पॉलिसी पुनर्स्थापित की जाती है तो इसे पॉलिसी पुनरुज्जीवन कहा जाता है।</li> <li>नामांकन में बीमित व्यक्ति किसी व्यक्ति (यों ) के नाम का प्रस्ताव करता है जिन्हें उसकी मृत्यु के पश्चात् बीमा धन का भुगतान किया जायेगा।</li> <li>समनुदेशन से तात्पर्य किसी बीमा पॉलिसी में हक, अधिकार तथा हित का अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरण से है।</li> <li>यदि ऋणी ऋण के पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो बीमा कम्पनी के पास पॉलिसी को निरस्त करने का विकल्प होता है। यह मोचन निषेध कहलाता है।</li> </ul>
<b>प्रीमियम का भुगतान तथा वैध कवर की सम्भवता</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रीमियम का भुगतान बीमा संविदा का प्रतिफल होता है अतः इसके भुगतान के बिना, संविदा अस्तित्व में नहीं आ सकती है तथा कोई कवर प्रभावी नहीं होगा।</li> </ul>

## प्रश्न –उत्तर

3.3 एक वैध आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जा सकने वाले दस्तावेजों को मानक आयु प्रमाण दस्तावेजों तथा गैर मानक/अमानक आयु प्रमाण दस्तावेजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ दस्तावेज जिनको मानक आयु प्रमाण के रूप में माना जा सकता है इस प्रकार हैः—

- स्कूल तथा कॉलेज के अभिलेखों के अनुसार एक प्रमाण पत्र;
- जन्म के समय नगरपालिका के रिकॉर्ड या जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र;
- पासपोर्ट;
- स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड;
- नियोक्ता का सेवा रजिस्टर;
- बापटिज्म का प्रमाण पत्र;
- पारिवारिक बायबल से प्रमाणित उद्धरण, यदि इसमें जन्म तिथि शामिल हो ;
- रक्षा विभाग द्वारा जारी, रक्षा कार्मिक का पहचान पत्र ;
- रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र।

गैर मानक आयु प्रमाण दस्तावेजों में से कुछ, जो एक वैध आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं, इस प्रकार हैः—

- स्व घोषणा, बड़ों की घोषणा सहित शपथ पत्र;
- ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र;
- जन्म के समय तैयार जन्म कुण्डली;तथा
- राशन कार्ड।

3.4 प्रथम प्रीमियम रसीद में निम्नलिखित सूचनाएँ शामिल होती है :—

- बीमित व्यक्ति का नाम एवं पता;
- पॉलिसी नम्बर;
- भुगतान की गई प्रीमियम राशि;
- प्रिमियम भुगतान की विधि तथा आवृत्ति;
- प्रीमियम भुगतान की अगली देय तिथि;
- जोखिम प्रारम्भ तिथि ;
- पॉलिसी की परिपक्वता तिथि;
- अन्तिम देय प्रीमियम की तिथि; तथा
- बीमा धन।

### स्व—परीक्षण प्रश्न

3. क्या होता है यदि नामित एक अवयस्क हो तथा कोई नियुक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया हो?
4. “मुक्त लॉक—इन अवधि” या “कूलिंग—ऑफ अवधि” क्या होती है?
5. क्या होता है यदि एक पॉलिसी व्यपगमन हो जाती है?

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

## स्व-परीक्षण प्रश्न

3. जब नामित अवयस्क होता है, तो बीमित व्यक्ति को एक नियुक्त व्यक्ति नियुक्त करने की आवश्यकता होती है। यदि कोई नियुक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया गया है, तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु दावे का भुगतान पॉलिसीधारक के विधिक उत्तराधिकारी को किया जाता है अवयस्क का नैसर्जिक या नियुक्त संरक्षक को नहीं।
4. **FPR** जारी होते ही बीमा संविदा प्रभावी हो जाती है तथापि इरडा विनियम प्रस्तावक को पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर संविदा वापस लेने का विकल्प प्रदान करते हैं यदि वे पॉलिसी के शर्तों एवं निर्बन्धनों से असहमत हों। यह अवधि “मुक्त लॉक-इन अवधि” या “कूलिंग –ऑफ अवधि” के रूप में जानी जाती है। यदि प्रस्तावक संविदा वापस लेता है, तो बीमा कम्पनी कुछ कटौतियों जैसे उक्त अल्प अवधि जिसके लिए कवर दिया गया था के लिए जोखिम कवर की लागत, मेडिकल जॉच व्यय तथा स्टैम्प शुल्क घटाकर शेष प्रीमियम लौटा देगी।
5. एक बार जब पॉलिसी व्यपगमन हो जाती है, तो पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान किये गये सभी प्रीमियम जब्त हो जाते हैं तथा पॉलिसी पर कोई दावा स्वीकार्य नहीं होता है। तथापि बीमाकर्ता संविदा समाप्त नहीं करता है। वे पॉलिसीधारक को पॉलिसी पुनर्जीवित करने के लिए कई आसान विकल्प जैसे बकाया प्रीमियम के भुगतान तथा निरन्तर अच्छे स्वास्थ्य सम्बन्धी स्वहस्ताक्षरित घोषणा के आधार पर प्रदान करते हैं।

# 4

## बीमा जोखिमांकन

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य बिन्दु/पद	
अ. बीमा जोखिमांकन की प्रक्रिया	
ब. आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करना	
स. नैतिक एवं भौतिक जोखिम	
द. वित्तीय , मेडिकल और गैर—मेडिकल जोखिमांकन	
य. मानव जीवन मूल्य (एच एल वी)	
र. ग्रहणाधिकार	
ल. मूल्य निर्धारण एवं प्रीमियम की गणना करना	
व. बोनस की गणना करना	
श. जोखिमांकन में अभिकर्ता की भूमिका	
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न—उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
अध्ययन उद्देश्य	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न हेतु समर्थ होंगे:—	

- जोखिमांकन प्रक्रिया की व्याख्या करना;
- विभिन्न स्रोतों की व्याख्या जिनसे जोखिमांकन के लिए सूचनाएँ एकत्रित की जाती हैं;
- नैतिक एवं भौतिक जोखिम का विश्लेषण करना;
- वित्तीय, मेडिकल और गैर-मेडिकल जोखिमांकन में अन्तर की व्याख्या करना;
- मानव जीवन मूल्य(एच एल वी) अवधारणा तथा जोखिमांकन में इसकी भूमिका की व्याख्या करना;
- किसी पॉलिसी के मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करना;
- प्रीमियम की गणना करने की प्रक्रिया का निर्धारण करना;
- बोनस की गणना करने की प्रक्रिया का वर्णन करना;
- ग्रहणाधिकार की अवधारणा की व्याख्या करना;
- अभिकर्ता की जोखिमांकन में भूमिका का वर्णन करना।

## परिचय

जोखिमांकन निम्न प्रक्रिया को दिया गया नाम है:-

- जोखिम का मूल्यांकन करना जिससे लोगों का पूल बनाया गया है;
- जोखिम को स्वीकार किया जाये या नहीं, या कितना स्वीकार किया जाये, का निर्णय करना;
- प्रस्तावित की गई शर्तों, प्रतिबन्धों तथा कवर की सीमा या विस्तार का निर्धारण करना; तथा
- समुचित प्रीमियम की गणना करना।

जीवन बीमा के सन्दर्भ में जो लोग बीमा लेने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उनमें से किन लोगों को बीमा कम्पनी बीमा प्रदान कर सकती है का चयन करने का दायित्व जोखिमांकनकर्ता पर होता है तथा उनके जोखिम के स्वरूप (प्रोफाइल) के आधार पर प्रभारित किए जाने वाले मूल्य (प्रीमियम) का निर्धारण भी।

जैसा कि हम देख चुके हैं, बीमा व्यवसाय जोखिम सांझा करने के सिद्धान्त पर आधारित है। बीमा कम्पनी पॉलिसी शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार बीमित व्यक्ति का जोखिम वहन करती है। अतः जोखिमांकनकर्ता को प्रस्तावकों के समूह में से बीमित किये जाने वाले व्यक्तियों का चयन करने में तथा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पूल को प्रस्तुत जोखिम के अनुसार उचित मूल्य निर्धारण करने में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा करने में एक असफल जोखिमांकनकर्ता बीमा कम्पनी के व्यवसाय के स्थायित्व को कुप्रभावित कर सकता है।

इस अध्याय में हम एक प्रस्तावक द्वारा प्रदर्शित जोखिम का सही-सही आंकलन करने में जोखिमांकनकर्ता को समर्थ बनाने वाली सूचनाओं की तरफ दृष्टिपात करेंगे। यह जोखिम आंकलन प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम पर असर डालेगा, तथा हम बाद में देखेंगे कि मूल्य का आंकलन किस प्रकार किया जाता है तथा प्रीमियम की गणना किस प्रकार की जाती है। तथापि, प्रथमतः, हम बीमा जोखिमांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर संक्षेप में दृष्टिपात करके शुरूआत करेंगे।

मुख्य पद			
इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :			
जोखिमांकनकर्ता	सकल प्रीमियम	नैतिक जोखिम	गैर-मेडिकल जोखिमांकन
मानव जीवन मूल्य	लोडिंग	भौतिक जोखिम	जोखिम प्रीमियम
बोनस	वित्तीय जोखिमांकन	मेडिकल जोखिमांकन	ग्रहणाधिकार
विपरीत चयन	जोखिम समूह	संतुलित प्रीमियम	धन का सामयिक मूल्य

### अ. बीमा जोखिमांकन की प्रक्रिया

एक जोखिमांकनकर्ता उसे प्रस्तुत जोखिमों के वर्गीकरण, विश्लेषण तथा चयन के लिए जिम्मेदार होता है। विभिन्न कम्पनियों के जोखिमों के वर्गीकरण तथा उनके मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मानदण्ड तथा दिशानिर्देश अलग-अलग होते हैं। प्रत्येक कम्पनी जोखिम के चयन के लिए अपना कार्यक्षेत्र एवं दिशानिर्देश विकसित तथा निर्धारित करती है; तथा जोखिमांकनकर्ता इनके अन्तर्गत इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है कि कम्पनी दक्षता से प्रचालन करती रहे।

बीमा जोखिमांकन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

#### चित्र 4.1



#### ध्यान रहे!

जीवन बीमा में जोखिम शब्द मुख्यतः बीमित जीवन या बीमित व्यक्ति के सन्दर्भ में उपयोग किया जाता है।

बीमा जोखिमांकन के प्रथम चरण में प्रस्तावक के बारे में सभी संभव स्रोतों से प्राप्त सूचना की समीक्षा करना है। जीवन बीमा के लिए, महत्वपूर्ण सूचना में एक व्यक्ति की आयु, व्यवसाय, आय,

व्यक्तिगत आदतें, उसका स्वास्थ्य और परिवार का स्वास्थ्य इतिहास, साथ ही इन सभी पहलुओं पर अभिकर्ता की रिपोर्ट शामिल है।

जोखिमांकनकर्ता सूचनाओं का विश्लेषण करता है तथा प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है: बीमा जोखिमांकनकर्ता को उसके पास उपलब्ध सभी पहलुओं का परीक्षण तथा बीमा लेने का प्रस्तावक के वास्तविक आशय का विश्लेषण करना होता है। हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे कि यह सूचना किस प्रकार एकत्रित तथा उपयोग की जाती है।

**कपटपूर्ण आशय :** बीमा जोखिमांकनकर्ता को प्रस्तावक का आशय समझने में बहुत सावधान रहना चाहिए। सभी लोग इमानदार या सही नहीं होते हैं। यह निर्णय करने से पूर्व कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाये या नहीं प्रस्तावक के आशय का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए। बीमा जोखिमांकनकर्ता तब इस प्रायिकता को निर्धारित करने के लिये कि उन परिस्थितियों में बीमा कम्पनी को कब दावा भुगतान करना पड़ सकता है, प्राप्त सूचनाओं का अध्ययन करता है। इस चरण में बीमा जोखिमांकनकर्ता अधिकतम संभव हानि (**MPL**) निर्धारित करता है। **MPL** से तात्पर्य हो सकने वाली हानि की अधिकतम मात्रा से है, यदि एक निश्चित घटना घटित होती हो।

अब जोखिमांकनकर्ता निर्णय करेगा कि या तो जोखिम को साधारण दर पर स्वीकार किया जाये या संशोधित या विशेष शर्तों के साथ स्वीकार किया जाये (उदाहरणार्थ—उच्च प्रीमियम प्रभारित करके), एक ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकार किया जाये या फिर जोखिम के बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार किये जा सकने वाले जोखिम क्षेत्र से बाहर होने के आधार पर स्थगित या अस्वीकार किया जाये।

अब जोखिमांकनकर्ता निर्णय करेगा कि या तो जोखिम को साधारण दर पर स्वीकृत किया जाये, या जोखिम को रूपान्तरित या विशेष शर्तों के साथ स्वीकार किया जाये (उदाहरण एक उच्च प्रीमियम प्रभारित करके), एक ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकार किया जाये, या फिर जोखिम के उन जोखिमों से बाहर पड़ने के आधार पर स्थगित या अस्वीकार किया जाये जिन्हें कम्पनी स्वीकार्य समझती है।

जोखिमांकनकर्ता को विपरीत चयन से कम्पनी की सुरक्षा भी करनी चाहिए। यह उस स्थिति की व्याख्या करने में उपयोग किया जाने वाला एक पद है जहाँ एक बीमा कम्पनी बहुत अधिक प्रस्तावकों को स्वीकार करती है जो पूल के लिए औसत से अधिक जोखिम लाते हैं। विपरीत चयन का सिद्धान्त इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि ऐसे भयाकान्त लोग जो अधिक जोखिम प्रस्तुत करते हैं, कम जोखिम वाले लोगों की तुलना में जीवन बीमा लेना अधिक पसन्द करते हैं। यदि एक कम्पनी अपने आपको विपरीत चयन से प्रभावित पाती हैं तो हो सकता है कि उसे आशा से अधिक दावों का भुगतान करना पड़े। यह निश्चित रूप से कम्पनी की सफलता पर बुरा प्रभाव डालता है।

### उदाहरण

राकेश शर्मा को हाल ही में मधुमेह से ग्रसित पाया गया है। वह मात्र 38 वर्ष के है। राकेश बीमा कवर पाने हेतु बहुत तत्पर है तथा उच्च प्रीमियम देने को तैयार है। राकेश का बीमा योजना लेने का मुख्य उद्देश्य निकट भविष्य में हो सकने वाली मेडिकल लागतों का बीमा कम्पनी को हस्तान्तरण करना है। उसकी मृत्यु हो जाने पर भी, बीमा कम्पनी से प्राप्त दावा उसके परिवार के लिए मर्यादित जीवन स्तर बनाये रखने हेतु पर्याप्त होगा।

यदि राकेश शर्मा जैसे लोग बीमा कम्पनी द्वारा बड़ी संख्या में चयन किये जाते हैं तो यह विपरीत

चयन हो सकता है। बीमा कम्पनी को भविष्य में हो सकने वाले विशाल मेडिकल व्यय को वहन करना पड़ेगा।

जोखिमांकनकर्ता राकेश शर्मा के प्रस्ताव को इस आधार पर अस्वीकार करने का चयन कर सकता है कि वह पूल के लिए बहुत उच्च जोखिम लाता है। हालांकि जोखिमांकनकर्ता के पास अस्वीकृत करना एक मात्र हल नहीं है। जोखिमांकनकर्ता निम्न का चयन कर सकता है:-

- सामान्य दरों पर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;
- अतिरिक्त प्रीमियम पर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;
- एक ग्रहणाधिकार के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;
- संशोधित शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;
- विशिष्ट / संशोधित खण्ड के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है;
- निर्णय को एक निश्चित अवधि तक स्थगित कर सकता है;
- प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता है।

### उदाहरण

हितेन पटेल एक बीमा कम्पनी को एक बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करता है। अपने प्रस्ताव फार्म में, वह घोषणा करता है कि वह एक हृदय सम्बन्धी समस्या के लिए उपचार करवा रहा है। वह यह भी बताता है कि इसी समस्या के लिए पूर्व में उसका ऑपरेशन भी किया जा चुका है।

बीमा जोखिमांकनकर्ता को इस मामले में बीमारी की प्रकृति, उपलब्ध उपचार, ऑपरेशन रिकवरी प्रक्रिया के बारे में सूचना एकत्रित करनी होगी। सूचना के आधार पर जोखिमांकनकर्ता हितेन से सम्बद्ध जोखिम के बारे में निर्णय लेगा। जोखिमांकनकर्ता उस पर एक उच्च प्रीमियम प्रभारित कर सकता है या हृदय से सम्बन्धित स्वास्थ्य मामलों को दिये गये कवर से बाहर रख सकता है।

### ध्यान रहे !

विभिन्न बीमा कम्पनियाँ विभिन्न आधारों का उपयोग करती हैं कि एक प्रस्ताव स्वीकार्य योग्य है या नहीं। यदि एक विद्यमान बीमारी एक कम्पनी द्वारा कवर हेतु उपयुक्त नहीं मानी गई है तो अन्य कम्पनी कुछ विस्तार के साथ तथा अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर उसे कवर कर सकती है।

एक बार किसी जोखिम को स्वीकार करने का निर्णय लिया जाता है तो जोखिमांकनकर्ता इसे किसी एक जोखिम समूह में वर्गीकृत करेगा। प्रत्येक जोखिम समूह को कम्पनी के दिशा निर्देशों पर आधारित एक रेटिंग दी जाती है, वे जोखिम जो उच्च जोखिम प्रदर्शित करते हैं एक उच्च जोखिम समूह में वर्गीकृत किये जाते हैं तथा उच्च दर से प्रभारित किये जाते हैं। इस प्रकार जोखिम समूह यह निर्णय करने में उपयोग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं कि प्रस्तावक को क्या प्रीमियम भुगतान करना होगा। जोखिमांकनकर्ता अंतिम (फाइनल) प्रीमियम निर्धारित करने से पूर्व रेटिंग में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है।

यदि जोखिमांकनकर्ता द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम एवं शर्तें प्रस्तावक द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, तब प्रस्तावक को आश्यकतानुरूप पॉलिसी जारी कर दी जाती है, यदि प्रस्तावक द्वारा प्रदर्शित जोखिम के बारे में विचार करना आवश्यक हो।

### ध्यान रहे!

इरडा(IRDA) द्वारा जारी विनियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रस्ताव पर निर्णय के बारे में प्रस्तावक को प्रस्ताव प्राप्ति के 15 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।


### प्रश्न 4.1

जब जोखिमांकनकर्ता बीमा के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त करता है, तो प्रस्ताव के सम्बन्ध में वह कौन-कौन से निर्णय ले सकता है ?

### ब. वांछित सूचना प्राप्त करना

जोखिमांकनकर्ता प्रस्तावक के बारे में अलग-अलग स्रोतों से सूचना एकत्र कर सकता है। जिन तथ्यों/सूचनाओं की आवश्यकता जोखिमांकनकर्ता को होती है उनमें से अधिकांश विशिष्ट दस्तावेजों उदाहरणतः प्रस्ताव फॉर्म से प्राप्त की जा सकती है।

### चित्र 4.2 प्रस्तावक के बारे में सूचना के स्रोत



### ब 1 प्रस्ताव

प्रस्तावक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित प्रस्ताव फार्म बीमा जोखिमांकनकर्ता के लिए प्रारम्भिक सूचनाएँ प्राप्त करने का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। प्रस्ताव में निम्नलिखित सूचनाएँ उपलब्ध रहती हैं:-

#### वैयक्तिक सूचनाएँ :

फार्म के इस भाग में प्रस्तावक का नाम, उसका पता, आयु, वार्षिक आय, मासिक खर्च का एक अनुमान, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति, उसके द्वारा ली गई कोई अन्य बीमा पॉलिसियों जैसी सूचनाएँ होती है।

प्रस्तावक एवं बीमित जीवन अलग—अलग व्यक्ति होने के मामले में, प्रस्तावक का नाम एवं पता भी फार्म में लिखने की आवश्यकता होती है।

### **मेडिकल सूचना :**

फार्म के इस भाग में प्रस्तावक के पूर्व मेडिकल इतिहास तथा वर्तमान मेडिकल स्थिति के बारे में सूचना होती है। प्रस्तावक का वजन, ऊँचाई तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, उसका एवं उसके परिवार का मेडिकल इतिहास आदि सूचनाएँ भी एकत्र की जाती है। प्रस्तावक की मेडिकल स्थिति के सम्बन्ध में एक चिकित्सक की रिपोर्ट भी इस चरण में ली जा सकती है, यदि जोखिमांकनकर्ता को या पॉलिसी के प्रकार के कारण इसकी आवश्यकता हो।

यदि पॉलिसी एक गैर—मेडिकल आधार(खण्ड डी देखें) पर ली जाती है, तब प्रस्तावक को उसकी विगत बीमारी, चोट एवं सर्जिकल ऑपरेशन, उसके डॉक्टर के बारे में सूचनाएँ देने के लिए कहा जा सकता है।

### **अभिकर्ता की टिप्पणी:**

फार्म में प्रस्तावक के बारे में अभिकर्ता द्वारा की गई टिप्पणी भी शामिल होती है। अभिकर्ता प्रस्तावक के जीवन स्तर, आदतें व शौक के सम्बन्ध में अपना विश्लेषण देगा। उसे प्रस्तावक की वित्तीय स्थिति तथा अन्य सूचनाएँ जो उसके विवेकानुसार जोखिम आंकलन करने में जोखिमांकनकर्ता के लिए उपयोगी हो सकती है, का भी वर्णन करना होगा।

### **ब 2 मेडिकल जाँच रिपोर्ट**

बीमा कम्पनी किसी अनुमोदित डॉक्टर से प्रस्तावक का मेडिकल परीक्षण कराती है। ऐसा कम्पनी द्वारा विपरीत चयन के अवसरों को कम करने के लिए किया जाता है, उदाहरणतः स्वरथ व्यक्तियों की तुलना में बड़ी संख्या में अस्वरथ व्यक्तियों का चयन। स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सकता है यदि बीमाधन की राशि या प्रस्तावक द्वारा स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नों के उत्तरों के आधार पर जोखिमांकनकर्ता को जोखिम स्वीकार करने से पूर्व और अधिक सूचनाओं/तथ्यों की आवश्यकता लगे।

किसी निश्चित प्रकार के सभी प्रस्तावित जोखिम के लिए मेडिकल परीक्षण कराना किसी बीमाकर्ता की नीति हो सकती है।

कुछ बीमाकर्ता प्रस्तावकों को उनकी उम्र के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। निम्न आयु समूह में उनके लिए आवश्यक मेडिकल परीक्षणों की संख्या कम होगी, उच्चतर आयु समूह तक अनवरत बढ़ती रहती है तथा उच्चतम आयु समूह हेतु विस्तृत स्वास्थ्य जाँच की आवश्यकता होती है। हम मेडिकल तथा गैर—मेडिकल जोखिमांकन के बारें में भाग द में देखेंगे।

### **ब 3 बीमा अभिकर्ता**

बीमा अभिकर्ता प्रस्तावक के साथ सीधे सम्पर्क में रहता है अतः वह उनके जोखिम प्रोफाइल के बारे में निर्णय लेने हेतु अच्छी स्थिति में होता है। अभिकर्ता को प्रस्तावक के उत्तरों का मूल्यांकन तथा उनकी सत्यता सुनिश्चित करने का अवसर होता है, तथा जोखिमांकनकर्ता किसी भी समय प्रस्तावक के सम्बन्ध में बीमा अभिकर्ता की मदद ले सकता है।

### ब ३ अ अभिकर्ता का गोपनीय प्रतिवेदन

बीमा अभिकर्ता को “अभिकर्ता का गोपनीय प्रतिवेदन” तैयार करने की ज़रूरत होती है। यदि वांछित बीमा कवर राशि निर्धारित मानकों के भीतर हो, तो अभिकर्ता प्रस्तावक की वित्तीय स्थिति, आश्रितों की संख्या, जीवनस्तर, आदतें तथा शौक पर आधारित एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यदि वांछित बीमा कवर राशि सामान्य से अधिक होती है, तब अभिकर्ता को एक अधिक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करना पड़ता है। इस प्रतिवेदन के लिए सूचना प्रस्तावक के परिवार, मित्रों तथा पड़ौसियों के माध्यम से एकत्रित की जाती है।

कई बार यह प्रतिवेदन बीमा कम्पनी के वरिष्ठ कार्मिकों (जैसे यूनिट मैनेजर या सेल्स मैनेजर) द्वारा तैयार किया जाना आवश्यक होता है तथा “नैतिक जोखिम प्रतिवेदन” के रूप में जानी जा सकती है।

इन दिनों, कुछ विशेषज्ञ निरीक्षण एजेन्सियाँ कार्यरत हैं जो कि बीमाकर्ता के लिए निरीक्षण कर सकती हैं। ये कम्पनियाँ प्रस्तावक के रोजगार इतिहास, वित्तीय स्थिति तथा साख के बारे में एक प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत करती हैं।

### ब ४ अतिरिक्त सूचना

जब वांछित बीमा कवर राशि औसत से बड़ी हो या प्रस्तावक का जोखिम प्रोफाइल उच्च हो तब जोखिमांकनकर्ता को अतिरिक्त सूचनाओं की आवश्यकता होती है।

जहाँ प्रस्तावक द्वारा दर्शायी गई बीमा कवर राशि अपेक्षाकृत उच्च होती है, तब प्रस्तावक की मेडिकल रिपोर्ट पर अतिरिक्त सूचना मांगी जा सकती है। वरिष्ठ कार्मिकों तथा बीमा अभिकर्ता से प्रस्तावक की आय, व्यवसाय, जीवन स्तर, आदतें आदि पर विशेष रिपोर्ट भी प्रस्ताव में अन्तर्निहित जोखिम के आंकलन के लिए आवश्यक होगी।

### ब ५ कर प्राधिकारियों के प्रतिवेदन

जोखिमांकनकर्ता एक प्रस्तावक के आय कर अभिलेखों, कर कटौती प्रतिवेदन आदि के सम्बन्ध में आयकर प्राधिकारियों तथा कर सलाहकारों से प्राप्त सूचना को सन्दर्भित कर सकते हैं। यह सूचनाएँ जोखिमांकनकर्ता को यह सुनिश्चित करने में समर्थ बनायेगी कि प्रस्तावक की कोई बकाया कर देनदारियाँ हैं या पूर्व में उसने इस सम्बन्ध में चूक की हैं।

### संस्कृत किया / कार्य

किसी भी जीवन बीमा कम्पनी से प्रस्ताव एकत्र करें। फार्म में पूछी गई सूचना / विवरणों की सूची बनाये। प्रस्ताव में किस प्रकार की सूचनाएँ मांगी जाती हैं?

### स. नैतिक तथा भौतिक जोखिम

हमने अध्याय 2 में जोखिम पर नजर डाली है, जहाँ हमने देखा कि इसे दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है:-

- भौतिक जोखिम; तथा
- नैतिक जोखिम

इस खण्ड में हम इस विषय पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे कि किस प्रकार भौतिक जोखिम जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा पर लागू होता है।

## स १ भौतिक जोखिम

भौतिक जोखिम से तात्पर्य बीमित जीवन से सम्बद्ध जोखिम के भौतिक लक्षणों से है। हमने अध्याय 2 में इनमें से कुछ पर संक्षिप्त नजर डाली है।

जीवन बीमा से सम्बन्धित कुछ भौतिक जोखिम निम्नानुसार है:

### आयु

बीमित जीवन से सम्बद्ध जोखिम का निर्धारण करते समय एक व्यक्ति की आयु एक महत्वपूर्ण जोखिम है।

### व्यवसाय

प्रस्तावक का व्यवसाय उसकी मृत्यु की संभावना में वृद्धि कर सकता है। कुछ रोजगार अन्य की तुलना में स्वास्थ्य पर, मृत्यु या चोट का अधिक जोखिम लाते हैं तथा बीमा कम्पनियों द्वारा कम जोखिम व्यवसायों की तुलना में कम आकर्षक माने जाते हैं। विभिन्न व्यवसायों के जोखिमों पर निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर विचार किया जा सकता हैः—

**पर्यावरणीयः**— किसी आपदा या हिंसा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के जोखिमग्रस्त जीवन जीने के कारण शीघ्र मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है।

**भौतिक स्थितियाँ**— प्रस्तावक जिस कारखाने में कार्य करता है वह धूल भरा एवं कम हवादार जैसे अस्वास्थ्यप्रद/दूषित वातावरण का हो तो प्रस्तावक के लिए बीमारी की संभावना बढ़ जाती है।

**दुर्घटना जन्य जोखिमः**— प्रस्तावक एक चालक के रूप में या मशीन पर कार्य करता है, तो दुर्घटना का जोखिम बढ़ता है।

### उदाहरण

प्रस्तावक का व्यवसाय जोखिम भरे व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि वह इनमें से किसी में कार्य करता हैः— कोयला खानें, लौह धातुकर्म उद्योग, रासायनिक उद्योग, विस्फोटक कारखाना, या यदि उसके कार्य में खम्भों पर चढ़ना, ऊँचाई पर काम करना, उच्च वोल्टेज बिजली के कार्य आदि शामिल है।

### लिंग

कुछ कम्पनियाँ महिलाओं के लिए उनके परिवेश, प्रोफाइल आदि के आधार पर भिन्न दर प्रभारित करती है।

### निवास

प्रस्तावक के मकान में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण भौतिक जोखिम है। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान में रहता हो जहाँ पर पड़ोस का वातावरण असुरक्षित, हिंसाग्रस्त तथा जोखिमपूर्ण हो, तब व्यक्तिगत जीवन के जोखिम में वृद्धि होती है।

### आदतें

शराब पीने, धूम्रपान करने तथा तम्बाकू का उपयोग करने की आदते स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है। ये इस जोखिम में वृद्धि कर सकती हैं कि प्रस्तावक की जल्दी मृत्यु हो जायेगी या वह गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जायेगा।

### शौक

यदि एक व्यक्ति खतरनाक शौक जैसे बंजी जम्पिंग, कार रेसिंग, पर्वतारोहण, हवाई उड़ान, स्कूबा डाइविंग आदि में लगा हुआ हो तब व्यक्ति के जीवन का जोखिम बढ़ता है। इस तरह के साहसपूर्ण खेल बीमा कम्पनी के लिए कम आकर्षक होते हैं।

### विशिष्ट भौतिक लक्षण

एक व्यक्ति के भौतिक लक्षण प्रस्तावक के स्वास्थ्य स्तर का निर्धारण करने में उपयोगी होते हैं। उसकी ऊँचाई, वजन, शारीरिक रचना, आदि से सम्बन्धित आंकड़े निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है।

### उदाहरण

रवि की ऊँचाई 153 सेमी. तथा उसका वजन लगभग 80 किग्रा है। यह दर्शाता है कि वह अधिक वजनी हो सकता है। यह उसमें हृदय रोगों, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप जैसी अन्य बीमारियाँ विकसित होने की संभावना बढ़ा देता है।

### मेडिकल अवस्था

जब प्रस्तावक की सम्पूर्ण स्वास्थ्य जाँच कराई जाती है तो उसके स्वास्थ्य के निर्धारण के लिए उसके रक्त चाप तथा नाड़ी का भी परीक्षण किया जायेगा। क्या प्रस्तावक को कोई बीमारी हुई है या नहीं सुनिश्चित करने के लिये उसके रक्त एवं मूत्र नमूनों की जाँच भी करवाई जाती है।

### शारीरिक विकलांगता:-

शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी उच्च भौतिक जोखिम को प्रदर्शित करने वाले माने जाते हैं क्योंकि उनकी विकलांगता उनकी शीघ्र मृत्यु का जोखिम बढ़ा सकती है।

### परिवार का मेडिकल इतिहास

कुछ बीमारियाँ जैसे मधुमेह, हृदय रोग से पीड़ित होना तथा कुछ प्रकार के कैंसर आनुवांशिक प्रकृति के होते हैं। यदि परिवार का एक सदस्य ऐसी बीमारी से ग्रस्त होता है, तब प्रस्तावक के भी इससे ग्रसित होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

### व्यक्तिगत इतिहास

एक व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड, आदतें, जीवन शैली, वित्तीय ऋण इतिहास आदि के सम्बन्ध में व्यक्तिगत इतिहास भी महत्वपूर्ण मानदण्ड होता है।

## स 2. नैतिक जोखिम

नैतिक जोखिम को परिभाषित करना भौतिक जोखिम की तुलना में अधिक कठिन है क्योंकि यह प्रस्तावक के आचरण, दृष्टिकोण तथा /या आशय से सम्बन्धित होता है। दूषित नैतिक जोखिम के प्रभाव को कम करना या सुधारना भी कठिन होता है।

जीवन बीमा के सम्बन्ध में निम्नलिखित उदाहरण नैतिक जोखिम की प्रकृति को स्पष्ट करता है:-

- स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत सुरक्षा के प्रति लापरवाह एवं असावधानीपूर्ण दृष्टिकोण;
- बेर्इमानी का पूर्व इतिहास(संभवतः आपराधिक गतिविधि में लिप्तता जिसका खुलासा न्यायालय के अभिलेखों की जाँच करने पर होता है);

- पूर्व दावों का इतिहास यदि कपटता/दावों की बारम्बारता, दिवालियापन या अन्य वित्तीय संकटों के इतिहास का खुलासा होता हो।

### कपट तथा नैतिक जोखिम

कपट करने की मंशा नैतिक जोखिम का एक पहलू है जिस पर बीमा जोखिमांकनकर्ताओं को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

जोखिमांकनकर्ता को उन जीवन बीमा प्रस्तावों के बारे में सचेत रहना होगा जिनमें कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित हों जो उनके ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर कपटपूर्ण उद्देश्य के संभावित संकेतक हों। निम्नलिखित कुछ उदाहरण हैं:-

- प्रस्तावक अपने जीवन काल के उत्तरार्ध में/अधिक आयु पर एक काफी बड़ी राशि के बीमा के लिए प्रार्थना करता हो।
- एक ऐसे व्यक्ति द्वारा बीमा लिया जा रहा हो जिसका कोई आश्रित न हो।
- बीमा पॉलिसी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बीमित किया जा रहा हो जो आय-अर्जक न हो (क्योंकि किसी गैर आय अर्जक व्यक्ति की मृत्यु से उसके आश्रितों की आजीविका प्रभावित नहीं होती है)
- जब पॉलिसी में नामिती बीमित के आश्रितों में से नहीं होता है।
- जब प्रस्तावक एक ऐसी राशि के लिए बीमा करवा रहा है जो कि उसकी आय से बहुत अधिक है।
- यदि व्यक्ति द्वारा भुगतान किया विगत प्रीमियम उसकी आय के आधार पर उसकी भुगतान क्षमता से बहुत अधिक है।
- जब स्वास्थ्य परीक्षण प्रस्तावक के निवास के स्थान से भिन्न स्थान पर करवाया जाता है।
- यदि अभिकर्ता एवं प्रस्तावक के मध्य सम्बन्धों का कोई पहलू जोखिमांकनकर्ता के मन में शंका पैदा करता है।

अभिगोपक प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों के आंकलन के लिए खण्ड ब में वर्णित सूचना का उपयोग कर सकता है।

#### प्रश्न 4.2

क्या एक क्षेत्र, जहाँ प्रस्तावक निवास करता हैं एक भौतिक जोखिम माना जा सकता है? अपने उत्तर की पुष्टि में कारण दे।

### द. वित्तीय, मेडिकल तथा गैर-मेडिकल जोखिमांकन

#### द 1. वित्तीय जोखिमांकन

जोखिमांकनकर्ताओं को किसी प्रस्तावित जोखिम के कपटपूर्ण आशयों की पहचान करने के अतिरिक्त वित्तीय पहलूओं पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। जैसा कि हम देखेंगे वित्तीय जोखिमांकन किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये जा सकने वाली जीवन बीमा राशि के निर्धारण का कार्य करता है। जीवन बीमा की वह राशि जिसके लिए एक व्यक्ति पात्र है मानव जीवन मूल्य(एच एल

वी) सिद्धान्त द्वारा निर्धारित की जाती है। एच एल वी सिद्धान्त एक व्यक्ति के आर्थिक मूल्य का मौद्रिक रूप में मापन का प्रयास करता है। एच एल वी पर अधिक विवरण इस अध्याय के खण्ड य में दिया गया है।

वित्तीय जोखिमांकन यह सुनिश्चित करने में उपयोग किया जाता है कि बीमित किया जा रहा व्यक्ति एक बीमा राशि का पात्र होता है जो उसके बीमा योग्य हितों से अधिक नहीं हो। एक व्यक्ति की व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आय वित्तीय जोखिमांकन के लिए ध्यान में रखी जाती है।

यदि एक व्यक्ति एक ऐसा बीमा धन चाह रहा है जो कि उसकी आय से बहुत अधिक है, तब जोखिमांकनकर्ता को आंकलन करने की जरूरत होती है कि चाहीं गई बीमा कवर राशि उसके बीमा योग्य हित से अधिक है या नहीं। जैसा कि हमने अध्याय 3 भाग 1, खण्ड ब से जाना है कि एक वैध जीवन बीमा संविदा के लिए बीमा योग्य हित होना चाहिए। बीमा योग्य हित का अर्थ है कि आवेदित बीमा राशि के लिए प्रबल औचित्य है। जितना अधिक बीमाधन होगा उतने ही अधिक प्रबल औचित्य की आवश्यकता जोखिमांकनकर्ता को होगी। आमतौर पर इसका अर्थ है कि प्रस्तावक के लिए उपलब्ध बीमा राशि एक निश्चित स्तर पर रोकी जाती है जिससे अधिक कवरेज के लिए कोई वास्तविक औचित्य नहीं हो।

वित्तीय जोखिमांकन के अन्तर्गत विश्लेषित किये गये कारकों में व्यक्ति की आय, उम्र तथा उसका शुद्ध आर्थिक मूल्य आदि शामिल है।

बीमा कम्पनियाँ दो प्रकार की बीमा पॉलिसियाँ देती हैं:- एक जिसमें मेडिकल जोखिमांकन आवश्यक होता है तथा दूसरा जिसमें मेडिकल जोखिमांकन आवश्यक नहीं होता है।

## द 2. मेडिकल जोखिमांकन

मेडिकल जोखिमांकन में जोखिमांकनकर्ता प्रस्तावके के विगत कुछ वर्षों के मेडिकल रिकॉर्ड का अवलोकन कर उसकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के लिए मेडिकल जाँच करवाता है तथा इन रिपोर्टों से प्राप्त तथ्यों पर आधारित उसकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करता है। प्रस्तावक की मेडिकल जाँच के परिणामों, आयु तथा मांगी गई बीमा आवरण राशि के आधार पर सामान्य या फिर विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है।

यदि प्रस्तावक का स्वास्थ्य उत्तम पाया जाता है, तब जोखिमांकनकर्ता द्वारा उसे निम्न जोखिम का माना जायेगा।

### ध्यान रहे!

बीमा कम्पनियाँ एक अनुसूची रखती है जो प्रस्तावक की उम्र, मेडिकल इतिहास तथा चाहीं गई बीमा कवर राशि पर आधारित आवश्यक मेडिकल परीक्षण की श्रेणी निर्धारित करती है।

## द 3. गैर मेडिकल जोखिमांकन

जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस श्रेणी में बीमा पर सहमति के लिए किसी मेडिकल परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रस्तावक का मेडिकल आंकलन में समय का अपव्यय तथा खर्चला दोनों हो सकता है। साथ ही कई मामलों में (अधिकांशतः जहाँ प्रस्तावक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं), विशेषज्ञ मेडिकल सेवाएँ उपलब्ध नहीं होती हैं अतः एक योग्य डॉक्टर से मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करना प्रस्तावक के लिए कठिन हो सकता है।

गैर-मेडिकल जोखिमांकन में, बीमा एक मेडिकल रिपोर्ट के स्थान पर प्रस्ताव फार्म के अनुसार व्यक्ति के भौतिक लक्षणों जैसे— आयु, ऊँचाई, वजन आदि पर आधारित होता है। इस प्रकार के बीमा के लिए प्रस्ताव फॉर्म प्रायः अधिक विस्तृत होता है। सभी प्रस्ताव अभिकर्ताओं, विकास अधिकारियों तथा शाखा कार्मिकों द्वारा जाँचे जाते हैं। साथ ही किसी उच्च पदीय अधिकारी से भी एक विशेष प्रतिवेदन लिया जा सकता है। कहा जा सकता है यदि प्रस्तावक एक नियमित रोजगार में हो तो एक कर्मचारी होने के नाते उसके अवकाश अभिलेख का आंकलन किया जा सकता है। यदि एक व्यक्तिगत विवरणी या पारिवारिक इतिहास से प्राप्त असंतोषजनक स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आवश्यक हो तो मेडिकल जाँच करायी जा सकती है।

गैर मेडिकल बीमा जोखिमांकन में बीमाकर्ता को अधिक जोखिम रहता है जैसे प्रस्तावक किसी ऐसी मेडिकल स्थिति में हो सकता है जो कि एक मेडिकल जाँच में खुलासा हो जाता है, परन्तु वह प्रस्ताव फार्म में प्रस्तावक के उत्तरों से उजागर नहीं होती है। जोखिमांकन के इस तरीके से विपरीत चयन की सम्भावना बढ़ सकती है, परिणामतः ये पॉलिसियाँ एक उच्च दर से मूल्य निर्धारित की जा सकती हैं।

### गैर- मेडिकल व्यवसाय में अपनाये गये सुरक्षा उपाय

चूंकि गैर- मेडिकल जोखिमांकन के साथ विपरीत चयन की संभावना अधिक होती है, बीमा कम्पनियाँ निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करती हैं:-

- चयन पर एक प्रतिबन्ध(महिला जीवन) करके;
- बीमा धन पर सीमा लागू करके ;
- अधिकतम प्रवेश आयु पर एक प्रतिबन्ध करके;
- अधिकतम अवधि पर एक प्रतिबन्ध करके जिसके लिए पॉलिसी जारी की जा सकती है;
- परिपक्वता पर अधिकतम आयु पर एक प्रतिबन्ध करके;
- अनुमत बीमा योजना के प्रकारों पर एक प्रतिबन्ध करके;
- उच्च जोखिम योजनाओं प्रतिबन्ध करके;
- कुछ श्रेणियों के जीवन(शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि पर आधारित) कवर को सीमित करके;
- जीवन / जोखिम समूहों वर्गों की पात्रता पर प्रतिबन्ध करके (प्रतिष्ठित संगठनों में नियोजित व्यक्तियों के लिए जिनकी भर्ती के समय एक मेडिकल जाँच की गई हो, जिनके अवकाश लेखे रखे जाते हैं, तथा जिन्होंने सेवा का एक वर्ष पूर्ण कर लिया है;);तथा
- बीमाकर्ता के एक अधिकारी से एक नैतिक जोखिम रिपोर्ट मांगकर।

### संस्तुत क्रिया

किसी बीमा कम्पनी में जायें तथा मेडिकल एवं गैर मेडिकल आधार पर प्रदान किये जाने वाले बीमों के लिए प्रस्ताव-पत्र प्राप्त करें। उन प्रस्ताव पत्रों का अध्ययन कर देखें कि गैर मेडिकल आधार पर दिये जाने वाले बीमे के प्रस्ताव पत्र में पूछी जाने वाली अतिरिक्त सूचनाएं किस प्रकार मेडिकल आधार पर प्रदान किये जाने वाले बीमे से भिन्न हैं।

### य. मानव जीवन मूल्य

जीवन बीमा की मुख्य भूमिका बीमित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करना है जब बीमित की अप्रत्याशित मृत्यु हो जाये। ऐसा पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा धन का भुगतान करके किया जाता है, यदि दुःखद घटना घटित हो। लेकिन बीमा धन कितना होना चाहिए? बीमित जीवन का आर्थिक मूल्य कितना होता है?

#### य 1. मानव जीवन मूल्य क्या है?

किसी व्यक्ति से पूछें कि उनके जीवन का मूल्य कितना है बिना कुछ सोचे बिना वे कहेंगे कि मानव जीवन अनमोल है तथा कोई भी धन राशि मानव जीवन के मूल्य की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकती है। लेकिन बीमा कम्पनियाँ तथा उनके अभिकर्ता भिन्न विचार रखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली बीमा राशि का निर्धारण करने के लिये वे उसके मानव जीवन मूल्य का आंकलन करते हैं। यह मानव जीवन मूल्य (एच एल वी )कहलाता है। अचल सम्पत्ति, इकिवटी/शेयरों या जिन्सों (आवश्यक वस्तुओं) की तरह मानव भी एक सम्पत्ति है तथा आय उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। मानव जीवन मूल्य (एच एल वी) के माध्यम से बीमा कम्पनी किसी व्यक्ति के आर्थिक मूल्य या व्यक्ति का मौद्रिक राशि के रूप में कितना मूल्य हैं, को मापने का प्रयास करती है।

जीवन बीमा में, एच एल वी का उपयोग एक मानदण्ड की तरह यह निर्धारित करने में किया जाता है कि किसी व्यक्ति का जीवन बीमा कवर कितना होना चाहिए। समुचित कवर यह सुनिश्चित करता है कि यदि व्यक्ति की आज मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को कोई आर्थिक हानि नहीं होगी। निःसन्देह भावनात्मक हानि की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के परिवार को बीमा कम्पनी से प्राप्त एकमुश्त राशि बीमित जीवन की भावी आय की क्षतिपूर्ति करेगी; जिसे वह उपार्जित करता यदि वह जीवित रहता।

#### य-2 : एक व्यक्ति को कितनी राशि का जीवन बीमा लेना चाहिए ?

प्रायः लोग यह नहीं समझते हैं कि अनेक बीमा पॉलिसियाँ लेने के बावजूद यदि सभी पॉलिसियों में बीमा राशि छोटी-छोटी हो तो उन सभी की सकल राशि भी आवश्यकता से कम बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। तो जीवन बीमा कवर की समुचित राशि क्या होगी जो एक व्यक्ति को लेनी चाहिए। इसका उत्तर **HLV** निर्धारित करने के विभिन्न विधियों पर निर्भर करता है। अतः किसी व्यक्ति को उसके **HLV** के बराबर बीमा राशि लेनी चाहिए।

#### य 2 .अ आय प्रतिस्थापन विधि

इस विधि में एक व्यक्ति द्वारा उसके कार्यशील जीवन के शेष वर्षों के दौरान भावी सकल आय उपार्जन क्षमता पर ध्यान दिया जाता है ताकि उसकी असमय मृत्यु होने पर उसका परिवार वित्तीय कठिनाईयाँ नहीं उठायें।

इस विधि में निम्नांकित दो चरण होते हैं :

**चरण 1:-** कुल भावी आय की गणना जिसे व्यक्ति अपनी शेष कार्यशील वर्षों के दौरान कमाने में समर्थ होगा।

**चरण 2:-** इस राशि के वर्तमान मूल्य (चरण 1 से प्राप्त) की आज की स्थिति से गणना करें। यह व्यक्ति का मानव जीवन मूल्य है। जीवन बीमा कवर जिसे एक व्यक्ति को लेना चाहिए एच एल

वी राशि के बराबर होगा। इस विधि में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु होने की स्थिति में भविष्य में उसके द्वारा उपार्जित की जाने वाली राशि का आंकलन किया जाता है जिसे वह अपनी सेवानिवृति आयु तक जीवित रहते कमाता।

सारांश में इस विधि में मानव जीवन मूल्य को भावी सकल आय के वर्तमान मूल्य के समतुल्य माना जाता है।

### उदाहरण

राजेश रु. 4,00,000 प्रति वर्ष कमा रहा एक 35 वर्षीय व्यक्ति है। राजेश के परिवार में उसकी पत्नी(गृहणी), 4 वर्षीय पुत्री तथा उसके सेवानिवृत माता-पिता हैं जो कि अब उस पर आश्रित हैं। कर एवं व्यक्तिगत व्ययों को घटाने के बाद राजेश द्वारा परिवार के लिए शुद्ध योगदान रु. 25,000 प्रतिमाह(रु. 3,00,000 प्रति वर्ष) है।

अब कल्पना करें कि राजेश का वेतन 5% प्रति वर्ष बढ़ेगा तथा उसका पारिवारिक योगदान भी 5% प्रतिवर्ष बढ़ेगा।

वार्षिक आय	रु. 4,00,000 प्रतिवर्ष
वेतन में अपेक्षित वृद्धि	5% प्रति वर्ष
कर तथा व्यक्तिगत व्ययों के पश्चात शुद्ध आय	रु. 3,00,000 प्रतिवर्ष
वर्तमान आयु	35 वर्ष
शेष कार्यशील आयु	25 वर्ष
उपार्जन क्षमता का भावी मूल्य	रु.1,43,18,129
डिस्काउंट दर (पी पी एफ दर)	8%
भावी उपार्जन का वर्तमान मूल्य	रु. 20,90,703

राजेश के शेष कार्यशील जीवन के दौरान उसके परिवार के लिए उसका मूल्य रु. 1.43 करोड़ है यदि वह 60 वर्ष आयु तक जीवित रहता है लेकिन यदि राजेश के साथ आज कुछ हो जाता है, तो उसके परिवार को इस धन की हानि झेलनी होगी।

हमें इस रु.1.43 करोड़ का वर्तमान मूल्य प्राप्त करने की जरूरत है। अतः हम एक कमी /बट्टा दर 8% लेते हैं।(जोखिम मुक्त पी पी एफ दर) तब रु. 1.43 करोड़ का वर्तमान मूल्य रु. 20,90,703 (रु.20.90 लाख ) के बराबर आता है।

इसका अर्थ है कि एक रु.20.90 लाख की एकमुश्त राशि को 25 वर्षों के लिए 8% ब्याज दर पर निवेश करने पर परिपक्वता पर रु. 1.43 करोड़ होगा।

अतः रु. 20.90 लाख राजेश का मानव जीवन मूल्य है तथा उसे अपनी भावी आय की सुरक्षा के लिए रु. 20.90 लाख का जीवन बीमा कवर लेना चाहिए।

### य 2 ब. सरल विधि

एच.एल.वी. की गणना करने की वैकल्पिक विधि आय प्रतिस्थापन विधि से सरल है।

### उदाहरण

एक बार फिर वही राजेश का उदाहरण ले। कल्पना करें कि बाजार में वर्तमान बैंक सावधि जमा दर 8% है। अतः यदि कोई व्यक्ति बैंक एफ डी में रु.37,50,000(रु.37.5 लाख ) 8% प्रतिवर्ष

ब्याज दर पर निवेश करता है, तो वार्षिक उपार्जित ब्याज रु. 3,00,000 (रु.3 लाख ) होगा।

अतः राजेश का एच एल वी रु. 37.5 लाख है तथा उसे रु. 37.5 लाख का जीवन बीमा लेना चाहिए ताकि, उसकी असमय मृत्यु होने पर उसका परिवार रु. 37.5 लाख की राशि प्राप्त करेगा। यदि वे इसे एक बैंक एफ डी में 8% ब्याज दर पर निवेश करते हैं, तो यह उन्हें रु.3,00,000 वार्षिक आय प्रदान करेगा। यह राशि राजेश के रु. 3 लाख के वार्षिक योगदान को प्रतिस्थापित करेगी तथा उसकी अनुपस्थिति में परिवार के खर्चों को पूरा करेगी।

नीचे सारणी में राजेश के मानव जीवन मूल्य की गणना की व्याख्या की गई है:-

वार्षिक आय	रु. 4,00,000 प्रति वर्ष
कर तथा व्यक्तिगत व्यय	रु. 8,000 प्रति माह
परिवार को शुद्ध मासिक योगदान	रु. 25,000 प्रति माह
परिवार को शुद्ध वार्षिक योगदान	रु. 3,00,000 प्रति वर्ष
बैंक एफ डी दर	8%
मानव जीवन मूल्य गणना	3,00,000 / 8%
	= 3,00,000 / 0.08
	= रु. 37,50,000
आवश्यक बीमा राशि(एच एल वी)	= रु. 37,50,000

बैंक एफ डी में 8% ब्याज दर पर रु. 37,50,000 का निवेश  $37,50,000 \times 0.08 =$  रु. 3 लाख प्रति वर्ष का प्रतिफल देगा।

यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि उसका परिवार इतने लम्बे समय तक रु. 3 लाख प्रति वर्ष प्राप्त करता रहेगा जब तक बैंक एफ डी ब्याज 8% रहती है। इस विधि में ऐसा माना जाता है कि वार्षिक आय हमेशा रु. 4,00,000 स्थिर रहेगी, तथा वेतन में किसी अपेक्षित वृद्धि पर विचार नहीं किया जाता है। इसमें यह भी कल्पना की जाती है कि हमेशा बैंक एफ डी दरें 8% स्थिर रहेगी तथा ब्याज दरों में किसी सम्भावित कमी या वृद्धि पर विचार नहीं किया जाता है।

### ध्यान रहे!

मानव जीवन मूल्य एक समय की (स्थिर)गणना नहीं है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है जिसमें समय समय पर पुनः सुधार की आवश्यकता होती है। आयु बढ़ने पर मानव जीवन मूल्य घटता है।

### र. ग्रहणाधिकार

कुछ मामले ऐसे होते हैं जहाँ जोखिमांकनकर्ता अनुभव करता है कि एक व्यक्ति से सम्बद्ध जोखिम समय के साथ घट सकता है। ऐसे मामले में, जोखिमांकनकर्ता एक ग्रहणाधिकार के साथ प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है। जब भी किसी समयान्तराल में जोखिम घटता हुआ पाया जाता है, कम होने की दर के अनुसार उस अवधि के लिये ग्रहणाधिकार प्रभावी किया जाता है। ग्रहणाधिकार का उपयोग सामान्यतः एक उच्च जोखिम हेतु उच्च प्रीमियम प्रभारित करने के विकल्प के रूप में किया जाता है।

सरल शब्दों में, यदि प्रस्तावक अपने उच्च भौतिक जोखिमों के कारण कम्पनी के सामान्य प्रीमियम हेतु मानक जोखिम से अधिक जोखिम प्रस्तुत करता है तो कम्पनी उसे उच्च प्रीमियम श्रेणी में वर्गीकृत कर उच्च प्रीमियम प्रभारित करेगी। तथापि प्रस्तावक के पास ग्रहणाधिकार की प्रार्थना

करने का विकल्प है। यदि ग्रहणाधिकार प्रदान कर दिया जाता है, तो बीमा कम्पनी बीमा धन की केवल एक प्रतिबन्धित राशि भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।

### उदाहरण

अगले पाँच वर्षों तक 20% के घटते ग्रहणाधिकार के मामले में, पाँच वर्षों के पूरे होने पर ग्रहणाधिकार का अस्तित्व समाप्त हो जायेगा। अन्य शब्दों में, छठे वर्ष से दावा उत्पन्न होने पर बीमा कम्पनी को पूर्ण बीमा धन का भुगतान करना होगा।

यदि बीमित की मृत्यु ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर हो जाती है, तब बीमा कम्पनी को पूर्ण बीमाधन का भुगतान नहीं करना होगा।

ग्रहणाधिकारों के लिए दिशानिर्देश जिनका सामान्यतः बीमा कम्पनियों द्वारा अनुसरण किया जाता है:-

- एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ग्रहणाधिकार एक समान दर से घटना चाहिए।
- यदि पॉलिसी अवधि तीन के गुणक में है, तब ग्रहणाधिकार पॉलिसी की एक तिहाई अवधि के लिए प्रभावी/लागू रहता है।

वे परिस्थितियाँ जिनमें एक ग्रहणाधिकार के लिए आवेदन किया जा सकता है, अलग— अलग बीमा कम्पनियों के लिए अलग— अलग होती है। सामान्यतः कोई कम्पनी ग्रहणाधिकार लगाती है, यदि आवेदक अतिरिक्त जोखिम प्रदर्शित करता है क्योंकि उसकी भौतिक स्थितियाँ बीमा कम्पनी द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होती है।

निम्नलिखित प्रकरण अध्ययन आपको ग्रहणाधिकार के सिद्धान्त की व्याख्या करने में मदद करेगा।

### प्रकरण अध्ययन

मुकेश गुप्ता की आयु 31 वर्ष है तथा वह IGP बीमा कम्पनी से एक जीवन बीमा योजना लेना चाहता है। कम्पनी को अपनी प्रारम्भिक जाँच में पता चलता है कि मुकेश का वजन कम है। IGP बीमा कम्पनी मुकेश को उच्च जोखिम श्रेणी में वर्गीकृत करती है। कम्पनी मुकेश को, उसके उच्च जोखिम प्रोफाइल के अनुसार बीमा देने पर सहमति देती है यदि वह एक उच्च प्रीमियम का भुगतान करे।

इसके रथान पर मुकेश एक ग्रहणाधिकार लागू करने के लिए कहता है और इसलिए IGP जीवन बीमा कम्पनी तीन वर्षों के लिए एक घटता हुआ ग्रहणाधिकार लागू करती है।

### विश्लेषण

**प्रथम वर्ष:**— यदि मुकेश की मृत्यु बीमा लेने के प्रथम वर्ष में हो जाती है, तब बीमा कम्पनी द्वारा बीमा राशि का केवल 85% भुगतान किया जायेगा।

**द्वितीय वर्ष:**— यदि मुकेश की मृत्यु बीमा लेने के द्वितीय वर्ष में हो जाती है, तब बीमा कम्पनी द्वारा बीमा राशि का केवल 90% भुगतान किया जायेगा।

**तृतीय वर्ष:**— यदि मुकेश की मृत्यु बीमा लेने के तृतीय वर्ष में हो जाती है, तब बीमा कम्पनी द्वारा बीमा राशि का केवल 95% भुगतान किया जायेगा।

**चतुर्थ वर्षः—** कोई ग्रहणाधिकार लागू नहीं होगा। यदि अब मुकेश की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी को पूरा बीमा धन भुगतान करना होगा।

### प्रश्न 4.3

बीमा में ग्रहणाधिकार क्या है?

#### ल . मूल्य निर्धारण एवं प्रीमियम की गणना करना

मूल्य निर्धारण से अभिप्राय प्रीमियम की गणना से है जिसको बीमा पॉलिसी के लिए प्रभारित किया जायेगा।

बीमा पॉलिसी का मूल्य निर्धारण बीमा कम्पनी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है तथा उसे इस सम्बन्ध में कई उद्देश्यों को ध्यान में रखना होता है।

साथ ही प्रीमियम प्रभारित करते समय विचार करना होगा कि वह दावों का खर्चा तथा इच्छित स्तर पर लाभ प्रदान करने में पर्याप्त हो; कम्पनी को यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रीमियम प्रतिस्पर्धी हो ताकि उसे अन्य बीमा कम्पनियों का प्रीमियम अपेक्षाकृत कम होने से व्यवसाय की हानि नहीं हो।

यह भी ध्यान रखा जायेगा कि प्रभारित प्रीमियम की गणना करने की प्रक्रिया सरल, आसानी से समझने योग्य हो तथा बार-बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं पड़े।

जीवन बीमा के लिए प्रभारित प्रीमियम मृत्यु सारणियों में प्रदर्शित मृत्यु दर पर आधारित होता है(आपको याद होगा कि हमने इसे अध्याय 2 भाग ब 2 में बताया था), तथा हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे कि बीमाकर्ता किस प्रकार इन सारणियों तथा दरों का उपयोग करता है तथा किस प्रकार वास्तव में प्रभारित प्रीमियम की गणना की जाती है। तथापि, सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि बीमा कम्पनियाँ किस प्रकार निर्णय लेती हैं कि उनकी पॉलिसियों का मूल्य क्या होगा।

#### ल 1. मूल्य निर्धारण के तत्व

कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, कई अन्य कारक बीमा कम्पनी द्वारा कवर के लिए प्रभारित होने वाले मूल्य को प्रभावित करते हैं। ये मूल्य निर्धारक तत्व होते हैं तथा हम अब इन पर संक्षिप्त नजर डालेंगे। बाद में हम देखेंगे कि ये किस प्रकार प्रीमियम की गणना से सम्बन्धित होते हैं।

#### मृत्यु दरें

हमने पूर्व में ही उल्लेख किया था कि बीमाकर्ता मृत्यु सारणियों का उपयोग प्रीमियम की गणना में करते हैं। इन सारणियों में मृत्यु दरें शामिल होती हैं, जिसे सरल शब्दों में ऐसी सम्भावना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि एक निश्चित विशाल संख्या में व्यक्तियों के समूह में से कितने व्यक्तियों की मृत्यु अपने अगले जन्मदिन से पूर्व हो जायेगी। हम भाग ल 2 अ में देखेंगे कि मृत्यु सारणियों एवं दरों का उपयोग प्रीमियम की गणना में किस तरह किया जाता है।

#### लोडिंग

सभी कम्पनियों को व्यवसाय करनें में खर्चे होते हैं तथा बीमा कम्पनियाँ भी इससे अलग नहीं हैं। प्रीमियम एक बीमा कम्पनी की आय का मुख्य स्रोत होता है तथा प्रीमियम द्वारा इन खर्चों की लागत को पूरा किया जाना आवश्यक होता है। इन खर्चों को प्रीमियम के साथ जोड़ना लोडिंग कहलाता है।

### **प्रीमियम के निवेश से आय**

बीमा कम्पनियों द्वारा परम्परागत योजनाओं से एकत्रित किये गये प्रीमियम को बीमा अधिनियम 1938 में दिये गये अनुदेशों के अनुसार निवेश किया जाता है। इनके निवेश से अर्जित लाभ बीमा कम्पनी के खर्चों की पूर्ति में मदद कर सकता है तथा इसलिए मूल्य निर्धारण करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।

### **लाभ सुनिश्चितता**

मूल्य निर्धारण कम्पनी द्वारा प्राप्त सुनिश्चित लाभों पर निर्भर करेगा। बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले उच्च लाभ के लिए, उनकी उच्च लागत की पूर्ति के लिए आवश्यक प्रीमियम उच्च होगा।

लाभ सहित पॉलिसीधारकों को बोनस में भागीदारी का लाभ लेने के लिए थोड़ा सा उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होता है तथा सामान्यतः बोनस घोषणाओं द्वारा अच्छा प्रतिफल दिया जाता है।

### **प्रीमियम भुगतान की विभिन्न योजनाएँ**

पॉलिसीधारक कई तरह से प्रीमियम का भुगतान कर सकता है :

**एकल प्रीमियम योजना** : इस योजना में, पॉलिसीधारक को पॉलिसी के प्रारम्भ में एकल (एकमुश्त) भुगतान करना होता है।

**संतुलित प्रीमियम योजना** : इस प्रकार की योजना में, पॉलिसीधारक पॉलिसी की पूर्ण अवधि के लिए एक समान (एक स्तरीय) प्रीमियम राशि का भुगतान करता है। इस प्रकार की पॉलिसी का मूल्य निर्धारण करते समय बीमा कम्पनी को धन के वर्तमान/तात्कालिक मूल्य की आवश्यकता होगी, अन्य शब्दों में, यह भावी दावों, भावी प्रशासन तथा मुद्रास्फीति के प्रभावों के अनूरूप पर्याप्त होना चाहिए। सामान्यतः जीवन बीमा पॉलिसियाँ एक संतुलित प्रीमियम आधार पर जारी होती हैं तथा हम भाग ल 2 ब में संतुलित प्रीमियम की गणना किस प्रकार की जाती है, के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।


**परिवर्तनशील/लचीली प्रीमियम योजना** – बीमा कम्पनी पॉलिसीधारकों को परिवर्तनशील प्रीमियम योजना का भी चयन करने की अनुमति देती है, जहाँ पॉलिसीधारक अपनी सुविधानुसार प्रीमियम राशि भुगतान कर सकता है। वे चयन कर सकते हैं कि या तो पूरी अवधि तक प्रीमियम को समान रखना चाहते हैं या फिर भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम की राशि में अपनी सुविधा तथा सामर्थ्य के अनुसार परिवर्तन करना चाहते हैं। प्रीमियम राशि सामान्यतः 5 % वार्षिक बढ़ती है, लेकिन परिवर्तनशीलता के लिए वास्तविक शर्तें एवं निर्बन्धन बीमा कम्पनी निर्धारित करती हैं।

ये सभी उस प्रीमियम को प्रभावित करेंगे जो कि पॉलिसीधारक पर अन्ततः प्रभारित होता है।

## **ल 2 प्रीमियमों की गणना करना**

प्रीमियम की गणना करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :—

### चित्र 4.3



#### ल 2 अ. जोखिम प्रीमियम की गणना

बीमा कम्पनी द्वारा एकत्रित जीवन बीमा प्रीमियम एक पूल में डाला जाता है, जिसे सामान्य निधि या जीवन निधि कहा जाता है। कम्पनी द्वारा सभी भावी दावों का निपटान इस सामान्य निधि का उपयोग करके किया जाता है। अतः बीमा कम्पनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि इन दावों की पूर्ति के लिए सामान्य निधि पर्याप्त होनी चाहिए।

सामान्य निधि के लिए राशि का निर्धारण एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि कोई भी भविष्य का सही पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। तथापि ऐसा कि हमनें देखा है कि गत वर्षों की मृत्यु दरों पर साखियकी का उपयोग करके बीमा कम्पनी व्यक्ति की उसके अगले जन्म दिन से पूर्व मृत्यु होने की प्रायिकता का अनुमान कर सकती हैं। यह प्रायिकता मृत्यु दर के नाम से जानी जाती है जो जोखिम प्रीमियम की गणना के लिए उपयोग की जाती है।

#### ध्यान रहे!

प्रत्येक आयु के लिए मृत्यु सारणी उस उम्र पर जीवित लोगों की संख्या तथा उस उम्र पर मरने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। यह गत 100 या अधिक वर्षों से एकत्रित मृत्यु के आंकड़ों पर आधारित होता है।

अलग—अलग बीमा कम्पनियों की मृत्यु सारणियाँ अलग—अलग होती हैं।

व्यक्तियों की निश्चित विशाल संख्या के समूह में से एक निश्चित संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु उनकी अगली वर्षगांठ से पूर्व हो जायेगी यह प्रायिकता मृत्यु दर सारणी से जानी जा सकती है।

मृत्यु सारणियाँ गणितज्ञों द्वारा तैयार की जाती हैं जिन्हें बीमांकक कहते हैं। बीमांकक मृत्यु दरों के आधार पर प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम को निर्धारित करते हैं।

सम्बन्धित बीमा कम्पनी की मृत्यु सारणी से मृत्यु दरों का उपयोग करके जोखिम प्रीमियम की गणना की जाती है।

#### चित्र 4.4

$$\text{जोखिम प्रीमियम} = \text{मृत्यु दर} \times \text{बीमा राशि}$$

जोखिम प्रीमियम ऐसा प्रीमियम होता है जो उन दावों की पूर्ति के लिए प्रभारित किया जाता है जो वर्ष के दौरान उत्पन्न होते हैं।

यह किस प्रकार कार्य करता है, देखने के लिए एक प्रकरण—अध्ययन पर नजर डालें।

##### प्रकरण—अध्ययन

एक बीमा अभिकर्ता, अजय गुप्ता, तीन जीवन बीमा पॉलिसियाँ बेचता है।

पहली बीमा पॉलिसी एक 25 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति को बेचता है जो इंजीनियरिंग डिग्री के पश्चात एक प्रतिष्ठित आई.टी. फर्म के लिए कार्य शुरू करता है। उसने रु.5,00,000 बीमा धन का बीमा लिया है।

दूसरी बीमा पॉलिसी एक 36 वर्षीय व्यक्ति को बेचता है जो विवाहित है तथा उसके दो बच्चे हैं। उसे रु. 8,00,000 के लिए बीमित किया जाता है।

तीसरी बीमा पॉलिसी एक 48 वर्षीय ऐसे व्यवसायी को बेचता है जो सारभूत रूप में अपने जीवन की आवश्यकता के लिए रु. 40,00,000 का बीमा करवाता है।

अभिकर्ता अजय गुप्ता तीनों ग्राहकों के लिए प्रीमियम की गणना करता है। चलो देखते हैं कि वह ऐसा किस प्रकार करता है :—

ग्राहक 1 : आयु 25 वर्ष बीमा धन = रु.5,00,000 मृत्यु दर = 0.0001

जोखिम प्रीमियम = रु. 50

ग्राहक 2 : आयु 36 वर्ष बीमा धन = रु. 8,00,000

मृत्यु दर = 0.00081 जोखिम प्रीमियम = रु. 648

ग्राहक 3 : आयु 48 वर्ष बीमा धन = रु. 40,00,000 मृत्यु दर = 0.00091

जोखिम प्रीमियम = रु. 3640

हम देख सकते हैं कि प्रभारित प्रीमियम मृत्यु दर तथा बीमा धन के आधार पर अलग—अलग होता है। बीमा धन बड़ा होता है, तो प्रीमियम उच्च होता है। हम यह भी देख सकते हैं कि मृत्यु दर बीमित व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ती है।

ल 2 ब जोखिम प्रीमियम के आधार पर संतुलित प्रीमियम की गणना

हमनें अभी देखा है कि अनेक जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए बीमा कम्पनी सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि के लिए प्रीमियम की एक समान राशि प्रभारित करती है जिसे बदला नहीं जा सकता है। अतः प्रीमियम निर्धारण में बीमा कम्पनी द्वारा किये जाने वाले भावी खर्चों तथा दावों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसका अर्थ है कि समय के साथ धन का मूल्य घटता है, अतः पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किया हुआ प्रीमियम बाद के वर्षों में पूर्व के समान मूल्य नहीं रखता है। अर्थात् पॉलिसी के बाद के वर्षों के लिए मुद्रास्फीति के कारण अतिरिक्त लागत को बीमा कम्पनी वहन करेगी। परिणामस्वरूप प्रारम्भिक स्तर पर निर्धारित पर्याप्त लगाने वाले प्रीमियम को उच्चतर स्तर पर लाने की आवश्यकता होगी। प्रारम्भिक वर्षों में एकत्रित उच्च प्रीमियम बीमा कम्पनी द्वारा भविष्य के दावों तथा खर्चों की लागत पूरा करने के लिए संचित रखा जाता है।

चलो एक उदाहरण की सहायता से संतुलित प्रीमियम की मूल अवधारणा को देखते हैं :

(कृपया नोट करें : यह केवल एक नमूना परिदृश्य है)

	दावा भुगतान	खर्च	प्रीमियम का पृथक्करण
वर्ष 1	केवल एक न्यूनतम दावा राशि का भुगतान किया जायेगा।	प्रशासनिक खर्च उच्च होंगे।	प्राप्त प्रीमियम में से कुछ राशि भविष्य के लिए संचित की जायेगी। शेष दावा भुगतान तथा खर्चों के लिए उपयोग की जायेगी।
वर्ष 2	भुगतान की गई राशि पहले वर्ष से उच्च होगी	प्रशासनिक खर्च उच्च परन्तु वर्ष 1 से कम होंगे।	संचित निधि बढ़ेगी परन्तु जमा राशि वर्ष 1 की तुलना में कम होगी।
—			सांचित निधि बढ़ेगी
—			संचित निधि बढ़ेगी
—			संचित निधि बढ़ेगी
वर्ष 10	भुगतान की गई राशि उच्च होगी।	प्रशासनिक खर्च कम होंगे।	इस वर्ष के लिए एकत्रित सम्पूर्ण प्रीमियम का उपयोग दावों तथा खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है। इस वर्ष में एकत्रित प्रीमियम से कोई राशि संचित निधि में स्थानान्तरित नहीं की जाती है।
वर्ष 15	भुगतान की गई राशि उच्च होगी।	प्रशासनिक खर्च अब और कम होंगे।	इस वर्ष के लिए एकत्रित प्रीमियम दावों तथा खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। अतः कमी को पूरा करने के लिए संचित निधि से एक राशि ली जाती है।
			संचित निधि घटेगी।
			संचित निधि घटेगी।
वर्ष 20	बीमित मर जाता है	दावों की प्रक्रिया के लिए तथा अन्य प्रशासनिक खर्च होते हैं।	प्रीमियम तथा संचित निधि दावा भुगतान हेतु पर्याप्त होगी।

याद रखें, यह सारणी संतुलित प्रीमियम की अवधारणा को एक सरल रूप में समझाने के लिए उपलब्ध कराई गई है। वास्तविक व्यवहार में, प्रीमियम की गणना एक अधिक जटिल प्रक्रिया है।

उपरोक्त सारणी में केवल एक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए गणना होती है, लेकिन बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम की गणना पॉलिसियों के एक समूह के लिए करती है। दावों का भुगतान सामान्य निधि से किया जाता है तथा संचित निधि पॉलिसियों के समूह के लिए संरक्षित रखी जाती है।

अतः बीमा कराने वाले लोगों के समान आयु समूहों, सम्बद्ध जोखिम स्तर, पॉलिसी के प्रकार तथा अवधि के आधार पर एक समान पॉलिसियों के समूह के लिए पृथक रखे जाने वाले आरक्षण/संचय निधि की सकल राशि का निर्धारण जारी की गई पॉलिसियों की संख्या से भाग देकर किया जाता है।

एक आदर्श परिदृश्य में प्रारम्भिक वर्षों में संचित निधि बढ़ेगी, कुछ बाद के वर्षों में न कम न अधिक (सन्तुलन) बना रहेगा तथा बाद के वर्षों में तब तक घटेगा जब तक अन्ततः वह शून्य नहीं हो जाता है। चूंकि नये प्रस्तावक पंजीयन कराते रहते हैं अतः प्रीमियम एवं दावों का निधि में आना जाना लगा रहता है।

## ल 2 स प्रीमियम की गणना

बीमा कम्पनी द्वारा परम्परागत योजनाओं के लिए एकत्रित प्रीमियम राशि को बीमा अधिनियम 1938 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। बीमा कम्पनियाँ इन निवेशों से ब्याज के रूप में आय अर्जित करती हैं।

इस अर्जित ब्याज को प्रीमियम गणना में भी ध्यान में रखा जाता है। बीमांकक निवेश से अपेक्षित राशि का अनुमान लगाता है। इस उपर्युक्त ब्याज के अनुमान के आधार पर प्रभारित प्रीमियम घट भी सकता है।

### चित्र 4.5

$$\text{प्रीमियम} - \text{अर्जित ब्याज} = \text{शुद्ध प्रीमियम}$$

अर्जित ब्याज के आधार पर प्रीमियम में समायोजन करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं/तथ्यों पर विचार किया जाता है :-

- प्रीमियम निवेशित रखा जाता है, जब तक कि दावों के भुगतान हेतु इसकी आवश्यकता नहीं होती है;
- संतुलित प्रीमियम से उत्पन्न संरक्षित निधि का भी निवेश किया जाता है; तथा
- अर्जित होने वाला अपेक्षित ब्याज पॉलिसी की अवधि पर निर्भर करता है।

### ध्यान रहें!

बीमांकक निवेश पर अपेक्षित ब्याज दर की गणना करते समय रुद्धिवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं (बदलते आर्थिक, औद्योगिक तथा सामाजिक परिवेश की अनदेखी करना)।

## ल 2 द लोडिंग जोड़ना/ करना

सकल प्रीमियम (पॉलिसीधारक द्वारा भुगतान किये जाने वाले वास्तविक प्रीमियम) की गणना करने के लिए शुद्ध प्रीमियम पर कुछ अन्य समायोजन किया जाता है। यह समायोजन बीमा कम्पनी के खर्चों तथा लाभ को शामिल करना होता है। यह प्रक्रिया लोडिंग कहलाती है।

लोडिंग में निम्नलिखित मद्दें जोड़ी जाती हैं:-

- प्रशासनिक व्यय जैसे भवन के रखरखाव तथा कर्मचारियों के वेतन आदि पर होने वाला व्यय ;
- मेडिकल आधार पर जोखिमांकन के संबंध में होने वाला व्यय ;
- प्रक्रिया शुल्क;
- पॉलिसियों के पुनर्चलन के संबंध में होने वाला व्यय/लागत ;
- दावा निपटान सम्बन्धी खर्च,
- लाभ सीमा ; तथा
- लाभ युक्त पॉलिसियों में बोनस लोडिंग।

#### ध्यान रहें!

अधिकतर खर्चे पॉलिसी के प्रारम्भ के समय होते हैं। प्रीमियम का निर्धारण करते समय इन खर्चों को पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि में विस्तारित कर दिया जाता है।

#### ल 2 य प्रभारित किये जाने वाले सकल प्रीमियम का निर्धारण

पॉलिसी का प्रकार—चाहे वह एक एकल प्रीमियम योजना, संतुलित प्रीमियम योजना, परिवर्तनशील प्रीमियम योजना या वार्षिक नवीनीकरण योजना हो—प्रभारित किये जाने वाले सकल प्रीमियम को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए एकल प्रीमियम योजना के लिए प्रीमियम की गणना करते समय बीमा कम्पनी को यह निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि कितने लोगों द्वारा इस योजना को लिए जाने की सम्भावना है तथा पॉलिसी अवधि के दौरान कितने मृत्यु दावों के भुगतान किये जाने की सम्भावना हो सकती है।

इसी प्रकार, प्रीमियम का भुगतान चाहे वार्षिक, अर्द्धवार्षिक, त्रैमासिक या मासिक हो, इसे भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी। अधिकतर बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम की गणना वार्षिक भुगतान आधार पर करती है तथा मासिक भुगतान के लिए समुचित समायोजन करती है। यदि प्रीमियम का भुगतान वार्षिक रूप से नहीं किया जाता है तो बीमा कम्पनियाँ सामान्यतः एक “आवृति लोडिंग” प्रभारित करती हैं।

#### उदाहरण

चलो कल्पना करते हैं कि एक बीमा कम्पनी मासिक प्रीमियम योजना के लिए 5 % आवृति लोडिंग प्रभारित करती है। वार्षिक सकल प्रीमियम की गणना रु. 25,000 की जाती है। अतः पॉलिसीधारकों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मासिक सकल प्रीमियम होगा:

$$\underline{25,000 \times 1.05 = \text{रु}.2187.50}$$

#### ध्यान रहें!

इसके विपरीत कुछ बीमा कम्पनियाँ सकल प्रीमियम की गणना करती है। अर्थात् पहले वे मासिक प्रीमियम की गणना करती है फिर वार्षिक प्रीमियम की गणना करती है। वार्षिक प्रीमियम के लिए

कुछ छूट की अनुमति दी जाती है। छूट देने का कारण यह होता है कि प्रीमियम भुगतान की आवृत्ति जितनी अधिक होती है, बीमा कम्पनी के लिए प्रशासनिक लागतें उतनी ही अधिक होती है। अतः बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तावित छूट पॉलिसीधारकों को वार्षिक प्रीमियम भुगतान योजना के चयन हेतु प्रोत्साहित करती है।

#### प्रश्न 4.4

निम्नलिखित की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए।

- लोडिंग
- आवृत्ति लोडिंग

#### व. बोनस की गणना करना

सहभागिता बीमा पॉलिसियों (लाभ सहित पॉलिसियाँ) खरीदने वाले पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभ में हिस्सा पाने हेतु अधिकृत होते हैं। पॉलिसीधारकों को यह लाभ बोनस के रूप में वितरित किया जाता है। बीमा कम्पनियों द्वारा दिये गये बोनस के चार प्रकार हैं :—

- सरल प्रत्यावर्तित बोनस
- मिश्रित प्रत्यावर्तित बोनस
- अन्तिम बोनस, तथा
- अन्तरिम बोनस।

#### व 1 सरल प्रत्यावर्तित बोनस

बीमा कम्पनी इस बोनस की घोषणा करती है तथा घोषित बोनस को बीमा धन में जोड़ती है। दावे के समय या पॉलिसी की परिपक्वता या बीमा कम्पनी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य समय पर इसका भुगतान किया जाता है।

#### उदाहरण

यदि ए बी सी बीमा कम्पनी प्रति रु. 1000 बीमा धन पर 5 % बोनस की घोषणा करती है तब बोनस रु. 50 होगा। यदि स्मिता पाटिल रु.1,00,000 बीमा धन की एक पॉलिसी खरीदती है तब उनका बोनस में हिस्सा रु. 5000 होगा। यह घोषित राशि मिश्रित बोनस व्यवस्था, जिसमें घोषित बोनस अगले वर्ष की बोनस घोषणा में सम्मिलित की जाती है के विपरीत भुगतान करने के समय तक समान रहेगी।

#### व 2 मिश्रित प्रत्यावर्तित बोनस

इस व्यवस्था में बीमा कम्पनी वार्षिक बोनस की गणना चक्रवृद्धि आधार पर करती है उदाहरणार्थः बोनस, बीमा धन में शामिल किया जाता है तथा अगले वर्ष की बोनस की गणना इस बढ़ी राशि पर की जाती है।

#### प्रकरण—अध्ययन

राहुल खन्ना के पास दो सहभागिता पॉलिसियाँ प्रत्येक रु. 5,00,000 की है। कल्पना करें कि प्रथम पॉलिसी पर वह प्रत्यावर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत बोनस प्राप्त करता है तथा द्वितीय पॉलिसी पर वह मिश्रित प्रत्यावर्तित व्यवस्था के अन्तर्गत बोनस प्राप्त करता है।

बीमा कम्पनी बीमा धन का 5 % बोनस घोषित करती है। राहुल के पास रु. 5,00,000 बीमा धन है अतः बोनस रु. 25,000 होगा। अतः राहुल को भुगतान योग्य परिपक्वता राशि में निम्नानुसार वृद्धि होगी :

- सरल प्रत्यावर्तित आधार पर बीमा धन  $5,00,000 + 25,000$   
= रु. 5,25,000
- चक्रवृद्धि प्रत्यावर्तित आधार पर बीमा धन  $5,00,000 + 25,000$   
= रु. 5,25,000

अगले वर्ष बीमा कम्पनी बीमा धन का 3 % बोनस घोषित करती है। अतः इस वर्ष राहुल की भुगतान योग्य परिपक्वता राशि में निम्नानुसार वृद्धि होगी :

- सरल प्रत्यावर्तित बोनस के लिए बीमा धन =  $5,25,000 + 15,000 =$  रु. 5,40,000  
(रु. 5,00,000 का 3 % रु. 15,000 होता है)
- चक्रवृद्धि प्रत्यावर्तित बोनस के लिए बीमा धन =  $5,25,000 + 15,750 =$  रु.  
5,40,750

(रु. 5,25,000 का 3 % रु. 15750 होता है)

नोट : उपरोक्त मामले में सरल प्रत्यावर्तित विधि में बोनस की गणना सदैव रु. 5,00,000 राशि पर की जायेगी।

चक्रवृद्धि प्रत्यावर्तित बोनस के मामले में, पहले वर्ष में बोनस की गणना रु. 5,00,000 राशि पर की जायेगी तथा यह राशि रु. 5,00,000 में जोड़ी जायेगी। दूसरे वर्ष से बोनस की गणना कमानुसार बढ़ी हुई राशि पर की जायेगी तथा यह उस राशि में जोड़ी जायेगी जिस पर गणना की गई।

### व 3 अन्तिम बोनस

यह बोनस बीमित की पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि अर्थात् दीर्घावधि तक कम्पनी के साथ जुड़े रहने के फलस्वरूप प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। दीर्घावधि पॉलिसियों जैसे 20, 25 या 30 वर्षों के लिए बीमा कम्पनी परिपक्वता पर बीमा धन तथा ऊपर वर्णित बोनस के साथ एक अन्तिम बोनस दे सकती है जिसकी घोषणा कम्पनी द्वारा प्रति वर्ष की जाती है। कुछ कम्पनियाँ अन्तिम बोनस की घोषणा प्रति वर्ष करती हैं लेकिन यह पॉलिसी की परिपक्वता पर निहित तथा भुगतान योग्य होता है। यह बोनस ‘सततता’ बोनस भी कहलाता है।

### व 4 अन्तर्रिम बोनस

विधिक प्रावधानों के अनुसार बीमा कम्पनियों को प्रति वर्ष मूल्यांकन कराना होता है। पॉलिसियाँ जिन पर मृत्यु दावा उत्पन्न होता है या जो दो मूल्यांकन तिथियों के मध्य परिपक्व होती है भी अधिशेष अवधि के लिए अधिशेष में योगदान देती है, यद्यपि इन पॉलिसियों के अन्तर्गत दावा भुगतान हो जाने के बाद मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि ये पॉलिसियाँ मूल्यांकन तिथि पर बीमा कम्पनी की पुस्तकों में विद्यमान नहीं होती है, वे मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगी। तथापि बीमा कम्पनियाँ गत मूल्यांकन पर आधारित दरों पर ऐसी पॉलिसियों को एक अन्तर्रिम बोनस का भुगतान करती है। भारत में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 112 के अन्तर्गत अन्तर्रिम बोनस का भुगतान अनिवार्य किया गया है।

### गतिविधि

किसी जीवन बीमा कम्पनी की वेबसाइट को देखें। कम्पनी द्वारा गत पाँच वर्षों के लिए घोषित बोनस का अध्ययन करें। कम्पनी द्वारा सहभागिता पॉलिसीधारकों को किस प्रकार बोनस वितरित

किया जाता है?

### श. जोखिमांकन में अभिकर्ता की भूमिका

अभिकर्ता प्रस्तावक के सीधे सम्पर्क में होते हैं तथा इसलिए जोखिमांकन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा “प्राथमिक जोखिमांकनकर्ता” माने जाते हैं।

- अभिकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि जमा करवाया गया प्रस्ताव फार्म प्रस्तावक द्वारा पूर्णतः भर दिया गया है। उनको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्नों का उत्तर प्रस्तावक द्वारा ईमानदारी से दिया गया है क्योंकि प्रस्ताव फार्म के आधार पर ही प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है।
- यदि अभिकर्ता फार्म को पूर्ण करने में मदद करते हैं, तो उन्हें ईमानदारी एवं यथार्थता से इसे भरवाना चाहिए। किसी भी मामले में दिये गये उत्तर पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होने चाहिए। प्रस्तावक/सम्भावी ग्राहक के उत्तरों को जितना संभव हो उतनी विषयप्रकृता से रिकार्ड करना चाहिए तथा गलत या अपूर्ण सूचना के किसी भी तत्व से बचने की आवश्यकता होती है।
- प्रस्तावक से सीधे सम्पर्क में होने के कारण अभिकर्ता यह आंकलित करने की अच्छी स्थिति में होता है कि प्रस्तावक बीमा क्यों लेना चाहता है। यदि वह महसूस करता है कि प्रस्तावक का उद्देश्य उचित नहीं है, तो उसे अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना चाहिए। जैसे ही अभिकर्ता प्रस्तावक तथा उसके परिवार के साथ निजी परिचर्चा करता है अभिकर्ता को उनके द्वारा दिये गये जवाबों का मूल्यांकन करना आवश्यकता होता है। यदि प्रस्तावक ऐसी सूचनाएँ देता है जो विरोधाभासी लगती हो, तो उसे उनसे इस बारे में और प्रश्न करना आवश्यक होता है।
- अभिकर्ता प्रस्तावक की उस जीवन बीमा राशि के निर्धारण के लिए उनके मानव जीवन मूल्य की गणना में मदद कर सकता है जिसे उसे लेना चाहिए। एच एल वी की गणना के अनुसार जीवन बीमा लेना परिवार को आय की सुरक्षा प्रदान करता है तथा आयप्रदाता की असमय मृत्यु होने पर परिवार को वित्तीय दायित्वों की पूर्ति में भी मदद करता है।
- अभिकर्ता आवश्यक दस्तावेज तथा प्रस्ताव फार्म समय से जमा कराकर जोखिमांकन प्रक्रिया को गति दे सकता है। यदि किसी अतिरिक्त मेडिकल जाँच की आवश्यकता हो, तो अभिकर्ता को डाक्टर से साक्षात्कार हेतु समय निर्धारित करने में प्रस्तावक की सहायता करनी चाहिए तथा जल्द से जल्द डॉक्टर की रिपोर्ट को जमा करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।
- यदि बीमा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, तो पॉलिसी बीमित को सीधे ही भेजी जा सकती है या सुपुर्दगी हेतु अभिकर्ता को दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो अभिकर्ता को अब भी भूमिका अदा करनी पड़ सकती है। यद्यपि बीमा कम्पनी प्रस्तावक को यह स्पष्ट करते हुए एक पत्र भेजेगी कि उसका प्रस्ताव क्यों अस्वीकृत किया गया है, अभिकर्ता प्रस्तावक से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर अस्वीकृति के कारणों की व्याख्या कर सकता है।

### प्रश्न 4.5

अभिकर्ता की भूमिका क्या होती है जब जोखिमांकनकर्ता प्रस्ताव को अस्वीकृत करता है?

## मुख्य बिन्दु

इस अध्याय में चर्चित मुख्य विचार निम्न प्रकार सारांश में प्रस्तुत किये जा सकते हैं :—

### बीमा जोखिमांकन की प्रक्रिया

- प्रस्तावों के आंकलन तथा यह निर्णय करने की प्रक्रिया को जोखिमांकन नाम दिया गया है कि जोखिम स्वीकृत किया जाये या नहीं ? और यदि 'हाँ' तो किन शर्तों पर।
- प्रत्येक कम्पनी जोखिम के चयन के लिए आधार एवं दिशानिर्देश विकसित करती है।
- बीमा जोखिमांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण सम्मिलित है : सूचनाओं को एकत्रित करना, जोखिम का विश्लेषण, संभावित हानि का आंकलन करना, हानि की प्रायिकता का निर्धारण करना, प्रस्ताव पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करना, स्वीकार किये गये बीमों का दर निर्धारण एवं उन्हें जोखिम समूह में वर्गीकृत करना तथा पॉलिसी जारी करना।

### वांछित सूचना प्राप्त करना

- जोखिमांकक प्रस्तावक के बारे में सूचनाएँ विभिन्न स्रोतों से एकत्र कर सकता है जैसे प्रस्ताव फार्म, मेडिकल जॉच रिपोर्ट, अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट, अतिरिक्त सूचना तथा कर प्राधिकारियों से एक रिपोर्ट।

### नैतिक तथा भौतिक जोखिम

- भौतिक जोखिम से तात्पर्य बीमित जीवन से सम्बद्ध जोखिम के भौतिक प्रकृति (लक्षणों ) से है उदाहरणार्थः आयु, व्यवसाय, लिंग, निवास स्थान, आदतें, भौतिक लक्षण, स्वास्थ्य की स्थिति, शारीरिक विकलांगता , परिवार का मेडिकल इतिहास, व्यक्तिगत इतिहास आदि।
- नैतिक जोखिम से तात्पर्य प्रस्तावक के दृष्टिकोण, सोच या उददेश्य से है।

### वित्तीय, मेडिकल तथा गैर मेडिकल जोखिमांकन

- वित्तीय जोखिमांकन द्वारा समान्यतः बीमा राशि की अधिकतम सीमा, जिसके लिए किसी व्यक्ति को आवरित (कवर) किया जा सकता है, निर्धारित की जाती है। वित्तीय जोखिमांकन का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बीमित व्यक्ति के लिए कितनी बीमा राशि पर्याप्त होगी जो उसके बीमा हित से अधिक नहीं हो।
- मेडिकल जोखिमांकन के लिए जोखिमांकनकर्ता को प्रस्तावक के गत कुछ वर्षों के स्वास्थ्य रिकार्ड तथा एक मेडिकल जॉच की आवश्यकता होती है।
- गैर मेडिकल जोखिमांकन के लिए, प्रस्ताव फार्म अधिक विस्तृत होना चाहिए। गैर मेडिकल जोखिमांकन में बीमा अभिकर्ता या किसी उच्च पदीय अधिकारी से विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

### मानव जीवन मूल्य (एच एल वी)

- जीवन बीमा में एच एल वी का उपयोग मानदण्ड के रूप में यह निर्धारण करने में किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कितना जीवन बीमा कवर प्रदान किया जा सकता है। एच एल वी गणना करने में आय प्रतिस्थापन विधि के अनुसार भावी सकल आय के वर्तमान मूल्य को एच.एल.वी. के समतुल्य माना जाता है।

### ग्रहणाधिकार

- जहाँ जोखिमांकनकर्ता को लगता है कि किसी व्यक्ति से सम्बद्ध जोखिम समय के साथ घट सकते हैं तो वे ऐसे प्रस्ताव को एक ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकार कर सकते हैं।

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>यदि बीमित की ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तब बीमा कम्पनी को पूर्ण बीमा धन का भुगतान नहीं करना होगा।</li></ul> |
|--|

### मूल्य निर्धारण एवं प्रीमियम की गणना करना

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>मूल्य निर्धारण का तात्पर्य प्रीमियम दर की गणना करने की प्रक्रिया से है जो कि बीमा पॉलिसी पर प्रभारित होगी।</li><li>प्रीमियम की गणना करने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है :–<ul style="list-style-type: none"><li>जोखिम प्रीमियम की गणना;</li><li>जोखिम प्रीमियम के आधार पर संतुलित प्रीमियम की गणना;</li><li>निवेशों पर अपेक्षित ब्याज को घटाना;</li><li>लोडिंग जोड़ना; तथा</li><li>प्रभारित होने वाले सकल प्रीमियम ज्ञात करना।</li></ul></li></ul> |
|--|

### बोनस की गणना करना

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>सहभागिता बीमा पॉलिसियाँ (लाभ युक्त पॉलिसियाँ) खरीदने वाले पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभ में हिस्सा पाने हेतु अधिकृत होते हैं। यह लाभ पॉलिसीधारकों को बोनस के रूप में वितरित किया जाता है।</li><li>बीमा कम्पनियों द्वारा दिये गये बोनस के चार प्रकार है :–सरल प्रत्यावर्तित बोनस; मिश्रित प्रत्यावर्तित बोनस; अन्तिम बोनस, तथा अन्तरिम बोनस।</li></ul> |
|---|

### जोखिमांकन में अभिकर्ता की भूमिका

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>अभिकर्ता जोखिमांकन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह प्रस्तावक के सीधे सम्पर्क में होता है। जोखिम चयन प्रक्रिया में अभिकर्ता की भूमिका भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।</li></ul> |
|---|

## प्रश्न—उत्तर

4.1

जोखिमांकनकर्ता प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्न में से कोई भी निर्णय ले सकता है:-

- सामान्य दरों पर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है ;
- अतिरिक्त प्रीमियम के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है ;
- एक ग्रहणाधिकार के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है ;
- संशोधित शर्तों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है ;
- विशिष्ट / संशोधित खण्ड के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है ;
- एक निश्चित समय तक निर्णय स्थगित कर सकता है, या
- प्रस्ताव अस्वीकार कर सकता है।

4.2

प्रस्तावक का निवास स्थान एक महत्वपूर्ण भौतिक जोखिम होता है। यदि आस पड़ौस ऐसा हो जहाँ लोगों का जीवन असुरक्षित, अशान्त एवं खतरनाक वर्गीकृत हो, तो ये व्यक्ति के जोखिम को बढ़ाते हैं।

4.3

जहाँ जोखिमांकनकर्ता को लगता है कि किसी व्यक्ति से सम्बद्ध जोखिम समय के साथ घट सकते हैं तो वे ऐसे प्रस्ताव को एक ग्रहणाधिकार के साथ स्वीकार कर सकते हैं। यदि बीमित की ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कम्पनी को ग्रहणाधिकार के अनुसार बीमा धन के केवल एक विनिर्दिष्ट अनुपात का भुगतान करना होगा।

4.4

जब बीमित द्वारा भुगतान किये जाने वाले सकल प्रीमियम की गणना करते समय बीमा कम्पनी लाभों तथा खर्चों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध प्रीमियम का समायोजन करती है तो इसे लोडिंग कहते हैं।

आवृत्ति लोडिंग वार्षिक की तुलना में अधिक आवृत्ति में प्रीमियम भुगतान के कारण बढ़ती प्रशासनिक लागतों को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम का समायोजन करना होता है।

4.5

यदि प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है तो कम्पनी प्रस्तावक को कारण बताते हुए एक पत्र भेजती है। अभिकर्ता प्रस्तावक के साथ व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट कर सकता है।

**स्व—परीक्षण प्रश्न**

- |  |
|--|
| <p>1. अन्तरिम बोनस क्या है ?</p>   |
| <p>2. "संतुलित प्रिमियम" की गणना करते समय कोई बीमा कम्पनी मुद्रास्फीति के प्रभाव को किस प्रकार दूर या कम करती है ?</p> |

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

### स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1.

यदि किसी पॉलिसी के अन्तर्गत दो मूल्यांकनों के मध्य परिपक्वता या मृत्यु दावा का भुगतान करना होता है तो यह अगली मूल्यांकन प्रक्रिया में मांग नहीं लेती है, परन्तु बीमा कम्पनी को पूर्व मूल्यांकन की दरों पर अन्तरिम बोनस का भुगतान करना होगा। ऐसा अन्तरिम बोनस बीमा अधिनियम 1938 की धारा 112 के अन्तर्गत अनिवार्य किये गये हैं।

2.

एक बीमा कम्पनी संतुलित प्रीमियम की गणना करते समय मुद्रास्फीति के प्रभाव का आंकलन करेगी। इसमें योजना के पूर्व के कुछ वर्षों में एकत्रित प्रीमियम का कुछ भाग भावी दावों और खर्चों की लागत को पूरा करने के लिए एक संचित निधि में डाला जायेगा। पॉलिसीधारक संतुलित प्रीमियम योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण अवधि के लिए एक समान राशि का भुगतान करता है।

# 5

## मूल जीवन बीमा उत्पाद

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य पद	
अ. सुरक्षा की आवश्यकता	5.1
ब. जीवन बीमा उत्पाद	5.2
स. कराधान एवं मुद्रास्फीति	5.3
द. सुरक्षा जरुरतों को प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना	5.4 , 5.5
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न—उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
<b>अध्ययन उद्देश्य</b>	
इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :—	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• किसी व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरुरतों को समझने या वर्णन करने में;</li> <li>• सुरक्षा जरुरतों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारकों की व्याख्या करने में;</li> <li>• एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्वों का वर्णन करने में ;</li> <li>• बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तावित किये गये मूल जीवन बीमा उत्पादों की व्याख्या करने में;</li> <li>• जीवन बीमा की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की व्याख्या करने में;</li> <li>• जीवन बीमा उत्पादों के कराधान प्रावधानों का वर्णन करने में;</li> <li>• जीवन बीमा उत्पादों पर मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रभाव डालती है, का वर्णन करने में ;</li> <li>• ग्राहक की जरुरतों की प्राथमिकता क्रम निर्धारित करने तथा उन जरुरतों को पूरा करने के लिए उचित मूल जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने में ।</li> </ul>	

## परिचय

जैसा कि हमनें अध्याय 1 में देखा है कि सुरक्षा की जरूरत तब होती है जब कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित हो जाती है जो व्यक्ति तथा/या उसके आश्रितों के लिए वित्तीय आपदा उत्पन्न कर सकती है। हमनें यह भी देखा है कि अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति सुरक्षा बीमा द्वारा उपलब्ध कराई जाती है जिसका उद्देश्य बीमित घटना के घटित होने से हुई आर्थिक हानि की अधिकतम आर्थिक प्रतिपूर्ति किया जाना है।

यदि कोई व्यक्ति जानता भी है कि कुछ प्रकार की बीमा सुरक्षा से वह लाभ प्राप्त करेगा, परन्तु उसे हमेशा इसकी सही समझ नहीं होती है कि उसकी वास्तविक व्यक्तिगत सुरक्षा जरूरतें क्या हैं। ऐसे लोगों को सही विकल्प चुनने में मदद करना अभिकर्ता का कार्य है।

इस अध्याय में हम बाजार में उपलब्ध विभिन्न जीवन बीमा योजनाओं की विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में पढ़ेंगे तथा विशेषकर उस उत्पाद के वे लक्षण / गुण जो उसे एक ग्राहक के लिए उपयुक्त बनाते हैं।

अध्याय 6 तथा 7 में हम अपना ध्यान व्यक्ति की बचत जरूरतों तथा बचत उत्पादों की शृंखला की तरफ केन्द्रित करेंगे जो इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध हैं तथा अन्य वित्तीय उत्पादों की तरफ भी ध्यान देंगे जिन्हें अभिकर्ता को समझने की जरूरत है।

यह समझ ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरतों तथा परिस्थितियों के अनुसार सही एवं स्तरीय बीमा कवर की सलाह देने में आपको सक्षम बनायेगी।

## मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

सुरक्षा जरूरत	सुरक्षा जरूरत को प्रभावित करने वाले कारक	मृत्यु कवर	उत्तरजीविता अनुलाभ
अवधि बीमा योजना	शुद्ध बन्दोबस्ती योजना	बन्दोबस्ती बीमा योजना	आजीवन बीमा योजना
परिवर्तनीय बीमा योजना	एकल जीवन बीमा योजना	संयुक्त जीवन बीमा योजना	समूह बीमा योजना
लघु बीमा योजना	यूलिप (ULIPs)	लाभ सहित पॉलिसी	कराधान
मुद्रास्फीति	जरूरतों को प्राथमिकता क्रम में रखना	बाल योजना	मनी-बैंक योजना

## अ. सुरक्षा जरूरतें

एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको किसी व्यक्ति की मृत्यु या अपंगता से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा जरूरतों के बारे में सरोकार रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पूर्व कुछ पल निम्नलिखित प्रकरण-अध्ययन पर विचार करें।

## प्रकरण अध्ययन – प्रशान्त के जीवन में खराब मोड़ आता है

### चरण I

प्रशान्त एक 35 वर्षीय व्यक्ति है जो अपनी नौकरी में अच्छी तरह व्यवस्थित है। उसकी पत्नी एक गृहिणी है तथा उसका एक 7 वर्षीय पुत्र निशान्त है। प्रशान्त चाहता है कि निशान्त बड़ा होकर एक डॉक्टर बने तथा वह निशान्त के मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए स्थूच्यल फण्ड में गत दो वर्षों से 5000 रु. प्रति माह निवेश कर रहा है। उसके माता पिता सेवानिवृत्त तथा उस पर आश्रित हैं।

प्रशान्त 10 वर्षों के लिए रु. 2,00,000 कवर की एक बन्दोबस्ती पॉलिसी लेता है जिसके लिए वह प्रति वर्ष रु. 20,000 प्रीमियम का भुगतान करता है। प्रशान्त के लिए रु. 2,00,000 कवर महत्वपूर्ण नहीं है, उसे पॉलिसी के आयकर लाभों ने आकर्षित किया था।

प्रशान्त गत वर्ष नये घर में चला गया। पहले वह एक किराये के मकान में रहता था। प्रशान्त के पास अब रु. 7 लाख के कार ऋण के अतिरिक्त रु. 40 लाख का गृह ऋण चल रहा है। वह वार्षिक छुटियों का आनन्द अपने परिवार के साथ उठाता है जिसके लिए वह अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है। प्रशान्त भारत के उभरते भावी मध्यम वर्ग का एक अच्छा उदाहरण है। सब कुछ उसके पास है और वह महसूस करता है कि उसे अपने जीवन से और अधिक कुछ नहीं चाहिए।

### चरण II

उसकी प्रसन्नता के स्थान पर, भाग्य ने प्रशान्त के लिए कुछ और ही रच रखा था; जीवन एक ऐसा भयानक मोड़ लेता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। निशान्त बहुत खुश है उसके 8 वें जन्म दिन पर एक नई साइकिल के उपहार का वादा किया गया है तथा वह अपने पिता का मुम्बई से एक आधिकारिक सम्मेलन से लौटने का इन्तजार नहीं कर पा रहा था इतना छोटा लड़का कैसे कल्पना कर सकता है कि उसके पिता अब कभी नहीं लौटेंगे। घर लौटते समय प्रशान्त का विमान क्रेश हो जाता है तथा क्रेश में उसकी मृत्यु हो जाती है। न तो निशान्त के पिता और न ही उसकी साइकिल आयी केवल प्रशान्त के दुखद निधन का समाचार आया जो उसके परिवार को गंभीर आघात पहुँचाता है।

### चरण III

प्रशान्त के परिवार के लिए यह एक मात्र दुखद समाचार नहीं था। उसके साथ बहुत से समाचार आते हैं। प्रशान्त के परिवार के आँसू तक भी नहीं सूखते हैं कि लेनदार उसके मकान के बाहर लाईन बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड वसूली अभिकर्ता, फिर ऋण वसूली अभिकर्ता जो कार पर पुनः कब्जा कर लेता है क्योंकि प्रशान्त का परिवार कार ऋण की ई एम आई का भुगतान नहीं कर सकता है। अन्तिम आघात बैंक से आता है जो प्रशान्त के परिवार से मकान खाली करने के लिए कहता है क्योंकि वे गृह ऋण की ई एम आई का भुगतान करने में असमर्थ हैं।

निशान्त की शिक्षा का सपना भी ध्वस्त हो जाता है क्योंकि परिवार किसी भी तरह और उसकी शिक्षा पर और आगे निवेश नहीं कर सकता है। परिवार का अस्तित्व ही इस पर टिका था कि प्रशान्त परिवार में एक मात्र आय अर्जक था।

रु. 2,00,000 की बन्दोबस्ती पॉलिसी एक वर्ष तक भी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। यह एक मात्र बीमा कवर था जिसे प्रशान्त ने खरीदा था तथा वास्तव में यह केवल आयकर

**लाभ के लिए ही था।**

कुछ क्षणों के लिए, इस प्रकरण को अपने ध्यान में रखे जब तक हम इस अध्याय के शेष भाग का अध्ययन करें। हम यह देखने के लिए भाग द में बाद में लौटकर आयेंगे कि प्रशान्त एवं उसके परिवार के लिए क्या भिन्न-भिन्न विकल्प हो सकते थे।

### **अ 1 एक व्यक्ति की सामान्य सुरक्षा जरूरतें**

एक व्यक्ति द्वारा बीमा के रूप में वित्तीय सुरक्षा चाहने के कई कारण हैं। ये जरूरतें निम्न प्रकार हैं :—

#### **अ 1 अ. आय**

एक व्यक्ति को अपनी आय की सुरक्षा करने की बहुत जरूरत है जिसे वह वर्तमान में उपार्जित कर रहा है तथा भविष्य में बनाये रखने की आशा है। हमनें उपरोक्त प्रकरण-अध्ययन में देखा है कि बिना आय सुरक्षा असमय मृत्यु एक परिवार को कितनी वित्तीय परेशानी में डाल सकती है। अवधि बीमा आय की भावी हानि को रोकने में सहायता कर सकता है।

#### **अ 1 ब. मेडिकल जरूरतें**

मेडिकल आकस्मिकताएँ तब प्रहार करती हैं जब उनकी न्यूनतम अपेक्षा की जाती है। हमनें उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में देखा है कि प्रशान्त के पिता सेवानिवृत है एवं उस पर आश्रित है। यदि वृद्धावस्था में बीमारी से सामना हो ; तो उपचार में होने वाला व्यय पारिवारिक आय प्रदाता को गहरा आघात दे सकता है। मेडिकल बीमा अनपेक्षित मेडिकल आकस्मिकताओं के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता कर सकता है।

#### **अ 1 स आश्रित**

- **बच्चों की शिक्षा** :— इन दिनों बहुत सारे बच्चे एम बी ए / इंजीनियरिंग / मेडिकल पाठ्यक्रम में जाना चाहते हैं तथा कुछ सीमित संख्या में अच्छे संस्थान स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा की लागतें तीव्र गति से बढ़ रही हैं। परिणामस्वरूप, माता-पिता को पहले से ही अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी योजना की जरूरत होती है। उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में हमनें देखा है कि एक अभिभावक की असमय मृत्यु किस प्रकार उसके बच्चे की शिक्षा योजनाओं को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए बच्चों की शिक्षा हेतु निधि की सुरक्षा की जरूरत होती है। एक बाल बीमा योजना (जिसे हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे) अभिभावक की अनुपस्थिति में इस मामले में सहायता कर सकती है।
- **बच्चों का विवाह** :— अभिभावक अपने बच्चे की जरूरत के अनुसार उसे प्रत्येक उच्च स्तरीय वस्तु देने के लिए सब कुछ करेंगे। अभिभावक का सपना होता है कि उनकी एक मात्र पुत्री का विवाह स्थानीय स्तर पर सबसे अच्छा होना चाहिए तथा प्रत्येक मेहमान के लिए चर्चा का विषय बनना चाहिए। अपने सपने को पूरा करने के लिए, अभिभावक बच्चे के जन्म से ही उसके विवाह के लिए निवेश करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक अभिभावक की असमय मृत्यु विवाह की योजना के सपने को तोड़ डालती है। अतः सुरक्षा की जरूरत होती है। एक बाल बीमा योजना अभिभावक की असमय मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकती है।

## अ १ दसम्पतियाँ तथा दायित्व

सम्पतियाँ जैसे कि हमारा मकान, कार या व्यवसाय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सम्पतियों के निर्माण में विशाल प्रारम्भिक निवेश की जरूरत होने के कारण – उनके लिए धन हेतु हमें ऋण के लिए आवेदन करना होगा। यह सुनिश्चित करना परिवार के आय प्रदाता व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि इन ऋणों का समय पर पुनर्भुगतान हो। लेकिन यदि आय प्रदाता की असमय मृत्यु हो जाती है, कौन इन ऋणों के लिए जिम्मेदारी लेगा ? हमने उपरोक्त प्रकरण अध्ययन में देखा है कि किस प्रकार प्रशान्त के परिवार ने अपनी कार एवं मकान खो दिया क्योंकि वे प्रशान्त की अनुपस्थिति में ई एम आई के पुनर्भुगतान में समर्थ नहीं थे। अतः मुख्य आय प्रदाता की अनुपस्थिति में इन सम्पतियों (ऋणों) की सुरक्षा की जरूरत होती है इस मामले में गृह या अवधि बीमा सुरक्षा प्रदान कर सकता है। अतिरिक्त अवधि बीमा आय प्रदाता की असमय मृत्यु होने के मामले में क्रेडिट कार्ड बकाया, व्यक्तिगत ऋणों, कार ऋण तथा अन्य किसी भी ऋण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

## अ १ य परिवार की देखभाल

आय प्रदाता की अनुपस्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा की जरूरत होती है। हमने प्रकरण अध्ययन में देखा है कि प्रशान्त की मृत्यु के बाद उसके परिवार का अस्तित्व खतरे में आ जाता है। यदि केवल एक आय प्रदाता है तब बीमित को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समय से पूर्व मृत्यु के मामले में अपने परिवार की देखभाल के लिए उसके पास पर्याप्त जीवन बीमा है। यहाँ एक अवधि बीमा योजना परिवार को एक मुश्त काशि प्रदान कर सकती है या एक पेंशन योजना नियमित आय प्रदान कर सकती है।

### ध्यान रहे!

उचित वित्तीय योजना उपरोक्त सभी जरूरतों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। एक उचित वित्तीय योजना सुरक्षा, निवेश का प्रतिफल तथा कर लाभों के रूप में तीन लाभ प्रदान कर सकती है।


### इस पर विचार करे

अब चूंकि आप एक व्यक्ति की सामान्य सुरक्षा जरूरतों को जान गये हैं आप अपनी निजी सुरक्षा जरूरतों की सूची बनाइए। क्या आपको कोई अन्य सुरक्षा जरूरत है जिसे ऊपर वर्णित नहीं किया गया है ?

## अ २ सुरक्षा जरूरतों को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक

किसी ग्राहक की सही सुरक्षा जरूरतें निम्नलिखित निजी एवं वित्तीय विवरणों से प्रभावित होती है :

## चित्र 5.1



चलो इनमें से प्रत्येक पर विस्तार से नजर डालें।

### अ 2 अ आयु

आयु एक व्यक्ति की जरूरतों को कई तरह से प्रभावित करती है। जब एक व्यक्ति अपने पहले 20 वर्षों में कमाना शुरू करता है तो वे आत्म सुरक्षा तथा आय की सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। उत्तरोत्तर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व बढ़ता है जब उसका विवाह होता है, सम्पत्ति जैसे आवास, सेवानिवृति आयु के बाद अर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था तथा अपने आश्रित माँ-बाप की देखभाल की आवश्यकताओं की पूर्ति। बढ़ती आयु सुरक्षा खरीदने की लागत को भी प्रभावित करती है। 20–25 वर्ष आयु समूह के एक व्यक्ति के लिए बीमा प्रीमियम एक 30–35 वर्ष की आयु से बहुत कम होता है। अतः जल्दी से जल्दी बीमा सुरक्षा खरीदने में ही चतुराई है।

### अ 2 ब आश्रित

जब व्यक्ति का विवाह हो जाता है, तो उसका परिवार बढ़ता है तथा वह अपनी पत्नी / पति तथा बच्चों का उत्तरदायित्व उठाता है। किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ जब उसके अभिभावक सेवानिवृत होंगे, वे भी उस पर आश्रित हो सकते हैं, इस तरह व्यक्ति के आश्रितों की संख्या बढ़ती है तथा एक उच्च बीमा सुरक्षा कवर की जरूरत बढ़ती है।

### अ 2 स आय

एक व्यक्ति की आय उसके वित्तीय उत्तरदायित्वों, जैसे उसके बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, एक मकान खरीदने तथा सेवानिवृति कोष की स्थापना के लिए आवश्यक योजनाओं को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है।

जब एक व्यक्ति उपार्जन शुरू करता है तो उसकी आय सामान्यतः कम होती है। इस अवस्था में आय जरूरतों जैसे एक मकान तथा / या एक कार खरीदने की पूर्ति नहीं कर सकती है। ऋण इस विसंगति को पाटता है। परिवार के मुख्य आय प्रदाता के साथ कुछ भी अप्रिय घटित होने की स्थिति में इस ऋण के विरुद्ध बीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। उत्तरदायित्वों जैसे बच्चों की शिक्षा

तथा विवाह एवं अपने सेवानिवृत्ति के लिए निवेश करते समय व्यक्ति एक छोटी राशि से शुरूआत कर सकता है तथा अपना निवेश अपनी आय बढ़ाने के साथ—साथ बढ़ा सकता है।

## अ 2 द सम्पत्तियाँ तथा दायित्व

सम्पत्तियाँ तथा दायित्व किसी व्यक्ति की सुरक्षा जरूरतों पर एक बड़ी सीमा तक प्रभाव डालते हैं। सम्पत्तियों जैसे एक मकान के लिए वित्त मुख्यतया ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है। आय की सुरक्षा उपलब्ध होने पर परिवार आय प्रदाता की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान में सक्षम होता है।

आय प्रदाता की मृत्यु की स्थिति में एक कार खरीदने या अवकाश का आनन्द लेने के उद्देश्य से लिये गये ऋणों जैसे दायित्व परिवार के सदस्यों पर भार डाल सकते हैं। परिवार को इन ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये अन्य सम्पत्तियों या निवेशों को बेचने या तोड़ने पर मजबूर कर सकता है और यह परिवार के लिए हानिकारक हो सकता है।

## ब जीवन बीमा उत्पाद

### ब 1. एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्व

जीवन बीमा कम्पनियाँ जल्दी मृत्यु होने के जोखिम या अत्याधिक लम्बे जीवन के जोखिम को कवर करते हुए विभिन्न योजनाएँ प्रस्तावित करती हैं। भारत में बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित अधिकांश बीमा योजनाओं में दो मूल तत्व होते हैं :—

- **मृत्यु कवर** — यह राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में नामित/लाभग्रहिता को भुगतान की जाती है।
- **परिपक्वता लाभ** — यह राशि पॉलिसी की परिपक्वता पर भुगतान की जाती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है। कुछ पॉलिसियाँ जैसे मनी-बैंक पॉलिसियाँ परिपक्वता से पूर्व पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को समय—समय पर भुगतान भी करती है ये उत्तरजीविता अनुलाभ कहलाते हैं। मनी-बैंक पॉलिसियों के बारे में इस अध्याय के भाग ब 2 एम में विस्तार से चर्चा की जायेगी।

#### ध्यान रहे!

सामान्यतया पॉलिसियाँ केवल एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित ली जाती है, जिसे एकल बीमित जीवन पॉलिसी कहा जाता है। एक से अधिक व्यक्तियों को बीमित करने वाली पॉलिसियों के बारे में हम भाग ब 2 ल तथा ब 2 श में देखेंगें।

### ब 2 मूल जीवन बीमा योजनाएँ

बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तुत जीवन बीमा के मुख्य प्रकार नीचे वर्णित है :—

#### ब 2 ए अवधि बीमा योजना

यह जीवन बीमा उद्योग द्वारा प्रस्तुत मूलभूत योजना है जो बीमे का सरलतम रूप है। इस योजना में जीवन बीमा कम्पनी एक निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) भुगतान करने का वादा करती है यदि बीमित की मृत्यु योजना अवधि के दौरान हो जाती है। यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है तब वे कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे अर्थात् ऐसी पॉलिसियों में कोई परिपक्वता लाभ नहीं होता है।

अतः संक्षेप में, यह योजना प्लान की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में केवल मृत्यु कवर देती है।

### उदाहरण

प्रशान्त ए बी सी बीमा कम्पनी से 30 वर्षों के लिए 75 लाख रु. बीमा धन की एक अवधि बीमा योजना लेता है। पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार यदि पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों के दौरान प्रशान्त की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा कम्पनी प्रशान्त के नामिति को 75 लाख रु. की राशि का भुगतान करेगी।

तथापि, यदि प्रशान्त सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों तक जीवित रहता है तब वह कोई परिपक्वता या जीवित हित प्राप्त नहीं करेगा।

### मुख्य बिन्दु

- अवधि बीमा योजना केवल मृत्यु कवर देती है।
- बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित बीमा योजनाओं का यह सरलतम रूप है।
- अवधि बीमा योजनाएँ बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती बीमा योजना है। एक कम प्रीमियम पर कोई व्यक्ति अपने दायित्वों की पूर्ति हेतु एक बड़ी राशि का कवर प्राप्त कर सकता है।
- अवधि : जैसा कि नाम से स्पष्ट है ये योजनाएँ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। सामान्यतः अवधि 5 वर्षों से शुरू होती है तथा 10, 15, 20, 25, 30 वर्षों अथवा बीमित द्वारा चयनित तथा बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत किसी अवधि तक चलती है।
- दायित्वों की पूर्ति हेतु सुरक्षा : बड़े दायित्वों जैसे गृह ऋण या कार ऋण को कवर करने के लिए अवधि बीमा कवर सर्वोत्तम हल होता है।
- बीमा कम्पनियाँ कुछ अवधि योजनाओं के अन्तर्गत योजना की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति के मृत्यु कवर को बढ़ाने या घटाने की अनुमति देती है।
- न्यूनतम तथा अधिकतम बीमा धन : अधिकतर अवधि योजनाओं के लिए बीमा कम्पनी न्यूनतम तथा अधिकतम बीमा धन निर्दिष्ट करती है। कुछ कम्पनियों में अधिकतम बीमा धन जोखिमांकनकर्ता के विवेकाधीन होता है।
- न्यूनतम तथा अधिकतम आयु :— अधिकतर बीमा कम्पनियाँ अवधि बीमा योजनाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयु निर्दिष्ट करती है।

### ब 2 ब प्रीमियम की वापसी (ROP) योजना

कुछ बीमा कम्पनियाँ प्रीमियम के प्रतिफल के रूप में विभिन्न अवधि बीमा योजनाएँ भी प्रस्तावित करती हैं। यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु योजना अवधि के दौरान हो जाती है, तो बीमा कम्पनी निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) का भुगतान नामिति /लाभगृहिता को करती है। यदि बीमित व्यक्ति सम्पूर्ण पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तब परिपक्वता पर बीमा कम्पनी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार प्रीमियम का कुछ भाग, या भुगतान किया गया सम्पूर्ण प्रीमियम बीमित व्यक्ति को वापिस करती है।

अवधि बीमा योजनाओं के अन्य स्वरूपों में, कुछ कम्पनियाँ परिपक्वता पर प्रीमियम के साथ कुछ ब्याज का भुगतान भी करती है यदि बीमित व्यक्ति परिपक्वता तक जीवित रहता है।

**इस पर विचार करें**

यदि आपको एक अवधि बीमा योजना तथा एक प्रीमियम वापसी योजना में से चयन करना हो तो, आप किसका चयन करेंगे और क्यों ?

**ब 2 सुद्ध बन्दोबस्ती योजना**

एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना एक अवधि योजना का विलोम होती है। इस योजना में जीवन बीमा कम्पनी बीमित को मात्र एक निर्दिष्ट राशि (बीमा धन) का भुगतान करने का वचन देती है यदि वे योजना की अवधि तक जीवित रहते हैं। यदि एक बीमित व्यक्ति की योजना की अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है तब उनको किसी तरह का भुगतान नहीं होगा।

अतः संक्षेप में, यह योजना सम्पूर्ण अवधि तक बीमित व्यक्ति के जीवित रहने की स्थिति में केवल परिपक्वता लाभ प्रदान करती है। इसमें कोई मृत्यु कवर नहीं होता है।

**उदाहरण**

प्रशान्त ए बी सी बीमा कम्पनी से 30 वर्षों के लिए रु. 75 लाख बीमा धन की एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना लेता है। पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार यदि प्रशान्त पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों तक जीवित रहता है तो बीमा कम्पनी प्रशान्त को पॉलिसी की परिपक्वता पर रु. 75 लाख का भुगतान करेगी।

तथापि, यदि प्रशान्त की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों के दौरान हो जाती है तो वह कोई मृत्यु कवर नहीं प्राप्त करेगा।

जीवन बहुत अनिश्चित है। प्रशान्त जैसे लोग यह निर्णय लेने में कभी समर्थ नहीं होंगे कि उनकी जरूरतों के लिए एक अवधि बीमा योजना या शुद्ध बन्दोबस्ती योजना उपयुक्त होगी क्योंकि वे नहीं जानते कि वे कितने समय तक जीवित रहेंगे या कब मर जायेंगे।

अतः यदि प्रशान्त 30 वर्षों के लिए एक अवधि बीमा योजना लेता है तथा योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है, तब 30 वर्षों के उपरान्त वह कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। इसी तरह, यदि वह 30 वर्षों के लिए एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना लेता है तथा दुर्भाग्य से इस अवधि के दौरान वह मर जाता है, तब भी उसका नामिति / लाभगृहिता कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा।

उपरोक्त जैसी वर्णित परिस्थितियाँ बीमा योजना के चयन के बारे में लोगों को भ्रमित कर देती हैं। उपरोक्त परिस्थिति को हल करने के लिए, जीवन बीमा कम्पनियाँ उपरोक्त दो योजनाओं के लक्षणों को मिलाती हैं तथा उन्हें एक बन्दोबस्ती योजना के रूप में प्रस्तुत करती हैं।

**ब 2 द बन्दोबस्ती बीमा योजना**

एक बन्दोबस्ती बीमा योजना मूलतः एक अवधि बीमा योजना तथा एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना का मिश्रण होता है। यह मृत्यु कवर प्रस्तावित करती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि के दौरान मर जाता है या जीवित हित लाभ प्रस्तावित करती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की परिपक्वता तक जीवित रहता है।

**उदाहरण**

प्रशान्त 30 वर्षों के लिए रु. 75 लाख बीमा धन की एक बन्दोबस्ती बीमा योजना लेता है। पॉलिसी

की शर्तों के अनुसार यदि प्रशान्त 30 वर्षों तक जीवित रहता है तो, बीमा कम्पनी प्रशान्त को रु. 75 लाख तथा अर्जित बोनस का भुगतान पॉलिसी की परिपक्वता पर करेगी। यदि प्रशान्त की पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों के दौरान या पॉलिसी की परिपक्वता से पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो उसका नामिति /लाभग्रहिता रु. 75 लाख तथा उसकी मृत्यु तक निहित बोनस राशि मृत्यु कवर के रूप में प्राप्त करेगा तथा पॉलिसी बन्द हो जायेगी।

उपरोक्त योजना निम्न का मिश्रण है :—

- 30 वर्षों के लिए रु. 75 लाख का एक अवधि बीमा योजना ; तथा
- 30 वर्षों के लिए रु. 75 लाख का एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना ।

इसलिए यदि पॉलिसी की अवधि के दौरान प्रशान्त की मृत्यु हो जाती है, तो अवधि बीमा योजना द्वारा भुगतान होगा, लेकिन यदि वह पूर्ण पॉलिसी अवधि के 30 वर्षों तक जीवित रहता है तो शुद्ध बन्दोबस्ती द्वारा भुगतान होगा ।

### ध्यान रहे!

भारत में जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश योजनाएँ अवधि बीमा तथा शुद्ध बन्दोबस्ती योजनाओं का मिश्रण होती है।

### इस पर विचार करें

यदि आपको एक अवधि बीमा योजना, एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना या एक बन्दोबस्ती बीमा योजना में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों ?

### मुख्य बिन्दु

- **बन्दोबस्ती बीमा योजनाओं में** यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है तो परिपक्वता पर एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जाता है।
- **मृत्यु कवर :** इन योजनाओं में मृत्यु कवर तत्व होता है। यदि बीमित की मृत्यु योजना की परिपक्वता से पूर्व हो जाती है, तब नामिति /लाभग्रहिता को मृत्यु कवर लाभ का भुगतान किया जाता है।
- **बचत तत्व :** इन योजनाओं में मृत्यु कवर के अलावा बचत तत्व भी होता है। प्रीमियम में से मृत्यु कवर प्रभार तथा प्रशासनिक प्रभार घटाने के पश्चात, शेष राशि बीमा कम्पनी द्वारा निवेशित की जाती है। उपार्जित प्रतिफल से बीमित व्यक्ति को बोनस के रूप में कुछ भुगतान कर दिया जाता है।
- **लक्ष्य आधारित निवेश :** ये योजनाएँ किसी एक विशिष्ट योजना जैसे एक बच्चे की उच्च शिक्षा या विवाह आदि के लिए धन संचय के लिए भी खरीदी जा सकती है।
- **कुछ बीमा कम्पनियाँ आंशिक आहरण या** इन पॉलिसियों पर ऋण की अनुमति भी देती है।
- **यह योजना विभिन्न विभेदों के** रूप में भी प्रस्तुत की जाती है। कुछ योजनाएँ परिपक्वता लाभ की तुलना में उच्च मृत्यु कवर अथवा इसका विलोम प्रस्तुत करती हैं।
- **कुछ योजनाओं में** परिपक्वता लाभ मृत्यु कवर का दुगुना होता है। इस प्रकार की योजना दोहरी बन्दोबस्ती बीमा योजना के रूप में जानी जाती है।

एक जीवन बीमा योजना के मूल तत्वों को समझाइए।

### सहभागिता तथा गैर-सहभागिता पॉलिसियाँ

अधिकांश बन्दोबस्ती पॉलिसियों के प्रीमियम में बचत का तत्व भी शामिल रहता है। बीमा कम्पनी द्वारा यह राशि पॉलिसीधारकों की ओर से निवेश की जाती है तथा इस पर उपार्जित लाभ पॉलिसीधारकों में बोनस के रूप में वितरित कर दिया जाता है।

ऐसी योजनाएँ जहाँ पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभ में सहभागिता प्राप्त करने हेतु अधिकृत होते हैं "लाभयुक्त" योजनाएँ या सहभागिता " योजनाएँ कहलाती हैं। अधिकांश बन्दोबस्ती, मनी-बैंक तथा आजीवन योजनाएँ सहभागिता योजनाएँ होती हैं। मनी बैंक तथा आजीवन योजनाओं पर अधिक विस्तृत चर्चा इस भाग में बाद में की जायेगी।

योजनाएँ जिनमें पॉलिसीधारक बीमा कम्पनी के लाभों में सहभागिता हेतु अधिकृत नहीं होता है लाभ रहित या गैर सहभागिता योजनाएँ कहलाती हैं। शुद्ध अवधि बीमा योजनाएँ लाभ रहित योजनाओं का एक उदाहरण है।

### संस्तुत क्रिया

यदि आपके पास इंटरनेट सुविधा है, तो पाँच बीमा कम्पनियों की वेबसाइट देखें तथा उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बन्दोबस्ती योजनाओं की विशिष्ट शर्तों/लाभों का अध्ययन करें। पाँचों कम्पनियों की बन्दोबस्ती योजनाओं की विशिष्ट शर्तों/लाभों का तुलनात्मक चार्ट बनायें। आपके विचार से कौनसी कम्पनी सर्वोत्तम बन्दोबस्ती योजना प्रस्तावित करती है और क्यों ?

### ब 2 य आजीवन बीमा योजनाएँ

- एक अनिर्दिष्ट अवधि के लिए एक अवधि योजना एक आजीवन योजना कहलाती है। कुछ योजनाओं में बचत तत्व भी होता है। बीमा कम्पनी इन योजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले निवेश पर उपार्जित प्रतिफल के आधार पर बोनस की घोषणा करती है।
- जैसा कि योजना के नाम से स्पष्ट है योजना बीमित की सम्पूर्ण जीवन अवधि को कवर करती है।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, नामिति /लाभगृहिता को बीमा धन के साथ उस अवधि तक अर्जित/निहित बोनस का भुगतान किया जाता है।
- व्यक्ति की जीवन अवधि के दौरान वह अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने के लिए पॉलिसी से नियमानुसार ऋण भी ले सकता है।

### उदाहरण

बीमा कम्पनी ए बी सी 100 वर्ष की आयु तक सुरक्षा देते हुए एक आजीवन बीमा योजना प्रस्तुत करती है।

मृत्यु कवर – बीमित की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाने पर नामिति /लाभगृहिता को बीमाधन के साथ इस तिथि तक निहित बोनस का भुगतान किया जाता है।

उत्तरजीविता/ जीवित हित लाभ – यदि बीमित व्यक्ति 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है तो उसे बीमा धन बोनस के साथ भुगतान किया जाता है।

### संस्तुत क्रिया

अब तक आपने अवधि योजनाओं, बन्दोबस्ती योजनाओं तथा आजीवन योजनाओं के विशिष्ट लाभों तथा शर्तों को पढ़ा है। उन परिदृश्यों/ परिस्थितियों की सूची बनाइये जिनमें एक व्यक्ति तीनों योजनाओं में से प्रत्येक का अलग-अलग चयन करेगा।

### ब 2 र परिवर्तनीय बीमा योजनाएँ

जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह बीमा योजना एक प्रकार की योजना से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अवधि बीमा योजना एक बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना या बीमा कम्पनी द्वारा अनुमन्य अन्य किसी योजना में परिवर्तित हो सकती है।

एक परिवर्तनीय योजना तब उपयोगी होती है जब बीमित व्यक्ति अपने रोजगार /व्यवसाय के प्रारम्भ में उच्च प्रीमियम भुगतान वहन नहीं कर सकता है। इसलिए वे कम प्रीमियम से अवधि बीमा योजना से शुरूआत कर सकते हैं तथा फिर उसे बाद में एक उच्च प्रीमियम की बन्दोबस्ती योजना या आजीवन योजना में परिवर्तित करवा सकते हैं। योजना परिवर्तन के समय बीमित व्यक्ति को मेडिकल जाँच भी नहीं करवानी पड़ती है। परिवर्तनीय योजना का अन्य लाभ यह है कि परिवर्तन के समय जोखिमांकन निर्णय भी नहीं किया जाता है।

### ब 2 व संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ

- संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ एक ही पॉलिसी में दो व्यक्तियों को बीमा कवर उपलब्ध करवाती है। यह योजना विवाहित युगल या किसी व्यवसाय /फर्म में साझेदारों के लिए आदर्श होती है।
- कुछ संयुक्त जीवन बीमा योजनाओं में किसी एक संयुक्त पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर तथा पुनः जीवित पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर, उस तिथि तक संचित/निहित बोनस के साथ मृत्यु कवर भुगतान योग्य हो जाता है, यदि दोनों पॉलिसीधारकों की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है।
- यदि पॉलिसी की परिपक्वता तक दोनों संयुक्त पॉलिसीधारक जीवित रहते या एक संयुक्त पॉलिसीधारक जीवित रहता है, तब परिपक्वता लाभ के साथ उस तिथि तक संचित/निहित बोनस का भुगतान कर दिया जाता है।
- कुछ संयुक्त जीवन पॉलिसियों में प्रीमियम का भुगतान चयनित अवधि तक किया जाता है या प्रथम संयुक्त पॉलिसीधारक की मृत्यु पर प्रीमियम भुगतान बन्द कर दिया जाता है।
- संयुक्त जीवन पॉलिसियों के मामले में प्रत्येक जीवन का जोखिमांकन अलग-अलग किया जाता है।

### इस पर विचार करें

विवाह के पश्चात्, आप अपने पति या पत्नी तथा अपने लिए अलग-2 बीमा पॉलिसियाँ लेना पसन्द करेंगे या आप एक संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी लेना पसन्द करेंगे ? ऐसे कौनसे बिन्दु हैं जिन पर आप इस बारे में निर्णय करने से पूर्व विचार करना चाहेंगे?

### ब 2 व एन्यूटोज

एन्यूटी किसी व्यक्ति (एन्यूटीधारक) द्वारा एन्यूटी प्रदानकर्ता (बीमा कम्पनी) को भुगतान की गई राशि (क्रय मूल्य) के प्रतिफल स्वरूप एक विनिर्दिष्ट अवधि (वर्षों) तक श्रंखलाबद्ध एक निर्धारित राशि के भुगतान को कहते हैं।

क्रय मूल्य भुगतान के आधार पर एन्यूटीज हो सकती है

- एक तत्काल एन्यूटी ; या
- एक आस्थगित एन्यूटी

एन्यूटी जीवन बीमा का विलोम होता है। जीवन बीमा में बीमा कम्पनी जोखिम लेती है, लेकिन एन्यूटी के साथ एन्यूटीधारक इस बात का जोखिम लेता है कि क्रय मूल्य भुगतान के पश्चात बहुत कम समय में अर्थात जल्दी उसकी मृत्यु नहीं होगी।

एन्यूटी के विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं (जैसे एक संयुक्त जीवन, अन्तिम जीवित व्यक्ति/क्रय मूल्य के प्रतिफल में जीवन एन्यूटी/बढ़ती हुई एन्यूटी) तथा इसके बारे में हम विस्तार से अध्याय 7 में देखेंगे।

## ब 2 स समूह बीमा योजनाएँ

- एक समूह बीमा पॉलिसी लोगों के एक समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो किसी एक सामान्य उद्देश्य से उसे खरीदते हैं।
- लोगों का समूह हो सकता है :—
  - किसी संगठन के कर्मचारी ;
  - किसी बैंक के ग्राहक ;
  - किसी ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) के सदस्य ;
  - किसी व्यवसायिक संगठन जैसे लेखाकार संघ के सदस्य, या
  - लोगों का अन्य कोई समूह जो किसी उद्देश्य की समानता के कारण एक साथ होते हैं या एक समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
- एक समूह बीमा पॉलिसी में बीमा कम्पनी समूह के सभी सदस्यों को कवर करते हुए एक मास्टर पॉलिसी जारी करती है। उदाहरण के लिए : बीमा कम्पनी किसी नियोक्ता को कम्पनी के सभी कर्मचारियों को कवर करती हुई मास्टर पॉलिसी जारी करेगी। नियोक्ता “मास्टर पॉलिसीधारक” के नाम से जाना जायेगा।
- बीमा की संविदा बीमा कम्पनी तथा मास्टर पॉलिसीधारक के मध्य होती है। कर्मचारी बीमा संविदा के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते हैं।
- समूह बीमा योजनाएँ किसी समूह (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग) को बीमा कंवर प्रदान करके समाज कल्याण के एक माध्यम/साधन के रूप में सरकार द्वारा उपयोग की जाती है।
- जुलाई 2005 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा IRDA) ने समूह बीमा पॉलिसियों हेतु दिशानिर्देश जारी किये हैं।

### उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनी एक समूह जीवन बीमा योजना प्रस्तावित करती है जो कि कम सम्पन्न व्यक्तियों की बीमा जरूरतों को पूरा करती है।

इन योजनाओं द्वारा आवरित किये जाने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए पात्रता की विशिष्ट शर्तें कम्पनी निर्धारित करती हैं।

मृत्यु कंवर — किसी एक सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके नामिति /लाभगृहिता को रु. 30,000 का बीमा धन भुगतान किया जाता है। दुर्घटना से मृत्यु होने पर नामिति /लाभगृहिता को रु. 75,000 का भुगतान किया जाता है।

## ब 2 लघु बीमा योजनाएँ

- नवम्बर 2005 में इरडा (IRDA) ने इरडा (लघु बीमा) विनियम 2005 के माध्यम से लघु बीमा के लिए मार्गदर्शन/दिशा निर्देश जारी किये हैं। लघु बीमा का उद्देश्य अल्प आय समूह को बीमा कवर प्रदान करना है।
- इरडा ने निर्दिष्ट किया है कि लघु बीमा उत्पादों के अन्तर्गत प्रदत्त मृत्यु कवर सीमा रु. 5,000 से रु. 50,000 तक होगी।
- एक जीवन बीमाकर्ता लघु जीवन बीमा उत्पादों के साथ-साथ लघु साधारण बीमा उत्पाद या विलोमतः प्रस्तावित करता है (यह स्थिति केवल लघु बीमा उत्पादों के लिए अनुमन्य है, न कि साधारण बीमा उत्पादों के अन्य किसी प्रकारों के लिए)।

## ब 2 श यूनिट-लिंकड बीमा योजनाएँ ( ULIPs )

यूनिट लिंकड पॉलिसियाँ लाभ सहित बीमा पॉलिसियों से ज्यादा जोखिमपूर्ण तथा कम गारन्टीयुक्त होती हैं। तथापि, वे बहुत अधिक लचीली होती हैं। यूनिट-लिंकड पॉलिसियों के लचीलेपन का लाभ उठाते हुए कुछ निवेश जोखिम लेने के लिए तैयार लोगों के लिए उपयुक्त होती है। प्रतिफल पूँजी बाजार की गतिशीलता पर आधारित होता है जहाँ निवेश इक्विटीज (शेयरों) के लेन-देन (ट्रेडिंग) द्वारा किया जाता है (शेयरों की पूर्ण परिचर्चा अध्याय 6 में की जायेगी)।

### इस पर विचार करें

यदि आपको एक यू एल आई पी तथा एक परम्परागत पॉलिसी (अवधि / बन्दोबस्ती/आजीवन) में से चयन करना हो, तो आप किसका चयन करेंगे ? वे क्या बिन्दु/तथ्य हैं जिनका आप इस पर निर्णय लेते समय ध्यान रखेंगे?

## मुख्य बिन्दु

- यूनिट लिंकड बीमा योजनाएँ (यू एल आई पी) जीवन बीमा तथा निवेश पर प्रतिफल दोनों के लाभ प्रदान करती है।
- परम्परागत योजनाओं में बीमा कम्पनी बीमित की ओर से किये जाने वाले निवेश पर निर्णय लेती है। जबकि एक यू एल आई पी में बीमित व्यक्ति को निवेश का चयन करने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे इक्विटी निधि, ऋण निधि, सन्तुलित निधि तथा मुद्रा बाजार निधि।
- यू एल आई पी बीमित को पूँजी बाजार की वृद्धि में सहभागिता का विकल्प देती है।
- बीमित की मृत्यु पर बीमा धन या निवेश का बाजार मूल्य (निधि मूल्य), जो भी उच्च हो, का भुगतान किया जाता है।
- योजना की परिपक्वता पर निधि मूल्य का भुगतान होता है।
- निपटान विकल्प** – कुछ बीमा योजनाओं में परिपक्वता दावा राशि एक मुश्त लेने के स्थान पर परिपक्वता तिथि के बाद एक निर्धारित अवधि (जो 05 वर्ष या 05 वर्षों तक हो सकती है) में कम्पनी द्वारा विशेष रूप से रचित/निर्धारित किश्तों में लेने का विकल्प उपलब्ध होता है।

इसे निपटान विकल्प के रूप में जाना जाता है। यदि पॉलिसीधारक निपटान विकल्प लेने की इच्छा रखता है तो उसे बीमा कम्पनी को अग्रिम सूचना देना आवश्यक है।

**प्रश्न 5.2**

एक समूह बीमा योजना के विशिष्ट गुणों/लाभों/शर्तों की सूची बनाइयें।

**बाल योजनाएँ**

- बाल बीमा योजनाएँ अभिभावकों को अपने बच्चों की भावी वित्तीय जरुरतों जैसे शिक्षा, विवाह आदि की पूर्ति में सहायता करती है।
- बाल बीमा योजनाएँ बचत के साथ बीमा का दोहरा लाभ प्रदान करती है।
- यह तथ्य महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य है कि बच्चे की स्वयं की कोई आय नहीं होती है बल्कि वे पूर्ण रूप से अपने अभिभावकों पर आश्रित रहते हैं। अभिभावक बच्चे की भावी वित्तीय जरुरतों के लिए धन संचित करने के लिए बीमा कम्पनी को प्रीमियम का भुगतान करते हैं।
- बच्चा लाभग्रहिता होता है जो पॉलिसी की परिपक्वता पर लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत होता है।
- इन योजनाओं में, बीमित बच्चे के जीवन का जोखिम कवर तब शुरू होता है जब बच्चा पॉलिसी में उल्लिखित एक विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर लेता है। पॉलिसी की आरम्भ तिथि तथा जोखिम कवर प्रारम्भ तिथि के मध्य का सम्यान्तराल आस्थगित अवधि कहलाती है।
- वह तिथि जिस पर आस्थगित अवधि की समाप्ति पर जोखिम कवर प्रारम्भ होगा विहित तिथि कहलाती है। आस्थगन तिथि पॉलिसी की वर्षगांठ होगी।
- आस्थगित अवधि के दौरान कोई बीमा कवर नहीं होता है।
- जब बच्चा वयस्कता की आयु(18 वर्ष) प्राप्त कर लेता है तो पॉलिसी का स्वत्वाधिकार स्वतः ही बीमित बच्चे को प्राप्त हो जाता है। यह प्रक्रिया अधिकार विहित होना कहलाती है। वह तिथि जिस पर पॉलिसी का स्वत्वाधिकार बच्चे को स्थानान्तरित होता है, विहित तिथि के रूप में जानी जाती है।
- स्वत्वाधिकार प्राप्ति के बाद पॉलिसी बीमाकर्ता एवं बीमित व्यक्ति(इस मामले में बच्चे) के मध्य संविदा बन जाती है।
- कुछ बाल बीमा योजनाएँ प्रीमियम परित्याग लाभ सहित होती है जबकि अन्य बाल बीमा योजनाओं के मामले में अभिभावक कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके प्रीमियम परित्याग लाभ का चयन कर सकते हैं। इसमें यदि पॉलिसी अवधि के दौरान अभिभावक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कम्पनी अभिभावक की ओर से प्रीमियम का भुगतान जारी रखेगी (जब तक बच्चा वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं करता है) तथा पॉलिसी अखण्डित /अक्षुण बनी रहती है। बच्चा पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार पॉलिसी अवधि के अन्त में लाभ प्राप्त करता है। प्रीमियम परित्याग सम्बन्धी परिशिष्ट पर अध्याय 7 में चर्चा की जायेगी।
- बाल बीमा योजनाएँ बन्दोबस्ती योजनाओं, मनी-बैंक योजनाओं या यूलिप (ULIPs) के रूप में ली जा सकती है।

**ब 2 एम मनी-बैंक पॉलिसियाँ**

- मनी-बैंक पॉलिसियों में बचत तथा बीमा का दोहरा लाभ शामिल होता है तथा शर्तों में कुछ हद तक बन्दोबस्ती योजना के समान होती है।

- एक बन्दोबस्ती योजना में, पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के अन्त में परिपक्वता लाभ प्राप्त करता है। जबकि मनी-बैंक पॉलिसियों में पॉलिसी अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर "आंशिक उत्तरजीविता हितलाभों" का भुगतान किया जाता है।
- पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान एक निश्चित या परिवर्तनशील अनुपात में उत्तरजीविता लाभ प्राप्त कर सकता है।
- वर्तमान कर विधि के अनुसार पॉलिसीधारक को विनिर्दिष्ट अन्तरालों पर प्राप्त होने वाले उत्तरजीविता हित लाभों पर आयकर से छूट प्राप्त होती है।
- यदि पॉलिसीधारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो नामिति / लाभग्रहिता सम्पूर्ण बीमा धन के साथ अर्जित बोनस (यदि कोई हो) बीमित को भुगतान किये गए उत्तरजीविता हित को घटाये बिना प्राप्त करता है।

### उदाहरण

चेतन मिश्रा ए बी सी बीमा कम्पनी से 20 वर्षीय मनी-बैंक पॉलिसी लेता है। बीमा धन रु. 20,00,000 है। वह मनी-बैंक पॉलिसी का चयन करता है क्योंकि वह अपने जीवित रहने के दौरान अपनी बचतों के प्रतिफल का आनन्द उठाना चाहता है। वह अपनी पत्नी सुमेधा को पॉलिसी की लाभग्रहिता नामित करता है। उस मनी-बैंक पॉलिसी के अन्तर्गत वह उत्तरजीविता हित लाभ के रूप में 25% 5, 10, तथा 15 वर्षों के पश्चात प्राप्त करेगा तथा 20 वे वर्ष की समाप्ति पर शेष 25% उत्तरजीविता हित लाभ भुगतान योग्य होगा।

परन्तु एक दुखान्त घटना परिवार को हिला देती है। चेतन की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। सुमेधा एक गृहिणी है तथा चेतन पर आर्थिक रूप से आश्रित थी।

चेतन की मृत्यु पॉलिसी लेने के 11 वे वर्ष में होती है। वह पूर्व में 5 वे तथा 10 वे वर्ष के अन्त में वह बीमाधन के 25% के दो उत्तरजीविता हित लाभ के रूप में कुल रु. 10,00,000 प्राप्त कर चुका था।

उपरोक्त स्थिति में सुमेधा रु. 20,00,000 बीमा धन प्राप्त करेगी, भले ही पॉलिसी के 5 वे तथा 10 वे वर्ष में चेतन को बीमा धन के एक निर्धारित प्रतिशत के रूप में रु. 10,00,000 का भुगतान किया जा चुका है।

### ब 2 एन वेतन बचत योजनाएँ (एस एस एस)

वेतन बचत योजनाओं (एस एस एस) का उद्देश्य कार्यशील वर्ग के लोगों की जरूरतों की पूर्ति करना है।

इन योजनाओं में बीमा कम्पनी नियोक्ता के साथ एक ऐसी व्यवस्था करती है जिसके अन्तर्गत नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम काटकर प्रतिमाह बीमा कम्पनी को भेज देता है।

चूंकि कर्मचारी को वेतन प्राप्त होने से पूर्व प्रीमियम काट लिया जाता है अतः उनकों प्रीमियम भुगतान में कोई चूक हो जाने के बारे में चिन्ता करने की जरूरत नहीं होती है।

बीमा कम्पनी भी लाभ प्राप्त करती है क्योंकि वह नियोक्ता से उन सभी कर्मचारियों का एक साथ संकलित प्रीमियम प्राप्त करती है जिन्होंने योजना में पंजीकरण कराया है।

इस पर विचार करें

आपके विचार से बीमा कम्पनी को इससे क्या लाभ हो सकते हैं?

प्रस्ताव—पत्र के साथ प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित वेतन से कटौती संबंधी अधिकार—पत्र भी लिया जाता है जिसे बीमा की स्वीकृति के पश्चात् कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम कटौती करने के लिये नियोक्ता को प्रेषित किया जाता है।

बीमा कम्पनी संबंधित संस्था/नियोक्ता को प्रतिमाह (समय—समय पर) एक मांग—पत्र प्रेषित करती है जिसमें कर्मचारियों का नाम, उनका पदनाम, तथा कटौती योग्य राशि का विवरण रहता है।

वेतन बचत योजना (एस एस एस) बीमा की कोई विशिष्ट योजना नहीं है। यह केवल प्रीमियम एकत्रित करने की एक सुविधाजनक व्यवस्था होती है। यह एक अवधि बीमा योजना, एक बन्दोबस्ती योजना तथा अन्य योजना के लिए उपयोग की जा सकती है।

## स. कराधान एवं मुद्रास्फीति

### स 1 बीमा उत्पादों पर कराधान का प्रभाव

जीवन बीमा उत्पाद आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आय कर में छूट/लाभ हेतु अनुमन्य योग्य होते हैं। बीमा उत्पाद निवेश के समय के अतिरिक्त परिपक्वता पर भी आयकर लाभों से छूट प्रदान करते हैं।

(अ) निवेश स्तर— जीवन बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80 C के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती हेतु अनुमन्य है। अधिनियम के अंतर्गत आयकर से लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का अनुपालन आवश्यक है :—

- वर्तमान कर प्रावधानों के अनुसार किसी भी वर्ष में भुगतान किया प्रीमियम बीमाधन के 20% से अधिक नहीं हो ; या
- बीमा धन किसी भी वर्ष भुगतान किये गये प्रीमियम के पाँच गुना से कम नहीं होना चाहिए।

## उदाहरण

प्रशान्त 4 लाख कवर के लिए एक यूलिप (ULIP) पॉलिसी खरीदता है। इस पॉलिसी पर कर लाभों का उपयोग करने के लिए, भुगतान किया गया प्रीमियम 4 लाख रु. बीमा कवर के 20% से कम होना चाहिए। अतः इस मामले में कर लाभ प्राप्ति हेतु प्रीमियम भुगतान रु.80,000 या कम होना चाहिए।

यदि प्रीमियम बीमा धन के 20% से अधिक होता है; जैसे यदि प्रीमियम भुगतान रु. 80,000 से ज्यादा (जैसे रु. 1,00,000 ) हो , तब आय कर कटौती बीमा धन के 20% तक ही सीमित होगी। इस मामले में यह रु. 80,000 तक ही होगी।

चलो अब इस विषय पर दूसरे प्रकार से देखते हैं:-

प्रशान्त रु. 80,000 का निवेश कर अपनी कर योग्य आय में से इस राशि की कटौती प्राप्त करना

चाहता है। अतः वह रु. 80,000 प्रीमियम का भुगतान करके एक यूलिप (ULIP) पॉलिसी खरीदने का निर्णय करता है। यदि वह पूरे रु. 80,000 पर आय कर लाभ प्राप्त करना चाहता है तब उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा प्राप्त बीमा कवर भुगतान किये गये प्रीमियम (रु. 80,000) का कम से कम पाँच गुना या पाँच गुने से अधिक होना चाहिए। अतः इस मामले में प्रशान्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीमा कवर कम से कम रु. 4 लाख या अधिक हो।

### ध्यान रहे!

आयकर विभाग द्वारा किसी भी समय वर्तमान आय कर प्रावधानों की समीक्षा की जा सकती है तथा इनमें परिवर्तन किये जा सकते हैं।

एक नई प्रत्यक्ष कर संहिता (डी टी सी) वित्त विभाग द्वारा तैयार की जा चुकी है तथा 1 अप्रैल 2012 से प्रभावी की जायेगी तथा तत्पश्चात् वर्तमान आय कर विधि में उस समय परिवर्तन किये जायेंगे।

धारा 80 C के अन्तर्गत किसी एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु. 1,00,000 तक प्रीमियम भुगतान की कर योग्य आय में से कटौती प्राप्त की जा सकती है।

(ब) परिपक्वता स्तर :— वर्तमान कर विधि के अनुसार आय कर अधिनियम की धारा 10 (10D) के अन्तर्गत नामिति / लाभग्रहिता द्वारा प्राप्त मृत्यु कवर राशि या बीमित व्यक्ति द्वारा प्राप्त परिपक्वता लाभ राशि कर मुक्त होती है परन्तु प्रीमियम राशि बीमा धन के 20% से अधिक नहीं होने की शर्त परिपक्वता लाभ पर भी लागू होती है।

### संस्तुत क्रिया

आयकर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति विभिन्न साधनों में निवेश करके रु. 1,00,000 तक आयकर में लाभ प्राप्त कर सकता है। अन्य निवेश साधनों का पता कीजिए तथा उनकी सूची बनाइएँ।

### स 2 मुद्रास्फीति

मुद्रास्फीति लिये गये बीमा कवर पर एक लम्बे समय के बाद बड़ा प्रभाव डाल सकती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी वर्तमान, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य में वृद्धि मुद्रास्फीति होती है तथा इसका अर्थ जीवन यापन की लागत में वृद्धि होना है।

### उदाहरण

कुछ वर्ष पहले तक एक लीटर पेट्रोल का मूल्य रु. 40 था। आज एक लीटर पेट्रोल का मूल्य रु. 60 है— मूल्य में 50% की वृद्धि हुई है। अतः कुछ वर्षों पहले तक रु. 100 मुद्रा का नोट 2.5 लीटर पेट्रोल खरीद सकता था। आज वहीं रु. 100 मुद्रा का नोट केवल 1.67 लीटर पेट्रोल खरीद सकता है।

अतः कुछ वर्षों की अपेक्षा आज हम रु. 100 के मुद्रा नोट से काफी कम मात्रा में वस्तुएँ खरीद पाते हैं। यदि भविष्य में मूल्य वृद्धि इसी प्रकार जारी रही, तो उसी रु. 100 मुद्रा के नोट से और भी कम खरीदा जा सकेगा।

**मुद्रास्फीति का प्रभाव :— धन अपना मूल्य खोता है।**

बीमा कवर पर मुद्रास्फीति का यही प्रभाव है। आज हमने निर्णय लिया कि हमारी बीमा जरुरत रु. 50 लाख है और हमने रु. 50 लाख का बीमा कवर 30 वर्षों के लिए लिया है लेकिन भविष्य में 15–20 वर्षों बाद मुद्रास्फीति के कारण उक्त राशि का वास्तविक मूल्य/मान काफी कम होगा। अतः बीमा कवर की जरुरतें भी मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ बढ़ती हैं। अतः ग्राहक(और उसके बीमा अभिकर्ता) को समय—समय पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बीमा कवर की समीक्षा करने की जरुरत होती हैं।

बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई कुछ योजनाएँ, बीमित व्यक्ति को एक निर्धारित (स्थिर) या नियमित अन्तरालों पर बीमाधन में वृद्धि या कभी करा सकने का विकल्प देती है।

#### **उदाहरण**


कुछ कम्पनियाँ बीमा धन में 5–10% प्रतिवर्ष की वृद्धि/कमी की अनुमति देती है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिवर्ष बीमाधन बढ़ते रहने के फलस्वरूप बीमित व्यक्ति मुद्रास्फीति से अपनी सुरक्षा कर सकता है।

#### **द सुरक्षा जरुरतों की प्राथमिकता कम निर्धारित करना**

#### **द 1 जरुरतों का प्राथमिकता कम तय करना क्यों महत्वपूर्ण है?**

एक व्यक्ति के जीवन में विभिन्न सुरक्षा जरुरतें होती हैं। चलो एक बार फिर प्रशान्त का उदाहरण लेते हैं तथा उसकी विभिन्न सुरक्षा आवश्यकताओं पर विचार करते हैं।

## चित्र 5.2



क्या प्रशान्त के पास इन सभी जरुरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन है? यदि नहीं तो वह कैसे निर्धारित करेगा कि कौनसी आवश्यकताएँ सर्वोपरि हैं?

एक व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है वह अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों के लिए धन का उपयोग कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास सीमित संसाधन हैं वह एक साथ अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकता है इसी कारण जरुरतों की प्राथमिकता तय करने के सिद्धान्त को ध्यान में रखा जाता है।

### द 2 जरुरतों की प्राथमिकता किस प्रकार तय करते हैं?

चलो कल्पना करते हैं कि प्रशान्त के पास अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। अतः देखते हैं कि किस प्रकार बीमा अभिकर्ता उनकी प्राथमिकता क्रम तय करने में उसकी मदद कर सकता है। चलो एक कर उन पर विचार करते हैं।

<b>भावी आय की सुरक्षा</b>	यह अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि प्रशान्त की आय से अन्य सभी आवश्यकताओं/ लक्ष्यों के लिए वित्तीय संसाधन प्राप्त होते हैं। अतः प्रशान्त को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए तथा इसकी सुरक्षा खरीदनी चाहिए। वह एक अवधि बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकता है तथा बाद में जब उसके पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो वह बचत / निवेश योजनाएँ चुन/ ले सकता है। अन्य विकल्प एक परिवर्तनीय अवधि योजना से शुरू करना हो सकता है तथा बाद में इसे एक
---------------------------	--

	बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना में परिवर्तन करा सकता है।
स्वयं तथा परिवार हेतु मेडिकल / स्वास्थ्य समस्याओं हेतु आर्थिक समाधान	यह जरुरत भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि मेडिकल आपातस्थिति किसी भी समय घट सकती है। प्रशान्त एक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना ले सकता है। वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में अधिकतर नियोक्ता अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराते हैं। इन परिस्थितियों में व्यक्ति कुछ समय के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदना स्थगित कर सकता है यदि उसके संसाधन सीमित हो।
निशान्त की शिक्षा के लिए योजना	यह जरुरत उन विवाहित व्यक्तियों के लिए प्राथमिकता रखती है जिनके बच्चे हों। इस मामले में प्रशान्त एक छोटी सी राशि निवेश करके एक बाल बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकता है; तथा बाद में जब उसके पास पर्याप्त संसाधन हो, वह इस लक्ष्य के लिए निवेश बढ़ा सकता है।
निशान्त के विवाह के लिए योजना	यह जरुरत उन व्यक्तियों द्वारा कुछ समय तक स्थगित की जा सकती है जो अपनी सभी सुरक्षा जरुरतों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, जबकि पर्याप्त वित्तीय संसाधन सम्पन्न लोग अन्य लक्ष्यों के साथ इस लक्ष्य के लिए निवेश करना शुरू कर सकते हैं।
गृह ऋण तथा कार ऋण के पुनर्भुगतान की व्यवस्था	इस जरुरत के लिए सुरक्षा खरीदना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार के आय प्रदाता को कुछ भी हो जाता है तथा यदि परिवार ई एम आई के भुगतान में समर्थ नहीं है तो लेनदार सम्पत्ति पर कब्जा कर सकते हैं तथा अपनी बकाया धन राशि की वसूली के लिए उसे बेच सकते हैं। गृह ऋण के लिए व्यक्ति एक गृह ऋण सुरक्षा बीमा पॉलिसी खरीद सकता है तथा कार ऋण के लिए अवधि बीमा कवर बढ़ा सकता है।
सेवानिवृति के लिए योजना	यह एक महत्वपूर्ण जरुरत है परन्तु यदि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन न हो तो वह एक छोटी राशि का योगदान करके शुरूआत कर सकता है तथा बाद में जब उसके पास अधिक वित्तीय संसाधन हो तो इसे अपनी आवश्यकतानुसार इस लक्ष्य के लिए निवेश बढ़ा सकता है।

सुरक्षा जरुरतों के प्रति एक विवेकपूर्ण दृष्टिकोण होगा:

### चित्र 5.3

उनकी प्राथमिकता तय करे तथा गंभीर एवं उच्च प्राथमिकता वाली जरुरतों की सुरक्षा के लिए तुरन्त शुरूआत करे।



मध्यम प्राथमिकता वाली जरुरतों के लिए कम निवेश से शुरूआत करें तथा बाद में निवेश में वृद्धि करें।



निम्न प्राथमिकता वाली जरुरतों को कुछ समय के लिए स्थगित करें तथा बाद में अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उन्हें लें।

### संस्तुत क्रिया

अपनी स्वयं की सुरक्षा जरूरतों की सूची बनाइए। इसके पश्चात् उन्हें गंभीर, उच्च, मध्य तथा निम्न प्राथमिकता क्रम में रखें।

चलो अब इस विषय पर वापस लौटते हैं कि किस प्रकार प्रशान्त का जीवन एक अधिक कष्टकर मोड़. ले लेता है तथा देखे कि प्रशान्त को अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों हेतु सही बीमा सुरक्षा चुनने में किस प्रकार प्राथमिकता क्रम निर्धारित करना चाहिए।

**प्रकरण—अध्ययन:** प्रशान्त का जीवन पुनः पटरी पर आ जाता है।

प्रकरण अध्ययन के पूर्वाद्व में सुनहरे भारत की सुखद छवि उभरती हैं, जबकि उत्तरार्ध में जीवन के कटू सत्य का वर्णन है। इससे उजागर होता है कि जीवन किस प्रकार आपको अचम्भित कर सकता है तथा यदि आप तैयार नहीं हैं तो वह आपका परिवार ही होगा जिसे परिणाम सहना पड़ता है।

हम अब विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार प्रशान्त अपनी योजनाओं को गलत पाता है तथा बीमा किस प्रकार उसकी जरूरतें पूरी कर सकता था।

अवधि बीमा: प्रशान्त परिवार का एकमात्र आय अर्जित करने वाला सदस्य हैं, अतः उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके शेष कार्यशील जीवन में अर्जित की जाने वाली आय सुरक्षित रहे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशान्त के जीवित रहने या न रहने दोनों ही स्थितियों में उसका परिवार आर्थिक रूप से पीड़ित नहीं होना चाहिए। बीमा किसी व्यक्ति के न रहने से उत्पन्न हुए भावनात्मक शून्यता को नहीं भर सकता है परन्तु वह कम से कम वित्तीय शून्यता भर सकता है। प्रशान्त को एक बन्दोबस्ती योजना के स्थान पर उतनी ही राशि हेतु एक अवधि बीमा लेना चाहिए जो सेवानिवृति की आयु तक उसके द्वारा अर्जित किए जाने वाले वेतन की कुल राशि के बराबर हो। जबकि प्रशान्त ने एक बन्दोबस्ती पॉलिसी का चयन किया है जो उसके परिवार को मात्र एक वर्ष तक भी समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकेगी। साथ ही प्रशान्त ने उक्त बन्दोबस्ती योजना आयकर से छूट पाने हेतु न कि परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये ली। यदि प्रशान्त एक बन्दोबस्ती योजना के स्थान पर एक अवधि बीमा योजना खरीदता तो वह उसी रु. 20,000 के प्रीमियम से एक बहुत बड़ी बीमा राशि का कवर पायेगा जो उसके न रहने की स्थिति में गृह ऋण, कार ऋण तथा परिवार की अन्य जरूरतों को भी पूरा करेगा।

बाल बीमा :— प्रशान्त के पास स्वयं की पर्याप्त बीमा सुरक्षा नहीं है जबकि वह निशान्त की शिक्षा के लिए फण्ड में निवेश कर रहा है। प्रशान्त की मृत्यु होने पर म्यूच्चल फण्ड में निवेश बन्द हो जाता है तथा निशान्त की शिक्षा की योजना ध्वस्त हो जाती है। प्रशान्त को निशान्त की शिक्षा की योजना के लिए बाल शिक्षा योजना का चयन करना चाहिए। यह योजना सुनिश्चित करेगी कि प्रशान्त की मृत्यु हो जाने पर, बीमा कम्पनी प्रीमियम का भुगतान स्वयं जारी रखेगी तथा निशान्त की शिक्षा की योजना के साथ समझौता नहीं किया जायेगा।

**गृह ऋण तथा कार ऋण :**— जब प्रशान्त की देनदारियाँ/उत्तरदायित्व बढ़ता हैं, तो अतिरिक्त

दायित्वों को कवर करने के लिए अवधि बीमा बढ़ाना चाहिए। इस परिदृश्य में पर्याप्त बीमा सुनिश्चित करेगा कि प्रशान्त के न रहने पर बीमा राशि कार तथा गृह ऋणों को चुकता करने में उपयोग में लाई जा सकती है, तथा प्रशान्त का परिवार कार का उपयोग तथा उसी मकान में रहना जारी रख सकता है।

**सेवानिवृति योजनाएँ:**— एक बन्दोबस्ती योजना के बजाय, प्रशान्त को एक बढ़ते कवर की अवधि बीमा का चयन करना चाहिए जो परिवार की तात्कालिक वित्तीय आवश्यकताओं से अधिक राशि एक समुचित सेवानिवृति बीमा योजना को वित्त पोषित कर सकती है।

## सारांश

इस अध्याय में हमने देखा हैं कि किस प्रकार उचित नियोजन तथा सही जीवन बीमा उत्पाद व्यक्ति की मृत्यु या अपांगता होने पर उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा कर सकता है, तथा जीवन में किसी “विपत्ति या विषम परिस्थितियाँ” उत्पन्न हो सकने के दुष्प्रभाव के भय से मुक्त होकर जी सकता है।

एक जीवन बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको:

- उपलब्ध जीवन बीमा उत्पादों के लक्षणों (गुणों एवं लाभों )को जानने की जरूरत होगी।
- किसी व्यक्ति की सुरक्षा जरूरतों का विश्लेषण करने में समर्थ होना चाहिए।
- यह निर्णय लेने में समर्थ होना चाहिए कि उनकी जरूरतों को पूरा करने में किस प्रकार और किन उत्पादों का चयन किया जाये।

## मुख्य बिन्दु

इस अध्याय में शामिल मुख्य विचारों को निम्न प्रकार से सारांश में प्रस्तुत किया जा सकता है:-

### सुरक्षा जरूरतें

- एक व्यक्ति के लिए विभिन्न जरूरतों जैसे आय की सुरक्षा, मेडिकल खर्चों की भरपाई, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का विवाह, विभिन्न सम्पत्तियों हेतु ऋण, तथा उसके परिवार के भरण पोषण के लिए सुरक्षा आवश्यक हो सकती है।
- सुरक्षा जरूरतों को प्रभावित करने वाले कारकों में: आयु, आश्रित लोग, आय, सम्पत्तियाँ, तथा दायित्व शामिल हैं।

### बीमा उत्पाद

- अधिकतर जीवन बीमा योजनाओं में दो मूल तत्व, मृत्यु कवर तथा परिपक्वता लाभ होते हैं।
- एक अवधि बीमा योजना में पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर केवल मृत्यु कवर प्रदान किया जाता है।
- एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना परिपक्वता लाभ / उत्तरजीविता लाभ प्रदान करती है यदि बीमित व्यक्ति योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है।
- एक बन्दोबस्ती बीमा योजना एक अवधि योजना तथा एक शुद्ध बन्दोबस्ती योजना का मिश्रण होता है। इसमें पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर एक विनिर्दिष्ट मृत्यु कवर राशि नामिति/लाभग्रहिता को प्रदान की जाती है या बीमित व्यक्ति को परिपक्वता लाभ / उत्तरजीविता लाभ प्रदान किया जाता है यदि बीमित योजना की सम्पूर्ण अवधि तक जीवित रहता है।
- बन्दोबस्ती योजना में बचत का तत्व भी होता है। बीमा कम्पनियाँ निवेश पर अर्जित प्रतिफल (सम्प्राप्ति) पर बोनस की घोषणा करती हैं।
- एक आजीवन योजना व्यक्ति के सम्पूर्ण अवधि को कवर करता है।
- परिवर्तनीय बीमा योजनाएँ एक जीवन बीमा योजना से अन्य जीवन बीमा योजना में परिवर्तन की अनुमति देती हैं।
- संयुक्त जीवन बीमा योजनाएँ एक ही पॉलिसी के अन्तर्गत दो व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करती हैं।
- किसी व्यक्ति द्वारा बीमा कम्पनी को एक मुश्त या एक विनिर्दिष्ट वर्षों तक भुगतान की गई राशि के प्रतिफल में प्राप्त होने वाला भुगतान एन्यूटी होती है।
- समूह बीमा योजनाएँ लोगों के एक समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ किसी समूह में होते हैं।
- लघु बीमा योजनाएँ अल्प आय वाले लोगों को बीमा कवर प्रदान करती हैं।
- यूनिट-लिंक्ड बीमा योजनाएँ (ULIP) बीमित व्यक्ति को बाजार की वृद्धि (चढ़ने) में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।
- यूलिप(ULIP) में निवेश जोखिम बीमित द्वारा वहन किया जाता है न कि परम्परागत योजनाओं की तरह बीमा कम्पनी द्वारा।
- बाल बीमा योजनाएँ अभिभावकों को उनके बच्चों की भावी वित्तीय जरूरतों जैसे शिक्षा, विवाह आदि की सुरक्षा में मदद करती हैं।
- मनी-बैंक पॉलिसियों में विनिर्दिष्ट अन्तराल पर पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीधारक

<p>को “आंशिक उत्तरजीविता हित लाभ” का भुगतान किया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● वेतन बचत योजना (एस एस एस) कोई विशिष्ट बीमा योजना नहीं होती है। इसमें केवल प्रीमियम एकत्रित करने की सुविधाजनक व्यवस्था होती है। इन योजनाओं में, बीमा कम्पनी नियोक्ता के साथ एक व्यवस्था करता है, जिसमें नियोक्ता कर्मचारी के वेतन से प्रीमियम की कटौती करता है तथा उसे प्रतिमाह बीमा कम्पनी को भेज देता है।</li> </ul>
<p><b>कराधान एवं मुद्रास्फीति</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● आयकर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत, एक वित्तीय वर्ष में बीमा योजनाओं के लिए ₹.1,00,000 तक किया गया प्रीमियम का भुगतान कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।</li> <li>● आयकर लाभ के लिए, किसी एक वर्ष में प्रीमियम, बीमा धन के 20% से अधिक नहीं होना चाहिए या बीमा धन प्रीमियम का कम से कम 5 गुना या अधिक होना चाहिए।</li> <li>● आयकर अधिनियम की धारा 10(10D)के अन्तर्गत किसी जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त परिपक्वता लाभ या मृत्यु कवर कर मुक्त होता है।</li> <li>● अवधि लम्बी होने पर मुद्रास्फीति बीमा कवर का मूल्य ह्रास कर देता है।</li> <li>● कुछ बीमा कम्पनियाँ मुद्रास्फीति के साथ सामंजस्य बनाये रखने के लिए नियमित अन्तराल पर बीमा कवर में वृद्धि का लाभ प्रस्तावित करती है।</li> <li>● कुछ बीमा कम्पनियाँ बीमा कवर में नियमित अन्तराल पर कमी का लाभ प्रस्तावित करती है जो ऋणों के मामलों में उपयोगी होता है क्योंकि समय बीतने के साथ ऋण राशि घटती जाती है।</li> </ul>
<p><b>सुरक्षा जरूरतों को प्राथमिकता क्रम में रखना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जिस व्यक्ति के पास सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं तथा एक ही समय में सभी सुरक्षा जरूरतों के लिए निवेश नहीं कर सकता है उसके लिए प्राथमिकता निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है।</li> <li>● एक व्यक्ति अपनी जरूरतों का प्राथमिकता क्रम जैसे गंभीर, उच्च प्राथमिकता, मध्यम प्राथमिकता, तथा निम्न प्राथमिकता तय कर सकता है तथा तदनुसार इनके लिए संसाधन आवंटित कर सकता है।</li> </ul>

## प्रश्न—उत्तर

5.1

अधिकांश बीमा योजनाओं में दो मूल तत्त्व होते हैं:-

- मृत्यु कवर – यह राशि पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में नामिति/लाभग्रहिता को भुगतान की जाती है।
- परिपक्वता लाभ – यह राशि पॉलिसी की परिपक्वता पर भुगतान की जाती है यदि बीमित व्यक्ति पॉलिसी की अवधि तक जीवित रहता है। पॉलिसियाँ जैसे मनी-बैंक पॉलिसियाँ परिपक्वता से पूर्व पॉलिसी की अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को समय-समय पर भुगतान भी करती हैं ये उत्तरजीविता हित लाभ कहलाते हैं।

## 5.2

एक समूह बीमा योजना के लक्षण निम्नानुसार हैं:-

- एक समूह बीमा पॉलिसी लोगों के समूह को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है जो एक सामान्य उद्देश्य से किसी समूह में समिलित होते हैं।
- लोगों का समूह हो सकता है :-  
 – एक संगठन के कर्मचारी ;  
 – एक बैंक के ग्राहक ;  
 – एक ट्रेड यूनियन (मजदूर संघ) के सदस्य ;  
 – एक व्यवसायिक निकाय जैसे लेखाकार संघ के सदस्य, या  
 – लोगों का अन्य कोई समूह जो उद्देश्य की सामान्यता के कारण एक साथ आते हैं या एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।
- एक समूह बीमा पॉलिसी में बीमा कम्पनी समूह के सभी सदस्यों को कवर करती हुई एक मास्टर पॉलिसी जारी करती है। उदाहरण के लिए : बीमा कम्पनी एक नियोक्ता को कम्पनी के सभी कर्मचारियों को कवर करती हुई एक मास्टर पॉलिसी जारी करेगी। नियोक्ता "मास्टर पॉलिसीधारक" के नाम से जाना जायेगा।
- बीमा की संविदा बीमा कम्पनी तथा मास्टर पॉलिसीधारक के मध्य होती है। कर्मचारी बीमा संविदा के प्रत्यक्ष पक्षकार नहीं होते हैं।
- समूह बीमा योजनाएँ समूह (गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग) को बीमा कंवर प्रदान करके समाज कल्याण के साधन के रूप में सरकार द्वारा भी उपयोग की जाती है।
- जुलाई 2005 में बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा IRDA) ने समूह बीमा पॉलिसियों पर एक मार्गदर्शिका जारी की है।

**स्व-परीक्षण प्रश्न**

- |   |
|---|
| 1. एक व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरूरतों की सूची बनाइये।      |
| 2. परिवर्तनीय योजनाएँ क्या होती हैं? उनका महत्व क्या होता है? |

आप अगले पृष्ठ पर इनके उत्तर प्राप्त करेंगे।

## स्व-परीक्षण उत्तर

1.

एक व्यक्ति की विभिन्न सुरक्षा जरूरतों में शामिल हैः—

- आय सुरक्षा;
- मेडिकल खर्चों की जरूरतें;
- बच्चों की शिक्षा;
- बच्चों के विवाह;
- विभिन्न सम्पतियों हेतु ऋण तथा
- परिवार की सुरक्षा।

2.

परिवर्तनीय बीमा योजना एक प्रकार की योजना से दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए एक अवधि बीमा योजना एक बन्दोबस्ती योजना या एक आजीवन योजना या बीमा कम्पनी द्वारा अनुमन्य अन्य किसी योजना में परिवर्तित हो सकती छें।

एक परिवर्तनीय योजना तब उपयोगी होती है जब बीमित व्यक्ति आय अर्जन के प्रारम्भ में एक उच्च प्रीमियम भुगतान को वहन नहीं कर सकता है। इसलिए वे एक कम प्रीमियम की अवधि बीमा योजना के साथ शुरूआत कर सकते हैं तथा फिर उसे एक उच्च प्रीमियम की बन्दोबस्ती योजना या आजीवन योजना में परिवर्तित करवा सकते हैं। योजना परिवर्तन के समय बीमित व्यक्ति को मेडिकल जाँच भी नहीं करवानी पड़ती है।

परिवर्तनीय योजना का अन्य लाभ यह है कि परिवर्तन के समय पुनः जोखिमांकन निर्णय भी नहीं लिया जाता है।

# 6

## बचत उत्पाद

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अध्ययन उद्देश्य	
परिचय	
मुख्य पद	
अ. बचत/निवेश सलाह की जरूरत	6.1
ब. किसी व्यक्ति की बचत जरूरत को निर्धारित करने वाले कारक	6.2
स. बचत उत्पादों की विशेषताएँ एवं लाभ	6.3,6.6
द. बचत उत्पादों के प्रकार	6.3
य. बचत उत्पादों के कर एवं मुद्रास्फीति प्रभाव	6.5, 6.7
र. बचत उत्पादों पर ब्याज दर का प्रभाव	6.9
ल. बचत जरूरतों की प्राथमिकता तय करना	6.4,6.8, 6.10
मुख्य बिन्दु	
प्रश्न—उत्तर	
स्व—परीक्षण प्रश्न	
<b>अध्ययन उद्देश्य</b>	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद, आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :—	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● बचत उत्पादों पर व्यवसायिक सलाह की जरूरत जानने में;</li> <li>● एक व्यक्ति की बचत जरूरत को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करने में;</li> <li>● बचत उत्पादों की मुख्य विशेषताओं एवं लाभों का वर्णन करने में;</li> <li>● बाजार में उपलब्ध मुख्य बचत उत्पादों की चर्चा करने में;</li> <li>● बचत उत्पादों के कर एवं मुद्रास्फीति प्रभाव का वर्णन करने में;</li> <li>● बचत उत्पादों पर ब्याज दर के प्रभाव का वर्णन करने में;</li> <li>● किसी व्यक्ति की बचत जरूरतों की प्राथमिकता तय करना तथा इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बचत एवं निवेश उत्पाद प्रयोग में लाना।</li> </ul>	

## परिचय

पिछले अध्याय में हमने जीवन बीमा के उन प्रकारों के बारें में पढ़ा हैं जो ग्राहक की मृत्यु या अपंगता से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा जरुरतों को पूरा कर सकती है। जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा है कि एक जीवन बीमा अभिकर्ता की भूमिका केवल जीवन बीमा का विक्रय करने तथा उस पर सलाह देने तक सीमित नहीं है— उससे ग्राहक को बचत उत्पादों सहित वित्तीय उत्पादों पर सलाह देने की भी अपेक्षा की जाती है।

इस अध्याय में हम अपना ध्यान बाजार में उपलब्ध बचत उत्पादों की शृंखला पर केन्द्रित करेंगे, उसके पश्चात हम अगले अध्याय में कुछ अन्य वित्तीय उत्पादों जैसे कि स्वास्थ्य सुरक्षा तथा दुर्घटना बीमा उत्पादों पर नजर डालेंगे।

ऐतिहासिक तौर पर शब्द “बचत” का उपयोग नियमित रूप से पूँजी संग्रह के लिए छोटी-छोटी राशियों से एक निधि के सृजन करने की प्रक्रिया का वर्णन करने में किया जाता है। शब्द “निवेश” का उपयोग मुख्यतः अच्छे प्रतिफल की आशा में कुछ उत्पादों में अधिशेष आय या एकमुश्त पूँजी के उपयोग का वर्णन करने में किया जाता है।

### ध्यान रहे!

अधिकांश लोगों को जीवन में अपने वित्तीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक बचत/निवेश योजना की सहायता की जरुरत होती है।

एक व्यक्ति को चयन करने के लिए बाजार में कई बचत/निवेश उत्पाद उपलब्ध हैं : वे एक मुश्त राशि द्वारा या छोटी-छोटी राशियों का समय-समय पर भुगतानों द्वारा उत्पादों में निवेश का चयन कर सकते हैं। हम इनमें से कुछ उत्पादों पर नजर डालेंगे तथा अपने ग्राहकों के लिए उपयुक्त बचत आधारित उत्पादों के चयन में व्यवसायिक सलाहकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करेंगे।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

सम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी (ए एम सी)	मिश्रित करना	ग्रेच्युटी	परम्परागत जमा योजनाएँ
बैंक जमा	प्रयोज्य आय	लॉक-इन अवधि	बचत जरुरतें
बॉण्ड्स	वित्तीय योजना विश्लेषण प्रक्रिया	निवेशकों की सुविधा	अंश/शेयर
बाल योजनाएँ	डाकघर बचतें	म्यूच्युल फण्ड	लेन देन की गतिशीलता
संचयी जमाएँ	निधि प्रबन्धक	ब्याज दरें	कराधान एवं कर नियोजन

### अ. बचत/निवेश सलाह की जरुरत

प्रत्येक व्यक्ति की बचत जरुरतें अलग-अलग होती है। अधिकांश लोग निवेश करने में विवेकशील निर्णय नहीं लेते हैं क्योंकि वे प्रायः उत्पाद के लक्षणों तथा अपनी वित्तीय जरुरतों को पूर्णतः जाने

बिना कुछ उत्पादों में निवेश करते हैं। ये निर्णय प्रायः अपने सहकर्मियों के कहने पर यादृच्छिक रूप से या कर-बचत करने के अन्तिम समय में आखिरी सहारे के रूप में भी लेते हैं।

इस भाग में हम उन दो मुख्य कारणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके लिए व्यक्ति को अपनी बचत एवं निवेश जरुरतों के सम्बन्ध में व्यवसायिक सलाह लेनी चाहिए।

### **अ 1 वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के बारे में उपेक्षा**

व्यक्ति प्रायः अपनी बचत एवं निवेश जरुरतों को पहचानने में असमर्थ होते हैं। वे अपनी दीर्घावधि जरुरतों की तुलना में अल्प अवधि की जरुरतों की पूर्ति पर केन्द्रित रहते हैं। बचत की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति भी अधिक होती है क्योंकि बचत के दूरस्थ भावी लाभों की तुलना में उपभोक्ता वस्तुओं की तात्कालिक जरूरत अधिक स्पष्ट एवं बलवती/दृढ़ होती है।

व्यवसायिक बीमा अभिकर्ता व्यक्ति को वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से उसकी मदद करता है। जिससे वे अपनी वर्तमान तथा भावी वित्तीय जरुरतों को पहचान कर सकें। व्यक्ति के दीर्घावधि लक्ष्यों में उसके बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए राशि, एक मकान खरीदने के लिए राशि या लिये गये वर्तमान गृह ऋण के शीघ्र पुर्नभुगतान के लिए तथा उसकी सेवानिवृत्ति की योजना के लिए बचत राशि शामिल हो सकती है।

### **अ 2 उपलब्ध वित्तीय उत्पादों की पूर्ण श्रृंखला के बारे में उपेक्षा**

अधिकतर लोगों को बाजार में उपलब्ध विभिन्न बचत एवं निवेश उत्पादों के बारे में जानकारी नहीं होती हैं फलतः वे अपनी वित्तीय जरुरतों की पूर्ति करने वाले समुचित उत्पादों के चयन करने में असमर्थ होते हैं।

इस स्थिति में बीमा अभिकर्ता निम्न प्रकार सहायता कर सकता है:-

- उपलब्ध विभिन्न उत्पादों की अच्छी जानकारी प्राप्त करके ;
- व्यक्ति की वित्तीय जरुरतों की पूर्ति करने वाले उत्पादों का चयन करके ;
- उत्पादों से मिलने वाले कर-बचत युक्त प्रतिफल का मूल्यांकन कर उनमें उपलब्ध कर लाभों को व्यक्ति की कर देयता तथा कर से प्राप्त छूट से तालमेल स्थापित करके ।

सारांश में, अभिकर्ता को अपने वित्तीय नियोजन कौशल का उपयोग करके गुणवत्ता युक्त सलाह देकर भावी निवेशक का मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार उद्देश्यपरक तथा आवश्यकता आधारित तरीकों से बचत हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना चाहिए तथा मात्र अधिकाधिक प्रतिफल पाने की लालसा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

### **संस्तुत क्रिया**

अपनी पसन्द की किसी कम्पनी के इरडा (IRDA) द्वारा प्रमाणित जीवन बीमा अभिकर्ता के पास जायें। यह समझने के लिए उनके साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करें कि वे अपने ग्राहकों की वित्तीय जरुरतों को किस प्रकार पहचानते हैं तथा चर्चा करें कि किस प्रकार वित्तीय नियोजन प्रक्रिया कार्य करती है।

**ब** किसी व्यक्ति की बचत जरुरतों को निर्धारित करने वाले कारक इस भाग में हम किसी व्यक्ति को हो सकने वाली विभिन्न सामान्य तथा विशिष्ट बचत जरुरतों को निर्धारित करने वाले कुछ कारकों पर दृष्टि डालेंगे।

### **ब 1 सामान्य बचत जरुरतें**

व्यक्ति विभिन्न बचत उत्पादों में निवेश करके अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। जिन लोगों के पास वर्तमान समय में निवेश हेतु पूँजी नहीं हैं उन्हें अपनी आय से बचत द्वारा पूँजी संचित करने की आवश्यकता होती है तथा जिनके पास है उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक निवेश करके अपनी पूँजी के मूल्य को बढ़ाने की आवश्यकता है।

### **ब 1 पूँजी रहित व्यक्ति**

किसी व्यक्ति की सही एवं समुचित बचत जरुरतें उसके लिए विशिष्ट होती है। कुछ लोग अपनी किसी विशेष आवश्यकता के लिए बचत करते हैं परन्तु उसके लिए व्यवस्थित एवं सुनियोजित वित्तीय नियोजन नहीं करते हैं फलस्वरूप वह अपनी विस्तृत एवं विशिष्ट वित्तीय आवश्यकताओं की पहचान नहीं कर पाते हैं। किसी व्यक्ति की विस्तृत वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में निम्नांकित सामान्य बचत जरुरतें/वित्तीय लक्ष्य सम्मिलित की जा सकती हैं:-

- किसी मेडिकल आकस्मिकता या अस्थाई नौकरी खो देने के कारण अप्रत्याशित वित्तीय कठिनाईयों की पूर्ति के लिए एक आकस्मिक/ आपातकालीन निधि सृजित करना;
- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए योजना बनाना एवं निवेश करना ;
- बच्चों के विवाह के लिए योजना बनाना एवं निवेश करना;
- एक पहला मकान या दूसरा मकान (यदि व्यक्ति के पास पहले से एक हो) खरीदना तथा शीघ्रताशीघ्र गृह ऋण का पुनर्भुगतान करना ;
- अन्य लक्ष्यों जैसे एक कार खरीदने, परिवार सहित वार्षिक अवकाश यात्रा की योजना बनाना तथा निवेश करना ; बच्चों की आधारभूत शिक्षा, अपने व्यवसाय के लिए प्रारम्भिक पूँजी संचित करना तथा दान के लिए धन की व्यवस्था करना आदि हेतु योजना बनाना तथा निवेश करना।
- नियमित मासिक आय के बच्च होने पर बिना कोई समझौते किये अपने वर्तमान जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए किसी समुचित एवं पर्याप्त सेवानिवृति निधि की योजना बनाना तथा स्थापना करना ।

#### **ध्यान रहे!**

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय नियोजन एक बार में सम्पन्न होने वाली गतिविधि नहीं है। वांछित निवेश लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाने तक इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियमित रूप से समीक्षा की जरुरत होती है।

### **ब 1 ब व्यक्ति जिनके पास पूँजी है**

पूँजी वाले व्यक्तियों की सामान्यतः निम्न बचत जरुरतें होती है :-

- अपने वर्तमान धन को भावी जरुरतों के लिए जितना संभव हो उतना बढ़ाने की जरुरत। इसमें कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारम्भिक पूँजी, विश्व भ्रमण करना ;

लोकहितकारी उद्देश्यों हेतु दान करना तथा इसी प्रकार की अन्य जरूरतें शामिल होती हैं।

- यह सुनिश्चित करने की जरूरत कि अपने बच्चों के लिए विरासत रूप में पर्याप्त पूँजी अपने पीछे छोड़ जायें।
- यह सुनिश्चित करने की जरूरत कि अपनी सेवानिवृति पर एक निश्चित जीवन स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त राशि हो।

## **ब 2 किसी व्यक्ति की बचत जरूरतों को निर्धारित करने वाले कारक—**

किसी व्यक्ति की यथार्थ आवश्यकताओं को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक निम्नानुसार है :—

### **ब 2 अ निवेश की अवधि**

किसी व्यक्ति की धन निवेशित रखने की अवधि की दीर्घता बचत जरूरत निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण कारक है। जीवन बीमा अभिकर्ता को चाहिए कि वह व्यक्ति को उस राशि का निर्धारण करने में मदद करें जो उसकी भावी बचत की जरूरत हों। जब व्यक्ति को एक निर्दिष्ट वर्षों की समाप्ति पर एक निर्धारित बचत जरूरत प्राप्त करनी हो तो बचत अवधि की दीर्घता निर्धारित करती है कि कितनी धनराशि एक मुश्त या नियमित अंशदान की श्रृंखला के रूप में निवेश करनी चाहिए।

#### **ध्यान रहे!**

बचत लक्ष्य व्यक्ति की आय, आश्रितों की संख्या, उनकी सम्पत्तियाँ एवं दायित्व, उपलब्ध आय, निवेश का प्रत्याशित प्रतिफल तथा धन निवेशित रखने की इच्छित समयावधि पर निर्भर करते हैं।

#### **प्रकरण—अध्ययन**

गोपाल, दीपक तथा पवनदीप एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कम्पनी (एम एन सी) के लिए कार्य कर रहे वेतनभोगी व्यक्ति हैं तथा वे सभी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृति हेतु योजना बनाते हैं।

गोपाल 30 वर्षीय विवाहित, एक बच्चे का पिता है। वह स्वयं के लिए रु. एक करोड़ की सेवानिवृति निधि लक्ष्य बनाता है।

दीपक 40 वर्षीय तथा विवाहित, दो बच्चों का पिता है। वह भी अपने लिए रु. एक करोड़ की सेवानिवृति निधि का लक्ष्य बनाता है।

पवनदीप 50 वर्षीय है तथा वह भी अपने लिए रु. एक करोड़ की सेवानिवृति निधि का लक्ष्य बनाता है।

गोपाल के पास लक्ष्य प्राप्ति के लिए 30 वर्ष, दीपक के पास 20 वर्ष तथा पवनदीप के पास 10 वर्ष हैं। उनके निवेश के लिए 12 % प्रतिफल के आधार पर निम्न सारणी मासिक निवेश दर्शाती है जो तीनों व्यक्तियों को करना होगा यदि वे अपनी सेवानिवृति लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं :—

व्यक्ति का नाम	वर्तमान आयु	सेवानिवृति में बचे वर्ष	सेवानिवृति निधि लक्ष्य	अपेक्षित वार्षिक प्रतिफल	आवश्यक मासिक निवेश
गोपाल	30	30	रु. 1,00,00,000	12 %	रु. 3277
दीपक	30	20	रु. 1,00,00,000	12 %	रु. 10975
पवनदीप	50	10	रु. 1,00,00,000	12 %	रु. 45060

हम उपरोक्त सारणी से देख सकते हैं कि व्यक्ति को निवेश के लिए जितना अधिक समय मिलता है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक मासिक निवेश राशि उतनी ही कम होगी। इसलिए सेवानिवृति के लिए बचत जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी शुरू कर देना हमेशा अच्छा रहता है।

### ध्यान रहे!

अधिक लम्बी अवधि तक चक्रवृद्धि व्यवस्था का परिणाम आश्चर्य चकित कर देता है। चक्रवृद्धि व्यवस्था में, (त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर) अर्जित ब्याज मूलधन सहित पुनः निवेशित किये जाने के कारण उच्च प्रतिफल की प्राप्ति होती है।

## ब 2 ब अर्जित आय से राशि उपलब्धता

किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला नियमित निवेश उसकी वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक उपलब्ध राशि अथवा उसकी सकल आय पर भी निर्भर करता है। अन्ततः यह व्यक्ति की आय, उसके आश्रितों की संख्या तथा उसके वर्तमान दायित्वों पर निर्भर करेगी। अधिशेष/ वर्तमान आवश्यकताओं से अधिक राशि किसी व्यक्ति के सभी मासिक दायित्वों की पूर्ति के पश्चात बची अतिरिक्त धन राशि होती है।

सामान्यतः किसी व्यक्ति के जीवन में कई बार निवेश हेतु राशि प्रयोज्य या उपलब्ध होगी परन्तु यह राशि भिन्न-भिन्न होगी। उदाहरण के लिए, किसी विवाहित तथा छोटे बच्चे के पिता के उत्तरदायित्व उस व्यक्ति से अधिक होंगे जो विवाहित तथा बड़े बच्चे का पिता हो तथा उसकी तुलना में आय कम होगी परिणामस्वरूप निवेश हेतु उपलब्ध राशि भी कम होगी। जैसे ही व्यक्ति अगले जीवन चक्र में प्रवेश करता जाता है, उसकी आय बढ़ेगी एवं परिणामस्वरूप ज्यादा बचत तथा ज्यादा निवेश भी संभव होगा।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक उचित उत्पाद व्यक्ति की बचत जरुरतों के चयन के सम्बन्ध में ज्यादा लचीलापन देता है।

### ध्यान रहे!

याद रखें कि किसी भी व्यक्ति को अत्याधिक बचत तथा निवेश प्रतिबद्धता के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अर्थात् उतना ही निवेश करायें जितना वे आराम से वहन कर सकते हैं।

## ब 2 स वर्तमान दायित्व तथा सम्पत्तियाँ

व्यवसायिक सलाहकार को व्यक्ति की वर्तमान सम्पत्तियों एवं दायित्व को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये ग्राहक की निवेश जरुरतों तथा उनमें निवेश के सामर्थ्य दोनों को प्रभावित करती है।

### उदाहरण

एक व्यक्ति अपनी सम्पत्तियों जैसे सोना या अन्य सम्पत्ति का प्रतिभूति के रूप में उपयोग कर क्रेडिट कार्ड में बकाया राशि चुकाने के लिए धन, व्यक्तिगत ऋण चुकाने के लिए धन या बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु व्यय के लिए राशि उधार ले सकता है।

एक व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न स्थितियों में जैसे एक गृह ऋण, कार ऋण, बच्चों के लिए शिक्षा ऋण, व्यक्तिगत ऋण तथा क्रेडिट कार्ड हेतु ऋण लेकर दायित्व निर्वहन कर सकता है तथा व्यवसायिक सलाहकार को उनकी बचत तथा निवेश सलाह के रूप में ग्राहक के दायित्वों पर ध्यान देना चाहिए।

### इस पर विचार करें

आपके परिवार की बचत जरुरतें क्या हैं? विभिन्न जरुरतों की सूची बनाइये।

### स बचत उत्पादों के लक्षण तथा लाभ

अब हम विभिन्न बचत उत्पादों द्वारा प्रस्तुत मुख्य लक्षणों एवं लाभों पर नजर डालेंगे तथा विचार करेंगे कि इन लक्षणों के आधार पर यह उत्पाद उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कितने उपयुक्त हैं।

### स 1 पूँजी या आय वृद्धि

कुछ बचत उत्पाद नियमित आय (एक बैंक सावधि जमा द्वारा भुगतान किया गया ब्याज) प्रदान करते हैं, कुछ पूँजी वृद्धि (सोना) प्रदान करते हैं तथा अन्य दोनों का एक मिश्रण (समता अंश) प्रदान करते हैं। इन सभी उत्पादों की इस अध्याय में बाद में चर्चा की जायेगी। याद रखें कि किसी व्यक्ति का निवेश उद्देश्य उत्पाद के निवेश प्रोफाइल से मेल खाना चाहिए।

### स 2 गारन्टी

कुछ उत्पाद गारंटीड प्रतिफल के साथ उपलब्ध होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तनीय प्रतिफल प्रदान करते हैं तथा अन्य गारंटीड तथा परिवर्तनीय प्रतिफलों का मिश्रण प्रदान करते हैं। अतः उत्पाद का चयन ग्राहक के विशिष्ट जोखिम प्रोफाइल पर आधारित होना चाहिए।

#### उदाहरण

ए बी सी बीमा कम्पनी ने एक गारंटीड प्रतिफल वाले बीमा उत्पाद प्रस्तुत किए हैं। इस उत्पाद के लिए कम्पनी निम्न वृद्धि की गारंटी देती है :-

- एक पाँच वर्षीय पॉलिसी अवधि के लिए रु. 60 प्रति हजार प्रति वर्ष परिपक्वता बीमा धन।
- एक दस वर्षीय पॉलिसी अवधि के लिए रु. 65 प्रति हजार प्रति वर्ष परिपक्वता बीमा धन।

इसका प्रभावी अर्थ है कि ए बी सी बीमा कम्पनी एक पाँच वर्षीय तथा दस वर्षीय अवधि पर 6 % तथा 6.5 % प्रतिफल की गारंटी देती है।

### स 3 लॉक-इन अवधि

अधिकांश बचत उत्पादों में एक सशर्त लॉक-इन अवधि होती है जिसमें व्यक्ति द्वारा निधि से आहरण नहीं किया जा सकता है।

#### उदाहरण

एक कर बचत प्रदान करने वाली बैंक सावधि जमा में निवेशित राशि पर पाँच वर्ष की लॉक-इन अवधि होती है। अतः इस अवधि के दौरान निवेशक सावधि जमा से अपनी धन राशि आहरित नहीं कर सकता है। इस सावधि जमा के विरुद्ध ऋण भी नहीं ले सकते हैं, जैसे वे सामान्यतः अन्य बैंक जमाओं के मामले में ले सकते हैं।

इकिवटी-लिंकड बचत योजनाओं (कर बचत युक्त म्यूच्चल फण्ड) में निवेश पर तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि लागू होती है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति इन म्यूच्चल फण्ड्स से धन राशि आहरित नहीं कर सकता है। (लेकिन वे कुछ अन्य म्यूच्चल फण्ड्स के मामले में ऐसा कर सकते हैं जिनमें लॉक-इन अवधि नहीं होती है।)

## स 4 शास्त्रियाँ

शास्त्रियाँ रथायी अवधि संविदाओं से अपरिपक्व निधि आहरण के साथ सम्बद्ध होती है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ऐसे उत्पादों में निवेश करने से पूर्व विचार/आंकलन किये जाने की जरुरत होती है।

### उदाहरण

अजय एक बैंक में 2 वर्षीय आवर्ती जमा खाता खुलवाता है जिसमें अजय रु.1000 मासिक जमा करवाता है। सात माह बाद अजय मासिक किश्तें जमा कर पाने में असमर्थ हो जाता है। वस्तुतः वह जमा राशि का आहरण भी करना चाहता है जो उसने पिछले सात माह में जमा किये तथा खाता बन्द करवाना चाहता है। अतः इस मामले में बैंक दो वर्षीय निर्धारित अवधि से पूर्व धन का अपरिपक्व आहरण करने तथा खाता बन्द करने के लिए एक शास्त्रि प्रभारित करेगा।

कई म्यूच्चल फण्ड में लॉक-इन अवधि छः माह या एक वर्ष होती है। यदि ग्राहक लॉक-इन अवधि से पूर्व अपना धन आहरित करता है, तो म्यूच्चल फण्ड में से एक निकासी प्रभार काटकर (लॉक-इन अवधि के भीतर आहरण की कटौती) शेष राशि का भुगतान करता है।

## स 5 जोखिम

सभी बचत उत्पादों में एक निश्चित स्तर का जोखिम रहता है जिसे निम्न जोखिम, मध्यम जोखिम तथा उच्च जोखिम के रूप में रेटेड(दर निर्धारित) किया जा सकता है। निम्न जोखिम उत्पाद उच्च जोखिम उत्पादों की तुलना में कम प्रतिफल प्रदान करते हैं। अतः उत्पाद का चयन व्यक्ति की परिस्थितियों एवं जोखिम प्रोफाइल के आधार पर सावधानी से करना चाहिए।

### उदाहरण

किसी व्यक्ति की जोखिम वहन क्षमता उसकी परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग होगी:-

- एक युवा व्यक्ति जो अभी कॉलेज से निकला है तथा उपार्जन करना शुरू किया है, की अपने पहले 20 वर्षों में उच्च जोखिम अभिलाषा हो सकती है अपनी आयु के दूसरे दशक के प्रारम्भिक वर्षों में आय अर्जन प्रारम्भ करता है उच्च जोखिम वहन क्षमता रखता है क्योंकि उसका दायित्व अपेक्षाकृत कम होगा।
- एक विवाहित व्यक्ति जिसके बच्चे हैं, को उसके जीवन के बीच के तीस वर्षों में, उच्च जोखिम युक्त निवेशों में निवेश की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि उनकों अधिक दायित्वों की पूर्ति करनी होती है अतः उनकी जोखिम वहन क्षमता औसत हो सकती है।
- एक व्यक्ति जो अपनी आयु के पाँचवें दशक के उत्तरार्द्ध में हो तथा जिसके जीवन की कार्यशील अवधि समाप्ति के निकट है, की बहुत कम जोखिम वहन क्षमता होती है।

## स 6 खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया

खरीदने एवं बेचने की प्रक्रिया दो कारणों से महत्वपूर्ण होती है: किसी एकल निवेशक को सुविधा तथा लेनदेन (क्रय-विक्रय) समव्यवहार में गति।

#### उदाहरण

बचत उत्पाद विभिन्न साधनों जैसे किसी एकल अभिकर्ता, इंटरनेट, कॉल सेन्टर, ए टी एम तथा निगमित अभिकर्ताओं जैसे बैंक तथा दलाल आदि के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। बचत उत्पाद खरीदने की प्रक्रिया सामान्यतया सरल एवं सीधी होती है बशर्ते व्यक्ति सभी दस्तावेज तुरन्त जमा करवायें। इंटरनेट के माध्यम से बचत उत्पादों का क्रय न केवल एकल निवेशक को सुविधा प्रदान करता है बल्कि लेनदेन समव्यवहार / ट्रान्जैक्शन की गति भी बढ़ाता है।

कोई व्यक्ति दलाल की वेबसाइट के माध्यम से शेयर खरीद व बेच सकता है। यह उनके लिए सुविधाजनक है तथा लेनदेन का तत्काल कार्यान्वित होना सुनिश्चित करता है। उन्हें दलाल के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होती तथा दलाल के कार्यालय या कॉल सेन्टर से बात करने की जरूरत भी नहीं होती है।

इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से अवकाश पर हो तो उस दौरान भी वह बैंक के कॉल सेन्टर या वेबसाइट से बैंक की स्थायी जमा ले सकता है इस तरह उन्हें बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं होती है। यह भी ग्राहक की सुविधा सुनिश्चित करता है।

#### स 7 लोच्यता

लोच्यता से तात्पर्य विभिन्न निवेशों को एक प्रकार से दूसरे प्रकार के निवेश में परिवर्तित करने तथा किसी अंशदान की भुगतान पद्धति में परिवर्तन या अस्थायी रूप से बन्द करने की सुविधा से है। उत्पाद के यह गुण उसके प्रति आकर्षण को आसानी से बढ़ा सकते हैं। उत्पाद की लोच्यता को प्रभावित किये बिना उत्पाद की निधि में से आंशिक आहरण की अनुमति भी देते हैं। सामान्यतः उत्पाद में जितनी अधिक लोच्यता होती है वह उतना ही अधिक उपयुक्त होता है। तथापि अंशदान में अस्थायी व्यवधान तथा आंशिक आहरण की अनुमति जैसे गुण दीर्घकालिक निवेश प्रतिफल में कमी ला सकते हैं।

#### उदाहरण

यूनिट लिंकड बीमा योजनाएँ (ULIPs) पॉलिसीधारकों को उनके निवेश को एक निधि (समता) से दूसरी (ऋण) में जुड़ने की अनुमति देती है। वे पॉलिसीधारकों को प्रीमियम अवकाश (अस्थायी रूप से अंशदान बन्द करना) तथा आंशिक आहरण की अनुमति भी देती है।


#### इस पर विचार करें

कम्पनियाँ अपने निवेश उत्पादों को उनसे सम्बद्ध जोखिम के अनुसार रेट निर्धारित करती हैं। ये उत्पाद उच्च जोखिम, मध्यम जोखिम तथा निम्न जोखिम के रूप में रेटेड किये जाते हैं। किस प्रकार के ग्राहक उपरोक्त वर्णित निवेश उत्पाद वर्गों में से प्रत्येक में निवेश करना चाहेंगे?

#### द बचत उत्पादों के प्रकार

इस भाग में हम निम्नलिखित प्रकार के बचत उत्पादों की चर्चा करेंगे:

## चित्र 6.1



### द 1 जीवन बीमा

अनेक जीवन बीमा उत्पाद प्राथमिक जीवन कवर के साथ ही बचत तत्व के साथ उपलब्ध हैं। प्रीमियम का बचत घटक बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसीधारक की ओर से निवेशित किया जाता है तथा अर्जित प्रतिफल बोनस के रूप में पॉलिसीधारकों के मध्य साझा वितरित किया जाता है।

सहभागिता योजनाओं जैसे बन्दोबस्ती योजनाओं तथा आजीवन योजनाओं में बीमा कम्पनी निवेश जोखिम वहन करती है। यूलिप (ULIPs) में निवेश जोखिम पॉलिसीधारकों द्वारा वहन किया जाता है।

सुरक्षा जरूरतों के अतिरिक्त, जीवन बीमा उत्पाद निवेशकों के दीर्घावधि लक्ष्यों जैसे बच्चों की शिक्षा तथा विवाह, सेवानिवृति तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए दीर्घकालिक निधि के निवेश के उत्तम विकल्प होते हैं।

### द 2 बैंक जमा

बैंक जमा प्राचीनतम तथा अधिकतम पसंद किये जाने वाले उत्पाद है। वे ऐसे साधन (उपकरण) हैं जिनमें कोई व्यक्ति एक बैंक में एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित ब्याज दर पर एकमुश्त राशि का निवेश करता है।

बैंक जमा उपकरण सामान्यतया स्थायी जमा या सावधि जमा के रूप में जानी जाती है। बैंक जमा कई अन्य निवेश उत्पादों की तुलना में सुरक्षित मानी जाती है तथा वे कम प्रतिफल प्रदान करती हैं। बैंक जमा में राशि, अवधि, ब्याज दर तथा ब्याज भुगतान की विधि जमा के प्रारम्भ में निर्धारित कर दी जाती है।

निवेशक तीन प्रकार की जमा उपकरणों में से चयन कर सकता है।—

परम्परागत जमा	इस प्रकार की जमा उपकरणों में जमा करते समय जमाकर्ता द्वारा चयनित आधार (मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक या वार्षिक) पर बैंक सम्बन्धित व्यक्ति के जमा राशि खाते में ब्याज का भुगतान करते हैं।
संचयी जमा उपकरण	इस प्रकार की जमा के साथ बैंक अवधि के अन्त में मूलधन तथा कुल ब्याज का भुगतान करता है। संचयी जमा में ब्याज साधारणतया त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर मिश्रित दिया जाता है।

<b>आवर्ती जमा उपकरण</b>	इस प्रकार की जमा उपकरणों में निवेशक चयनित अवधि तक प्रतिसाह एक निर्धारित राशि जमा करता है। ये जमा योजनाएँ उन लोगों के लिए आदर्श होती हैं जो अपने कुछ वित्तीय लक्ष्यों जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह, वाहन की खरीद आदि के लिए धन संचित करना चाहते हैं।
-------------------------	---

इन जमा योजनाओं में ब्याज दर परिपक्वता अवधि के आधार पर परिवर्तित होती है। बैंक ब्याज के रूप में प्रतिफल प्रदान करते हैं। जमा योजना शुरू करवाते समय बैंक में जमा कराया गया मूलधन परिपक्वता पर जमाकर्ता को लौटा दिया जाता है।

### द 3 म्यूच्युअल फण्ड

एक म्यूच्युअल फण्ड वह निधि होता है जो एक समान प्रयोजन (उद्देश्य) वाले लोगों को एक साथ लाता है। इन लोगों से एकत्रित धन उनकी ओर से निवेश कर दिया जाता है तथा प्रतिफल उनके बीच समान रूप से वितरित कर दिया जाता है। म्यूच्युअल फण्ड का प्रबन्धन किसी सम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनी (**AMC**) द्वारा किया जाता है। ए एम सी (**AMC**) योजना के प्रयोजनों(उद्देश्यों) के अनुसार शेयरों(शेयरों), ऋण पत्रों, वित्त बाजार आदि में निवेश करती है। ए एम सी (**AMC**) योग्य तथा अनुभवी निधि प्रबन्धकों (जिन्हें पोर्टफोलियों प्रबन्धक भी कहा जाता है) को नियुक्त करती है जो निवेशक द्वारा चयनित निधि(या योजना ) के प्रकार के आधार पर निधि में निवेश करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

म्यूच्युअल फण्ड में निवेश करने का मुख्य लाभ जोखिम, विविधिकरण होता है। किसी व्यक्ति की निधि का विभिन्न प्रतिभूतियों में फैलाकर (निवेश कर)न्यूनतम जोखिम लेते हुए अधिकतम प्रतिफल प्राप्त किया जाता है।

**म्यूच्युअल फण्ड दो प्रकार की आय प्रदान करते हैं:-**

- समय समय पर म्यूच्युअल फण्ड योजना द्वारा घोषित लाभांशों के रूप में नियमित आय ; तथा
- पूँजी वृद्धि ; जहाँ म्यूच्युअल फण्ड इकाईयों (यूनिटों) को खरीदे गये मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है।

तथापि , म्यूच्युअल फण्ड निवेशों में पूँजी की हानि भी हो सकती है। म्यूच्युअल फण्ड योजना द्वारा जिन कम्पनियों में निवेश किया गया हो यदि उनका वित्तीय प्रदर्शन खराब रहता है, तो उन कम्पनियों के अंश (शेयर) मूल्यों में गिरावट होगी। इससे म्यूच्युअल फण्ड निवेशकों के निवेश मूल्य में कमी आयेगी जो कि इस योजना की यूनिटों में निवेशित किये गये थे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक म्यूच्युअल फण्ड योजना का प्रदर्शन उन प्रतिभूतियों के प्रदर्शन पर आधारित होता है जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है।

### द 4 अंश(शेयर)

समता अंश(इक्विटी शेयर) किसी कम्पनी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हैं। जब कभी कम्पनी अपना विकास, कोई नई उत्पादन इकाई स्थापित करने, कोई अन्य कम्पनी अधिग्रहण करने, कार्यशील पूँजी आदि के लिए धन प्राप्त करना चाहती है तो कम्पनी की शेयरधारिता (कम्पनी में स्वामित्व) जनता को प्रस्तावित करती है।

### उदाहरण

कल्पना करते हैं कि एक कम्पनी की कुल पूँजी रु. 10,00,000 में रु. 10 के 1,00,000 समता अंश(इकिवटी शेयर) है। यदि कम्पनी के स्वामी (प्रवर्तक) 10,000 शेयर जनता को प्रस्तावित करके कम्पनी के विस्तार के लिए धन प्राप्त करना चाहती है; तब यह कहा जाता है कि स्वामी अपने स्वामित्व का 10% जनता के पक्ष में तरलीकृत कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कुल 10,000 शेयरों में से 100 शेयर अधिग्रहीत करता है, तो इसे कम्पनी की शेयरधारिता (स्वामित्व) का 0.1% (1,00,000 शेयरों में से 100 शेयर) का अधिग्रहण होना कहा जाता है।

एक बार जब शेयर जनता को प्रस्तावित किये जाते हैं, तो शेयरों का खरीदना व बेचना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से होता रहता है। स्टॉक एक्सचेंज एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तथा व्यक्तियों के मध्य शेयरों के खरीदने एवं बेचने के लिए एक व्यापारिक मंच प्रस्तुत करता है। कोई व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज से सीधे शेयर खरीद एवं बेच नहीं सकते हैं; उनको अपना खरीद व बेचने का आदेश स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक दलालों(सदस्यों) के माध्यम से देना होता है। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) हैं।

शेयरों को खरीदने वाले व्यक्ति लाभांश द्वारा कम्पनी के लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। लाभ शेयरधारकों द्वारा खरीदे गये शेयरों की संख्या के अनुपात में वितरित किया जाता है।

इकिवटी शेयर निवेशक को तीन प्रकार की आय प्रदान करता है:-

<b>लाभांश आय</b>	कम्पनी अर्जित लाभ का एक विनिर्दिष्ट भाग शेयरधारकों को समय-समय पर घोषित लाभांश के रूप में वितरित करती है।
<b>बोनस शेयर</b>	जब एक कम्पनी के पास एक बड़ी रोकड़ संचित हो जाती है तो इसे लाभांशों के रूप में वितरित करने के बजाय बोनस शेयर (मुक्त शेयर) जारी करके पूँजीकृत किया जाता है। बोनस शेयर कम्पनी की वर्तमान इकिवटी शेयर पूँजी के अनुपात में जारी किये जाते हैं। बोनस शेयर जारी करना प्रबन्धकों द्वारा कम्पनी के उत्तम वित्तीय प्रदर्शन हेतु शेयरधारकों का धन्यवाद ज्ञापन तथा कम्पनी के भावी / उच्चतर प्रदर्शन की आशा व्यक्त करना है।
<b>पूँजी वृद्धि</b>	जब कोई शेयर कम मूल्य पर खरीदा व अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो इन दोनों मूल्यों के अन्तर को लाभ या पूँजी वृद्धि के रूप में जाना जाता है।

### ध्यान रहे!

किसी निवेशक को इकिवटी आधारित निवेश उपकरणों में निवेश से पूँजी हानि भी हो सकती है। समता निवेशों पर प्रतिफल कम्पनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यदि शेयर अधिक मूल्य पर खरीदा गया है तथा बाद में कम्पनी के खराब वित्तीय प्रदर्शन के कारण कम मूल्य पर बेचा जाता है तो इससे पूँजी हानि होगी।

### द 5 बॉण्ड्स

बॉण्ड्स बैंक स्थायी जमा उपकरणों के समान होते हैं जो निवेशकों को ब्याज के रूप में नियमित आय प्रदान करते हैं। बॉण्ड्स के क्रेता एवं विक्रेता के मध्य भी लेनदेन (व्यापार) किया जा सकता है। बैंक के अलावा सरकार, कम्पनियों या अन्य संस्थाओं द्वारा जनता से वित्त(धन) प्राप्ति के लिए बॉण्ड जारी किये जाते हैं। सरल शब्दों में, कोई बॉण्ड निवेशकों द्वारा बॉण्ड जारीकर्ता को प्रदान किया गया ऋण होता है। अतः बॉण्ड्स के मामले में निवेशक लेनदार होते हैं जो ऋण (बॉण्ड) पर ब्याज

प्राप्त करते हैं। अवधि की समाप्ति के पश्चात् मूल राशि (मूल धन) लेनदार को वापस लौटा दिया जाता है।

कई प्रकार के बॉण्ड्स उपलब्ध हैं जिनमें निवेशक निवेश कर सकता हैं, जिनमें शामिल है :—

- नियमित बॉण्ड्स;
- सरकारी प्रतिभूतियाँ;
- व्यापारिक पत्र; तथा
- ट्रेजरी बिल

### **द 6 डाक घर बचतें**

भारत में डाक घर कई प्रकार के बचत उत्पाद प्रस्तुत करते हैं जैसे :—

- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSC)
- किसान विकास पत्र (KVP)
- लोक भविष्य निधि (PPF)
- डाक घर बचत खाता
- आवर्ती बचत खाता
- सावधि जमा खाता
- डाक घर मासिक आय योजना (POMIS)
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

ये सभी उत्पाद ऐसे हैं जिनमें किसी व्यक्ति को निश्चित समय अवधि के लिए एकमुश्त राशि का निवेश करना होता है (सिवाय आवर्ती जमा योजना जिसमें नियमित निवेश किया जाता है तथा बचत खाते के)। निवेशक एक निश्चित दर पर ब्याज अर्जित करता है जिसे निवेश के समय विनिर्दिष्ट किया जाता है।

### **द 7 सोना तथा चाँदी में निवेश**

भारत विश्व में सोने के सबसे बड़े आयातकों में से एक है तथा भारत में सोना और चाँदी सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्राचीनतम बचत साधनों में से एक है। सोने एवं चाँदी में निवेश करने के विभिन्न तरीके हैं परन्तु भारत में अत्यन्त लोकप्रिय आभूषणों में निवेश है। सोने एवं चाँदी में निवेश के अन्य तरीकों में बैंकों तथा आभूषण विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने वाले बार तथा सिक्के शामिल हैं। भौतिक रूप से सोने के स्थान पर सोने के इलेक्ट्रॉनिक रूप में निवेश भी बढ़ रहा है। गोल्ड ई टी एफ(विनियम व्यापारिक निधि) म्यूच्युल फण्ड के समान होते हैं जिनमें शेयरों के समान किसी स्टॉक एक्सचेन्ज में इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वर्ण इकाईयों में भी लेनदेन किया जा सकता है। गोल्ड ई टी एफ में एक इकाई स्वर्ण के एक ग्राम या आधे ग्राम को प्रतिलक्षित या व्यक्त करती है।

सोने तथा चाँदी में निवेश करने के कारणों में शामिल है :—

- अच्छा (उच्च) प्रतिफल;
- पोर्टफोलियो विविधिकरण;
- मुद्रास्फीति से बचाव (सुरक्षा); तथा
- अनिश्चितताओं हेतु बीमा।

**प्रश्न 6.1**

एक म्यूच्युल फण्ड क्या है?

**य. बचत उत्पादों पर कराधान एवं मुद्रास्फीति का प्रभाव**

किसी व्यक्ति का वैयक्तिक कराधान दायित्व उपयुक्त बचत उत्पादों के चयन में विशेष प्रभाव डालता है।

**य 1 कराधान का प्रभाव**

वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही बीमा अभिकर्ताओं तथा अन्य वित्तीय सलाहकारों के लिए व्यस्ततम समय होता है। वर्ष के दौरान यह ऐसा समय होता है जिसमें वेतनभोगी तथा अन्य व्यक्ति अपनी आय में से न्यूनतम कर कटौती कराने के लिए कराधान नियोजन द्वारा कर बचत उत्पादों में निवेश कराने में व्यस्त होते हैं। वस्तुतः कहा जा सकता है कि कुछ लोग विशुद्ध रूप से अपने कर दायित्वों को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए निवेश करते हैं।

बचतों एवं निवेशों के प्रति यह गलत दृष्टिकोण हैं क्योंकि किसी विशेष निवेश उत्पाद का चयन करने से पूर्व एक उचित वित्तीय योजना बनाने की जरूरत होती है। इस भाग में हम बचत उत्पादों के कराधान प्रभाव पर दृष्टिपात करेंगे।

**य 1 आय कर अधिनियम 1961**

यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से प्रभाव में आया तथा तबसे विभिन्न संशोधन किए जा चुके हैं। प्रत्येक बड़ा संशोधन एक वित्त अधिनियम (केन्द्रीय बजट प्रस्तुति के समय) तथा अन्य संशोधन अधिनियमों के माध्यम से प्रभावी होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आय कर के विभिन्न प्रावधानों को स्पष्ट (व्याख्या) करने के लिए परिपत्र जारी करता है।

प्रभावी कराधान नियोजन पर काम करते समय, सरकार द्वारा प्रदत्त छूट तथा कटौतियों को समझना आवश्यक होता है। निवेशक प्रचलित आय कर नियमों के अन्तर्गत आय कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं कराधान में निम्नांकित कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।

**य 2 अ धारा 80C**

धारा 80C के अन्तर्गत निम्नलिखित उत्पादों में किये गये निवेशों के लिए कर योग्य आय में से कटौती स्वीकृत की जाती है:-

- परम्परागत उत्पादों के लिए भुगतान किया गया जीवन बीमा प्रीमियम।
- यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ (ULIPs)।
- पेंशन योजनाएँ।
- गृह ऋण के मूलधन घटक का पुर्णभुगतान।
- कर्मचारी भविष्य निधि (EPFs)।
- यूनिट लिंक्ड बचत योजनाएँ (ELSSs)।
- बच्चों के लिए भुगतान किया गया शिक्षण शुल्क।

- पाँच वर्षीय कर बचत बैंक जमा योजनाएँ।
- लोक भविष्य निधि (PPFs)।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (NSCs)।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएँ (SCSs)।
- स्टैम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क।
- आधारभूत संरचना बॉण्ड्स।
- पेंशन निधि।
- डाक घर पाँच वर्षीय सावधि जमा।

**ध्यान रहें!**

वित्तीय उत्पादों की उपरोक्त सूची वित्तीय वर्ष 2010/11 के लिए है। यह सूची समय—समय पर संशोधित की जाती है। कर योग्य आय में से कटौती के रूप में अनुमन्य राशि की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2010 के केन्द्रीय बजट में, धारा 80 CCF प्रस्तुत की गई जिसमें आधारभूत संरचना बॉण्ड्स में एक विनिर्दिष्ट सीमा तक निवेश पर कर योग्य आय में से कटौती स्वीकृत की जाती है। यह कटौती धारा 80C के अन्तर्गत उपरोक्त कटौती के अतिरिक्त है।

## य 2 ब धारा 80 D

धारा 80D द्वारा किसी व्यक्ति, उसके पति / पत्नी तथा बच्चों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के भुगतान पर कर योग्य आय में से कटौती स्वीकृत करती है। अभिभावकों (माता—पिता) हेतु स्वास्थ्य बीमा के लिए किये गये प्रीमियम भुगतान पर एक अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की जाती है। वरिष्ठ नागरिकों हेतु भुगतान किये गये प्रीमियम के लिए अन्य व्यक्तियों की तुलना में कर योग्य आय से एक उच्चतर कटौती स्वीकृत की जाती है।

कर योग्य आय में से कटौती के रूप में स्वीकृत राशि की भी समय—समय पर समीक्षा की जाती है।

## य 2 स धारा 80 DD

इस धारा के अन्तर्गत कर योग्य आय में से मेडिकल चिकित्सा / प्रशिक्षण / एक अपंग / विकलांग आश्रित के पुनर्वास पर किये गये व्यय (विनिर्दिष्ट सीमा तक) के लिए कटौती स्वीकृत की जाती है। ये व्यय किसी व्यक्ति या आश्रित सम्बन्धी की अयोग्यता, रोग / बीमारी (इस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट) की चिकित्सा के लिए किये जा सकते हैं। इस कटौती का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में किसी मेडिकल प्रेक्टीशनर द्वारा प्रदान किए गये एक प्रमाण पत्र की जरूरत होती है।

## य 2 द धारा 80 E

धारा 80 E के अन्तर्गत एक शैक्षिक ऋण पर चुकाया गये ब्याज की कर योग्य आय में से कटौती स्वीकृत की जाती है।

## य 2 य धारा 24 (b)

धारा 24 (b) के अन्तर्गत किसी गृह ऋण पर भुगतान किया गये ब्याज की (विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अधीन) कर योग्य आय में से कटौती स्वीकृत की जाती है।

### प्रश्न 6.2

पाँच वित्तीय उत्पादों की सूची बनाइये जिनके लिए कोई व्यक्ति आय कर अधिनियम की धारा 80C के अन्तर्गत कर कटौती का लाभ प्राप्त कर सकता है।

### य 3 मुद्रास्फीति प्रभाव

हमने अध्याय 5 में मुद्रास्फीति का बीमा कवर पर पड़ने वाले प्रभाव को जाना है। वित्तीय नियोजन करते समय निवेशक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भावी खर्चों की पूर्ति हेतु आवश्यक राशि की गणना करने में वस्तुओं के मूल्य पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखा जाये। यदि मुद्रास्फीति दर 5% हो तथा किसी बैंक स्थायी जमा मे आप निवेश पर 8% ब्याज उपार्जित करते हैं, तो आप मुद्रास्फीति के कारण कुल 3% प्रतिफल अर्जित करेंगे।

निःसन्देह, वास्तविक जीवन में परिस्थिति इतनी सरल नहीं होती है। मुद्रास्फीति दर का सही सही पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। यह उच्च या शायद निम्न भी हो सकती है। आने वाले समय में आर्थिक आवश्यकताओं की गणना करने में पिछले 5 या 10 वर्षों तक रही वास्तविक मुद्रास्फीति दर से उच्च दर पर मुद्रास्फीति हेतु संयोजन एवं प्रावधान करना अच्छा रहता है। निवेशों पर प्रतिफल कराधान के अधीन भी हो सकता है। मुद्रास्फीति तथा कराधान दोनों सम्मिलित रूप से वास्तविक प्रतिफल का क्षरण (कम) करते हैं अतः प्रतिफल पूर्वानुमान से कम हो सकता है।

परिणामतः एक निवेशक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि निवेशों पर प्रतिफल मुद्रास्फीति एवं कराधान कटौतियाँ करने के बाद उनको समुचित आय प्रदान करने हेतु पर्याप्त होना चाहिए।

### र बचत उत्पादों पर ब्याज दरों का प्रभाव

बचत तथा निवेश उत्पादों में लागू ब्याज दरों में परिवर्तन उनके आकर्षण को प्रभावित करेगी तथा यह किसी निवेशक के निवेश निर्णयों पर विपरीत प्रभाव डाल सकती है।

इस भाग में हम ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभावों पर धृष्टिपात करेंगे।

### र 1 ब्याज दरों में वृद्धि

ब्याज दरों में वृद्धि होने पर जमा तथा ऋणों पर ब्याज दर बढ़ती है। ब्याज दरों में वृद्धि का निर्णय देश के केन्द्रीय बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा तब लिया जाता है जब बचत को प्रोत्साहित तथा अनावश्यक खर्चों के लिए ऋण लेने से लोगों को निरुत्साहित करके ऋण की मांग में कमी करना देश की अर्थव्यवस्था के हित में होता है। ब्याज दरों में वृद्धि के प्रभाव निम्न प्रकार हैं:

- बैंक और वित्तीय संस्थानों से उत्पाद (ऋण) लेने की मांग घटती है क्योंकि व्यक्तियों के लिए ऋण महंगा हो जाता है अतः वे खरीददारी स्थिरता कर देते हैं।
- दूसरी ओर, उच्च ब्याज दरों के साथ बैंक जमा योजनाएँ अधिक आकर्षक हो जाती है अतः लोग उनका चयन करते हैं परिणामस्वरूप बचत राशि में वृद्धि होती है। जिन बॉण्डों में अधिक ब्याज मिलता है उनकी खरीद बढ़ जाती है।
- तथापि, एक उच्च ब्याज दर परिदृश्य स्टॉक बाजारों के लिए अच्छा नहीं होता है। कम्पनियों के लिए उधार लेने की लागतें बढ़ जाती हैं क्योंकि उच्च ब्याज भुगतान

करना पड़ता है। यह कम्पनियों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तथा इससे शेयरों का विक्रय बढ़ाना आवश्यक हो जाता है परिणामस्वरूप शेयर मूल्य में कमी आ जाती है।

## र 2 ब्याज दरों में कमी

ब्याज दरों में कमी होने की स्थिति में, ऋण सस्ते हो जाते हैं तथा कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश में वृद्धि होती है। ऐसा अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, किया जाता है ताकि निवेश बढ़े। तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो। ब्याज दरों में कमी के प्रभाव निम्नानुसार हैं:-

- कम ब्याज दरें ऋण उत्पादों की मांग बढ़ाती है। निवेशक वित्तीय आस्तियों (सम्पत्तियों) को क्रय करने हेतु ऋण लेते हैं परिणामस्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है।
- निम्न ब्याज दरों के कारण बैंक जमा योजनाओं में निवेश की तुलना में अन्य वित्तीय उत्पादों (जैसे इक्वीटीज तथा अचल सम्पत्ति में निवेश) को प्राथमिकता दी जाती है।
- ऐसे निवेशक जो उच्च ब्याज दरों पर पहले ही बॉण्ड्स एवं बैंक जमा योजनाओं में निवेश (लॉकड - इन) कर चुके हैं, ब्याज दरों के गिरने पर लाभप्रद स्थिति में होते हैं।

## प्रश्न 6.3

बचत उत्पादों पर ब्याज दरों में कमी के प्रभावों की संक्षिप्त परिचर्चा कीजिये।

## ल बचत जरूरतों की प्राथमिकता निर्धारित करना

प्रत्येक व्यक्ति की बचत जरूरतें अलग-अलग होती है, अतः बचत जरूरतों की प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया का मानक निर्धारित करना कठिन होता है। जीवन बीमा अभिकर्ता व्यक्तियों (ग्राहकों) की बचत जरूरतों की प्राथमिकता निर्धारण एवं विश्लेषण करने में सहायता प्रदान कर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस अध्याय के अन्तिम भाग में हम कुछ दिशानिर्देशों की चर्चा करेंगे जो बचत जरूरतों की प्राथमिकता तय करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं।

हम सामान्य बचत जरूरतों की एक सूची तैयार कर उन्हें मौटे तौर पर किस प्रकार प्राथमिकता दी जाये से शुरुआत करते हैं।

## चित्र 6.2



## ल 1 आकस्मिकता/आपातकालीन निधि

किसी व्यक्ति की सर्वोपरि आवश्यकता एक आपातकालीन निधि की आसानी से उपलब्धता होती है। यह निधि विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों/स्थितियों जैसे परिवार में बीमारी के कारण अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों की पूर्ति, अस्थायी नौकरी खोना, आपातकालीन यात्रा, बच्चों की शिक्षण शुल्कों का भुगतान आदि के लिए आवश्यक हो सकते हैं। इस निधि में मोटे तौर पर राशि तीन से छः माह के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

व्यक्तियों को आपातकालीन निधि को ऐसे बचत उत्पादों में निवेश करना चाहिए जिनमें सुगम तरलता (निवेश जिनके मूल्य में अधिक हानि के बिना आसानी से नकदी में परिवर्तित किये जा सकते हैं) उपलब्ध हो। इस मामले में बैंक जमा तथा ऋण आधारित म्यूच्युल फण्ड पसंदीदा उत्पाद है।

## ल 2 बीमा

बीमा अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होने पर व्यक्ति तथा उसके परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जिस प्रकार व्यक्तियों की बीमा जरूरतें अलग-अलग होती है, विभिन्न प्रकार के बीमा उत्पाद उपलब्ध हैं जो इन वित्तीय जरूरतों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ ऐसी जरूरतें, जिनके लिए व्यक्ति बीमा करा सकता है, निम्न प्रकार हैं:-

- आय प्रदाता की अप्रत्याशित मृत्यु की स्थिति में परिवार को कवर करने के लिए पर्याप्त निधि की जरूरत। किसी भी व्यक्ति के लिए यह जरूरत उच्च प्राथमिकता रखती है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए सर्वाधिक पसंदीदा (पसंद किया जाने वाला) उत्पाद अवधि बीमा है। जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त अवधि बीमा योजना हो तब अपनी बचत जरूरतों को पूरा करने के लिए बन्दोबस्ती योजनाओं, आजीवन योजनाओं, मनी बैंक योजनाओं या यूलिप (ULIPs) जैसे बचत उत्पादों की ओर ध्यान दे सकते हैं।
- किसी परिवार की सम्पूर्ण मेडिकल आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा कवर होने की जरूरत होती है। लम्बे समय तक अस्पताल में भर्ती रहने तथा उपचार हेतु व्ययों को स्वयं व्यक्ति द्वारा वहन करना उसकी आर्थिक योजनाओं को अधोगति प्रदान कर सकता है। अतः इस जरूरत की महत्वपूर्ण प्राथमिकता मानी जाती है तथा पारिवारिक चल(फ्लोटर) स्वास्थ्य बीमा योजना इस जरूरत की पूर्ति कर सकती है।
- बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए पर्याप्त निधि (धन) की उपलब्धता की जरूरत। एक बाल बीमा योजना इस जरूरत को पूरा कर सकती है। पहले आय प्रदाता स्वयं के लिए पर्याप्त अवधि बीमा तथा पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने के बाद इस जरूरत को प्राथमिकता दे सकता है। बाल बीमा योजनाएँ दो प्रकार की हैं। जोखिम को स्वयं वहन करने में अनिच्छुक निवेशक बाल बन्दोबस्ती योजनाओं का चयन कर सकते हैं, जबकि ऐसे निवेशक जो जोखिम प्रतिधारण करने के इच्छुक हैं बाल यूलिप (ULIPs) का चयन कर अपना धन एक उपयुक्त इक्विटी निधि में रख सकते हैं।
- सेवानिवृति के पश्चात् एक नियमित आय या एक एन्यूटी प्राप्त करने की जरूरत। बीमा कम्पनियाँ इस जरूरत की पूर्ति हेतु सेवानिवृति योजनाएँ प्रदान करती हैं। एक व्यक्ति एक मुश्त राशि निवेश कर सकता है या अपने कार्यशील जीवन के दौरान एक

सेवानिवृति योजना के लिए नियमित अंशदान कर सकते हैं। यह राशि बीमा कम्पनी द्वारा पॉलिसीधारकों की ओर से निवेशित की जाती है। प्रारम्भ में कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृति जरूरतों के लिए एक छोटी राशि से शुरूआत कर सकता है क्योंकि उसे उच्च प्राथमिकता वाली अन्य जरूरतों की पूर्ति करनी होती है। बाद में जैसे ही व्यक्ति की आय बढ़ती है वह अपनी सेवानिवृति निधि के लिए निवेश बढ़ा सकते हैं। फिर इस संचित निधि (सेवानिवृति निधि) का उपयोग किसी एन्यूटी योजना को खरीदने में किया जाता है। हमने अध्याय 5 में देखा है कि, बीमा कम्पनी एन्यूटी योजना की शर्तों के अनुसार (एन्यूटेन्ट को) चयनित अधिवार्षिकता आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त निर्धारित अवधि तक आवृत्तिक रूप से भुगतान करती है। हम एन्यूटीज के बारे में अधिक विस्तार से परिचर्चा अगले अध्याय में करेंगे।

### ल 3 सम्पत्तियाँ

अपने जीवन काल के दौरान व्यक्ति को विभिन्न सम्पत्तियाँ खरीदने की जरूरत होती है; परन्तु, कुछ व्यक्तियों के पास एकल एकमुश्त भुगतान (डाऊन पेमेन्ट) करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं होता है। इस जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न उत्पाद बाजार में उपलब्ध है जो कि इन सम्पत्तियों को खरीदने में व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं। इन सम्पत्तियों में से कुछ के उदाहरण निम्न प्रकार हैं:-

- एक मकान या सम्पति का क्रय।
- एक कार या द्विपहिया वाहन का क्रय।
- उपभोक्ता वस्तुओं जैसे रेफिजरेटर, टेलीविजन, लेपटॉप आदि का क्रय।

एक मकान खरीदने की जरूरत व्यक्तियों की प्राथमिकता पर होती है, लेकिन इसमें लगने वाले विशाल निवेश को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को विस्तृत योजना बनाने की जरूरत होती है। व्यक्ति को पहले अपने स्रोतों से सीमान्त राशि (मार्जिन मनी) भुगतान करने हेतु धन संचित करना होता है तथा शेष राशि किसी गृह ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। एक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गृह ऋण की मासिक किश्तों (**EMIs**) के लिए भुगतान की जाने वाली राशि उसकी अन्य जरूरतों जैसे बच्चों की शिक्षा, विवाह के लिए व्यय तथा उसकी सेवानिवृति निधि के लिए निवेश प्रभावित नहीं हो। ई एम आई (**EMIs**) तथा अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए आवंटित धन के मध्य एक संतुलन होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए कि ई एम आई (**EMIs**) मासिक सकल वेतन परिलक्षि के 40% से अधिक नहीं हो।

#### ध्यान रहे!

बैंक सम्पति मूल्य की सकल राशि ऋण के रूप में नहीं देता है। सम्पति के कुल मूल्य का केवल एक निश्चित प्रतिशत 75% या 80% तक बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जा सकता है। शेष राशि का भुगतान व्यक्ति को करना होता है। यह राशि डाऊन पेमेन्ट या अन्तराल राशि या गृह स्वामी की इकिवटी राशि के रूप में जानी जाती है।

एक कार या एक द्विपहिया वाहन खरीदने की जरूरत को प्राथमिकता सूची में रखा जा सकता है। किसी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन उपलब्ध हो जाने के बाद वह इन आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने पर विचार कर सकता है। उपभोक्ता वस्तुएँ नियमित मासिक आय के प्रवाह से खरीदी जा सकती हैं या व्यक्तिगत ऋण या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से वित्त पोषित की जा सकती हैं।

## ल 4 सेवानिवृति

अगली उच्च प्राथमिकता वाली जरूरत भविष्य के लिए निधि सुरक्षित करना है। व्यक्तियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जब वे सेवानिवृत हों तो उनके पास आय का एक नियमित एवं पर्याप्त स्त्रोत होना चाहिए। यह जरूरत उस जीवन स्तर पर निर्भर करती है जिसे कोई व्यक्ति अपनी सेवानिवृति के बाद जीवन की लागत के साथ बनाये रखने की जरूरत समझता है ताकि सेवानिवृत होने के बाद वे सुविधापूर्वक जीवन जी सकें। हम पहले ही भाग ल 2 में देख चुके हैं कि इस जरूरत की कम आयु में बीमा कम्पनी एक सेवानिवृति या पेंशन योजना में निवेश से अंशतः पूर्ति की जा सकती है। सेवारत व्यक्तियों की सेवानिवृति जरूरतों की आंशिक पूर्ति उन सेवानिवृति लाभों से की जाती है जिसे उनका नियोक्ता सेवानिवृति पर प्रदान करता है जैसे गेच्यूटी, कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (EPF) तथा पेंशन, यदि लागू हो। स्वरोजगार करने वाले लोगों को कर्मचारियों को प्राप्त लाभों की सुविधा नहीं होती है क्योंकि कोई और नहीं उन्हें स्वयं अपने दायित्वों की पूर्ति करनी होती है।

सारांश में, कोई व्यक्ति सेवानिवृति आयु के बाद अपनी परिस्थितियों के अनुसार जरूरतों की पूर्ति लम्बी अवधि की सेवानिवृति योजना तथा स्थूच्चल फण्ड में निवेश करके उपयुक्त/वांछित कर्मचारी अनुलाभ प्राप्त कर सकता है।

### ध्यान रहे!

गेच्यूटी एक कर्मचारी अनुलाभ है जो कर्मचारी द्वारा कम्पनी को दी गई सेवाओं के लिए कृतज्ञतास्वरूप नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को भुगतान किया जाता है।

गेच्यूटी का पात्र होने के लिए कर्मचारी को पाँच वर्ष की अनवरत सेवा पूर्ण करना आवश्यक होता है। गेच्यूटी राशि की गणना कर्मचारी द्वारा की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है। नियोक्ता कर्मचारी की सेवा अवधि में उसकी ओर से गेच्यूटी निधि में अंशदान करता रहता है तथा कर्मचारी द्वारा सेवा छोड़ने, उसकी सेवानिवृति अथवा मृत्यु होने पर गेच्यूटी का भुगतान किया जाता है।

गेच्यूटी हेतु पात्रता, गणना, भुगतान तथा सम्बन्धित कराधान प्रावधानों को गेच्यूटी भुगतान अधिनियम 1972 के द्वारा परिभाषित किया गया है।

## ल 5 कराधान योजना

हमने देखा है कि किसी व्यक्ति की विभिन्न जरूरतों में बीमा के लिए प्रावधान, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के विवाह, मकान तथा सेवानिवृति के लिए निधि (धन)की जरूरत शामिल है। प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे निवेश उत्पादों का चयन करें जो आय कर अधिनियम (इस अध्याय के भाग य 2 में परिचर्चा के अनुसार) की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अनुमत आयकर कटौती का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

### ध्यान रहें!

किसी व्यक्ति का निवेश पोर्टफोलियों जितना संभव हो उतना कर बचत प्रदान करने में सक्षम होना

चाहिए, लेकिन किसी बचत या निवेश उत्पादों में कर अनुलाभ प्राथमिक लाभ के स्थान पर एक अतिरिक्त लाभ माना जाना चाहिए।

अतः खरीद (निवेश) का निर्णय जरूरत के आधार पर करना चाहिए न कि उत्पाद द्वारा प्रस्तावित कराधान लाभों के आधार पर।

### प्रकरण—अध्ययन

राकेश मोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो विवाहित तथा दो वर्षीय बच्चे का पिता है। परिवार में वह अकेला आय प्रदाता है तथा उसकी पत्नी राधा एक गृहिणी है। उसने एक बीमा अभिकर्ता के माध्यम से जनवरी में एक यूलिप (ULIP) उत्पाद में निवेश किया है क्योंकि वह कर योग्य आय में से कटौती प्राप्त करके आय कर बचाना चाहता था। वह यूलिप (ULIP) के लिए ₹. 25,000 वार्षिक भुगतान करता है।

इसके अलावा उसका कोई अन्य निवेश नहीं है। उसने इस वर्ष अपनी कम्पनी से अच्छा बोनस प्राप्त किया है तथा वह इस धन का उपयोग करके कुछ बचत उत्पादों की तलाश कर रहा है। वह अपने जीवन बीमा अभिकर्ता से यह सलाह लेने के लिए मिलता है कि उसे किस बचत उत्पाद में निवेश करना चाहिए। राकेश की आय तथा उसके वर्तमान निवेशों के बारे में चर्चा कर अभिकर्ता निम्नलिखित सूची तैयार करता है।

- यूलिप (ULIP) उत्पाद में निवेश एक अच्छा विकल्प है, इस उत्पाद को चयन करने के अन्य कारणों के अलावा इसमें कर लाभ भी है। परन्तु यूलिप (ULIP) में निवेशित वार्षिक राशि बहुत कम है अतः राकेश की भावी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हेतु इसे बढ़ाने की जरूरत है। राकेश अपनी सेवानिवृत्ति आयु के बाद के जीवन के लिए इस यूलिप (ULIP) में निवेश जारी रख सकता है।
- राकेश को कुछ राशि किसी जमा योजना में या किसी ऋण निधि योजना में निवेश कर एक आपातकालीन निधि सृजित करने की जरूरत है। अभिकर्ता सुझाव देता है कि राकेश ₹. 1,00,000 के एक आपातकालीन निधि के रूप में अलग रखें।
- राकेश को अपनी भावी आय तथा दायित्वों की सुरक्षा के लिए अवधि बीमा कवर लेना चाहिए। उसे अपने परिवार के लिए भी एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए।
- राकेश को अपने बच्चों की शिक्षा अथवा भविष्य में उत्पन्न होने वाली अन्य वित्तीय जरूरतों के लिए एक बाल बीमा योजना में निवेश करने पर विचार करना चाहिए।
- राकेश वर्तमान में एक किराये के अपार्टमेन्ट में रह रहा है इसलिए अभिकर्ता सुझाव देता है कि राकेश को एक मकान खरीदने का विचार करना चाहिए। इसके लिए राकेश को मकान की (मार्जिन मनी) अन्तराल राशि हेतु भुगतान धनराशि संचित करना शुरू करना चाहिए। शेष राशि गृह ऋण से भुगतान की जा सकती है। गृह ऋण के माध्यम से एक मकान खरीदने पर उसे मकान के साथ—साथ गृह ऋण के पुर्णभुगतान में मूल धन तथा देय ब्याज भुगतान दोनों पर कर छूट का लाभ प्राप्त होगा।

### ल 6 अल्प , मध्यम, एवं दीर्घावधि जरूरतों के मध्य अन्तर

हमने भाग द 1 में देखा है कि किसी व्यक्ति को कोई आकस्मिक समस्या उत्पन्न होने पर उसे आवश्यक वित्त (धन) प्राप्त हो सके तथा उत्पन्न होने वाली जरूरतें जिनके लिये धन की आवश्यकता होती है को दीर्घावधि, मध्यम अवधि तथा अल्प अवधि में वर्गीकृत किया जा सकता है।

इन जरूरतों के अनुसार पूर्व में बताये उत्पादों की श्रृंखला से उपयुक्त निवेश उत्पाद का चयन करना चाहिए।

अल्प अवधि जरूरतें	निधि/धन की जरूरत 1–5 वर्ष की अवधि के लिए होगी। अल्प अवधि जरूरतों में आकस्मिकताओं के लिए बचत आदि शामिल है।
मध्यम अवधि जरूरतें	निधि/धन की जरूरत 5–15 वर्ष की अवधि में होगी। इन जरूरतों में बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए बचत शामिल है।
दीर्घावधि जरूरतें	निधि/धन की जरूरत 15 वर्ष से अधिक समय पश्चात होगी। दीर्घावधि जरूरतों में सेवानिवृति योजना शामिल है।

### संस्तुत क्रिया

अपने परिवार के लिए अल्प अवधि, मध्यम अवधि, तथा दीर्घ-अवधि जरूरतों की सूची तैयार करें। जब सूची तैयार हो जाये तो उनकी प्राथमिकता तय करें। जरूरतें जो सर्वोपरि लगें उन्हें सूची में सर्वोच्च स्थान पर रखना चाहिए।

### सारांश

अब आप अपने ग्राहक की व्यक्तिगत जरूरतों की पहचान करने में सक्षम हो गए हैं कि उनकी पूर्ति जीवन बीमा तथा बचत उत्पादों में से किससे अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती हैं तथा यह कि उनमें से चयनित उपयुक्त उत्पादों का उपयोग कैसे किया जाये, के बारे में समझ चुके हैं।

इससे पहले कि हम विचार करें कि अध्याय 8 तथा 9 में वर्णन की जाने वाली व्यवसायिक वित्तीय प्रक्रिया में क्या क्या समिलित है, समझने के लिए हम अगले अध्याय में कुछ अन्य वित्तीय उत्पादों की चर्चा करेंगे।

## मुख्य बिन्दु

इस अध्याय में चर्चित मुख्य विचारों को सारांश रूप से निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

### बचत/निवेश सलाह की जरूरत

- व्यवसायिक सलाहकार वित्तीय नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी भावी वित्तीय जरूरतें पहचानने में मदद कर सकते हैं।
- वित्तीय नियोजक व्यक्तियों को एक निवेश पोर्ट फोलियो सृजित करने में मदद कर सकते हैं जिससे न्यूनतम जोखिम के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हो। वित्तीय नियोजक व्यक्ति की वित्तीय जरूरतों के अनुसार उत्पादों का चयन कर सकते हैं।

### किसी ग्राहक की बचत जरूरतों को निर्धारित करने वाले कारक

- जिन लोगों के पास धन (वित्त) नहीं होता है उन्हें व्यापक वित्तीय नियोजन करने की आवश्यकता होती है।
- सामान्य बचत जरूरतों में शामिल है :-
  - एक आपातकालीन निधि सृजित करना;
  - बच्चों की शिक्षा के लिए नियोजन एवं निवेश करना;
  - बच्चों के विवाह के लिए नियोजन एवं निवेश करना;
  - एक मकान खरीदना;
  - अन्य लक्ष्यों जैसे एक कार खरीदना, वार्षिक अवकाश आदि के लिए नियोजन एवं निवेश करना;
  - सेवानिवृति के लिए नियोजन एवं निवेश करना।
- जिन लोगों के पास पूँजी होती हैं उनकी जरूरतें वर्तमान पूँजी में वृद्धि करना, बच्चों के लिए उत्तराधिकार पूँजी छोड़ना, सेवानिवृति के बाद सुखी जीवन जीने में समर्थ होना आदि।

### बचत उत्पादों की विशेषताएँ एवं लाभ

- कुछ बचत उत्पाद आय वृद्धि (नियमित आय), कुछ पूँजी वृद्धि तथा कुछ अन्य दोनों का मिश्रण प्रदान करते हैं।
- कुछ उत्पादन गारंटीड प्रतिफल के रूप में उपलब्ध होते हैं, कुछ परिवर्तनशील प्रतिफल प्रदान करते हैं तथा कुछ अन्य दोनों का एक मिश्रण प्रदान करते हैं।
- निम्न जोखिम उत्पाद उच्च जोखिम उत्पादों की तुलना में कम प्रतिफल प्रदान करते हैं। अतः व्यक्ति की जोखिम वहन क्षमता के आधार पर सावधानीपूर्वक उत्पादों का चयन करना चाहिए।

### विभिन्न प्रकार के बचत उत्पाद

- अनेक जीवन बीमा उत्पादों में बचत घटक विद्यमान रहता है। प्रीमियम के बचत घटक को पॉलिसीधारक की ओर से बीमा कम्पनी द्वारा निवेश किया जाता है तथा अर्जित प्रतिफल को पॉलिसीधारकों में बोनस के रूप में वितरित किया जाता है।
- बैंक जमा ऐसे उत्पाद होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति को जमा करवाते समय एक निर्धारित अवधि के लिए एक स्थिर ब्याज दर पर एक मुश्त राशि का निवेश करना होता है।
- म्यूच्युल फण्ड ऐसी योजनाएँ हैं जिनका प्रबन्धन सम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियों (AMCs) द्वारा किया जाता है।
- म्यूच्युल फण्ड ऐसी योजनाएँ हैं जो एक समान हित वाले लोगों को एक समूह के रूप में

<p>एक साथ लाते हैं। इन लोगों से एकत्रित किये गये अंशदान(धन) को उनकी ओर से निवेश किया जाता है तथा अर्जित प्रतिफल को उन्ही में वितरित कर दिया जाता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>इक्विटी शेयरधारक सम्बन्धित कम्पनी का स्वामित्व प्राप्त करता है। इक्विटी शेयर डिवीडेन्ट के रूप में आय, बोनस शेयर एक कम्पनी के स्वामित्व को दर्शाते हैं। इक्विटी शेयर लाभांश आय, बोनस शेयर तथा पूँजी संवर्धन(वृद्धि) प्रदान करते हैं।</li> <li>भारत में शेयरों का क्रय-विक्रय दो स्टॉक एक्सचेंजों – द बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बी.एस.ई.) तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएस.ई.) के दलाली घरों के माध्यम से होता है।</li> <li>बॉण्ड ऋण पत्र होते हैं जिन्हे जनता से धन प्राप्त करने के लिए कम्पनियों, सरकारों तथा अन्य संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है।</li> <li>गोल्ड इ.टी.एफ. (एक्सचेंज ट्रेडेड फण्ड्स) म्यूच्युल फण्ड के समान होते हैं जिनमें गोल्ड इकाईयों का शेयरों के समान स्टॉक एक्सचेंज में इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कारोबार किया जाता है। गोल्ड इ.टी.एफ. में एक यूनिट एक ग्राम प्रदर्शित करता है।</li> </ul>
<b>बचत उत्पादों पर कर एवं मुद्रास्फीति का प्रभाव</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न बचत उत्पादों में निवेश करके निवेशक प्रचलित (लागू) आय कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत अनुमत विभिन्न कर कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं।</li> </ul>
<b>बचत उत्पादों पर ब्याज दरों का प्रभाव</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ऋण की मांग में कमी करने तथा लोगों को बचत में वृद्धि करने के लिए ब्याज दर बढ़ाई जाती है।</li> <li>ऋण की मांग बढ़ाने, उपभोक्ताओं को अधिक व्यय हेतु प्रोत्साहित करने एवं वस्तुओं तथा सेवाओं की मांग में वृद्धि करने हेतु ब्याज दर घटाई जाती है।</li> </ul>
<b>बचत जरुरतों की प्राथमिकताएँ निर्धारित करना</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>मोटे तौर पर बचत आवश्यकताओं की प्राथमिकता निम्न प्रकार से निर्धारित की जा सकती है :– <ul style="list-style-type: none"> <li>एक आकस्मिक/आपातकालीन निधि का सृजन;</li> <li>बीमा के लिए;</li> <li>एक मकान, कार आदि के समान सम्पत्ति खरीदने के लिए;</li> <li>सेवानिवृति के बाद के जीवन हेतु बचत के लिए</li> <li>कर नियोजन।</li> </ul> </li> <li>जरुरतें अल्प, मध्यम एवं दीर्घावधि के रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं।</li> </ul>

## प्रश्न—उत्तर

### 6.1

म्यूच्यल फण्ड एक ऐसी निधि है जो समान उद्देश्य वाले लोगों को आपस में जोड़ता है। इन लोगों से एकत्रित धन उनकी ओर से निवेश किया जाता है तथा प्रतिफल पुनः उनके मध्य वितरित किया जाता है। ए एम सी ज में योग्य एवं अनुभवी निधि प्रबन्धक (जिन्हें पोर्टफोलियो प्रबन्धक भी कहा जाता है) होते हैं जो उस निधि (या योजना) आधारित निधि में निवेश करने के लिए उत्तरदायी होते हैं जिन्हें एक निवेशक द्वारा चयन किया जाता है।

म्यूच्यल फण्ड में निवेश करने का मुख्य लाभ जोखिम विविधिकरण होता है। व्यक्ति के निवेश को विभिन्न प्रतिभूतियों में विस्तारित कर जोखिम स्तर न्यूनतम रखते हुए अधिकतम प्रतिफल सुनिश्चित करना।

म्यूच्यल फण्ड दो प्रकार से आय प्रदान करते हैं:-

- समय समय पर म्यूच्यल फण्ड योजना द्वारा घोषित लाभांशों (डिवीडेन्ड) के रूप में नियमित आय ; तथा
- पूँजी वृद्धि ; जहाँ म्यूच्यल फण्ड इकाईयों को खरीदे गये मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है।

### 6.2

निम्न में से कोई पाँच:-

- परम्परागत जीवन बीमा उत्पादों के लिए भुगतान किया गया प्रिमियम।
- पेंशन योजनाएँ।
- यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएँ (**ULIPs**)।
- गृह ऋण के मूलधन घटक का पुनर्भुगतान।
- कर्मचारी भविष्य निधि (**EPFs**)।
- लोक भविष्य निधि (**PPFs**)।
- राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (**NSCs**)।
- पाँच वर्षीय कर बचत बैंक जमा योजनाएँ।
- वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाएँ (**SCSs**)।
- इक्विटी लिंक्ड बचत योजनाएँ (**ELSs**)।

### 6.3

ब्याज दरों में कमी होने पर, ऋण सस्ते हो जाते हैं तथा कम्पनियों द्वारा किये गये निवेश में वृद्धि होती है। ऐसा अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने के लिए, किया जाता है ताकि निवेश बढ़ें तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि के रूप में अर्थव्यवस्था का विकास हो। ब्याज दरों में कमी के निम्नांकित प्रभाव हैं:-

- कम ब्याज दरें उत्पाद हेतु ऋण लेने की मांग बढ़ाती है। निवेशक वित्तीय (आर्थिक) सम्पत्तियाँ क्रय करने हेतु ऋण लेते हैं परिणामस्वरूप उपभोग में वृद्धि होती है।
- निम्न ब्याज दरों के कारण बैंक जमा तथा ऐसी ही अन्य योजनाओं की तुलना में इक्वीटीज और गृह सम्पदा (रियल स्टेट) में निवेश को प्राथमिकता दी जाती है।
- ऐसे निवेशक जो बॉण्ड्स एवं बैंक जमा योजनाओं में उच्च ब्याज दरों पर पहले ही निवेश कर चुके हैं, ब्याज दरों के गिरने पर लाभप्रद स्थिति में होते हैं।

### स्व-परीक्षण प्रश्न

1. सोने तथा चौड़ी में निवेश करने के मुख्य कारण क्या है ?
2. आयकर अधिनियम की कौनसी धारा के अन्तर्गत, कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान किये गये प्रीमियम पर कर योग्य आय में से छूट प्राप्त कर सकता है ?
  - (अ) धारा 80 C
  - (ब) धारा 80 D
  - (स) धारा 80 E
  - (द) धारा 80 F
3. निम्न में कौनसी बैंक जमा योजनाओं में बैंक व्यक्ति को अवधि के अन्त में मूलधन एवं ब्याज का भुगतान करता है ?
  - (अ) बचत जमा योजना
  - (ब) परम्परागत जमा योजना
  - (स) संचयी जमा योजना
  - (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेगें।

### स्व-परीक्षण उत्तर

1.	सोने तथा चाँदी में निवेश करने के मुख्य कारणों में शामिल है :— <ul style="list-style-type: none"><li>● उच्च प्रतिफल;</li><li>● पोर्टफोलियो विविधिकरण;</li><li>● मुद्रास्फीति से बचाव (सुरक्षा); तथा</li><li>● अनिश्चितताओं के विरुद्ध बीमा।</li></ul>
2.	(ब) धारा 80 D इस धारा के अन्तर्गत एक व्यक्ति द्वारा अपनी, अपने पति या पत्नी तथा अपने बच्चों हेतु मेडिकल बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।
3.	(स) संचयी जमा योजनाएँ

# 7

## अन्य मुख्य वित्तीय उत्पाद

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम सीखने का परिणाम
अ. अन्य वित्तीय जरूरतें	7.2, 7.4
ब. उत्पाद के प्रकार, उनकी विशेषताएँ तथा लाभ	7.1, 7.3
स. वित्तीय उत्पादों पर कराधान एवं मुद्रास्फीति प्रभाव	7.5
द. जरूरतों की प्राथमिकता तय करना तथा उनके लिए वित्तीय उत्पाद लागू करना	7.6

### अध्ययन उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :—

- किसी व्यक्ति को उसकी अन्य वित्तीय जरूरतों को समझाने में ;
- उपलब्ध उत्पादों के प्रकार तथा उनकी विशेषताएँ एवं लाभ समझाने में;
- वित्तीय उत्पादों के कराधान प्रभावों को रेखांकित करने में;
- वित्तीय उत्पादों के मुद्रास्फीति प्रभावों का वर्णन करने में;
- ग्राहक की जरूरतों की प्राथमिकता तय करने तथा इन जरूरतों के लिए उचित वित्तीय उत्पाद प्रयुक्त करने में।

### परिचय

पिछले दो अध्यायों में हम किसी व्यक्ति की जीवन बीमा तथा बचत/निवेश से सम्बन्धित विभिन्न जरूरतों तथा इन जरूरतों को पूरा करने वाले उत्पादों के बारे में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम किसी व्यक्ति की अन्य वित्तीय जरूरतों को शामिल करेंगे जो कि पिछले दो अध्यायों में चर्चित/पढ़ी गई जरूरतों के समान महत्व की होती है।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :			
स्वास्थ्य बीमा	बीमा सम्पूरक	पेंशन योजना	नकद रहित सुविधा
दावा न होने पर बोनस	संचय चरण	नकद रूप में परिणित होना	एकल स्वास्थ्य बीमा योजना
पारिवारिक चल सुरक्षा	अस्पतालीकरण दैनिक नकद लाभ योजना	दुर्घटना मृत्यु लाभ सम्पूरक	गंभीर बीमारी सम्पूरक
अवधि बीमा सम्पूरक	प्रीमियम परित्याग सम्पूरक	जीवन एन्युटी	गारंटीड अवधि एन्युटी
बढ़ती एन्युटी	संचय चरण	जरूरतों की प्राथमिकता तय करना	

### अ. अन्य वित्तीय आवश्यकताएँ

भारत में अब जीवन प्रत्याशा सेवानिवृति आयु, 60 वर्ष से ऊपर है तथा स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा जीवन स्तर बढ़ने के कारण इसमें लगातार सुधार हो रहा है। तथापि लम्बा जीवन जीने की संभावनाओं में वृद्धि चुनौतियाँ भी लाती हैं।

हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार बीमा कम्पनियाँ परम्परागत उत्पादों (जैसे अवधि, बन्दोबस्ती, मनी-बैंक, यूलिप आदि) के माध्यम से असामिक मृत्यु के जोखिम को कवर करती हैं तथापि पेंशन/सेवानिवृति उत्पाद सेवानिवृत्त लोगों को नियमित आय न होने की स्थिति में उनके जीवन यापन हेतु होने वाले खर्चों के निरन्तर भुगतान के अधिक लम्बे जीवन के जोखिम को कवर करती है। हम इस अध्याय में बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित सेवानिवृति/पेंशन उत्पादों के बारे में जानेंगे।

आयु बढ़ने के साथ साथ बीमारी तथा रोग के प्रति हमारी भेद्यता भी बढ़ती है तथा इन परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले मेडिकल खर्चों की पूर्ति के लिए बीमा कम्पनियाँ स्वास्थ्य सेवा उत्पाद प्रस्तावित करती हैं। हम इस अध्याय में बीमा कम्पनियों द्वारा प्रदत्त विभिन्न स्वास्थ्य सेवा उत्पादों के बारे में भी पढ़ेंगे।

### प्रकरण—अध्ययन

राजेश सेवानिवृत है तथा अपने पोते के साथ समय व्यतीत करने का आनन्द उठा रहा था। दुर्भाग्य से एक वर्ष पूर्व राजेश की एक दुर्घटना हो जाती है तथा उसकी चोटों की चिकित्सा के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अपने सेवानिवृति पश्चात् जीवन के लिए राजेश द्वारा बचाई गई अल्प राशि अस्पताल के बिल के भुगतान करने में खर्च हो जाती है तथा अपनी एक मात्र संचित आय को समाप्त कर देता है। इस प्रकार राजेश अपने शेष जीवन के लिए अपने पुत्र पर निर्भर हो जाता है।

राजेश अपनी वित्तीय योजना कैसे तथा किस प्रकार गलत पाता है ?

मूल बिन्दु यह है कि राजेश ने कोई भी स्वास्थ्य बीमा कवर नहीं लिया है। यदि उसने एक

स्वास्थ्य बीमा योजना ली होती तो, वह अस्पताल के खर्चों की पूर्ति करती। साथ ही राजेश द्वारा अपनी सेवानिवृति पश्चात् जीवन के लिए बचाई अल्प धन राशि को एक मासिक आय सुनिश्चित करने के लिए एक पेंशन योजना की अपेक्षा एक बैंक स्थायी जमा में निवेशित की गई थी।

इस भाग में हम विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं तथा सेवानिवृति योजनाओं के लाभ तथा विशेषताओं का अध्ययन करेंगे।

## अ 1 स्वास्थ्य बीमा की आवश्यकता

हमने पहले ही चर्चा की है कि गत कुछ वर्षों में भारत में स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में बहुत सुधार हुआ है। तथापि हाल ही के कुछ वर्षों में बढ़ते मेडिकल व्यय के कारण लागतें अधिक हो गई हैं। आज एक बड़े ऑपरेशन या एक लम्बी अवधि के अस्पताल उपचार की लागत बहुत महँगी हो सकती है। जीवन प्रत्याशा में सुधार तथा बीमारी एवं रोग के प्रति परस्पर भेद्यता के साथ अब स्वास्थ्य बीमा की जरूरत पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना व्यक्ति तथा उसके परिवार को अस्पताल में भर्ती होने की दशा में हुए खर्चों का भुगतान करती है। इसमें डॉक्टर की फीस, कमरे का किराया, दवाईयों तथा पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धों में विनिर्दिष्ट अन्य लागतें शामिल हैं।

स्वास्थ्य बीमा (मेडिकल बीमा या मेडिक्लेम के नाम से भी जाना जाता है) की जरूरत निम्नलिखित कारणों से होती है :—

- जीवन बहुत अनिश्चित है। एक व्यक्ति अपने सम्पूर्ण जीवन के दौरान सदैव स्वस्थ तथा फिट नहीं रह सकता है। जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वास्थ्य कवर का होना बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय होता है।
- गत कुछ वर्षों में स्वास्थ्य सेवा की लागत काफी बढ़ गई है। यदि हार्ट फेलियर, कैन्सर या डाइबिटीज जैसी बड़ी बीमारी का निदान होता है तो यदि उपचार के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था तत्काल नहीं हो सके तो जीवन की हानि हो सकती है। यदि परिवार एक अत्याधिक लागत वाला व्यक्तिगत ऋण लेता है तथा व्यक्ति का जीवन नहीं बचाया जा सके तो परिवार विशाल ऋण में डूब सकता है। स्वास्थ्य बीमा कवर का होना इस समस्या से उबार सकता है।
- स्वास्थ्य कवर लेने के समय व्यक्ति की आयु विचारणीय होती है; आयु ज्यादा होने पर, प्रीमियम भी ज्यादा होगा। जब वार्षिक आधार पर जारी पॉलिसियों का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण कराया जाता है तो बीमा लेते समय व्यक्ति की आयु से असम्बद्ध उसकी आयु बढ़ने के साथ लागत बढ़ती जाती है। यह दावों के अनुभव पर भी निर्भर करती है।

### ध्यान रहे!

स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ विनिर्दिष्ट करती हैं कि वे क्या कवर करती हैं और क्या नहीं। पॉलिसी का शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए।

### इस पर विचार करें

क्या आपके परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र ने स्वास्थ्य बीमा लिया है? उनके द्वारा लिये गये स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभों तथा विशेषताओं का पता लगाइये।

## अ 2 बीमा सम्पूरक की जरूरत

सम्पूरक अतिरिक्त लाभ होते हैं जो बीमा पॉलिसियों में जोड़े जाते हैं। कोई सम्पूरक एक स्थिति या एक खण्ड होती है जो मूल योजना में अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात् अतिरिक्त लाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम। यदि मूल योजना में किसी व्यक्ति द्वारा चाही गई कुछ विशेषताएँ नहीं हो तो एक सम्पूरक के माध्यम से यह जोड़ी जा सकती है (यदि उपलब्ध हो)।

सम्पूरक की अवधारणा समझाने का एक तरीका आइसक्रीम (जायकों) के उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। व्यक्ति द्वारा चयनित मूल बीमा योजना एक आइसक्रीम (आधार) कोन की तरह कार्य करता है जिस पर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार सम्पूरक जोड़ सकता है, इस तरह से आप एक आइसक्रीम के कोन पर विभिन्न स्वाद (जायकों) के विकल्प का चयन कर सकते हैं।

कई बीमाकर्ता उत्पाद विवरणियों या उत्पाद विशेषताओं में यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि कौन से सम्पूरक प्रत्येक उत्पाद के साथ उपलब्ध है। सम्पूरक अनेक बीमा योजनाओं को खरीदने के बजाय एक व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने वाली एक योजना में आवश्यकतानुरूप सुविधा प्रदान करते हैं। सम्पूरकों पर अधिक विवरण के लिए भाग ब 3 देखें।

## अ 3 पेंशन योजनाओं की जरूरत

जीवन प्रत्याशा में सतत वृद्धि के कारण किसी व्यक्ति के लिए अपने कार्यशील जीवन के दौरान बचत करना बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि वे अपनी सेवानिवृति के बाद निरन्तर पूर्व के समान जीवन स्तर रख सकें, जब उनके पास जीवन यापन हेतु दैनिक खर्चों के लिए कोई नियमित मासिक आय नहीं होगी।

प्रत्येक व्यक्ति जो सेवानिवृति के पश्चात शान्त एवं सुविधाजनक जीवन का आनन्द उठाने का इच्छुक हो को एक उचित सेवानिवृति योजना लेना आवश्यक है।

किसी व्यक्ति के कार्यशील जीवन के दौरान एक सेवानिवृति बीमा योजना खरीदना संभव होता है जिसमें मासिक आधार पर अल्प राशि का अंशदान किया जा सकता है। इस व्यवस्था से सेवानिवृति आयु तक पहुंचने पर व्यक्ति संचित राशि से एक पेंशन योजना खरीद सकता है जो उसे सेवानिवृति के उपरान्त एक मासिक आय प्रदान करेगी।

### इस पर विचार करें

अपने माता-पिता (यदि सेवानिवृत हो) या अपने दादा-दादी से उन वित्तीय उत्पादों के बारे में पूछें जिनमें उन्होंने अपने कार्यशील जीवन के दौरान सेवानिवृति के लिए निवेश किया हो।

## ब उत्पाद के प्रकार, उनकी विशेषताएँ तथा लाभ

### ब 1 स्वास्थ्य योजना के प्रकार

बाजार में मूलतः चार प्रकार की स्वास्थ्य योजनाएँ उपलब्ध हैं। बारी-बारी से इन पर नजर डालते हैं :

### **ब १ अ एकल स्वास्थ्य बीमा योजना**

जैसा कि नाम से पता चलता है यह योजना एकल व्यक्ति को कवर करती है तथा उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।

#### **उदाहरण**

अजय तथा टीना विवाहित युगल है। उनके विवाह से पूर्व अजय ने रु. 1,00,000 कवर के लिए ABC कम्पनी से एक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले रखी थी जो उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती है। टीना ने भी रु. 1,00,000 कवर के लिए ABC कम्पनी से पृथक एकल स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले रखी थी जो उसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करती है।

### **ब १ ब पारिवारिक चल सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा योजना**

एक पारिवारिक चल सुरक्षा योजना एक एकल स्वास्थ्य योजना से अलग होती है। इस प्रकार की योजना में परिवार के सदस्य भी कवर किये जा सकते हैं। एक व्यक्ति स्वयं को, अपने जीवन साथी, बच्चों तथा माता-पिता को कवर कर सकता है। बीमा कम्पनी उन लोगों की संख्या विनिर्दिष्ट कर सकती है जिन्हें कवर किया जा सकता है। इस प्रकार की योजना में बीमा कवर परिवार के कवर किये गये सदस्यों के मध्य अस्थिर (असमान) अनुपात में प्रदान किया जा सकता है।

#### **उदाहरण**

अजय तथा टीना विवाहित युगल है तथा वे रु. 2,00,000 कवर के साथ एक पारिवारिक चल सुरक्षा स्वास्थ्य बीमा योजना खरीदते हैं। यह रु. 2,00,000 कवर अजय तथा टीना के मध्य अस्थिर अनुपात में प्रदान किया जा सकता है, उनमें से एक या दोनों अस्पताल में भर्ती हो जाने से असम्बद्ध अधिकतम भुगतान रु. 2,00,000 होगा।

### **ब १ स समूह स्वास्थ्य बीमा योजना**

यह स्वास्थ्य बीमा योजना एक समूह के लोगों के कवर प्रदान करती है जो एक सामान्य प्रयोजन के लिए एक साथ होते हैं। उदाहरण के लिए, एक समूह कम्पनी के कर्मचारियों का हो सकता है। कई नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मेडिकल आकस्मिकताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य कवर प्रदान करते हैं तथा कुछ समूह बीमा कवर को कर्मचारियों के परिवारों तक विस्तारित करते हैं।

#### **उदाहरण**

अजय एक निजी कम्पनी में कार्य कर रहा है। कम्पनी अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समूह बीमा कवर प्रदान करती है। अतः इस योजना में अजय पत्नी टीना के साथ कम्पनी की स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है।

### **ब १ द दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजना**

इस प्रकार की स्वास्थ्य योजना में बीमा कम्पनी अस्पतालीकरण की दशा में बीमित को दैनिक आधार पर एक निश्चित राशि का भुगतान करती है। यह दैनिक राशि पॉलिसी लेने के समय निश्चित की जाती है तथा बीमित के अस्पतालीकरण के दौरान उपचार पर खर्च वास्तविक राशि पर ध्यान न देते हुए (पॉलिसी की शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन) दिनों की संख्या के आधार पर भुगतान करती है। दैनिक भुगतान की जाने वाली राशि निश्चित होती है तथा वास्तविक उपचार लागत से कम या अधिक हो सकती है।

बीमा कम्पनी दैनिक आधार पर एक अतिरिक्त राशि का भुगतान कर सकती है यदि बीमित सघन चिकित्सा इकाई (ICU) में भर्ती किया जाता है। गंभीर बीमारी या सर्जरी की दशा में एक अतिरिक्त एक मुश्त राशि का भुगतान पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन किया जा सकता है।

इस पॉलिसी के अन्तर्गत दैनिक राशि का भुगतान बीमित के किसी अन्य मेडिकल बीमा पॉलिसी में कवर होने के साथ भी लिया जा सकता है। पॉलिसी में एक अस्पतालीकरण नकद लाभ प्राप्त किया जा सकता है। दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के दौरान देय अधिकतम दिनों की संख्या विनिर्दिष्ट रहती है। यह पॉलिसी के शर्तों एवं निर्बन्धनों में निर्दिष्ट होता है।

### उदाहरण

कृपया नोट करें :— नीचे दी गई राशियाँ तथा आंकड़े सिर्फ उदाहरण के लिए हैं तथा दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजनाओं की वास्तविक राशियाँ विभिन्न बीमा कम्पनियों के लिए अलग—अलग हो सकती हैं।

अजय एक निजी कम्पनी में कार्य कर रहा है। कम्पनी अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समूह स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है, अतः अजय अपनी पत्नी टीना को भी अपनी कम्पनी की स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल कर सकता है। परन्तु अजय को लगता है कि कम्पनी द्वारा प्रदत्त कवर अपर्याप्त है अतः वह अपनी कम्पनी द्वारा दिये गये स्वास्थ्य कवर के पूरक के रूप में एक दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजना लेता है।

अजय द्वारा चयन की गई दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजना में अस्पतालीकरण की दशा में रु. 2,000 प्रतिदिन भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। बीमा कम्पनी यह भी निर्दिष्ट करती है कि यदि अजय ICU में भर्ती किया जाता है तो रु. 2,000 प्रतिदिन का एक अतिरिक्त भुगतान भी किया जायेगा। बीमा कम्पनी यह भी स्पष्ट करती है कि योजना में दैनिक अस्पतालीकरण लाभ राशि के लिए रु. 1,20,000 की वार्षिक सीमा लागू होगी तथा रु. ICU में भर्ती होने की स्थिति में रु. 1,20,000 की अतिरिक्त लाभ सीमा भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि एक वर्ष में अजय 60 दिनों की प्रतिपूर्ति/मुआवजे के लिए दावा कर सकता है। बीमा कम्पनी यह भी स्पष्ट करती है कि यदि अजय किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो रु. 50,000 की एक मुश्त राशि का भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त स्थिर भुगतान अजय द्वारा भुगतान किये गए वास्तविक अस्पतालीकरण खर्चों पर ध्यान दिये बिना बीमा कम्पनी द्वारा किये जायेंगे, तथा यह अजय की कम्पनी द्वारा प्रदान की गई योजना के अन्तर्गत देय दावे के अतिरिक्त होंगे।

## ब 2 स्वास्थ्य योजनाओं की विशेषताएँ तथा लाभ

स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ विभिन्न विशेषताओं तथा लाभों के साथ उपलब्ध हैं, इनमें से कुछ में शामिल हैं :—

- 1. मूल्य निर्धारण :—** किसी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम व्यक्ति की आयु, चुरस्त-दुरुस्तता, आदतों तथा पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास पर निर्भर करता है। यदि अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं तो प्रीमियम पॉलिसीधारक की आयु बढ़ने के साथ बढ़ेगा। अतः जितनी जल्दी संभव हो एक स्वास्थ्य योजना लेना हमेशा अच्छा रहता है।

क्योंकि युवावस्था में भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होगा जो पॉलिसीधारक की आयु बढ़ने के साथ बढ़ेगा।

### उदाहरण

करण रु. 7,000 वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके रु. 3,00,000 के कवर के लिए एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदता है। करण को गहन हार्ट अटेक/हृदयाधात आता है जिसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। अस्पताल का बिल रु. 2,50,000 आया जिसकी प्रतिपूर्ति बीमा कम्पनी करती है। अतः इस स्थिति में पॉलिसी से प्राप्त होने वाले लाभों की तुलना में प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई रु. 7,000 की राशि नगण्य है।

**2. नकद रहित सुविधा—** कुछ स्वास्थ्य योजनाएँ नकद रहित सुविधा प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में आवरित व्यक्ति को एक फोटो पहचान पत्र दिया जाता है। बीमित को उपचार हेतु विनिर्दिष्ट अस्पतालों के संजाल (नेटवर्क) के किसी अस्पताल में अपने भर्ती होते समय सम्बन्धित बीमा कम्पनी को सूचित करना होता है। यह अस्पतालों का एक समूह होता है जो स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा कम्पनी के साथ संविदा करते हैं। अनुमोदन होने पर बीमित को अस्पताल जमा राशि या उपचार व्ययों का भुगतान नहीं करना पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी में निर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार बीमा कम्पनी द्वारा सीधे ही बीजकों का निपटारा किया जाता है।

### ध्यान रहें!

सभी लागतें बीमा कम्पनी द्वारा कवर नहीं की जायेगी। इनमें कुछ ऐसे व्यय हो सकते हैं जो कवर से बाहर रखे जाते हैं। यह विभिन्न कम्पनियों में अलग-अलग होते हैं।

एक गैर नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होने की दशा में बीमित को अस्पताल बिल का निपटारा स्वयं करना होता है तथा पॉलिसी की अन्य शर्तों, निर्बन्धनों तथा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर बाद में बीमा कम्पनी द्वारा इनकी प्रतिपूर्ति की जाती है।

**3. मेडिकल परीक्षण :—** अधिकांश बीमा कम्पनियों में पॉलिसी जारी करने से पूर्व प्रस्तावक को एक मेडिकल परीक्षण कराना आवश्यक होता है तथा किये जाने वाले परीक्षणों की संख्या प्रस्तावक की आयु पर निर्भर करती है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर बीमा कम्पनियाँ निर्णय लेती हैं कि प्रस्ताव स्वीकृत किया जाये या नहीं तथा यदि स्वीकृत किया जाये तो किस मूल्य पर।

**4. पहले से विद्यमान बीमारी—** अधिकांश बीमा कम्पनियाँ पहले से विद्यमान बीमारी को सामान्यतः प्रतीक्षा अवधि के रूप में संदर्भित एक विशिष्ट समय अवधि के पश्चात कवर करती है। कुछ बीमा कम्पनियाँ सभी पहले से विद्यमान बीमारियों को एक साथ बाहर कर सकती हैं तथा यह सूचना पॉलिसी शर्तों एवं निर्बन्धनों में निर्दिष्ट होती है; उदाहरण के लिए डाईबिटीज जैसी पहले से विद्यमान बीमारी तीन या चार वर्षों के पश्चात कवर की जा सकती है। विद्यमान बीमारियों के उपचार से सम्बद्ध शर्तें एवं निर्बन्ध एक कम्पनी से दूसरी में अलग हो सकते हैं।

5. **गैर दावा बोनस** :— यदि किसी वर्ष में कोई दावा उत्पन्न नहीं होता है तो बीमा कम्पनी नवीनीकरण के समय एक गैर दावा बोनस प्रस्तावित कर सकती है, उदाहरणार्थ बीमा कम्पनी अगले वर्ष देय प्रीमियम में छूट देगी।

6. **स्थायी अपवर्जन** :— स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में कुछ स्थायी अपवर्जन लागू होते हैं जो कि पॉलिसी में विनिर्दिष्ट होते हैं, उदाहरणार्थ दवाईयों का दुरुपयोग या मेडिकल सलाह का अनुपालन नहीं करना।

7. **तत्काल देखभाल** :— पॉलिसीधारक को उपचार तत्काल तथा अत्यल्प समय में उपलब्ध होता है। जब कोई पॉलिसीधारक उपचार से स्वस्थ हो जाने वाले किसी रोग से पीड़ित होता है तो चिकित्सक से पूर्व नियोजित भेंट की प्रतीक्षा किये बिना तुरन्त चिकित्सा प्रदान की जाती है।

8. **बचतों या ऋणों द्वारा एक मुश्त राशि की जरूरत नहीं**— पॉलिसीधारक को इस बारे में कोई चिन्ता नहीं करनी होती है कि मेडिकल भुगतान करने की आवश्यकता उपस्थित होने पर इसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाये क्योंकि पहले से भुगतान किये गये प्रीमियम के आधार पर इनका भुगतान कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

**प्रश्न 7.1**  
**स्वास्थ्य योजनाओं की कुछ विशेषताओं तथा लाभों को सूचीबद्ध करें।**

### ब 3 सम्पूरक

भाग अ 2 में चर्चा के अनुसार, सम्पूरक पॉलिसीधारक को उनके बीमा कवर के साथ आवश्यकतानुरूप अतिरिक्त लाभ प्रदान करते हैं। इस भाग में हम सम्पूरकों के कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे।

### ब 3 अ दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) सम्पूरक

यदि बीमित ने उपरोक्त सम्पूरक लिया गया है और दुर्भाग्यवश दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में पॉलिसी में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के आधार पर निर्धारित बीमा धन के अतिरिक्त एक राशि का भुगतान किया जाता है। मृत्यु बाह्य प्रचण्ड अकलिप्त, दृश्य साधन द्वारा दुर्घटना के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। इस सम्पूरक के अन्तर्गत किया जाने वाला भुगतान पॉलिसी में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन होता है।

दुर्घटना के कारण मरने वालों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए ADB सम्पूरक भारत में अधिक महत्व रखता है। बीमा कम्पनी वह उत्पाद विनिर्दिष्ट करती है जिसके साथ यह सम्पूरक लिया जा सकता है तथा अपवाद की सूची भी विनिर्दिष्ट करती है जिनके अन्तर्गत सम्पूरक का लाभ प्रदान नहीं किया जाता है।

**उदाहरण**  
महेश ABC बीमा कम्पनी से रु. 25,00,000 के कवर के लिए एक अवधि बीमा पॉलिसी लेना चाहता है। वह एक दुर्घटना मृत्यु लाभ (ADB) सम्पूरक का लाभ भी लेना चाहता है।

**ABC बीमा कम्पनी ADB सम्पूरक** के लिए निम्नलिखित शर्तें तथा निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करती है :-

न्यूनतम प्रवेश आयु	15 वर्ष
अधिकतम प्रवेश आयु	55 वर्ष
परिपक्वता की अधिकतम आयु	60 वर्ष
न्यूनतम बीमा धन	रु. 50,000
अधिकतम बीमा धन	रु.10,00,000 या मूल बीमा धन, जो भी कम हो।

मृत्यु दुर्घटना की तिथि से 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

उपरोक्त शर्तों एवं निर्बन्धनों का विश्लेषण :

- महेश इस सम्पूरक को 15 वर्ष तथा उससे ऊपर आयु होने पर ही ले सकता है लेकिन 55 वर्ष की आयु के पश्चात नहीं।
- महेश के 60 वर्ष की आयु पहुँचने पर सम्पूरक स्वतः समाप्त हो जायेगा हालांकि मूल पॉलिसी जारी रह सकती है।
- महेश रु. 50,000 से कम बीमा राशि के लिए सम्पूरक का विकल्प नहीं ले सकता है।
- महेश अधिकतम रु. 10,00,000 या मूल बीमा धन (इस मामले में रु.25,00,000) जो भी कम हो, के लिए विकल्प दे सकता है। अतः इस मामले में महेश अधिकतम बीमा धन रु. 10,00,000 के लिए **ADB** सम्पूरक का विकल्प ले सकता है।

यदि महेश के साथ कोई दुर्घटना होती है जिसके परिणामस्वरूप उसका अस्पतालीकरण किया जाता है तथा दुर्घटना के नौ माह के बाद अन्ततः उसकी मृत्यु हो जाती है तब बीमा कम्पनी नामित को **ADB** सम्पूरक के अन्तर्गत लाभ का भुगतान नहीं करेगी यद्यपि मूल पॉलिसी राशि का भुगतान किया जायेगा। इस सम्पूरक के अन्तर्गत किये जाने वाले लाभ राशि के भुगतान के लिए बीमित व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के 180 दिनों के भीतर होनी चाहिए।

\* कृपया नोट करें कि यह केवल किसी एक बीमा कम्पनी की शर्त है तथा **ADB** सम्पूरक के लिए शर्तें तथा निर्बन्धन बीमा कम्पनियों के लिए अलग हो सकते हैं।

### ब 3 ब अवधि सम्पूरक

इस सम्पूरक का उपयोग पॉलिसी में नाम मात्र की लागत पर मृत्यु कवर राशि को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक बचत पॉलिसी जैसे एक बन्दोबस्ती पॉलिसी या मनी-बैंक पॉलिसी लेना चाहता है तथा एक अलग अवधि बीमा पॉलिसी खरीदे बिना अपना मृत्यु कवर बढ़ाना चाहता है, तो वे इस सम्पूरक का विकल्प ले सकते हैं। बीमा कम्पनी उन उत्पादों को निर्दिष्ट करती है जिसके साथ सम्पूरक लिया जा सकता है तथा अपवादों की सूची भी विनिर्दिष्ट करती है जिसके अन्तर्गत सम्पूरक के लाभ का भुगतान नहीं किया जाता है।

### उदाहरण

महेश अपने पुत्र के लिए 20 वर्षों में रु. 25,00,000 का संचय करने के लिए एक बन्दोबस्ती योजना लेना चाहता है। महेश रु. 10,00,000 का अतिरिक्त अवधि बीमा कवर भी चाहता है, लेकिन साथ ही वह अलग अवधि बीमा योजना लेना नहीं चाहता है। अतः इस मामले में महेश मूल पॉलिसी के रूप में रु. 25,00,000 का बीमा धन की एक बन्दोबस्ती योजना ले सकता है तथा रु. 10,00,000 के बीमा धन का एक अवधि बीमा

सम्पूरक जुड़वा सकता है।

बीमा कम्पनी अवधि बीमा सम्पूरक के लिए निम्नलिखित शर्तें तथा निर्बन्धन विनिर्दिष्ट करती हैं:-

न्यूनतम प्रवेश आयु	15 वर्ष
अधिकतम प्रवेश आयु	55 वर्ष
परिपक्वता की अधिकतम आयु	60 वर्ष
न्यूनतम बीमा धन	रु. 50,000
अधिकतम बीमा धन	मूल बीमा धन के बराबर

### उपरोक्त शर्तों एवं निर्बन्धनों का विश्लेषण

- महेश इस सम्पूरक को 15 वर्ष या उससे उपर आयु होने पर ही ले सकता है; लेकिन 55 वर्ष की आयु के पश्चात् नहीं।
- महेश के 60 वर्ष की आयु पहुँचने पर सम्पूरक स्वतः समाप्त हो जायेगा यद्यपि मूल पॉलिसी जारी रह सकती है।
- महेश रु. 50,000 से कम बीमा राशि के लिए सम्पूरक का विकल्प नहीं ले सकता है।
- महेश अधिकतम मूल बीमा धन के बराबर राशि (इस मामले में रु. 25,00,000) के लिए सम्पूरक का विकल्प ले सकता है। अतः महेश अधिकतम रु. 25,00,000 बीमा धन के लिए एक अवधि सम्पूरक का विकल्प ले सकता है लेकिन महेश की जरूरत केवल रु. 10,00,000 है।
- यदि महेश की मृत्यु पॉलिसी की अवधि के दौरान हो जाती है तो उसका नामिती/लाभग्रहिता पॉलिसी की शर्तों एवं निर्बन्धनों के अनुसार मूल पॉलिसी बीमा धन रु. 25,00,000 तथा अवधि सम्पूरक बीमा धन रु. 10,00,000 प्राप्त करेगा।

\* कृपया नोट करें कि यह केवल किसी एक बीमा कम्पनी का उदाहरण है तथा एक अवधि सम्पूरक के लिए शर्तें तथा निर्बन्धन बीमा कम्पनियों के लिए अलग हो सकते हैं।

### ब 3 स गंभीर बीमारी (CI) सम्पूरक

यह सम्पूरक किसी गंभीर बीमारी (CI) का निदान होने पर एक विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करता है। इस राशि का उपयोग मेडिकल उपचार, अस्पताल भर्ती या CI के निदान के पश्चात् आय की हानि की प्रतिपूर्ति सहित किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। वह बीमारी इस सम्पूरक के लिए बीमा कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट CI सूची में शामिल होनी चाहिए।



सम्पूरक के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु, अधिकतम प्रवेश आयु, अधिकतम परिपक्वता आयु तथा न्यूनतम बीमा धन एवं अधिकतम बीमा धन बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट करता है। ये आंकड़े विभिन्न बीमाकर्ताओं के लिए अलग-अलग होते हैं। बीमाकर्ता सम्पूरक से सम्बन्धित अन्य शर्ते एवं निर्बन्धन भी विनिर्दिष्ट कर सकता है। बीमा कम्पनी उस उत्पाद को भी विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके साथ सम्पूरक लिया जा सकता है तथा अपवादों की सूची भी विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसके अन्तर्गत सम्पूरक के लाभ का भुगतान नहीं होता है।

### ध्यान रहे !

**बीमा कम्पनी सामान्यतः** इस सम्पूरक के अन्तर्गत एक एकमुश्त राशि का भुगतान करती है जब पॉलिसीधारक में **CI** (सम्पूरक के अन्तर्गत भुगतान योग्य) का निदान होता है तथा इसके साथ ही सम्पूरक लाभ समाप्त हो जाता है। अतः तदुपरान्त इस सम्पूरक के अन्तर्गत दावा बीमा कम्पनी द्वारा अनुमत नहीं होगा।

## प्रश्न 7.2

एक CI सम्पूरक के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले पाँच सामान्य CI के नाम दीजिए


### ब 3 द प्रीमियम का त्याग (**WOP**) सम्पूरक

यह सम्पूरक पॉलिसीधारक की बीमारी या दुर्घटना के परिणामस्वरूप कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में भावी प्रीमियमों का त्याग करता है। बीमा कम्पनी पॉलिसीधारक की ओर से प्रीमियम का भुगतान जारी रखती है तथा पॉलिसी सामान्य रूप से चालू रहती है। यह पॉलिसीधारक की मृत्यु या अपेंगता के कारण प्रीमियमों के भुगतान न होने के कारण पॉलिसी को व्यपगत होने से बचाने हेतु उत्तम है।

कुछ बाल योजनाओं में WOP सम्पूरक कभी-कभी संलग्न रहते हैं जबकि कुछ अन्य योजनाओं में एक वैकल्पिक लाभ के रूप में उपलब्ध रहता है। WOP सम्पूरक सुनिश्चित करता है कि प्रीमियम भुगतान करने वाले माता-पिता की मृत्यु की दशा में पॉलिसी सामान्य रूप से जारी रहती है तथा बच्चे का भविष्य प्रभावित नहीं होता है। ऐसे मामलों में, पॉलिसी की शर्तों के अनुसार चयनित लाभ बच्चे को प्राप्त होने तक प्रीमियम परित्याग का लाभ लागू रहता है।

बीमाकर्ता की न्यूनतम प्रवेश आयु, अधिकतम प्रवेश आयु, अधिकतम परिपक्वता आयु तथा न्यूनतम तथा अधिकतम बीमा धन जब सम्पूरक के लिए WOP लागू होता है। बीमाकर्ता सम्पूरक से सम्बद्ध अन्य शर्तों एवं निर्बन्धनों को भी विनिर्दिष्ट करता है। बीमा कम्पनी उन उत्पादों को विनिर्दिष्ट करती है जिनके साथ सम्पूरक लिया जा सकता है तथा जिन उत्पादों के साथ उक्त सम्पूरक प्रदान नहीं किये जाते हैं उन्हें भी विनिर्दिष्ट करती है।

### ब ३ य बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित अन्य सम्पूरक बीमा कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित कुछ अन्य सम्पूरकों में शामिल हैं:-



### ब ४ सम्पूरकों की विशेषताएँ तथा लाभ

सम्पूरकों की विशेषताओं तथा लाभों में शामिल हैं:-

- अतिरिक्त कवर:-** सम्पूरक जोड़कर बीमित अतिरिक्त सुरक्षा खरीद सकता है। सम्पूरक कवर की गुणवत्ता तथा विस्तार बढ़ाने में मदद करते हैं।
- नाममात्र लागत:-** सम्पूरक किसी अतिरिक्त योजना खरीदने की तुलना में नाममात्र लागत पर उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक बन्दोबस्ती योजना खरीद रहा व्यक्ति अपना मृत्यु कवर बढ़ाना चाहता है तो एक अलग अवधि बीमा योजना खरीदने के बजाय वे एक अवधि सम्पूरक लेकर नाममात्र लागत पर कवर बढ़ा सकते हैं।
- आवश्यकतानुरूपता :-** सम्पूरक उपभोक्ता की पसंद तथा प्राथमिकता के अनुसार खास योजना को आवश्यकतानुरूप बनाने में मदद करते हैं। बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षाकृत कम संख्या में मूल योजनाओं के साथ विकल्प के रूप में सम्पूरक ग्राहक को एक बड़ी संख्या में से विकल्पों के चयन में सुविधा रहती है। प्रत्येक योजना एक या अधिक सम्पूरकों के साथ ली जा सकती है। पाँच मूल योजनाएँ तथा सात सम्पूरक प्रभावी रूप से 35 या अधिक विकल्प प्रदान करते हैं।
- लोचनीयता:-** अनेक सम्पूरक पॉलिसीधारक की इच्छा के अनुसार जोड़े या हटाये जा सकते हैं, इस प्रकार उच्च स्तर की लोचनीयता प्राप्त होती है।

- **कराधान लाभ**:- सम्पूरकों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।

### सम्पूरकों के लिए IRDA विनियम

अप्रैल 2002 में जारी तथा अक्टूबर 2002 में यथा संशोधित IRDA विनियमों के अनुसार:-

- स्वास्थ्य एवं गंभीर बीमारियों से सम्बन्धित सभी सम्पूरकों पर अवधि या समूह बीमा उत्पाद के मामले में प्रीमियम मूल पॉलिसी के प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- अन्य सभी सम्पूरकों पर कुल प्रीमियम मूल पॉलिसी के प्रीमियम के 30% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक सम्पूरक के अन्तर्गत उपलब्ध लाभ मूल पॉलिसी के अन्तर्गत बीमा धन से अधिक नहीं होना चाहिए।

इन विनियमों द्वारा IRDA ने सम्पूरकों की अधिकतम संख्या तय की है जो किसी पॉलिसी के साथ ली जा सकती हैं। यह संभव है कि यह सीमा समय पर संशोधित की जाए।

### ब 4 एन्युटीज

एन्युटीज प्रायः जीवन बीमा की “विपरीत प्रक्रिया” के रूप में वर्णित की जाती है; किसी जीवन बीमा संविदा के अन्तर्गत बीमाकर्ता बीमित की मृत्यु पर भुगतान करता है, लेकिन किसी एन्युटी संविदा के अन्तर्गत प्रायः बीमाकर्ता एन्युटेन्ट की मृत्यु पर भुगतान करना बन्द कर देता है। एन्युटीज जीवन बीमा कम्पनियों से ली जाती है। ये एकल (एकमुश्त) भुगतान द्वारा या अनेक वर्षों में विस्तारित नियमित अंशदानों द्वारा खरीदी जा सकती है। भुगतान एन्युटेन्ट द्वारा या अन्य एन्युटी क्रेता जैसे एन्युटेन्ट के नियोक्ता या अन्य व्यक्तिगत लाभप्रदाता द्वारा या एक पेंशन योजना से किया जा सकता है।

किसी एन्युटी प्रदाता द्वारा एन्युटेन्ट के रूप में सन्दर्भित व्यक्ति को किये जाने वाले नियमित भुगतानों की एक श्रृंखला होती है।

### एन्युटीज तत्काल या विलम्बित हो सकती है।

- **तत्काल एन्युटीज** एकमुश्त राशि से खरीदने के तुरन्त बाद निहित हो जाती है। एन्युटी भुगतान, पॉलिसी की विशेषताओं/पॉलिसीधारक द्वारा लिये गये विकल्प के अनुसार माह, त्रैमास, अर्द्धवर्ष या वर्ष के अन्त में प्रारम्भ होता है।
- **विलम्बित एन्युटीज** अग्रिम रूप में भुगतान की जाती है। एन्युटी क्रय मूल्य एन्युटी निहित होने (चुकता होने) से पूर्व प्रारम्भ में एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, विलम्बित एन्युटीज निहित होने की तिथि से पूर्व कुछ वर्षों में किश्तों में भुगतान करके ली जा सकती है।

## उदाहरण

### निहित होना

- 40 वर्ष की आयु में अजय बीमा कम्पनी को रु. 10 लाख की एकमुश्त राशि का भुगतान करके एक सेवानिवृति योजना खरीदता है।
- अजय 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृति के पश्चात् एन्युटी भुगतान प्रारम्भ कराना चाहता है। वह तिथि जब एन्युटी का भुगतान प्रारम्भ होता है, निहित होना कहलाता है।
- इन 20 वर्षों के दौरान बीमा कम्पनी अजय की ओर से एकमुश्त राशि निवेश करेगी तथा इस पर प्रतिफल प्राप्त करेगी। अजय की सेवानिवृति पर उपरोक्त संचित धनराशि का उपयोग उसे नियमित एन्युटी भुगतान करने में किया जाता है।
- सामान्यतः सेवानिवृति तिथि ही निहित होने की तिथि होती है क्योंकि एन्युटी भुगतान इस तिथि से प्रारम्भ होंगे।
- निहित होने के समय अजय उसी बीमा कम्पनी से या अपनी पसन्द की किसी अन्य बीमाकर्ता से पेंशन योजना खरीदने का निर्णय ले सकता है। पेंशन प्रदाता चयन करने का यह विकल्प “खुला बाजार विकल्प” कहा जाता है।
- निहित होते समय अजय उपलब्ध अनेक एन्युटी योजनाओं में से अपनी रुचि या पसन्द के अनुसार एन्युटी का चयन कर सकता है।
- एन्युटी भुगतान एन्युटी विकल्पों तथा निहित होने के समय प्रचलित दरों पर निर्भर करेगा।

व्यवहार में इनके अनेक विभेद उपलब्ध होते हैं। कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं:-

### ब 5 अ जीवन एन्युटी

जैसा कि नाम से पता चलता है, इस प्रकार की एन्युटी में एन्युटेन्ट अपने पूरे जीवन काल में बीमा कम्पनी से एन्युटी भुगतान प्राप्त करता है। एन्युटी भुगतान उसकी मृत्यु पर बन्द होता है। उदाहरण के लिए, यदि संजय एक जीवन एन्युटी योजना खरीदता है तो वह अपनी मृत्यु तक बीमा कम्पनी से नियमित एन्युटी भुगतान प्राप्त करता है।

#### ध्यान रहे!

जीवन एन्युटीज (तत्काल या विलम्बित) प्रायः उस धनराशि से खरीदी जाती है जो पेंशन से सम्बद्ध रहती है तथा जिसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। (पेंशन योजनाओं पर अधिक जानकारी के लिए नीचे भाग ब 6 देखें)

### ब 5ब गारंटीड अवधि एन्युटी

इस प्रकार की एन्युटी में एन्युटेन्ट न्यूनतम तय वर्षों की संख्या जैसे 5,10,15, तथा 20, या 25 वर्षों के लिए एन्युटी भुगतान प्राप्त करने के विकल्प का चयन कर सकता है चाहे वह जीवित हो या नहीं। यदि एन्युटेन्ट चयनित अवधि के दौरान मर जाता है, तो चयनित अवधि के शेष भाग के लिए एन्युटी किश्तों का भुगतान लाभग्रहिताओं को होंगा। यदि एन्युटेन्ट गारंटीड अवधि समाप्त होने के पश्चात् जीवित रहता है तो उसकी मृत्यु तक भुगतान जारी रहेगा।

### **ब 5 स संयुक्त जीवन, अन्तिम जीवित व्यक्ति एन्युटी**

इस प्रकार की एन्युटी में सामान्यतः दो एन्युटेन्ट होते हैं, पति तथा पत्नी। पहले व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्, किसकी मृत्यु पहले होती है से असम्बद्ध, दूसरा जीवनसाथी अपने पूरे जीवनकाल में समान स्तर का एन्युटी भुगतान प्राप्त करता रहेगा, अर्थात् दोनों व्यक्तियों के जीवित रहते प्राप्त हुई एन्युटी राशि का 100% भुगतान ।

इस प्रकार की एन्युटी के अन्य विभेद में एन्युटेन्ट अपने जीवनकाल के दौरान एन्युटी भुगतान प्राप्त करता है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका जीवनसाथी अपने जीवनकाल के दौरान मूल एन्युटी राशि के घटे हुऐ प्रतिशत जैसे (उदाहरण के लिए) 25%, 50% या 75% एन्युटी भुगतान प्राप्त करता रहेगा ।

इस प्रकार की एन्युटी में 100% स्तर पर भुगतान तब तक होता है जब तक प्रथम नामित एन्युटेन्ट जीवित रहता है। यदि प्रथम नामित एन्युटेन्ट की मृत्यु के बाद उसका जीवनसाथी जीवित रहता है, तो वह पॉलिसी में उल्लेख के अनुसार अपनी मृत्यु तक घटे हुऐ प्रतिशत पर भुगतान प्राप्त करता रहेगा ।

उदाहरण के लिए संजय तथा उसकी पत्नी शीतल एक संयुक्त एन्युटी लेते हैं। संजय अपने जीवनकाल के दौरान बीमा कम्पनी से नियमित एन्युटी भुगतान प्राप्त करता रहेगा। संजय की मृत्यु पर, शीतल अपने जीवनकाल के दौरान घटा हुआ एन्युटी भुगतान प्राप्त करती रहेगी। शीतल की मृत्यु के पश्चात् एन्युटी भुगतान बन्द हो जायेगा। यदि शीतल की मृत्यु संजय से पूर्व हो जाती है, तो एन्युटी भुगतान संजय की मृत्यु के पश्चात् बन्द हो जायेगा।

### **ब 5 द क्रय मूल्य वापसी के साथ जीवन एन्युटी**

इस प्रकार की एन्युटी में, एन्युटेन्ट अपने जीवन काल के दौरान नियमित एन्युटी भुगतान प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु पर, मूल क्रय राशि उसके नामिती/लाभग्रहिता को लौटा दी जाती है। क्रय मूल्य से तात्पर्य संचय अवधि (जिसके लिए एन्युटी खरीदी गई थी) की समाप्ति पर निवेश के मूल्य या एन्युटी खरीदने के समय भुगतान की गई एक मुश्त राशि से है।

### **ब 5 य बढ़ती हुई एन्युटी**

इस प्रकार की एन्युटी में उपरोक्त में से किसी प्रकार के समान अवधि हो सकती है, लेकिन एन्युटी प्रतिवर्ष एक निर्धारित प्रतिशत या एक सहमत मुद्रास्फीति सूचकांक पर बढ़ती है।

### **ब 6 पेंशन योजनाएँ**

पेंशन योजनाएँ व्यक्तियों या उनके आश्रित के लिए पेंशन लाभ के प्रावधानों के साथ जुड़ी बचत एवं निवेश योजनाएँ होती हैं। एक बार जब किसी पेंशन योजना में अंशदान का भुगतान कर दिया जाता है तो वे सेवानिवृति या असामियक मृत्यु तक योजना में लॉकड-इन रहती है। उदाहरण के लिए योजना के अन्तर्गत ऋणों के भुगतान या एक नई कार खरीदने के लिए आहरण नहीं किया जा सकता है। पेंशन योजनाएँ नियोक्ताओं या निजी व्यक्तियों (अपने स्वयं के लाभ के लिए) द्वारा ली जा सकती हैं।

किसी सेवानिवृति पेंशन योजना का प्रभाव (लाभ) सेवानिवृति पर प्रारम्भ होने वाली जीवन एन्युटी के समान होता है।

पेंशन योजनाओं की विशेषताएँ तथा लाभ	
<b>संचय अवस्था(दौर )</b>	किसी सेवानिवृति योजना में दो अवस्थाएँ (दौर) होती है : संचय अवस्था /निवेश अवस्था तथा नियमित एन्युटी अवस्था। संचय अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यशील जीवन के दौरान नियमित अंशदान या एकमुश्त अंशदान करता है जिसे बीमा कम्पनी द्वारा ग्राहक की ओर से निवेश किया जाता है।
<b>नियमित एन्युटी अवस्था(दौर )</b>	कोई व्यक्ति सेवानिवृति पर संचय दौर में संचित धन राशि का उपयोग उसी बीमा कम्पनी या अन्य बीमा कम्पनी से एक एन्युटी योजना खरीदने में कर सकता है। व्यक्ति इस संचित धनराशि के अलावा सेवानिवृति परिलाभों के रूप में प्राप्त धनराशि जैसे भविष्य निधि, गेच्यूटी, अधिवार्षिकी या लोक भविष्य निधि जैसे निवेशों या अन्य निवेशों से प्राप्त परिपक्वता राशि का उपयोग भी एन्युटी योजना खरीदने में कर सकता है। नियमित एन्युटी अवस्था के दौरान बीमा कम्पनी व्यक्ति की ओर से एकमुश्त राशि का निवेश करती है तथा व्यक्ति (एन्युटेन्ट) को नियमित/समय—समय पर (आवर्तिक) एन्युटी भुगतान करना प्रारम्भ करता है।
<b>कम्पूटेशन</b>	नियमित/ आवर्तिक एन्युटी भुगतान प्राप्त करने से पूर्व व्यक्ति एक मुश्त राशि आहरित कर सकता है। यह कम्पूटेशन कहलाता है। बीमा कम्पनियाँ साधारणतया व्यक्ति को संचित कोष के एक तिहाई भाग तक आहरण करने की अनुमति देती है। शेष दो तिहाई भाग का उपयोग व्यक्ति के लिए एन्युटी भुगतानों के प्रतिफल के रूप में उपयोग करना चाहिए।
<b>भुगतान आवृति</b>	संचय अवस्था(दौर) के दौरान व्यक्ति सेवानिवृति कोष के लिए मासिक /त्रैमासिक /अर्द्धवार्षिक /वार्षिक आधार पर अंशदान कर सकता है। व्यक्ति सेवानिवृति कोष के लिए एकमुश्त एकल निवेश भी कर सकता है। एन्युटी खरीदते समय व्यक्ति एन्युटी भुगतानों को मासिक/ त्रैमासिक/ अर्द्धवार्षिक / वार्षिक आधार पर प्राप्त करने के विकल्प का चयन भी कर सकता है।  अधिकांश लोग मासिक एन्युटी भुगतान विधि का चयन करते हैं।
<b>बीमा कवर</b>	एन्युटी योजनाएँ या बीमा योजनाएँ नियमित एन्युटी अवस्था के दौरान कोई बीमा कवर प्रदान नहीं करती है तथा एन्युटेन्ट की मृत्यु पर भुगतान रोक दिया जाता है जब तक कि गारंटीड अवधि का विकल्प न लिया गया हो। ज्यादा जानकारी के लिए भाग ब 5 ब देखें।
<b>कराधान प्रभाव</b>	प्रचलित कर विधियों के अनुसार संचय अवस्था के दौरान पेंशन योजनाओं में निवेश की गई वार्षिक विनिर्दिष्ट राशि आय कर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होगी। कम्पूटेड राशि का एक तिहाई भाग भी कर मुक्त होता है। परन्तु व्यक्ति द्वारा प्राप्त नियमित एन्युटी या पेंशन कर स्लेब अथवा उन पर लागू कर दरों के अनुसार कर योग्य होती है।
<b>भुगतान की आवृति</b>	एक व्यक्ति बीमा कम्पनी को एकमुश्त राशि का भुगतान कर सकता

	है या संचय अवस्था के दौरान भुगतानों की एक श्रृंखला का चयन कर सकता है।
परम्परागत / यूनिट-लिंकड	संचय अवस्था के दौरान व्यक्ति अपनी जोखिम वहन क्षमता के अनुसार किसी परम्परागत पेंशन योजना या एक यूनिट लिंकड पेंशन योजना में निवेश का चयन कर सकता है। किसी परम्परागत पेंशन योजना में अधिकांश सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है जबकि एक यूनिट लिंकड सेवानिवृति योजना में व्यक्तिसी इकिवटी निधि, ऋण निधि, संतुलित निधि या उपलब्ध विकल्पों में से किसी अन्य निधि में निवेश करने का चयन कर सकता है।
भुगतान प्राप्ति के प्रकार	नियमित एन्युटी अवस्था के दौरान कुछ एन्युटीज एन्युटेन्ट को एक स्थिर भुगतान करती है जबकि कुछ अन्य प्रतिवर्ष एक निर्धारित प्रतिशत या एक सहमत मुद्रास्फीति सूचकांक पर भुगतान की जाने वाली राशि बढ़ाती है।

1 सितम्बर 2010 से लागू IRDA मानकों के अनुसार, सभी यूनिट लिंकड पेंशन योजनाओं में बीमाकर्ता को न्यूनतम 4.5% प्रतिफल की गारंटी देनी आवश्यक होगी। (यदि सभी प्रीमियमों का भुगतान कर दिया गया है), तथा संचय अवधि के दौरान किसी आंशिक आहरण की अनुमति नहीं होगी।

### प्रश्न 7.3 कम्यूटेशन का अर्थ समझाइए।

#### स वित्तीय उत्पादों पर कराधान या मुद्रास्फीति का प्रभाव

नोट करें कि वित्त अधिनियम 2011 में 1 अप्रैल 2012 से नई प्रत्यक्ष कर संहिता (DTC) क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत उस समय सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के वर्तमान कराधान प्रावधानों को परिवर्तित किया जा सकता है। अतः एक अभिकर्ता के रूप में लाइसेन्स प्राप्त करने से पूर्व ऐसे परिवर्तनों से परिचित होना आवश्यक होगा।

#### स 1 वित्तीय उत्पादों पर कराधान का प्रभाव

- स्वास्थ्य बीमा योजना:** प्रचलित कर विधियों के अनुसार आयकर अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम एक विनिर्दिष्ट सीमा तक कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है। यदि व्यक्ति एक वरिष्ठ नागरिक (65 वर्ष या उपर) है तब अन्य व्यक्तियों की तुलना में अनुमन्य कटौती उच्च होती है। कोई व्यक्ति अपना, जीवनसाथी, बच्चों तथा माता-पिता के लिए प्रीमियम का भुगतान कर सकता है तथा लागू कराधान लाभों को प्राप्त कर सकता है।
- सम्पूरक :**— बीमा सम्पूरकों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।

- **पेंशन योजना:**— संचय अवस्था के दौरान पेंशन योजनाओं के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम (विनिर्दिष्ट सीमा तक) आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है। कम्पूटेशन के दौरान व्यक्ति संचित निधि के एक तिहाई भाग को कर मुक्त राशि के रूप में एक मुश्त आहरित कर सकता है। व्यक्ति द्वारा प्राप्त नियमित एन्युटी आय मानी जायेगीं तथा कर स्लेब तथा उन पर लागू कर दरों के अनुसार एन्युटेन्ट की कर देयता होती है।

## स 2 वित्तीय उत्पादों पर मुद्रास्फीति प्रभाव

हमने अध्याय 5 तथा 6 में देखा है कि बीमा तथा अन्य वित्तीय उत्पादों पर मुद्रास्फीति किस प्रकार प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति स्वास्थ्य सुरक्षा की लागत पर भी प्रभाव डालती है जो गत कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है अर्थात् आज लिया गया स्वास्थ्य बीमा कवर एक दशक बाद पर्याप्त नहीं भी हो सकता है। तथापि कुछ स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ स्वास्थ्य कवर को बढ़ाती हैं अतः व्यक्ति को मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य कवर की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता होती है। कुछ स्वास्थ्य योजनाएँ तथा जीवन बीमा योजनाएँ बीमित को गंभीर बीमारी सम्पूरक जोड़ने की अनुमति भी प्रदान करती है। यह बहुत उपयोगी बन जाता है जब कोई व्यक्ति किन्हीं गंभीर बीमारियों से ग्रसित पाया जाता है।

मुद्रास्फीति जीवनयापन की लागत पर तीव्र प्रभाव डालती है। अपनी सेवानिवृति के पश्चात् के वर्षों के दौरान प्रायः किसी व्यक्ति के पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं होता है, अतः सेवानिवृति के बाद की आर्थिक योजना का चयन करते समय एक व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्रास्फीति के कारण उसके खर्चे वर्ष—दर—वर्ष बढ़ेंगे। कुछ सेवानिवृति योजनाएँ मुद्रास्फीति के प्रभाव को दूर या कम करने के लिए एक निर्धारित प्रतिशत दर या सहमत मुद्रास्फीति सूचकांक पर प्रतिवर्ष एन्युटी भुगतान में वृद्धि करती है।

## द जरूरतों की प्राथमिकता तय करना तथा जरूरतों के लिए वित्तीय उत्पादों का उपयोग करना

यदि किसी परिवार का आय प्रदाता किसी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो जाता है तथा काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है तो यह परिवार की वित्तीय स्थिति को दो तरह से प्रभावित कर सकता है— पहला, परिवार के अन्य वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सुरक्षित राशि को अस्पताल के बिल पर खर्च करने पर मजबूर कर सकता है तथा दूसरा, आय प्रदाता के अस्पताल में रहने पर परिवार को आय की हानि होगी।

किसी सबसे बुरे परिदृश्य में परिवार को अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत ऋणों के रूप में धनराशि उधार भी लेनी पड़ सकती है। इससे परिवार भारी रूप से ऋणग्रस्त हो जाता है तथा उसके पुनर्भुगतान के लिए कोई आय नहीं होती है। ऐसे में, स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ परिवार को अस्पताल के बिलों को निपटाने के बोझ से उबारने में मदद कर सकती है, साथ ही कुछ स्वास्थ्य योजनाएँ बीमित को आय की हानि के लिए एक दैनिक धनराशि का भुगतान भी करती है। इसलिए सभी को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए।

एक बार जब पारिवारिक आय प्रदाता अपने लिए जीवन बीमा ले लेता है तो उसके बाद स्वयं तथा पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करने पर विचार करना चाहिए। व्यक्ति अपनी जीवन बीमा योजनाओं का कवर बढ़ाने के लिए एक दुर्घटना मृत्यु लाभ सम्पूरक तथा एक अपंगता

सम्पूरक भी जोड़ सकता है या वह एक पृथक् व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा खरीद सकता है। अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा की व्यवस्था करते समय किसी व्यक्ति को परिवार के सभी सदस्यों के लिए अलग-अलग एकल स्वास्थ्य योजनाओं के बजाय एक पारिवारिक चल सुरक्षा योजना खरीदने पर विचार करना चाहिए। एक पारिवारिक चल सुरक्षा योजना में परिवार के सभी सदस्य, अस्थिर अनुपात में कवर प्राप्त करते हैं।

जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कई लोग बच्चों की शिक्षा योजना तथा बच्चों की विवाह योजना जैसे लक्ष्यों को सेवानिवृति योजना से अधिक प्राथमिकता देते हैं। एक व्यावसायिक जीवन बीमा अभिकर्ता को अपने ग्राहक को यथाशीघ्र पेशन योजना में अंशदान प्रारम्भ करने हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए, भले ही, वे एक छोटी राशि के साथ शुरूआत करें तथा समय के साथ अपने अंशदान को धीरे धीरे बढ़ायें।

## सारांश

अब तक हम उन उत्पादों की श्रृंखला के सम्बन्ध में अपने अध्ययन का समापन कर चुके हैं जिनके बारे में बीमा अभिकर्ता को जानने तथा समझाने की जरूरत होती है। इस अध्याय में हम एक सुविधाजनक तथा आनन्ददायक सेवानिवृति के बाद के जीवन को सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र वृद्धावस्था की जरूरतों की पूर्ति की महत्ता के बारे में विचार कर चुके हैं तथा अब आप किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य योजनाओं, सम्पूरकों तथा एन्युटीज के विभेदों एवं भूमिका को समझेंगे क्योंकि तब वह खराब स्वास्थ्य के साथ साथ बीमारी के विपरीत वित्तीय परिणामों के कारण अधिक असुरक्षित हो जाता है जब नियमित आय की सुरक्षा नहीं होती है।

आगे बढ़ने से पूर्व, अध्याय 5, भाग द तथा अध्याय 6 भाग ल पर पुनः यह देखने के लिए कुछ समय देंगे कि इस अध्याय में कवर किये गये विषय किस प्रकार ग्राहक की संभावित जरूरतों के सम्पूर्ण परिदृश्य में सही बैठते हैं तथा किस प्रकार आप उनकी विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त जीवन बीमा तथा बचत उत्पादों की पहचान करने में उनकी सहायता हेतु अपने ज्ञान तथा समझ का उपयोग करेंगे।

अगले अध्याय में हम ग्राहक की जरूरतों की प्राथमिकता तय करने के विषय पर जोर देकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आप अपने ग्राहक की वर्तमान जीवन अवस्था के सन्दर्भ में इसे किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं तथा विभिन्न कारकों पर विचार करेंगे जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली सलाह को प्रभावित करेंगे।

## मुख्य बिन्दु

### अन्य वित्तीय जरूरतें

- किसी व्यक्ति की अन्य वित्तीय जरूरतों में स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य सम्पूरकों तथा सेवानिवृति योजनाओं आदि की जरूरत सम्मिलित है।
- स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ परिवार के किसी सदस्य के अस्पतालीकरण खर्चों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है जिसमें डॉक्टर की फीस, दवाईयाँ, कमरे का किराया तथा अन्य मेडिकल खर्च शामिल हैं।
- बीमा सम्पूरक एक नाममात्र लागत पर अतिरिक्त लाभ देते हैं। सम्पूरक एक बीमा पॉलिसी को आवश्यकतानुरूप बनाने में मदद करते हैं।

- सेवानिवृत्ति योजनाएँ सेवानिवृत्ति के पश्चात् वही जीवनशैली बनाये रखने में मदद करती है जिसका वे सेवानिवृत्ति से पूर्व आनन्द उठाते हैं।

### अन्य मुख्य उत्पादों की विशेषताएँ तथा लाभ

- अन्य सभी कारकों को स्थिर मानने पर, एक स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम आयु बढ़ने के साथ बढ़ता है।
- स्वास्थ्य योजनाएँ नेटवर्क के अस्पतालों में नकदरहित चिकित्सा तथा गैर-नेटवर्क अस्पतालों में पुनर्भुगतान आधार पर चिकित्सा प्रदान करती है।
- सम्पूरक कवर की गुणवत्ता तथा विस्तार बढ़ाने में मदद करते हैं।
- पेंशन योजनाओं में दो अवस्थाएँ होती हैं: संचय अवस्था जिसमें व्यक्ति नियमित या एकमुश्त अंशदान करता है तथा एन्युटी अवस्था जिसमें बीमा कम्पनी एन्युटेन्ट को नियमित भुगतान करती है।
- कोई व्यक्ति संचित निधि की एक तिहाई राशि कर-मुक्त कम्यूट करा सकता है तथा उसे शेष दो तिहाई का उपयोग एक एन्युटी खरीदने में उपयोग करना चाहिए।
- एक सेवानिवृत्ति योजना में किया गया अंशदान आयकर अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है। एन्युटेन्ट द्वारा प्राप्त नियमित एन्युटी कर योग्य होती है।
- एन्युटीज भुगतान की आवृत्ति, निर्गत भुगतानों के प्रकार, निर्गत भुगतान समय प्रारम्भ, लाभान्वित लोगों की संख्या आदि के आधार पर वर्गीकृत की जा सकती है।

### वित्तीय उत्पादों के विभिन्न प्रकार

- स्वास्थ्य बीमा योजना के चार मुख्य प्रकार होते हैं:- एकल स्वास्थ्य योजनाएँ, पारिवारिक चल सुरक्षा स्वास्थ्य योजना, समूह स्वास्थ्य बीमा योजना, दैनिक अस्पतालीकरण नकद लाभ योजना।
- दुर्घटना मृत्यु लाभ सम्पूरक किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में विनिर्दिष्ट बीमा धन के अलावा एक अतिरिक्त भुगतान प्रदान करती है।
- अवधि सम्पूरक किसी पॉलिसी में मृत्यु कवर को बढ़ाने में उपयोग किया जा सकता है।
- गंभीर बीमारी सम्पूरक इस दशा में, बहुत उपयोगी हो जाता है जब बीमित सम्पूरक के अन्तर्गत कवर की गई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित पाया जाता है।
- प्रीमियम त्याग सम्पूरक बीमित की अपंगता की दशा में भावी प्रीमियमों के भुगतानों के परित्याग का लाभ प्रदान करता है।
- एक एन्युटी योजना के विभेदों में शामिल है:- जीवन एन्युटी, गारंटीड अवधि एन्युटी, संयुक्त जीवन अन्तिम जीवित बीमित सम्पूरक, शेष क्रय मूल्य की वापसी युक्त जीवन एन्युटी, बढ़ती हुई एन्युटी।

### वित्तीय उत्पादों पर कराधान एवं मुद्रास्फीति का प्रभाव

- स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए एक विनिर्दिष्ट सीमा तक किया गया प्रीमियम भुगतान आयकर अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है।
- किसी सेवानिवृत्ति योजना के लिए किया गया अंशदान आय कर अधिनियम की सम्बन्धित धारा के अन्तर्गत कर योग्य आय में से कटौती योग्य होता है। किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त नियमित पेंशन कर योग्य होती है।

- मुद्रास्फीति के कारण आज पर्याप्त लगने वाला स्वास्थ्य बीमा कवर, उदाहरण के लिए एक दशक बाद पर्याप्त नहीं होगा।

### **जरूरतों की प्राथमिकता तय करना तथा जरूरतों के लिए वित्तीय उत्पाद प्रयुक्त करना**

- स्वास्थ्य योजनाएँ परिवार के आय प्रदाता या परिवार के किसी अन्य सदस्य के अस्पतालीकरण की दशा में व्यय होने वाली लागत प्रदान करती है।
- चूंकि सेवानिवृति अन्य वित्तीय लक्ष्यों के बाद आती है, अतः किसी व्यक्ति को इस लक्ष्य को कम प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए; वे एक अल्प राशि से शुरूआत कर सकते हैं तथा कुछ समय के पश्चात् अंशदान बढ़ा सकते हैं।

### **प्रश्न—उत्तर**

#### **7.1**

स्वास्थ्य योजनाओं के कुछ लक्षण एवं विशेषताएँ इस प्रकार हैं:—

- मूल्य निर्धारण
- नकद विहीन सुविधा;
- मेडिकल परीक्षण;
- पूर्व—विद्यमान बीमारियों का कवर;
- सह—भुगतान;
- दावा रहित बोनस;
- तुरन्त देखभाल; तथा
- एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए बचतों या ऋणों की आवश्यकता नहीं।

#### **7.2**

बीमाकर्ताओं द्वारा कवर की जाने वाली गंभीर बीमारियों की सूची अलग—अलग होती है। गंभीर बीमारी सम्पूरक के अन्तर्गत कवर की जाने वाली कुछ गंभीर बीमारियों में शामिल हैं:—

1. हृदयाघात
2. कैन्सर
3. किडनी फैल होना
4. प्रमुख अंग प्रत्यारोपण
5. आघात
6. महाधमनी सर्जरी
7. अंधता
8. पेराल्जेजिया
9. कोमा
10. मल्टीपल स्कलेरोसिस

#### **7.3**

**कम्पूटेशन** :— नियमित/आवर्तिक एन्युटी भुगतान प्राप्त करने से पूर्व कोई व्यक्ति एक मुश्त राशि आहरित कर सकता है। यह कम्पूटेशन कहलाता है। बीमा कम्पनियाँ साधारणतया किसी व्यक्ति को संचित निधि के एक तिहाई भाग तक आहरण करने की अनुमति देती है। किसी व्यक्ति के लिए एन्युटी खरीदने के लिये शेष दो तिहाई भाग का उपयोग करना चाहिए।

**स्व—परीक्षण प्रश्न**

1. बाजार में उपलब्ध कुछ एन्युटी योजनाओं को सूचीबद्ध करो।
2. दुर्घटना मृत्यु लाभ सम्पुरक को समझाइए।
3. किसी एन्युटी योजना की दो अवस्थाएँ समझाइए।

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

## स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

**1.**

बाजार में उपलब्ध कुछ प्रकार की एन्युटी में शामिल है:—

- जीवन एन्युटी
- गारंटीड अवधि एन्युटी
- संयुक्त जीवन, अन्तिम जीवित व्यक्ति एन्युटी
- क्रय मूल्य वापसी के साथ जीवन एन्युटी
- बढ़ती हुई एन्युटी

**2.**

बीमित की किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में, मूल बीमा धन तथा इसके बराबर एक अतिरिक्त राशि, जैसी कि यह सम्पूरक लेते समय विनिर्दिष्ट की गई हो, प्रदान की जाती है। मृत्यु एक बाह्य, हिसात्मक, अपूर्वकल्पित, दृश्य साधनों द्वारा दुर्घटना के परिणामस्वरूप होनी चाहिए। इस सम्पूरक के अन्तर्गत किया जाने वाला भुगतान पॉलिसी में विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निर्बन्धनों के अधीन होता है।

दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक **ADB** सम्पूरक भारत में अधिक महत्व रखता है। बीमा कम्पनी वह उत्पाद विनिर्दिष्ट करती है जिसके साथ यह सम्पूरक लिया जा सकता है तथा अपवादों की सूची भी विनिर्दिष्ट करती है जिनके अन्तर्गत इस सम्पूरक का लाभ उपलब्ध नहीं होता है।

**3.**

किसी एन्युटी योजना की दो अवस्थाओं में संचय अवस्था तथा नियमित एन्युटी अवस्था शामिल है:

**संचय अवस्था:**— एक सेवानिवृति योजना में दो अवस्थाएँ होती है : संचय अवस्था/निवेश अवस्था तथा नियमित एन्युटी अवस्था। संचय अवस्था में व्यक्ति अपने कार्यशील जीवन के दौरान नियमित अंशदान या एकमुश्त अंशदान करता है जिसे बीमा कम्पनी द्वारा ग्राहक की ओर से निवेश किया जाता है।

**नियमित एन्युटी अवस्था:**— सेवानिवृति पर कोई व्यक्ति संचय प्रावस्था में संचित धन राशि का उपयोग उसी बीमा कम्पनी या किसी अन्य बीमा कम्पनी से एक एन्युटी योजना खरीदने में कर सकता है। व्यक्ति इस संचित धनराशि के अलावा सेवानिवृति परिलाभों के रूप में प्राप्त धनराशि जैसे भविष्य निधि, गेच्यूटी, अधिवार्षिकी या एक लोक भविष्य निधि जैसे निवेशों या अन्य निवेशों से प्राप्त परिपक्वता राशि का उपयोग भी एन्युटी योजना खरीदने में कर सकता है। नियमित एन्युटी प्रावस्था के दौरान बीमा कम्पनी व्यक्ति की ओर से एकमुश्त राशि का निवेश करती है तथा व्यक्ति (एन्युटीटेन्ट) को नियमित/आवर्तिक एन्युटी भुगतान करना प्रारम्भ करता है।

# 8

## ग्राहक की जरूरतों की पहचान करना

अध्याय विषय वस्तु	पाठ्यक्रम शिक्षण के परिणाम
अ. आपका ग्राहक कौन है?	8.1
ब. किसी ग्राहक की विशिष्ट जीवन अवस्थाएँ	8.1
स. जीवन अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक	8.2
द. ग्राहक की जरूरतें : वास्तविक तथा अनुभव की जाने योग्य	8.3
य. सम्प्रेषण, प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त करना (पूछताछ) तथा श्रवण कौशल	8.3
र. ग्राहक तथा उसके परिवार से सम्बन्धित सूचनायें एकत्र करना	8.4
ल. प्राथमिकताओं की पहचान	8.3
व. स्वीकृतियों की पुष्टि तथा उद्देश्यों पर सहमति	8.5
अध्ययन उद्देश्य	

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात् आप निम्न हेतु समर्थ होंगे:-

- सम्भावित ग्राहकों को पहचानने में;
- ग्राहक की विशिष्ट जीवन अवस्थाओं का वर्णन करने में;
- किसी ग्राहक की जीवन अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारकों तथा विभिन्न जीवन अवस्थाओं में ग्राहक की जरूरतों का वर्णन करने में;
- एक ग्राहक की वास्तविक तथा अनुभव की जाने वाली जरूरतों में अन्तर की व्याख्या

करने में;

- बीमा अभिकर्ता के लिए आवश्यक सम्प्रेषण, जानकारी प्राप्त करने तथा श्रवण कौशल का वर्णन करने में;
- जरुरतों की प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया की व्याख्या करने में;
- अल्प, मध्यम अवधि, तथा दीर्घ अवधि जरुरतों में अन्तर स्पष्ट करने में;
- स्वीकृतियों की पुष्टि तथा उद्देश्यों पर सहमति किस प्रकार की जाती है, को समझाने में।

## परिचय

कोई व्यक्ति अपने जीवन काल के दौरान कई बार अपनी भूमिकाएँ बदलता है जैसे कोई पुरुष एक जिम्मेदार पुत्र, अच्छा पति तथा एक अच्छा पिता हो सकता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में निभायी गई भूमिकाएँ एक जीवन चक्र के रूप में देखी जा सकती हैं।

प्रत्येक ग्राहक की जरुरतों का अलग-अलग समुच्चय होता है, बीमा कम्पनी तथा उद्योग विश्लेषकों ने विभिन्न जीवन अवस्थाओं के लिये कुछ मानक जरुरतों की पहचान की है तथा इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि एक बीमा अभिकर्ता इन जरुरतों को पूरा करने में किस प्रकार मदद कर सकता है।

## मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

सम्पत्तियाँ	जीवन चक्र	जरुरतों की प्राथमिकता तय करना
सम्प्रेषण कौशल	सुनने का कौशल	जानकारी प्राप्त करने का कौशल
जरुरतों का परिमापन करना	दीर्घावधि जरुरतें	वास्तविक जरुरतें
आय	मध्यम अवधि जरुरतें	अल्प अवधि जरुरतें
दायित्व	अनुभव की गई जरुरतें	अधिशेष निधि

अ. आपका ग्राहक कौन है?

### अ 1 सम्भावित ग्राहक

जैसा कि हम देख चुके हैं कि किसी बीमा अभिकर्ता का मुख्य कार्य अपने ग्राहक की जरुरतों को पहचानना तथा उपयुक्त उत्पादों की सलाह देना है। बीमा अभिकर्ता के सम्पर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक सम्भावित ग्राहक है जिसकी कोई वित्तीय जरुरत हो। सम्भावित ग्राहकों की कई ऐसी जरुरतें हो सकती हैं जिसके बारे में वे स्वयं भी नहीं जानते हों। ऐसे मामले में सम्भावित ग्राहक को उसकी जरुरतें महसूस कराना तथा उपयुक्त बीमा सुरक्षा तथा / या निवेश उत्पाद की सलाह

देना बीमा अभिकर्ता का कर्तव्य होता है। हमने पिछले तीन अध्यायों में यह देखा है कि बीमा कम्पनियाँ तथा अन्य वित्तीय संस्थान उत्पादों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं जो किसी व्यक्ति की विभिन्न जरूरतों की पूर्ति करती है। आपको याद होगा कि इनमें से कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरतें निम्नानुसार हैं:-

- पारिवारिक आय प्रदाता की असमय मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के लिए पर्याप्त धन/निधि प्राप्त करने की जरूरत;
- उत्पन्न हो सकने वाली किसी आपातकालीन स्थिति के लिए एक आकस्मिकता निधि के सृजन की जरूरत;
- बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए धन बचाने की जरूरत;
- पारिवारिक आय प्रदाता के न रहने पर गृह ऋण तथा अन्य ऋणों के पुर्नभुगतान के दायित्वों से पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत;
- सेवानिवृति के बाद के जीवन के लिए धन बचाने की जरूरत;
- समय-समय पर उत्पन्न हो सकने वाली अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जरूरत।

कोई भी व्यक्ति जिसकी उपरोक्त में से कोई भी जरूरत हो बीमा अभिकर्ता के लिए एक सम्भावित ग्राहक होता है।

## अ 2 ग्राहक की जरूरतें

इस भाग में हम बीमा उत्पादों से सम्बन्धित अध्यायों में ग्राहक की जरूरतों के विषय में की गई समग्र चर्चा को सारांश रूप में रेखांकित करेंगे जिससे आपको व्यावसायिक स्तर पर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं का ज्ञान तथा दिशानिर्देश प्राप्त होगा।

जैसा कि हम स्पष्ट कर चुके हैं बीमा अभिकर्ता का उत्तरदायित्व है कि वह अपने ग्राहक की वास्तविक (वैध) आवश्यकताओं की पहचान तथा प्राथमिकता निर्धारित कर उनके लिये उपयुक्त बीमा अथवा बचत उत्पाद क्रय करने की अनुसंशा करें। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:-

**जरूरतों की पहचान करना**

**जरूरतों की परिमापन करना**

**जरूरतों की प्राथमिकता तय करना**

**1. जरूरतों की पहचान करना:-** किसी बीमा अभिकर्ता को निम्नलिखित सूचनाएँ एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने की जरूरत है:-

- ग्राहक की वित्तीय सम्पत्तियों एवं दायित्वों के सम्बन्ध में विवरण;
- वैवाहिक स्थिति;
- अपने तथा अपने बच्चों के लिए ग्राहक के भावी वित्तीय लक्ष्य;
- आश्रितों की संख्या तथा आय;
- रोजगार की स्थिति जैसे वर्तमान श्रेणी (पद) तथा पदोन्नति के अवसर;

- आय जिसमें वेतन, व्यवसाय तथा अन्य स्रोतों से आय तथा निवेशों से आय (यदि कोई हो) शामिल है;
- स्वास्थ्य तथा आनुवांशिक रोगों की स्थिति का विवरण; तथा
- वर्तमान सुरक्षा, बचत तथा सेवानिवृति के बाद की आवश्यकताओं हेतु संचय (यदि कोई हो)।

**2. जरूरतों का परिमापन करना:**— वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में बीमा अभिकर्ता को प्रत्येक जरूरत को मौद्रिक अर्थों में परिमाणित करने तथा फिर राशि की गणना करनी होती है जिसकी किसी व्यक्ति को भविष्य हेतु बचत या निवेश करने की जरूरत होती है।

**3. जरूरतों की प्राथमिकता तय करना:**— निवेश के लिए उपलब्ध राशि ग्राहक की आय में से उसके जीवन यापन तथा अन्य खर्चों को घटाने के बाद मासिक अधिशेष होता है। ग्राहक की जरूरतों की प्राथमिकता तय करनी चाहिए क्योंकि उसकी निवेश क्षमता सीमित हो सकती है तथा खर्च की जाने वाली कुल राशि उपलब्ध अधिशेष निधि से अधिक हो सकती है। बीमा अभिकर्ता को सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण का सुझाव देना चाहिए, जिससे सीमित/उपलब्ध निधि को ग्राहक की अधिकतम जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रयुक्त किया जा सके। इन जरूरतों की प्राथमिकता तय करने पर ग्राहक को यह निश्चित करने में सहायता मिलेगी कि किन निवेशों को टाला जा सकता है तथा किस आवश्यकता हेतु पहले निवेश किया जाये।

क्या होगा यदि ग्राहक ने पहले से ही कुछ बीमा योजनाएँ ले रखी हो?  
उपरोक्त स्थिति में, बीमा अभिकर्ता को दो तथ्यों को ज्ञात करने की जरूरत है:-

क्या चालू बीमा योजना ग्राहक की जरूरतों की समुचित पूर्ति करती है या नहीं। यदि हाँ, तो क्या बीमा राशि ग्राहक के भावी दायित्वों की पूर्ति हेतु पर्याप्त है? यदि नहीं तो किसी उपयुक्त उत्पाद(चालू उत्पाद का) / विकल्प पूरक या उसी उत्पाद को उच्च कवर हेतु) का सुझाव देना चाहिए।

अभिकर्ता को ग्राहक की अन्य जरूरतों का विश्लेषण करना चाहिए जिनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी। यदि ग्राहक के पास पहले से ही पर्याप्त कवर की एक अवधि योजना है, तो सुरक्षा जरूरत की पूर्ति हो जाती है। लेकिन उसकी अन्य जरूरतें जैसे उसके बच्चों की शिक्षा तथा विवाह तथा उसकी स्वयं की सेवानिवृत्ति पश्चात आवश्यकताओं हेतु योजना आदि की पूर्ति बकाया हो सकती है। अतः इन बकाया जरूरतों के लिए उपयुक्त उत्पादों का सुझाव देने की जरूरत होती है। यदि ग्राहक किसी विशेष योजना में निवेश का इच्छक है तथा जोखिंग लेने की क्षमता खबता है तो अभिकर्ता को ऐसे उत्पादों के जोखिमों को पूरी तरह समझकर, उसे उपयुक्त सुझाव देना करता है।

## उदाहरण

नरेन्द्र एक 32 वर्षीय सरकारी कर्मचारी है। उसकी पत्नी ममता एक गृहिणी है। इस युगल की दो सन्तानें एक पुत्र तथा एक पुत्री हैं। नरेन्द्र की विभिन्न वित्तीय तथा सुरक्षा जरूरतें क्या हो सकती हैं?

1. उसकी असामयिक मृत्यु होने पर उसकी पत्नी तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
2. उसकी असामयिक मृत्यु होने पर, उसके द्वारा लिये गये गृह ऋण तथा कार ऋण के पुनर्भुगतान के लिए अपने परिवार को वित्त प्रदान करने के लिए।
3. स्वयं एवं सम्पूर्ण परिवार को मेडिकल सुरक्षा प्रदान करने के लिए।
4. बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए बचत करने के लिए।
5. अपनी सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों के लिए बचत करने के लिए।

नरेन्द्र ने पहले से ही रु. 10,00,000 कवर की एक अवधि योजना ले रखी है। इस मामले में बीमा अभिकर्ता को दो तथ्यों पर विश्लेषण एवं सलाह देने की जरूरत है:-

1. रु. 10,00,000 का बीमा कवर नरेन्द्र की असामिक मृत्यु होने पर परिवार की जरूरतों तथा दायित्वों की पूर्ति हेतु पर्याप्त होता है या नहीं। यदि उत्तर “नहीं” हो, तब परिवार की जरूरतों तथा दायित्वों की पूर्ति हेतु एक अन्य अवधि योजना का सुझाव दिया जाना चाहिए यदि पहले इसकी व्यवस्था नहीं की गई हो।
2. नरेन्द्र की अन्य जरूरतों जैसे मकान खरीदना, पेंशन योजना, बाल योजना आदि के लिए उत्पादों का निर्णय ग्राहक की निवेश क्षमता तथा प्राथमिकता पर ध्यान देते हुए करना चाहिए।

नरेन्द्र अपने बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश भेजना चाहता है अपने बच्चों की भावी सुरक्षा के लिए वह अपने खाली समय(फुरसत) में आमोद-प्रमोद तथा मनोरंजन हेतु किये जाने वाले व्ययों में पर्याप्त कटौती करने हेतु तैयार है। नरेन्द्र के लिए उसके बच्चों की शिक्षा उसकी अन्य जरूरतों पर प्राथमिकता रखती है। अतः बीमा अभिकर्ता को एक उपयुक्त बाल योजना का सुझाव देना चाहिए जिसमें उसके निवेश का एक बड़ा हिस्सा लगाया जा सकता है तथा शेष राशि अन्य जरूरतों के लिये सुरक्षित रखी जा सकती है। बाद में जब नरेन्द्र की आय बढ़ती है और उसके पास अधिक धन उपलब्ध होता है, तब वह अपनी अन्य जरूरतों की पूर्ति के लिए निवेश बढ़ा सकता है।

## संस्तुत क्रिया

अपने भावी वित्तीय लक्ष्यों की सूची तैयार कीजिए। उस राशि का आंकलन कीजिए जिसकी आपको इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निवेश करने की जरूरत होगी। इनकी प्राप्ति के लिए आपको कितना निवेश करना होगा?

## ब किसी ग्राहक की विशिष्ट जीवन अवस्थाएँ



उपरोक्त जीवन अवस्थाएँ प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है चाहे वह कर्मचारी हो, स्व नियोजित या व्यावसायिक आदि हो।

### **ब 1 बचपन**

बच्चों को बहुत कम सुरक्षा जरूरतें होती हैं। बच्चों की साधारणतया अपनी स्वयं की कोई आय नहीं होती है तथा वे प्रायः अपने माता-पिता / संरक्षकों पर पूर्णतया आश्रित होते हैं।

इस अवस्था में, माता-पिता / संरक्षकों की दो मूलभूत जरूरतें होती हैं:-

- यदि उनकी असमय मृत्यु हो जाये तो अपने बच्चों की वित्तीय स्थिति सुरक्षित करना।
- अपने बच्चों के भावी खर्चों जैसे प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा, विवाह तथा जीवन यापन हेतु अन्य खर्चों हेतु प्रावधान करना।

बच्चों के भविष्य के लिए निवेश एक महत्वपूर्ण जरूरत है जिसे प्रत्येक अभिभावक उच्च प्राथमिकता देना चाहेगा। एक बीमा अभिकर्ता को दो कार्य करने होंगे:-

**पहला, बच्चों के भविष्य के लिए अभी(आज) से कितनी धनराशि का नियमित रूप से निवेश करना चाहिए इसका पूर्व निर्धारण करना।**

**दूसरा, ग्राहक की निवेश क्षमता (जो कि सीमित हो सकती है) को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निवेश उत्पादों का सुझाव देना।**

### **ब 2 अविवाहित युवा**

इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

- **अविवाहित युवा जिन पर कोई आश्रित न हों-** ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा जरूरत कम होती है क्योंकि उसके कोई आश्रित नहीं होते हैं। इसके स्थान पर बचत/ अतिरिक्त आय के निवेश द्वारा उच्च प्रतिफल प्राप्ति की जरूरत प्राथमिकता बन जाती है। अतः उपयुक्त निवेश योजना जैसे यूलिप, जो कराधान लाभों के साथ पूँजी बाजार की वृद्धि में हिस्सेदारी (लाभ)की सुविधा भी देती है का सुझाव देना चाहिए। अन्य प्राथमिकताओं जैसे विवाह या आश्रितों की स्थिति में उन उत्पादों में परिवर्तन किये जाने की सम्भावनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। व्यक्ति अपने विवाह के लिए बचत, एक मकान खरीदने के लिए राशि की उपलब्धता तथा माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा (यदि पहले से न लिया गया हो या माता-पिता स्वयं इसकी व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हो) पर भी विचार कर सकता है।

#### **प्रकरण—अध्ययन**

#### **अविवाहित युवा**

अंकुर अरोड़ा एक 24 वर्षीय सिविल इंजीनियर है, जो एक निर्माण कम्पनी में सहायक प्रबन्धक के रूप में कार्य करता है। वह अपने शुद्ध मासिक वेतन के रूप में रु. 18,000 प्राप्त करता है। अंकुर एक अविवाहित युवा है जो अपने माता-पिता के साथ रहता है। उसके पिता एक तापीय विद्युत (प्लांट)इंजीनियर है। अविवाहित होने के कारण, अंकुर की कोई जिम्मेदारी या दायित्व

नहीं है। अंकुर के पिता उसे भविष्य के लिए धन की बचत करने तथा कुछ अच्छी निवेश योजनाओं में निवेश की सलाह देते हैं।

अतः अंकुर एक बीमा अभिकर्ता से मिलता है जो उसे एक यूनिट लिंक्ड बीमा योजना(ULIP) में निवेश की सलाह देता है जो उसके निवेशों की दीर्घावधि पूँजी वृद्धि के शेयरों के माध्यम से दीर्घ—अवधि तक पूँजी बाजार में वृद्धि का आयाम तथा अवसर देगा।

- अविवाहित युवा जिसके आश्रित हों—** यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार (जिसमें माता—पिता हों)के लिए एकमात्र आय प्रदाता है तब परिवार बुरी तरह प्रभावित हो जाता है यदि उक्त युवा व्यक्ति की असामयिक मृत्यु हो जाती है। अतः व्यक्ति को अपनी आय की सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को एक उपयुक्त जीवन बीमा योजना लेने की अनुशंसा की जानी चाहिए तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् परिवार की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने हेतु बीमा राशि पर्याप्त होनी चाहिए। शेष धनराशि संचय हेतु दीर्घ—अवधि के लिए निवेश की जा सकती है।

### ब 3 विवाहित युवा

विवाहित व्यक्तियों की वित्तीय जरूरतें परिवर्तित हो जाती है क्योंकि वह मकान खरीदने, परिवार की रचना आदि के विषय में सोचना शुरू करता है। ऐसे व्यक्तियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।

- परिवार जिसकी दोहरी आय हो —** यदि दोनों जीवनसाथी कार्यशील हैं(आय अर्जन करते हैं), तब किसी एक व्यक्ति पर वित्तीय निर्भरता कम हो जाती है। ऐसे युगल सामान्यतया डबल इनकम नो किड्स (DINK) के रूप में भी जाने जाते हैं। किसी एक जीवन साथी की असमय मृत्यु होने पर परिवार की वित्तीय स्थिति किसी एकल आय वाले परिवार की तुलना में कम प्रभावित होगी। दोनों जीवनसाथी के लिए अलग—अलग अवधि बीमा योजना लेने की संस्तुति करनी चाहिए ताकि किसी एक की मृत्यु से होने वाली आय की हानि की कुछ सीमा तक प्रतिपूर्ति की जा सके। युगल ऐसे उत्पादों में निवेश के बारे में भी सोच सकता है जो उन्हें उच्च प्रतिफल प्रदान कर सके तथा भविष्य के लिए धन संचय करने में उनकी सहायता कर सके। ऐसे युगल के लिए यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाओं (ULIP) में निवेश का सुझाव दिया जाता है क्योंकि यूलिप में बीमा सुरक्षा के साथ पूँजी बाजार में हिस्सेदारी के माध्यम से उच्च प्रतिफल देने की क्षमता होती है।
- एकल आय वाला परिवार—** यदि एक जीवनसाथी कमाता है तथा दूसरी एक गृहिणी है तब तो किसी की दोहरी आय वाले परिवार से बचतें कम होती हैं। ऐसे युगलों के लिए आय सुरक्षा अन्य जरूरतों की तुलना में प्राथमिकता रखती है। आय प्रदाता को एक अवधि बीमा योजना खरीदनी चाहिए ताकि उसकी असामयिक मृत्यु की दशा में उसका जीवन साथी बीमा कम्पनी से आय की हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त राशि प्राप्त कर सके।

### प्रकरण—अध्ययन

**विवाहित युवा:**— अंकुर के प्रकरण—अध्ययन को जारी रखते हुए तीन वर्ष पश्चात् कम्पनी (सेवा) में भली प्रकार स्थापित हो जाने पर वह कविता से विवाह करता है। वह एक निजी विद्यालय में

अध्यापिका है। अंकुर तथा कविता अब सम्मिलित रूप से एक दोहरी आय वाला परिवार है जिसमें दोनों जीवन साथी कमा रहे हैं। अंकुर की असमय मृत्यु होने की स्थिति में कविता वित्तीय रूप से पूर्णतः कुप्रभावित नहीं होगी क्योंकि वह अब भी कमाती रहेगी।

इस स्तर पर अंकुर तथा कविता की मुख्य जरूरत असमय मृत्यु, चोट या लम्बी बीमारी से होने वाली अपंगता की स्थिति में अपनी आय की सुरक्षा करना है। यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो बीमा धन तथा जीवित साथी की आय उसकी सहायता करेगी। युगल को एकल अवधि जीवन बीमा योजना खरीदनी चाहिए तथा शेष उपलब्ध धन को दीर्घ अवधि में पूँजी वृद्धि के लिए म्यूच्युल फण्ड या यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना में निवेश करना चाहिए।

## ब 4 विवाहित युवा जिनकी सन्तानें हों

जब किसी व्यक्ति की सन्तान जन्म ले लेती है तो उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थितियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है:—

- दोहरी आय वाला परिवार—** इस स्थिति में दोनों जीवनसाथी कमाते हैं, अतः किसी एक जीवनसाथी की असमय मृत्यु से होने वाली आय की हानि का प्रभाव कम होगा। आय की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दोनों जीवनसाथी के लिए उपयुक्त अवधि जीवन बीमा योजना का सुझाव दिया जाना चाहिए ताकि किसी एक जीवनसाथी की असामयिक मृत्यु की दशा में आय की हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए परिवार को पर्याप्त धन प्राप्त हो।

चूंकि दोनों जीवनसाथी कमा रहे हैं, इसलिये ऐसे परिवार की निवेश क्षमता भी उच्च होगी। इन परिवारों के लिए बच्चों के भविष्य के लिए निवेश उच्च प्राथमिकता रखता है। आय सुरक्षा जरूरत की पूर्ति के पश्चात् एक उपयुक्त बाल निवेश योजना का सुझाव दिया जाना चाहिए। इस स्थिति में युगल तथा बच्चों को कवर करते हुए एक परिवर्तनीय सुरक्षा कवर (फ्लोटर) सहित पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना की सलाह देनी चाहिए। युगल को किसी उपयुक्त सेवानिवृति योजना के लिए अल्प अंशदान से शुरूआत भी करनी चाहिए जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है।

- एकल आय वाला परिवार—** इन परिवारों के लिए, आय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक उपयुक्त अवधि जीवन बीमा योजना का सुझाव दिया जाना चाहिए क्योंकि परिवार के कमाने वाले सदस्य की आय की हानि गंभीर वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न कर सकती है। कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर, एक पर्याप्त (समुचित) बीमा राशि परिवार की एक सभ्य एवं शिष्ट जीवन स्तर बनाये रखने में मदद करेगी तथा बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित नहीं होगी। एक बार आय सुरक्षा जरूरत के कवर की व्यवस्था कर लेने पर, एक बाल बीमा योजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस अवस्था में युगल तथा बच्चों को कवर करते हुए एक पारिवारिक परिवर्तनीय सुरक्षा कवर (फ्लोटर) स्वास्थ्य बीमा योजना की सलाह देनी चाहिए।

## प्रकरण—अध्ययन

### विवाहित युवा जिसकी संतानें हों

अंकुर तथा कविता के विवाह के दो वर्ष पश्चात् एक पुत्री का जन्म होता है कविता बच्ची की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है। कविता के अब कार्यरत न होने के कारण परिवार की आय घट जाती है तथा बच्ची के जन्म के साथ खर्च बढ़ जाते हैं। अतः परिवार की आय

सुरक्षा जरूरतें बहुत बढ़ जाती है। अंकुर को पहले से ली गई अवधि बीमा कवर में वृद्धि की सलाह दी जा सकती है। वह अपनी पुत्री की शिक्षा तथा विवाह के खर्चों की व्यवस्था करने के लिए एक बाल निवेश योजना में भी निवेश प्रारम्भ कर सकता है। अंकुर को स्वयं, कविता तथा अपनी पुत्री को कवर करने वाली एक पारिवारिक परिवर्तनीय सुरक्षा कवर (फ्लोटर) स्वास्थ्य बीमा योजना को भी खरीदना चाहिए। उसे सेवानिवृति योजना के लिए एक अल्प अंशदान के साथ शुरूआत भी करनी चाहिए जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है।

## ध्यान रहे!

### बाल बीमा योजनाएँ

- बीमा अभिकर्ता को अंकुर द्वारा चयनित शिक्षा पाठ्यक्रम की लागत पर भी ध्यान देना चाहिए।
- अभिकर्ता को उस धनराशि का अनुमान लगाना चाहिए जो अंकुर की पुत्री की उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण के संभावित समय (तिथि) पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के कारण आवश्यक होगी।
- अभिकर्ता को संभावित प्रतिफल दर के आधार पर शिक्षा के लिये आवश्यक वित्त (राशि) हेतु मासिक निवेश राशि का निर्धारण करना चाहिए।
- तदनुसार अंकुर को एक बाल बीमा योजना में पुत्री की शिक्षा के लिए आवश्यक निधि सृजन हेतु नियमित निवेश करना प्रारम्भ करना चाहिए।

## ब 5 विवाहित युवा जिनके बच्चे बड़े हों

विवाहित युगल की अपने बच्चों के प्रति वित्तीय जिम्मेदारियाँ उनकी उच्च शिक्षा तथा विवाह के सम्बन्ध में होती है। युगल की आय जब उनके बच्चे नहीं थे या छोटे थे की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि उन्होंने अपने कार्यशील जीवन में काफी अनुभव तथा प्रगति प्राप्त कर ली होगी। इस अवस्था में पिछले वर्षों की तुलना में माता-पिता की असामयिक मृत्यु से बच्चों की सुरक्षा की जरूरत अपेक्षाकृत कम होगी क्योंकि उनके पास पहले से ही बच्चों की भावी जरूरतों के लिए बड़ा निवेश होगा। तथापि, युगल को अपने निवेश की समीक्षा यह सुनिश्चित करने हेतु करनी चाहिए कि क्या वह उसके बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह की लागत को कवर करने हेतु पर्याप्त होगा।

इस अवस्था में अपनी सेवानिवृति निधि के लिये निवेश पर ध्यान देने की जरूरत भी महत्वपूर्ण हो जाती है तथा चूंकि युगल ने पहले से ही बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए बड़ा निवेश कर दिया है, वे अब अपनी सेवानिवृति निधि के प्रति निवेश बढ़ा सकते हैं। जैसे— जैसे उनकी उम्र बढ़ती है युगल रोगों एवं बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील होंगे तथा अतः युगल को अपने स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए।

### प्रकरण—अध्ययन

#### विवाहित युवा जिनके बच्चे बड़े हों

अंकुर अब 48 वर्ष का है तथा उसके पुत्र तथा पुत्री बड़े हो चुके हैं। उसकी पुत्री एक मेडिकल कॉलेज में नामांकन कराती है क्योंकि वह एक दन्त चिकित्सक बनना चाहती है तथा उसका पुत्र

एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में नामांकन करवाता है। अंकुर के पिता सेवानिवृत हो चुके हैं तथा पेंशन पाते हैं जो उनके तथा अंकुर की माता दोनों के लिए पर्याप्त है। इस अवस्था में अंकुर की जोखिम अभिलाषा बहुत कम हो जाती है। वह धीरे धीरे अपने उच्च जोखिम वाले निवेशों जैसे समताओं (इक्वीटीज) से निम्न जोखिम वाले निवेशों जैसे जमा योजनाओं में परिवर्तित करना शुरू करता है क्योंकि अगले कुछ वर्षों में उसे अपने बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए एक गारंटीड आय की जरूरत होगी। वह अपनी सेवानिवृति निधि के लिए निवेश बढ़ाने पर भी अधिक ध्यान दे रहा है। अंकुर पारिवारिक परिवर्तनीय सुरक्षा (फ्लोटर) स्वास्थ्य कवर भी बढ़ाता है।

## ब 6 सेवानिवृति पूर्व

यह वह अवस्था है जब बच्चे अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने के बाद विवाह कर लेते हैं तथा वित्तीय रूप से स्वतन्त्र हो जाते हैं। व्यक्ति/युगल की आय भी अब उच्च होगी क्योंकि वे अपने कॉर्सियर के उच्चतम स्तर पर होंगे। इस अवस्था में उनका पूरा ध्यान सेवानिवृति निधि तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की तरफ चला जाता है क्योंकि अधिकांश अन्य जरूरतें पूरी चुकी होती हैं। सेवानिवृति के पश्चात्, किसी युगल के लिए बड़ी चिंता उनके दैनिक खर्च, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, अस्पताल तथा अन्य मैडिकल खर्चों की पूर्ति करना होगा। व्यक्ति को देखना होगा कि सेवानिवृति निधि के लिए पहले से किया गया निवेश कैसा प्रतिफल दे रहा है तथा अपने अभिकर्ता से सम्पत्र करेगा यदि किसी परिवर्तन की जरूरत हो। युगल को स्वास्थ्य कवर की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा देखना चाहिए कि वह पर्याप्त है या नहीं।

## प्रकरण—अध्ययन

### सेवानिवृति पूर्व

इस अवस्था में अंकुर के बच्चे स्वतन्त्र हो जाते हैं। अंकुर की पुत्री एक दन्त चिकित्सक बन जाती है तथा वह अपनी विलनिक चलाती है। उसने हाल ही में एक नेत्र सर्जन से विवाह कर लिया है तथा जीवन में स्थायित्व प्राप्त कर चुकी है। अंकुर का पुत्र एक अग्रणी एम एन सी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहा है। वह भी विवाहित है। अंकुर के माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके लिए अपनी सम्पति छोड़ गये हैं।

इस अवस्था में अंकुर अपनी सेवानिवृति निधि पर ध्यान दे रहा है क्योंकि उसकी अधिकांश अन्य जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अंकुर अपने बीमा अभिकर्ता से मिलता है तथा अपनी चालू सेवानिवृति निधि के प्रदर्शन के बारे में विचार-विमर्श करता है कि क्या कोई परिवर्तन आवश्यक है। अभिकर्ता उसकी समता(इक्वीटी) पोर्टफोलियो के कुछ भाग को कम जोखिम निवेशों में हस्तान्तरण की सलाह देता है क्योंकि वह इस अवस्था में कोई जोखिम वहन नहीं कर सकता है कि कहीं कई वर्षों में संचित उसकी सेवानिवृति निधि इस समय अपना मूल्य खो न दे जब उसे शेष जीवन के लिए आय की आवश्यकता होगी। अंकुर अपने पारिवारिक स्वास्थ्य कवर की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह पर्याप्त है या नहीं, के लिए अपने बीमा अभिकर्ता से परामर्श करता है।

## ब 7 सेवानिवृति पश्चात्

यह वह अवस्था है जब एक व्यक्ति/युगल की आय उन निवेशों के प्रतिफल तक सीमित होती है जिन्हें उन्होंने अपने कार्यशील जीवन की प्रारम्भिक अवस्थाओं में किया था। वेतनभोगी कर्मचारियों

के मामले में, उनकी नियमित मासिक आय रुक जाती है। यदि उनके निवेशों से प्राप्त प्रतिफल उनके वित्तीय दायित्वों की पूर्ति हेतु पर्याप्त नहीं होता है, तो अब कुछ अधिक नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अपनी संचित सेवानिवृति निधि तथा कर्मचारी अनुलाभों जैसे भविष्य निधि, एन्यूटी, अवकाश नकदीकरण आदि से प्राप्त राशि का उपयोग किसी बीमा कम्पनी से एक एन्यूटी योजना खरीदने के लिए कर सकता है। यह उसके शेष जीवन के लिए जीवनयापन हेतु खर्चों की पूर्ति के लिए एक नियमित मासिक आय प्रदान करेगा। यह वह अवस्था भी है जब व्यक्ति बीमारियों या रोगों से ग्रसित होने की ओर अधिक उन्मुख होता है। व्यक्ति को अपने तथा अपने जीवनसाथी के लिए स्वास्थ्य कवर की यह देखने के लिए समीक्षा करनी चाहिए कि क्या वह युगल की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने हेतु पर्याप्त है या नहीं।

स्वनियोजित व्यवसायिकों तथा व्यवसायी व्यक्ति के मामले में कोई निश्चित सेवानिवृति आयु नहीं होती है। यदि उन्हें तथा उनके जीवन बीमा अभिकर्ता को लगे कि व्यक्ति ने अपनी शेष जीवन अवधि के लिए खर्चों की पूर्ति के लिए अपनी सेवानिवृति निधि में पर्याप्त राशि संचित कर ली है तो वे सेवानिवृत हो सकते हैं। सेवानिवृति निधि के साथ वे किसी बीमा कम्पनी से एक एन्यूटी योजना खरीदने वाले सकते हैं। सेवानिवृति निधि का उपयोग किसी बीमा कम्पनी से एक एन्यूटी योजना खरीदने में कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने तथा अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य बीमा की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए कि यह उनके स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय देखभाल जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो।

लेकिन यदि व्यक्ति तथा उसका बीमा अभिकर्ता यह महसूस करते हैं कि सेवानिवृति के बाद के जीवन के वर्षों में गुजारे हेतु सेवानिवृति निधि अपर्याप्त है, तो व्यवसायी व्यक्ति को कार्य करते रहना चाहिए तथा स्वनियोजित व्यवसायिक को अपने व्यवसाय को तब तक करना चाहिए जब तक कि वह पर्याप्त राशि संचित न कर ले। फिर अपनी सेवानिवृति पश्चात खर्चों की पूर्ति के लिए नियमित वार्षिक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपनी सेवानिवृति निधि का उपयोग किसी बीमा कम्पनी से एक एन्यूटी योजना खरीदने में कर सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने तथा अपने जीवनसाथी के स्वास्थ्य बीमा की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करनी चाहिए कि यह उनके स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय देखभाल जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो।

## प्रकरण—अध्ययन

### सेवानिवृति पश्चात

अंकुर एवं कविता, अपने कार्यशील जीवन के दौरान बीमा अभिकर्ता की सहायता से अपनी सेवानिवृति निधि को अच्छी तरह नियोजित एवं प्रबन्धित करते हैं। परिणामस्वरूप खरीदी गई एन्यूटी योजना से पर्याप्त मासिक आय प्राप्त करते हैं जो उनकी सेवानिवृति के बाद के वर्षों के दौरान उनके जीवनयापन खर्चों की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि सेवानिवृति के बाद भी अंकुर एवं कविता को अपने जीवन स्तर से कोई समझौता नहीं करना पड़ता है। वे अपने स्वास्थ्य कवर के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह उनके स्वास्थ्य जरूरतों को कवर करने हेतु पर्याप्त है या नहीं बीमा अभिकर्ता से सलाह भी लेते हैं। एक सफल एवं जिम्मेदार कार्यशील जीवन के पश्चात, दोनों अब अपने पोते—पोतियों के साथ जीवन का आनन्द उठाते हैं।

## ब 8 सारांश

हमने एक विशिष्ट जीवन चक्र में देखा है कि सभी ग्राहकों की दो प्राथमिक जरूरतें होती हैं— सुरक्षा तथा निवेश। तथापि याद रखें कि व्यक्ति की जीवन अवधि के दौरान ये जरूरतें बदल सकती हैं। नीचे एक सारांश दिया गया है:—

जीवन चक्र अवस्था	ग्राहक की जरूरतें
ब्यपन	<p>माता—पिता को जरूरत हैः—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>माता—पिता की असामयिक मृत्यु होने की दशा में, बच्चों की वित्तीय सुरक्षा करने की।</li> <li>उनकी भावी वित्तीय आवश्यकताओं जैसे— शिक्षा, विवाह आदि हेतु धन प्रदान करने की।</li> </ul>
अविवाहित युवा	<ul style="list-style-type: none"> <li>सुरक्षा जरूरत — असामयिक मृत्यु की दशा में स्वयं के लिए जीवन कवर, अपंगता आदि के विरुद्ध परिवार के लिए प्रदान करना।</li> <li>आश्रित माता—पिता के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा(यदि पहले से नहीं ले रखी हो)।</li> <li>अल्प-अवधि की जरूरतों जैसे—विवाह, आवास आदि तथा दीर्घ-अवधि जरूरतों जैसे—सेवानिवृति के लिए बचत करना।</li> </ul>
विवाहित युवा जिसके बच्चे हैं।	<ul style="list-style-type: none"> <li>सुरक्षा जरूरत—दोनों जीवन साथी के लिए मृत्यु के विरुद्ध जीवन कवर।</li> <li>बच्चों के भविष्य / भावी—शिक्षा, विवाह आदि के लिए धन उपलब्ध कराना।</li> <li>युगल तथा बच्चों को कवर करते हुए एक पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजना।</li> <li>एक सेवानिवृति निधि के लिए अल्प अंशदान करना जिसे बाद में बढ़ाया जा सके।</li> </ul>
विवाहित युवा जिसके बच्चे बड़े हों।	<ul style="list-style-type: none"> <li>सुरक्षा जरूरत —आय प्रदाता की असामयिक मृत्यु होने की दशा में परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा।</li> <li>बच्चों की भावी—शिक्षा, विवाह आदि के लिए योगदान जारी रखना।</li> <li>सेवानिवृति योजना के लिए निवेश में वृद्धि करना।</li> <li>आयु में वृद्धि के साथ स्वास्थ्य कवर बढ़ाना।</li> </ul>
सेवानिवृति पूर्व	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेवानिवृति के बाद की अवधि के लिए निवेश।</li> <li>आय सुरक्षा जरूरतें।</li> <li>बच्चों के लिए पैतृक सम्पत्ति की व्यवस्था।</li> <li>स्वास्थ्य कवर की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि यह पर्याप्त हो।</li> </ul>
सेवानिवृति	<ul style="list-style-type: none"> <li>सेवानिवृति के पश्चात पर्याप्त नियमित आय सुनिश्चित करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक धन निवेश की जरूरत।</li> <li>स्वास्थ्य कवर की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि यह पर्याप्त हो।</li> <li>सम्पत्ति / पैतृक सम्पत्ति नियोजन</li> </ul>

## संस्तुत क्रिया

किन्हीं दो युगलों के पास जायें जो जीवन चक्र की निम्न अवस्थाओं में हैं:-

1. विवाहित युगल जिनके सन्तान नहीं हो

2. विवाहित युवा जिनके बच्चे हो

उनसे सूचनाएँ एकत्र करें तथा प्रत्येक युगल की विभिन्न जरूरतों की एक सूची तैयार करें। क्या दोनों युगलों की जरूरतें समान हैं? अपने आंकलन के आधार पर विचार करें।

### प्रश्न 9.1

निम्नलिखित जीवन अवस्थाओं के लिए एक विशिष्ट जीवनचक्र में विभिन्न जरूरतें क्या हो सकती हैं?

1. विवाहित युवा जिनके बच्चे हो ।

2. विवाहित युवा जिनके बच्चे बड़े हो ।

## स. जीवन अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक

पिछले भाग में चर्चा की गई सभी जीवन अवस्थाओं से प्रत्येक ग्राहक नहीं गुजरेगा। विभिन्न कारकों की उपस्थिति इन जीवन अवस्थाओं को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है। इनमें से मुख्य हैं:-

आयु

वैवाहिक स्थिति तथा  
आश्रित

रोजगार

स्वास्थ्य स्थिति

व्यक्ति की आय  
तथा खर्च

व्यक्ति की सम्पत्तियाँ  
तथा दायित्व

विवाह-विच्छेद,  
अलगाव तथा विधोग

### स 1 आयु

युवा अवस्था में किसी व्यक्ति के दायित्व कम होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वे उच्च शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा नियोजित हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा जरूरतें उनके द्वारा उठाये नये उत्तरदायित्वों जैसे विवाह तथा परिवार के कारण बढ़ेगी।

### स 2 वैवाहिक स्थिति तथा आश्रित

जब किसी व्यक्ति का विवाह हो जाता है तथा वह एक परिवार शुरू करता है, तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ता है तथा वे अपने परिवार को अनेक वस्तुओं तथा जरूरतों हेतु धन प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। वे एक मकान, एक कार खरीदने तथा वार्षिक अवकाश यात्रा आदि के बारे में भी सोचते हैं। इन सभी के परिणामस्वरूप वित्तीय दायित्व बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि विवाह के पश्चात किसी व्यक्ति के लिये उपरोक्त सभी जिम्मेदारियों तथा दायित्व में वृद्धि के कारण सुरक्षा जरूरतें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

### स 3 रोजगार

किसी व्यक्ति के व्यवसाय या रोजगार की स्थिति उसकी वित्तीय नियोजन जरूरतों तथा निवेश क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कोई व्यक्ति निम्न रूप में कार्यशील हो सकता है:-

- सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी;
- निजी क्षेत्र कर्मचारी;
- स्व नियोजित;

साथ ही एक व्यक्ति का व्यवसायिक कॅरियर (जैसे एक व्यवसायिक खिलाड़ी) बहुत छोटा हो सकता है तथा वे बेरोजगार भी हो सकते हैं।

### **स 3 अ सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारी**

यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करता है, तो उसकी जीवन बीमा, पेंशन योजना तथा अन्य मेडिकल सम्बन्धी योजनाओं की जरूरतें उच्च नहीं होगी। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन योजनाओं तथा सेवानिवृति योजनाओं के अनुलाभ प्रदान करने के लिए योगदान देता है। सार्वजनिक क्षेत्र किसी व्यक्ति के लिए जीवन बीमा तथा उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा जैसे लाभ भी प्रदान करते हैं।

### **स 3 ब निजी क्षेत्र कर्मचारी**

निजी क्षेत्र कर्मचारियों के मामले में पेंशन योजना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हालांकि अधिकतर निजी क्षेत्र के नियोक्ता ग्रेच्यूटी एवं भविष्य निधि जैसे लाभ प्रदान करते हैं तथापि उनमें से अधिकतर कोई पेंशन अनुलाभ नहीं प्रदान करते हैं। कुछ कम्पनियाँ व्यक्ति के लिए जीवन बीमा तथा उसके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं तथा कुछ कम्पनियाँ कर्मचारी को उपरोक्त अनुलाभों के लिये प्रीमियम में अंशदान का विकल्प देती हैं। जबकि कुछ अन्य कम्पनियाँ इनमें से कोई अनुलाभ नहीं प्रदान करती हैं तथा कर्मचारी को अपनी व्यवस्था स्वयं करने की जरूरत होती है।

### **स 3 स स्व नियोजित**

स्व नियोजित व्यक्तियों के मामले में दो महत्वपूर्ण कारकों का ध्यान रखना होगा:—

- स्व नियोजित व्यक्तियों की आय परिवर्तनशील हो सकती है; तथा
- वे अपने परिवारों के एकल आय प्रदाता हो सकते हैं।

स्व नियोजित व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा की जरूरत उच्च होती है। एक बार इस जरूरत को पूरा करने पर अन्य जरूरतों जैसे बाल निवेश योजनाओं तथा सेवानिवृति योजनाओं पर ध्यान दिया जा सकता है।

### **स 3 द अल्प अवधि के कॅरियर वाले लोग**

कुछ लोगों का उपार्जन हेतु कॅरियर अल्प अवधि का होता है। फिल्म या टेलीविजन अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, व्यावसायिक कलाकारों आदि का उपार्जन कॅरियर प्रायः अल्प अवधि 5, 10, या 15 वर्ष का होता है। इसके दौरान जब वे अपने प्रदर्शन के शिखर पर होते हैं तो वे व्यावसायिक शुल्क के रूप में पर्याप्त राशि प्राप्त करते हैं। लेकिन जब एक बार शिखर उपार्जन पिछड़ जाता है तो उनकी आय काफी गिर जाती है यहाँ तक कि पूर्णतः समाप्त हो जाती है।

इस श्रेणी के लोगों को अपने उच्चतम उपार्जन वर्षों के दौरान असामिक मृत्यु या अपंगता से अपनी आय की सुरक्षा की जरूरत होती है, तथा इन वर्षों के दौरान उपार्जित आय को इस तरह से निवेश करने की जरूरत होती है कि यह उनके शेष कैरियर तथा उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि में एक नियमित आय प्रदान करे।

### **स 3 य बेरोजगार**

किसी व्यक्ति के जीवन में बेरोजगारी किसी भी अवस्था में आ सकती है। यह किसी स्वनियोजित व्यक्ति के अलावा एक वेतनभोगी व्यक्ति के साथ भी हो सकती है तथा यह खराब स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति के कारण हो सकती है।

यदि कोई बेरोजगार हो जाता है, तो उसकी वित्तीय योजनाएँ बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि उसकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करने के लिए बदल जायेगी कि वह अपने परिवार को मूलभूत सुख-सुविधाएँ जैसे आवासन तथा भोजन प्रदान कर सके। लम्बी बेरोजगारी के मामले में वह अपनी पॉलिसियों तथा निवेशों के लिए नियमित प्रीमियम भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता है। परिणामतः पॉलिसियाँ व्यपगत हो सकती हैं। ऐसे मामलों में व्यक्ति बाद में पॉलिसी पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा जब वह पुनः रोजगार पा लेता है या वे पॉलिसी को एक चुकता पॉलिसी में परिवर्तित करा सकते हैं। पॉलिसी को समर्पित करना अन्य विकल्प होता है।

अतः आप देख सकते हैं कि यही वह अवस्था है जिसके लिए एक व्यक्ति को अग्रिम नियोजन की जरूरत होती है। एक अपंगता हित लाभ बीमा लेना चाहिए तथा एक आकस्मिक निधि का निर्माण भी करना चाहिए जो अल्प अवधि के खर्चों को कवर करेगा।

### **स 4 स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ**

किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ-साथ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा उनके जीवन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने की सम्भावनाएँ घटती है। ऐसा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति निरन्तर खराब स्वास्थ्य से पीड़ित रहे चाहे उसकी आयु कुछ भी हो।

यदि बीमा कम्पनियाँ ऐसे जोखिम स्वीकार करती हैं, तो वे स्वीकृति की शर्तों में परिवर्तन/या एक उच्च प्रीमियम प्रभारित कर सकती हैं।

### **स 5 व्यक्ति की आय तथा खर्च**

प्रत्येक व्यक्ति के आय तथा खर्च की प्रकृति उनके जीवन स्तर या आदतों के अनुसार अलग-अलग होती है। खर्चों में भोजन, वस्त्र, आवास तथा अवकाश या फुरसत में की जाने वाली गतिविधियों पर व्यय राशि शामिल होती है। इसमें किसी व्यक्ति के दायित्व जैसे गृह ऋण आदि का पुनर्भुगतान भी शामिल होते हैं। वित्तीय योजना के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के पास उसके सभी खर्चों की पूर्ति के बाद आय शेष रहे।

परन्तु, यदि खर्च आय से अधिक होते हैं, तो व्यक्ति को ऋण लेना पड़ेगा तथा उनकी निवेश करने की क्षमता शून्य होगी।

### **स 6 व्यक्ति की सम्पत्तियाँ तथा दायित्व**

व्यक्ति जिन वस्तुओं का स्वामी है वह उसकी अस्तियाँ(सम्पत्तियाँ) तथा जिनके लिये उसे भुगतान करना पड़ता है वह उसकी देनदारियाँ(दायित्व) हैं। व्यक्ति द्वारा सम्पत्तियाँ बचत, उत्तराधिकार या

व्यवसायिक गतिविधि से प्राप्त की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्तियाँ उसके दायित्वों से अधिक हो, तो उसके पास निवेश के लिए धन होता है। यदि उसके दायित्व सम्पत्तियों से अधिक हो, तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी बकाया भुगतान समय पर किये जाये।

### उदाहरण

राघव मिश्रा एक डॉक्टर है तथा अपनी निजी विलनिक चलाता है। उसके पिता भी एक डॉक्टर थे तथा विलनिक चलाते थे। मृत्यु पश्चात राघव के पिता अपना मकान, विलनिक, भूमि का प्लॉट तथा ₹. 10,00,000 की बैंक जमा राघव के लिए छोड़ गए।

राघव भाग्यशाली है कि उसने स्वयं पर्याप्त आय अर्जित की तथा उत्तराधिकार स्वरूप भी सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं। राघव जैसे व्यक्तियों में, जो पर्याप्त सम्पत्तियाँ तथा अपनी नियमित आय से अच्छा नकद प्रवाह रखते हैं, उनकी निवेश क्षमता उच्च होती है तथा उनकी जोखिम उठाने की सामर्थ्य भी उच्च होती है।

सम्पत्तियाँ जो उपयोगी नहीं रह गई हों या अपेक्षा से कम प्रतिफल प्रदान करती हों, की समीक्षा करनी चाहिए तथा अन्य सम्पत्तियों में निवेश के लिए नकदीकृत कर लेना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति के दायित्व जैसे एक गृह ऋण या एक कार ऋण को पर्याप्त जीवन बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए ताकि आय उपार्जनकर्ता की असामयिक मृत्यु की दशा में, परिवार ऋणों का भुगतान कर सके तथा लेनदारों द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली वित्तीय परेशानियों से बच सकें।

### स 7 विवाह विच्छेद, पृथक्करण तथा वियोग

विवाह विच्छेद व्यक्ति की वित्तीय योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। विवाह विच्छेद या पृथक्करण से व्यक्ति के वित्तीय उद्देश्य बदल जाते हैं तथा उसकी निवेश क्षमता भी घटेगी (विशेषकर यदि दोनों जीवनसाथी कार्यशील हो)। अतः चालू निवेश की समीक्षा करनी चाहिए।

विवाह विच्छेद तथा पृथक्करण के मामले में, किसी महिला (गृहिणी) के लिए वित्तीय योजनाएँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि महिला के पास अपने पति के वित्तीय संसाधनों के अलावा कोई अन्य वित्तीय संसाधन नहीं होता है। अतः सुरक्षा एवं सेवानिवृति जरूरतें और भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं।

एक विधवा महिला अपने पति की वित्तीय सम्पत्तियों की संरक्षक होती है तथा अपने आश्रित बच्चों की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व उसका होता है। उसका मुख्य ध्यान सम्पत्तियों के प्रबन्धन पर होगा तथा अपने आश्रित की जरूरतों को पूरा करने के लिए सम्पत्तियों के निवेश मूल्य को संरक्षित करने या बढ़ाने पर होगा।

#### प्रश्न 9.2

संक्षेप में समझाइये कि निम्नलिखित कारक किस प्रकार जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की जरूरतों को प्रभावित करते हैं:-

- I. स्वास्थ्य की स्थितियाँ।
- II. आय तथा व्यय।
- III. सम्पत्तियाँ तथा दायित्व।

द ग्राहक की जरूरतें: वास्तविक तथा अनुभूत

यह समझना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक तथा अनुभूत जरूरतों में भिन्नता होती है। किसी व्यक्ति की वास्तविक जरूरतें वस्तुतः वे जरूरतें होती हैं जिनको अन्य की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; जबकि अनुभूत जरूरतें काल्पनिक होती हैं या ग्राहक द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है। (उदाहरण के लिए एक महंगी कार खरीदने की चाह जब पर्याप्त सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हो तथा ग्राहक के पास उसे खरीदने के लिए बचत या आय अपर्याप्त हो।)

वास्तविक जरूरतें वित्तीय नियोजन तकनीकों तथा विश्लेषण द्वारा निर्धारित की जाती है। अनुभूत जरूरतें व्यक्ति के विचारों तथा इच्छाओं का विश्लेषण करके समझी जा सकती है। चलो अभिकर्ता द्वारा ग्राहक को वास्तविक तथा अनुभूत जरूरतों के बारे में सलाह देने में आने वाली कुछ समस्याओं पर नजर डालते हैं:-

- जैसा कि हमने इस अध्याय में पूर्व में चर्चा की है, किसी व्यक्ति के जीवनचक्र की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न वित्तीय जरूरतें उत्पन्न होती हैं। परन्तु जब वित्तीय योजना बनाने का समय आता है, तो सम्भव है कि कोई निवेशक वास्तविक निवेश करने में तत्पर न हो। कोई युवा व्यक्ति अब से 10 वर्ष बाद ₹. 10,00,000 प्राप्त करने की इच्छा कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी कुछ अवकाश तथा फुरसत की गतिविधियों का त्याग तथा नियमित बचत एवं निवेश करने की जरूरत होती है।
- दूसरी समस्या यह है कि ग्राहक प्रायः भविष्य के लिए बचत की महत्ता समझने में असफल रहते हैं तथा प्राप्त होने वाले लाभों के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। वे अपनी वर्तमान जरूरतों को अपनी भावी अदृश्य (अमूर्त) जरूरतों की तुलना में उच्च प्राथमिकता देते हैं।
- व्यक्ति अपनी वास्तविक जरूरतों को समझ नहीं सकते हैं तथा समझदारी पूर्वक उन्हें प्राथमिकता देने में असफल हो सकते हैं। कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ एक व्यक्ति पहले बाल योजनाओं में निवेश का चयन कर सकता है, जबकि उसकी प्राथमिकता वाली जरूरत उसकी मृत्यु, बीमारी या अपंगता की दशा में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना थी।

एक बीमा अभिकर्ता का कार्य ग्राहक को उसकी वास्तविक जरूरतों को पहचानने में सहायता करना है। यह प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

#### वास्तविक जरूरतों की पहचान करना:

- ग्राहक को अपनी वास्तविक जरूरतों को समझने में बीमा अभिकर्ता को मदद करनी चाहिए। उसको बीमा की अवधारणा एवं महत्व के बारे में शिक्षित करके ऐसा किया जा सकता है।

#### वर्तमान तथा भावी जरूरतों की पहचान करना:

- बीमा अभिकर्ता को अपने ग्राहक को वर्तमान एवं भावी जरूरतों को समझने में मदद करनी चाहिए।

#### जरूरतों का परिमाणन तथा प्राथमिकता तय करना.

- एक बार जब जरूरतों की पहचान कर ली जाती है, तो उन्हें मौद्रिक मूल्य के रूप में परिमाणित करना चाहिए तथा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

#### वित्तीय योजना की समीक्षा

- ग्राहक की वित्तीय नियोजन जरूरतें समय के साथ बदल तो नहीं गई है की समीक्षा करने के लिए ग्राहक को समय-समय पर बीमा अभिकर्ता से मिलते रहना चाहिए। यदि ऐसा हो तो बदली हुई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नया निवेश करना चाहिए।

## उदाहरण

**वास्तविक जरूरत—** मुझे मेरी सेवानिवृति के लिए बचत की जरूरत है।

**वास्तविक जरूरत का परिमाणन—** मुझे निरन्तर रु. 20,000 मासिक आय पाने हेतु संचय करने की जरूरत है।

## प्रश्न 9.3

**वास्तविक तथा अनुभूत जरूरतों के अन्तर संक्षेप में समझाइयें।**

### य. संवाद , प्रश्न प्रस्तुत करना(पूछताछ) तथा श्रवण कौशल

किसी बीमा कम्पनी के सम्भावित ग्राहकों से पहला सम्पर्क बिन्दु प्रायः उसका अभिकर्ता होता है। बीमा अभिकर्ता द्वारा ग्राहक को सलाह देते समय ग्राहक द्वारा दी गई सूचनाओं को प्रभावी रूप से आंकलन करने में उसे समर्थ होना चाहिए। ऐसा केन्द्रीय(मुख्य) प्रश्न पूछकर तथा अच्छे श्रवण कौशल द्वारा किया जा सकता है। अभिकर्ता को ग्राहक की बातों का निहितार्थ(सार) समझने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि ग्राहक प्रायः बीमें के विशिष्ट तथा तकनीकी शब्दों से अपरिचित होते हैं फलस्वरूप वे अपनी आवश्यकताएँ नहीं समझ पाते हैं।

इस भाग में हम उन तीन महत्वपूर्ण कौशल की चर्चा करेंगे जो प्रत्येक बीमा अभिकर्ता में होनी चाहिए—संवाद कौशल, पूछताछ कौशल तथा श्रवण कौशल।

### य 1 संवाद कौशल

बीमा अभिकर्ता के पास अच्छा संवाद कौशल होना चाहिए ताकि वह वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में ग्राहक की रुचि तथा सम्बद्धता स्थापित तथा बनाये रखने में समर्थ हों। प्रभावी संवाद कौशल ग्राहक के साथ बैठक के प्रारम्भ से ही महत्वपूर्ण होती है तथा तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है यदि ग्राहक विक्रय प्रक्रिया के किसी बिन्दु पर रुचि खोना शुरू कर देता है।

अच्छे संवाद कौशल में शामिल है:-

- ग्राहक की स्थानीय भाषा तथा बोली पर अच्छी पकड़।
- ग्राहक के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण तथा सच्ची (वास्तविक) रुचि लेना। अभिकर्ता ग्राहक को उसकी भावी तथा वर्तमान जरूरतों से सम्बन्धित विचार प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने में समर्थ होना चाहिए।
- जब कभी कोई ग्राहक प्रश्न पूछता है, या कोई विचार या बिन्दु प्रस्तुत करता है, तो अभिकर्ता को ईमानदारी से प्रश्न का उत्तर देना चाहिए तथा ग्राहक से द्विपक्षीय संवाद बनाये रखना चाहिए। यह ग्राहक को वित्तीय नियोजना प्रक्रिया में हिस्सेदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा।

### य 2 प्रश्न प्रस्तुत करने (पूछताछ) का कौशल

किसी अभिकर्ता को ग्राहक की वित्तीय नियोजन जरूरतों को समझने के लिए विभिन्न प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक बीमा अभिकर्ता के पास अच्छी जानकारी प्राप्त करने की तकनीक होना जरुरी होता है। इस तकनीक में शामिल हैः—

- विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछना; तथा
- प्रश्नों के लिए सही शब्दों का उपयोग करना।

## य 2 अ प्रश्नों के विभिन्न प्रकार

अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझने के लिए कोई अभिकर्ता विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न संरचना या प्रयोजन के आधार पर वर्गीकृत किये जा सकते हैंः—

1. **संरचना के आधार पर वर्गीकरण:** इस वर्गीकरण में, प्रश्न दो प्रकार के हो सकते हैं: प्रश्न जिनका उत्तर अपेक्षाकृत विस्तृत होता है (खुले सिरे वाले) तथा प्रश्न जिनका उत्तर कम शब्दों में होता है (बन्द सिरे वाले)। दोनों प्रकारों के प्रश्नों के भिन्न उद्देश्य तथा प्रभाव होते हैं तथा आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप उनका सही रूप में उपयोग कर रहे हैं।

**अ) विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले प्रश्न—** इस प्रकार के प्रश्न ग्राहक को मुक्त रूप से वार्तालाप करने तथा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित (उजागर) करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।

### उदाहरण

कुछ विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले प्रश्न हैं :

- आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
- आप आज से 10 वर्ष बाद स्वयं को कहाँ पाते हैं?
- आप इस बारे में कैसा महसूस करते हैं?

**ब) अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्न—** इन प्रश्नों की प्रकृति ऐसी होती है कि ग्राहक को संक्षिप्त उत्तर देना होता है। ग्राहक का प्रत्युत्तर “हाँ”/“या”/“ना” अथवा एक विशिष्ट तथ्य या एक विशिष्ट राशि तक सीमित होता है।

### उदाहरण

कुछ अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्न हैं:

- क्या आप वर्तमान में कार्यरत हैं?
- आपके कितने बच्चे हैं?
- क्या आपके पास कोई चालू/ वर्तमान निवेश हैं?
- क्या आप विवाहित हैं?

2. **प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण:** इस वर्गीकरण में प्रश्न या तो खुले या फिर बन्द हो सकते हैं तथा निम्नलिखित प्रस्तुत प्रश्न शामिल हो सकते हैं कि:—


- सूचना चाहने वाले;
- अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत तथा एकत्र करने वाले;
- अर्थ या समझ को स्पष्ट करने वाले;
- पूर्व सहमत बिन्दुओं को स्पष्ट करने वाले; या
- ग्राहक द्वारा कुछ निर्धारित कार्य सम्पादन की प्रतिबद्धता करने वाले।

### उदाहरण

प्रयोजन के आधार पर वर्गीकरण	विस्तृत उत्तर (खुले सिरे) वाले प्रश्न	अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्न
सूचना चाहने वाले प्रश्न	अपने बच्चों के बारे में बतायें।	आपके कितने बच्चे हैं?
अतिरिक्त सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्न	अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है?	क्या आप अपने बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं?
अर्थ या समझ को स्पष्ट करने वाले प्रश्न	जब आप कहते हैं कि आप व्यावसायिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें आगे की पढाई के लिए विदेश भेजना चाहते हैं?	जब आप कहते हैं कि आप मैडिकल शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो आपका अर्थ डॉक्टर या फार्मासिस्ट है?
पहले से सहमत बिन्दुओं को सुनिश्चित करने वाले प्रश्न	मेरी याददाशत थोड़ी ताजा करे कि आप अपने बच्चों की शिक्षा का कितना ध्यान रखते हैं?	आपने अभी कहा था कि आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहेंगे?
ग्राहक की प्रतिक्रिया को प्रकट करने वाले प्रश्न	क्या आप वास्तव में अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते हैं?	क्या मैं यह मानूँ कि आप एक बाल योजना खरीदना चाहते हैं?

### य 2 ब प्रश्नों को व्यक्त करना

पूछे जा सकने वाले विभिन्न प्रकारों के प्रश्नों को समझने में सहायता के लिए प्रश्नों की उपरोक्त सूची उदाहरणार्थ प्रस्तुत की जा रही है। वास्तव में, उपरोक्त प्रश्न ऐसे रूखे तरीके से नहीं पूछे जायेंगे, इसके बजाय उन्हें अधिक प्रसन्नता एवं निजी रूप से व्यक्त करने की जरूरत होती है। इसके लिए :



### श्रवण कौशल

किसी बीमा अभिकर्ता के लिए प्रभावी श्रवण कौशल विकसित करना भी आवश्यक होता है ताकि वह ग्राहक के उत्तरों का सही अर्थ निकाल सके।

अभिकर्ता को ग्राहक के उत्तरों तथा उसके द्वारा दी गई अन्य सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए। अभिकर्ता को ग्राहक के उत्तरों को लिख लेना चाहिए तथा उसकी भाव भंगिमा का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि यह वित्तीय नियोजन में ग्राहक की रुचि के स्तर को निर्धारित करने में मदद करेगा।

### य 4 ग्राहकों की आपत्तियों का निपटान

आपको हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि कुछ सम्भावित ग्राहक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने में अनिच्छुक हो सकते हैं क्योंकि वे जीवन बीमा का महत्व समझ पाने में असफल होते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय तथा मृत्यु के उपरान्त परिवार के साथ क्या घटित होगा, के बारे में चर्चा करते समय असहज भी हो सकते हैं। ग्राहक को इस असहज एवं भावनात्मक स्थिति से उबारने में बीमा अभिकर्ता को जरूरत-आधारित उपयुक्त उत्पाद का सुझाव देनें में समर्थ होना चाहिए।

एक बार जब कोई अभिकर्ता अपने सुझाव दे देता है, तो उसके सम्भावित ग्राहक द्वारा की जा सकने वाली कुछ सामान्य आपत्तियाँ हो सकती हैं:-

1. उत्पाद मेरी जरूरत(तों) को पूरा नहीं करता है।
2. एक प्रतियोगी का उत्पाद अतिरिक्त लाभ दे रहा है।
3. मेरे पास निवेश के लिए धन नहीं है।

एक बीमा अभिकर्ता के रूप में आपको ऐसी आपत्तियों को निपटाने में अत्यधिक सतर्क रहना होगा। जब कभी ग्राहक आपत्तियाँ करते हैं, आपको उनके वास्तविक कारण को समझने के लिए विस्तृत उत्तर (खुले सिरे) तथा अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करना चाहिए तथा इस स्थिति

से बाहर आने का प्रयास करना चाहिए। प्रभावी संवाद कौशल , उपयुक्त प्रश्न प्रस्तुत करना तथा उत्तम श्रवण कौशल वह साधन हैं जो इन मामलों में अत्यधिक उपयोगी हो सकते हैं।

उपरोक्त आपत्तियों को निपटाने के कुछ तरीकों में शामिल हैं:-

**उत्पाद मेरी जरूरत (तो) को पूरा नहीं करता है।**

- ग्राहक से उनके विचार जानने के लिए कुछ विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले प्रश्न पूछें तथा उत्पाद की अधिक जानकारी प्रदान करें; अथवा एक बार फिर ग्राहक की जरूरतों की समीक्षा करने के पश्चात् अन्य उत्पाद का सुझाव दें।

**एक प्रतियोगी का उत्पाद अतिरिक्त लाभ दे रहा है।**

- कुछ समान उत्पादों के गुण-दोष तथा लाभ-हानि का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए ग्राहक को बतायें कि किसी विशिष्ट योजना का सुझाव क्यों दिया जा रहा है।

**मेरे पास निवेश हेतु पूँजी नहीं है।**

- उचित वित्तीय नियोजन तथा जरूरत आधारित निवेश की महत्ता पर पुनः जोर दें। बीमा योजना लेने के लाभों तथा न लेने के परिणामों को समझायें।

### संस्तुत क्रिया

मान लो कि किसी ग्राहक के साथ आपकी भेंट पूर्वनियोजित है जिसके लिए आपको उसकी विभिन्न जरूरतों का विश्लेषण तथा उपयुक्त वित्तीय योजना तैयार करनी है। विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले तथा अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्नों की एक सूची तैयार करें जिन्हें आप आवश्यक सूचनाएँ एकत्र करने हेतु पूछना चाहेंगे।

### र पारिवारिक विवरण सहित ग्राहक का विवरण एकत्र करना

योजना बनाने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, बीमा अभिकर्ता को एक तथ्य संकलन कहीं जाने वाली विधि का उपयोग करके ग्राहक के निजी विवरण (परिवार सहित), व्यावसायिक तथा वित्तीय विवरण एकत्र करना जरूरी होता है।

- निजी विवरण में ग्राहक का नाम, आयु, पता , सम्पर्क सूत्र (विवरण) तथा वैवाहिक स्थिति शामिल है।
- पारिवारिक विवरण भाग में परिवार के सदस्यों की संख्या तथा उनके विवरण जैसे नाम, आयु, व्यवसाय शामिल होंगे।
- अभिकर्ता ग्राहक के पारिवारिक फिजीशियन तथा ग्राहक के कुछ अच्छे मित्रों के पते भी लिख सकता है।
- अभिकर्ता को फिर ग्राहक के व्यावसायिक विवरण जैसे उसका रोजगार, स्वनियोजित है या एक व्यवसाय चलाता है, नोट करेगा। ग्राहक के व्यवसाय के आधार पर अभिकर्ता उससे और अधिक विवरण पूछेगा।
- तत्पश्चात् अभिकर्ता ग्राहक के नकद प्रवाह (उपलब्धता) तथा उसके वर्तमान निवेशों के बारे में पूछेगा।

**नोट:-** तथ्य—संकलन के सभी भागों के बारे में अधिक चर्चा अगले अध्याय में की जायेगी जब हम वित्तीय योजना प्रक्रिया पर दृष्टिपात करेंगे।

### ल प्राथमिकताओं को समझना—एक सारांश

जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, कि एक बीमा अभिकर्ता को अपने ग्राहक को उसकी वास्तविक वित्तीय तथा सुरक्षा जरूरतों को समझने में मदद करनी चाहिए। विभिन्न कारकों के आधार पर इन जरूरतों की निम्नांकित प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती हैः—

#### जीवनचक्रः

- विभिन्न जरूरतों जीवनचक्र की विभिन्न अवस्थाओं पर निर्भरता के आधार पर प्राथमिकता क्रम में रखी जाती है। किसी अविवाहित युवा के लिए, एक पेंशन योजना की तुलना में जीवन कवर प्राथमिकता रखता है।

#### वर्तमान बीमा पॉलिसियाँः

- यदि ग्राहक के पास पहले से ही पर्याप्त अवधि बीमा कवर है तो उसकी प्राथमिकता अन्य जरूरतों पर आ जाती है।

#### उपलब्ध अधिशेष धन राशि:

- विभिन्न जरूरतों को दी जाने वाली प्राथमिकता रेटिंग को उपलब्ध अधिशेष धनराशि भी प्रभावित करेगी। ग्राहक जिसके पास निवेश के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है अपनी जरूरतों के आधार पर विभिन्न उत्पाद खरीद सकता है। परन्तु यदि अधिशेष धन सीमित हो तो उन्हें उन वित्तीय उत्पादों का चयन करना चाहिए जो उनकी मूल जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं।

### उदाहरण

यदि किसी विवाहित युवा युगल जिसके बच्चे छोटे हो के पास पहले से ही पर्याप्त जीवन बीमा कवर है, तो उनकी प्राथमिकताएँ एक बाल बीमा योजना, एक बचत या सेवानिवृति योजना की ओर मुड़ जाती है।

### व. स्वीकृतियों की पुष्टि तथा उद्देश्यों पर सहमति

ग्राहक के प्रयोजनों से सहमत होने पर बीमा अभिकर्ता को जरूरतों का विश्लेषण करना चाहिए। जरूरतों के विश्लेषण के दौरान ग्राहक की मान्यताओं की उससे पुष्टि करानी चाहिए। इस स्तर पर किसी अभिकर्ता की विशिष्ट व्यावसायिक विशेषज्ञता पूर्व में एकत्रित जानकारियों का विश्लेषण करने में आवश्यक होगी।

जरूरतों का विश्लेषण करने के लिए, अभिकर्ता को पहले से किये गये तथा भावी सभी निवेशों एवं प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन करना चाहिए जो किसी अन्तर को पूरा करने के लिए आवश्यक होगी।

इसी प्रकार ग्राहक के उद्देश्यों का भी विश्लेषण करना जरूरी होता है। ऐसा उस राशि के निर्धारण के लिए किया जाता है जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होगी। बीमा अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त राशि अलग रखी जा सकती है।

यदि भविष्य के लिए जरूरी राशि तथा अभी उपलब्ध राशि में अन्तर हो तो इसकी व्यवस्था के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त कवर का सुझाव दिया जाना चाहिए।

### **ध्यान रहें— वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने का महत्व**

सभी वित्तीय नियोजन तकनीकें उपलब्ध होने के बावजूद, भविष्य के लिए जरूरी सही—सही धनराशि का पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह राशि विभिन्न मान्यताओं के अधीन होती है। बीमा अभिकर्ता केवल एक अनुमानित राशि प्रस्तुत करता है वास्तविक राशि नहीं। अतः वित्तीय योजना की प्रत्येक 12 माह में एक बार या और किसी उचित अवधि के उपरान्त यह सुनिश्चित करने के लिये समीक्षा की जानी चाहिए कि ग्राहक की जरूरतों में कोई परिवर्तन तो नहीं हो गया है तथा निवेश आशानुरूप प्रतिफल दे रहे हैं या नहीं। अभिकर्ता द्वारा ग्राहक से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखने का यह एक उत्तम तरीका है जो यह प्रदर्शित करता है कि अभिकर्ता ग्राहक के सतत वित्तीय कल्याण के प्रति सजग है।

राशि के अलावा बीमा अभिकर्ता को पॉलिसी की अवधि के बारे में भी जागरूक रहने की जरूरत अन्य पहलू है। किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लिए वास्तविक उचित अवधि को पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर कुछ मान्यताओं के आधार पर पुनः अवधि निर्धारित की जाती है।

### **उदाहरण**

राहुल शर्मा एक 32 वर्षीय सिविल अधिवक्ता है। उसकी पत्नी रेखा एक गृहिणी है। उसके 1 एवं 3 वर्ष के दो बच्चे हैं। राहुल अपनी असामयिक मृत्यु की दशा में अपने बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए एक उपयुक्त बीमा योजना लेना चाहता है।

उसका मुख्य ध्यान इस पर है कि पॉलिसी की अवधि कितनी होनी चाहिए? राहुल अपनी निधि का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के लिए करना चाहता है। लेकिन वह सटीक रूप से नहीं जानता है कि कब उसके बच्चे विवाह करेंगे तथा कब धन की आवश्यकता होगी। यदि वह पॉलिसी 10 वर्ष के लिए लेता है, तब वह अपने बच्चों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व निधि /धन प्राप्त करेगा। यदि वह पॉलिसी 20 वर्ष के लिए लेता है तब वह अपने बच्चों की उच्च शिक्षा (बच्चों की आयु 21 तथा 23 वर्ष के मध्य) पूर्ण करने (या लगभग पूर्ण) के पश्चात् तथा उनके विवाह से थोड़ा पूर्व धन प्राप्त करेगा।

अतः राहुल को उचित अवधि जिसके लिए वह धन निवेशित रखना चाहता है के बारे में निर्णय लेने में विवेक से काम लेना होगा।

### **इस पर विचार करें**

वे विभिन्न कारक क्या हैं जिनका एक बीमा अभिकर्ता तथा ग्राहक को निवेश की अवधि निर्धारित करने में उपयोग करना चाहिए। क्या होगा यदि ग्राहक जरूरत के समय अपने निवेशों से आहरण करने में असमर्थ होता है क्योंकि निवेशित धन एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए लॉकडे—इन किया जा सकता है।

## मुख्य बिन्दु

### आपका ग्राहक कौन है?

- किसी वित्तीय जरूरत वाला व्यक्ति जिससे बीमा अभिकर्ता मिलता है एक ग्राहक हो सकता है।

### एक ग्राहक की विशिष्ट जीवन अवस्थाएँ

- एक ग्राहक की जीवन अवस्थाएँ निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत की जा सकती हैं: बचपन, अविवाहित युवा, विवाहित युवा, विवाहित युवा जिनके बच्चे हो, विवाहित जिनके बड़े बच्चे हो, सेवानिवृति पूर्व तथा सेवानिवृति के उपरान्त।

### जीवन अवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कारक

- विभिन्न कारकों की विद्यमानता व्यक्ति की जीवन अवस्थाओं को प्रभावित करती है।
- किसी व्यक्ति द्वारा आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) बचत, पैतृकता या व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति की आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) उसके दायित्वों से अधिक हो तो उनके पास निवेश के लिए अधिशेष धनराशि उपलब्ध होगी।

### ग्राहक की जरूरतें: वास्तविक तथा अनुभूत

- वास्तविक जरूरत से तात्पर्य व्यक्ति की यथार्थ जरूरतों से है जिनको अन्य जरूरतों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी।
- अनुभूत जरूरत किसी ग्राहक द्वारा महत्वपूर्ण मानी गई जरूरतें होती हैं।

### जीवन अवस्थाओं के अनुरूप विशिष्ट ग्राहक जरूरतें:

- किसी विशिष्ट जीवन चक्र में, सभी ग्राहकों की दो प्राथमिक जरूरतें होती हैं— सुरक्षा तथा निवेश। परन्तु समय के साथ जरूरतें बढ़ती या कम होती रहती हैं।

### संवाद, पूछताछ तथा श्रवण कौशल

- प्रभावी संवाद कौशल भेंट/बैठक की शुरुआत में तथा/या उस क्षण (बिन्दु पर) आवश्यक होता है जब ग्राहक विक्रय प्रक्रिया में रुचि लेना बन्द कर देता है।
- किसी अभिकर्ता को ग्राहक की वित्तीय नियोजन जरूरतों को समझने के लिए अनेक प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। इसके लिए बीमा अभिकर्ता को अच्छी पूछताछ तकनीक का ज्ञान होना जरूरी है।
- विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले प्रश्न— इस प्रकार के प्रश्न ग्राहक को मुक्त रूप से वार्तालाप करने तथा उनके लिए महत्वपूर्ण विषयों को रेखांकित (उजागर) करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।
- अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्न— ये प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिनका ग्राहक को केवल संक्षिप्त विशिष्ट उत्तर देना होता है।

### प्राथमिकताओं को समझना

- तथ्य—संकलन के माध्यम से ग्राहक से तथ्य एकत्र कर लेने पर, जीवन चक्र की विभिन्न

<p>अवस्थाओं पर आधारित विभिन्न जरूरतों प्राथमिकता क्रम में रखी जायेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"><li>यदि ग्राहक के पास पहले से ही पर्याप्त बीमा कवर है तो उसकी प्राथमिकता अन्य जरूरतों पर होगी।</li><li>किसी ग्राहक के पास निवेश हेतु पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होने की स्थिति में वह अपनी विभिन्न जरूरतों के आधार पर विविध प्रकार के उत्पाद खरीद सकता है।</li></ul>
<p><b>स्वीकृतियों की पुष्टि करना तथा उद्देश्यों पर सहमत होना</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>ग्राहक के उद्देश्यों से सहमत होने के बाद बीमा अभिकर्ता द्वारा जरूरतों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जरूरतों के विश्लेषण के दौरान ग्राहक से उसकी मान्यता की पुष्टि करनी चाहिए।</li></ul>

## प्रश्न—उत्तर

### 8.1

#### विवाहित युवा जिसके बच्चे हो

- सुरक्षा जरूरते— बीमारियाँ दुर्घटना के विरुद्ध आय सुरक्षा
- किसी एक जीवनसाथी की मृत्यु होने पर दूसरे के लिए आय की सुनिश्चितता (क्षतिपूर्ति) हेतु दोनों जीवन साथी के लिए बीमा कवर
- बच्चों की भावी—शिक्षा, विवाह आदि के लिए धन का प्रावधान करना
- सेवानिवृति के लिए निवेश

#### विवाहित युवा जिसके बड़े बच्चे हो

- सुरक्षा जरूरत— परिवार की वित्तीय सुरक्षा
- बच्चों की भावी—शिक्षा, विवाह आदि के प्रावधान के लिए योगदान जारी रखना
- सेवानिवृति के लिए निवेश

### 8.2

वास्तविक जरूरतों तथा अनुभूत जरूरतों में भिन्नता होती है। वास्तविक जरूरतें व्यक्ति की वे यथार्थ जरूरतें होती हैं जिनको अन्य जरूरतों की तुलना में प्राथमिकता दी जानी चाहिए; जबकि अनुभूत जरूरतें काल्पनिक होती हैं या ग्राहक द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

वास्तविक जरूरतें वित्तीय योजना तकनीकों तथा विश्लेषण द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अनुभूत जरूरतें व्यक्ति के विचारों तथा इच्छाओं के विश्लेषण द्वारा समझी जा सकती हैं।

### 8.3

#### स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएँ

किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ—साथ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है तथा उनके जीवन तथा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने की सम्भावनाएँ घटती हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति निरन्तर खराब स्वास्थ्य से पीड़ित रहे चाहे उसकी आयु कुछ भी हो। यदि बीमा कम्पनियाँ ऐसे जोखिम स्वीकार करती हैं, तो वे स्वीकृति की शर्तों में परिवर्तन/या एक उच्च प्रीमियम प्रभारित कर सकती हैं।

#### व्यक्ति की आय तथा खर्च

प्रत्येक व्यक्ति की आय तथा खर्चों का स्वरूप उनके जीवन स्तर या आदतों के अनुसार अलग—अलग होता है। खर्चों में भोजन, वस्त्र, आवास तथा अवकाश या फुरसत में की जाने वाली गतिविधियों पर व्यय राशि शामिल होता है। इसमें किसी व्यक्ति के दायित्व जैसे गृह ऋण आदि का पुनर्भुगतान भी शामिल होते हैं। वित्तीय योजना के उद्देश्यों के लिए यह आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के पास उसके सभी खर्चों की पूर्ति के बाद आय शेष रहे। यदि खर्च आय से अधिक होते हैं, तो इसकी परिणति ऋण में होगी तथा कोई निवेश क्षमता नहीं होगी।

#### व्यक्ति की आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) तथा दायित्व

आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) जिनका एक व्यक्ति स्वामी है तथा दायित्व जो किसी व्यक्ति को पूरे करने होते हैं। आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) व्यक्ति द्वारा बचत, उत्तराधिकार या व्यवसायिक गतिविधि से प्राप्त

की जाती है। यदि किसी व्यक्ति की आस्तियाँ (सम्पत्तियाँ) उसके दायित्वों से अधिक हो, तो उसके पास निवेश के लिए अधिशेष धन होता है। यदि उनके दायित्व सम्पत्तियों से अधिक हो, तो उनको यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी बकाया भुगतान समय पर किये जाये।

कोई सम्पत्तियाँ जो उपयोगी नहीं रह गई हों या अपेक्षा से कम प्रतिफल उपार्जित करती हों, की समीक्षा करनी चाहिए तथा अन्य सम्पत्तियों में निवेश के लिए उन्हें नकद रूप में रूपान्तरित कर लेना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति के दायित्व जैसे एक गृह ऋण या एक कार ऋण पर्याप्त जीवन बीमा द्वारा कवर किये जाने चाहिए ताकि आय उपार्जनकर्ता की असामयिक मृत्यु की दशा में, परिवार ऋणों का पुनर्भुगतान कर सके।

## स्व परीक्षण प्रश्न

1. विस्तृत उत्तर (खुले सिरे) तथा अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्नों के मध्य अन्तर समझाइये।
2. समझाइए कि विवाह-विच्छेद या पृथक्करण किसी व्यक्ति की जीवन अवस्था को प्रभावित कर सकता है।
- 3- एक विशिष्ट जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं को सूचीबद्ध कीजिए।

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

## स्व परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

**1.**

**विस्तृत उत्तर (खुले सिरे)वाले प्रश्न—** इस प्रकार के प्रश्न ग्राहक को मुक्त रूप से वार्तालाप करने तथा उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण विषयों को उजागर करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं।

**अल्प उत्तर (बन्द सिरे) वाले प्रश्न—** ये प्रश्न इस प्रकार के होते हैं कि ग्राहक केवल संक्षिप्त विशिष्ट उत्तर दे।

**2.**

विवाह विच्छेद व्यक्ति की वित्तीय योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। विवाह विच्छेद या पृथक्करण के मामले में व्यक्ति के वित्तीय उद्देश्य बदल जाते हैं तथा उसकी निवेश क्षमता भी घटेगी(विशेषकर यदि दोनों जीवनसाथी कार्यशील हो)। परिणामतः चालू निवेश की समीक्षा करनी होगी।

विवाह विच्छेद तथा पृथक्करण के मामले में, महिला (गृहिणी) के लिए वित्तीय नियोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि एक महिला के पास अपने पति के वित्तीय संसाधनों के अलावा कोई अन्य वित्तीय संसाधन नहीं होता है। सुरक्षा जरूरतें तथा सेवानिवृत्ति जरूरतें भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

एक विधवा महिला पति की वित्तीय आस्तियों (सम्पत्तियों) की संरक्षक बन जाती है उसका मुख्य ध्यान इन सम्पत्तियों का प्रबन्धन तथा इनमें निवाशित मूल्य को बचाये रखने पर होता है।

**3.**

एक ग्राहक की जीवन अवस्थाएँ निम्नलिखित रूप में वर्णिकृत की जा सकती हैं:-

1. बचपन
2. अविवाहित युवा।
3. विवाहित युवा।
4. विवाहित युवा जिसके बच्चे हो।
5. विवाहित युवा जिसके बड़े बच्चे हो।
6. सेवानिवृत्ति पूर्व।
7. सेवानिवृत्ति पश्चात्।

# 9

## तथ्य—अन्वेषण तथा वित्तीय योजना बनाना

अध्याय की विषय वस्तु	पाठ्यक्रम अध्ययन के परिणाम
अ. तथ्य—अन्वेषण क्या है?	9.1
ब. एक तथ्य—अन्वेषण का उपयोग करना	9.2, 9.3, 9.4
स. आंकलन तथा विश्लेषण	9.4
द. किसी ग्राहक की स्थिति के अनुसार उत्पाद की विशेषताओं एवं लाभों का उपयोग करना	9.5
य. सुझाव देना	9.5
<b>अध्ययन उद्देश्य</b>	

इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आप निम्न हेतु समर्थ होंगे:—

- तथ्य—अन्वेषण प्रक्रिया का वर्णन करने में;
- तथ्य—अन्वेषण के लक्ष्यों को रेखांकित करने में;
- तथ्य—अन्वेषण का उपयोग करने में;
- तथ्य—अन्वेषण के विभिन्न भागों की चर्चा करने में;
- तथ्य—अन्वेषण के दौरान एकत्रित आंकड़ों का आंकलन तथा विश्लेषण किस प्रकार किया जाये, की व्याख्या करने में;
- किसी ग्राहक के लिए उत्पाद किस प्रकार शॉटलिस्ट किया जाये, को समझाने में;
- किसी ग्राहक को सुझाव किस प्रकार दिये जायें, का वर्णन करने में; तथा
- सुझाव देते समय लाभ के दृष्टान्त द्वारा दस्तावेजों के उपयोग को समझाने में।

### परिचय

वित्तीय योजना प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग तथ्य—अन्वेषण होता है। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि एक अभिकर्ता के रूप में तथ्य—अन्वेषण प्रक्रिया आपके ग्राहक के जीवन में वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति / अवस्था की पहचान करने में आपको सहायता करेंगी। आप यह भी सीखेंगे कि किस प्रकार:

- ग्राहक के विभिन्न लक्ष्यों के लिए आवश्यक राशि का परिमाणन / निर्धारण किया जायें;
- इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पहले से ही किये गये प्रावधान (यदि कोई हो) का परिमाणन / आंकलन करना ;
- उस राशि का निर्धारण करना जिसका अभी भी प्रावधान किया जाना हो ;
- अन्तर को पाठने में ग्राहक की सहायता प्रदान करना ; तथा
- ग्राहक की वित्तीय योजना प्रक्रिया को पुनः पटरी पर लायें।

**तथ्य—अन्वेषण** प्रक्रिया पर नजर डालने के बाद हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार एकत्रित सूचना का विश्लेषण तथा उस उत्पाद का चयन किया जाता है जो आपके ग्राहक की जरूरतों की अधिकतम पूर्ति करता है। इस विषय पर भी हम विचार करेंगे कि आप अपने ग्राहक के लिए संस्तुत उत्पाद का प्रस्तुतीकरण तथा उसे क्रय करने हेतु प्रस्ताव—पत्र भरने, वांछित दस्तावेजों का एकत्रण तथा अन्य औपचारिकताएँ कैसे पूरी करें।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

तथ्य—अन्वेषण	नकद प्रवाह	संरचित साक्षात्कार	व्यक्तिगत विवरण
पारिवारिक विवरण	रोजगार विवरण	वित्तीय विवरण	सम्पत्तियाँ/आस्तियाँ
दायित्व	आंकलन	विश्लेषण	सुझाव देना
जरूरतें	प्राथमिकताएँ	लाभ के दृष्टान्त	गारंटीड लाभ
गैर—गारंटीड लाभ	अपने ग्राहक को जानें (KYC)		

### अ. तथ्य—अन्वेषण क्या है?

**तथ्य—अन्वेषण** वह प्रक्रिया है जो बीमा सलाहकार को समर्थ बनाती है:-

- ग्राहक की वित्तीय योजना जरूरतों की पहचान करने में;
- उनका परिमाणन करने में; तथा
- निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर उनकी प्राथमिकता तय करने में;

**तथ्य—अन्वेषण** पूर्ण करना वित्तीय योजना प्रक्रिया का पहला चरण होता है। जैसा कि हमने अध्याय 8 में देखा है कि, **तथ्य—अन्वेषण** व्यक्ति की वर्तमान वित्तीय स्थिति दर्शाता है, उनके लिए वर्तमान में कहाँ तक व्यवस्था कर ली गई है और भविष्य में क्या कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

एक अच्छा **तथ्य—अन्वेषण** सफल वित्तीय नियोजन की कुंजी है। अच्छे **तथ्य—अन्वेषण** के बिना, आपके पास कोई ऐसा साधन या तरीका नहीं होगा जिससे आप जान सकें कि संस्तुत उत्पाद आपके ग्राहक की जरूरत की पूर्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं। **तथ्य—अन्वेषण** में आपके ग्राहक के प्रोफाइल, जीवन स्तर, वित्त, भविष्य के लिए महत्वाकांक्षाओं के बारे में प्रश्न—श्रृंखला के उत्तर प्राप्त करना शामिल होता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर विस्तृत तथ्यात्मक होते हैं; जबकि कुछ अन्य सिद्धान्तों को व्यक्त करते हैं, जैसे ग्राहक का निजी दृष्टिकोण, भाव/अहसास तथा चिन्ताएँ।

परम्परागत रूप से, तथ्य-अन्वेषण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किये जाने वाले साक्षात्कारों के दौरान किया जाता है तथा अधिकांश अभिकर्ता जो एक व्यावसायिक एवं व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने की इच्छा रखते हैं अब भी इस पर विश्वास करते हैं।

## अ 1 तथ्य-अन्वेषण के प्रयोजन

### प्रयोजन निम्नानुसार हैः-

#### जलरत्नों की पहचान करना

- तथ्य-अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य उन जलरत्नों यदि कोई हों, की पहचान करना है, जो ग्राहक की सुझाव, बचत, स्थान्त्री बीमा आदि के क्षेत्र से सम्बन्धित हों। अच्छे तथ्य-अन्वेषण में सलाहकार को प्रत्येक जलरत्न की राशि के परिमाण में समर्पण होने के लिए सूचना एकत्र करनी चाहिए, जो जलरत्नों की पूर्ति हेतु पहले से उपलब्ध है तथा वह राशि जिसकी अब भी व्यवहारा की जानी है।
- **उदाहरण**
- राम अपने पुत्र की शिक्षा के लिए घन संचय करना चाहता है। तथ्य-अन्वेषण के माध्यम से बीमा अभिकर्ता, यदि इस जलरत्न की पहचान, आवश्यक राशि का परिमाण, वह तिथि जब राशि आवश्यक होगी तथा अनुमानित प्रतिफल दर के आधार पर गणना करके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विज्ञानी राशि मासिक निवेश के लिए आवश्यक ढांगी, की पहचान करने में मदद कर सकता है।
- यदि राम पहले से ही मासिक आधार पर एक निश्चित राशि निवेश कर रहा है, तो अभिकर्ता यदि, आंकलन में मदद कर सकता है कि वहाँ वह राशि पर्याप्त है तथा निवेश सही वित्तीय उत्पाद में कर रहा है या नहीं। यदि उपलब्ध राशि कम पड़ रही हो तो उसकी पूर्ति कैसे की जा सकती है की पहचान करने में उसकी मदद कर सकता है।

#### ग्राहक सूचनाएँ एकत्र करना

- जलरत्नों की सही पहचान करने के लिए प्रत्येक ग्राहक का निजी विवरण, उनके आक्षित, वित्तीय एवं रोजगार स्थिति का ज्ञान आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में वर्तमान स्थान्त्री तथा जीवन बीमा एवं विस्तृत व्यवहारिक जलरत्नों को प्रदर्शित करणा बहिक भवनात्मक सम्बन्धों के कारण होने वाली जलरत्नों को भी प्रदर्शित करेगा।
- **उदाहरण**
- यदि राम के पुत्र की शिक्षा के लिए इच्छित राशि संचय करने के उसके लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है, तो उसे राम के बारे में अधिक विवरण जैसे परिवार में उपर्जन करने वाले/कमाने वाले सदरत्नों की संख्या, आक्षितों की संख्या, राम के बच्चों की संख्या, (उनकी वर्तमान आय) उसका वर्तमान वेतन, तथा उसकी बचतों जानने की आवश्यकता होगी।

#### ग्राहक के नकद प्रयोग का विश्लेषण करना

- तथ्य-अन्वेषण का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य वित्तीय योजना उत्पादों में निवेश के लिए ग्राहक को पास उपलब्ध धनराशि की पहचान करना है। यह सूचना ग्राहक की समी स्रोतों से आय तथा निर्भत (जिन पर वह सुरक्षा होती है) के विस्तृत विश्लेषण से प्राप्त की जाती है। इसके लिए ग्राहक के वर्तमान पैमाने संसाधन तथा नियन्त्रित जैसे चाहिए, की विस्तृत समीक्षा भी आवश्यक होती है। इन दोनों मापलों में द्वनात्मक संतुलन वित्तीय योजना प्रयोजनों के लिए उपलब्ध राशि को दर्शाता है।

#### उदाहरण

- तथ्य-अन्वेषण प्रक्रिया के माध्यम से यदि, राम के नकद प्रयोग का विश्लेषण करेगा। वह उसके सभी नकद आगम एवं नकद निर्गम; उसकी अचल सम्पत्तियों एवं लायिक पर व्यापार देगा तथा नकद अधिकांश राशि का नियन्त्रण करेगा। उपलब्ध अधिकांश राशि से अभिकर्ता राम के पुत्र की शिक्षा हेतु निवेश की एक योजना तैयार करेगा।

#### पूर्णानुमानित परिवर्तनों के लिए योगदान करना


- तथ्य-अन्वेषण ग्राहक की परिस्थितियों में किसी पूर्णानुमानित परिवर्तन को भी अनावशित करता है जो उसकी वर्तमान वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, यदा ग्राहक निकट भविष्य में वेतन में वृद्धि या पैदृक सम्पत्ति प्राप्ति की आशा करता है, या क्या उसे परिवार शुल्क करने, एक बड़ा घर खरीदने या बैरोजगार होने की आशका है?
- वित्तीय परिस्थितियों में कोई भी समानित परिवर्तन ग्राहक के उस अस्वादन को प्रभावित करेगा जो वह भविष्य में भुगतान करना जारी रख सकता है। यह उस राशि को तय / निर्धारित करने में मदद करेगा जिसे अब ग्राहक अपनी प्रतिबद्धता से वहन कर सकते हैं।
- **उदाहरण**
- यदि, राम के साथ वर्त्ता करेगा।
- यदा अपने परिवार को और बढ़ाने की उसकी योजना है या नहीं?
- यदा निकट भविष्य में अपनी नीकरी बदलने की उसकी योजना है?
- यदा वह अपनी वर्तमान नीकरी में एक वेतन वृद्धि की आशा करता है?
- यदा वह नई सम्पत्तियों जैसे घर, कार आदि खरीदने की योजना बना रहा है?

### **ब तथ्य—अन्वेषण का उपयोग करना**

तथ्य अन्वेषण का अभिलेख तैयार करने का सर्वाधिक प्रचलित रूप एक संरचित प्रश्नावली है। ग्राहक से एक औपचारिक साक्षात्कार के बिना इस प्रश्नावली को पूर्ण करना संभव है (उदाहरण के लिए टेलीफोनिक साक्षात्कार या डाक द्वारा ग्राहक के साथ पत्राचार ) तथापि, हम साक्षात्कार परिस्थिति में इनके उपयोग पर विचार करेंगे।

### **ब संरचित साक्षात्कार**

प्रारूपिक तौर पर, साक्षात्कार की संरचना निम्नलिखित चरणों के माध्यम से गुजरती हैः—



तथ्य —अन्वेषण साक्षात्कार अभिकर्ता के कार्यालय या ग्राहक के घर पर हो सकता है। साक्षात्कार के पश्चात् अभिकर्ता को ग्राहक द्वारा निर्धारित बजट में सुझाव देने की आवश्यकता हो सकती है या वैकल्पिक रूप में सुझावों हेतु कोई लागत प्रतिबन्ध नहीं हो सकता है।

साक्षात्कार के पश्चात् अभिकर्ता सूचना का एक अधिक विस्तृत विश्लेषण करता है तथा, यदि आवश्यक हो तो; वह किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेता है। इस तरह से, अभिकर्ता ग्राहक की जरूरतों का परिमाण स्थापित कर प्रत्येक जरूरत की पूर्ति हेतु उपयुक्त उत्पाद(दो) की पहचान करता है, तथा संभावित लागत का आंकलन करता है। अगले साक्षात्कार में ग्राहक को दिये जाने वाले सुझावों को अन्तिम रूप देने में अभिकर्ता इस सूचना का उपयोग करता है।

#### **प्रश्न 9.1**

**तथ्य—अन्वेषण करने के उद्देश्य क्या है?**

### **ब 2 तथ्य—अन्वेषण फॉर्म**

एक तथ्य अन्वेषण फॉर्म ग्राहक के विवरणों को शामिल करते विभिन्न भागों में विभाजित होता है जिसमें ग्राहक के विभिन्न विवरणों का समावेश होता है। इन भागों में शामिल हैः—

- व्यक्तिगत विवरण;
- परिवारिक विवरण;
- रोजगार विवरण;
- वित्तीय विवरण;
- वर्तमान बीमा तथा निवेश;
- मासिक आय तथा व्यय विश्लेषण;
- वित्तीय योजना उद्देश्य तथा क्षतिपूर्ति ; तथा
- भावी परिवर्तन।

### ध्यान रहें!

जहाँ संयुक्त वित्तीय योजनाएँ आवश्यक होती है, जैसे पति तथा पत्नी या दो व्यावसायिक भागीदारों में से प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में एक समान सूचनाएँ आवश्यक होती है।

प्रत्येक भाग में प्रश्नों की एक शृंखला शामिल होती है तथापि उनका उपयोग किये जाने के तरीकों में अवश्य कुछ भिन्नता होती है। कुछ कम्पनियाँ कम्प्यूटरीकृत तथ्य-अन्वेषण फॉर्म का उपयोग भी करती हैं जहाँ अभिकर्ता साक्षात्कार के समय या उसके पश्चात् सिस्टम में सभी डाटा डालता है। फिर कम्प्यूटर सिस्टम सूचनाओं जैसे ग्राहक की प्राथमिकताएँ, जोखिम प्रोफाइल, परिमाणित जरूरतें, उपयुक्त उत्पाद तथा लागत-लाभ-विश्लेषण ग्राहक को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हुए पूर्ण तथ्य-अन्वेषण प्रश्नावली को मुद्रित करता है।

आगे के भाग में हम बीमा अभिकर्ता, अमित के उदाहरण का उपयोग करेंगे जो अपने ग्राहक, किशोर को सलाह दे रहा है।

### ब 2 अ व्यक्तिगत विवरण

इस भाग में अमित, किशोर के व्यक्तिगत विवरण—उसका पूरा नाम, पत्ता, टेलिफोन नम्बर तथा व्यवसाय आदि लिखेगा। ये विवरण अभिकर्ता को अपने व्यावसायिक रिकॉर्ड के लिए आवश्यक होते हैं। वैवाहिक स्थिति पारिवारिक दायित्व का एक महत्वपूर्ण संकेतक होगा तथा आश्रितों के सम्बन्ध में अगले प्रश्नों के लिए संकेत देगा।

ग्राहक की जन्म तिथि, जन्म स्थान तथा धूम्रपान तथा /या शराब पीने की आदतों सहित, स्वास्थ्य की स्थिति बीमा पॉलिसियों तथा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरों की पात्रता प्रदर्शित करेगी।

### ब 2 ब पारिवारिक विवरण

इस भाग में अमित, किशोर के पारिवारिक विवरण लिखेगा।

अभिकर्ता सामान्यतया निम्न लोगों के नाम, उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति तथा व्यवसाय के लिए पूछेगा:—

- जीवनसाथी ;
- बच्चों ;
- अभिभावकों ; तथा
- अन्य आश्रितों के।

यह सूचना उस सीमा को उद्धत करती है जहाँ तक ग्राहक को अपनी स्वयं की अपंगता या मृत्यु के कारण अपने आश्रितों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत है। आश्रितों जैसे वृद्ध माता-पिता के सम्बन्ध में सूचना अभिकर्ता को ग्राहक की स्वास्थ्य बीमा जरूरतों पर सलाह देने में मदद करेगी। किसी बीमारी के कारण वृद्ध माता-पिता को अस्पताल में चिकित्सा की लागत उसके माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर न होने की स्थिति में किशोर पर आयेगी।

## ब 2 स रोजगार विवरण

रोजगार विवरण भाग में अमित किशोर की नौकरी तथा नियोक्ता का विवरण लिखेगा। यदि ग्राहक किसी व्यवसाय में कार्य करता है या एक स्वनियोजित व्यवसायिक है, तो अभिकर्ता तदनुसार विवरण लिखेगा। ग्राहक का जॉब प्रोफाइल तथा कार्यस्थल एक उपयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए निर्णय लेने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बीमा कम्पनी किसी आई टी कम्पनी में कार्यरत व्यक्ति को कम जोखिम तथा एक विस्फोटक पदार्थों के कारणाने में काम कर रहे व्यक्ति को अधिक जोखिम पर मानती है।

अभिकर्ता किसी ग्राहक के उपार्जन के सभी विवरणों: मूल वेतन, कमीशन, कार्य सम्पादन बोनस तथा अन्य अतिरिक्त लाभ या आय के अन्य किसी स्रोत को लिखेगा। अभिकर्ता इस आय तथा शेष कार्यशील वर्षों के दौरान आय में वार्षिक वृद्धि के कारक को भी ध्यान में रखेगा तथा तदनुसार उस आय का निर्धारण करेगा जिसकी अपंगता तथा मृत्यु की स्थिति में सुरक्षा की जरूरत है।

स्व-नियोजित लोगों के मामले में, रोजगार से उपार्जित आय ग्राहक के प्रोफाइल तथा पारिवारिक व्ययों के लिए व्यवसाय से आहरित राशि द्वारा आंकित की जायेगी।

### ध्यान रहें!

अभिकर्ता कर्मचारी अनुलाभों पर भी ध्यान देगा जिसके लिए ग्राहक पात्र/अधिकृत है: भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण, गेव्यूटी, अधिवार्षिकी, पेंशन, जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा तथा प्रदत्त कवर आदि की राशि जो नियोक्ता द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

### ध्यान रहें!

कर्मचारी भविष्य निधि एक निधि होती है जिसमें कर्मचारी तथा नियोक्ता (कर्मचारी की ओर से) कर्मचारी के वेतन का एक निश्चित भाग नियमित रूप से अंशदान करते हैं। यह निधि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) या एक ट्रस्ट या नियोक्ता द्वारा स्वयं प्रबन्धित की जाती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एकत्र राशि को सदस्यों की ओर से निवेश करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) निधि पर एक वार्षिक प्रतिफल(भुगतान योग्य वार्षिक ब्याज दर) की घोषणा करता है। यह निधि कर्मचारी भविष्य निधि तथा विविध प्रावधान (EPF & MP) अधिनियम 1952 के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियन्त्रित होती है। कर्मचारी द्वारा नौकरी छोड़ने पर या उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर नामित कों संचित धनराशि का ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता है।

सेवानिवृति लाभ जिनके लिए किशोर अधिकृत है जैसे भविष्य निधि, अवकाश नकदीकरण तथा गेच्यूटी उसकी सेवानिवृति निधि का एक भाग बनाते हैं तथा इस राशि को सेवानिवृति के बाद के जीवन हेतु आवश्यक राशि में से घटाने के बाद शेष राशि के लिए किशोर को निवेश शुरू करने की जरूरत है।

## ब 2 द वित्तीय विवरण

इस भाग में अमित, किशोर की सम्पत्तियों तथा दायित्वों का विवरण लिखेगा।

सम्पत्तियाँ भाग में ग्राहक के स्वामित्व वाली प्रत्येक सम्पत्ति के वर्तमान मूल्य तथा इससे प्राप्त होने वाली शुद्ध आय, यदि कोई हो, का समावेश होता है। ग्राहक की कुल आय तथा कर देयता स्थिति की पहचान के लिए इन सम्पत्तियों से आय रोजगार से प्राप्त आय में जोड़ी जानी चाहिए।

### सम्पत्तियाँ तथा दायित्व

सम्पत्तियाँ	दायित्व
मुख्य निवास	गृह ऋण
अन्य अचल सम्पत्ति जैसे आवासीय सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्ति, भू-खण्ड	क्रेडिट कार्ड के बकाये का भुगतान, बैंक तथा व्यक्तिगत ऋण
इकिवटी शेयरों तथा म्यूच्युल फण्डों में निवेश	वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, व्यवसाय ऋण
निवेश, स्थायी आय प्रतिभूतियाँ जैसे बैंक स्थायी जमा, सरकारी प्रतिभूतियाँ, लोक भविष्य निधि, डाक घर जमाएँ तथा अन्य ऋण प्रपत्र	अन्य कोई ऋण
सोना, चाँदी तथा अन्य मूल्यवान धातुओं में निवेश	
अन्य कोई सम्पत्तियाँ	

जब ग्राहक के पास काफी सम्पत्तियाँ हो, तो निवेश की सलाह देने के लिए इस पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है।

जब ग्राहक के पास सीमित सम्पत्तियाँ हो, तो इसकी जाँच करना आवश्यक है कि वे ग्राहक की जरूरतों के लिए पर्याप्त हैं या नहीं तथा अधिक लाभदायक वित्तीय योजनाओं में निवेश के लिए किस सीमा तक उनका उपयोग हो सकता है। जब सम्पत्तियाँ ग्राहक द्वारा स्वयं खरीदी गई हों, तो निवेश के प्रकार ग्राहक की जोखिम के प्रति उसके दृष्टिकोण को अच्छी तरह प्रदर्शित कर सकता है।

इस सूचना के आधार पर अभिकर्ता अनुमान लगा सकता है कि ग्राहकों तथा उसके परिवारों के वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अभी और कितनी तथा किस प्रकार की बचत करना आवश्यक है।

दायित्व भाग में ग्राहक के सभी ऋणों की राशि का उल्लेख होता है। अधिकांश ग्राहकों के लिए मुख्य दायित्व गृह ऋण होता है जो अधिकतर मामलों में 15–20 वर्षों तक चलता है। अन्य दायित्वों में क्रेडिट कार्ड में बकाये का भुगतान, व्यक्तिगत तथा अन्य ऋण (यदि कोई हो) शामिल हो सकते

है। ग्राहक से उसके सभी ऋणों को तथा अपंगता या बेरोजगारी की लम्बी अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान जारी रखने के लिए यदि उसने कोई व्यवस्था की हो तो उसे बताने के लिए कहा जाना चाहिए। जब ऐसे कवर उपलब्ध हो तो अभी और प्रदान की जाने वाली राशि की गणना के लिए सम्पत्तियों में से दायित्व घटाने की जरूरत नहीं होती है।

**आवासन स्थिति:** ग्राहक की वर्तमान आवासन स्थिति उसकी वित्तीय योजना जरूरतों को निर्धारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक होती है।

इस भाग में अमित की किशोर के साथ चर्चा में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे:-

- क्या वर्तमान में वह किराये के आवास में रह रहा है। यदि ऐसा है तो मकान किराया एक अधिक आवश्यक व्यय होता है।
- क्या उसका स्वयं का मकान है? यदि ऐसा है तो संभावित व्यय जैसे सुविधा उपभोग के बिल, सम्पत्ति कर, मरम्मत आदि आवश्यक व्यय होंगे।
- क्या उसने एक गृह ऋण लिया है? यह एक अधिक आवश्यक व्यय है? क्या मृत्यु या बीमारी की स्थिति में ऋण को सुरक्षित किया गया है?
- क्या वह एक बड़ा मकान खरीदना या वर्तमान मकान का विस्तार करना चाहता है? इसके लिए एक बड़े गृह ऋण की आवश्यकता हो सकती है।

## ब 2 य वर्तमान बीमा तथा निवेश

इस भाग में किशोर द्वारा ली गई वर्तमान बीमा योजनाओं एवं निवेश पर अमित एक टिप्पणी तैयार करेगा।

**ध्यान रहें!**

चालू पॉलिसियाँ तथा निवेश ग्राहक के वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि को कम करने में सहायता करते हैं।

अभिकर्ता ग्राहक के सभी एकल बीमा, स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा सहित, बन्दोबस्ती पॉलिसियों, ULIP's तथा अन्य प्रकार की बचत योजनाओं के विवरण लिखेगा। इस भाग में प्रत्येक बीमा पॉलिसी के लिए बीमाकर्ता का नाम, पॉलिसी का प्रकार, लाभ की प्रकृति एवं राशि, भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम तथा भुगतान की आवृत्ति का समावेश होता है। इसमें यह विवरण भी पूछा जाता है कि प्रीमियम का भुगतान कौन करेगा, अपंगता या मृत्यु की स्थिति में किसका जीवन बीमित किया गया है तथा पॉलिसी के अन्तर्गत लाभग्राहिता कौन है? समापन या परिपक्वता तिथि को भी नोट करना चाहिए।

## ब 2 र मासिक आय तथा व्यय विश्लेषण

बीमा अभिकर्ता द्वारा मासिक आय तथा व्यय का विश्लेषण करने का उद्देश्य ग्राहक के पास वित्तीय योजना उत्पादों में अंशदान के लिए उपलब्ध होने वाली राशि की पहचान करना होता है। एक अतिरिक्त उद्देश्य ग्राहक को यह पहचान करने में समर्थ बनाना होता है कि वे अपने किन वर्तमान व्ययों को कम कर सकते हैं, यदि यह आवश्यक हो या वह ऐसा चाहता हो।

प्रश्नावली के इस भाग में ग्राहक की सभी स्रोतों से कुल आय तथा परिवार के दो सदस्यों के उपार्जन करने की स्थिति में, उनकी संयुक्त आय पूछी जाती है। तत्पश्चात् ग्राहक से उसके मासिक व्यय के मदों को पूछा जायेगा।



## ब 2 ल वित्तीय योजना उद्देश्य तथा विचार विमर्श

इस भाग में किशोर की निजी तथा उसके परिवार के सदस्यों दोनों की महत्वाकांक्षाओं तथा चिन्ताओं को अमित नोट करेगा। वित्तीय योजनाओं के उद्देश्य का भाग सभी तथ्य-अन्वेषण प्रश्नावलियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। अभिकर्ता ग्राहक की विशिष्ट निजी या पारिवारिक दीर्घ-अवधि योजनाओं को लिखेगा।

वर्तमान उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राहक से पूछा जाता है कि वह निम्न आवश्यकताओं की पर्याप्तता के बारे में कैसा महसूस करता है:-

- जीवन व स्वास्थ्य कवर;
- अपंगता बीमा;
- निवेशों का विविधीकरण;
- नियमित बचत का स्तर; तथा
- सेवानिवृति आयु तथा प्रस्तावित सेवानिवृति निधि

अन्तिम प्रश्न के रूप में पूछा जायेगा कि उपरोक्त में से कौनसा उत्तर ग्राहक की चिन्ता का कारण बनता है, यदि कोई हो।

अन्य भाग में पूछा जाएगा कि ग्राहक की निम्न आवश्यकताओं के लिए क्या योजनाएँ तथा महत्वाकांक्षाएँ हैं:-

- परिवार;
- बच्चों की शिक्षा तथा विवाह;
- भविष्य में मकान परिवर्तन करना;
- कैरियर, वृत्ति या व्यवसाय;
- निवेश तथा ऋण वित्त;
- सेवानिवृत्ति; तथा
- मृत्यु पर सम्पत्ति।

पूरक प्रश्न के रूप में ग्राहक से उसकी किसी असामान्य महत्वाकांक्षा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है।

उद्देश्य तथा विचार विमर्श खण्ड में ग्राहक की वित्तीय योजनाओं की प्राथमिकताओं का समावेश रहता है। प्रायः प्राथमिकताओं की वरीयता क्रम आंकिक आधार पर निर्धारित की जाती है तथा इस प्रकार उच्चतम प्राथमिकता की पहचान हो जाती है। व्यवहार में, अधिकांश लोग एक समय में केवल तीन या चार प्राथमिकताओं की पहचान कर पाते हैं। जरूरतों की एक लम्बी सूची में से प्राथमिकता तय करने का प्रयास उनकी सहायता करने के स्थान पर उन्हें अधिक भ्रमित करता है।

### ध्यान रहें!

एक विचार-विमर्श जो ग्राहक की जरूरतों की पूर्ति के लिए वित्तीय उत्पादों के सही विकल्प निर्धारित करने में मदद करता है ग्राहक की जोखिम प्रतिधारण क्षमता तथा निवेश हानि वहन करने में समर्थ होता है। कभी-कभी प्रश्नावलियाँ ग्राहक के शब्दों में ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल को प्रस्तुत करती हैं। तथापि अधिकतर प्रश्नावलियाँ एक जोखिम रेटिंग की श्रृंखला में से किसी एक विशिष्ट जोखिम को चयन करने के लिए विवश करती हैं। प्रायः जोखिम रेटिंग श्रृंखला शून्य से पाँच तक रहती है, जहाँ शून्य किसी भी जोखिम धारण हेतु असमर्थता प्रदर्शित करता है तथा पाँच उच्च जोखिम लेने की क्षमता दर्शाता है।

इस भाग में यह उल्लेख भी रहता है कि ग्राहक ने क्या कोई वसीयत बनाई है या नहीं तथा क्या किसी विद्यमान वसीयत के मुख्य प्रावधानों में ग्राहक की मृत्यु पर उसकी सम्पत्तियों का कर मुक्त निष्पादन करने की व्यवस्था है।

प्रश्नावली का उद्देश्य तथा विचार-विमर्श भाग सामान्यतया तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक ग्राहक तथा अभिकर्ता उद्देश्य निर्धारित करने, जरूरतों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों तथा निवेश जोखिमों तथा निवेश के प्रतिफल के आपसी सम्बन्धों की चर्चा नहीं करते हैं। केवल इस तरह से ग्राहक के उत्तर वास्तविक तथा अनुभूत जरूरतों में स्पष्ट विभेद पर आधारित हो सकते हैं।

### ब 2 व भावी परिवर्तन

यद्यपि तथ्य—अन्वेषण में अधिकांश सूचना वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होगी, संभावित भावी परिवर्तनों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

इस भाग में किशोर के संभावित भावी परिवर्तनों के बारे में अमित उससे पूछेगा।

इसमें शामिल हो सकते हैं :—

- पैतृक सम्पत्ति प्राप्ति , उदाहरणार्थ माता—पिता में से किसी एक की मृत्यु पर।
- बच्चे के जन्म के फलस्वरूप उसकी शिक्षा तथा विवाह की लागत होना।
- किसी व्यावसायिक, शैक्षणिक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक योग्यता पूरी करने की कोई योजना जिसके परिणामस्वरूप आय में वृद्धि होगी।
- कॅरियर में एक संभावित परिवर्तन।
- अन्य कोई महत्वाकांक्षा(उदाहरणार्थ – विदेश यात्रा, पुण्य कार्य या दान के लिए एक निधि संचित करना) जिसमें भारी व्यय आवश्यक हो सकते हैं।

#### **स. आंकलन तथा विश्लेषण**

पूछे जाने वाले प्रश्नों एवं वांछित सूचनाओं का परिमाण एवं विस्तार एक तथ्य—अन्वेषण प्रश्नावली से दूसरे में काफी भिन्न होती है। किसी एक प्रश्नावली में सभी प्रश्न प्रत्येक ग्राहक की परिस्थितियों में समान रूप से लागू नहीं होंगे।

किसी ग्राहक विशेष के लिए कौनसा प्रश्न प्रासंगिक होता है इसका निर्णय करने के लिए अभिकर्ता को तथ्य—अन्वेषण के प्रयोजनों को स्पष्टतया ध्यान में रखना चाहिए। सूचनाएँ प्राप्त करने का उद्देश्य अभिकर्ता को उन वित्तीय उत्पादों के बारे में सुझाव देने हेतु समर्थ बनाना है जो ग्राहक की जरूरतों, प्रयोजनों तथा निजी प्रोफाइल को पूरा करते हैं।

इस प्रयोजन के लिए, अमित को अपने ग्राहक, किशोर से उसके वित्तीय विवरण के मुख्य वर्गों के बारे में सूचनाएँ एकत्रित कर उनके सारांश को स्पष्ट रूप से समझने की जरूरत होती है। इसमें निम्नांकित का समावेश है:—

- सम्पत्तियाँ तथा दायित्व;
- आय, व्यय तथा बचतें;
- जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा(अपंगता सहित)
- सेवानिवृत्ति हेतु संचय का प्रावधान ; तथा
- वसीयत तथा उत्तराधिकार की योजनाएँ / सम्भावनाएँ।

यह सूचना निर्धारित करती है कि प्रत्येक मुख्य जरूरत की पूर्ति हेतु कितना वर्तमान प्रावधान है तथा किसी फलित अन्तराल की पूर्ति हेतु क्या संसाधन उपलब्ध है।

#### **स 1 आंकलन**

अभिकर्ता के मुख्य कार्य में शामिल है:—

- ग्राहक की प्रत्येक जरूरत क्षेत्र में जरूरतों के लिए प्रावधान की जाने वाली राशि की पहचान करना;
- ग्राहक के वहनीय अंशदान की पहचान करना;

- इस अंशदान को वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम वित्तीय योजना पैकेज प्रदान करने हेतु आवंटित करना;
- ग्राहक के साथ नियमित वित्तीय योजना के प्रदर्शन का आंकलन एवं समीक्षा करना।

विभिन्न उत्पादों हेतु उपलब्ध अंशदान का यथार्थ आवंटन ग्राहक की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

## स 2 विश्लेषण

तथ्य—अन्वेषण प्रश्नावलियों की महत्ता के लिए उनका उचित रूप से अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए। जरूरतों की पहचान तथा परिमाणन के लिए प्रश्नावली से प्राप्त तथ्यों तथा विचारों पर अभिकर्ता के व्यावसायिक ज्ञान के उपयोग की आवश्यकता होती है। जरूरत के विश्लेषण के सरलतम रूप में यह पहचान करना शामिल होता है कि ग्राहक ने प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित दोनों जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किये हैं या नहीं।

### उदाहरण

तथ्य—अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात्, किशोर की कुछ प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित जरूरतों जिनके लिए विश्लेषण आवश्यक है, में शामिल हैं :—

- क्या किशोर के पास आश्रितों को समुचित आय उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त धन या बीमा कवर है, यदि वह युवावस्था में मर जाता है?
- क्या पति—पत्नी में से किसी एक की मृत्यु के पश्चात् उत्तरजीवी के लिए प्रावधान की आवश्यकता है ?
- क्या बीमारी, चोट या लाइलाज बीमारी से भी हुई असक्षमता की लम्बी अवधि की दशा में पूर्व के समान जीवन स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त धन, बीमा कवर या नियोक्ता से प्राप्त हाने वाली कोई संचित राशि किशोर के पास है ?
- क्या किशोर के पास पर्याप्त संसाधन हैं जिनसे वह बेरोजगारी की दशा में जीवनयापन तथा ऋण के ब्याज का भुगतान कर सकें ?
- यदि किशोर, या उसके परिवार के सदस्यों को महंगे उपचार के साथ—साथ अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो मेडिकल उपचार व्यय का भुगतान किस प्रकार होगा?
- क्या किशोर या उसके नियोक्ता ने उसकी सेवानिवृति पश्चात् आय के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है?
- किशोर के भविष्य के लिए क्या व्यक्तिगत उद्देश्य है: बच्चों के लिए विद्यालय या विश्वविद्यालय का शुल्क, बच्चों के विवाह पर व्यय, एक नया मकान, विश्व भ्रमण, निजी व्यवसाय शुरू करना तथा अपनी सेवानिवृति के बाद के जीवन के लिए योजनाएँ?
- यदि उपरोक्त सभी के लिए प्रावधान उपलब्ध हो तो इन महत्वाकांक्षाओं की कुल लागत क्या होगी तथा उनके लिए वांछित राशि की आवश्यकता कब—कब होगी ?
- क्या किशोर ने इन प्रयोजनों के लिए पहले से ही कोई धनराशि पृथक् रखी है ?

बहुत सारे उत्तर तथ्य—अन्वेषण पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, किशोर के वर्तमान व्यय उसकी मृत्यु, खराब—स्वास्थ्य तथा सेवानिवृति के बाद होने वाले आवश्यक व्ययों की एक मार्गदर्शिका होती है। वर्तमान पॉलिसियों, सम्पत्तियों तथा बचत योजनाओं का अध्ययन यह दर्शायेगा कि कितना या कितना कम प्रावधान पूर्व में कर लिया गया है। तथापि तथ्य विश्लेषण फॉर्म हमें सब कुछ नहीं बता सकता है। इसके अवयवों को उन मदों के मूल्य की जानकारी से संपूरित करने की जरूरत होती है जिन्हें ग्राहक भविष्य में प्राप्त करना या खरीदना चाहता है जैसे शिक्षा लागतें, मकान मूल्य, यात्रा लागतें।

कभी—कभी किसी जीवन बीमा के लिए आवश्यक अवधि निश्चित करना कठिन हो सकता है। तथ्य—अन्वेषण बच्चों की आयु दर्शायेगा लेकिन उनके अश्रित रहने की अवधि को अनिवार्यतः नहीं दर्शायेगा। प्रारूपिक रूप में सबसे छोटे बच्चे की शिक्षा पूर्ण होने तक पॉलिसी अस्तित्व में रहनी चाहिए। एक परिवार से दूसरे में यह आयु भिन्न—भिन्न होती है। तथ्य—अन्वेषण का उद्देश्य एवं विचार विमर्श भाग ग्राहक की उसके बच्चों के प्रति अभिलाषाओं को दर्शायेगा। इसमें यह भी दर्शाया जायेगा कि बच्चों के बड़े हो जाने पर जीवित जीवनसाथी के लिए निरन्तर सुरक्षा आवश्यक है या नहीं।

## प्रश्न 9.2


**एक तथ्य—अन्वेषण फॉर्म के विभिन्न भाग सूचीबद्ध कीजिए।**

### द. एक ग्राहक की स्थिति के अनुसार उत्पाद लक्षण एवं लाभ लागू करना

तथ्य—अन्वेषण का अन्य उद्देश्य उन उत्पादों जिनकी भविष्य में ग्राहक को आवश्यकता होगी उनके लिए निवेश योजनाओं की समीक्षा तथा उपयुक्त समय की पहचान करना है। पूर्ण तथ्य—अन्वेषण के बिना निश्चित तौर पर यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि किसी व्यक्ति की जरूरतें क्या हैं। यहाँ तक कि किसी विशिष्ट उत्पाद खरीदने हेतु अभिकर्ता से किसी व्यक्ति द्वारा सम्पर्क किए जाने की स्थिति में यह जानने के लिए कि क्या वह उत्पाद उस व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों की अधिकाधिक पूर्ति करता है या नहीं, एक पूर्ण तथ्य—अन्वेषण की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुमानित जरूरतें वास्तविक जरूरतें से बहुत भिन्न हो सकती हैं।

#### द. 1. उत्पाद शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया


ग्राहक से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण तथा सुझाव देने हेतु प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होनी चाहिए तथा इसमें जाँचों की एक श्रृंखला शामिल होनी चाहिए। ग्राहक की तथ्य—अन्वेषण प्रश्नावली की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित चरण आवश्यक होते हैं:—



इनमें से प्रत्येक चरण में व्यावसायिक व्यवहार तथा विशेषज्ञता आवश्यक होती है। यहाँ तक कि जरूरतों के विश्लेषण में ग्राहक की यथार्थ तथा वास्तविक जरूरतों एवं प्राप्त न की जा सकने वाली (दिवा स्वज्ञों) की पहचान की जाती है। प्रत्येक विशुद्ध जरूरत का समुचित मूल्य उससे संलग्न होना चाहिए। यदि मूल्य ज्यादा उल्लिखित है, तब ग्राहक उन लाभों के लिए भुगतान करेगा जो जरूरी नहीं होते हैं; यदि बढ़ा-चढ़ा कर मूल्य बताया जाए तो ग्राहक अनावश्यक लाभों के लिए भुगतान करेगा और यदि मूल्य कम बताया जाए तो उन लाभों की जरूरत पड़ने पर वे अपर्याप्त होंगे।

अभिकर्ता प्रत्येक जरूरत का सर्वोत्तम उपयुक्त हल पाने के लिए अधिकाधिक मात्रा में एकत्रित सूचना के आधार पर भली प्रकार आंकलन कर सकते हैं।


अभिकर्ता का कार्य दो तरह का होगा—



इनमें से अधिकांश सूचनाएँ सरलता से तैयार रूप में उपलब्ध होती हैं। वास्तव में अभिकर्ता के पास पहले से ही आवश्यक विवरण—पुस्तिका, चार्ट, सारणियाँ तथा तथ्य—अन्वेषण प्रपत्र के रूप में पर सूचना के संपूरक होते हैं।

## द 2 प्रत्येक जरूरत के लिए उत्पाद शॉर्ट लिस्ट करना

ग्राहक के लिए उत्पाद चयन करने की एक अच्छी विधि है:-



प्रत्येक जरूरत क्षेत्र के लिए इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है।

सुझाव तैयार करने में, अभिकर्ता को अपने ग्राहक को वांछित लाभ उपलब्ध कराने के लिए उद्धरण तथा उत्पाद दृष्टान्तों का अध्ययन करने की जरूरत होगी। जब मूल्य महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें न्यूनतम लागत वाला उत्पाद चिन्हित करना होता है जो किसी आसन्न (प्रस्तुत होने वाली) जरूरत को सन्तुष्ट करें। मूल्यों तथा उपलब्ध लाभों का अध्ययन करने के बाद ही अभिकर्ता ग्राहक की प्रत्येक जरूरत क्षेत्र के लिए उत्पादों के चयन तथा अनुसंशा के आधार पर संतुलित रूप में उपलब्ध संसाधनों को उत्पादों को क्रय करने हेतु आवंटित करने की स्थिति में होता है। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती है; इसमें बहुत सावधानी तथा व्यावसायिक कौशल की आवश्यकता होती है।

अभिकर्ता की सबसे विकट समस्याओं में से एक है कि ग्राहक को वर्तमान निवेश एवं बीमा के बारे में क्या सुझाव दिया जाये। अभिकर्ता द्वारा अन्तिम सुझाव देने में इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ग्राहक के वर्तमान निवेश हेतु प्रावधानों के लिए पूर्व में उसे उचित एवं सही सलाह दी गई थी या नहीं।

## य सुझाव देना

जब सभी सूचनाएँ एकत्र करके उन पर चर्चा तथा विश्लेषण कर लिया जाता है, तो अभिकर्ता तथ्य-अन्वेषण का अंतिम उद्देश्य पूर्ण कर लेता है: उत्पाद का सुझाव देना या उत्पादों का पोर्टफोलियों जो ग्राहकों की जरूरतों की पूर्ति के लिए अंशदान करता है जिसे वे अभी भुगतान कर सकते हैं तथा भविष्य में बनाये रख सकते हैं।

तथ्य-अन्वेषण के साथ, उत्पादों के बारे में भली प्रकार से सुझाव देने के लिए दक्षतापूर्ण प्रक्रियाओं तथा उच्च नैतिक मानकों के संयोग की आवश्यकता होती है। चिन्हित की गई वित्तीय योजना समस्याओं के लिए सर्वोत्तम समाधान क्या हैं? कौनसा वैकल्पिक हल अधिकतम लागत-कुशल तथा करों में छूट प्रदान करने हेतु समर्थ होता है?

## य 1 ग्राहक को सुझाव प्रस्तुत करना

जब अभिकर्ता निदान कार्य एक व्यावसायिक तरीके से पूर्ण कर लेता है तब वह ग्राहक को प्रस्तुत करने हेतु एक रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति में होता है। उत्तम व्यवहार के सिद्धान्त प्रस्तुतिकरण के विषयों तथा प्रयुक्त कौशल दोनों पर लागू होते हैं।

### ध्यान रहे!

प्रस्तुति कौशल सुझावों की स्वीकृति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तुति में द्विमार्गी सम्प्रेषण होना चाहिए जिसमें अभिकर्ता द्वारा ग्राहक की सम्पूर्ण सम्बद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

ग्राहक के लिए सुझाव प्रायः इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से व्यवस्थित एक बैठक में मौखिक रूप से ग्राहक को प्रस्तुत किये जाते हैं। बैठक के दौरान, अभिकर्ता ग्राहक को प्रस्ताव को समझाता है, लाभ तथा सम्बद्धित लागत बताता है तथा, यदि ग्राहक उस प्रस्ताव या किसी संशोधित/परिवर्तित प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तब वह ग्राहक को पूर्ण रूप से उत्पाद आवेदन फॉर्म भरने में मदद करता है। अभिकर्ता के पारदर्शितापूर्वक एवं व्यावसायिक तरीके से ऐसा करने के लिए प्रस्तुति-साक्षात्कार की संरचना करने की जरूरत होती है।

## य 2 सुझाव : प्रस्तुति संरचना

ग्राहक तथा अभिकर्ता के परस्पर अभिवादन के बाद, प्रस्तुति भेंट की सामान्य संरचना निम्न प्रकार होनी चाहिए:-

- जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता की जाँच करना;
- विस्तृत सुझावों में निहित अवधारणा को रेखांकित करना;
- प्रत्येक जरूरत क्षेत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना;
- वार्तालाप जारी रखने के लिए ग्राहक की अभिस्वीकृति प्राप्त करना ; तथा
- उत्पाद दस्तावेज पूर्ण करना।

जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता की जाँच करना एक सरल किन्तु महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें तथ्य-अन्वेषण के दौरान, सिद्धान्त रूप में सहमत जरूरतों एवं प्राथमिकताओं को ग्राहक को याद दिलाना शामिल है। अभिकर्ता एक-एक करके प्रत्येक जरूरत पर चर्चा करता है तथा ग्राहक से

इस बात की पुष्टि करने हेतु कहता है कि क्या वे अभी भी विचारणीय क्षेत्र हैं। प्रत्येक जरूरत को एक सरल कथन के रूप में व्यक्त करने के लिए ध्यान देने की जरूरत होती है। अधिक विस्तृत रिमाइंडर ग्राहक को केवल भ्रमित करेंगे, आवश्यक परिवर्तन करें, या अन्य तथ्य-अन्वेषण सत्र आयोजित करें।

यदि किसी कारणवश, ग्राहक की परिस्थितियाँ तथा सरोकार/चिन्ताएँ बदल जाती हैं, तो अभिकर्ता प्रस्तावों का एक नया समुच्चय तैयार कर सकता है। जब अभिकर्ता ग्राहक की चिन्ताओं तथा इच्छाओं को सही सही आशय समझ लेता है तो वह योजनाबद्ध प्रस्तुति जारी रख सकता है, जैसा कि प्रायः होता है। सुझावों को विस्तारपूर्वक समझाने से पूर्व, अभिकर्ता को प्रस्तावों में निहित अवधारणाओं को समझाना चाहिए। यह अवधारणा ग्राहक की जरूरतों तथा अभिव्यक्त चिन्ताओं से बहुत निकट रूप से सम्बद्ध होनी चाहिए। प्रत्येक मद परस्पर सम्बद्धित होनी चाहिए, ग्राहक इस बात के लिए तदन्तर गुणागुणगान करेगा कि किस प्रकार प्रत्येक विस्तृत प्रस्ताव एक एकल, सुसंगत, सम्पूर्ण योजना के रूप में आबद्ध है।

### उदाहरण

किसी परिवार के आय प्रदाता, जिसकी वर्तमान में पर्याप्त बीमा सुरक्षा न हो तो उसकी असामिक मृत्यु या खराब स्वास्थ्य की स्थिति में उसे अपने परिवार की व्यापक सुरक्षा जरूरतों की पूर्ति हेतु यह अवधारणा सुनिश्चित करनी चाहिए कि उसके परिवार को समुचित सुरक्षा आवरण की व्यवस्था हो।

या, किसी ऐसे ग्राहक जिसके पास निवेश हेतु विपुल धनराशि उपलब्ध हो के लिए अवधारणा होगी कि वह अपनी पूँजी को कर-बचत योग्य आय तथा पूँजी वृद्धि प्रदान करने वाली योजनाओं में एक सन्तुलित पोर्टफोलियो के रूप में निवेश करें।

विस्तार में जाने से पूर्व इस बात की पुष्टि कर लेना आवश्यक है कि ग्राहक अवधारणा को एक सही प्रयास या तरीका मानता है। प्रस्तुति के प्रत्येक स्तर पर अभिकर्ता को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए कि किस प्रकार विवरण प्रस्ताव के आमूल अवधारणा के अनुरूप है। प्रत्येक जरूरत के लिए सुझाव देने में यह देखना अभिकर्ता का कर्तव्य है कि ग्राहक प्रस्तावित उत्पाद की मुख्य विशेषताओं को समझता है, इसका सुझाव क्यों दिया गया है तथा ग्राहक के लिए उत्पाद की क्या सीमाएँ हो सकती हैं।

### उदाहरण

यह व्यावसायिकता की असफलता होगी यदि ग्राहक किसी प्रतिबन्ध या जोखिम से अनभिज्ञ हो जो भविष्य में उसके लाभ के अधिकार को सीमित कर सकता है या उसे किसी निवेश में हानि करा सकता है।

### य 3 लाभ दृष्टान्त दस्तावेज

कुछ परिस्थितियों में, मुख्य प्रस्तुति में शामिल किए जाने वाले सभी विवरण बहुत अधिक होते हैं। तथापि, व्यावसायिक आचार के लिए यह आवश्यक है कि एक विक्रय पूर्ण होने से पूर्व ग्राहक सुझाए गए प्रत्येक उत्पाद की मुख्य विशेषताओं को समझे। कुछ अभिकर्ता ग्राहक को उत्पाद की प्रकृति, लाभ, तथा परिस्थितियाँ जिनमें लाभ का भुगतान किया जाता है, को दर्शाने के लिए लाभ दृष्टान्त दस्तावेजों का उपयोग आई. आर. डी. ए. द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप करते हैं।

लाभ दृष्टान्त गारंटीड तथा गैर गारंटीड लाभों में विभेद भी करता है। गैर गारंटीड लाभों के लिए, दृष्टान्त प्रत्येक लाभों के विस्तार तथा निवेश का सम्भावित मूल्य अनुमानित वार्षिक

वृद्धि दर (जीवन बीमा समिति द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 6% तथा 10% की दर) पर विभिन्न अवधियों हेतु किए गए निवेशों पर परिकलित किया जाता है। प्रायः ऐसा बीमा कम्पनी द्वारा प्रभारित किए जाने वाले प्रभारों तथा उस विस्तार को दर्शाता है जहाँ तक निवेश की अवधि के दौरान निवेश प्रतिफल कम हो जाता है। ग्राहक को एक उत्पाद की दूसरे से तुलना करने में भी यह समर्थ बनाता है।

#### य 4 अपने ग्राहक को जानें(KYC)

प्रस्तुति के अन्त में, अभिकर्ता प्रस्तावों की जाँच करेगा तथा आगे की प्रक्रिया हेतु ग्राहक की अभिस्वीकृति प्राप्त करेगा तथा फार्म भरने एवं अपने ग्राहक को जानें (**KYC**) की औपचारिकताएं पूर्ण करेगा।

#### अपने ग्राहक को जानें (**KYC**)

पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म के साथ, ग्राहक को बीमा कम्पनी के नाम पर जारी प्रीमियम राशि का चैक तथा अपने ग्राहक को जानें (**KYC**) प्रक्रिया के अनुसार अपनी पहचान के दस्तावेज जमा कराने की जरूरत होती है।

इनमें शामिल हैं:-

1. फोटोग्राफ;
2. पहचान का प्रमाण : सामान्य रूप से स्वीकार किये जाने वाले कुछ दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता परिचय पत्र, रक्षा कार्मिकों के परिचय पत्र, पेन कार्ड, किसी सरकारी निकाय द्वारा जारी कोई अन्य परिचय पत्र आदि हैं।
3. पते का प्रमाण : पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाने वाले कुछ सामान्य दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली का बिल, टेलिफोन बिल, किसी बीमा कम्पनी की प्रीमियम रसीद, राशन कार्ड, बैंक पास बुक आदि हैं।

पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची अलग—अलग बीमा कम्पनियों में अलग—अलग हो सकती है।

मुख्य बिन्दु
हमें क्या और क्यों जानने की जरूरत है?
तथ्य—अन्वेषण व्यक्ति की वर्तमान वित्तीय स्थिति दर्शाता है, वर्तमान में क्या स्थिति है तथा भविष्य में किन परिवर्तनों की सम्भावना है।
तथ्य—अन्वेषण ग्राहक की वित्तीय योजना जरूरतों की पहचान करता है तथा उन जरूरतों को इंगित करता है जो ग्राहक के लिए उच्च प्राथमिकता वाली होती है।
तथ्य—अन्वेषण के उद्देश्यों में शामिल हैं— —जरूरतों की पहचान करना; —ग्राहक के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्र करना; —ग्राहक के नकद प्रवाह का विश्लेषण करना; तथा —पूर्वानुमानित परिवर्तनों के लिए योगदान देना
एक तथ्य—अन्वेषण का उपयोग करना
एक तथ्य अन्वेषण फॉर्म ग्राहक से सम्बन्धित विवरणों को समाहित करने के लिए विभिन्न भागों में विभाजित होता है। इन भागों में शामिल हैं—

- व्यक्तिगत विवरण;
- परिवारिक विवरण;
- रोजगार विवरण;
- वित्तीय विवरण;
- वर्तमान बीमा तथा निवेश;
- मासिक आय तथा व्यय विश्लेषण;
- वित्तीय योजना उद्देश्य तथा विचार विमर्श; तथा
- भावी परिवर्तन।

#### आंकलन तथा विश्लेषण

जरूरतों का विश्लेषण करने में यह पहचान करना शामिल होता है कि ग्राहक ने प्रत्याशित तथा अप्रत्याशित दोनों जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किया है।

तथ्य-अन्वेषण का आंकलन करने में दौरान अभिकर्ता के मुख्य कार्यों में शामिल हैं :-

- प्रत्येक जरूरत क्षेत्र में ग्राहक की जरूरतों के लिए प्रदान की जाने वाली राशि की पहचान करना;
- ग्राहक के वहनीय अंशदान की पहचान करना;
- इस अंशदान को वर्तमान में उपलब्ध सर्वोत्तम वित्तीय योजना पैकेज प्रदान करने हेतु आवंटित करना;
- ग्राहक के साथ नियमित आधार पर वित्तीय योजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समीक्षा करना।

#### किसी ग्राहक की परिस्थितियों के अनुसार उत्पाद लक्षण एवं लाभ लागू करना

तथ्य-अन्वेषण सूचना का विश्लेषण करने के पश्चात् अभिकर्ता ग्राहक की जरूरतों के लिए उत्पाद विशेषताएँ लागू करता है तथा तदनुसार उन उत्पादों को शॉर्ट लिस्ट करता है जो ग्राहक की जरूरतों के सर्वाधिक अनुरूप होते हैं।

#### सुझाव देना

जब सभी सूचनाएँ एकत्र करने के बाद उन पर चर्चा तथा विश्लेषण कर लिया जाता है, तब अभिकर्ता तथ्य-अन्वेषण का अंतिम उद्देश्य भर सकता है: उत्पाद या उत्पादों के पोर्टफोलियों का सुझाव देना जो ग्राहकों की जरूरतों की पूर्ति के लिए उपयुक्त हों जिनके लिए अंशदान का भुगतान वह वर्तमान समय में तथा भविष्य में बनाये रख सके।

जब निदान कार्य एक व्यावसायिक तरीके से पूर्ण हो जाता है तब अभिकर्ता ग्राहक को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट तैयार करने की स्थिति में होता है।

उत्पाद सुझाव प्रस्तुति की एक समुचित संरचना होनी चाहिए।

सुझाव प्रस्तुति पूरी हो जाने पर अभिकर्ता को ग्राहक के पास बैठना तथा यदि कोई संदेह हो तो उसका समाधान करना चाहिए, अन्यथा अभिकर्ता को फॉर्म भरने की औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु आगे बढ़ना चाहिए।

ग्राहक को निवेशों की परिकलित वृद्धि (6% तथा 10% की दर पर) दर्शाने के लिए अभिकर्ता को लाभ दृष्टान्त दस्तावेजों का उपयोग करना चाहिए।

उचित रूप से भरे गये फॉर्म के साथ ग्राहक को बीमा कम्पनी के नाम एक चैक जारी करने तथा **KYC** दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।

#### प्रश्न—उत्तर

9.1

एक तथ्य—अन्वेषण के उद्देश्य निम्नानुसार हैः—

1. जरूरतों की पहचान करना।
2. ग्राहक से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करना।
3. ग्राहक के नकद प्रवाह का विश्लेषण करना।
4. प्रत्याशित परिवर्तनों के लिए योगदान देना।

9.2

एक तथ्य अन्वेषण फॉर्म ग्राहक के विवरणों को समाहित करने हेतु विभिन्न भागों में विभाजित होता है। इन भागों में शामिल हैः—

- व्यक्तिगत विवरण;
- परिवारिक विवरण;
- रोजगार विवरण;
- वित्तीय विवरण;
- वर्तमान बीमा तथा निवेश;
- मासिक आय तथा व्यय विश्लेषण;
- वित्तीय योजना उद्देश्य तथा विचार विमर्श; तथा
- भावी परिवर्तन।

### स्व—परीक्षण प्रश्न

1. सम्पूर्ण उत्पादों को शॉर्ट लिस्ट करने की प्रक्रिया को समझाइए।

2. एक ग्राहक को उत्पादों की प्रस्तुति एवं सुझाव देने वाली वार्ता/ बैठक की संरचना संक्षेप में समझाइए।

3. जीवन बीमा समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक लाभ दृष्टान्त दस्तावेज में निवेश मूल्य के लिए एक वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर के रूप में क्या दर्शायी जा सकती है?

आप अगले पृष्ठ पर उत्तर पायेंगे।

### स्व—परीक्षण उत्तर

1.

ग्राहक के लिए सूचना विश्लेषण तथा सुझाव प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित होनी चाहिए तथा इसमें जाँचों की एक श्रृंखला शामिल होनी चाहिए। ग्राहक की तथ्य—अन्वेषण प्रश्नावली की समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित चरण आवश्यक होते हैं—

- प्रत्येक पहचानी गई जरूरत को प्राथमिकता क्रम में रखना।
- एक एकीकृत वित्तीय सुझाव तैयार करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का पुनर्वालोकन करना।
- अभी भी प्रावधान की जाने वाली राशि(यों) की गणना करना।
- उपयुक्त उत्पादों की पहचान करना तथा अन्य सभी को विलोपित करते हुए अधिकाधिक उपयुक्त की पहचान करना।
- उद्धरण, दृष्टान्त तथा लागत—लाभ का विश्लेषण तैयार करना।
- एक रिपोर्ट का प्रारूप तैयार तथा प्रस्तुत करना।

2.

ग्राहक तथा अभिकर्ता के परस्पर अभिवादन के बाद, एक प्रस्तुति वार्ता/बैठक की सामान्य संरचना निम्न प्रकार होनी चाहिए:-

- जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता की जाँच करना;
- विस्तृत सुझावों में निहित अवधारणा को रेखांकित करना;
- प्रत्येक जरूरत क्षेत्र में प्रस्ताव रेखांकित करना;
- आगे बढ़ने के लिए ग्राहक की अभिस्वीकृति प्राप्त करना ; तथा
- उत्पाद दस्तावेज पूर्ण करना।

3.

गैर गारंटीड लाभों के लिए, लाभ दृष्टान्त प्रत्येक परिकलित के लिए काल्पनिक वार्षिक वृद्धि दर (जीवन बीमा समिति द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार 6% तथा 10% की दर पर वृद्धि) दर्शाता है तथा विभिन्न समयावधियों में निवेश मूल्य के दृष्टान्त प्रदान करता है।

# 10

## अच्छा ग्राहक व्यवहार

अध्याय विषय विस्तु	पाठ्यक्रम शिक्षण के परिणाम
अ. एक बीमा अभिकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व	10.1
ब. ग्राहक की आवश्यकताएँ	10.1
स. अभिकर्ता, पारिश्रमिक तथा स्पष्ट प्रकटन विधियाँ	10.2
द. उपयुक्त पॉलिसियों के सुझाव देना	10.3, 10.4, 10.5
य. पॉलिसियों के दीर्घ—अवधि लाभ तथा अल्प—अवधि निरस्तीकरण से बचाव करना (अक्षुणता)	10.6
र. ग्राहकों के अधिकार तथा शिकायत प्रक्रियाएँ	10.7
ल. ग्राहकों के साथ दीर्घ—कालीन सम्बन्ध बनाना	10.6

### अध्ययन उद्देश्य

इस अध्याय का अध्ययन करने के पश्चात् आप निम्न हेतु समर्थ होंगे :—

- एक अभिकर्ता के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों की परिचर्चा करने में ;
- एक ग्राहक की आवश्यकताओं का वर्णन करने में ;
- अभिकर्ताओं को पारिश्रमिक भुगतान की विधियों का वर्णन करने में ;
- यह समझाने में कि एक ग्राहक को उत्पाद या प्रदाता बदलने की सलाह देना क्यों नीतिसम्मत नहीं होता है जब तक ऐसा करना स्पष्टतया उसके सर्वोत्तम हित में दिखाई न देता हो ;
- ग्राहकों से दीर्घ—कालीन सम्बन्ध बनाने की जरूरत की चर्चा करने में।

### परिचय

बीमा अभिकर्ता बीमा उत्पाद विक्रय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मध्यस्थों में से एक होता है। ग्राहक की जरूरतों एवं आवश्यकताओं के आधार पर उनको सर्वोत्तम उपलब्ध उत्पाद—हल प्रदान करना अभिकर्ता का कर्तव्य होता है। बीमा कम्पनी को विपरीत चयन से सुरक्षा प्रदान करना भी उनका

कर्तव्य होता है क्योंकि वे अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल का आंकलन तथा निर्धारण करने हेतु सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं।

इस विचार के प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि बीमा अभिकर्ता हर समय अपने ग्राहकों से एक व्यावसायिक तरीके से व्यवहार करें। उच्च स्तरीय व्यावसायिक सदाचारपूर्ण सेवा ग्राहकों के साथ—साथ स्वयं बीमा उद्योग के भी सर्वोत्तम हित में होती है।

### सभी व्यवसायों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

#### उनके सदस्य :

ग्राहकों के प्रति नीतिसम्मत व्यवहार करने हेतु प्रतिबद्ध हो;

व्यावसायिक आचार संहिता का अनुपालन करें;

व्यावसायिक योग्यता के न्यूनतम आदर्शों/मानकों का अनुपालन करें;

निरन्तर व्यावसायिक विकास हेतु प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें।

ये जरूरतें डॉक्टर, विधिवेत्ताओं, लेखाकारों की तरह बीमा उद्योग के लिए भी अनिवार्य होती हैं अतः IRDA ने बीमा अभिकर्ताओं द्वारा ऐसा करना सुनिश्चित करने के लिए आचार संहिता बनाई है ताकि सभी अभिकर्ता अपने ग्राहकों के प्रति नीतिसम्मत व्यवहार करें। हम अध्याय 15 में आचार संहिता पर अधिक विस्तार से दृष्टिपात करेंगे।

इस अध्याय में हम बीमा अभिकर्ता के अपने ग्राहकों तथा बीमा कम्पनी के प्रति कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की चर्चा करेंगे। हम ग्राहकों के साथ दीर्घ—कालीन सम्बन्ध बनाने की महत्ता के बारे में भी चर्चा करेंगे।

### मुख्य पद

इस अध्याय में निम्नलिखित पदों एवं बिन्दुओं की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है :

अभिकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व	ग्राहक की जरूरतें	अभिकर्ता पारिश्रमिक	प्रकटन
सुझाव	पॉलिसी की स्वीकृति या अस्वीकृति	मंथन	परिवर्तन
सततता/अक्षुण्टा	पॉलिसी सेवा	ग्राहक के अधिकार	दीर्घ—कालीन सम्बन्ध
प्रकटन विधियाँ	जरूरतों की प्राथमिकता तय करना	उपयुक्त उत्पाद	लाभ दृष्टान्त दस्तावेज

### अ. बीमा अभिकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

बीमा अभिकर्ता ग्राहकों को जीवन बीमा उत्पाद विक्रय हेतु उत्तरदायी होते तथा अभिकर्ता के पास IRDA द्वारा दिया गया लाइसेन्स होना चाहिए। **बीमा अधिनियम 1938** की धारा 42 किसी बीमा अभिकर्ता को इस प्रकार परिभाषित करती है :—

कोई व्यक्ति, जिसे बीमा अधिनियम की धारा 42 के अन्तर्गत बीमा व्यवसाय की याचना करने या लाने, जिसमें व्यवसाय जारी रखने, बीमा पॉलिसियों का नवीकरण या पुनरुज्जीवन समिलित है, हेतु लाइसेन्स दिया गया है।

किसी बीमा अभिकर्ता के कर्तव्यों तथा दायित्वों में ग्राहक की जरूरतों का निर्धारण करना तथा उन जरूरतों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद की पहचान करना शामिल है। तथापि अभिकर्ता की भूमिका यहाँ समाप्त नहीं होती है। अभिकर्ता को पॉलिसी के प्रारम्भ से उसकी परिपक्वता तक तथा / या दावा उत्पन्न होने पर दावे का निपटान होने तक ध्यान देना होता है।

बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनी तथा ग्राहक के मध्य एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है तथा उस पर अपनी कम्पनी के लिए व्यवसाय प्राप्त करने का दायित्व होता है। एक अभिकर्ता अपने ग्राहक का भी प्रतिनिधित्व करता है अतः उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसने उन्हें किसी भी तरह से गुमराह नहीं किया है तथा वह हमेशा उनके सर्वोत्तम हित में कार्य करता है। बीमा अभिकर्ता बीमा कम्पनी तथा ग्राहक के मध्य मुख्य सम्पर्क बिन्दु होता है तथा उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि उसने अपने ग्राहक से सम्बन्धित सभी अनिवार्य सूचनाएँ जिनकी बीमा कम्पनी को जरूरत होगी एकत्र कर ली है।

बीमा अभिकर्ता के मुख्य कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार सारांश रूप में दर्शाये जा सकते हैं :—
● बीमा कम्पनी के लिए सम्भावित ग्राहक की पहचान करना तथा उनकी विभिन्न जरूरतों की पहचान के लिए जरूरतों का विश्लेषण करना।
● बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बीमा उत्पादों का समुचित ज्ञान रखना तथा प्रत्येक उत्पाद द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभ एवं विशेषताओं की समझ रखना।
● ग्राहकों को उनकी जरूरतों एवं निवेश क्षमता के आधार पर उपयुक्त उत्पाद का सुझाव देना।
● यह सुनिश्चित करना कि प्रस्ताव फार्म सही रूप से भरा गया है तथा ग्राहकों द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं।
● आवश्यक दस्तावेजों जैसे आयु का प्रमाण, पहचान तथा पता, मेडिकल रिपोर्ट तथा बीमांकन के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र करने का उत्तरदायित्व।
● बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बीमा योजना के लिए प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम तथा विभिन्न प्रभारों को ग्राहकों को प्रकट करना।
● विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के सम्बन्ध में कमीशन की दर को प्रकट करना, यदि संभावी ग्राहक द्वारा पूछा जायें।
● पॉलिसीधारक को मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से स्मरण कराकर निर्धारित समय के भीतर प्रीमियमों का प्रेषण सुनिश्चित करना तथा ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, यदि वे ऐसा करने हेतु सम्बन्धित बीमाकर्ता द्वारा अधिकृत हों।

- अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट में किन्हीं गलत आदतों, आय विसंगतियों या किसी अन्य सारभूत तथ्य के बारे में सूचना प्रदान करके प्रस्तावक द्वारा प्रदर्शित जोखिम के आंकलन में जोखिमांककों की मदद करना।
- प्रस्ताव फॉर्म में किसी अनिवार्य परिवर्तन जैसे पता, नामांकन आदि करने के लिए ग्राहकों की मदद करना।
- कोई दावा उत्पन्न होने पर लाभग्रहिताओं या नामितों को दावा निपटान प्रक्रिया में सहायता करना।

### ब. ग्राहक की आवश्यकताएँ

हमनें अध्याय 8 में पहले ही देखा है कि बीमा अभिकर्ता को ग्राहक के लिए उपयुक्त उत्पादों का सुझाव देना चाहिए तथा ऐसा करने से पूर्व उसे ग्राहक की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को स्पष्टतया समझना होता है। ग्राहक से सम्बन्धित सूचनाओं की पहचान तथा विश्लेषण करने की प्रक्रिया तथा उपयुक्त उत्पाद का सुझाव देने की प्रक्रिया यथोचित होनी चाहिए तथा उसमें जाँचों की एक श्रृंखला शामिल होनी चाहिए। तथ्य-अन्वेषण के पश्चात निम्नलिखित चरण अनिवार्य होते हैं:

- ग्राहक की जरूरतों की प्राथमिकता तय करना।
- एक एकीकृत वित्तीय अनुसंशा तैयार करने के लिए शोध (जाँच पड़ताल) करना।
- उस राशि की गणना करना जिसको प्रदान किये जाने की जरूरत है या जिरो अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।
- उपयुक्त उत्पादों की पहचान करना तथा अनुपयुक्त को विलोपित करना

### स. अभिकर्ता पारिश्रमिक तथा स्पष्ट प्रकटन विधियाँ

इस भाग में हम अभिकर्ता के पारिश्रमिक तथा IRDA द्वारा सुझाए गए प्रकटन प्रक्रिया की चर्चा करेंगे।

#### स 1 अभिकर्ता पारिश्रमिक

अभिकर्ता का पारिश्रमिक IRDA विनियमों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। एक जीवन बीमा अभिकर्ता कमीशन के रूप में अपना पारिश्रमिक प्राप्त करता है। यह कमीशन बीमा कम्पनी द्वारा एकत्र किये गये प्रीमियम का एक निश्चित प्रतिशत होता है। बीमा अधिनियम 1938 उस अधिकतम राशि को निर्धारित करता है जिसे एक बीमा अभिकर्ता को कमीशन के रूप में या किसी अन्य प्रकार से भुगतान किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- कोई बीमा अभिकर्ता प्रथम वर्ष के प्रीमियम का अधिकतम 35 %, द्वितीय वर्ष के प्रीमियम का 7.5 % तथा तृतीय एवं उसके बाद के वर्षों के नवीकरण प्रीमियम का 5 % प्राप्त कर सकता है। (यह तत्काल या विलम्बित एन्युटीज़ के लिए लागू नहीं होता है।)
- बीमाकर्ता व्यवसाय के पहले दस वर्षों में, किसी बीमा अभिकर्ता को प्रथम वर्ष के प्रीमियम का 35 % के स्थान पर, 40 % का अधिकतम भुगतान कर सकता है।
- अभिकर्ता के लिए नवीकरण प्रीमियमों पर कमीशन किसी भी स्थिति में 40 % से अधिक नहीं होना चाहिए। बीमा अधिनियम, धारा 44 द्वारा अभिकर्ताओं (जिनकी ऐजेन्सी समाप्त समाप्त की जा चुकी है) के लिए नवीकरण प्रीमियम पर कमीशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं –
  - अभिकर्ता जो बीमाकर्ता के साथ पाँच वर्ष से अधिक समय तक कार्य कर चुका हो तथा एजेन्सी समाप्त से पूर्व एक वर्ष में रु. 50,000 बीमा धन से कम की पॉलिसियाँ नहीं होनी चाहिए।
  - अभिकर्ता जो बीमाकर्ता के साथ कम से कम दस वर्ष तक काम कर चुका हो तथा एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करने से निषिद्ध किये जाने से पूर्व, किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीमा व्यवसाय की याचना या प्राप्त नहीं करना चाहिए।

अभिकर्ता की मृत्यु होने की दशा में, उसके विधिक उत्तराधिकारियों को कमीशन का भुगतान होता है।

कोई बीमा कम्पनी अपने अभिकर्ता को निर्धारित सीमा के भीतर भुगतान कर सकती है। सामान्यतया अवधि बीमा योजनाओं के लिए कमीशन अन्य योजनाओं जैसे आजीवन बीमा योजनाओं की तुलना में कम होता है। साथ ही अल्प अवधि पॉलिसियों में दीर्घ अवधि पॉलिसियों की तुलना में कम कमीशन दिया जाता है। एकल प्रीमियम योजनाओं, एन्युटी तथा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत कमीशन दरें कम होती हैं।

## स 2 प्रकटन

बीमा अभिकर्ता को किसी ग्राहक द्वारा पूछे जाने पर कि उसका बीमा प्रभावी होने के परिणामस्वरूप उसे कमीशन के रूप में प्राप्त होने वाली राशि प्रकट करनी चाहिए।

1 जुलाई 2010 से, सभी बीमाकर्ताओं को लाभ दृष्टान्त दस्तावेजों में **ULIPs** के लिए अभिकर्ताओं को भुगतान किए जाने वाले कमीशन का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। यह परिपत्र **IRDA** द्वारा जारी किया गया था जिसमें ग्राहक से प्रस्ताव फार्म के साथ साथ दृष्टान्त दस्तावेज की एक कॉपी प्राप्त करना अभिकर्ता हेतु अनिवार्य कर दिया गया था।

लाभ दृष्टान्त में जीवन बीमा समिति द्वारा निर्धारित 6 % तथा 10 % वृद्धि दर पर पॉलिसी अवधि के दौरान निधि में अपेक्षित वृद्धि तथा प्रभारों का विवरण रहता है।

**IRDA** के अनुसार प्रकटन, पॉलिसी पर लागू प्रभारों के साथ बीमा अभिकर्ता को भुगतान किये जाने वाले कमीशन राशि का सही विवरण ग्राहकों को देना जीवन बीमा उत्पादों के विक्रय में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा।

**प्रश्न 10.1**

किसी बीमा अभिकर्ता के किन्हीं तीन कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को सूचीबद्ध कीजिए।

**द. उपयुक्त पॉलिसियों के सुझाव देना**

एक बार जब बीमा अभिकर्ता द्वारा ग्राहक की जरूरतों के लिए उपयुक्त उत्पादों की पहचान कर ली जाती है, तो वह ग्राहक को चयनित पॉलिसियों के लिए सुझाव दे सकता है। इस भाग में हम उन मुद्दों की चर्चा करेंगे जो ग्राहकों को उपयुक्त पॉलिसियों का सुझाव देने पर निम्न के सम्बन्ध में उत्पन्न हो सकते हैं :—

- जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता का परीक्षण करना।



- एक विशिष्ट पॉलिसी का सुझाव देने के कारणों को रेखांकित करना।



- सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करना।



- संथन तथा उत्पादों में परिवर्तन करना।

**द 1 जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता का परीक्षण करना**

जरूरतों के प्रति ग्राहक की प्रतिबद्धता का परीक्षण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें ग्राहक को उन जरूरतों की याद दिलाना शामिल होता है जिन पर तथ्य-अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान सहमति बनी थी। अभिकर्ता को प्रत्येक जरूरत की पुष्टि करने के लिए ग्राहक से पूछना चाहिए कि क्या वे अभी भी विचारणीय क्षेत्र हैं।

यदि ग्राहक प्राथमिकता वाली जरूरतों से असहमत होता है, तो अभिकर्ता को वित्तीय योजना में सुधार करना होगा। यदि ग्राहक जरूरतों के सैट से सहमत होता है, तो अभिकर्ता उपयुक्त उत्पादों तथा पॉलिसियों के सुझाव के साथ आगे बढ़ सकता है।

**द 2 किसी विशिष्ट पॉलिसी का सुझाव देने के कारणों को रेखांकित करना**

सुझाव को विस्तारपूर्वक समझाने के पूर्व अभिकर्ता को किसी एक विशिष्ट पॉलिसी का सुझाव देने के कारणों को बताना चाहिए। ये कारण ग्राहक की जरूरतों तथा अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान व्यक्त विचारों से निकटता से जुड़े होने चाहिए।

अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक पॉलिसी द्वारा प्रदत्त लाभों तथा मुख्य विशेषताओं को समझने में समर्थ है। उसे पॉलिसी तथा अन्य उपलब्ध उत्पादों की तुलना करते समय एक चार्ट को प्रदर्शित करने की भी जरूरत होती है ताकि ग्राहक संस्तुत पॉलिसी की अन्य उत्पादों से तुलना करने में समर्थ हो।

सुझाव के प्रत्येक चरण में ग्राहक से फीड बैक लेना चाहिए। जब एक बार किसी पॉलिसी का सुझाव दिया जाता है तथा इसकी विशेषताओं तथा लाभों की व्याख्या कर दी जाती है, तो अभिकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि ग्राहक उससे सहमत है। जहाँ ग्राहक को संशय हो या उसकी कुछ अन्य चिन्ताएँ हों, तो उनका तत्काल समाधान करना चाहिए।

### द ३ सुझाव को स्वीकार या अस्वीकार करना

यदि ग्राहक सुझाव को स्वीकार कर लेता है, तो अभिकर्ता को ग्राहक से प्रस्ताव फॉर्म भरने के लिए कहना चाहिए।

यदि ग्राहक सुझाव से असहमत होता है, तो अभिकर्ता को उसकी अस्वीकृति के कारणों का पता लगाने के लिए आगे प्रश्न करने चाहिए। सुझावों को निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत किया जा सकता है :—

<p>ग्राहक उस समय वित्तीय योजना का क्रियान्वयन नहीं चाहता है तथा निवेश करने से पूर्व अन्य विकल्पों पर विचार के लिए और समय चाहता है। इस स्थिति में अभिकर्ता ग्राहक से कह सकता है कि वह किसी भावी तिथि पर उससे (ग्राहक से) सम्पर्क करेगा।</p>	<p>ग्राहक संस्तुत उत्पाद से सन्तुष्ट नहीं है। इस स्थिति में ग्राहक की जरूरतों के अनुसार उत्पादों की समीक्षा करनी होगी।</p>
--	--

अच्छी पूछताछ कौशल (जिसकी हमनें अध्याय 8 में चर्चा की है) अभिकर्ता को यह पता लगाने में मदद कर सकती है कि क्यों या किन कारणों से किसी सुझाव को अस्वीकृत किया गया है तथा गतिरोध दूर करते हुए किस प्रकार स्वीकृति प्राप्त हो, की दिशा में मदद कर सकता है। असफल रहने पर, अभिकर्ता को ग्राहक के अस्वीकृति के अधिकार का सम्मान करना चाहिए तथा किसी भावी तिथि पर ग्राहक से पुनः आग्रह हेतु अनुमति मांगनी चाहिए।

अभिकर्ता ग्राहक से कुछ सन्दर्भ जैसे सम्बन्धियों, मित्रों तथा परिचितों के नाम तथा सम्पर्क विवरण भी पूछा सकता है जो वित्तीय योजना में रुचि ले सकते हों। ये सन्दर्भ बीमा अभिकर्ता के लिए महत्वपूर्ण विक्रय क्षेत्र होते हैं।

### द ३ अ किसी अभिकर्ता को क्या करना चाहिए यदि कोई ग्राहक कुछ सुझाव स्वीकार करता है लेकिन सभी नहीं ?

कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ ग्राहक अभिकर्ता से उच्च सुरक्षा जरूरत की उपेक्षा करने के लिए कह सकता है तथा उसके स्थान पर उपलब्ध राशि को किसी बचत योजना में निवेश करने के लिए कह सकता है, या ग्राहक कम जोखिम युक्त उत्पादों में पूँजी निवेश की सलाह को नकार

सकता है तथा एक उच्च जोखिम उत्पाद खरीदने हेतु अभिकर्ता को निर्देश दे सकता है जो उस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो। (लेकिन भविष्य में वह इसी तरह का प्रदर्शन न कर सके)

इस मामले में अभिकर्ता को अपने सुझाव के कारणों की विस्तृत चर्चा करते हुए उक्त सुझाव के अनुसरण हेतु ग्राहक को मनाने का प्रयास करना चाहिए। तथापि, यदि ग्राहक अब भी अभिकर्ता की सलाह के विरुद्ध कार्य करना चाहता है, तो अभिकर्ता को ग्राहक के निर्देशों का अनुपालन करने में अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए, यद्यपि यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह अभिकर्ता का दिया गया सुझाव नहीं है।

अभिकर्ता के सुझावों से भिन्न व्यवहार करने का ग्राहक का निर्णय निम्नांकित दो चरणों पर प्रकट हो सकता है।

- प्रस्तुति के समय ;
- तथ्य—अन्वेषण साक्षात्कार के समय ;

जब भी ग्राहक को कोई शंका उत्पन्न हो वैसे ही अभिकर्ता को उसका समाधान करना आवश्यक होता है।

#### **द 4 मंथन तथा उत्पाद जोड़ना**

बीमा क्षेत्र में एक उत्पाद को ले लेने के बाद उसके स्थान पर अन्य उत्पाद अपनाने की अवधारणा बढ़ रही है, यद्यपि अब यह विनियामक (IRDA) के प्रतिक्रियात्मक प्रयासों द्वारा तथा मध्यस्थों में व्यावसायिकता की वृद्धि के साथ नियन्त्रण में लाई जा रही है।

#### **द 4 अ मंथन**

ग्राहकों को बार-बार एक पॉलिसी या एक निवेश से दूसरे में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना मंथन कहलाता है। बीमा मंथन एक व्यवहार के रूप में प्रयुक्त हो रहा है जिसमें अभिकर्ता सुझाव देते हैं कि ग्राहक अपनी वर्तमान पॉलिसी को समर्पित कर दे तथा प्राप्त राशि का उपयोग एक नई पॉलिसी खरीदने में करें, ताकि अभिकर्ता को नई पॉलिसी पर उच्च कमीशन मिले। यह गैर व्यावसायिक एवं अनैतिक व्यवहार है जो ग्राहक को समर्पण प्रभारों तथा पॉलिसी को परिपक्वता तक प्रभावी नहीं रखे जाने के कारण दीर्घ-अवधि लाभों में कमी के रूप में हुई हानि से पीड़ित करता है।

#### **प्रकरण—अध्ययन**

सुन्दर सिंह एक 38 वर्षीय स्व-नियोजित व्यवसायी है, जो एक इलैक्ट्रॉनिक दुकान का मालिक है। उसकी पत्नी एक गुहिणी तथा उनके दो पुत्र हैं। पाँच वर्ष पूर्व उसने रु. 10,00,000 बीमा धन की एक बन्दोबस्ती बीमा योजना ली थी।

एक दिन एक बीमा अभिकर्ता उससे मिलता है जो सुझाव देता है कि उसे उसकी (उस अभिकर्ता की) कम्पनी द्वारा हाल ही में लाये गये नवीनतम बचत बीमा योजना में निवेश करना चाहिए जो जीवन बीमा कवर के साथ गारंटीड प्रतिफल प्रदान करती है। सुन्दर प्रस्ताव को नकार देता है तथा अभिकर्ता से कहता है कि उसने कुछ समय पूर्व एक बन्दोबस्ती बीमा योजना में निवेश कर रखा है जो उसे बीमा कवर प्रदान करता है।

यह सुनने पर, अभिकर्ता सुन्दर के वर्तमान उत्पाद का और विवरण मांगता है। फिर वह उसकी जरूरतों का विश्लेषण करता है तथा गणना करके कहता है कि उसे और उच्च बीमा कवर की जरूरत है। वह सुन्दर को बताता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित उत्पाद में एक बन्दोबस्ती बीमा योजना भी है जो रु. 15,00,000 का बीमा धन प्रदान करेगी।

अभिकर्ता सुन्दर को वर्तमान बन्दोबस्ती पॉलिसी को समर्पित करने तथा उस राशि का उपयोग उसके द्वारा संस्तुत पॉलिसी में निवेश करने की सलाह देता है क्योंकि वह उच्च बीमा धन प्रदान करेगी। सुन्दर अन्त में अभिकर्ता के सुझाव से सहमत हो जाता है तथा नई योजना में निवेश कर देता है।

यह एक बीमा मंथन की स्थिति है क्योंकि :-

- बीमा अभिकर्ता सुन्दर को नहीं बताता है कि उच्च बीमा धन के लिए उसे उच्च प्रीमियम का भुगतान करना होगा;
- सुन्दर की आयु बढ़ चुकी है अतः समान अवधि के लिए प्रीमियम पहले से अधिक होगा; तथा
- सुन्दर को वर्तमान पॉलिसी समर्पित करने के लिए समर्पण प्रभारों को वहन करना होगा।

अतः बीमा अभिकर्ता ने अपने अल्प अवधि में अपने बीमा विक्रय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुन्दर को अच्छी सलाह नहीं दी जिसके परिणामस्वरूप सुन्दर को हानि हुई।

#### **द 4 ब कब उत्पाद जुड़ाव (बदलना) उपयुक्त होता है।**

कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ग्राहक को गलत (अनुपयुक्त) पॉलिसी बेची जाती है जो उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक द्वारा लिए गए उत्पाद का मौद्रिक मूल्य अच्छा नहीं हो।

जब ग्राहक वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रहा हो तथा उन्हें अपने व्यय कम करने की या अपने ऋणों को पुनः संयोजित करने की गंभीर जरूरत हो। इन परिस्थितियों में दुर्भाग्य से ग्राहक प्रायः वर्तमान पॉलिसियाँ निरस्त करवाना चाहता है तथा ऐसा स्वेच्छा से भी कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में अन्तिम सहारे के रूप में ग्राहक को किसी एक उत्पाद को समर्पण करने की सलाह देना तथा संभवतः किसी अधिक उपयुक्त विकल्प के लिए ऐसा करना स्वीकार्य हो सकता है। तथापि ऐसी सलाह केवल तभी देनी चाहिए जब एक उत्पाद से जुड़ाव ग्राहक के सर्वोत्तम हित में हो। फिर भी तब तक समर्पण या जुड़ाव का कोई सुझाव नहीं देना चाहिए जब तक अभिकर्ता ग्राहक को यह नहीं समझा देता कि परिवर्तन से वह क्या खो देगा या प्राप्त कर सकता है।

#### **प्रकरण—अध्ययन**

ओमी श्रीवास्तव एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए कार्य कर रहा 31 वर्षीय व्यक्ति है। ओमी विवाहित है तथा उसकी एक तीन वर्षीय पुत्री, दीपिका है उसकी पत्नी एक गृहिणी है। ओमी तथा उसका परिवार किराये के एक फ्लैट में रहते हैं तथापि कुछ समय बाद वह एक मकान खरीदने की योजना भी बना रहा है। वह डाऊन पेमेन्ट के लिए राशि संचय करने में लगा हुआ है लेकिन उसे कुछ सफलता ही मिली है। ओमी दीपिका की उच्च शिक्षा तथा विवाह के लिए भी निवेश शुरू करना चाहता है। अब से कुछ समय पहले से वह ऐसा करने की योजना बना रहा है लेकिन एक बार फिर इसकी शुरूआत करने में समर्थ नहीं होता है।

ओमी असमंजस में है। वह 23 वर्ष की उम्र से कार्य कर रहा है तथा गत आठ वर्षों में कई बीमा अभिकर्ता उससे सम्पर्क कर चुके हैं तथा कर बचत आड़ में उसे अनेक बन्दोबस्ती, अवधि एवं मनी-बैंक पॉलिसियों की गलत बिक्री कर चुके हैं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत नहीं थी। ओमी के पास छः जीवन बीमा पॉलिसियाँ हैं जिनका कुल वार्षिक प्रीमियम रु. 1,10,000 है। यह छः जीवन बीमा पॉलिसियाँ उसे कुल रु. 50 लाख की सुरक्षा प्रदान करती हैं। ओमी की आयु, उसकी आय सुरक्षा जरूरतों तथा उसकी अन्य जिम्मेदारियों (जैसे एक मकान खरीदना तथा दीपिका की शिक्षा तथा विवाह के लिए धन की बचत करना) को ध्यान में रखते हुए उसे कम से कम रु. 1 करोड़ के बीमा कवर की जरूरत है। साथ ही रु. 1,10,000 का वार्षिक प्रीमियम भी ओमी के नकद प्रवाह पर निम्नलिखित तरीके से जबरदस्त दबाव भी डालता है :—

- एक ऐसा बड़ा प्रीमियम भुगतान करने के बाद भी ओमी को वांछित राशि का बीमा कवर उपलब्ध नहीं है जिसकी उसे जरूरत है।
- इसके अतिरिक्त, बड़े प्रीमियम का भुगतान उसके अन्य अनिवार्य वित्तीय लक्ष्यों जैसे—एक मकान खरीदने तथा दीपिका की शिक्षा तथा विवाह के लिए निवेश करने की आवश्यकता को भी बाधित करता है।

एक दिन एक बीमा अभिकर्ता उससे सम्पर्क करता है जो उसकी वर्तमान निवेश तथा सुरक्षा आवश्यकताओं का पुनर्वालोकन कर आवश्यकतानुरूप वित्तीय योजना बनाता है। ओमी सहमत होता है तथा अभिकर्ता को सभी आवश्यक सूचना प्रदान करता है। बीमा अभिकर्ता ओमी के साथ तथ्य-अन्वेषण करता है तथा प्रारम्भिक विश्लेषण के सारांश के रूप में कहता है कि वह छः पॉलिसियाँ ओमी को वांछित सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं तथा वे उसके महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति में बाधा भी उत्पन्न करती हैं।

अभिकर्ता ओमी को निम्नानुसार करने की सलाह देता है :—

- दो मनी-बैंक पॉलिसियाँ जारी रखें जो अगले दो वर्षों में परिपक्व होने वाली हैं तथा उनके लिए प्रीमियम का निरन्तर भुगतान करें। वह उसे उन पॉलिसियों के परिपक्वता लाभों का उपयोग मकान के डाऊन पेमेन्ट करने के लिए सलाह भी देता है। एक बार वे पॉलिसियाँ जब परिपक्व हो जाएं तो उनके लिए किए जा रहे प्रीमियम राशि की बचत का उपयोग गृह ऋण के **EMI** भुगतान के लिए भी कर सकता है।
- अवधि पॉलिसी को सामान्य रूप चालू रखें। अभिकर्ता उसे रु. 75 लाख की एक और अवधि बीमा पॉलिसी लेने की सलाह देता है ताकि उसका कुल कवर रु. 1 करोड़ हो जाए।
- शेष तीनों बन्दोबस्ती पॉलिसियों को चुकता पॉलिसियों में परिवर्तित करा दे। प्रीमियम भुगतान न करने के कारण बचत की गई धनराशि का उपयोग दीपिका की शिक्षा तथा विवाह के लिए एक बाल योजना (यूनिट-लिंक्ड बीमा योजना) खरीदने में करें।
- निम्न अक्षुण्ठा अनुपात सम्पूर्ण बीमा उद्योग को विपरीत रूप से प्रभावित करता है।
- बीमा कम्पनी के लिए इसका आशय होगा कि विशाल संख्या में पॉलिसियाँ व्यपगत हुई या उनका समर्पण किया गया जिसके परिणामस्वरूप लाभ में कमी (हानि) तथा अधिशेष राशि में कमी होगी।

बीमा अभिकर्ता ओमी को उसके निवेशों को पुनर्व्यवस्थित करने के पक्ष तथा विपक्ष को दृष्टांतों द्वारा प्रदर्शित करता है।

वह उसे यह भी बताता है कि तीन बन्दोबस्ती पॉलिसियों को चुकता (ऐड-अप) कराने पर परिपक्वता तिथि तक धनराशि लॉक-इन हो जाएगी परन्तु वह इन तीन पॉलिसियों हेतु अपेक्षाकृत उच्च प्रीमियम भुगतान करने के दायित्व से मुक्ति पा जाएगा। अभिकर्ता ओमी को यूलिप के अन्तर्गत 15–20 वर्षों बाद प्राप्त होने वाले प्रतिफल का तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत करता है। अभिकर्ता जीवन बीमा परिषद् द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ दृष्टांत तैयार करके ओमी के समक्ष प्रस्तुत करता है।

ओमी को यह अहसास हो जाता है कि उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम उत्पादों के स्थान पर कर-बचत करने वाले उत्पादों का चयन कर उसने गलत निवेश किया था। वह इस अभिकर्ता द्वारा सुझाये गए उसकी आर्थिक सुरक्षा तथा वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम उत्पादों को अपनाने का निर्णय लेता है।

### **य. पॉलिसियों से दीर्घकाल तक जुड़े रहने तथा अल्प अवधि में निरस्तीकरण को टालने के लाभ (अक्षुण्टा)**

अक्षुण्टा का आशय व्यवसाय के उस परिमाण/मात्रा से है जिसे बीमा कम्पनियाँ बिना व्यपगमन तथा समर्पण हुए प्रभावी बनाए रखने में सफल होती है। इसकी गणना निम्न प्रकार से की जाती है:—

$$\text{अक्षुण्टा} = \frac{\text{वर्ष के अन्त में प्रभावी रहने वाली पॉलिसियों की संरचना}}{\text{वर्ष के प्रारम्भ में प्रभावी रहने वाली पॉलिसियों की कुल संख्या}}$$

उच्च अक्षुण्टा अनुपात बनाए रखने में अभिकर्ता महत्वपूर्ण योगदान करता है।

- अभिकर्ताओं के लिए इसका तात्पर्य नवीनीकरण कमीशन की हानि से है।

### **य 1 अक्षुण्टा के लाभ**

बीमा कम्पनी, अभिकर्ता तथा ग्राहक सभी पॉलिसियों को बनाये रखने तथा जल्दी समर्पण रोकने से लाभान्वित होते हैं।

लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राहक की मदद करती है।

परिपक्वता तक पॉलिसी को अस्तित्व में बनाये रखना ग्राहक की उन अंतिम लक्ष्यों जैसे बच्चों की शिक्षा तथा विवाह के खर्चों की पूर्ति करने तथा वाचित सेवानिवृत्ति निधि बनाने में मदद करता है जिसके लिए पॉलिसी ली गई थी।

राजस्व में वृद्धि होती है।

उच्च अक्षुण्टा बीमा कम्पनी की उच्च राजस्व अर्जन तथा लाभप्रदता बनाये रखने में मदद करती है।


लागत में कमी होती है।

बीमा कम्पनी के लिए पॉलिसी के प्रारम्भिक वर्षों में प्रशासनिक लागतों तथा अन्य व्यय उच्च होते हैं। कम्पनी इस लागत को पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि में वितरित करने का प्रयास करती है, यदि पॉलिसी के प्रारम्भिक कुछ वर्षों में ग्राहक पॉलिसी का समर्पण करता है तो बीमा कम्पनी अपने व्ययों की बसली करने में समर्थ नहीं होगी। अतः एक उच्च अक्षुण्टा अनुपात बीमा कम्पनी को लागते घटाने में मदद करता है।

ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होती है।

उच्च अक्षुण्टा से ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होती है जो कम्पनी को एक सकारात्मक ब्रांड मूल्य विकासित करने में मदद करती है।

य 2 वे कौनसे विभिन्न कारक हैं जो अक्षुण्टा को प्रभावित कर सकते हैं ?



हम बारी—बारी से इनमें से प्रत्येक कारक की चर्चा करेंगे।

#### ● उत्पाद डिजाईन

यदि ग्राहक अपनी पॉलिसी द्वारा प्राप्त होने वाले लाभों तथा प्रतिफलों से असन्तुष्ट होता है, तो वे उसे समर्पित करने का निर्णय ले सकते हैं। बीमा कम्पनियों को पॉलिसी के व्यपगमन एवं समर्पण से बचने के लिए अपने ग्राहकों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर उत्पादों को डिजाईन करना चाहिए।

#### ● ग्राहक की वित्तीय स्थितियों में परिवर्तन

ग्राहक की वित्तीय स्थितियों में बेरोजगारी, अपंगता या स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के कारण परिवर्तन हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप वे समय पर प्रीमियम का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होते हैं अतः पॉलिसी व्यपगत हो जाती है।

#### ● पॉलिसी सेवा प्रदान करना

बीमा अभिकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ग्राहकों से नियमित सम्पर्क बनाये रखें तथा जब—जब प्रीमियम देय हो जाता हो याद दिलाते रहें। उन स्थितियों में जब ग्राहक प्रीमियम का समय पर भुगतान करने में असमर्थ हो, तो अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियम का भुगतान करने के लिए कहना चाहिए। बीमाकर्ता को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिए गए वचनों के अनुसार वास्तव में लाभ प्रदान किए जाएं। यदि बीमाकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है, तो ग्राहक सेवा से असन्तुष्ट हो जाता है तथा पॉलिसी को समर्पित करने का चयन कर सकता है।

#### ● अभिकर्ताओं की भूमिका

अभिकर्ता उच्च अक्षुणता बनाये रखने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीमा अभिकर्ताओं को अपने ग्राहकों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने चाहिए तथा उन उत्पादों के

सुझाव पर जोर देना चाहिए जो ग्राहक की जरूरतों के लिए अधिकतम उपयुक्त हो तथा उसे अपने प्राप्त होने वाले कमीशन की राशि के आधार पर नहीं।

### य 3 उच्च अक्षुणता बनाये रखने की विभिन्न विधियाँ क्या हैं ?

किसी बीमा कम्पनी द्वारा उच्च अक्षुणता बनाये रखने के लिए उपयोग की जा सकने वाली विभिन्न विधियाँ निम्नानुसार हैं :-

#### प्रीमियम भुगतान में लोचनीयता

- ग्राहकों को प्रीमियम भुगतान की विभिन्न विधियों का विकल्प दिया जाना चाहिए जैसे, चैक, नकद, डिमान्ड ड्राफ्ट, राशि का ऑनलाइन स्थानान्तरण, इलैक्ट्रॉनिक वित्तयांत्रिक सिस्टम (**ECS**), क्रेडिट/डेबिट कार्ड, अधिकृत बीमा अभिकर्ताओं/सलाहकारों द्वारा प्रीमियम का एकत्रण, ई-सेवा केन्द्र आदि।

#### देय प्रीमियम तिथियों का नियमित रूप से रिमान्डर

- वार्षिक प्रीमियम भुगतान की दशा में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भुगतान तिथियों के मध्य लम्बे अन्तराल के कारण ग्राहक भूल सकता है। ग्राहकों को ई-मेल, डाक द्वारा रिमान्डर पत्र, टेलिफोन कॉल्स, एस एम एस/शब्दों के रूप में संदेश प्रेषण या इन सबके सम्मिलित उपयोग द्वारा अग्रिम तौर पर याद दिलाना चाहिए। बीमा कम्पनी ग्राहक के घर या ऑफिस से प्रीमियम चैक एकत्र करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेज कर एक संग्रहण सेवा भी प्रदान कर सकती है।

#### ग्राहकों से निरन्तर सम्पर्क

- अभिकर्ता को ग्राहकों के साथ उन्हें बाजार में नये आये उत्पादों की सूचना देने के माध्यम से ग्राहकों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहना चाहिए जो उनकी विभिन्न जरूरतों को पूरा करने हेतु खारीदे जा सकते हैं। अभिकर्ता का ग्राहक के साथ अच्छा सम्बन्ध विकसित करना महत्वपूर्ण होता है ताकि उच्च अक्षुणता बनायी रखी जा सके।

#### पॉलिसी सेवा प्रदान करना

- पॉलिसी सेवा प्रदान करने के माध्यम से ग्राहक के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखना चाहिए। यदि ग्राहक को किसी सहायता की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए नामित लाभग्राही में परिवर्तन करने के लिए, सम्पर्क सूच (पते) में परिवर्तन करने के लिए, प्रीमियम भुगतानों की आवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए आदि।

#### प्रश्न 10.2

विस्तार से समझाइये कि मंथन का तात्पर्य क्या है?

र ग्राहकों के अधिकार तथा शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया

जब कोई व्यक्ति बीमा योजना खरीदता है, तो उस समय बीमा कम्पनी द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों की वचनबद्धता के अनुसार लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको खरीदता है। जब ग्राहक पॉलिसी की अवधि के दौरान या परिपक्वता पर उन लाभों को प्राप्त नहीं करता है तथा सेवा से असन्तुष्ट हो या उसका कोई प्रश्न या समस्या हो जिसका समाधान नहीं किया जाए तो उसे शिकायत करने का अधिकार प्राप्त है।

बीमा कम्पनी तथा उनके अभिकर्ताओं के लिए स्पष्टतया यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है तथा अध्याय 14 में ग्राहक सुरक्षा के अन्तर्गत हम इस पर चर्चा करेंगे।

### प्रश्न 10.3


#### उच्च अक्षुणता के लाभ क्या है ?

#### ल ग्राहकों के साथ दीर्घ—अवधि सम्बन्ध बनाना

बीमा कम्पनियों का उद्देश्य अल्प अवधि विक्रय पर ध्यान देने के बजाय अपने ग्राहकों के साथ दीर्घ अवधि का सम्बन्ध बनाना होना चाहिए। एक सन्तुष्ट ग्राहक अन्य संभावित ग्राहकों का स्रोत होता है क्योंकि वे बीमा कम्पनी तथा अभिकर्ता के बारे में सकारात्मक (बातें करेंगे) सोच रखते हैं।

जब सुझाव दे दिया जाता है तथा तदनुसार समव्यवहार कर लिया जाता है, तो बीमा अभिकर्ता को विषय की समाप्ति नहीं समझना चाहिए। ग्राहक के साथ निरन्तर सम्बन्ध जारी रखना बहुत अच्छा तथा दोनों पक्षकारों के लिए लाभप्रद होता है। अतः कुछ अभिकर्ता अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों तथा वित्तीय योजनाओं की सतत समीक्षा करने की व्यवस्था करते हैं।

समीक्षाएँ अनियमित हो सकती हैं लेकिन सम्बन्धित घटनाओं जैसे कर या विधिक परिवर्तन, एक नये बीमा उत्पाद का परिचय या किसी ग्राहक की परिस्थितियों में परिवर्तन की स्थिति में आवश्यक होती है। एक समीक्षा घटनाओं से प्रेरित हो सकती है जैसे :



इन परिवर्तनों के लिए दिए जाने वाले सुझाव हो सकते हैं :—

- नई सुरक्षा संविदाएँ लागू (प्रभावी) कराना ;
- सुरक्षा के वर्तमान स्तर में वृद्धि ;
- निवेशों में बदलाव ;
- वर्तमान कर बचत योजनाओं में परिवर्तन ।

**इस पर विचार करें**

किसी ग्राहक की परिस्थिति में कौनसा विशिष्ट परिवर्तन उसकी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा की जरूरत उत्पन्न कर सकते हैं ?

इन परिवर्तित परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या सुझाव दिये जा सकते हैं ?

## मुख्य बिन्दु

### बीमा अभिकर्ता के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

- बीमा अभिकर्ता के मुख्य कर्तव्यों तथा दायित्वों में ग्राहक की जरूरतों को रेखांकित करना तथा उन जरूरतों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त उत्पाद की पहचान करना शामिल है। उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि इससे बीमाकर्ता के पक्ष में कोई विपरीत चयन न हो।

### ग्राहक की आवश्यकताएँ

- एक बार जब ग्राहक के लिए तथ्य-अन्वेषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, तो बीमा अभिकर्ता को उपयुक्त उत्पाद का सुझाव ग्राहक को देना होता है। ऐसा करने के लिए उसे ग्राहक की जरूरतों तथा आवश्यकताओं की पूर्ण समझ होनी चाहिए।

### अभिकर्ता का पारिश्रमिक तथा प्रकटन

- जीवन बीमा अभिकर्ता का पारिश्रमिक बीमा अधिनियम 1938 के विनियमों द्वारा नियन्त्रित होता है।
- जीवन बीमा अभिकर्ता अपना पारिश्रमिक कमीशन के रूप में प्राप्त करता है।
- किसी ग्राहक द्वारा अभिकर्ता से पूछे जाने पर कि बीमा प्रभावी कराने के लिए उसे कितना पारिश्रमिक या कमीशन मिलता है तो उसे इसका प्रकटन करना चाहिए।
- 1 जुलाई 2010 से सभी बीमाकर्ताओं को यूलिप योजनाओं के लाभ दृष्टान्त दस्तावेज में अभिकर्ताओं को दिये जाने वाले कमीशन को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा।

### उपयुक्त पॉलिसियों का सुझाव देना

- ग्राहक को पॉलिसियों के सुझाव देने से पूर्व, उसकी जरूरतों की सूची की जाँच करके इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि वे अब भी ग्राहक के लिए चिन्ता के विषय हैं। एक बार जब जरूरतों पर सहमति बन जाती है, तो ग्राहक को उपयुक्त उत्पाद के बारे में उसके लाभ सहित समझाना चाहिए।
- ग्राहकों को बार-बार एक पॉलिसी या निवेश से दूसरे में जुड़ने हेतु प्रेरित करना मंथन कहलाता है। यह अनुचित व्यवहार है तथा इससे बचना चाहिए।

**पॉलिसियाँ जारी रखने तथा अल्प-अवधि निरस्तीकरण को रोकने (अक्षुण्टा) के दीर्घ अवधि लाभ**

<ul style="list-style-type: none"> <li>अक्षुण्टा से तात्पर्य उस व्यवसाय से है जिसे बीमा कम्पनियाँ पॉलिसी व्यपगमन या समर्पण के बिना बनाये रखने में सफल होती है।</li> <li>उच्च अक्षुण्टा लाभप्रदता बनाये रखने तथा प्रशासनिक लागतें कम करने में मदद करती है।</li> </ul>
<b>ग्राहकों के अधिकार तथा शिकायत प्रक्रियाएँ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राहक को अपने बीमा अभिकर्ताओं तथा जीवन बीमा कम्पनियों की सेवाओं से असन्तुष्ट होने की स्थिति में शिकायत करने का अधिकार होता है।</li> </ul>
<b>ग्राहकों से दीर्घ अवधि सम्बन्ध बनाना</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>बीमा कम्पनियों का उद्देश्य अल्प अवधि विक्रय पर ध्यान देने के बजाय ग्राहकों से दीर्घावधि सम्बन्ध बनाना होना चाहिए।</li> </ul>

## प्रश्न—उत्तर

### 10.1

निम्न में से कोई तीन :

- बीमा कम्पनी को संभावित ग्राहक तथा उनकी विभिन्न जरूरतों की पहचान के लिए जरूरतों का विश्लेषण करना।
- बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तावित विभिन्न बीमा उत्पादों का पर्याप्त ज्ञान रखना तथा प्रत्येक उत्पाद के विभिन्न लाभों एवं विशेषताओं की समझ रखना।
- ग्राहकों को उनकी जरूरतों एवं निवेश क्षमता के अनुरूप उपयुक्त उत्पाद का सुझाव देना।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रस्ताव फार्म सही रूप से भरा गया है तथा ग्राहकों द्वारा दी गई सभी सूचनाएँ सही हैं।
- अनिवार्य दस्तावेजों जैसे आयु, पहचान तथा पते का प्रमाण, मेडिकल रिपोर्ट तथा बीमांकन के लिए किन्हीं अन्य आवश्यक दस्तावेजों को एकत्र करने का उत्तरदायित्व लेना।
- बीमा कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक बीमा योजना के लिए प्रभारित किये जाने वाले प्रीमियम तथा विभिन्न प्रभारों को ग्राहकों को प्रकट करना।
- विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद के सम्बन्ध में कमीशन की दर को प्रकट करना, यदि सम्भावित ग्राहक द्वारा इसके लिए पूछा जायें।
- पॉलिसीधारक को मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार से नोटिस देकर निर्धारित समय के भीतर प्रीमियमों का प्रेषण सुनिश्चित करना तथा ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करना, यदि ऐसा करने हेतु वे सम्बन्धित बीमाकर्ता द्वारा अधिकृत हों।
- अभिकर्ता की गोपनीय रिपोर्ट में किन्हीं गलत आदतों, आय विसंगति या अन्य किसी सारभूत तथ्य के बारे में सूचना प्रदान करके प्रस्तावक द्वारा प्रदर्शित जोखिम के आंकलन में जोखिमांककों की मदद करना।
- पॉलिसी दस्तावेज में किसी आवश्यक परिवर्तन जैसे पता, नामांकन आदि करने में ग्राहकों की मदद करना।
- दावा उत्पन्न होने पर निपटान प्रक्रिया में विधिक लाभग्राहिताओं या नामितों की सहायता करना।

**10.2**

ग्राहकों को बार-बार एक पॉलिसी या निवेश से दूसरे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना मंथन कहलाता है। बीमा मंथन एक व्यवहार है जिसमें अभिकर्ता सुझाव देते हैं कि ग्राहक अपनी वर्तमान पॉलिसी को समर्पित कर दे तथा प्राप्त राशि का उपयोग एक नई पॉलिसी को खरीदने में करें, ताकि अभिकर्ता को नई पॉलिसी पर उच्च कमीशन मिले। यह गैर व्यावसायिक एवं अनैतिक व्यवहार है जो ग्राहक को समर्पण प्रभारों तथा पॉलिसी को परिपक्वता तक जारी नहीं रखे जाने के कारण घटे हुए दीर्घ-अवधि लाभों के रूप में हुई हानि से पीड़ित करता है।

**10.3**

बीमा कम्पनी, अभिकर्ता तथा ग्राहक सभी पॉलिसियों को जारी रखने तथा अल्प अवधि के समर्पण रोकने से लाभ प्राप्त करते हैं :—

- **लक्ष्यों की प्राप्ति में ग्राहक की मदद**

परिपक्वता तक पॉलिसी को अस्तित्व में बनाये रखना ग्राहक के उन अति आवश्यक लक्ष्यों जैसे बच्चों के शिक्षा खर्चों तथा विवाह खर्चों की पूर्ति करना तथा वांछित सेवानिवृत्ति निधि बनाने में मदद करता है, जिसके लिए पॉलिसी ली गई थी।

- **राजस्व में वृद्धि**

उच्च अक्षुण्टा बीमा कम्पनी को उच्च राजस्व अर्जन तथा लाभप्रदता बनाये रखने में मदद करती है।

- **लागत में कमी**

पॉलिसी के आरम्भिक वर्षों में बीमा कम्पनी के लिए प्रशासनिक लागतें तथा अन्य व्यय उच्च होते हैं। कम्पनी इस लागत को पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि तक विस्तारित करती है, तभी बीमा कम्पनी अपने व्ययों की पूर्ति में समर्थ होती है। अतः एक उच्च अक्षुण्टा अनुपात बीमा कम्पनी को लागतें घटाने में मदद करता है।

- **ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि**

उच्च अक्षुण्टा से ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होती है जो कम्पनी के लिए एक सकारात्मक ब्राण्ड मूल्य विकसित करने में मदद करती है।

**स्व-परीक्षण प्रश्न**

1. किसी ग्राहक की परिस्थिति में उन परिवर्तनों को सूचीबद्ध करें जो उनकी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा की जरूरत उत्पन्न कर सकते हैं ?
2. किन परिस्थितियों में किसी अभिकर्ता द्वारा एक पॉलिसी का समर्पण करने का सुझाव दिया जा सकता है ?

आप अगले पृष्ठ पर इनके उत्तर पायेंगे।

**स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर**

1. निम्न में से कोई तीन :
  - विवाह
  - एक बच्चे का जन्म
  - नौकरी में परिवर्तन
  - मकान बदलना

2. निम्नलिखित परिस्थितियों में पॉलिसी समर्पण करने का सुझाव दिया जा सकता है :—

- ऐसी परिस्थितियाँ जब ग्राहक को गलत पॉलिसी बेची जाती है जो उनकी जरूरतों के अनुरूप नहीं होती है।
- ऐसा भी हो सकता है कि ग्राहक द्वारा उत्पाद लेते समय उसका वित्तीय मूल्य अच्छा नहीं हो।
- जब ग्राहक वित्तीय कठिनाईयाँ महसूस करता है तथा उसे अपने व्यय कम करने तथा ऋणों को पुनः संयोजित करने की गंभीर जरूरत हो।

# 11

## दावे

अध्याय सामग्री	पाठ्यक्रम अध्ययन परिणाम
क) एक मान्य दावे की आवश्यकता है	11.1
ख) एक दावा अमान्य क्यों होता है	11.2
ग) मृत्यु के बाद दावाकर्ता के कर्तव्य और दस्तावेजी सबूत	11.3, 11.4
घ) दावा निपटान	11.5
च) दावों में धोखाधड़ी	11.6, 11.7
छ) शून्य और शून्यकरणीय अनुबन्ध	11.8
अध्ययन के उद्देश्य	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आपको निम्नलिखित में सक्षम होना चाहिए :	
दावे को परिभाषित करना	
विभिन्न प्रकार के दावों की पहचान करना	
मान्य दावों की औपचारिकताओं पर चर्चा करना	
अमान्य दावों की पहचान करना	
मृत्यु दावा निपटान के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाना	
शीघ्र मृत्यु दावों का वर्णन करना	
परिपक्वता, विद्यमानता हित लाभ और मृत्यु दावा निपटान की प्रक्रिया की व्याख्या करना	
दावों के निपटान से संबंधित आईआरडीए के दिशा निर्देशों को याद रखना	
धोखाधड़ी वाले दावों को निपटाने के परिणामों को बताना	
शून्य और शून्यकरणीय अनुबन्ध के बीच के अंतर को समझाना	
जीवन बीमा में निर्विवादिता खंड को समझाना	

## परिचय

जीवन बीमा खरीदने का निर्णय लेते समय, ग्राहक कई कारकों को ध्यान में रखेगा। इन में शामिल हैं:

- उत्पाद के मूल्य
- उत्पाद की विशेषताएँ
- अन्य बीमा और निवेश उत्पादों की तुलना में उत्पाद द्वारा प्रदान की जाने वाली आय
- योजना अवधि, प्रीमियम भुगतान, नकदीकरकण आदि के संदर्भ में प्रस्तुत लचीलापन उत्पाद से प्राप्त होने वाले टैक्स लाभ
- कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा का स्तर

यह सभी कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू जिसपर कुछ लोग ही ध्यान देते हैं, वह है कि बीमा कंपनी किस प्रकार से दावे को स्वीकारती और निबटाती है। एक पॉलिसीधारक के जीवनकाल के दौरान किसी बीमा उत्पाद में क्या कुछ अच्छा है अगर नामित/लाभार्थी/ समनुदेशिती को बीमा कंपनी से उचित समय में और आसानी से दावे प्राप्त नहीं होते? बीमा कंपनी और बीमा पॉलिसी की असली परीक्षा तब होती है, जब पालिसी में दावा उत्पन्न होता है। लोग बीमा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे दुर्भाग्य की संभावना को लेकर चिंतित रहते हैं। अधिकतर व्यक्तियों द्वारा बीमा का मूल्य, अंततः उनके दावे को किस प्रकार से निपटाया जाता है इसपर आंका जाता है।

हालांकि, आईआरडीए द्वारा दावे निपटाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, लेकिन यह प्रत्येक कंपनी और दावा निपटाने वाले उनके कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि जब भी कोई दावा उत्पन्न होता है तो वे इसे कैसे शीघ्रता और कुशलता से निपटाते हैं। दावा निपटान अनुपात ( सूचित किये गये हर 100 दावों में से कितने दावे निपटाये गये ) भी एक मानक है जिस पर एक बीमा कंपनी को परखा जाता है। इसलिए, दावों को स्वीकारना और निपटाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है।

इस अध्याय में, आप एक बीमा एजेंट के रूप में, दावों के बारे में सभी आवश्यक बातों जैसे उनके प्रकार और उनके निपटारे के विषय में सीखेंगे। आप मान्य और अमान्य दावों के विषय में

और जब आपके ग्राहक की पॉलिसी में दावा उत्पन्न होता है तो आपको क्या करना चाहिये, इस विषय में सीखेंगे।

महत्वपूर्ण शब्दावली		
इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दावली और अवधारणाओं का स्पष्टीकरण दिया गया है:		
दावा	परिपक्वता दावे	विद्यमानता हित लाभ भुगतान
मान्य दावा धोखाधड़ी वाले दावे	पॉलिसी जो लागू नहीं निष्प्रभावी दावे	पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन
दावा दस्तावेज सम्पूरक लाभ	शीध्र मृत्यु दावा	मृत्यु का अनुमान
शून्यकरणीय अनुबंध	निर्विवादित अनुबंध	दावेदार का बयान

प्रीमियम की वापसी (आरओपी) टर्मिनल बोनस

## ए एक मान्य दावे की औपचारिकताएँ

एक मान्य दावा के लिए औपचारिकताओं पर चर्चा करने से पहले हम यह देखेंगे कि एक दावा क्या है और दावों के विभिन्न प्रकार क्या हैं।

### ए1 दावा क्या है?

दावा एक मांग है कि संबंधित बीमा कंपनी, अनुबंध में किए गए वादे को निभाए। फिर, यह सुनिश्चित कर लेने पर कि दावे के निपटान के लिए सभी शर्तों और औपचारिकताओं का पालन किया गया है, बीमा कंपनी को अनुबंध में उसके लिये निर्धारित किये गये कार्य करने होते हैं, इसको दावे का निपटारा कहते हैं। इस खंड में हम तीन मुख्य प्रकार के दावों पर विचार करेंगे – परिपक्वता दावा, मृत्यु दावा और राइडर लाभ।

### ए2 परिपक्वता दावा

कुछ जीवन बीमा योजनाएं जैसे बंदोबस्ती योजना और आजीवन योजना में, योजना के पूरा होने पर बीमित को एक निर्धारित राशि का भुगतान करने का वादा शामिल रहता है, यदि वे इन योजनाओं की पूरी अवधि तक जीवित रहते हैं। इस राशि को परिपक्वता लाभ राशि या परिपक्वता दावा राशि के रूप में जाना जाता है। परिपक्वता पर देय राशि की गणना, बीमित राशि में जो भी निहित बोनस हो उसे जोड़ कर उसमें से बकाया प्रीमियम यदि हो तो, और ब्याज को घटाकर की जाती है।

कुछ मामलों में, योजना की अवधि के दौरान भुगतान किये गये प्रीमियम को योजना की परिपक्वता पर, लौटा दिया जाता है। कुछ बीमा कंपनियों द्वारा इस योजना को 'प्रीमियम की वापसी' (आरओपी) कहा जाता है।

## उदाहरण

अजय ने एक बंदोबस्ती योजना खरीदी है जिसकी बीमित राशि ₹0 25 लाख है और यह 30 वर्षों तक चलेगी। इस योजना की शर्तों के अनुसार, यदि अजय 30 वर्ष के अंत तक जीवित रहता है और सभी प्रीमियमों का भुगतान करता है तो बीमा कंपनी उसे निहित बोनस के साथ (यदि कोई हो), परिपक्वता लाभ राशि या परिपक्वता दावे के रूप में ₹0 25 लाख का भुगतान करेगी।

परिपक्वता पर बीमा कंपनी, अजय को अर्जित बोनस के साथ एक बार देय टर्मिनल बोनस(जो हर वर्ष घोषित दर के अनुसार दिया जाता है) का भुगतान भी कर सकती है। यह बोनस, पॉलिसीधारक को प्रोत्साहित करने के लिए होता है ताकि वह पॉलिसी को पूरी अवधि के लिए जारी रखे और प्रीमियम का नियमित रूप से समय पर भुगतान करता रहे।

टर्मिनल बोनस को अंतिम अतिरिक्त बोनस (एफएबी) या लॉयल्टी या परसिस्टेन्सी बोनस के रूप में भी जाना जाता है। कुछ बीमा कंपनियों द्वारा यह पॉलिसी की शुरुआत में निर्धारित किया जा सकता है या वैकल्पिक रूप से यह पॉलिसी की अवधि में बीमा कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। यह एक निर्दिष्ट अवधि (आमतौर पर कम से कम 15 वर्ष) के दौरान प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से किये जाने की दशा में दिया जाता है।

बीमा कंपनी, यूलिप में, योजना अवधि के अंत में, निधि मूल्य (या कुछ निधि मूल्य और बीमा राशि), परिपक्वता दावे के रूप में, या धन-वापसी पॉलिसी में, पॉलिसी की अवधि के दौरान प्राप्त उत्तरजीविता लाभ को घटाकर भुगतान करती है।

## ए2ए उत्तरजीविता लाभ भुगतान

धन—वापसी पॉलिसियों के लिए बीमा कंपनी, पॉलिसी की अवधि के दौरान, विशिष्ट अवधि के बाद पॉलिसीधारक को निर्धारित भुगतान करती है। इन भुगतानों को उत्तरजीविता लाभ के रूप में जाना जाता है।

### उदाहरण

अजय ने 20 साल के लिए ₹0 20 लाख की बीमित राशि की एक धन—वापसी पॉलिसी खरीदी है, जो प्रत्येक पांच वर्ष बाद, उत्तरजीविता लाभ के रूप में, बीमा राशि का 25% का भुगतान करने का वादा करती है। इस मामले में बीमा कंपनी अजय को 5, 10, 15 और 20 साल के अंत में प्रत्येक बार ₹0 5 लाख का भुगतान, उत्तर जीविता लाभ के रूप में करेगी। अगर पॉलिसी, एक सहभागिता पॉलिसी है तो बीमा कंपनी, 20वें वर्ष के अंत में, अंतिम भुगतान के साथ, निहित बोनस का भुगतान भी करेगी।

### इस पर विचार करें

एक उत्तरजीविता दावा किस प्रकार से परिपक्वता दावे से भिन्न है ?

## ए2बी घटी हुई बीमा राशि (चुकता मूल्य)

कभी कभी, किसी पॉलिसी की अवधि के दौरान पॉलिसीधारक को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और वह प्रीमियम भुगतान जारी रखने की स्थिति में नहीं भी हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में, पॉलिसी को समर्पण करने के बजाय पॉलिसीधारक के पास उसे चुकता मूल्य में बदलने का विकल्प होता है। ऐसी पॉलिसी के परिपक्व होने पर बीमा कंपनी द्वारा, आनुपातिक रूप से घटी हुई बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

## ए2सी बट्टा दावे

बट्टा दावे वे विकल्प हैं जिनका प्रयोग, पॉलिसीधारक पॉलिसी की परिपक्वता की तारीख से एक वर्ष के भीतर करता है।

## ए2डी किष्टों का नकदीकरण

वार्षिकी योजनाओं के लिए, नियमित/सावधिक वार्षिकी भुगतान प्राप्त करने से पहले, एक मुश्त राशि निकाल सकता है। इसे नकदीकरण के रूप में जाना जाता है। आम तौर पर बीमा

कंपनियाँ किसी व्यक्ति को संचित निधि के एक तिहाई भाग की निकासी के लिए अनुमति देती हैं। संचित निधि का शेष दो तिहाई भाग, व्यक्ति के लिए वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

## ए2ई वार्षिकी निहित होने पर भुगतान

बीमा कंपनी द्वारा वार्षिकियों के मामले में, निहित होने पर, वार्षिकी ग्राही को नियमित वार्षिकी भुगतान शुरू किया जाता है। यह भुगतान मासिक, त्रैमासिक, अर्द्ध वार्षिक अथवा वार्षिक होगा जो योजना के नियमों और शर्तों पर निर्भर करता है।

## ए3 मृत्यु दावे

एक मृत्यु दावा वह है जहां योजना की अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु पर जीवन बीमा कंपनी उसके द्वारा नामांकित/लाभार्थी व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान करती है। आजीवन पॉलिसियों में, मृत्यु पर बीमा राशि का भुगतान किया जाता है, मृत्यु चाहे जब भी हो यानी कोई तय समयावधि नहीं होती है। अगर सहभागिता पॉलिसी है तो बीमा कंपनी तब तक निहित बोनस का भी भुगतान करेगी। अगर पॉलिसीधारक द्वारा कोई ऋण लिया गया है तो ऋण, ब्याज और बकाया प्रीमियम और ब्याज, यदि हो, को काट कर दावा राशि का भुगतान किया जाता है।

## उदाहरण

अजय ने 20 साल के लिए ₹0 25 लाख बीमित राशि का बीमा खरीदा है। पॉलिसी के 13वें साल में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में बीमा कंपनी, अजय द्वारा नामित/लाभार्थी व्यक्ति को ₹0 25 लाख की बीमा राशि का भुगतान, मृत्यु दावा के रूप में करेगी।

## ध्यान रखें

यूलिप के मामले में, यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी, बीमित राशि या निधि मूल्य, जो भी अधिक हो ( या कुछ बीमा कंपनियों, शर्तों के अनुसार, निधि मूल्य और बीमा राशि दोनों ) का भुगतान करती है।

- ऐसी भी कुछ पॉलिसियों हैं जिनमें मृत्यु पर बीमित राशि का भुगतान, नहीं किया है बल्कि पॉलिसी लेते समय, बीमित द्वारा निर्धारित तिथि पर भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब पॉलिसी लेने का उद्देश्य बेटी की शादी या बेटे की उच्च शिक्षा

के लिए एक मुश्त राशि प्राप्त करना है वहाँ बीमित राशि का भुगतान बीमित की मृत्यु पर नहीं बल्कि निर्धारित तिथि पर भुगतान देय होता है। उदाहरण के लिए:

- जब पुत्र/पुत्री 18 या 21 वर्ष की आयु के हो जाएंगे।

निसंदेह, यह पॉलिसी के नियम और शर्तों और प्रस्तावक द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार होता है।

#### ए4 राइडर लाभ

बीमा कंपनी द्वारा, एक राइडर के तहत, किसी निर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, राइडर के नियमों और शर्तों के अनुसार, भुगतान किया जाता है। उदाहरण के लिए:

दुर्घटना से मृत्यु होने पर लाभ (एडीबी) संबंधी राइडर के तहत, दुर्घटना से बीमित की मृत्यु की स्थिति में, बीमित को बीमाधन के बराबर एक अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।

गंभीर बीमारी (सीआई) संबंधी राइडर के तहत, किसी गंभीर बीमारी का पता लगाने की स्थिति में, राइडर के नियमों और शर्तों के अनुसार, एक निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। वह बीमारी, बीमा कंपनी द्वारा निर्दिष्ट सीआई की सूची में शामिल होनी चाहिए (यह सूची अलग-अलग बीमा कंपनियों में अलग-अलग हो सकती है)।

अस्पताल में देखभाल संबंधी राइडर के तहत, बीमित के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में, बीमा कंपनी, राइडर के नियमों और शर्तों के अधीन, बीमित के उपचार की लागत का भुगतान करती है।

राइडर संबंधी अपने ज्ञान को ताजा करने के लिए अध्याय 7, अनुभाग B3 को पढ़ें।

#### ए5 मान्य दावा

बीमा कंपनी जब एक दावे की सूचना प्राप्त करती है, तो वह भुगतान करने से पहले, यह सुनिश्चित करना चाहेगी कि दावा मान्य हो। इस कार्य के लिए, बीमा कंपनी निम्नलिखित की जाँच करेगी :

- क्या घटना होने के समय बीमा पॉलिसी प्रभावी थी ?
- क्या बीमित घटना घटित हुई है ?

- क्या पॉलिसी के मूल दस्तावेज, पूर्ण रूप से भरे दावा प्रपत्र तथा अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं?
- क्या पॉलिसीधारक ने आयु और पॉलिसी से संबंधित अन्य प्रासंगिक तथ्यों का प्रकटन किया है? बीमा कंपनी द्वारा दावा निपटान की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, इनकी जांच की जाएगी।

## उदाहरण

बीमा कंपनी जांच करेगी कि पॉलिसीधारक ने अपनी सही आयु की घोषणा की है और उसकी पुष्टि के लिये मान्य आयु प्रमाण दिया है। अगर यह एक शीघ्र दावा है ( पॉलिसी खरीदने या पॉलिसी के पुनर्जीवीकरण के 2 से 3 साल के भीतर मृत्यु हो जाती है) तो बीमा कंपनी यह जांच करेगी कि बीमा को बेहतर शर्तों पर पाने के लिए, बीमित द्वारा किसी प्रासंगिक/सारवान तथ्य को छुपाया तो नहीं गया है, उदाहरण के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में या पहले से मौजूद बीमारी। यदि आप प्रासंगिक/सारभूत तथ्यों के अपने ज्ञान को ताज़ा करना चाहते हैं तो अध्याय 3, भाग 1 में इन पर की गयी चर्चा को देखें।)

- क्या दावा सही व्यक्ति(यों) द्वारा किया गया है अर्थात् वह व्यक्ति दावा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं ? यह व्यक्ति नामित, विधिक उत्तराधिकारी या समनुदेशिती हो सकता है।
- क्या एक दावे के मान्य होने के लिए आवश्यक अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं?

## सुझाव

अपने परिवार या दोस्तों से पता करें कि उनमें से किसी ने, किसी जीवन बीमा कंपनी पर दावा किया है। उनसे दावों की प्रक्रिया और दावा निपटाने के लिए प्रस्तुत किये गये आवश्यक दस्तावेजों के बारे में पूछें।

## प्रश्न 11.1

दावे के तीन मुख्य प्रकार क्या हैं?

**बी एक दावा अमान्य क्यों हो सकता है**

जब बीमा कंपनी अपनी जांच पूरी कर लेती है तो वह ये निष्कर्ष निकाल सकती है कि उसे दावे के भुगतान की जरूरत नहीं है क्योंकि, दावा अमान्य है। तीन मुख्य परिस्थितियों में यह संभव है:

<p><b>पॉलिसी चालू नहीं है:</b></p>	<p>यदि घटना के समय पॉलिसी चालू नहीं है तो बीमा कंपनी दावे को अस्वीकार कर देगी</p>	<p>उदाहरण: अजय ने 20 साल के लिए एक अवधि बीमा योजना ली है। वह हर साल पहली अप्रैल को वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करता है। तीसरे साल में उसे एक गंभीर दिल का दौरा पड़ता है। अस्पताल के बड़े बिल की वजह से वित्तीय समस्याओं के कारण, अजय के लिए समय पर प्रीमियम का भुगतान करना संभव नहीं होता है। उसकी वित्तीय समस्याएं उम्मीद से अधिक लंबे समय तक चलती रहती हैं और वह अनुग्रह अवधि के दौरान भी प्रीमियम का भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पाता। अजय का स्वास्थ्य कमजोर होता जाता है और 15 मई को उसकी मृत्यु हो जाती है। अजय द्वारा नामांकित व्यक्ति बीमा कंपनी में दावा</p>
------------------------------------	---	--

		<p>प्रस्तुत करता है लेकिन कंपनी दावा खारिज कर देती है क्योंकि प्रीमियम का भुगतान, अनुग्रह अवधि के दौरान भी, न होने के कारण, पॉलिसी लागू नहीं थी।</p>
अपवर्जित शर्त लागू होना:	यदि पॉलिसी के तहत आवरित जोखिमों के कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से मृत्यु होती है तो दावा नहीं मिलेगा।	उदाहरण: बीमा पॉलिसियाँ, पहले वर्ष के दौरान आत्महत्या से हुई मृत्यु को दावे की सीमा से बाहर रखती हैं, इसलिए उस पॉलिसीधारक को, जो पॉलिसी के पहले वर्ष में आत्महत्या कर लेता है, मृत्यु दावा बीमा कंपनी द्वारा खारिज कर दिया जाएगा।
धोखाधड़ी पूर्ण दावा:	यदि, जांच के दौरान, बीमा कंपनी को पता चलता है कि बीमित द्वारा जान – बूझकर किसी प्रासंगिक / सारभूत तथ्य को छुपाया गया है तो वह बीमा दावा को अस्वीकार कर देंगी।	उदाहरण: यदि बीमा कंपनी को पता चलता है कि पॉलिसी लेने के समय बीमित द्वारा बतायी गयी आयु गलत है या बीमित किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित था जिसे उसने जान – बूझकर प्रकट नहीं किया है तो बीमाकर्ता, गलत बयान के आधार पर

		दावा अस्वीकार कर सकते हैं।
--	--	----------------------------

## सुझाव

इंटरनेट से खोजकर कुछ ऐसे जीवन बीमा मामलों के बारे में पता लगाईये जिनमें बीमा कंपनी द्वारा दावा इसलिए खारिज कर दिया गया हो क्योंकि उनके विचार से दावा विभिन्न कारणों से अमान्य था। उन मामलों का अध्ययन करें।

### सी मृत्यु उपरान्त दावेदार के कर्तव्य और दस्तावेजी साक्ष्य

जाहिर है, जब तक बीमा कंपनी को मृत्यु के बारे में पता नहीं चलेगा, वह बीमा राशि का भुगतान नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि बीमित की मृत्यु के बाद बीमा कंपनी को सूचित किया जाय। यह सूचना, नामित व्यक्ति, समनुदेशिती, रिश्तेदार, व्यक्ति के नियोक्ता, या बीमा एजेंट द्वारा भेजी जा सकती है। हालांकि, मृत्यु की सूचना मात्र पर्याप्त नहीं है – बीमा कंपनी को प्रमाण की आवश्यकता होगी, केवल इस बात का ही नहीं है कि वास्तव में मृत्यु हुई है बल्कि इस बात का भी कि बीमा कंपनी द्वारा मृत व्यक्ति के जीवन का बीमा किया गया था। इसलिए, दावेदार का अगला कर्तव्य है कि वह ये सुनिश्चित करे कि बीमा कंपनी को निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त हों जाएः:

- पॉलिसी दस्तावेज़ ( खोई पॉलिसियों पर अनुभाग ई देखें)
- समनुदेशन/पुर्णसमनुदेशन के अभिलेख : अगर पॉलिसी समनुदेशित की जा चुकी है तो बीमा कंपनी को इसका पता होना चाहिए जिससे वह सही व्यक्ति को भुगतान कर सकें। (समनुदेशन पर अपने ज्ञान को ताज़ा करने के लिए अध्याय 3, भाग 2, भाग एच 4 बी को पढ़े।)
- आयु का प्रमाण, यदि पहले से आयु स्वीकार नहीं की गयी है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र (मृत्यु का साक्ष्य)
- दावेदार के बयान
- एकल-स्वामित्व के विधिक साक्ष्य, यदि पॉलिसी को समनुदेशित या नामांकित नहीं किया है।

- बीमा कंपनी के द्वारा भेजा गया डिस्चार्ज फार्म, निष्पादन और प्रमाणन के साथ बीमा कंपनी को लौटाना चाहिए।

## **सी1 शीघ्र मृत्यु दावे**

यदि दावा जोखिम प्रारंभ या उसके पुनरुज्जीवन की तारीख से तीन साल के भीतर होता है, तो सामान्य रूप से बीमा कंपनियाँ इसे शीघ्र मृत्यु दावे के रूप में वर्गीकृत करती हैं। ऐसे मामलों में बीमा कंपनियाँ एक विस्तृत जांच करती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रस्ताव/पुनरुज्जीवन के समय कोई सारभूत तथ्य छुपाया तो नहीं गया है, बीमा कंपनियाँ, अतिरिक्त दस्तावेज की मांग कर सकती हैं। इन दस्तावेजों में शामिल हैं:

- पिछले चिकित्सा अधिकारी, जिसने मृत्यु से पहले मृतक का इलाज किया हो, उसकी रिपोर्ट जिसमें मृतक की बीमारी और किये गये इलाज के विषय में जानकारी हो।
- अस्पताल के चिकित्सक का बयान, यदि मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था
- उस व्यक्ति का बयान जिसने मृतक के अंतिम संस्कार में भाग लिया था और शव को देखा था
- मृतक द्वारा ली गयी छुट्टियों की जानकारी देते हुए नियोक्ता का बयान (यदि मृतक सेवारत था)

अगर बीमित व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु होती है, जैसे दुर्घटना में, आत्महत्या या किसी अज्ञात कारण से, तो निम्नलिखित दस्तावेजों को भी देखा जाएगा :

- पुलिस को की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)
- पंचनामा (जांच)
- फोरेंसिक रिपोर्ट
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और
- कोरोनर की रिपोर्ट

प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर, एक विशेष जांच का आदेश दिया जा सकता है।

## उदाहरण

अजय ने, पच्चीस लाख रुपये के कवर के लिए 25 साल की अवधि के लिए, एक बंदोबस्ती बीमा योजना खरीदी है। आइये देखें कि कैसे विभिन्न परिदृश्यों में दावों को देखा जाएगा :

क) पॉलिसी खरीदने के पहले तीन वर्षों के भीतर अजय की मृत्यु हो जाती है। जीवन बीमा कंपनी द्वारा उनकी मृत्यु को शीघ्र मृत्यु दावा माना जाएगा। बीमा कंपनी, दावा निपटाने से पहले, सामान्य से अधिक विस्तृत जांच करती है। सामान्य आवश्यक दस्तावेजों और पूर्ण दावा प्रपत्र की जांच करने के अतिरिक्त, दावा निपटाने के लिए, बीमा कंपनी, मृत्यु से पहले अजय का इलाज करने वाले अंतिम चिकित्सक से जानकारी ले सकती है।

ख) अजय, सभी प्रीमियम का नियमित रूप से समय पर भुगतान करता है और पॉलिसी के 7 वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। जीवन बीमा कंपनी द्वारा उनकी मृत्यु को एक सामान्य दावा के रूप में माना जाएगा। अजय द्वारा नामांकित व्यक्ति/विधिक उत्तराधिकारी को पूर्ण रूप से भरे दावा प्रपत्र के साथ दस्तावेजों के नियमित सेट प्रस्तुत करने होंगे। बीमा कंपनी, विस्तृत जांच करे बिना, उचित समयावधि में दावा निपटान करेगी, बशर्ते दावा वैध हो।

ग) अजय, पॉलिसी के 5वें वर्ष में प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है और पॉलिसी लैप्स हो जाती है। वह पॉलिसी के 6वें साल में पॉलिसी को पुनरुज्जीवित कराता है और पॉलिसी के 7 वें वर्ष में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दावे को सामान्य मृत्यु दावे से अलग माना जाएगा। हालांकि, पॉलिसी के 7वें वर्ष में उसकी मृत्यु होती है परन्तु जीवन बीमा कंपनी अभी भी इसे शीघ्र मृत्यु दावे के रूप में मानेगी क्योंकि अजय की मृत्यु, पॉलिसी के पुनरुज्जीवन के एक वर्ष के अन्दर हुई है। बीमा कंपनी, परिदृश्य क) के समान, दावा निपटाने से पहले सामान्य से अधिक विस्तृत जांच करेगी।

## प्रष्न 11.2

मृत्यु दावे की पुष्टि में आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

### डी दावा निपटान

खंड अ में हमने परिपक्वता और मृत्यु दावों के विषय में जाना और इस खंड में हम और अधिक विस्तार से देखेंगे कि कैसे इन दावों को निपटाया जाता है। तथापि ऐसा करने से पहले, हम आईआरडीए द्वारा दावे निपटाने हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों पर विचार करेंगे क्योंकि ये दावा निपटान के लिए आधार प्रदान करते हैं।

## डी 1 दावा निपटान के संबंध में आईआरडीए के दिशा निर्देश

इस अध्याय के परिचय में हमने देखा कि आईआरडीए ने दावों के निपटान के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं। यह आईआरडीए ( पॉलिसीधारकों के हितों का सरक्षण) विनियम 2002 में उल्लिखित हैं जो इस प्रकार हैं।


### जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों की प्रक्रिया

1. आम तौर पर जीवन बीमा कंपनी किसी जीवन बीमा पॉलिसी में दावे की पुष्टि के लिये दावेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित प्राथमिक दस्तावेज की जानकारी देगी।
2. जीवन बीमा कंपनी, दावा प्राप्त होने पर, विलम्ब किये बिना दावा प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी। कोई भी प्रश्न या अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता, जहां तक संभव हो, टुकड़ों में नहीं बल्कि एक साथ, दावे की प्राप्ति के 15 दिनों की अवधि के भीतर मांगी जाएगी।
3. जीवन बीमा पॉलिसी के तहत सभी प्रासंगिक दस्तावेज और आवश्यक स्पष्टीकरण की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, या तो दावे का भुगतान किया जाएगा अथवा सभी प्रासंगिक कारणों को बताते हुए दावा विवादित होने की जानकारी दी जाएगी। जहां, बीमा कंपनी के विचार से किसी दावे की जांच की आवश्यकता है, तो ऐसी जांच को जल्द से जल्द शुरू करके पूर्ण किया जाएगा, जो किसी भी मामले में, दावा दर्ज कराने के समय से 6 महीने से अधिक नहीं होगा।
4. अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीन, जब दावा भुगतान स्वीकृत कर लिया गया है लेकिन किन्हीं कारणों से, आदाता की समुचित पहचान न होने के कारण, भुगतान नहीं किया जा सकता तो जीवन बीमा कंपनी आदाता के लाभ के लिए राशि को सुरक्षित रखेगी और इस तरह की राशि पर किसी अनुसूचित बैंक के बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा ( सभी कागजात और जानकारी के प्रस्तुत किये जाने के 30 दिन के बाद प्रभावी)।
5. जहाँ उप विनियमन (4) द्वारा कवर किये गये कारणों के अतिरिक्त अन्य कारणों से बीमा कंपनी की ओर से दावा निबटान प्रक्रिया में विलम्ब होता है तो जीवन बीमा कंपनी, उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत में (जिसमें दावे की समीक्षा की गयी है) दावा राशि पर, प्रचलित बैंक ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज का भुगतान करेगी।

अब जब हमने सभी दावों के निपटान की रूपरेखा समझ ली है, हम आगे, विभिन्न दावों के प्रकारों पर विचार कर सकते हैं।

## डी 2 परिपक्वा दावा

सामान्य रूप से परिपक्वता दावों पर बीमा कंपनी स्वयं ही कार्यवाही शुरू करती है। वह अपने रिकॉर्ड के आधार पर हर माह सामान्य रूप से परिपक्व होने वाली पॉलिसियों से संबंधित सूचना अग्रिम रूप से बीमित व्यक्ति को भेज देते हैं। तब बीमित व्यक्ति अनुभाग स में वर्णित कार्यवाही करता है। फिर भुगतान करने से पहले, बीमा कंपनी खुद को संतुष्ट करेगी कि



बीमा कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह परिपक्वता तिथि पर भुगतान करें। आमतौर पर परिपक्वता की तारीख से कुछ दिनों पूर्व उत्तर दिनांकित चेक, पहले भेजे जाते हैं, बशर्ते हस्ताक्षरित उन्मोचन बाउचर प्राप्त हो गया हो।

अगर पॉलिसी की खोने की सूचना दी गयी है, तो बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति अनुबंध (अनुभाग ई देखें) के आधार पर निपटान कर सकता है। यह इसलिए संभव है क्योंकि पॉलिसी के तहत आगे कोई दायित्व नहीं बचते हैं।

## समनुदेशित पॉलिसियों

### ध्यान रखें

परिपक्वता दावो के मामले में, दावा भुगतान समनुदेशिती को किया जाएगा।

अगर समनुदेशन सशर्त है, जिसके अंतर्गत परिपक्वता पर पॉलिसीधारक के पक्ष में स्वत्वाधिकार लौटता हो तो बीमा कंपनी पॉलिसीधारक को भुगतान कर सकती है। फिर भी, यह विवेकपूर्ण होगा कि पहले यह जाँच कर लें कि समनुदेशिती पर कोई बकाया तो नहीं है।

### ध्यान रखें

**निपटान विकल्पः** कुछ परिपक्वता दावे ( उदाहरण के लिए यूलिप के मामले में ) पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गयी परिपक्वता की तारीख पर देय न होकर बाद में और किश्तों में, एक मुश्त राशि के रूप में नहीं, देय होते हैं। इसे निपटान विकल्प के रूप में जाना जाता है। पॉलिसीधारक को यह विकल्प, पॉलिसी परिपक्व होने से पहले, अग्रिम रूप में चुनना पड़ेगा। जबकि, निपटान का निर्णय परिपक्वता की तारीख से पहले लिया जा सकता है, निपटान की प्रक्रिया, परिपक्वता तारीख के बाद कुछ वर्षों तक जारी रहेगी।

### डी 3 उत्तरजीविता लाभ के भुगतान

उत्तरजीविता लाभ के भुगतान की प्रक्रिया परिपक्वता दावों के भुगतान के समान है। बीमाकर्ता द्वारा कार्यवाही शुरू की जाएगी और उत्तर दिनांकित चेक अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे।

यदि पॉलिसी खोने की सूचना मिले तो डुप्लीकेट पॉलिसी जारी की जा सकती है जिसपर उत्तरजीविता लाभ के भुगतान विवरण को पृष्ठांकित किया जाएगा। धोखाधड़ी के दावों पर आगे अनुभाग ई देखें।

### डी 4 मृत्यु के दावे

पहले दो प्रकारों के दावों के विपरीत, यहाँ दावेदार द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाती है जो बीमा कंपनी को बीमित की मृत्यु की सूचना देगा। तब बीमा कंपनी, प्रासंगिक दस्तावेजों (अनुभाग सी देखें) की मांग करेगी, उसकी जांच करेगी और यदि आवश्यक समझे तो आगे की जांच करेगी। एक बार जब वह संतुष्ट हो जाती है कि दावा मान्य है तो निर्धारित समय सीमा के भीतर, विधिक उत्तराधिकारी या लाभार्थी को बीमा राशि का भुगतान कर देती है अर्थात् दावे का निपटान कर दिया जाता है।

#### प्रभ्य 11.3

आईआरडीए के दिशा निर्देशों के अनुसार, किसी बीमा कंपनी को कितने समय में दावे की जांच पूरी करनी होती है?

### ई धोखाधड़ी युक्त दावे

बीमे में अनुचित वित्तीय लाभ के लिए बीमा का उपयोग करने के प्रयास को धोखाधड़ी युक्त दावा कहते हैं। बीमा धोखाधड़ी में फर्जी दावे और तथ्यों की गलत बयानी शामिल है।

#### ध्यान रखें

## पॉलिसी का खो जाना

बीमा कंपनियाँ, परिपक्वता दावा निपटाने में अत्यंत सावधानी बरतती हैं। कभी कभी मूल पॉलिसी खोने की सूचना मिलती है। इस परिस्थिति में यह सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई धोखा देने का प्रयास नहीं कर रहा हो, या ऋण लेने के लिए कहीं गिरवी तो नहीं रखा गया है। लेकिन अगर पॉलिसी वास्तव में खो गई है तो सावधानी के लिए, समाचार पत्रों में एक विज्ञापन के साथ, क्षतिपूर्ति अनुबंध के आधार पर दावा निपटान संभव है।

क्षतिपूर्ति अनुबंध, दावेदार द्वारा हस्ताक्षरित, एक बयान के रूप में होता है कि यदि मूल पॉलिसी का पता लगता है और किसी अन्य पार्टी द्वारा स्वामित्व के साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो वह, उसे किए गए भुगतान के लिए बीमा कंपनी की प्रतिपूर्ति करेगा।

## ई1 धोखाधड़ी के परिणाम

अगर धोखाधड़ी का पता नहीं लगता है और किसी धोखाधड़ी के दावा का भुगतान किया जाता है तो बीमा कंपनी, बीमित और धोखेबाज दावेदार के लिए प्रत्यक्ष परिणाम इस प्रकार है:

### बीमा कंपनी के लिए परिणाम

- एकल बीमा कंपनी जो धोखाधड़ी का पता लगाने और उसके निवारण को गंभीरता से नहीं लेतीं, तो इसके परिणामस्वरूप उन्हें लाभ में कमी होगी। उनके दावे का मूल्य बढ़ जाएगा जिसका असर प्रीमियम पर होगा, जिससे वह बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।
- इसके अतिरिक्त, एक दूसरे की बातों से, अन्य धोखेबाजों को पता लग जाएगा कि कौन सी बीमा कंपनियाँ, दावे का भुगतान करने से पहले भली—भांति जाँच नहां करती जिससे इस प्रकार के दावों में वृद्धि होगी।

### बीमाकृत के लिए परिणाम

- वो बीमाकृत व्यक्ति जो धोखाधड़ी नहीं करते, वे भी धोखाधड़ी के दावों के भुगतान करने के कारण पीड़ित होंगे।
- यह इसलिए होगा क्योंकि प्रीमियम में वृद्धि होगी जिससे न केवल वे व्यक्ति जिन्होंने धोखाधड़ी के दावे किए हैं बल्कि सभी पॉलिसीधारकों पर प्रभाव पड़ेगा। आपको स्मरण होगा कि बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रस्तुत जोखिम के समूह के लिए, प्रत्येक बीमाकृत व्यक्ति उचित प्रीमियम दे। धोखाधड़ी के दावों के कारण इसका अनुपालन नहीं हो पाएगा।

## धोखाधड़ी दावेदार के लिए परिणाम

धोखाधड़ी युक्त दावे का भुगतान हो जाने पर, धोखेबाज दावेदार के लिए परिणाम स्पष्ट हैं। यदि, कोई दावेदार धोखाधड़ी युक्त दावे का भुगतान पाने में सफल हो गया है तो उसे इस व्यवस्था को भविष्य में जारी रखने का लालच होगा।

## ई2 मृत्यु दावे के निपटान के समय सावधानी

मृत्यु दावे की प्रकृति ऐसी हैं जहां सबसे अधिक धोखाधड़ी होती है और इसलिए बीमा कंपनियाँ, इनके निपटान में अधिक सतर्क होती हैं। निम्नलिखित कुछ संकेत हैं जिससे मृत्यु दावे के धोखाधड़ी के बारे में पता चल सकता है।

- यदि मृत्यु की सूचना एक अजनबी से प्राप्त होती है तो यह पूछना युक्तिसंगत है कि 'यह सूचना परिवार के किसी सदस्य या रिश्तेदार से क्यों नहीं आयी ?'
- दावे के निपटान की प्रगति के बारे में बहुत अधिक पूछताछ किये जाने पर संदेह उठना चाहिए।
- यदि मृत्यु की सूचना, मृत्यु की तिथि के तीन साल बाद प्राप्त होती है, तो संदेह होने का कारण है। ऐसे परिदृश्य में, सभी मामलों में, शीघ्र मृत्यु के दावों की जांच के समान ही जांच वांछनीय है जिससे धोखाधड़ी की संभावना से बचा जा सके। यदि दावा प्रस्तुत करने में देरी के कारण संतोषजनक नहीं हैं तो दावा 'काल वर्जित है' की दलील दी जा सकती है।

जबकि बीमा कंपनियाँ को, सद्विश्वास में, दावा निपटान में तेजी लानी चाहिए, पॉलिसीधारक के प्रीमियम और अपनी कंपनी के वित्त के लिये एक ट्रस्टी के रूप में, हमेशा धोखाधड़ी को रोकने की कार्यवाही करनी चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए।

## ई3 मृत्यु की परिकल्पना

दावा निपटान के लिए मृत्यु का प्रमाण आवश्यक है। लेकिन, कभी कभी किसी व्यक्ति के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी न होने पर, उसके लापता होने की सूचना दी जाती है। इस तरह के व्यक्ति के जीवन बीमा का क्या होता है – क्या दावा स्वीकार किया जा सकता है या बीमा कंपनी को शक होगा कि ऐसे सभी दावे फर्जी हैं?

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 107 और 108, में मृत्यु की परिकल्पना के विषय में उल्लेख है। इस अधिनियम के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति के बारे में सात साल तक सुना न गया हो तो उसे मृत मान लिया जाता है। इससे जीवन बीमा कंपनी के दावा निबटान संबंधी कार्यों पर निम्न प्रभाव पड़ता है :

यदि नामिति या उत्तराधिकारी का कथन है कि बीमित व्यक्ति लापता है और उसे मृत मान लिया जाना चाहिए, तो बीमा कंपनियाँ इस संबंध में किसी सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर जोर देती हैं।

यदि इस संबंध में यथोचित एवं सुदृढ़ साक्ष्य मिलें कि बीमित व्यक्ति किसी विशिष्ट या घातक दुर्घटना या खतरे के कारण जीवित नहीं बचा होगा तो न्यायालय के आदेश के बिना बीमा कंपनी स्वतः अपने विवेक से कार्यवाही कर सकती है।

यह आवश्यक है कि जब तक अदालत मृत्यु की परिकल्पना का आदेश नहीं जारी करती तब तक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, हालांकि बीमा कंपनियाँ, रियायत के रूप में, सात साल की अवधि के प्रीमियम को माफ कर सकती हैं। यह बीमा कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है।

## एफ शून्य और शून्यकरणीय संविदा

बीमा कंपनी द्वारा दावे को अस्वीकार किये जाने का एक बड़ा कारण बीमे के मूल अनुबंध का अमान्य शून्य या शून्यकारी हो जाना है ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी स्वयं को दावे से असंबद्ध कर लेती है। इन दो शब्दों का क्या मतलब है और उन दोनों के बीच क्या अंतर है, हम इस खंड में इसका वर्णन करेंगे।

कई कारणों से अनुबंध अवैध हो सकता है या पूरी तरह से मान्य नहीं भी हो सकता है। किसी अमान्य अनुबंध का किसी भी पक्ष पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है क्योंकि एक अमान्य अनुबंध, कोई अनुबंध नहीं होता है (वास्तव में यह एक विरोधाभासी अभिव्यक्ति है)। एक पॉलिसी को अमान्य बनाने वाली परिस्थितियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

<b>त्रुटि</b>	अगर कोई मौलिक गलती हो जाए जो अनुबंध की जड़ों को प्रभावित करती है, तो वहाँ विचारों का कोई मिलाप नहीं	<b>उदाहरण:</b> जीवन बीमा अनुबंध से संबद्ध होते समय, शराब के नशे में लिप्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का
---------------	---	--

	होता है और इसलिए, कोई वैध अनुबंध स्थापित नहीं होता है।	नहीं है, से किया गया अनुबंध मान्य नहीं होगा क्योंकि अनुबंध के समय उस व्यक्ति का मस्तिष्क, अनुबंध के नियम और शर्तों को समझने की स्थिति में नहीं है।
नीतिविरुद्ध / अवैध परिस्थितियाँ	यदि किसी अवैध (गैरकानूनी) गतिविधि के समर्थन में बीमा कराया गया हो तो वह अमान्य होगा	उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या के इरादे से जीवन बीमा लेता है या कोई व्यक्ति, अपनी पत्नी की हत्या करके बीमा कंपनी से दावा राशि लेने के इरादे से जीवन बीमा लेता है
बीमायोग्य हित की अनुपस्थिति	यदि किसी बीमा पॉलिसी से बीमा हित न जुड़ा हो तो वह अमान्य और शून्य होगी।	

एक शून्यकरणीय अनुबंध तब तक बाध्यकारी रहता है जब तक दोनों पार्टियों में से कोई एक उसे रद्द करने के विकल्प का चयन नहीं करता है। बीमा अनुबंध, के शून्यकरणीय होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण हैं:

**सदविश्वास को तोड़ना:** मिथ्याकथन या अप्रकटीकरण के कारण बीमा कंपनी को, किसी पॉलिसी को अमान्य मानने की अनुमति प्राप्त है।

**आश्वस्तियों का उल्लंघन:** ऐसा करने पर बीमा कंपनी पॉलिसी को शून्य मान सकती है।

हालांकि, भारतवर्ष में प्रचलित विधि के द्वारा किसी बीमा कंपनी को किसी पॉलिसी को अमान्य घोषित करने के अधिकार के संबंध में कुछ अपवाद लागू होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, अतः इसपर हम अब विचार करेंगे।

## एफ1 निर्विवादता अनुबंध

जैसा कि हमने अभी देखा है, अगर प्रस्तावक ने, प्रस्ताव के समय, प्रस्ताव फार्म या वैयक्तिक विवरण में कोई असत्य या मिथ्या विवरण दिया है, या किन्हीं सारવान तथ्यों का प्रकटन नहीं

किया गया है, तो अनुबंध शुरुआत से (अब इनीश्यो) अमान्य हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी के तहत सभी लाभ समाप्त हो जाते हैं और प्रीमियम में भुगतान की गयी सभी राशि जब्त हो जाती है।

### ध्यान रखें

अब इनीश्यो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ 'शुरुआत से' है। जब कोई पॉलिसी अनुबंध जब अब इनीश्यो अमान्य घोषित की जाती है तो इसका मतलब है कि पॉलिसी शुरू से अमान्य थी और क्योंकि अनुबंध कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है, बीमा कंपनी को दावे के भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

बहरहाल, इस दण्ड का प्रावधान, **बीमा अधिनियम 1938** की धारा 45 के अधीन है। इस धारा के तहत, किसी पॉलिसी, जो दो साल से चालू है, के प्रस्ताव पत्र और अन्य दस्तावेजों में किसी सारવान तथ्य के मिथ्या या असत्य कथन के आधार पर कोई बीमाकर्ता द्वारा तबतक विवाद उत्पन्न नहीं किया जा सकता है जब तक कि वह यह न सिद्ध कर दे कि उक्त कथन कपटपूर्ण तथा धोखा देने के उद्देश्य से दिया गया था। यह प्रावधान, पॉलिसीधारकों के कथनों में मामूली चूक से होने वाली परेशानियों से रक्षा करने के लिए है।

### धारा 45

प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के बाद, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर, बीमा कंपनी द्वारा इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि प्रस्ताव में दिये गये बयान में या चिकित्सा अधिकारी, या रेफरी की किसी रिपोर्ट में या बीमाकृत के दोस्त के कथन या पॉलिसी जारी करने के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज़ में गलत या झूठा बयान था, जब तक बीमा कंपनी यह सिद्ध न कर दे कि ऐसा बयान, महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी था और प्रकटन करते समय पॉलिसी धारक को पता था कि यह बयान गलत है तथा जानबूझ कर धोखा देने के उद्देश्य से छुपाया जा रहा है जबकि इसका प्रकटन आवश्यक था।

### प्रमुख बिंदु

किसी वैध दावे की औपचारिकताएं

- बीमा कंपनी द्वारा अनुबंध में किए गए दावे की पूर्ति के लिये की गई माँग दावा है।
- परिपक्वता दावा राशि, बीमा राशि और कुल निहित बोनस के बराबर होती है। इसका भुगतान बीमाधारक या प्रस्तावक को (यदि प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति के जीवन पर है, जैसे प्रमुख व्यक्ति बीमा, भागीदारी बीमा आदि) या समनुदेशिती को परिपक्वता पर मिलता है अगर पॉलिसी पूर्ण राशि के दावे के लिये प्रस्तुत गयी थी (अगर वे इस योजना की पूरी अवधि में जीवित रहते हैं।)
- एक टर्मिनल या अंतिम अतिरिक्त बोनस का भुगतान किया जा सकता है।
- धन वापसी बीमा योजनाओं में बीमा कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर पॉलिसी धारक को विनिर्दिष्ट राशि का भुगतान करती है, इन भुगतानों को उत्तरजीविता लाभ के रूप में जाना जाता है।
- जीवन बीमा कंपनी द्वारा बीमा योजना की अवधि के दौरान बीमित की मृत्यु होने की स्थिति में नामिति/लाभार्थी/समनुदेशिती को किया गया बीमा धन का भुगतान मृत्यु दावे के रूप में जाना जाता है।

#### **कोई दावा अमान्य क्यों हो सकता है**

- बीमा कंपनी दावे के भुगतान से मना कर सकती हैं क्योंकि
  - जब घटना घटी तब पॉलिसी प्रभावी नहीं थी
  - कोई अपवर्जन शर्त लागू हो या
  - या दावा धोखाधड़ी युक्त रहा हो .

#### **हानि होने के बाद के कर्तव्य और दस्तावेज आधारित सूचनाएं**

- बीमित व्यक्ति की मृत्यु के बाद दावेदार को बीमा कंपनी को सूचित करना तथा दावा स्वीकार करने हेतु वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- शीघ्र दावा की स्थिति में सामान्य मृत्यु दावा की अपेक्षा कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

#### **दावा निपटान**

- परिपक्वता दावे के लिए परिपक्वता की तारीख से पहले ही बीमा कंपनी द्वारा प्रक्रिया शुरू कर

### दी जाती है

- परम् समनुदेशन के मामलों में भुगतान समनुदेशिती को किया जाता है
- उत्तरजीविता लाभ भुगतान के लिए बीमा कंपनी द्वारा कार्यवाई शुरू की जाती है और उत्तर-दिनांकित चेक पर्याप्त समय पहले ही पॉलिसीधारक को भेजा जाता है
- आईआरडीए द्वारा दावा निपटान संबंधी दिशा निर्देश( पॉलिसीधारक हित संरक्षण) विनियम 2002 द्वारा जारी किया गया है।

### धोखाधड़ी युक्त दावे

- बीमा में धोखाधड़ी किसी अनुचित वित्तीय लाभ को प्राप्त करने के लिये बीमा का उपयोग करने का प्रयास है।
- अगर धोखाधड़ी का पता नहीं चलता है और फर्जी दावे का भुगतान हो जाता है तो बीमा कंपनी, उसके बीमाधारकों और धोखेबाज दावेदार पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

### शून्य और शून्यकरणीय अनुबंध

- एक शून्य अनुबंध का किसी भी पक्ष पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं पड़ता है।
- परिस्थितियां जिनमें कोई बीमा पॉलिसी शून्य मानी जाती है:
  - ऋण:
  - नीति विरुद्ध/अवैध परिस्थितियां और
  - बीमायोग्य हित के अभाव
- एक शून्यकरणीय अनुबंध तब तक बाध्यकारी रहता है जब तक दोनों में से कोई एक पक्ष इसे रद्द करने का विकल्प नहीं चुनती है।
- बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 के अंतर्गत जो पालिसी पिछले दो साल से चल रही हो वह प्रस्ताव में गलत या झूठे बयान के आधार पर तब तक विवादित नहीं की जा सकती हैं जब तक कि किसी सारभूत तथ्य के संबंध में होना सिद्ध न किया गया हो और और यह कि ऐसा धोखा देने के उद्देश्य से किया गया हो।

## प्रज्ञ उत्तर

11.1

दावे तीन मुख्य प्रकार के हो सकते हैं:

- परिपक्वता के दावे
- मृत्यु दावे
- राइडर लाभ

### 11.2 मृत्यु दावे के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज हैं:

- पॉलिसी दस्तावेज
- समनुदेशन/पुनर्समनुदेशन अभिलेख
- आयु के साक्ष्य अगर आयु पहले से स्वीकृत नहीं की गयी है।
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- दावेदार का बयान
- स्वत्वाधिकार के विधिक साक्ष्य, यदि पॉलिसी समनुदेशित या नामांकित नहीं है
- बीमा कंपनी के द्वारा भेजा गया उन्मोचन बाउचर, निष्पादित और साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित करा कर बीमा कंपनी को लौटा दिया जाना चाहिए।

### 11.3

आइआरडीए दिशा निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनी को किसी दावे की जांच दावा प्रस्तुत होने के छह महीने के अंदर पूरी करनी होगी।

मृत्यु दावे की पुष्टि हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं:

\* पॉलिसी दस्तावेज.

\* समनुदेशन/पुनर्समनुदेशन के अभिलेख

- \* आयु के साक्ष्य, अगर आयु पहले से स्वीकृत न हो।
- \* मृत्यु प्रमाण पत्र.
- \* दावेदार का बयान.
- \* स्वत्वाधिकार के विधिक साक्ष्य, यदि पॉलिसी समनुदेशित या नामांकित नहीं की गयी हो
- \* बीमा कंपनी के द्वारा भेजा गया डिस्चार्ज फार्म, निष्पादित और साक्षी के द्वारा हस्ताक्षरित कराके बीमा कंपनी को वापस भेज दिया जाए.

## स्व-परीक्षण प्रश्न

1. मान्य मृत्यु दावे की औपचारिकताएं क्या हैं?
2. किन परिस्थितियों में बीमा कंपनी दावे का भुगतान करने से मना कर सकती हैं?
3. कौन सी परिस्थितियां किसी पॉलिसी को शून्य बना सकती हैं?
4. धोखाधड़ी युक्त दावे के भुगतान के परिणामों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये?

अगले पृष्ठ पर आपको उत्तर मिल जाएगा ।

## स्व— परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

1.

मृत्यु के वैध दावे के लिए औपचारिकताएँ हैं:

- बीमित घटना घटी हो
- जब बीमित घटना घटी हो तो उस समय पॉलिसी चल रही हो
- मूल पॉलिसी दस्तावेज पूर्ण रूप से भरा हुआ दावा प्रपत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि सहित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं
- पॉलिसीधारक ने आयु प्रमाण प्रस्तुत किया हो और पॉलिसी से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकटन किया है
- दावा राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति ने दावा प्रस्तुत किया है
- अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है.

2. बीमा कंपनी किसी दावे का भुगतान करने से मना कर सकती है यदि

- जब घटना हुई तब पॉलिसी चालू नहीं थी
- हानि किसी अपवर्जित घटना की वजह से हुई हो, या
- धोखाधड़ी युक्त दावा किया गया था.

3. वह परिस्थितियां जो पॉलिसी को शून्य बना देती हैं उनमें निम्नलिखित शमिल हैं:

- त्रुटि: अगर कोई मौलिक गलती हुई है जो कि अनुबंध की जड़ों को प्रभावित करती है। वहाँ विचारों का कोई मिलाप नहीं है और इसलिए किसी वैध अनुबंध का अस्तित्व नहीं है।
- अवैध/विधि विरुद्ध: यदि किसी अवैध/विधि विरुद्ध गतिविधि के समर्थन में बीमा कराया गया है तो वह मान्य नहीं होगा।
- बीमायोग्य हित का अभाव: अगर एक पॉलिसी को लेने में कोई बीमायोग्य हित नहीं है, तो वह शून्य घोषित की जाएगी।

4. अगर धोखाधड़ी का पता नहीं चलता है और फर्जी दावे का भुगतान हो जाता है, तो बीमा कंपनी, उसके बीमाधारकों और धोखेबाज दावेदार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

**क) धोखाधड़ी का बीमा कंपनी पर प्रभाव**

बीमा कंपनियों यदि स्वयं धोखाधड़ी का पता लगाने और इसकी रोकथाम को गंभीरता से नहीं लेती तो उनके लाभ प्रभावित होंगे। उनकी दावा लागत में वृद्धि होगी और प्रीमियम पर इसका प्रभाव पड़ेगा जो उन्हें बाजार में कम प्रतिस्पर्धी बना देगा। इसके अलावा कंपनी की प्रतिष्ठा खराब होगी कि वह पूरी तरह से जाँच करके दावों का भुगतान नहीं करती, जिससे उन्हें आगे भी धोखाधड़ी युक्त के दावों का भुगतान करना पड़ सकता है।

**ख) बीमाधारकों पर धोखाधड़ी के प्रभाव**

केवल धोखेबाज दावेदार के लिए ही नहीं, सभी के लिए प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी क्योंकि बीमा कंपनी की प्रत्येक बीमा पूल के लिए एक उचित प्रीमियम प्रभारित करने की क्षमता विकृत हो जाएगी।

**ग) धोखेबाज दावेदार पर धोखाधड़ी के प्रभाव**

किसी धोखेबाज दावेदार के लिये एक फर्जी दावे के भुगतान के परिणाम स्पष्ट है। यदि दावेदार किसी फर्जी दावे के भुगतान को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो भविष्य में भी उसे ऐसा ही करने का प्रलोभन रहेगा।

# 12

## विधि तथा ग्राहक परामर्श

अध्याय	पाठ्यक्रम परिणाम	अध्ययन
ए बीमा अधिनियम 1938		12.1, 12.2
बी. भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912		12.1, 12.2
सी. जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956		12.1, 12.2
डी बीमा विनियामक तथा विकास अधिकरण(आई.आर.डी.ए.) अधिनियम 1999		12.1, 12.2
ई मनी लांडरिंग निरोधक अधिनियम(पी.एम.एल.ए) 2002		12.1, 12.2
एफ विवाहित रुपी संपत्ति अधिनियम(एम.डब्ल्यू.पी) अधिनियम 1874		12.1, 12.2
जी अन्य प्रमुख अधिनियम		12.1, 12.2
<hr/>		
<b>अध्ययन के लक्ष्य</b>		
इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● जीवन बीमा एजेंट के रूप में ग्राहक को परामर्श देने में जरूरी विधायी प्रावधानों की व्याख्या कर सकेंगे।</li> </ul>		

## परिचय

अपने अध्ययन में इस समय तक आपको निम्न की भली—भाँति समझ हो गयी है:

- बीमा कैसे कार्य करता है;
- उन उत्पादों का विवरण जिन पर सुझाव देंगे तथा बेचेंगे;
- अपने ग्राहक को व्यवसायिक स्तर की सेवा कैसे प्रदान करें; तथा
- दावे उत्पन्न होने की स्थिति में क्या होता है.

पाठ्यक्रम का अंतिम भाग में, कानूनों तथा कानूनी प्रावधानों की व्याख्या की गई करता है, साथ ही साथ इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपने ग्राहकों को परामर्श देने के आपकी भूमिका पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है।

इस अध्याय में **बीमा अधिनियम 1938**, से शुरू करके प्रमुख अधिनियमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे साथ ही उन प्रावधानों पर विशेष ध्यान देंगे जो जीवन बीमा एजेंट पर प्रभाव डालते हैं।

## प्रमुख शब्दावली

इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दावलियों तथा सिद्धांतों की व्याख्या शामिल है:

पारिश्रमिक	छूट देने का निषेध	बीमा एजेंटों का लाइसेसीकरण
शोधन क्षमता	मरी लॉन्डरिंग	वित्तीय गुप्तचर इकाई(एफ.आई.यू.)
न्यास	न्यासकर्ता	न्यासी
लाभार्थी	उच्च तथा निम्न जोखिम युक्त ग्राहक	अपने ग्राहकों को जानें (के.वाई.सी.)

## ए बीमा अधिनियम 1938

भारत में बीमा व्यवसाय संबंधी पारित किया गया यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, और जैसा कि पहले अध्याय में बताया गया था, यह 1 जुलाई 1939 को प्रभावी हुआ था। अधिनियम बीमा व्यवसाय संबंधी कानून को स्थायित्व प्रदान करता है तथा यह विधान का वो पहला हिस्सा है जो बीमा की सभी शाखाओं को नियंत्रित करता है, तथा बीमा व्यवसाय को राज्य के नियंत्रण के अधीन रखता है। 1938 के मूल अधिनियम में 1950, 1956, 1968, 1972, तथा 1999 और 2002 में आई.आर.डी.ए. की स्थापना (धारा डी) के कारण संशोधन किये गये थे। अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान समाहित हैं:

- बीमाकर्ता का पंजीकरण तथा पंजीकरण का नवीनीकरण;
- प्रीमियम के निवेश का तरीका;
- बीमाकर्ता की शोधन क्षमता स्तर को बनाए रखना(देखें—सावधान रहें);
- कर्मचारियों की नियुक्ति;
- बीमा व्यवसाय का विलयन तथा अन्तरण;
- पॉलिसी तथा समनुदेशन या हस्तांतरण तथा नामांकन;
- ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र;
- प्रबंधन पर नियंत्रण
- एजेंटों का लाइसेंसीकरण तथा उनका कमीशन;
- छूट देने का निषेध;
- विनियामकप्राधिकारी द्वारा जांच तथा निरीक्षण का अधिकार;
- पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण;
- बीमा समितियों तथा बीमा संगठनों का गठन.

### ध्यान रखें

वर्तमान संदर्भ में शोधन क्षमता से तात्पर्य – साधारण शब्दों में— आई.आर.डी.ए. को इस संबंध में संतुष्ट करना है कि बीमाकर्ता के पास किसी भी समय दावों का भुगतान करने की क्षमता है या नहीं।

1999 तक बीमा नियंत्रक(केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो एक अधिकरण के कर्तव्य तथा क्रियाओं को निष्पादित करता था) बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के परिपालन के लिए उत्तरदायी था। नियंत्रक को प्राधिकरण द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया।

## ए1 एजेंटों से विशेष रूप से संबद्ध प्रावधान

एजेंटों को अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं को समझना आवश्यक हैं, क्योंकि यह दिशानिर्देश निर्धारित करते हैं जिनका निम्नलिखित के संदर्भ में अनुपालन किया जाना जरूरी है:

- एजेंटों का लाइसेंसीकरण
- उनको देय कमीशन; तथा
- छूट देने का निषेध.

**ए1ए धारा 40(1)– व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कमीशन या अन्य किसी प्रकार के भुगतान का निषेध.**

बीमा अधिनियम 1938 का धारा 40(1), भारत में, एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट या बीमा मध्यस्थ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के भुगतान का निषेध करता है।

### धारा 40(1)

इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद, भारत में, एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट, मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या निवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार के कमीशन के रूप में या अन्य तरीके से पारिश्रमिक या पुरस्कारका भुगतान या भुगतान का अनुबंध नहीं करेगा।

### उदाहरण

प्रशांत ने जीवन बीमा में निर्धारित नियुक्ति पूर्व परीक्षा दी है, लेकिन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त करने में असफल रहा है अतः इस कारण वह आई.आर.डी.ए. द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त करने या निवेदन करने के योग्य नहीं है। अतः प्रशांत एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट या बीमा मध्यस्थ न होने के कारण बीमा व्यवसाय प्राप्त करने या निवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं प्राप्त कर सकता है। वास्तव में प्रशांत, अधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने तक किसी भी जीवन बीमा कंपनी के लिए किसी भी प्रकार जीवन बीमा व्यवसाय को प्राप्त करने या उसके लिए निवेदन करने के लिए अधिकृत नहीं है।

धारा 40(1) उस सीमा को निर्धारित करता है जो एक बीमा एजेंट को पारिश्रमिक के रूप में बतौर कमीशन या पुरस्कार या किसी अन्य रूप में दिया जा सकता है, जिसके बारे में अध्याय 10: अच्छे ग्राहक व्यवहार में चर्चा की जा चुकी है।

धारा 40बी(1) जीवन बीमा व्यवसाय के प्रबंधन पर व्यय की सीमा को भी निर्धारित करता है। सभी बीमाकर्ताओं को इसका पालन करना होगा तथा निश्चित प्रारूप पर विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसे एक एक्चुरी से प्रमाणित होना चाहिए, तथा सीमा के भीतर होना चाहिए।

### ए1बीधारा 41(1)– छूट का प्रतिबंध

बीमा अधिनियम 1938 का धारा 41(1) किसी बीमा एजेंट/मध्यस्थ द्वारा किसी व्यक्ति को बीमा पॉलिसी लेने या नवीनीकरण कराने के लिए, प्रोत्साहन स्वरूप किसी प्रकार के कमीशन/प्रीमियम में छूट देने का निषेध करता है। ये धारा किसी व्यक्ति को बीमा लेने के लिए ऐसी किसी छूट को स्वीकार करने से भी रोकता है।

#### धारा 41(1)

भारत में, किसी भी व्यक्ति को, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी जीवन या संपत्ति के जोखिम से संबंधित बीमा को लेने के लिए या उसका नवीनीकरण कराने के लिए देय कमीशन का एक हिस्सा या पूरा कमीशन, अथवा पॉलिसी संबंधी प्रीमियम पर किसी भी प्रकार की छूट देने या देने का प्रस्ताव करने की अनुमति नहीं है, न ही किसी व्यक्ति को नयी पॉलिसी लेने या पुरानी पॉलिसी का नवीनीकरण करने के लिए किसी भी प्रकार की छूट लेने की अनुमति है, सिर्फ उन अपवादों को छोड़ कर जहां पर इनकी अनुमति बीमाकर्ता द्वारा प्रकाशित सूची या विवरणिका में दी गई है।

#### उदाहरण

संतोष ए.बी.सी. कंपनी का एक लाइसेंस धारी बीमा एजेंट है। संतोष, करन सेउसके जीवन चक्र की जरूरतों के लिए, जीवन बीमा बेचने के लिए संपर्क करता है। इसी प्रकार करन से अन्य जीवन बीमा कंपनियों के एजेंटों द्वारा अपने उत्पादों के लिए भी संपर्क किया गया है।

इस स्थिति में, बीमा अधिनियम 1938 के धारा 14 के अनुसार, संतोष, करन को उससे जीवन बीमा खरीदने के लिए तथा दूसरी कंपनियों के उत्पादों की उपेक्षा करने के लिए, ए.बी.सी. कंपनी द्वारा उसको मिलने वाले कमीशन से किसी प्रकार के भुगतान की छूट नहीं दे सकता है।

इसी प्रकार करन भी किसी कंपनी के एजेंट से जीवन बीमा खरीदने के लिए किसी प्रकार की छूट की मांग नहीं कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो इस प्रावधान का अनुपालन नहीं करेगा रु.500 तक के अर्थदंड को भुगतेगा।

## ए1सीधारा 42— बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण

बीमा अधिनियम 1938 कीधारा42, उन शर्तों को निर्धारित करती है जो किसी व्यक्ति या कंपनी को, एक बीमा एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए या निवेदन करने के लिए, लाइसेंस जारी करने हेतु जरूरी हैं। इस धारामें निम्न शामिल है:



किसी एजेंट को लाइसेंस जारी करने के विस्तृत विवरण की चर्चा अध्याय 13 में की जाएगी।

## ए1डीधारा 44— कमीशन के भुगतान को समाप्त करने पर प्रतिबंध

जैसा कि हमने अध्याय 10 में देखा, कि बीमा अधिनियम 1938 के धारा 44 के अंतर्गत, किसी भी बीमा एजेंट को, अनुबंध के अंतर्गत, भारत में, उसके द्वारा किए गये जीवन बीमा व्यवसाय के नवीनीकरण प्रीमियम पर देय कमीशन के भुगतान से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसकी एजेंसी की समाप्ति के बाद भी नवीनीकरण प्रीमियम देय है, केवल धोखाधड़ी की स्थिति को छोड़ कर, जबकि:

(ए) बीमा एजेंट ने कम से कम 5 वर्षों तक लगातार केवल उसीबीमाकर्ता को जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की हो, तथा कम से कम रु. 50,000 की कुल बीमित राशि की पॉलिसी उस वर्ष में उसके द्वारा बीमाकर्ता को मिली हो जो उसके द्वारा एक जीवन बीमा एजेंट के रूप में सेवा देने की समाप्ति से एक वर्ष पहले की हो, तथा नवीनीकरण पर देय कमीशन 4 प्रतिशत से अधिक न हो;

या

(बी) बीमा एजेंट ने कम से कम 10 वर्षों तक लगातार केवल उसीबीमाकर्ता को जीवन बीमा व्यवसाय के संदर्भ में सेवाएं प्रदान की हो, तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति के हिए बीमा व्यवसाय न तो प्राप्त किया हो और न ही उसका निवेदन किया हो।

### ध्यान रखें

बीमा एजेंट की मृत्यु की स्थिति में, उपरिलिखित (ए) तथा (बी) मामलों के अंतर्गत देय कमीशन उसके उत्तराधिकारियों तब तक मिलेगा जब तक कि वह उसके जीवित रहने पर देय होता।

### प्रश्न 12.1

बीमा एजेंट को लाईसेंस प्रदान किये जाने संबंधी धारा 42 के प्रावधानों की सूची बनाएं।

## बी भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912

भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के विनियमन के लिए पहली वैधानिक व्यवस्था को 1912 में जारी किया गया था जब भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम पारित हुआ था। 1912 के पहले, भारत में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए कोई अधिनियम नहीं था।


जैसा कि हमने अध्याय 1 में देखा, कि भारत के जीवन बीमा व्यवसाय का वर्तमान स्वरूप दूसरे देशों की देन है, विशेष रूप से इंग्लैण्ड, तथा भारत में पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल जीवन बीमा कंपनी 1818 में कोलकाता में स्थापित की गयी थी।

हलांकि, सभी बीमा कंपनियां जो इस दौरान स्थापित की गयीं, मुख्य रूप से यूरोपीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करती थीं तथा भारतीयों से दूसरे पॉलिसी धारकों से अधिक प्रीमियम लिया जाता था। भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 ने पहली बार इस बात का प्रावधान किया कि प्रीमियम दर सूची तथा कंपनियों के आवृत्तिक मूल्यांकन का प्रमाणीकरण एक एक्च्यूरी द्वारा किया जाना जरूरी है। हलांकि ये अधिनियम विदेशी तथा भारतीय कंपनियों में कई क्षेत्रों में विभेद करता था, तथा भारतीय कंपनियों को गैर लाभकारी स्थितियां प्रदान करता था।

### सी जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 को 19 जून 1956 को पारित किया गया और इसके फलस्वरूप जीवन बीमा निगम(एल.आई.सी.) की स्थापना 1 सितम्बर 1956 को की गई।

जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 को पारित किया गया ताकि:



एल.आई.सी. ऑफ इंडिया को ऐसे सभी व्यवसाय हस्तांतरित करके भारत में बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया जा सके

एल.आई.सी. के व्यवसाय तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित तथा नियंत्रित किया जा सके

#### ध्यान रखें

भारतीय जीवन बीमा निगम को 1956 में 245 भारतीय तथा विदेशी बीमाकर्ताओं (154 भारतीय, 16 गैर भारतीय तथा 75 भविष्यनिधि सोसाइटी) को आपस में मिला कर बनाया गया था।

एल.आई.सी. अधिनियम को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण करने के उद्देश्य से, तथा एल.आई.सी. के व्यवसाय तथा अन्य संबंधित मामलों को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था।

अधिनियम का धारा 30 एल.आई.सी. को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने का एकाधिकार प्रदान करता है। 1999 में, सरकार के आर्थिक सुधारों की नीति के एक हिस्से के रूप में अधिनियम में संशोधन के द्वारा इस विशेषाधिकार को हटा दिया गया।

### **डी बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम (आई.आर.डी.ए.) 1999**

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम (आई.आर.डी.ए.) 1999 को संसद द्वारा दिसंबर 1999 में पारित दिया गया। अधिनियम द्वारा आई.आर.डी.ए. का प्रावधान एक नियमित संरक्षा के रूप में किया :

- बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए;
- बीमा उद्योग को नियंत्रित, प्रोत्साहित करने तथा सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए; तथा
- अन्य संबंधित मामलों के लिए

आई.आर.डी.ए.अधिनियम 1999 के भेदभाग ए के अनुसार, बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा नियम अधिनियम 1956 तथा साधारण बीमा व्यवसाय(राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 में संशोधन किये गये।

जैसा कि हमने देखा कि आई.आर.डी.ए. ने 'बीमा नियंत्रक' को प्रतिस्थापित कर दिया जिस परबीमा अधिनियम के प्रयोजनों जैसे पंजीकरण, लाइसेंसीकरण, तथा व्यवसाय के उपयुक्त संचालन तथा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गये नियमों आदि का प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व था।

#### **ध्यान रखें**


आई.आर.डी.ए.अधिनियम 1999 के धारा 4 के अनुसार, आई.आर.डी.ए. की संरचना को निर्धारित किया गया है। इसमें एक चेयरमैन, अधिकतम पांच पूर्णकालिक सदस्य एवं अधिकतम 4 अंशकालिक सदस्य हो सकते हैं। सभी सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अधिनियम की धारा 14 आई.आर.डी.ए. के अधिकारों, कर्तव्यों तथा क्रियाकलापों को निर्धारित करती है।

### ई. मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम(पी.एम.एल.ए.) 2002

इससे पहले कि हम अधिनियम के इस महत्वपूर्ण हिस्से के प्रावधानों की व्याख्या करें तथा बीमा एजेंटों के व्यवसाय पर इसके प्रभाव को देखे, हमें ये समझना होगा कि मनी लॉन्डरिंग वास्तव में है क्या।

मनी लॉन्डरिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध धन को उसके गैरकानूनी मूल ऋतों को छिपा कर वित्तीय प्रणाली में शामिल किया जाता है ताकि वह कानूनी रूप से अर्जित किया हुआ लगे। मनी लॉन्डरिंग वह शब्द है जो उस प्रक्रिया को समझाता है जो गंदे (अवैध)धन को साफ धन में परिवर्तित करने से जुड़ी है। गैरकानूनी या 'गंदा' धन लेनदेन के एक चक्र में डाल दिया जाता है ताकि अंत में वह दूसरी ओर 'साफ' 'कानूनी' धन बन कर बाहर आए।

मनी लॉन्डरिंग की निम्नलिखित तीन स्तर हैं:



मनी लॉन्डरिंग निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) 2002, मनी लॉन्डरिंग क्रिया कलापों पर नियंत्रण तथा आर्थिक आतंकवाद से लड़ने के लिए 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ. बीमा कंपनियों के लिए मनी लॉन्डरिंग निरोधक दिशानिर्देश 31 मार्च 2006 को जारी किये गये, जिसके अनुसार सभी बीमाकर्ताओं द्वारा एक मनी लॉन्डरिंग निरोधक कार्यक्रम को स्थापित करना आवश्यक कर दिया गया। प्रत्येक कंपनी के लिये एक एमएल नीति का होना जरूरी है तथा तदनुसार उसकी एक प्रति आई.आर.डी.ए. को सौंपना जरूरी है।

बीमा कंपनियां, प्रशिक्षित एजेंटों तथा मध्यस्थों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रस्तुत करती है। अतः ये दिशानिर्देश बीमा एजेंटों के लिए उस हद तक महत्वपूर्ण हैं जितना कि दिशानिर्देशों में वर्णित है।

पीएमएलए का अनुपालन उन सभी वित्तीय संस्थानों तथा मध्यस्थों के लिए जरूरी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया—बैंकिंग विनियामक, सेबी—पूंजी बाजार विनियामक, आईआरडीए—बीमा विनियामक से विनियमित होते हैं।

आई.आर.डी.ए. ने 1 अगस्त 2006 से सभी बीमा कंपनियों के लिए एएमएल दिशानिर्देश जरूरी कर दिये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, हर बीमाकर्ता (कंपनी) के लिए एक एएमएल कार्यक्रम का होना जरूरी है, जिसमें कम से कम निम्न का होना जरूरी है:

- आंतरिक नीतियां, प्रक्रियाएं तथा नियंत्रण;
- प्रमुख अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति
- बीमा एजेंटों/कर्मचारियों को एएमएल नियंत्रण संबंधी उपायों का प्रशिक्षण
- आंतरिक ऑडिट/नियंत्रण

आपको पता होना चाहिए कि, अपना व्यवसाय करते समय, एएमएल दिशानिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित का अनुपालन करना बेहद जरूरी है।

#### • अपने ग्राहक को जानिये(केवाईसी)

बीमाकर्ता को अपने ग्राहकों की सही पहचान करनी चाहिए तथा इसमेंएजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एजेंट को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके ग्राहक आवश्यक पहचान तथा पते का साक्ष्य प्रस्तुत करें। केवाईसी का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन होना है— पॉलिसी जारी करते समय, प्रीमियम टॉपअप के समय तथा दावे के भुगतान के समय।

ग्राहक संबंधी सूचना सभी रूपों से एकत्र की जानी चाहिए, जिसमें बीमा एजेंट भी शामिल है तथा एजेंटों को अपने ग्राहकों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि केवाईसी जरूरतों का अनुपालन क्यों महत्वपूर्ण है। आईआरडीए ने दस्तावेजों की एक सांकेतिक सूची तैयार की है, जो ग्राहक से प्राप्त किये जा सकते हैं, ताकि ग्राहक की पहचान, आवास तथा आय का साक्ष्य मिल सके। अधिक विस्तार से जानने के लिए अध्याय 9 भाग ई 4 को देखें।

#### • ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल

वे व्यक्ति जिनकी पहचान तथा निधियों के रूपों को आसानी से पहचाना जा सकता है कम जोखिम वाले ग्राहकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि, इन मामलों में भी, यदि ग्राहक का प्रोफाइल पॉलिसी/निवेश के साथ मेल न खाता हो तो, परिश्रम करके आवश्यक दस्तावेज एकत्र किये जाने चाहिए।

उच्च शुद्ध मूल्य व्यक्ति(एचएनआई), राजनीति से जुड़े व्यक्ति(पीईपी), गैर सरकारी संगठन(एनजीओ), अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को उच्च जोखिम ग्राहकों की श्रेणी में रखा जाता है।

उच्च जोखिम ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करते समय बीमा एजेंटों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। एजेंटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सभी व्यक्तियों की समुचित जांच हो तथा इनसे व्यवसाय के समय समर्त केवाईसी तथा एएमएल औपचारिकताओं का पूरी तरह से अनुपालन किया जाय।

### उदाहरण

कम जोखिम ग्राहकों में शामिल हैं:

- वेतनभोगी कर्मचारी
- सरकारी कर्मचारी

पहले बताए गये उच्च जोखिम ग्राहकों की श्रेणी के अतिरिक्त ग्राहक:

- धन परिवर्तक
- हथियार तथा विस्फोटक के डीलर
- फिल्म व्यवसाय से जुड़े लोग
- अचल संपत्ति व्यवसाय से जुड़े लोग
- प्राचीन वस्तुओं के व्यवसाय से जुड़े लोग

### • निधियों के खोत

ग्राहक की निधियों के खोत (जिसके द्वारा प्रीमियम का भुगतान हो रहा है) तथा उनके अनुमानित शुद्ध मौद्रिक मान की जांच तथा उपयुक्त दस्तावेजों की मांग की जानी चाहिए। बीमा एजेंट को ग्राहक की बीमा की जरूरत को तय करने के लिए आय का प्रमाण प्राप्त करना जरूरी है। यदि ग्राहक एकल प्रीमियम दे रहा है, जो एक बड़ी राशि है तो, बीमा एजेंट को आय का प्रमाण लेना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि निधि का खोत तय किया जा सके।

### • प्रीमियम का नगद भुगतान करने की सीमा

ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रीमियम का भुगतान वैधानिक खोतों से हो रहा है, प्रीमियम का नगद भुगतान ₹.50000 से अधिक स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इससे अधिक राशि का भुगतान चेक, डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या किसी बैंक के माध्यम से होना चाहिए।

इन कारणों के चलते बीमा एजेंट को अपने ग्राहक को एएमएल प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

**ध्यान रखें:**

- वे एजेंट जो बीमाकर्ता को एएमएल संबंधी जोखिमों से आच्छादित करने के दोषी हों, हटा दिये जाने चाहिए तथा संबंधित विवरण आईआरडीए के पास आगे की कार्यवाही के लिए भेजा जाना चाहिए।
- यदि कोई एजेंट अनुपालन न करता हो तो, बीमा कंपनी को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिये, उस एजेंट से व्यवसायिक संबंध समाप्त करना भी इसमें शामिल हो सकता है।

**एफ. विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम (एमडब्ल्यूपी) 1874**

विवाहित स्त्री संपत्ति अधिनियम (एमडब्ल्यूपी) 1874 के धारा 6 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि, जीवन बीमा की कोई पॉलिसी जो किसी विवाहित व्यक्ति ने अपने जीवन पर, अपनी पत्नी तथा बच्चों के हित में ली है, एक न्यास के समान मान्य है तथा बीमित, उसके लेनदारों व अदालत के कुर्की के आदेश आदि के नियंत्रण से परे है।

**ध्यान रखें:**

न्यास एक तरह का (विधिक) अनुबंध है, जो इससे जुड़े तीन पक्षों के बीच होता है—न्यासी, न्यासकर्ता तथा लाभार्थी।

- न्यासकर्ता, या न्यास का निर्माता, वो व्यक्ति है जो न्यास की स्थापना करता है।
- न्यासी एक व्यक्ति या एक विधिक इकाई हो सकती है, जो निधि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, जिसका स्वत्वाधिकार न्यासकर्ता के द्वारा उस पर 'विश्वास' के कारण प्राप्त होता है।
- लाभार्थी एक व्यक्ति/विधिकइकाई है जो न्यास से लाभ प्राप्त करता है।

**प्रस्तावक निम्न को नियुक्त कर सकता है:**

- एक व्यक्ति(या उसके असफल होने पर, दूसरा) को एक न्यासी के रूप में;
- दो या अधिक व्यक्तियों(उत्तरजीवी(यों) में से) को न्यासी के रूप में;
- एक निगमित न्यास, जैसे कि बैंक, ट्रस्टी के उत्तरदायित्व निर्वहन करे।

एक न्यासी को वयस्क (18 वर्ष या अधिक) होना चाहिए तथा एक न्यासी के रूप में कार्य करने की उनकी सहमति होनी चाहिए, साथ ही पॉलिसी में पृष्ठांकन द्वारा इसका उल्लेख होना चाहिए। यदि न्यासी नियुक्त नहीं हो या उपलब्ध नहीं हो, तो एक सक्षम सरकारी

अधिकारी द्वारा अधिकारिक न्यासी की नियुक्ति होगी।

एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत जारी जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी निम्न हो सकते हैं:

- केवल पत्नी; या
- एक या अधिक बच्चे; या
- पत्नी के साथ एक या अधिक बच्चे संयुक्त रूप से

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- प्रस्तावक को विवाहित, तलाकशुदा या विदुर व्यक्ति होना चाहिए। केवल उसकी पत्नी तथा बच्चे लाभार्थी हो सकते हैं। बच्चों में पुत्र तथा पुत्री शामिल हैं। हिंदुओं के मामले में दत्तक पुत्र तथा पुत्री शामिल हैं।
- पॉलिसी उसके ही जीवन पर होनी चाहिए।
- प्रत्येक पॉलिसी एक अलग न्यास होगी।
- पॉलिसी एक न्यास की तरह बीमित है। पत्नी या बच्चा(यदि 18 वर्ष से ऊपर का है तो) न्यासी नियुक्त हो सकते हैं। व्यक्ति को ये चुनाव करने की स्वतंत्रता है कि पुराने न्यासियों को हटाकर नये नियुक्त कर सके।
- दो या अधिक न्यासी नियुक्त हो सकते हैं।
- एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत बीमा अदालत, कर, उधार देने वालों तथा बीमित व्यक्ति को भी इस पॉलिसी पर कोई हक नहीं होगा।
- पॉलिसी को संशोधित या समर्पित नहीं किया जा सकता है।
- लेनदारों को छलने के लिए इसेअस्तित्व में नहीं लाना चाहिए।
- नामांकन तथा पृष्ठांकन की अनुमति नहीं है।

### मुस्लिम कानून

एक गैर मुस्लिम प्रस्तावक अपनी पॉलिसी के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बराबर या असमान हिस्सों का प्रावधान कर सकता है तथा इस बात का प्रावधान भी कर सकता है कि उन्हें लाभ संयुक्त रूप से मिले या उत्तरजीवियों या उनमें से उत्तरजीवी को मिले या लाभार्थियों की श्रेणी निर्धारित कर सकता है।

मुस्लिम प्रस्तावक की स्थिति में, लाभार्थियों का नाम अंकित होना चाहिये क्योंकि ये 'व्यक्ति विशेष के लिए' है। पत्नी तथा बच्चों का नाम पॉलिसी में दर्ज होना चाहिए तथा पॉलिसी लेते समय उनका अस्तित्व में होना जरूरी है। वे परिस्थितियां जहां पर दो से अधिक लाभार्थियों का नाम अंकित है, प्रस्तावक को दोनों के हिस्सों को साफ-साफ दर्शाना होगा।

### प्रश्न 12.2

एजेंट से संबद्ध, एएमएल दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू क्या हैं?

## जी. अन्य प्रमुख अधिनियम

इस भाग में अब हम उन प्रमुख अधिनियमों तथा विनियमों को देखेंगे जो एक बीमा एजेंट के रूप में आपको प्रभावित कर सकते हैं।

### जी 1 जन शिकायत निवारण नियम 1998

जन शिकायत निवारण नियम 1998(आरपीजी—1998) के अंतर्गत बीमा काउंसिल के प्रबंध निकाय द्वारा ओमबड़समैन संस्था की स्थापना की गयी थी।

#### ध्यान रखें:

जीबीआईसी में प्रत्येक बीमा कंपनी का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि को कंपनी का चेयरमैन या कार्यकारी निदेशक या एक निदेशक होना चाहिए।

आरपीजी नियमों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- बीमा ओमबड़समैन की नियुक्ति तथा उसका कार्यकाल
- ओमबड़समैन केन्द्र का प्रशासन तथा कर्मचारियों के संबंध में नियमों का प्रावधान
- ओमबड़समैन के अधिकार
- ओमबड़समैन के पास शिकायत दर्ज करने का तरीका तथा शिकायतों के निबटारे का तरीका, 'सुझाव' अथवा 'एवार्ड' द्वारा।

ग्राहक के हित की सुरक्षा के लिए बीमा ओमबड़समैन की भूमिका तथा एक एजेंट की भूमिका पर इसके प्रभाव की चर्चा हम अध्याय 14 में करेंगे।

### जी2 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन)

आईआरडीए(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) नियमन 2002 'बीमा विज्ञापन' को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है:

किसी पॉलिसी से जुड़ा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संचार जो आम जनता से उस पॉलिसी की खरीद के अनुरोध या बिक्री के लिए है। इसमें सभी मुद्रित तथा प्रकाशित सामग्री या कोई सामग्री जिसमें मुद्रित तथा/या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या जन संचार के माध्यम शामिल हैं।

अनुचित तथा भ्रामक प्रचार में शामिल हैं:

- बीमा उत्पाद के रूप में पहचान प्रस्तुत करने में विफल
- पॉलिसी में उपलब्ध लाभों से अधिक दावे करना
- ऐसे लाभों का उल्लेख करना जो पॉलिसी के लाभों से मेल न खाते हों

### **बीमा एजेंट के द्वारा विज्ञापन**

किसी बीमा एजेन्ट द्वारा जारी किया जाने वाला प्रचार जो बीमाकर्ता को प्रभावित कर सकता है, इसके जारी होने के पहले बीमाकर्ता द्वारा लिखित रूप से स्वीकृत होना चाहिए। बीमाकर्ता को इसके अनुमोदन के पहले यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि प्रचार कपटपूर्ण या भ्रामक न हो।

एक एजेन्ट को बीमाकर्ता से प्रचार के पूर्व अनुमोदन की जरूरत तब नहीं पड़ती है जबकि प्रचार:

- इसका विकास बीमाकर्ता द्वारा स्वयं किया गया हो तथा इसे बीमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया हो।
- सीमित विवरण जैसे एजेंट का नाम, लोगो, पता तथा फोन नंबर इसमें शामिल है।
- केवल वे कथन शामिल हैं जो एजेंट के अनुभव, सेवा तथा योग्यता का उल्लेख करते हैं तथा पॉलिसी लाभ तथा लागत का संदर्भ इसमें शामिल न हो।

### **जी 3बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(प्रीमियम प्राप्ति का तरीका)विनियम 2002**

ये विनियम उन तरीकों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा पॉलिसी धारक बीमा पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं

- नगद
- किसी भी विनिमेय उपकरण, जैसे चेक, डिमांड ड्रापट, पे आर्डर, बैंकर चेक जो भारत में किसी अनुसीचित बैंक में देय हो।
- डाक मनीआर्डर
- पॉलिसी धारक के नाम पर जारी क्रेडिट या डेबिट कार्ड
- बैंक गारंटी या नगद जमा
- इंटरनेट
- ई-ट्रांसफर
- प्रत्यक्ष क्रेडिट, पॉलिसीधारक या प्रस्तावक या बीमित व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार बैंक अंतरण द्वारा
- कोई अन्य भुगतान का तरीका जो आईआरडीए द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किया जाए।

बीमाकर्ता के पास ये विकल्प रहता है कि वह भुगतान उपकरण के संग्रह शुल्क को प्रस्तावक से ले सकता है।

#### **ध्यान रखें:**

केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां पर प्रीमियम का भुगतान नगद किया गया है, जोखिम

की शुरुआत बीमाकर्ता द्वारा भुगतान प्राप्त करने के बाद ही होगी।

#### **जी4 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी) विनियम 2002**

बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी)विनियम 2002 के अंतर्गत अक्टूबर 2002 में आईआरडीए ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। यह विनियम निगमित एजेंटों जैसे कंपनियों, फर्मों, बैंकों तथा को ऑपरेटिव सोसाइटी को लाइसेंस जारी करने से संबंधित है जो एकल व्यक्ति नहीं हैं फिर भी एजेंट बन सकते हैं।

#### **जी5 विदेशी मुद्रा प्रबंधन(बीमा) विनियम 2000**

यह विनियम, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द्वारा अधिसूचित है, जो किसी भारतीय नागरिक को जीवन/साधारण बीमा पॉलिसियों को देश के बाहर स्थित किसी बीमाकर्ता से लेने का निषेध करते हैं।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) (संशोधन) विनियम 2002 इसके बाद इसमें जोड़ता है कि:इस बात का प्रावधान किया जाता है कि साधारण बीमा पॉलिसी को भारत के बाहर से लेने संबंधी निषेध, 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' में स्थित इकाई पर लागू नहीं होगा।

#### **जी6विदेशी मुद्रा प्रबंधन(बीमा) विनियम 2000— जीवन बीमा मेमोरेंडम(एलआईएम)**

मुद्राविनियम नियंत्रण संबंधीयहविनियम किसी अनिवासी भारतीय को रूपयों में तथा विदेशी मुद्रा में जीवन बीमा पॉलिसीं को जारी करने, प्रीमियम संग्रह करने तथा अन्य संबंधित मामलों को नियंत्रित करते हैं।

- पॉलिसी जारी करना तथा प्रीमियम एकत्र करना—भारतीय नागरिकता वाले व्यक्तियों के मामले में, जीवन बीमा पॉलिसी को विदेशी मुद्रा में जारी किया जा सकता है, जबकि प्रीमियम का भुगतान उनके द्वारा विदेश में रखी विदेशी मुद्रा निधि से किया गया हो, या भारत में उनके विदेशी मुद्रा खाते से किसी अधिकृत डीलर द्वारा किया जाए।

अनिवासी के संदर्भ में, बीमाकर्ता भारत या भारत के बाहर अपने किसी कार्यलय में विदेशी मुद्रा या पॉलिसीधारक या उसके परिवार के किसी सदस्य के एन.आर.आई/एफसीएनआर खाते से यदि प्रीमियम का भुगतान प्राप्त करे तो बीमा पॉलिसी जारी की जा सकती है।

- **दावा निबटारा**—उन परिस्थितियों में जबकि रूपये में जारी जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत दावा करने वाला बीमाधारक भारत के बाहर का निवासी है, तो भुगतान का निबटारा विदेशी मुद्रा में उसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में प्रीमियम का भुगतान विदेशी मुद्रा में

हुआ है। अनिवासी लाभार्थी की स्थिति में, निबटारे को एनआरई/एफसीएनआर खाते में किया जा सकता है।

- विदेशी एजेंट को कमीशन—बीमा कंपनियों द्वारा स्थायी रूप से विदेश में रहने वाले अपने एजेंट को कमीशन दिया जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके द्वारा दिये गये व्यवसाय का अधिकतर हिस्सा भारतीय निवासियों के जीवन पर है तथा प्रीमियम रूपयों में दिया गया है।

### जी 7 ग्राहक संरक्षण अधिनियम(कोपा) 1986

- इस ऐक्ट के अंतर्गत, एक ग्राहक, एक व्यक्ति की तरह, इस अधिनियम द्वारा स्थापित विभिन्न मंचों में निवारण के लिए जा सकता है, यदि वे सेवा प्रदायक की सेवा या उत्पाद से असंतुष्ट हैं।
- कोपा बीमा उद्योग पर भी लागू होता है।
- पॉलिसीधारक को, बीमाकर्ता तथा एजेंटों की असंतोषपूर्ण सेवाओं या अनुचित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध निवारण मांगने का हक है।
- बीमा से संबंधित सबसे अधिक विवाद दावों के अस्वीकरण तथा विलंब से पैदा होते हैं।

ग्राहक विवाद निबटारा मंच हर जिले तथा हर प्रदेश में स्थापित किया गया है। जिले के स्तर पर स्थापित मंच रूपये बीस लाख तक के मूल्यों संबंधी शिकायतों को सुनते हैं तथा प्रदेश स्तर पर स्थापित मंच एक करोड़ रूपये तक के दावों के विवादों की सुनवाई करते हैं। राष्ट्रीय कमीशन, राज्य स्तरीय दावों के निबटारों के विरुद्ध अपील तथा उनकी क्षमता से अधिक के मामले सुनते हैं।

ग्राहक के मूल अधिकार निम्न हैं:

- उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन के विरुद्ध अधिकारों का संरक्षण
- सूचना का अधिकार
- सुरक्षित रहने का अधिकार
- चयन का अधिकार
- सुने जाने का अधिकार
- निवारण मांगने का अधिकार
- ग्राहक शिक्षा का अधिकार

शिकायत को, उसके कारण दो वर्ष के भीतर दर्ज होना चाहिये, तथा विलंब यदि कोई हो, को सक्षम उपभोक्ता फोरम द्वारा माफ किया जाना चाहिये।

उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कई तरीके हैं, जो उद्योग के सभी हितधारकों के द्वारा, जिसमें आईआरडीए भी शामिल है, पॉलिसी धारकों की सुरक्षा के लिए बने हैं। हम इन सभी उपायों को और विस्तार में अध्याय 14: ग्राहक संरक्षण में देखेंगे।

### प्रमुख बिंदु

- बीमा अधिनियम 1938 भारत में पास किया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है।
- बीमा अधिनियम 1938 का धारा 40(1) एक लाइसेंस प्राप्त बीमा एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य को बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के पारिश्रमिक देने पर प्रतिबंध लगाता है।
- बीमा अधिनियम 1938 का धारा 41(1) किसी बीमा एजेंट को किसी ग्राहक को बीमा खरीदने के लिए उत्तेप्रेरित करने के लिये किसी भी प्रकार की छूट प्रदान करने का निषेध करता है। यह धारा किसी व्यक्ति को इस प्रकार की छूट का प्रस्ताव स्वीकार करने से भी रोकता है।
- बीमा अधिनियम 1938 की धारा 42 किसी व्यक्ति या कंपनी को एक बीमा एजेंट के तौर पर काम करने के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान करता है।
- बीमा अधिनियम 1938 कीधारा 44 के अंतर्गत कुछ शर्तों के साथ इस बात का प्रावधान है कि किसी भी बीमा एजेंट के द्वारा भारत में किये जीवन बीमा व्यवसाय के नवीनीकरण के लिए उसको देय किसी कमीशन के भुगतान के लिए मना नहीं किया जा सकता है।
- भारत में जीवन बीमा व्यवसाय का नियमन करने के लिए जीवन बीमा कंपनी अधिनियम 1912 भारत का पहला वैधानिक प्रयास था।
- एलआईसी अधिनियम 1956 को भारत में जीवन बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण के लिए पारित किया गया था जिसके द्वारा सभी जीवन बीमा कंपनियों को एलआईसी में हस्तांतरित कर दिया गया था।
- एलआईसी को 200 से अधिक जीवन बीमा कंपनियों तथा भविष्य निधि सोसाइटियों को मिलाकर बनाया गया था।
- आईआरडीए अधिनियम 1999 को बीमा उद्योग के नियमन, विस्तार तथा अनुशासित प्रगति के लिए लागू किया गया था।
- आईआरडीए ने पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा, व्यवसाय के सही संचालन, तथा लाइसेंस प्रदान करने एवं नियमों के निर्धारण तथा पंजीकरण के लिए जिम्मेदार 'बीमा नियंत्रक' को प्रतिस्थापित किया था।
- मनी लॉन्डरिंग, वित्तीय प्रणाली में अवैध धन को उसके उद्गम को छुपाते हुए शामिल करने की प्रक्रिया है, ताकि ऐसा लगे कि उसे कानूनी तरीके से अर्जित किया गया है। इसके तीन चरण हैं: स्थापना, स्तरीकरण, एकीकरण।
- सभी बीमाकर्ताओं का एक एमएल कार्यक्रम होना चाहिए तथा अपना व्यवसाय करते समय सभी एजेंटों को उसका पालन करना चाहिये।
- एमडब्लूपी अधिनियम 1874 के धारा 6 के अनुसार इस बात का प्रावधान है कि कोई जीवन बीमा पॉलिसी जो एक विवाहित व्यक्ति ने अपने जीवन पर, अपनी पत्नी तथा बच्चों के लाभ हेतु ली गयी है, एक न्यास के समान मानी जाएगी तथा

<p>बीमित, उसके लेनदारों तथा अदालती सम्बद्धों के नियंत्रण से बाहर रहेगी।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जीवन बीमा पॉलिसी में केवल बीमित पत्नी या एक/अधिक बच्चे या पत्नी के साथ एक/अधिक बच्चे संयुक्त रूप से लाभार्थी हो सकते हैं।</li> </ul> <p><b>अन्य अधिनियम:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जन शिकायतों के निबटारे के नियम 1998 (आरपीजी 1998) के अंतर्गत जन शिकायत का निबटारा सुनिश्चित करने के लिये बीमा काउंसिल के प्रबंध निकाय द्वारा ऑम्बड़समैन संस्था का गठन किया गया है तथा उसे सहायता प्रदान की जाती है।</li> <li>● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम 2000 बीमा कंपनियों तथा बीमा एजेंटों द्वारा विज्ञापन तथा अनुचित विज्ञापन संबंधी मामलों को नियंत्रित करती है।</li> <li>● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (प्रीमियम प्राप्ति की विधि) विनियम 2002 उन तरीकों को परिभाषित करता है जिनसे एक पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसी खरीदते समय प्रीमियम का भुगतान कर सकता है।</li> <li>● बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(निगमित एजेंट को लाइसेंस देने संबंधी) विनियम 2002, निगमित एजेंट, जो व्यक्ति तो नहीं हैं लेकिन फिर भी एजेंट बन सकते हैं, के लाइसेंस तथा अन्य मामलों से संबंधित है।</li> <li>● विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) विनियम 2000, भारतीय निवासियों को भारत के बाहर स्थित किसी बीमाकर्ता से जीवन/साधारण बीमा पॉलिसियाँ लेना निषिद्ध करता है।</li> <li>● विदेशी मुद्रा प्रबंधन (बीमा) विनियम 2000— जीवन बीमा मेमोरेंडम(एलआईएम), अनिवासियों को जारी की गयी रूपये या विदेशी मुद्रा द्वारा में ली गई बीमा पॉलिसियों तथा उनके दावों के निबटारे संबंधी अन्य मामलों का संचालन निर्धारित करता है।</li> <li>● ग्राहक संरक्षण अधिनियम(कोपा) 1986 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को, उत्पाद या सेवाओं से असंतुष्ट होने पर विभिन्न मंचों में निवारण के लिए जाने का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार पॉलिसीधारक को यह अधिकार है कि वह किसी बीमाकर्ता तथा उसके एजेंटों के अनुचित व्यापार व्यवहार या असंतोषजनक सेवा के निराकरण की मांग कर सकता है।</li> </ul>
---

### प्रश्न उत्तर

12.1 बीमा अधिनियम 1938 का धारा 42, एक व्यक्ति या कंपनी को किसी बीमा एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें तय करता है। जिसमें निम्न बिंदु शामिल हैं:

- एजेंट बनने के लिए योग्यता
- देय फीस तथा अधिकतम सीमा

- लाइसेंस की वैधता तीन साल की होती है, जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराना होता है।
- नवीनीकरण शुल्क के साथ नवीनीकरण हेतु आवेदन, लाइसेंस समाप्त होने से कम से कम तीस दिन के पहले प्राधिकरण को प्रस्तुत हो जाना चाहिए।
- यदि लाइसेंस खो गया है, या नष्ट हो गया है तो उसकी दूसरी प्रतिलिपि, निर्धारित शुल्क जमा करने पर जारी की जा सकती है।
- यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस एक बीमा एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो वो आर्थिक दंड का पात्र होगा।
- अयोग्यता।
- निर्धारित प्रशिक्षण।
- निर्धारित परीक्षा पास करना।

इस अधिनियम द्वारा मुख्य एजेंट, प्रमुख एजेंट तथा विशेष एजेंट के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी होते हैं।

12.2 एएमएल दिशानिर्देशों के मुख्य पहलू जो किसी एजेंट के लिए महत्वपूर्ण हैं निम्न हैं:

- यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक अपनी जरूरी पहचान तथा पते संबंधी साक्ष्य सभी स्तरों पर प्रस्तुत करें (उदा. पॉलिसी जारी होते समय, टॉप अप के समय तथा दावे के भुगतान के समय)
- अपने ग्राहक का जोखिम प्रोफाइल बनायें तथा यह सुनिश्चित करें कि वह उसकी निवेश क्षमता से मेल खाता हो।
- आवश्यकताएं निर्धारित करने के लिए जरूरी आय प्रमाण प्राप्त करें।
- निधि के स्रोत को तय करें तथा ₹50,000 या अधिक के प्रीमियम को, चेक, ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड या किसी बैंकिंग चैनल से प्राप्त करें।

### स्व-परीक्षा प्रश्न

1. आईआरडीए अधिनियम 1999 के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
2. पीएमएलए 2002 किसके लिए लागू होता है?
3. एमडब्ल्यूपी ऐक्ट 1874 के अंतर्गत किसी जीवन बीमा पॉलिसी के लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

उत्तर आपको अगले पेज पर मिलेगा

### स्व-परीक्षा प्रश्न

1. आईआरडीए अधिनियम 1999 के लक्ष्य निम्न हैं:
  - बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
  - बीमा उद्योग का नियंत्रण, प्रोत्साहन तथा सुव्यवस्थित विकास, एवं समुचित संचालन
  - अन्य संबंधित मामले।
2. पीएमएलए का पालन करना उन सभी वित्तीय संस्थाओं पर लागू होता है, जो:
  - रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया— बैंकिंग विनियामक
  - भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड— पूंजी बाजार विनियामक;

- बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा विज्ञापन तथा प्रकटन) विनियम 2000—बीमा विनियामक
  - सभी अन्य वित्तीय मध्यस्थ
3. एमडब्ल्यूपी अधिनियम के अंतर्गत पॉलिसी के लाभार्थी निम्न हो सकते हैं
- केवल पत्नी; या
  - एक या अधिक बच्चे; या
  - पत्नी तथा एक या अधिक बच्चे संयुक्त रूप से

# 13

## विधेयक तथा ग्राहक परामर्श

विषयगत अध्याय	पाठ्यक्रम अध्ययन परिणाम
ए. सरकार की भूमिका	13.2
बी. प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं	13.3
सी. आई.आर.डी.ए. तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियाँ तथा कार्य	13.1
डी. आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों की लाइसेंसीकरण प्रक्रिया) विनियम 2000	13.1
<b>सीखने के लक्ष्य</b>	
इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• बीमा उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की भूमिका को समझा पाएंगे;</li> <li>• बीमा उद्योग में विभिन्न भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित कर पाएंगे;</li> <li>• बीमा नियामक के रूप में आई.आर.डी.ए. के कर्तव्य, शक्तियाँ तथा कार्य समझा पाएंगे;</li> <li>• आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों की लाइसेंस प्रक्रिया) विनियम 2000 की प्रमुख विशेषताएं समझा पाएंगे.</li> </ul>	

## परिचय

अपने अध्ययन के दौरान हम बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(आई.आर.डी.ए) के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं तथा पूर्व के अध्याय में इस बात को बताया गया था कि किस प्रकार इसे बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के द्वारा स्थापित किया गया था। हमें ये पता है कि आई.आर.डी.ए भारत की एक बीमा विनियामक है तथा इसकी स्थापना इस लक्ष्य के लिये की गयी थी कि इसे पॉलिसीधारकों के हितों को सुरक्षित करना है तथा बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि, विनियमितीकरण तथा प्रोत्साहन सुनिश्चित करना था। इस अध्याय में हम आई.आर.डी.ए को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उसके कर्तव्यों, कार्य तथा इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपको आई.आर.डी.ए.(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000 के प्रावधानों के बारे में जानकारी देगा, जिसमें बीमा एजेंटों को लाइसेंस जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी मामले भी शामिल हैं।

भारत में बीमा के प्रचार तथा प्रसार के लिए भारत सरकार तथा अन्य प्रमुख संस्थाओं की भूमिका के बारे में सीखना शुरू करेंगे।

### मुख्य शब्दावलियां

इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दों तथा सिद्धांतों की व्याख्या शामिल है:

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफ.डी.आई.)	जीवन बीमा परिषद(एल.आई.सी.)	भारतीय बीमांकन संस्थान (आई.ए.आई.)
भारतीय बीमा ब्रोकर संगठन(आई.बी.ए.आई)	भारतीय बीमा संस्थान(आई.आई.आई.)	शुल्क सलाहकार समिति(टी.ए.सी.)	शुल्कनिर्धारण मुक्तिकरण
आई.आर.डी.ए. (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000	लाइसेंस का निरस्तीकरण	व्यावहारिक परीक्षण	लाइसेंस जारी करना
आचार संहिता	लाइसेंस की प्रतिलिपि		

### ए.सरकार की भूमिका

विधि के अंतिम स्रोत के रूप में भारत में बीमा उद्योग के विनियमन में सरकार की प्रमुख भूमिका है। इसका यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि उद्योग का उचित रूप से विनियमन हो तथा समय-समय पर पूरे भारत में बीमा के प्रसार को बढ़ावा मिले।

## ए1. आई.आर.डी.ए. का अतिक्रमण करने का केन्द्र सरकार का अधिकार


आई.आर.डी.ए. अधिनियम 1999 भारत सरकार को इस बात का अधिकार देता है कि, एक अधिसूचना द्वारा वह आई.आर.डी.ए.के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकती है। यदि सरकार के विचार में आई.आर.डी.ए. अपने कार्यों और कतव्यों को निभा पाने में असमर्थ है(जिनके कारण आई.आर.डी.ए. नियंत्रण के बाहर हैं), या इसके द्वारा अपने कतव्यों तथा जिम्मेदारियों के निर्वहन में बार—बार चूक हुई है या परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई करना जनता के हित में है, तो सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकती है।


## ए2. आई.आर.डी.ए. के साथ केन्द्र सरकार के संबंध

आई.आर.डी.ए. अधिनियम, आई.आर.डी.ए. के संबंध में केन्द्र सरकार की भूमिका को सुनिश्चित करता है। इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं:

- संसद द्वारा कानून के माध्यम से जरूरी विनियमन के आधार पर आई.आर.डी.ए. को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि आई.आर.डी.ए. अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति में उसका इस्तेमाल कर सके।
- आई.आर.डी.ए. का वार्षिक खाता भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा अंकेष्ठित किया जाना तथा उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह लेखा विवरण केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाते हैं।
- तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त अन्य नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार आई.आर.डी.ए. को दिशानिर्देश जारी कर सकती है। केन्द्र सरकार समय—समय पर इस तरह के लिखित दिशानिर्देश जारी कर सकती है तथा आई.आर.डी.ए. इन्हें मानने के लिए बाध्य है।
- आई.आर.डी.ए. द्वारा केन्द्र सरकार की मांग पर बीमा उद्योग के विकास तथा संवर्धन के लिए वर्तमान कार्यक्रम या किसी प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित, रिटर्न, तथा विवरण प्रस्तुत करना चाहिये।
- केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह एक अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए नियम बना सकती है।

### चित्र 13.1 आई.आर.डी.ए. के साथ केन्द्र सरकार के संबंध





### ए३. उद्योग के संवर्धन में सरकार की भूमिका

केंद्र सरकार बीमा उद्योग की वृद्धि तथा संवर्धन के लिए समय—समय पर विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को लागू करती है। एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो केंद्र सरकार द्वारा किया गया है वह हैं बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की स्वीकृति, जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) कहते हैं।

### ए३ए. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.)

वर्ष 2000 के पहले जीवन बीमा निगम(एल.आई.सी) के पास भारत में बीमा व्यवसाय करने का विशेषाधिकार था।

बीमा एक बड़ी पूँजी आधारित व्यवसाय है जिसकी लाभ—हानि की स्थिति विशाल होती है तथा इसके लिए पर्याप्त विशेषज्ञता की भी जरूरत होती है। जब सरकार बीमा उद्योग में निजी भागीदारी का प्रवेश प्रारम्भ कर रही थी तो संभावित भागीदार न तो बीमा व्यवसाय के लिए तकनीकी रूप से विशेषज्ञता रखते थे और न जरूरी पूँजी ही। इस कारण बीमा बाजार में निजी क्षेत्र की निर्विघ्न भागीदारी तथा बीमा उद्योग की सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी।

#### ध्यान दें

यह पाठ्यपुस्तक लिखते समय, वर्तमान एफ.डी.आई. कानून के अनुसार स्वदेशी बीमा कंपनियों को विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दी गयी है, जिसमें विदेशी भागीदार 26 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी रख सकता है।

वर्ष 2000 में जब बीमा क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था तब देश में बीमा की पैठ काफी बेहतर हो गयी है। नये और आवश्यकता के अनुरूप उत्पादों की उपलब्धता तथा अपेक्षाकृत कम प्रीमियम पर मिलने में ग्राहकों को काफी लाभ हुआ है। इस वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए सरकार बीमा क्षेत्र में एफ.डी.आई की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव लाना चाहती है। वर्तमान में यह बिल संसद में मंजूरी के लिए लंबित है। इसके एक बार स्वीकार हो जाने पर विदेशी भागीदार अपनी भागीदारी को स्थानीय निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम में 49 प्रतिशत तक बढ़ा पाएंगे। इस क्षेत्र में आप अपने ज्ञान को अद्यतन करते रहें।

### संस्तुत गतिविधियां

निजी जीवन बीमा कंपनियों में से किन्हीं पांच की एक सूची बनाए और इंटरनेट या कंपनी उत्पाद ब्रोचर द्वारा उनकी भागीदारी को समझाने का प्रयास करें। ये जानें कि स्थानीय भागीदारों तथा विदेशी भागीदारों की भागीदारी कितनी है।

### ए3बी. आयकर प्रोत्साहन

हमने पूर्व अध्यायों में देखा है कि किस प्रकार सरकार जीवन बीमा में निवेश पर लोगों को कर लाभ प्रदान करती है। इसने भारत में बीमा के विस्तार में काफी मदद की है।

### प्रश्न 13.1

यदि सरकार के विचार से आई.आर.डी.ए. अपने कार्य निष्पादन में अक्षम साबित हो रहा हो, तो वो क्या कर सकती है?

### बी प्रमुख भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं

इस भाग में हम भारतीय बीमा उद्योग की कुछ प्रमुख संस्थाओं की भूमिका का अध्ययन करेंगे।

### बी 1 बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(आई.आर.डी.ए)

हमने अध्याय 1 में देखा है कि वर्ष 1999 में मल्होत्रा कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर एक स्वायत निकाय के रूप में बीमा उद्योग के विकास तथा विनियमन के लिये बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए) का गठन, किया गया। आई.आर.डी.ए का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है ताकि प्रतिस्पर्धी प्रीमियम व अधिक ग्राहक विकल्पों के द्वारा ग्राहक को संतुष्टि प्रदान की जा सके तथा बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा

सुनिश्चित की जा सके। भारत में बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय की सुव्यवस्थित वृद्धि को सुनिश्चित, विनियमित तथा प्रोत्साहित करना ही आई.आर.डी.ए, का ध्येय है।

#### ध्यान रखें

आई.आर.डी.ए की एक स्वायत्त निकाय के रूप में अप्रैल 2000 में स्थापना हुई।

आई.आर.डी.ए. के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों के बारे में हम इस अध्याय में बाद में देखेंगे।

#### बी 2 जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद का गठन बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 ए के अंतर्गत किया गया था। यह एक कार्य कारणी समिति तथा अनेक उप-समितियों के माध्यम से कार्य करती है तथा सभी जीवन बीमा कंपनियां इसके सदस्य हैं। यह जनता, सरकार तथा आई.आर.डी.ए. के साथ उद्योग की ओर से सभी चर्चाओं का संचालन तथा समन्वय करती है। सारांश में ये जीवन बीमा उद्योग का दर्पण है।

जीवन बीमा परिषद का मुख्य उद्देश्य, भारतीय जीवन बीमा उद्योग को लोगों की समृद्धि की यात्रा में सहायता करने के लिए एक जीवंत, विश्वसनीय तथा लाभदायक सेवा प्रदान करने के अभियान में महत्वपूर्ण तथा पूरक भूमिका निभाना है।

जीवन बीमा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- नैतिकता तथा परिचालन के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना
- उद्योग की सकारात्मक छवि बनाना तथा ग्राहक के विश्वास की में वृद्धि
- जीवन बीमा की भूमिका तथा लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना
- सरकार, विधि निर्माताओं तथा विनियामकों का संरचित तथा सक्रिय विचार विमर्श का आयोजन।
- जीवन बीमा में शोध तथा क्षेत्र के विकास में योगदान
- वित्तीय सेवा क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ चर्चा हेतु मंच के रूप में
- बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाना
- आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सहायता तथा दिशानिर्देश प्रदान करना
- वैश्विक बाजार तथा भारतीय जीवन बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना

#### बी 3 साधारण बीमा परिषद

साधारण बीमा परिषद, भारत में साधारण(गैर-जीवन) बीमा कंपनियों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। परिषद सामूहिक हितों संबंधी मामलों के बारे में विचार विमर्श करती है, जीति निर्धारण से संबंधित चर्चाओं में भाग लेती है तथा बीमा उद्योग में ग्राहकों की संतुष्टि के उच्च मानकों की वकालत करने वाले की तरह कार्य करती है।

### बी 4 भारत का बीमा ब्रोकर संगठन (IBAI)

भारत का बीमा ब्रोकर संगठन (IBAI) को आई.आर.डी.ए. द्वारा भारत के सभी लाइसेंस धारी बीमा ब्रोकरों के शीर्ष निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। आई.आर.डी.ए. द्वारा बीमा ब्रोकरों को भारत के बाजार में ऐसे व्यवसायियों के रूप में प्रस्तुत करता है जो बीमा खरीदारों के हितों का प्रतिनिधित्व तथा सेवा प्रदान करता है। बीमा ब्रोकर, बीमा खरीदार का प्रतिनिधित्व करता है, न कि बीमा कंपनी का, हलांकि बीमा ब्रोकर को बीमा कंपनी से पारिश्रमिक मिलता है।

#### ध्यान रखें

बीमा ब्रोकर के माध्यम से बीमा लेने पर पॉलिसी धारक को कोई अतिरिक्त लागत नहीं आती है।

### बी 5 भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI)

भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI)(पूर्व में भारतीय बीमांकन सोसाइटी— ASI) की स्थापना 1944 में गठित अंतर्राष्ट्रीय बीमांकन संगठन के सदस्य के रूप में 1979 में हुई थी।

#### ध्यान रखें

बीमांकक एक ऐसा विशेषज्ञ होता है जो गणितीय तथा सांख्यिकीय पद्धतियों से बीमा से जुड़े जोखिमों का आंकलन करता है: उदाहरण के लिए, अध्याय 4 में हमने देखा कि कैसे बीमांककों ने मृत्युदर तालिकाएं बनाई जिनका उपयोग जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है। बीमांकक को भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI) का सदस्य होना चाहिए।

आई.ए.आई.को निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ शुरू किया गया था:

- भारत में बीमांकन व्यवसाय के विकास के लिए;
- व्यवसाय के सदस्यों को विचार विमर्श के अवसर प्रदान करने के लिए;
- संबंधित विषयों पर शोध तथा व्याख्यान की व्यवस्था करने के लिए;
- बीमांकक परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे लोगों को सुविधाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए

### बी 6 शुल्क सलाहकार समिति (TAC)

शुल्क सलाहकार समिति (TAC) को बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी नियम व शर्तों, लाभों तथा दरों का विनियमन और नियंत्रण करने के लिये किया गया था। परिणामतः, अतीत में अनेक बीमा उत्पादों का मूल्य TAC के द्वारा सुझाए गये मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया गया था। TAC को IRDA के गैर-जीवन बीमा उद्योग के आंकड़ों के प्रबंधक के रूप में देखा जाता है।

IRDA क्रमशः, दरों के शुल्कनिर्धारण मुक्तिकरण को लागू करने की प्रक्रिया में है; गैर-जीवन बीमा की कुछ श्रेणियों के लिए यह पूरा किया जा चुका है लेकिन अन्य के लिए नहीं।

#### ध्यान रखें

शुल्कदर मुक्तिकरण बीमा को मूल्य निर्धारण से मुक्त करने की प्रक्रिया है ताकि बीमाकर्ता अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारण अपने जोखिम आंकलन तथा बाजार के आधार पर कर सकें, न कि अपने ऊपर थोपे गये मूल्यों के आधार पर।

अब जबकि बीमा उत्पादों का मूल्य निर्धारण TAC के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, TAC के द्वारा मानक पॉलिसी शब्दावली को अभी भी बीमाकर्ता प्रयोग करते हैं।

#### बी 7 भारतीय बीमा संस्थान (III)

भारतीय बीमा संस्थान (III) को 1955 में बीमा संस्थानों के फेडरेशन के रूप में स्थापित किया गया था, जो 1987 में III बन गया। इसका मूल प्रयोजन भारत में बीमा शिक्षा तथा प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना है तथा यह बीमा उद्योग के सभी घटकों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें IRDA तथा सरकारी व निजी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियां भी शामिल हैं।

संस्थान विभिन्न स्तरों पर परीक्षाएं संपन्न करता है तथा कनाडा, अमरीका में स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल कर कार्य करता है जिसमें चार्टड बीमा संस्थान भी शामिल हैं (नीचे देखें)।

### बी 8 भारतीय बीमा अकादमी (NIA), पुणे

1980 में NIA का गठन सरकार द्वारा LIC, GIC चार साधारण बीमा कर्ता PSU के सहयोग से किया गया था। NIA, पुणे का मुख्य उद्देश्य एक बीमा प्रशिक्षण संरचना का निर्माण, कार्यान्वयन तथा परिचालन करना है, जिसमें प्रतिभागी अधिकारियों, संकाय सदस्यों तथा कर्मचारियों को शामिल करके सीखने, शोध, शिक्षा, सलाह, प्रकाशन तथा संचार को संभव बनाना शामिल है। यह बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा, सलाह, प्रकाशन तथा नेतृत्व विकास के लिए शीर्ष संस्थान है। NIA, पुणे ने ज्ञानपरक विकास कार्यक्रमों द्वारा विशाल संख्या में योग्य बीमा कार्यकारी विकसित किए हैं।

### बी 9 चार्टड बीमा संस्थान(CII)

चार्टड बीमा संस्थान(CII) को यू.के. में 1912 में रॉयल चार्टर के 150 से अधिक देशों के 95,000 सदस्यों के साथ द्वारा बनाया गया था, जो बीमा तथा व्यावसायिक वित्तीय सेवा की विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। CII सतत रूप से वैशिक व्यावसायिक मानकों को अपनाने के लिए कृत- संकल्प है तथा स्थानीय विनियामकों, शैक्षिक भागीदारों तथा औद्योगिक संस्थाओं के साथ काम करती है ताकि बीमा तथा वित्त सेवाओं के कर्मचारियों तथा एजेन्टों द्वारा स्थानीय बाजार में काम करने के तरीके में व्यावसायिक, कौशल तथा व्यवहार को बेहतर किया जा सके।

### बी 10 बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान (IIRM), हैदराबाद

बीमा तथा जोखिम प्रबंधन संस्थान (IIRM), हैदराबाद एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तथा शोध संस्थान है। संस्थान को आंध्र प्रदेश सरकार तथा IRDA द्वारा, वर्ष 2002 में संयुक्त रूप से IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14(एफ) के प्रावधानों के अंतर्गत, बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा(रेग्यूलर तथा दूरस्थ शिक्षा) कोर्स के संचालन हेतु स्थापित किया गया था।

IIRM का लक्ष्य बीमा क्षेत्र में समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में उभरते हुए बाजारों के विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

#### प्रश्न 13.2

जीवन बीमा परिषद के क्या कार्य हैं?

## सी.1 IRDA तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य

IRDA के कर्तव्य, शक्तियां तथा कार्य IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14 के द्वारा निर्धारित है। IRDA अधिनियम, IRDA को इस बात की शक्तियां प्रदान करता है:

ए)	आवेदकों(कंपनियों) को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना तथा ऐसे पंजीकरणों का नवीनीकरण, परिवर्तन, वापसी, निलंबन तथा निरस्त करना;
बी)	पॉलिसी समनुदेशन, नामांकन, बीमा योग्य हित, बीमा दावों का निबटान, पॉलिसी का समर्पण मूल्य तथा बीमा अनुबंध के अन्य नियम व शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
सी)	मध्यस्थों तथा एजेंटों के लिए व्यवहारिक प्रशिक्षण तथा आचार संहिता, एवं आवश्यक योग्यता निर्धारित करना;
डी)	हानि आंकलनकर्ताओं तथा सर्वेक्षकों के लिए आचार संहिता का निर्धारण;
ई)	बीमा व्यवसाय के क्रिया कलापों में कुशलता को बढ़ावा देना;
एफ)	बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़ी व्यावसायिक संस्थाओं को प्रोत्साहित तथा नियंत्रित करना;
जी)	प्रीमियम आय के उस प्रतिशत को निर्धारित करना जो बीमा कंपनियाँ योजनाओं के प्रोत्साहन पर खर्च कर सकती हैं तथा खंड(एफ) में उल्लिखित संस्थाओं पर नियंत्रण करना;
एच)	इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए फीस तथा शुल्क निर्धारण;
आई)	बीमा कंपनियों तथा बीमा व्यवसाय से जुड़ी अन्य संस्थाओं से सूचनाएं प्राप्त करना, उनका निरीक्षण, जांच, तथा ऑडिट करना;
जे)	साधारण बीमा व्यवसाय के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी दर, लाभ, नियम व शर्तों को नियंत्रित तथा विनियमित करना जो बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत, शुल्क निर्धारण सलाहकार समिति (TAC) द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नहीं होते हैं;
के)	यह निर्धारित करना कि बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों द्वारा लेखा पुस्तकों को किस प्रकार तैयार करना है तथा लेखा विवरणों को किस प्रकार प्रस्तुत करना है;
एल)	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमितीकरण;
एम)	प्रत्येक बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित विधिक साल्वेसिं की सीमा का ध्यान रखना तथा विनियमित करना(नोट: साल्वेसी की सीमा वह राशि है जिससे बीमा कंपनी की आस्तियाँ उसकी देयताओं से अधिक होनी चाहिये);

एन)	बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों के बीच पैदा हुए विवादों पर निर्णय देना;
ओ)	शुल्क सलाहकार समिति (TAC) के कार्यों में सहायता करना(अनुच्छेद बी6 देखें);
पी)	बीमा कंपनियों द्वारा, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले जीवन बीमा तथा साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्धारण; तथा
क्यू)	ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जिनका निर्धारण किया जा सकता है.

### सी.2 रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (RBI)

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, भारत का केन्द्रीय बैंक है इसे 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित किया गया था। RBI भारत में वित्तीय प्रणाली का विनियामक, सुपरवाइजर तथा मौद्रिक प्राधिकरण है। यह बैंकिंग गतिविधियों को दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली कार्य करती है। RBI देश की मौद्रिक नीति निर्धारित तथा लागू करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि मूल्य रिसर्वता बनी रहे।

### सी.3 भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड (SEBI)

SEBI को भारतीय प्रतिभूति तथा विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अंतर्गत 12 अप्रैल 1992 को गठित किया गया था। SEBI भारत के प्रतिभूति बाजार का नियंत्रक है तथा प्रतिभूति बाजारों में सभी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। ये समय समय पर उपयुक्त माध्यमों से प्रतिभूति बाजार के विकास तथा संवर्धन के लिए भी जिम्मेदार हैं।

#### प्रश्न 13.3

IRDA के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं?

### डी. IRDA(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000

जुलाई 2000 में IRDA ने बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम जारी किया। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिये क्योंकि यह बीमा एजेंटों को लाइसेंस जारी करने तथा नवीनीकरण के मामले से संबंधित है।

#### डी.1.एजेंट बनना

आपको एक जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे, तथा कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा।

## एक एजेन्ट बनना

आवेदन पत्र(नियम 3) तथा फीस(नियम 7)

योग्यता(नियम 4)

व्यवहारिक प्रशिक्षण(नियम 5)

परीक्षा (नियम 6)

लाइसेंस प्राप्त एजेंट

### डी.1.ए आवेदन

सबसे पहले, कोई व्यक्ति जो एक बीमा एजेंट के रूप में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना चाहता है, को एक निश्चित फार्मेट पर नियम 3 के अनुसार विनिर्दिष्ट व्यक्ति को आवेदन करेगा। आवेदन के साथ ₹.250 का शुल्क जमा होना चाहिए, जो नियम 7 में अधिकृत व्यक्ति को देय हो।

### डी.1.बी योग्यता

आवेदक की नियम 4 के अनुसार निम्नलिखित आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।

यदि आवेदक किसी ऐसी जगह का निवासी हो जिसकी पिछली जनगणना के आधार पर कम से कम 5000 की जनसंख्या हो.	यदि आवेदक कहीं और रहता हो
<ul style="list-style-type: none"><li>कम से कम 12 वीं कक्षा पास हो; या</li><li>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>कम से कम 10 वीं कक्षा पास हो; या</li><li>किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।</li></ul>

### डी.1.सी प्रायोगिक प्रशिक्षण

आवेदक को **नियम 5** के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पहली बार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय, आवेदक को किसी स्वीकृत संस्थान से जीवन बीमा व्यवसाय का कम से कम 50 घंटे(समग्र एजेंसी की स्थिति में 75 घंटे) का व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा करना चाहिए। तथापि आवेदक के पास अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता होने की स्थिति में इस व्यावहारिक प्रशिक्षण की शर्त में छूट भी दी जा सकती है(जैसा कि उप नियम 1 में निर्दिष्ट है)।

#### डी.1.डी परीक्षा

आवेदक को **नियम 6** के अनुसार जीवन बीमा व्यवसाय में भर्ती पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। इस परीक्षा को भारतीय बीमा संस्थान (III) द्वारा या किसी अन्य स्वीकृत परीक्षा संस्था द्वारा संचालित किया जाता है।

#### डी.1.ई लाइसेंस जारी होना

विनिर्दिष्ट व्यक्ति, आवेदक के संबंध में इन बातों से संतुष्ट होने पर लाइसेंस जारी कर सकता है:

- वह नियम 4 के अनुपालन में है(उपयुक्त योग्यता रखता है)
- वह नियम 5 के अनुपालन में है(प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त है)
- वह नियम 6 के अनुपालन में है(आवश्यक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है)
- उसका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है।
- बीमा व्यवसाय तलाश करने तथा प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त ज्ञान प्राप्त है; तथा
- वह पॉलिसी धारकों को जरूरी सेवाएं देने में सक्षम है।

#### डी.1.एफ लाइसेंस का नवीनीकरण

नियम 5(3) के अनुसार, एक लाइसेंस के नवीनीकरण हेतु आवेदनकर्ता को किसी मान्य संस्थान से कम से कम 25 घंटे का जीवन बीमा व्यवसाय का प्रशिक्षण पूरा कर लेना आवश्यक है।

#### डी.1.जी लाइसेंस का निरस्तीकरण

विनिर्दिष्ट व्यक्ति, किसी एक बीमा एजेंट के लाइसेंस को निरस्त कर सकता है, यदि अधिनियम के अनुच्छेद 42 के उपनियम(4) में वर्णित अयोग्यताओं में से कोई विद्यमान हो।

उप-अनुच्छेद में वर्णित अयोग्यताएं जो किसी एजेंट पर लागू होंगी, निम्न हैं:

- यदि वह नाबालिग है।
- यदि व्यक्ति को सक्षम न्यायिक अदालत द्वारा असंतुलित मस्तिष्क का पाया गया हो।

- यदि व्यक्ति को सक्षम न्यायिक अदालत द्वारा आपराधिक हेराफेरी, विश्वास भंग, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे अपराधों को करता हुआ या बढ़ावा देता हुआ पाया गया हो।
  - यद्यपि, यदि ऐसे अपराध में उसको मिली सजा पूरी हुए पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हों, तो सजा को अयोग्यता का आधार नहीं माना जाएगा.
- यदि व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता या बीमित से जानते बूझते हेराफेरी, बेर्इमानी या अनुचित प्रतिनिधित्व करता पाया गया हो।
- यदि व्यक्ति आवश्यक योग्यता न रखता हो या नियमानुसार अधिकतम 12 महीने का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त न हो।
- व्यक्ति ने आचार-संहिता का उल्लंघन किया हो(अनुच्छेद डी2 देखिए)।

#### प्रश्न 13.4

नये जीवन बीमा एजेंट को कितने घंटों का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता हैं?

#### डी.1.एच. डुप्लीकेट लाइसेंस जारी करना

खो गये, नष्ट हो गये या फट गये लाइसेंस के स्थान पर प्राधिकरण रु.50 शुल्क ले कर डुप्लिकेट लाइसेंस जारी कर सकता है।

#### डी.1.जी लाइसेंस के बिना कार्य करना

यदि कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के एक बीमा एजेंट की तरह कार्य करता है तो उसे रु.500 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।

#### डी.2. एजेंट की आचार संहिता

लाइसेंसीकरण नियमों के साथ-साथ, विनियामक ने एक आचार संहिता भी निर्धारित की है, जिसका अनुपालन प्रत्येक बीमा एजेंट को करना होता है। इसके बारे में हम अध्याय 15 में चर्चा करेंगे।

#### प्रश्न 13.5

एक बीमा एजेन्ट बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है?

#### मुख्य बिंदु

#### सरकार की भूमिका

- IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह एक अध्यादेश जारी करके IRDA की शक्तियों का महत्व कम कर सकती है।

<ul style="list-style-type: none"> <li>• अधिनियम, केन्द्र सरकार को समय-समय पर लिखित रूप में IRDA को निर्देश देने का अधिकार देता है, ताकि वह IRDA से तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त नीतियों पर सवाल कर सके।</li> <li>• वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सरकार बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे सकती है।</li> <li>• सरकार लोगों को बीमा में निवेश के लिए विभिन्न प्रकार के कर संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करती है।</li> </ul>
<b>प्रमुख भारतीय इकाइयां</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• सरकार, IRDA, तथा जनता के बीच सभी चर्चाओं का जीवन बीमा परिषद (LIC), संचालन तथा समन्वय करती है।</li> <li>• IBAI, IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष संस्था है जो भारत के सभी बीमा ब्रोकरों का प्रतिनिधित्व करती है।</li> <li>• भारतीय बीमांकन संस्थान (IAI) का लक्ष्य भारत में बीमांकन व्यवसाय को बढ़ावा देना है।</li> <li>• साधारण बीमा के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित दरों, लाभों, नियम व शर्तों का नियमन तथा नियंत्रण के लिए TAC गठित की गयी थी।</li> <li>• भारत में बीमा शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए III, का गठन किया गया था।</li> </ul>
<p>* CII स्थानीय बाजारों में काम कर रहे एजेंटों, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में व्यावसायिक गुणों, कौशल तथा कुशलता को बेहतर करने के लिए स्थानीय विनियामकों, शिक्षा में भागीदारों तथा औद्योगिक संस्थाओं के साथ कार्य करती है।</p>
<b>IRDA तथा अन्य विनियामकों के कर्तव्य, शक्तियां तथा गतिविधियाँ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>* एक स्वायत्त संस्था के रूप में IRDA का गठन, बीमा उद्योग के विकास तथा विनियमन के लिए किया गया था।</li> <li>* IRDA अधिनियम 1999 के अनुच्छेद 14 के अनुसार, इसके कर्तव्य, शक्तियों तथा कार्य निर्धारित किये गये हैं।</li> <li>* बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन, प्रोत्साहन तथा सुव्यवस्थित विकास करना IRDA का कर्तव्य है।</li> </ul>
<b>IRDA(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम 2000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• जुलाई 2000 में IRDA ने बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण(बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम जारी किया।</li> <li>• एजेंट बनने के लिए आवेदक को पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म तथा फीस अभिहित व्यक्ति के पास जमा करना चाहिए। आवेदक को पर्याप्त निर्धारित योग्यता तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए साथ ही उसे लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व विनिर्दिष्ट परीक्षा को पास करना चाहिए।</li> </ul>

**प्रश्न—उत्तर**

यदि सरकार की राय हो कि आई.आर.डी.ए. अपने कार्यों और कतव्यों को निभा पाने में असमर्थ है(जिसका कारण आई.आर.डी.ए. के नियंत्रण में न हों); या उसके द्वारा कतव्यों तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बार-बार चूक हुई है या परिस्थितियों को देखते हुए कार्रवाई करना जनता के हित में है, तो सरकार अपने इस अधिकार का प्रयोग कर के आई.आर.डी.ए. के अधिकारों का अतिक्रमण सकती है। सरकार ऐसा एक अधिसूचना जारी करके कर सकती है।

**13.2**

जीवन बीमा परिषद के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- 1.नैतिकता तथा नियंत्रण के उच्च मानकों का अनुरक्षण
- 2.उद्योग की सकारात्मक छवि बनाना तथा ग्राहक के विश्वास में वृद्धि
- 3.जीवन बीमा की भूमिका तथा लाभों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना
- 4.सरकार, कानून के निर्माताओं तथा विनियामकों के संरचित तथा सक्रिय विचार विमर्श का आयोजन.
- 5.जीवन बीमा में शोध तथा इस क्षेत्र के विकास में योगदान
- 6.वित्तीय सेवा क्षेत्र की अन्य संस्थाओं के साथ चर्चा के लिये मंच के रूप में
- 7.बीमा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सम्मेलनों में प्रमुख भूमिका निभाना
- 8.सदस्यों को आवश्यकता पड़ने पर सहायता तथा दिशानिर्देश प्रदान करना
- 9.वैश्विक बाजार भारतीय जीवन बीमा उद्योग के बीच एक सक्रिय कड़ी के रूप में कार्य करना

**13.3**

IRDA के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल है—प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ताकि अधिक विकल्पों तथा कम प्रीमियम के आधार पर ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाया जा सके, तथा साथ ही बीमा बाजार की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना।

**13.4**

किसी नये जीवन बीमा एजेंट को 50 घंटे का प्रशिक्षण को लेना आवश्यक है, परन्तु यदि अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता हो तो इसमें ढील भी दी जा सकती है।

**13.5**

एक जीवन बीमा एजेंट बनने के लिए आपको कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, तथा कुछ मापदंडों को पूरा करना होगा।

1. एक एजेंट बनने के लिए आवेदक को पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म (विनियम 3)तथा रु. 250 की फीस (नियम 7)अभिहित व्यक्ति के पास जमा करना होगा।
2. आपकी आवश्यक योग्यता: यदि आप 5000 से अधिक जनसंख्या के क्षेत्र के निवासी हैं तो 12 वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए, तथा यदि इससे कम जनसंख्या

- क्षेत्र से हैं तो आपको कम से कम 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए(नियम 4)।
3. आपको 50 घंटे को प्रशिक्षण को लेना आवश्यक है( या इससे कम यदि आप अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता धारक हैं तो)(नियम 5)।
  4. आपको जीवन बीमा व्यवसाय में भर्ती पूर्व परीक्षा पास होना चाहिए।(नियम 6)
  5. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने तथा यह मान लिये जाने पर कि आपमें बीमा व्यवसाय प्राप्त करने, उसकी मांग करने तथा पॉलिसी धारकों को आवश्यक सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान तथा कौशल है, आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

#### स्व-परीक्षण प्रश्न

1. एक बीमा एजेंट की न्यूनतम योग्यता क्या है?
2. IRDA की सात शक्तियां तथा कार्य क्या हैं?
3. IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार केन्द्र सरकार की भूमिका क्या है?
4. भारत में वर्तमान समय में बीमा में स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा कितनी है?

उत्तर आपको अगले पृष्ठ पर मिलेंगे

#### स्व-परीक्षण प्रश्न के उत्तर

1. आवेदक में विनियम 4 के अंतर्गत आवश्यक योग्यता होना जरूरी है। यदि आप 5000 से अधिक जनसंख्या (पिछली जनगणना के अनुसार) क्षेत्र के निवासी हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12 वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए, तथा यदि इससे कम जनसंख्या क्षेत्र से हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए(नियम 4)।
2. आपके जवाब में निम्न में से सात बिंदु होने चाहिये।  
IRDA की शक्तियां तथा कार्य:
  1. आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना, नवीनीकृत करना, परिवर्तित करना, वापस लेना, स्थगित या निरस्त करना;
  2. पॉलिसी का समनुदेशन, नामांकन, बीमा योग्य हित, दावों का निबटान, समर्पण राशि, तथा पॉलिसी अनुबंध के नियम व शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
  3. मध्यस्थों तथा एजेंटों के लिए वांछित योग्यताएं, व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा आचार संहिता का निर्धारण
  4. सर्वेक्षणकर्ताओं तथा हानि आंकलनकर्ताओं के लिए आचार संहिता निर्धारित करना;

5. बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढ़ावा देना;
  6. बीमा तथा पुनर्बीमा व्यवसाय से जुड़े व्यावसायिक संस्थानों का विनियमितीकरण तथा प्रोत्साहन;
  7. प्रीमियम आय के उस प्रतिशत को तय करना जो बीमा कंपनियों को योजनाओं के प्रोत्साहन पर खर्च करना है तथा खंड(एफ) में संदर्भित संस्थाओं पर नियंत्रण करना;
  8. इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए फीस तथा शुल्क लगाना;
  9. बीमा कंपनियों तथा बीमा व्यवसाय से जुड़ी अन्य संस्थाओं से सूचना लेना, उनका निरीक्षण तथा जांच तथा ऑडिट करना;
  10. साधारण बीमा व्यवसाय के संदर्भ में बीमाकर्ताओं द्वारा जारी दर, लाभ, नियम व शर्तों को नियंत्रित तथा विनियमित करना जो बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 64 यू के अंतर्गत, शुल्क निर्धारण सलाहकार समिति (TAC) द्वारा नियंत्रित तथा विनियमित नहीं होते हैं;
  11. यह निर्धारित करना कि बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों को किस प्रकार से लेखा पुस्तकों को बनाना है तथा किस प्रकार लेखा विवरण को प्रस्तुत करना है;
  12. बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का नियंत्रण;
  13. प्रत्येक बीमा कंपनी को निर्धारित विधिक साल्वेंसीं की सीमा का ध्यान रखना तथा विनियमित करना;
  14. बीमा कंपनियों तथा मध्यस्थों के बीच पैदा हुए विवादों पर निर्णय देना;
  15. शुल्क सलाहकार समिति (TAC) के कार्यों का पर्यवेक्षण;
  16. बीमा कंपनियों द्वारा, ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्रों में किये जाने वाले जीवन बीमा तथा साधारण बीमा व्यवसाय का प्रतिशत निर्धारण;
  17. ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिनकी अनुशंसा की जाए.
3. IRDA अधिनियम 1999 के अनुसार केन्द्र सरकार की भूमिका निम्नलिखित है:
- संसद द्वारा आवश्यक अनुमोदन के पश्चात आई.आर.डी.ए. को वित्तीय सहायता जारी करना, ताकि वह अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उसका उपयोग कर सके।
  - आई.आर.डी.ए. का वार्षिक खाता भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के द्वारा अंकेष्ठित किया जाना तथा उसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदुपरान्त केन्द्र सरकार के द्वारा लेखापत्रक संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाते हैं।
  - तकनीकी तथा प्रशासनिक मामलों के अतिरिक्त अन्य नीतिगत मामलों में केन्द्र सरकार आई.आर.डी.ए. को दिशानिर्देश जारी कर सकती है। केन्द्र सरकार समय समय पर इस प्रकार के लिखित दिशानिर्देश जारी कर सकती है तथा आई.आर.डी.ए. इन्हें मानने

के लिए बाध्य है।

- समय—समय पर केन्द्रीय सरकार की माँग पर आई.आर.डी.ए. को बीमा उद्योग के विकास तथा संवर्धन हेतु वर्तमान कार्यक्रम या किसी प्रस्तावित कार्यक्रम से संबंधित ब्योरा, रिटर्न, तथा अन्य विवरण, प्रस्तुत करना चाहिये।
  - केंद्र सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह एक नोटिफिकेशन के द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकती है।
4. सरकार वर्तमान समय में बीमा क्षेत्र में 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकार करती है। निजी क्षेत्र की स्थानीय कंपनियां विदेशी भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित कर सकती हैं जिनमें विदेशी भागीदारी 26 प्रतिशत तक हो सकती है।

# 14

## उपभोक्ता संरक्षण

अध्याय सामग्री	पाठ्यक्रम अध्ययन परिणाम
ए उपभोक्ता संरक्षण के महत्व	14.1
बी आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का संरक्षण) विनियम 2002	14.3
सी प्रारूपिक शिकायतें	14.2
डी उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटना	14.4
ई बीमा लोकपाल की भूमिका	14.3
एफ आईआरडीए का शिकायत निवारण सेल	14.4
जी एक प्रारूपिक शिकायत	14.2,14.3
एच लाइसेंस का रद्द होना	14.2
अध्ययन के उद्देश्य	
इस अध्याय का अध्ययन करने के बाद आपको निम्नलिखित को करने में सक्षम होना चाहिए :	
<ul style="list-style-type: none"><li>• उपभोक्ता सुरक्षा के महत्व को पहचानना</li><li>• आईआरडीए द्वारा 2002 में जारी किये गये आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का</li></ul>	

संरक्षण ) विनियम पर चर्चा ;

- जीवन बीमा पॉलिसी में शामिल किये जाने वाले विवरणों की रूपरेखा
- बीमा कंपनियां में आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र पर चर्चा □;
- बीमा विवादों को निपटाने में बीमा लोकपाल की भूमिका पर चर्चा;
- लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाने के तरीकों का वर्णन
- बीमा कंपनियों और बीमा एजेंटों के खिलाफ प्रारुपिक शिकायतों का वर्णन ;
- उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए आईआरडीए द्वारा किए गए विभिन्न उपायों पर चर्चा;
- आईआरडीए के शिकायत निवारण सेल का वर्णन और
- उन हालातों को बताना जब आईआरडीए किसी एजेंट का लाइसेंस निरस्त कर सकता है

## परिचय

जैसा किसी भी व्यापार के साथ होता है, बीमा कंपनियों का लक्ष्य भी लाभ कमाना होता है। परन्तु, आजकल सभी प्रकार के व्यवसायों में यह जागरूकता बढ़ती जा रही है कि उपभोक्ताओं के हितों को भूल कर लाभ नहीं कमाना चाहिए और प्रत्येक व्यापार की जिम्मेदारी है कि यह निर्णय लेते समय कि व्यवसाय कैसे चलाया जाएगा, अपने सभी हितधारकों ( उपभोक्ताओं सहित ) के हितों का ध्यान रखें। इसमें उपभोक्ताओं से स्पष्ट और इस प्रकार से संवाद शामिल है जो उपभोक्ताओं को आसानी से समझ में आ सके।

वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, विशेष रूप से बीमा में, कोई उपभोक्ता जितना अधिक आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा, उनके हितों की रक्षा करना उतना आसान होगा। भारत के कई भागों में ऐसा नहीं है अतः जीवन बीमा एजेंटों सहित, सभी व्यवसायियों की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि उपभोक्ताओं को सही ढंग से सटीक प्रासंगिक जानकारी देते हुए, जहाँ तक संभव हो, उनका व्यवहार, पारदर्शी रहे।

इस के लिए, प्रमुख उद्योगों के हितधारकों द्वारा, विभिन्न उपाय किये गये हैं (आईआरडीए, बीमा कंपनियाँ, बीमा परिषद आदि) जिससे बीमा उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सेवा प्रदान की जा सके और

उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस अध्याय में हम निम्नलिखित प्रमुख उपायों पर चर्चा करेंगे:

- पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए आईआरडीए द्वारा जारी किए गए नियम ;
- बीमा कंपनियों के आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ;
- बीमा लोकपाल;
- आईआरडीए के उपभोक्ता विभाग की भूमिका;
- आईआरडीए का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, और
- पॉलिसीधारक की रक्षा के लिए अन्य उपाय

महत्वपूर्ण शब्द				
इस अध्याय में निम्नलिखित शब्दों और अवधारणाओं पर स्पष्टीकरण दिया जाएगा :				
उपभोक्ता संरक्षण	विवरणपत्र	बीमा के लिए प्रस्ताव	शिकायत प्रक्रिया	निवारण
दावा प्रक्रिया	पॉलिसीधारकों की सेवा	बीमा लोकपाल	निपटान	
पुरस्कार	अनुशंसा	प्रारूपिक शिकायतें	शिकायत प्रबंधन प्रणाली	
आईआरडीए का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ	मुख्य विशेषताओं के दस्तावेज़	उपभोक्ता विभाग	लाइसेंस का नियंत्रण	

## ए उपभोक्ता सुरक्षा का महत्व

बीमा उद्योग में, कई कारणों से, उपभोक्ता सुरक्षा का बहुत महत्व है। जैसा कि परिचय में उल्लेख किया गया है, अन्य कई देशों की तुलना में, भारत के कुछ भागों में, वित्तीय साक्षरता का स्तर अभी भी कम है। परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ता संरक्षण उपाय, तब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब एजेंट या बीमा कंपनी से किसी भी स्तर पर, बेचने की प्रक्रिया, नवीकरण या दावा प्रस्तुत करने के दौरान समस्या होती है,

### ध्यान रखें

कुछ लोग अभी भी बीमा सुरक्षा के महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं और बीमा कंपनी को

जोखिम स्थानांतरित करने के बजाय, जोखिम के साथ रहना पसंद करते हैं। यह, भारत में, जीवन बीमा की कम पैंठ को दर्शता है जो परिमाण की जनसंख्या के आधार पर 10% से भी कम है। इनमें से कुछ लोग, पर्याप्त सुरक्षा नहीं लेते जितनी उनके लिए अवश्यक है।

जिनके पास बीमा कवर है उनमें से भी, बहुत से व्यक्तियों को दावा निपटान, प्रीमियम, पॉलिसी सेवा, पॉलिसी नियमों और शर्तों के बारे में शिकायतें हैं, जिनमें से एक बड़े अनुपात में कानूनी विवादों में परिणित होते हैं। यह प्रवृत्ति, बीमा उद्योग के समग्र विकास के साथ साथ उपभोक्ता १, व्यक्तिगत एजेंटों और बीमा कंपनियों के लिए समान रूप से हानिकारक है। इसलिए, एजेंटों और बीमा कंपनियों के लिए यह अवश्यक है कि कैसे वे अपनी भूमिका को निभाते हुए और अपने कार्यों को करते हुए, उपभोक्ता १ को संतुष्ट करने और उनके हितों को पर ध्यान केंद्रित करें।

#### ध्यान रखें

एक जानकार और संतुष्ट उपभोक्ता उद्योग के लिए एक ब्रांड एंबेसडर है। इसलिए, सभी उद्योग हितधारकों के हित में है कि वह उपभोक्ता की रक्षा करें।

एजेंट को सुनिष्चित करना चाहिए कि तथ्य— खोज करते समय, संभावित उपभोक्ता को हर संभव उत्पाद की जानकारी दें और सही प्रकटन करे जिससे भविष्य में किसी शिकायत के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहे। अगर पॉलिसी खरीदने के बाद, किसी उपभोक्ता को अभी भी कोई शिकायत है तो एजेंट को, उचित माध्यम और उचित तरीके से उपभोक्ता का मार्गदर्शन करना चाहिए। उपभोक्ता और बीमा कंपनी के बीच एक मध्यस्थ के रूप में, एजेंट को, मुद्दे का जल्दी से जल्दी हल उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे, इस प्रक्रिया में एक अपनत्व का स्पर्श जुड़ेगा और उपभोक्ता का असंतोष कम करने में काफी मदद मिलेगी।

#### बी आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का संरक्षण) विनियम 2002

अक्टूबर 2002 में, आईआरडीए ने, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित नियम जारी किए हैं।

#### बी1 बिक्री के प्वाइंट

1. किसी भी बीमा उत्पाद की सूचीपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित होगा :
  - लाभ की सीमाएँ;
  - बीमा कवर की सीमा;
  - सरल षब्दों से बीमा कवर के अपवर्जन और शर्तें
  - क्या उत्पाद सहभागिता (लाभ के साथ) या गैर सहभागिता (बिना लाभ) है;
  - स्वास्थ्य या गंभीर बीमारी से संबंधित सभी राइडरों पर प्रीमियम, आवधिक या समूह उत्पादों के मामले में, मुख्य पॉलिसी के प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा;
  - यह कि स्वीकार्य राइडर या उत्पाद पर राइडर के, लाभ की सीमाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में, अन्य सभी राइडरों हेतु कुल प्रीमियम, मुख्य उत्पाद के प्रीमियम का 30% से अधिक नहीं होगा।
  - किसी भी राइडर के अन्तर्गत मिलने वाला लाभ, मूल उत्पाद की बीमा राशि से अधिक नहीं होगा। □ .
2. बीमा कंपनी या उसके एजेंट या अन्य मध्यस्थ संभावित उपभोक्ता को प्रस्तावित कवर के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे ताकि वह सबसे उपयुक्त कवर पर फैसला करने में सक्षम हों।
3. जहाँ संभावित उपभोक्ता, बीमा कंपनी या उसके एजेंट या बीमा मध्यस्थ की सलाह पर निर्भर है, तो ऐसे व्यक्ति को, संभावित जरूरत(ों) के अनुसार उत्पाद(ों) की सिफारिश करनी चाहिए।
4. जब, किसी भी कारणवश, संभावित उपभोक्ता द्वारा, प्रस्ताव और अन्य संबंधित दस्तावेज़/प्रपत्र पूर्ण नहीं किये गये हैं तो, प्रस्ताव पत्र के अंत में एक प्रमाण पत्र शामिल किया जाएगा कि उपभोक्ता को प्रपत्र और दस्तावेज़ों की विषयवस्तु को पूरी तरह से समझा दिया गया है और उन्होंने प्रस्तावित अनुबन्ध के महत्व को पूरी तरह से समझा लिया है।

#### ध्यान रखें

बिक्री की प्रक्रिया में, बीमा कंपनी या उसके कोई एजेंट या कोई मध्यस्थ, निम्नलिखित द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन करते हुए कार्य करेंगे

- प्राधिकरण
- लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल □; और
- मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकाय या संघ जिसका, एजेंट या मध्यस्थ या बीमा मध्यस्थ एक सदस्य हो।

## बी2 बीमा प्रस्ताव

कवर प्रदान करने के लिए प्रस्ताव का लिखित दस्तावेज के रूप में साक्षी द्वारा हस्ताक्षित होना चाहिए। बीमाकर्ता का यह कर्तव्य है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर, बीमाकृत व्यक्ति को प्रस्ताव पत्र की एक मानार्थ (कॉम्प्लीमेंटरी) प्रति उपलब्ध कराये।



कवर प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रपत्रों और दस्तावेजों को, प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, के आधार पर, भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं में उपलब्ध कराना चाहिए।



जहां प्रस्ताव प्रपत्र का उपयोग नहीं किया गया हो, बीमा कंपनी मौखिक या लिखित रूप में प्राप्त जानकारी को रिकॉर्ड करेगी तथा प्रस्तावक से 15 दिनों की अवधि के भीतर, सूचना की पुष्टि करेगी और उस जानकारी को कवर नोट या पॉलिसी में शामिल करेगी। दर्ज नहीं की गई किसी भी जानकारी के संबंध में बीमा कंपनी का दायित्व नहीं होगा यदि बीमा कंपनी का दावा है कि कवर प्रदान करने के लिए, प्रस्तावक द्वारा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई गई है या भ्रामक या झूठी दी गई है।



जहाँ भी प्रस्तावक को नामांकन की सुविधा उपलब्ध हैं, बीमा कंपनी, प्रस्तावक का ध्यान बीमा

अधिनियम, 1938 की शर्तों या पॉलिसी की शर्तों की ओर, आकर्षित करेंगी आर संभावित उपभोक्ता को नामांकन की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी।



बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावों पर तीव्र गति और दक्षता पूर्ण कार्यवाही की जाएगी और सभी निर्णय, उचित अवधि के भीतर, जो प्रस्ताव की प्राप्ति से 15 दिनों से अधिक नहीं होगी, लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

#### ध्यान रखें

प्रस्ताव प्रपत्र भरते समय, संभावित उपभोक्ता को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 45 (निर्विवादिता धारा) के प्रावधानों के विषय में सूचित किया जाना चाहिए। जीवन कवर प्रदान करने हेतु किसी भी प्रस्ताव में अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों को प्रमुखता से बताया जाना चाहिए।

#### बी3 शिकायत निवारण प्रक्रिया

पॉलिसीधारकों की शिकायतों और समस्याओं को कुशलता से समझने और त्वरित निराकरण करने के लिए, बीमा कंपनी के पास उचित व्यवस्था होनी चाहिए। बीमा लोकपाल से संबंधित जानकारी पर भी यह लागू होता है, जिसे पॉलिसीधारक को, पॉलिसी दस्तावेज के साथ जैसा आवश्यक हो, सूचित किया जाएगा।

#### ध्यान रखें

प्रत्येक बीमा कंपनी द्वारा अनुसरण किये जाने वाला आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र और बीमा लोकपाल की भूमिका के बारे में इस अध्याय के खण्ड ई में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

#### बी4 जीवन बीमा पॉलिसी में इंगित किये जाने वाले तथ्य-

1. प्रत्येक जीवन बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित इंगित होगा:

- पॉलिसी से सम्बद्ध योजना का नाम, उसके नियमों और शर्तों सहित;
- क्या वह लाभ में सहभागी है अथवा नहीं;
- लाभ में सहभागिता के आधार जैसे नकद बोनस, आरथगित बोनस, साधारण या चक्रवृद्धि प्रत्यावर्ती बोनस;
- देय लाभ और आकस्मिकताएँ जिनपर यह देय होते हैं और बीमा अनुबंध के अन्य नियम और शर्त;
- मुख्य पॉलिसी से सम्बद्ध राइडरों की जानकारी;
- जोखिम प्रारंभ होने की तिथि और परिपक्वता तिथि या तिथि(यों) दिनांक, जिस पर लाभ देय होंगे;
- देय प्रीमियम, प्रीमियम भुगतान की अवधि या प्रीमियम भुगतान के लिए अनुमन्य रियायती अवधि, प्रीमियम की अंतिम किस्त की देय तिथि, प्रीमियम का भुगतान बन्द होने के परिणाम और गारंटीयुक्त समर्पण मूल्य के प्रावधान के बारे में भी;
- प्रवेश के समय, आयु और क्या वह स्वीकार की गयी है;
- पॉलिसी के संबंध में निम्नलिखित के लिए आवश्यकताएँ :
  - पॉलिसी का एक चुकता पॉलिसी में परिवर्तन
  - समर्पण,
  - गैर जब्तीकरण
  - व्यपगत पॉलिसीयों का पुनरुर्ज्जीवन
- कवर के दायरे, मुख्य पॉलिसी और राइडर, दोनों के अन्तर्गत कवर की सीमा से बाहर आकस्मिकताएँ
- नामांकन, समनुदेशन और पॉलिसी की प्रतिभूति पर देय ऋण के प्रावधान तथा ऋण लेने के समय कंपनी द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज देय होगा, का उल्लेख
- कोई विशेष उपखण्ड या शर्त, जैसे प्रथम गर्भावस्था उपखण्ड, आत्महत्या उपखण्ड आदि
- बीमा कंपनी का पता, जिसपर पॉलिसी के संबंध में पत्राचार किया जा सकता है

- किसी पॉलिसी के अन्तर्गत दावेदार को दावे की पुष्टि हेतु सामान्य रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज
- बीमा कंपनी द्वारा प्रेषित किए जाने वाले पॉलिसी दस्तावेज के साथ यह सूचना दी जानी चाहिए कि बीमा लोकपाल से कैसे संपर्क किया जा सकता है। यदि पॉलिसीधारक किसी मामले में संतुष्ट न हो और बीमाकर्ता उचित समयावधि में उसके असंतोष का निवारण न करे तो बीमाधारक अपनी शिकायत के लिए बीमा लोकपाल से सम्पर्क कर सकता है।

### गतिविधि का सुझाव

अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों से पूछें कि क्या उनमें से किसी ने जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। यदि हाँ, तो पॉलिसी की तुलना उपर्युक्त विषयों से कीजिए और देखिए कि पॉलिसी में इन विषयों का वर्णन कैसे किया गया है।

2. उपरोक्त वर्णित विनियमों के विनियम 6 (1) के अनुसार, बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को पॉलिसी दस्तावेज अग्रसारित करते समय एक पत्र द्वारा सूचित करेगा कि वह पॉलिसी दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के अन्दर, पॉलिसी के नियम और घर्ता की समीक्षा कर सकते हैं। जहां बीमाधारक पॉलिसी के किसी नियम या शर्त से सहमत नहीं हैं तो आपत्ति के कारण बताते हुए, उसे पॉलिसी को वापस करने का विकल्प प्राप्त है। पॉलिसीधारक को प्रीमियम वापस पाने का अधिकार है परन्तु कवर प्रभावी रहने की अवधि के लिए अनुपातिक जोखिम प्रीमियम, प्रस्तावक की चिकित्सा जांच पर बीमा कंपनी द्वारा किए गए व्यय और स्टांप शुल्क की कटौती की जाएगी। 15 दिन की इस अवधि को फ्री-लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड के रूप में जाना जाता है।

3. किसी यूनिट लिंक्ड पॉलिसी के संबंध में, इस विनियम के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत कटौती के अतिरिक्त, रद्द होने की तारीख पर यूनिटों के मूल्य पर बीमा कंपनी को, यूनिट के पुनर्खरीद का अधिकार होगा।

4. जहां लिये जाने वाले कवर का प्रीमियम आयु पर निर्भर है, बीमा कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि जहाँ तक संभव हो, पॉलिसी दस्तावेज जारी किये जाने से पहले, उपभोक्ता की आयु स्वीकार

की जाए। अगर पॉलिसी जारी करने तक आयु घोषित नहीं की जाती है तो बीमा कंपनी, जल्द से जल्द आयु का प्रमाण प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

**प्रश्न 14.1**


किसी बीमा उत्पाद की विवरण पत्रिका में स्पष्ट रूप से क्या जानकारी होनी चाहिए ?

## बी5 दावा प्रक्रिया

आईआरडीए द्वारा पॉलिसीधारक के हित संरक्षण विनियम में, जीवन बीमा दावों को निपटाने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं निर्धारित की गयी हैं। हमने इन दिशानिर्देशों के विषय में पहले ही अध्याय 11 में अध्ययन किया है जहाँ हमने दावों पर विस्तार से चर्चा की है।

दावों निपटान प्रक्रिया के दौरान, दावा दर्ज करते समय, प्रत्येक बीमाकर्ता बीमाधारक को उसके द्वारा समय समय पर, पूर्ण की जाने वाली जिम्मेदारियों (पॉलिसी नियमों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में) के बारे में सूचित करेंगे। बीमा कंपनी द्वारा दावा प्रक्रिया को कारगर बनाने और दावे के त्वरित निपटान के लिए ऐसा किया किया जाता है।

## बी6 पॉलिसीधारकों को सेवाएँ



### गतिविधि का सुझाव

अपने परिवार या दोस्तों से पूछें कि क्या कभी उन्होंने, उपरोक्त बिन्दुओं के लिए जीवन बीमा कंपनी से संपर्क किया है। यदि हाँ, तो उनके अनुरोध पर कंपनी ने कैसे कार्य किया और कंपनी की सेवाएँ कितनी त्वरित और मित्रवत थीं।

### बी7 जीवन बीमा एजेंटों के लिए इसका क्या मतलब है?

पॉलिसीधारकों के लिए, बीमा एजेंट, बीमा कंपनी का चेहरा हैं। एजेंट, पॉलिसीधारकों से सीधे संपर्क स्थापित करते हैं। इसलिए, बीमा एजेंट का कर्तव्य है कि वह उपभोक्ता की, सर्वोत्तम ढंग से सेवा करें, जैसा कि नीचे उल्लिखित है:

- अच्छी उपभोक्ता सेवा के द्वारा आप स्वयं को अपने उपभोक्तों के मध्य ऐसे बीमा एजेंट के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं जो उनके लिए काम करेगा।
- पारदर्शिता और प्रकटन के अभाव में उपभोक्ता यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आप उनकी और उनकी जरूरतों के बारे में परवाह नहीं करते। इसके परिणामस्वरूप, वे आपको दोबारा व्यवसाय नहीं देंगे।
- इससे आप मुँह से निकले शब्दों के माध्यम से प्रचार से वंचित होंगे जो विपणन का एक विश्वसनीय तरीका है जिससे आपको अपने कैरियर को सफल बनाने में मदद मिलेगी।
- एक संभावना यह भी है कि ग्राहक, अपनी पॉलिसियाँ जारी नहीं रखना चाहेंगे। यह, आपको एक सतत आय प्रवाह से वंचित तो करेगा ही, आपके प्रति विश्वास पर भी बुरा असर डाल सकता है।

इसलिए, एक एजेंट के रूप में, आपको अपने उपभोक्ता औं के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए और अपने उपभोक्ताओं की सेवा सर्वोत्तम तरीके से करनी चाहिए।

### सी प्रारूपिक शिकायतें

इस भाग में हम पॉलिसीधारक द्वारा दर्ज कराई जाने वाली कुछ प्रारूपिक शिकायतों पर गौर करेंगे। इस खंड का प्रयोजन आपको इन शिकायतों के बारे में बताना है ताकि एक एजेंट के रूप में आप अपनी प्रतिबद्धताओं से विचलित न हों और इन शिकायतों की रोकथाम में मदद करें।

शिकायतों के विश्लेषण से पता चलता है कि एजेंटों से जुड़ी एक आम शिकायत यह है कि वे उपभोक्ता से सभी तथ्यों का प्रकटन नहीं करते हैं और अक्सर, जारी अनुबन्ध को समाप्त करने के लिए अपने उत्पाद के लाभों को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। संभावित उपभोक्ता के बारे में विस्तृत पूछताछ न करना और प्रस्ताव फार्म में गलत प्रतिक्रियाओं/तथ्यों को रिकॉर्ड करने के कारण बाद में दावे अस्वीकृति हो जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं से शिकायत आने की संभावना होती है।

एक और संबद्ध चिंता, बिक्री के बाद सेवा की प्रभावोत्पादकता है। यह भारतीय बीमा बाजार की एक महत्वपूर्ण विषेषता है और उपभोक्ता इसकी उम्मीद रखता है। अतः एजेंटों को चाहिए कि वे अपने उपभोक्ताओं के साथ लगातार संपर्क में रहें जिससे उनको यह विश्वास रहे कि आवश्यकता पड़ने पर वह (एजेंट) उनकी सेवा में उपस्थित हैं।

पॉलिसीधारक द्वारा सामनाकी जाने वाली प्रारूपिक शिकायतें और मुद्दे निम्नवत् सूचीबद्ध हैं।

## सी1 बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

बीमा कंपनियों के खिलाफ दर्ज कुछ सामान्य शिकायतें हैं:

### दावों से संबंधित शिकायतें

दावों का अस्वीकरण

उत्तरजीविता लाभ का भुगतान नहीं किया जाना

परिपक्वता भुगतान का निपटान नहीं किया जाना

वार्षिकियों का भुगतान नहीं किया जाना

दावा राषि का सही न होना

दंड ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना

### पॉलिसी सेवाओं से संबंधित शिकायतें

पॉलिसी बॉड का प्राप्त न होना

पॉलिसी का निरस्तीकरण

पॉलिसी अनुसूची में त्रुटि

पॉलिसी की प्रति जारी करना

पॉलिसी में परिवर्तन

पॉलिसी में नामांकन/समनुदेशन

आंषिक आहरण से संबन्धित

लेखा / बोनस का विवरण प्राप्त न होना

यूलिप के मामले में एनएवी से संबन्धित; और

फ्री-लुक रिफर्न्ड

पॉलिसी के व्यपगमन से संबन्धित शिकायतें

व्यपगत पॉलिसी का पुनर्रूज्जीवन


समर्पण मूल्य का भुगतान नहीं किया जाना

सही समर्पण मूल्य का भुगतान नहीं किया जाना

व्यपगत पॉलिसी में ऋण पर ब्याज का भुगतान नहीं किये जाने के फलस्वरूप पॉलिसी का षीघ्र समापन किया जाना

**सी2 एजेंटों के खिलाफ शिकायतें**

एजेंटों के खिलाफ दर्ज आम शिकायतों में से कुछ निम्नलिखित हैं:



#### ध्यान रखें

एक नए एजेंट के रूप में आपको अपने उपभोक्ता की जरूरतों और आवश्यकताओं पर विषेष ध्यान देना चाहिए जिससे पॉलिसी को बेचने से पहले उसकी उपयुक्तता के बारे में सुनिष्ठित हों सकें। उपभोक्ता की जरूरतों के अनुसार सही पॉलिसी की सिफारिश करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, के बारे में अपनी याद ताजा करने के लिए अध्याय 10 के खण्ड बी और डी को फिर से पढ़ें।

#### डी उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रभावी रूप से निपटाना

इस भाग में हम, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए आईआरडीए द्वारा किए गए प्रयासों और पॉलिसीधारक के लिए उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के विषय में देखेंगे। एक एजेंट के रूप में,

आपको विनियमों में निर्धारित दायित्वों और दिशा निर्देशों को समझना चाहिए और उचित व्यवहार और आचरण करना चाहिए।

जहाँ एक तरफ, एजेंट को अपने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और शिकायत करने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए, वहीं उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के विषय में भी सचेत करना चाहिए। इसमें उनके स्वास्थ्य, आदतें, व्यक्तिगत जानकारी और इतिहास आदि के बारे में ईमानदारी से प्रकटीकरण शामिल है जो जोखिम की स्वीकृति के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

आईआरडीए द्वारा, उपभोक्ता औं की शिकायतों को प्रभावी ढंग से निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता मामले विभाग स्थापित किया गया है।

## डी1 उपभोक्ता मामले विभाग

### ध्यान रखें

उपभोक्ता मामले विभाग के उद्देश्य हैं:

- पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बीमा कंपनियों द्वारा आईआरडीए के विनियमों के अनुपालन पर विशेष ध्यान देना और निगरानी करना
- उपभोक्ताओं को, शिकायत निवारण के लिए उपलब्ध प्रक्रियाओं और तंत्रों के बारे में शिक्षित कर उन्हें सशक्त करना

पॉलिसीधारकों को शिकायतें निपटान के लिए सस्ता और त्वरित तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम 2002 के अनुसार बीमा कंपनियों को एक प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को लागू करना आवश्यक है। आईआरडीए द्वारा शिकायत निवारण के लिए दिषानिर्देश जारी किए हैं जो प्रतिक्रियाओं, निपटान आदि के लिए, विशिष्ट समय सीमा और टर्न-अराउन्ड समय (टीएटी) निर्धारित करते हैं जिससे बीमा कंपनियों में विद्यमान निवारण प्रणाली को और अधिक षक्ति मिलती है।

## डी 2 समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस)

विनियामक द्वारा शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावोत्पादकता की निगरानी की जरूरत है। उद्योगवार बीमा शिकायतों की एक केंद्रीय रिपोर्जिटरी का सृजन करने के लिए सक्षम होने के हेतु आईआरडीए समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) लागू करने की कगार पर है।

आईजीएमएस, पॉलिसीधारकों को पहले, बीमा कंपनियों में शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रवेश द्वार बनायेगा और यदि आवश्यक हो तो आईआरडीए शिकायत प्रकोष्ठ को अग्रसारित करेगा। आईजीएमएस एक व्यापक समाधान है जो न केवल पॉलिसीधारक को केंद्रीकृत और ऑनलाइन पहुँच प्रदान करने की क्षमता रखता है बल्कि बाजार आचरण मुद्दों की निगरानी के लिए आईआरडीए को पूरी पहुँच और नियंत्रण प्रदान करता है जिसके मुख्य संकेतक, पॉलिसीधारकों की शिकायतें हैं।

पूर्व निर्धारित नियमों के आधार पर, आईजीएमएस में विभिन्न प्रकार की शिकायतों को वर्गीकृत करने की क्षमता होगी। यह व्यवस्था, विषिष्ट शिकायत पहचान को निर्धारित, संग्रहीत और ट्रैक करने की क्षमता रखेगा और जैसा आवश्यक हो, कार्यप्रवाह के भीतर विभिन्न हितधारकों को सूचित कर सकेगा। यह व्यवस्था, लक्षित टर्न-अराउन्ड समय (टीएटी) को परिभाषित करने में सक्षम होंगी और सभी शिकायतों के लिए वास्तविक टर्न-अराउन्ड समय को मापेगी। यह व्यवस्था, नियोजित टर्न-अराउन्ड समय की समाप्ति निकट होने पर लंबित कार्यों के लिए अलर्ट करेगा और इसलिए नियम आधारित वर्कफ्लो के माध्यम से उचित समय पर गतिविधियों को स्वतः शुरू हो जाएंगी।

आईजीएमएस के माध्यम से पंजीकृत शिकायत, बीमा कंपनियों की प्रणाली के साथ साथ आईआरडीए रिपोजिटरी में भी प्रवाहित होगी। इस संबंध में बीमा कंपनियों की अद्यतन स्थिति, स्वचालित रूप से आईआरडीए प्रणाली में भी प्रतिबिम्बित होगी। आईजीएमएस, सभी मापदंडों जैसे अद्यतन स्थिति, शिकायत की प्रकृति और अन्य परिभाषित किये गये पैरामीटर पर रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होगा। इस प्रकार, आईजीएमएस, सभी बीमा कंपनियों के लिए, पॉलिसीधारकों की शिकायतों को हल करने के लिए एक मानक मंच प्रदान करेगा और आईआरडीए को, बीमा कंपनियों की शिकायत निवारण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता की निगरानी करने के लिए उन्हें एक उपकरण प्रदान करेगा।

### डी 3 बीमा कंपनी का आंतरिक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा के लिए आईआरडीए के विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित किये गये दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बीमा कंपनी को उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए, शिकायत निवारण प्रणाली बनानी होगी। एक आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली, उपभोक्ताओं के लिए एक त्वरित समाधान उपलब्ध कराने में मदद करती है। 28 जुलाई 2010 को, आईआरडीए द्वारा, सभी बीमा कंपनियों द्वारा अपनाया जाने वाली शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत

दिशा निर्देश जारी किये गये। सामान्य रूप से, बीमा कंपनियों की शिकायत निवारण प्रणाली में निम्न दो स्तरीय प्रणाली शामिल है

### डी3ए शिकायत पंजीकरण तंत्र

कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत, बीमाकर्ता के उपभोक्ता सेवा विभाग में फोन करके या कंपनी की सहायता पटल पर ई-मेल करके या शाखा कार्यालय में संबंधित अधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करके, पंजीकृत करा सकते हैं।

सामान्यतः अधिकतर बीमा कंपनियों, अपना हेल्पलाइन नम्बर, प्रस्ताव फार्म् उत्पाद ब्रोशर, पॉलिसी दस्तावेज और शिकायत निवारण संपर्क ईमेल पता, अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं। बीमा कंपनी को, तीन कार्यदिवसों के अंदर शिकायत की प्राप्ति स्वीकार करनी होती है और निर्धारित दिनों के अन्दर समाधान करना होता है। सामान्यतः, शिकायत के समाधान का टर्न-अराउन्ड समय, शिकायत के पंजीयन के दौरान, कंपनी द्वारा बताया जाता है।

### डी3बी शिकायत निवारण अधिकारी

अगर उपभोक्ता, उपभोक्ता सेवा सेल के जवाब/विवरण से असंतुष्ट हो या शिकायत निवारण अधिकारी, समाधान प्रदान करने में असमर्थ हो तो उपभोक्ता, बीमा कंपनी द्वारा नामित पदानुक्रम में अगले उच्च स्तर के अधिकारी को संपर्क कर सकता है जिसे उनकी शिकायत के निवारण के लिए अपीलीय अधिकारी (या वह व्यक्ति जो अगले उच्च स्तर के अधिकारी को अपील करने के लिए जिम्मेदार है) कहा जाता है।

यह पदानुक्रम कंपनी-विशिष्ट होता है और बीमा कंपनी की वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी, प्राप्त की जा सकती है।

## ध्यान रखें

विशिष्ट शिकायतों के लिए आईआरडीए द्वारा टर्न—अराउन्ड समय, निर्धारित किया गया है, जैसे :

- उपभोक्ता द्वारा पॉलिसी रद्द करने के लिए कहा गया है लेकिन बीमा कंपनी ऐसा करने में नाकाम रही है, और
- उपभोक्ता ने अतिरिक्त कवर प्राप्त करने के लिए एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया गया है लेकिन बीमा कंपनी ने पृष्ठांकन जारी नहीं किया गया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में, बीमा कंपनी को, शिकायत पंजीकृत किए जाने के 10 कार्य दिवसों के भीतर जवाब देना चाहिए।

## ध्यान रखें

यदि बीमा कंपनी किसी शिकायत को खारिज कर देती है तो उस ऐसा करने का वैध कारण बताना आवश्यक है।

हर बीमा कंपनी को आनिवार्यतः, विशेष रूप से मृत्यु दावों के मामले में, बीमा लोकपाल का पता, संपर्क नंबर, ईमेल पता आदि बताते हुए, अपने दावेदार/उपभोक्ता को सलाह देनी चाहिए कि अगर वे निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो, बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

## डी4 पॉलिसीधारक की रक्षा के लिए आईआरडीए द्वारा अन्य पहल

पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए हाल ही में, आईआरडीए द्वारा अनेक पहल की गयी हैं। इन पहल में शामिल हैं:

## डी4ए मुख्य विशेषताएँ दस्तावेज़

आईआरडीए की हाल ही की एक पहल है, कि यह सुनिष्चित करने के लिए कि उत्पादों के बारे में जानकारी पॉलिसीधारक को समझ में आए, सरल भाषा में प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज़ के परीक्षण में यह देखा जाएगा कि किसी विषिष्ट उत्पाद का लक्षित उपभोक्ता, क्या उसकी मुख्य विशेषताओं को समझ पाता है और यह निर्णय लेने में सक्षम है कि वह उत्पाद उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। प्रमुख विशेषताएँ दस्तावेज में यह प्रकटन भी सुनिष्चित किया जाएगा कि बीमा कंपनियों द्वारा, अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे प्रीमियम

विवरण, भुगतान के तरीके, विभिन्न शुल्क, संबद्ध जोखिम और पॉलिसी बंद करने की स्थिति में क्या होता है आदि के विषय में जानकारी दी जाए।

### **डी4बी आवश्यकता विष्लेषण या उपयुक्तता**

गलत सलाह और असंगत बिक्री को रोकने के लिए एक कदम के रूप में आईआरडीए द्वारा आवश्यकता विष्लेषण या उपयुक्तता की एक और पहल की पहचान की है। इस विषय पर एक जोखिम आच्छादन मसौदा जारी किया गया है। प्राधिकरण, वर्तमान में, एक प्रणाली को लागू करने पर काम कर रही है जिससे यह सुनिष्चित किया जा सके कि वास्तविक बिक्री प्रभावित किये जाने से पहले, प्रस्ताव एक संभावित ग्राहक उत्पाद मैट्रिक्स के माध्यम से गुजरे। ऐसा यह सुनिष्चित करने के लिए है कि गलत बिक्री न हो।

### **डी4सी प्रत्यक्ष विपणन के लिए दिशानिर्देश**

दूरस्थ विपणन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए जारी किये गये दिशा निर्देशों का, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ उत्पन्न नई चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना प्रस्तावित है। जहाँ नए और तेज चैनलों से होने का लाभ उठाना चाहिए वहीं उन के द्वारा उत्पन्न कमियों (रिक्तियों) को भी दूर करना चाहिए।

#### **ध्यान रखें**

आईआरडीए, एक विनियामक के रूप में, पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए, समय समय पर विभिन्न पहल करता है। हालांकि, आईआरडीए में अधिनिर्णय की शक्ति निहित नहीं है। वह केवल शिकायतों के समाधान में मदद करने के लिए, संबंधित बीमा कंपनियों के समक्ष, पॉलिसीधारकों की शिकायतें प्रस्तुत कर सकता है।

### **ई बीमा लोकपाल की भूमिका**

#### **ई1 बीमा लोकपाल के उद्देश्य**


भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 11 नवम्बर 1998 द्वारा, बीमा उपभोक्ता की शिकायतों के षीघ्र हल करने और इन शिकायतों के निवारण से संबद्ध समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से बीमालोकपाल संस्था का गठन किया गया है। पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए और बीमा प्रणाली में विष्वास बढ़ाने के लिए यह संस्था बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। उपभोक्ताओं और

बीमा कंपनियों दोनों, के बीच विश्वास उत्पन्न करने और बनाए रखने में इस संस्था ने बहुत सहायता की है।

बीमा लोकपाल कार्यालय का मुख्य उद्देश्य, दावा से संबंधित शिकायतों, पॉलिसी या प्रीमियम भुगतान की घर्तों के संबंध में और पॉलिसी दस्तावेजों के जारी न होने से संबंधित विवादों, को लागत प्रभावी, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक हल करना है। यदि उल्लिखित क्षेत्रों में किसी उपभोक्ता को बीमा कंपनी से कोई शिकायत है और वह बीमा कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट है तो वह बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

## ई2 बीमा लोकपाल का क्षेत्राधिकार

बीमा परिषद के प्रबन्ध निकाय द्वारा देशभर में बारह लोकपाल कार्यालयों का गठन किया है। प्रत्येक लोकपाल कार्यालय को, उनके अधिकार क्षेत्र के रूप में अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र आवंटित किया गया है और वे अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर, शिकायतों के निपटान में तेजी लाने के लिए, विभिन्न स्थानों पर बैठकें आयोजित कर सकते हैं।



### ई3 लोकपाल के कार्य

बीमा लोकपाल को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं:

- सुलह
- निर्णय

बीमा लोकपाल को, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जिसे बीमा कंपनी के विरुद्ध बीमा के संबंध में कोई शिकायत हो, तो उसकी शिकायत स्वीकार करने और उस पर विचार करने का अधिकार है। शिकायत की प्रकृति बीमा कंपनी के विरुद्ध खलाफ कोई भी शिकायत हो सकती है। उदाहरणार्थः

- बीमा कंपनियों द्वारा किसी भी दावे का आंशिक या पूर्ण अस्वीकरण
- पॉलिसी के अन्तर्गत भुगतान किया गया या देय प्रीमियम के संबंध में कोई विवाद
- पॉलिसी तैयार करने में प्रयुक्त विधिक शब्दों से संबंधित विवाद यदि विवाद दावे से संबंधित है।
- दावों के निपटान में देरी
- प्रीमियम की प्राप्ति के बाद भी बीमा उपभोक्ता को किसी बीमा दस्तावेज़ का जारी न किया जाना।

बीमा कंपनियों को, बीमा लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय (जो तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए) का 15 दिनों के भीतर, सम्मान करना आवश्यक है।

#### **ध्यान रखें**

लोकपाल की शक्तियाँ, ₹0 20 लाख के बीमा अनुबंधों तक प्रतिबंधित हैं।

### **ई4 शिकायत दर्ज कराने का तरीका**

पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत लिखित रूप में, उस बीमा लोकपाल को संबोधित करनी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में बीमा कंपनी आती हो। बीमित के विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

शिकायत दर्ज कराने से पहले:

- शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में उल्लिखित बीमा कंपनी को प्रत्यावेदन दिया गया हो और बीमा कंपनी द्वारा या तो शिकायत खारिज कर दी गयी हो या एक महीने की अवधि के भीतर जवाब देने में असफल रही हो, या उपभोक्ता, बीमा कंपनी की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट हो।
- उसी विषय की शिकायत किसी भी अदालत, उपभोक्ता फोरम या मध्यस्थ के समक्ष लंबित नहीं होनी चाहिए।

बीमा कंपनियों की प्रतिक्रिया के एक वर्ष के भीतर शिकायत की जानी चाहिए।

### **ई5 शिकायत समाधान प्रक्रिया**

लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाता है:

लौटाना / निपटान	लोकपाल का यह कर्तव्य है कि वह शिकायतकर्ता और बीमा कंपनी के बीच मध्यस्थता द्वारा सुलह या समझौते के माध्यम से निपटारे को बढ़ावा दे। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोकपाल जैसा उचित समझे वैसी प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है। अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो दोनों पक्ष, आगे चलकर मामला वापस लें सकते हैं।
-----------------	---

संस्तुतियाँ	<ul style="list-style-type: none"> <li>अगर लोकपाल को लगता है कि एक उपयुक्त समय सीमा में दोनों पक्षों के बीच कोई समझौता या निपटारा नहीं हो रहा है तो लोकपाल, दोनों पक्षों के लिए एक संस्तुति कर सकते हैं जो उनकी राय के अनुसार, दोनों पक्षों के लिए उचित है।</li> <li>इस तरह की संस्तुति, शिकायत प्राप्त होने के अधिकतम एक माह में की जाएगी और उसकी प्रतियाँ, शिकायतकर्ता और संबंधित बीमा कंपनी को भेजी जाएंगी। अगर शिकायतकर्ता, शिकायत के पूरे और अंतिम निपटान की संस्तुति की सभी शर्तों को स्वीकार करता है तो संस्तुति शिकायतकर्ता पर बाध्यकारी होगी। यदि शिकायतकर्ता को संस्तुति स्वीकार्य है तो संस्तुति की प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उसको अपनी स्वीकृति की, लिखित रूप में सूचना भेजनी होगी। यदि शिकायतकर्ता को संस्तुति स्वीकार्य है तो यह बीमा कंपनी पर बाध्यकारी होगी और उसे अपने दायित्व को पूरा करना होगा।</li> </ul>
-------------	---

अवार्ड (अधिनिर्णय)	यदि कोई समझौता या निपटान नहीं होता है और शिकायतकर्ता को संस्तुति भी स्वीकार्य नहीं है, तो इस मामले में लोकपाल एक अवार्ड प्रदान करेंगे। यह अवार्ड, शिकायत प्राप्त होने से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रदान किया जाएगा। अवार्ड, बीमा कंपनी पर बाध्यकारी है (अगर यह शिकायतकर्ता को
--------------------	---

	<p>स्वीकार्य है)।</p> <p>अगर पॉलिसीधारक लोकपाल के अवार्ड से संतुष्ट नहीं हैं तो वे अन्य माध्यमों जैसे उपभोक्ता मंच और कानूनी न्यायालयों से अपनी शिकायतों के निवारण के लिए आग्रह कर सकते हैं।</p> <p>विभिन्न लोकपाल कार्यालयों द्वारा प्राप्त शिकायतों की संख्या में लगातार वृद्धि से पता चलता है कि पॉलिसीधारक बीमा लोकपाल की संस्था में अपना विश्वास रख रहे हैं।</p>
--	---

गैर स्वीकार्य या गैर मान्य शिकायतें	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्राप्त शिकायतों में, वे शिकायतें जिनमें लोकपाल को लगता है कि वे पर्याप्त कारण के बिना की गयी हैं या जहाँ शिकायतकर्ता को कोई नुकसान या क्षति या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा है, को गैर स्वीकार्य या गैर मान्य के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और लोकपाल द्वारा बर्खास्त की जा सकती है।</li> <li>लोकपाल की शक्तियाँ, रूपए 20 लाख तक के मूल्य के बीमा अनुबंधों तक सीमित हैं।</li> <li>निम्नलिखित मामलों में लोकपाल द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया जाएगा: <ul style="list-style-type: none"> <li>यदि शिकायतकर्ता बीमा कंपनी से संपर्क और उनकी शिकायत सुनने और हल करने का प्रयास करने का अवसर दिये बिना सीधे लोकपाल से संपर्क करता है।</li> <li>यदि इसी विषय पर उनकी शिकायत किसी अदालत, उपभोक्ता मंच या मध्यस्थ के समक्ष लम्बित है।</li> <li>यदि शिकायत लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के भीतर न हों।</li> </ul> </li> </ul>
-------------------------------------	---

#### ध्यान रखें

पॉलिसीधारक के हित संरक्षण नियमों के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारक को दस्तावेज प्रषित करते समय सूचित करना चाहिए कि यदि वह अपने बीमाकर्ता के विरुद्ध कोई शिकायत करना चाहता है तो वह कैसे संबंधित क्षेत्र के बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

#### एफ आईआरडीए का शिकायत निवारण सेल

आईआरडीए ने हाल ही में आईआरडीए शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) शुरू किया है। आईजीसीसी, पॉलिसीधारकों को उनकी शिकायतों दर्ज कराने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम (चैनल) प्रदान करता है और वह अपनी शिकायत की स्थिति की जांच, फोन / ईमेल पर कर सकते हैं।

#### ध्यान रखें

आईजीसीसी को टोल फ्री नंबर **155255** पर फोन करके या आईआरडीए की [complaints@irda.gov.in](mailto:complaints@irda.gov.in) पर ईमेल भेज कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती।

एक बार लागू हो जाने पर, कॉल सेंटर पर्यावरण (व्यवस्था), आईजीएमएस के साथ इंटरफेस रखेगा (संबद्ध हो जाएगा) (देखें अनुभाग डी 2)। आईजीसीसी ने पॉलिसीधारकों को जब भी आवश्यकता होगी बीमा कंपनियों के निवारण प्रणाली की जानकारी प्रदान करने के अलावा पॉलिसीधारकों को, टेलीफोन और ईमेल दोनों के माध्यम से, आईआरडीए के शिकायत निवारण सेल के लिए पहुँच, आसान कर दी है। कॉल सेंटर, प्राप्त कॉल के आधार पर शिकायत पंजीकरण फार्म भर लेते हैं। आईजीसीसी, शिकायतों पर नज़र रखने के लिए एक माध्यम (चैनल) भी प्रदान करता है।

आईजीसीसी, बीमा लोकपाल की भूमिका के बारे में भी पॉलिसीधारकों को शिक्षित करता है।

शिकायतों के निवारण को सरल बनाने के अतिरिक्त, आईआरडीए ने शिकायतों के विवरण को भी देखना शुरू कर दिया है जिससे जांच और निरीक्षण द्वारा लागू विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन न होना / उल्लंघन के मामलों की पहचान की जा सके। जहाँ भी आवश्यक हो, आईआरडीए द्वारा विनियामक कार्रवाई शुरू की जाती है।

संभव परिवर्तनों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए, बीमा लोकपाल संस्था की समीक्षा की जा रही है जिससे यह सुनिष्ठित किया जा सके कि वह शिकायत जो बीमा कंपनियों द्वारा हल नहीं की गयी हैं और जो विनियामक और / या लोकपाल को भेजी गयी हैं, उनका निर्णायक हल निकाला जा सके, केवल उन मामलों के अतिरिक्त जो अनिवार्य रूप से अदालतों के दायरे में आते हों।

## जी एक प्रारूपिक शिकायत

जबकि प्रत्येक शिकायत व्यक्तिगत होती है, परन्तु यदि किसी दावे पर बीमा कंपनी से विवाद हो तो एक प्रारूपिक शिकायत का सम्भाव्य पथ निम्नलिखित चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर एजेंट की अपने ग्राहक के समर्थन में, भूमिका और इनपुट पर प्रकाश डालता है।

## एजेंट की भूमिका/इनपुट

बीमा एजेंट अमर, अंजलि को दावा निपटाने हेतु आवश्यक और उसके समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को भरने और बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा करने में मदद करता है।

बीमा एजेंट अमर, अंजलि को बीमा कंपनी के आंतरिक शिकायत निवारण सेल में शिकायत दर्ज कराने की सलाह देता है।

बीमा एजेंट अमर, अंजलि को नोडल अधिकारी को शिकायत प्रपित करने की सलाह देता है।

इस स्तर पर बीमा एजेंट अमर, अंजलि को शिकायत निवारण के तीन विकल्प बताता है:

1. बीमा लोकपाल से संपर्क करना;
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जिला फोरम में जाना;
3. आईआरडीए के शिकायत निवारण सेल से संपर्क करना;

एजेंट अमर, उनको बीमा लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराने के बारे में मार्गदर्शन देता है।

### जीवन बीमा कंपनी

बीमा कंपनी ने अपने आंतरिक जांच पूरी की और मृत्यु दावा यह कहकर खारिज कर दिया कि केतन का मृत्यु दावा प्राकृतिक मृत्यु दावा नहीं था।

**जीवन बीमा कंपनी की आंतरिक शिकायत निवारण कक्ष**  
शिकायत सेल ने शिकायत स्वीकार की, लेकिन वही जवाब दिया कि कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार किया जाना सही था।

### बीमा कंपनी का नोडल अधिकारी

नोडल अधिकारी ने कहा कि अपनी आंतरिक जांच में बीमा कंपनी को पता चला है कि केतन एक शराबी था। पॉलिसी लेते समय बीमा कंपनी को इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया था और इसलिए महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के आधार पर कंपनी का दावा खारिज करना सही था।

उसके एजेंट की सलाह के बाद, अंजलि ने बीमा लोकपाल को आग्रह करने का फैसला किया



### बीमा लोकपाल

दोनों पार्टियों से सलाह और स्वयं अपने जांच करने के बाद बीमा लोकपाल ने यह निष्कर्ष निकाला है कि केतन की प्राकृतिक मृत्यु हुई है और बीमा कंपनी का दावा अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

लोकपाल मध्यस्थिता या सुलह के माध्यम से अंजलि और बीमा कंपनी के बीच समझौता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता या निपटान नहीं होता है।



### परिणाम

लोकपाल, एक अधिनियम पारित करते हुए बीमा कंपनी को निर्देशित करते हैं कि वह अंजलि को 10 लाख रुपये का भगतान कर दावा निपटाए।

#### **प्रश्न 14.2**

बीमा लोकपाल द्वारा शिकायतों का निपटान / हल करने के अलग अलग तरीकों की एक सूची बनाओ

### **एच लाइसेंस का नवीनीकरण**

जबकि अब आप इस पाठ के अध्ययन के अंत के निकट पहुँच रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझ गये होंगे कि अपने ग्राहकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना किस प्रकार दीर्घ अवधि में आपको एक एजेंट के रूप में सफल बनाने में योगदान करेगा। यदि ग्राहक संतुष्ट रहे और आर्थिक रूप से ऐसा करने में समर्थ हों तो सामान्यतः अपनी पॉलिसियों को नवीनीकृत करायेगा।

ग्राहकों की रक्षा करने के लिए आईआरडीए ने, एक अंतिम उपाय के रूप में, दिशा निर्देश जारी कियें हैं जिसके अनसुर यह प्रस्तावित है कि यदि किसी बीमा एजेंट द्वारा बेची गई पॉलिसियों में से एक निर्धारित प्रतिशत से कम पॉलिसियों का वार्षिक नवीकरण हुआ है तो उसका लाइसेंस नवीनीकृत नहीं होगा क्योंकि यह इंगित करता है कि एक एजेंट अपने उपभोक्ताओं की जरूरत को कारगर ढंग से पूरा नहीं कर रहा है और गलत बिक्री का दोषी हो सकता है।

अध्याय 15 के अनुभाग जी में हम देखेंगे कि जब कार्यप्रणाली, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के मानकों से कम रहती है तब आईआरडीए कैसे एजेंटों और बीमा कंपनियों का मूल्यांकन, निगरानी और उन्हें अनुशासित करता है।

#### **प्रश्न 14.3**

ग्राहक, आईआरडीए शिकायत निवारण सेल के माध्यम से कैसे अपने बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं?

### **सारांश**

इस अध्याय और इससे पहले के अध्यायों में की गई चर्चा से अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि बीमा उद्योग, जिसमें काम करने का आपने चयन किया है, उस व्यवसाय में लगे हुए लोगों के व्यवहार और तरीकों के आधार पर वह आकार ग्रहण करता है और परिभाषित होता है।

इस प्रक्रिया में नैतिकता का क्या महत्व है यह हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम अध्याय में समझायेंगे।

## प्रमुख बिंदु

उपभोक्ता सुरक्षा का महत्व
भारत में जनासाधारण में निम्नस्तर की वित्तीय साक्षरता और बीमा के विषय में अच्छी समझ न होने के कारण बीमा उद्योग में उपभोक्ता सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।
उपभोक्ता सुरक्षा में कमी अत्याधिक असंतोष पैदा करती है जो पूरे बीमा उद्योग के विकास के लिए हानिकारक है
पॉलिसी की सम्पूर्ण अवधि में समव्यवहार (लेनदेन) के दौरान पारदर्शिता, उपभोक्ताओं के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करता है।
आईआरडीए (पॉलिसीधारक के हितों का संरक्षण) विनियम 2002
पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा के लिए, अक्टूबर 2002 में बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से, आईआरडीए ने विनियम जारी किया
विनियम में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि एक बीमा उत्पाद की विवरणिका में क्या होना चाहिए
विनियम निर्दिष्ट करते हैं कि प्रत्येक बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निस्तारण के लिये उचित और प्रभावी प्रक्रिया तंत्र स्थापित करना चाहिए।
विनियम में निर्दिष्ट है कि किसी बीमा उत्पाद पॉलिसी में स्पष्ट रूप से क्या कहा जाना चाहिए।
जीवन बीमा दावों के निपटान के संबंध में लागू की जाने वाली प्रक्रिया इस विनियम में निर्दिष्ट है
विनियम में निर्दिष्ट है कि किन मामलों में बीमा कंपनी को अपने पॉलिसीधारकों से पत्र प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर प्रतिक्रिया (उत्तर) देना चाहिए।
बीमा लोकपाल की भूमिका
लोकपाल के कार्यालय का मुख्य उद्देश्य एक लागत प्रभावी, निष्पक्ष और कुशल तरीके से दावों से

संबंधित शिकायतें, जैसे प्रीमियम भुगतान के संबंध में विवादों और पॉलिसी दस्तावेजों के जारी न होने आदि के मुद्दों को सुलझाना है।

प्रबंध निकाय द्वारा देशभर में बारह लोकपाल नियुक्त किये गये हैं, जिन्हें उनके अधिकार क्षेत्र के रूप में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों आवंटित किये गये हैं।

लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों को निम्नलिखित तरीके से निष्पादित किया जाता है: वापसी / समझौता, सिफारिश, अवार्ड, और अस्वीकार्य शिकायतों के रूप में वर्गीकृत करके।

### प्रारूपित शिकायतें

बीमा कंपनियों के खिलाफ प्रारूपी शिकायतों में दावों से संबंधित शिकायतें, पॉलिसी सेवा, प्रीमियम और पॉलिसी व्यपगमन आदि शामिल हैं।

बीमा सलाहकारों के खिलाफ आम शिकायतों में, अनुपयुक्त योजनाओं की बिक्री, असंगत अवधि, शुल्कों का प्रकटन नहीं किया जाना आदि शामिल हैं।

### उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण

आईआरडीए का उपभोक्ता मामले विभाग यह देखरेख करता है कि बीमा कंपनियाँ आईआरडीए द्वारा निर्धारित मामलों में पॉलिसीधारक के हितों की रक्षा संबंधी नियमों का अनुपालन कर रही है और उपभोक्ताओं को, शिकायत निवारण प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाने के घ्येय की पूर्ति कर रही हैं।

बीमा कंपनियों के शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के साथ ही उद्योगवार व्यापक बीमा शिकायत के डेटा का एक केंद्रीय भंडार (रिपाज़िटरी) स्थापित करने के लिए, आईआरडीए समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (आईजीएमएस) को लागू करने की कगार पर है।

बीमा कंपनी की आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली में निम्नलिखित दो स्तरीय व्यवस्था शामिल हैं: पहला हेल्पलाइन या बीमा कंपनियों के कार्यालय के साथ शिकायत दर्ज कराना और दूसरा नोडल अधिकारी / अपीलीय प्राधिकारी को शिकायत प्रस्तुत करना

### आईआरडीए का शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

आईजीसीसी के टोल फ्री नंबर 155255 पर फोन करके या आईआरडीए को

complaints@irda.gov.in पर एक ईमेल भेज कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

### लाइसेंस निरस्तीकरण

उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु एक अंतिम उपाय के रूप में आईआरडीए ने बीमा एजेंटों के व्यवसाय में बने रहने के (दृढ़ता) अनुपात में वृद्धि करने के लिए दिशानिर्देश तैयार किये हैं।

इरडा ने प्रस्ताव रखा है कि अगर एजेंट द्वारा बेची पॉलिसियॉं का एक निर्धारित प्रतिशत से कम नवीनीकरण होता है तो उस बीमा एजेंट का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

### प्रब्लेम उत्तर

#### 14.1.

किसी भी बीमा उत्पाद की विवरणिका में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए

- लाभ का विस्तार;
- बीमा कवर की सीमा;
- बीमा कवर की वारंटी, अपवाद और शर्तें ;
- स्पष्ट रूप से जानकारी;
- क्या उत्पाद सहभागिता (लाभ के साथ) या गैर सहभागिता (बिना लाभ) वाला है;
- स्वास्थ्य या गंभीर बीमारी से संबंधित सभी राइडरों पर प्रीमियम, अवधि या समूह उत्पादों के मामले में, मुख्य पॉलिसी के प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगा;
- यह कि स्वीकार्य राइडर या उत्पाद पर राइडर के, लाभ की सीमाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में अन्य सभी राइडरों से संबंधित प्रीमियम मुख्य उत्पाद के प्रीमियम का 30% से अधिक नहीं होगा।
- प्रत्येक राइडर के अधीन मिलने वाला लाभ, बुनियादी उत्पाद के अन्तर्गत बीमा राशि से अधिक नहीं होगा।

## **14.2**

लोकपाल द्वारा प्राप्त शिकायतों का निपटान निम्नलिखित तरीके से होता है

1. वापसी / समझौता;
2. सिफारिश;
3. अवार्ड, और
4. गैर स्वीकार्य / अमान्य

## **14.3**

किसी व्यक्ति द्वारा आईजीसीसी को टोल फ्री नंबर 155255 पर फोन करके या आईआरडीए की **complaints@irda.gov.in** पर ईमेल भेज कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं।

### **स्व-परीक्षण प्रब्लेम**

1. इरडा (पॉलिसीधारक के हितों का संरक्षण) विनियम के अनुसार सभी जीवन बीमा पॉलिसियों में स्पष्ट रूप में क्या लिखा होना चाहिए ?
2. उन शहरों की सूची बनाएं जिनमें बीमा लोकपाल के कार्यालय स्थित हैं।

अगले पृष्ठ पर उत्तर मिल जाएगा

## स्व – परीक्षण प्रश्न

1. किसी जीवन बीमा पॉलिसी में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित लिखा होना चाहिए
  - क) योजना का नाम और उसके नियम और शर्तें;
  - ख) क्या वह लाभ में सहभागी है अथवा नहीं; ;
  - ग) लाभ में सहभागिता का आधार जैसे नकद बोनस, आरथगित बोनस, साधारण या चक्रवृद्धि प्रत्यावर्ती बोनस ;
  - घ) देय लाभ और आकस्मिकताएँ जिनमें यह देय होते हैं और बीमा अनुबंध की अन्य शर्तें और नियम;
  - च) मुख्य पॉलिसी से जुड़े राइडरों की जानकारी;
  - छ) जोखिम प्रारंभ और परिपक्वता की तारीख जिनपर लाभ देय होंगे
  - ज) देय प्रीमियम, देय प्रीमियम की अवधि, प्रीमियम भुगतान करने के लिए अनुग्रह अवधि, प्रीमियम की अंतिम देय तिथि, प्रीमियम की किस्त(ों) का भुगतान बन्द करने का परिणाम और गारंटीयुक्त समर्पण मूल्य के प्रावधान भी;
  - झ) प्रवेश के समय, आयु और क्या वह स्वीकार की गयी है;
  - त) पॉलिसी में इनके लिए औपचारिकताएँ : 1) पॉलिसी का एक चुक्ता पॉलिसी में परिवर्तन 2) समर्पण, 3) गैर जब्तीकरण 4) व्यपगत पॉलिसीयों का पुनर्रूज्जीवन
  - थ) मुख्य पॉलिसी और राइडर, दोनों के कवर की सीमाओं में अपवर्जित आकस्मिकताएँ
  - द) नामांकन, समनुदेशन तथा पॉलिसी की प्रतिभूति पर ऋण का प्रावधान तथा यह उल्लेख कि ऋण स्वीकृति तिथि पर बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान देय होगा
  - न) कोई विशेष उपखण्ड या षर्ट, जैसे प्रथम गर्भावस्था उपखण्ड, आत्महत्या उपखण्ड आदि
  - प) बीमा कंपनी का पता, जिसपर पॉलिसी के संबंध में पत्राचार किया जा सकता है
  - फ) वे दस्तावेज, जो सामान्य रूप से, पॉलिसी के अन्तर्गत दावे के पुष्टि हेतु दावेदार द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं;

, बीमा कंपनी को पॉलिसी दस्तावेज के साथ बीमा लोकपाल के संबंध में जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

2. बीमा लोकपाल के बारह कार्यालय निम्न षहरों में स्थित हैं:

- अहमदाबाद;
- भोपाल;
- भुवनेश्वर;
- चंडीगढ़ ;
- चेन्नई;
- कोचीन;
- गुवाहाटी;
- हैदराबाद;
- कोलकाता;
- लखनऊ;
- मुंबई, और
- नई दिल्ली.

# 15

## नैतिकता तथा आचार संहिता

अध्याय सामग्री	पाठ्यक्रम परिणाम	अध्ययन
ए. नैतिकता से हम क्या समझते हैं?	15.4	
बी. विशिष्ट अनैतिक व्यवहार	15.5	
सी. नैतिकता के व्यवसायिक लाभ	15.4	
डी. विशिष्ट नैतिक व्यवहार	15.3	
ई. आचार संहिता सहित नैतिक ढांचा	15.1, 15.2	
एफ. व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का निर्धारण	15.2	
जी. मूल्यांकन, अनुश्रमण, अनुशासन	15.4	
एच. IRDA द्वारा निर्धारित आचार संहिता	15.1	
<b>अध्ययन के उद्देश्य</b>		
इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• आप नैतिकता का अर्थ समझ पाएंगे;</li> <li>• अनैतिक व्यवहार के खतरों का विश्लेषण कर पाएंगे;</li> <li>• व्यक्तियों तथा बीमाकर्ताओं के लिए नैतिकता के महत्व की चर्चा कर सकेंगे;</li> <li>• विशिष्ट नैतिक व्यवहार का विश्लेषण कर पाएंगे;</li> <li>• नैतिक ढांचे के तत्वों को समझ पाएंगे;</li> <li>• व्यवसायिक उत्तरदायित्वों के निर्धारण के महत्व को समझ पाएंगे;</li> <li>• मूल्यांकन, अनुश्रमण व अनुशासन के महत्व की चर्चा कर पाएंगे;</li> <li>• बीमा कंपनियों द्वारा नैतिक आचरण के लिए मूल्यांकन, अनुश्रमण व अनुशासन के महत्व की चर्चा कर पाएंगे;</li> <li>• IRDA द्वारा निर्धारित आचार संहिता की चर्चा कर पाएंगे।</li> </ul>		

## परिचय

जैसा कि हमने अध्याय 10 में चर्चा की है कि यह महत्वपूर्ण है कि बीमा एजेंट, अपने ग्राहक से सदैव नैतिक तथा व्यावसायिक ढंग से व्यवहार करे। लेकिन 'नैतिकता' से हमारा तात्पर्य क्या है?

शब्द 'एथिक्स' ग्रीक शब्द 'एथिकोस' से लिया गया है, जो व्यक्ति के चरित्र से संबंधित है। बीमा में एथिक्स कुछ मानकों या सिद्धांतों से संबंधित है जिनका पालन बीमा एजेंटों तथा बीमाकर्ताओं के द्वारा अपने व्यापार के दौरान व्यापार से लाभ को बनाये रखते हुए किया जाता है।

सरल शब्दों में, बिक्री के लक्ष्यों के अतिरिक्त किसी बीमा कंपनी को मुख्य रूप से पॉलिसी धारकों की जरूरतों और मांगों तथा यदि उन्हें जरूरत हो तो दावे के समय उनके परिवार को सहायता देने से सरोकार रखना चाहिये। अनैतिक व्यवहार थोड़े समय के लिये भी लाभ दे सकते हैं, लेकिन दीर्घ अवधि में कंपनी की छवि को बद्दा लगा भी सकते हैं। एक नकारात्मक छवि, वर्तमान तथा नये व्यापार दोनों के लिए हानि का कारण बन सकती है।

इस अध्याय में हम बीमा व्यवसाय में निम्नलिखित नैतिक व्यवहारों पर प्रकाश डालेंगे तथा हम अनैतिक व्यवहारों के विपरीत प्रभावों पर भी प्रकाश डालेंगे।

अंत में, हम IRDA द्वारा बीमा एजेंटों के लिये निर्धारित अनुशासन तथा उनकी कार्य प्रणाली की अनुश्रमण के लिये संस्तुत आचार संहिता की चर्चा करेंगे।

### प्रमुख शब्दावलियां

इस अध्याय में हम निम्नलिखित शब्दों तथा सिद्धांतों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे:

नैतिकता	मंथन	अनुशासन	अनैतिक व्यवहार
दावा निबटानें में विलंब	आचार संहिता	व्यावसायिक उत्तरदायित्व का निर्धारण	बीमा पॉलिसियों की ओंवरसेलिंग
सकारात्मक छवि	मूल्यांकन तथा अनुश्रमण	बीमा पॉलिसियों की अंडरसेलिंग	नैतिकता की स्थापना

### नैतिकता से आपका क्या तात्पर्य है?

हाल में ही दर्ज किये गये मिस-सेलिंग (गलत बिक्री) के कई मामलों को देखते हुए, भारत में बीमा उद्योग की सबसे बड़ी चिंता का विषय तथा बहस का मुद्दा यह है कि बीमा बेचते समय नैतिक व्यवहार के उच्च मानकों की जरूरत है।

नैतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:

- वो मान्यताएं जिन्हें हम 'अच्छा' या 'सही' कहते हैं;
- वे व्यवहार जो व्यक्ति के चारित्रिक निर्णय पर आधारित है; तथा
- इस बात का अध्ययन कि किसी व्यक्ति का कोई कार्य गलत है या सही।

नैतिक मानक इस प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं – कि वे सही हैं या गलत— जो बीमा उत्पादों की सेवा तथा बिक्री हेतु सलाह की प्रक्रिया में शामिल लोगों के द्वारा अपनायी जाती है। इसमें बीमा एजेन्ट तथा बीमा कंपनी के अधिकारी तथा प्रबंधन शामिल हैं।

बीमा एजेन्ट की नैतिकता के मानक अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने में उसके द्वारा किये गये कार्यों से अर्थात् उसके बिक्री लक्ष्यों से प्रदर्शित होता है। उदाहरण के लिए, ग्राहक को उस उत्पाद को लेने की सलाह देना जिसमें एजेन्ट को अधिक कमीशन प्राप्त होता हो, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि वह उत्पाद ग्राहक के लिये उपयुक्त है या नहीं है।

### ध्यान दें

यह एजेन्ट की उत्तरदायित्व है कि वह अपने ग्राहक को उसकी आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त उत्पाद ही सुझाए। यदि एजेन्ट अनैतिक व्यवहार करते हुए अपने ग्राहक को कोई एक बीमा उत्पाद बेचता है तो वह अपने ग्राहक को सर्वोत्तम सेवा देने में असफल हुआ है।

बीमा उद्योग में नैतिकता के लक्ष्यों को निम्न प्रकार से समझाया जा सकता है:

- बीमा बिक्री में एजेंट/बीमाकर्ता के लिए नैतिक मानकों को निर्धारित करना
- बीमा बिक्री में 'करने योग्य' तथा 'न करने योग्य' को निर्धारित करना
- बीमाकर्ताओं हेतु नैतिक तथा अनैतिक क्रियाकलापों को निर्धारित करना
- बीमाकर्ताओं तथा मध्यस्थौ द्वारा गलत तथा अनैतिक आचरणों को रोकना

### प्रकरण अध्ययन

सुशील मेहता एक नवनियुक्त जीवन बीमा एजेन्ट है। नवनियुक्त होने के कारण उसे अधिक अनुभव नहीं है अतः शुरू में उसे काफी प्रयास करना पड़ेगा। उसे कम से कम तीन बीमा पॉलिसी हर महीने बेचने को कहा गया है।

माह के अंत तक सुशील एक भी पॉलिसी बेचने में असफल रहा। उस पर परिणाम देने तथा अपना मासिक लक्ष्य पूरा करने का जबरदस्त दबाव है। वह पांच संभावित ग्राहकों के लिये वित्तीय प्रस्तुति तैयार कर रहा है जिनसे वह अगले तीन दिनों में मिलने वाला है।

सुशील ने अपनी प्रस्तुति को संशोधित कर बीमा कंपनी द्वारा जारी किये गये नये उत्पाद का सुझाव सभी ग्राहकों को पेश किया है, चाहे उन्हे उसकी जरूरत हो या न हो।

अपने ग्राहकों से भेंट के दौरान उसने उत्पाद के कुछ अच्छे पहलुओं तथा लाभों पर प्रकाश डाला है, तथा कुछ शुल्कों, अपवर्जनों, नियम तथा शर्तों को उनसे छिपाया है। उसने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उसे लगता है कि यह उसके ग्राहकों द्वारा उत्पाद न खरीदने का कारण बनेंगे। वह अपने दो ग्राहकों को यह उत्पाद खरीदने के लिए राजी कर लेता है, यद्यपि यह उनकी जरूरत के लिये उपयुक्त उत्पाद नहीं है।

क्या सुशील के द्वारा किया गया यह व्यवहार नैतिक है?

नहीं, यह नहीं है— सुशील ने अनैतिक व्यवहार को अपनाते हुए अपने बिक्री लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित किया है न कि अपने ग्राहकों की जरूरत पर।

बीमा एजेंट को कभी भी ऐसा अनुचित तथा अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिये। उन्हे सदैव ग्राहक की जरूरत को अपने हित से ऊपर रखना चाहिये।

### इस पर विचार करिए

आपके मतानुसार, ऊपर के प्रकरण में बीमा कंपनी की क्या भूमिका होनी चाहिये? बीमा कंपनी को कौन से कदम उठाने चाहिये ताकि ऐसे मामले पैदा न हों?

## बी विशिष्ट अनैतिक आचरण

पहले कहा जाता था कि 'बीमा शायद ही कभी खरीदा जाता है; बल्कि इसे ग्राहक को बेचा जाता है। यह कथन अभी भी सही माना जाता है तथा यह बीमाकर्ता तथा एजेंट के महत्व को उजागर करता है, जो अपने ग्राहकों के साथ व्यावसायिक गतिविधि में अनैतिक व्यवहारों को नहीं अपनाते हैं।

भारतीय बीमा बाजार के कुछ सामान्य अनैतिक व्यवहार निम्नलिखित हैं:

- योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों को बढ़ा—चढ़ा कर दर्शाना(उदा. यह वायदा करना कि निवेश तीन या पांच साल में दुगना हो जाएगा)।
- नियमित प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसी को एकल प्रीमियम भुगतान पॉलिसी या सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी की तरह पेश करना।
- उत्पाद तथा उसके गुणों के बारे में पूरा तथा सही प्रकटन न करना।
- संभावित ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी एकत्र न करना।
- पॉलिसी खरीदने के लिए छूट या प्रलोभन का प्रस्ताव करना।

- पॉलिसी विशेष को बेचते समय ग्राहक से यह कहना कि उसे पूरी अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान नहीं करना है, जबकि वास्तव में उत्पाद में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं है।

## बी1 अनैतिक व्यवहार के खतरे

अनैतिक व्यवहार, जैसा ऊपर बताया गया है, पूरे बीमा उद्योग पर असर डालता है। इस भाग में हम निम्नलिखित अनैतिक व्यवहारों के परिणामों की चर्चा करेंगे:

- बीमा पॉलिसी की ओवरसेलिंग**— एक अति महत्वकांक्षी बीमा एजेन्ट ग्राहक को बहका कर, उसकी जरूरत या क्षमता से अधिक बीमा सुरक्षा बेच सकता है। बीमा पॉलिसियों की ओवरसेलिंग, पॉलिसियों की समय पूर्व समाप्ति का कारण बनता है, यदि पॉलिसी धारक प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाता है।

### उदाहरण

एक अवधि बीमा पॉलिसी तथा यूनिट लिंक्ड बीमा योजना(यूलपि)को, किसी अविवाहित व्यक्ति को बेचना ओवरसेलिंग का उदाहरण है। एक युवा अविवाहित व्यक्ति को अवधि बीमा की जरूरत नहीं होती है यदि उसके कोई आश्रित न हो। एक अविवाहित व्यक्ति की मूल आवश्यकता यह है कि उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त धन का निवेश हो जिससे उसकी समृद्धि बढ़े। ऐसे व्यक्ति के लिए यूलिप ही काफी होगी क्योंकि वह उसकी सुरक्षा जरूरतों के साथ-साथ उसकी निवेश जरूरतों को भी पूरा करती रहेगी।

- बीमा पॉलिसी की अंडरसेलिंग**. अपने बिक्री लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बीमा एजेन्ट बीमा सुरक्षा से समझौता कर सकता है तथा ग्राहक को कम बीमित राशि का सुझाव दे सकता है। ऐसा इसलिए कि कम सुरक्षा वाली बीमा पॉलिसी का प्रीमियम भी कम होगा और कम प्रीमियम के कारण पॉलिसी ग्राहक को आकर्षक लगेगी तथा साथ ही एजेन्ट अधिक सफलता प्राप्त करता है। ग्राहक की वित्तीय सीमाओं के कारण उच्च प्रीमियम राशि का सुझाव एजेन्ट के लिए व्यवसाय की हानि का कारण बन सकता है। ऐसे मामलों में अंडरइंश्योरेंस का भार परिवार को झेलना पड़ता है यदि प्रिलिसी धारक की शीघ्र मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बीमा सुरक्षा परिवार की वित्तीय जरूरतों के पूरा करने में सक्षम नहीं भी हो सकती है।
- मंथन**—(व्याख्या के लिए संदर्भ अध्याय 10, अनुच्छेद डी4ए) का सुझाव केवल बेहद विशिष्ट मामलों में ही दिया जाना चाहिये; जबकि, बीमा एजेंटों द्वारा इसका प्रयोग अक्सर उत्पादों की मिससेलिंग में ही किया जाता है। कुछ एजेन्ट कुछ पॉलिसियां ग्राहक को इस सुझाव के साथ बेचते हैं कि वे पॉलिसी का कुछ समय बाद समर्पण कर सकते हैं तथा अपना धन वापस ले सकते हैं। ग्राहकों को बीमा एजेंटों द्वारा मंथन का सुझाव, इस प्रयोजन से किया जाता है कि वे अपने निवेश को वापस ले

कर कंपनी के द्वारा जारी नई बीमा योजना में निवेश कराकर अपने बिक्री लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

मंथन की इस अनैतिक प्रक्रिया में, बीमाधारक को सबसे अधिक हानि होती है। उन्हे अपने निवेश पर हानि उठानी पड़ सकती है तथा यह भी संभव है कि वे अपना मूल निवेशित धन भी वापस प्राप्त न कर सकें। पॉलिसी को समय से पहले बंद कर देने के कारण बीमा कंपनी को भी घाटा उठाना पड़ता है।

### ध्यान दें

बीमा उद्योग में सबसे बड़ी चिंता बीमा एजेंटों के द्वारा उन उत्पादों की अनैतिक बिक्री को ले कर है, जिन पर उन्हें उच्च कमीशन प्राप्त होता है।

### दावा भुगतान प्रक्रिया के दौरान दावा भुगतान में विलंब/अस्वीकरण:

यदि पॉलिसी को अनैतिक व्यवहार करते हुए बेचा गया है (जैसे ग्राहक को वह लाभ बताना जिसके लिये वह पात्र न हो), तो यह दावा भुगतान के विलंब/अस्वीकरण का कारण बन सकता है। मिस सेलिंग के कारण किसी व्यक्ति को एजेंट के द्वारा गलत वायदे से संबंधित लाभ नहीं भी मिल सकते हैं तथा इस कारण उस व्यक्ति को धन की हानि हो सकती है तथा बीमा कंपनी पर से उसका विश्वास उठ सकता है। दावे के भुगतान के दौरान अनावश्यक विलंब के कारण कंपनी को नकारात्मक प्रचार भी मिल सकता है अतः इससे बचना चाहिये। दावा निबटान में लगने वाला समय अवधि परिवारों के लिए एक कठिन समय होता है, अतः बीमाकर्ता को इस दौरान सबसे बेहतर तरीके से उनकी सहायता करनी चाहिये।

इस तरह के अनैतिक व्यवहार, के कारण बीमा एजेंटों तथा उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जा रही कंपनियों की छवि खराब होती है तथा इससे पूरे बीमा उद्योग पर विश्वास का संकट पैदा हो जाता है। अतः, IRDA की यह प्राथमिकता रही है कि उद्योग को नैतिक मानकों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए वह भी इस उम्मीद के साथ कि यह अनैतिक व्यवहार आगे नहीं अपनाये जाएंगे।

### सी नैतिकता के व्यवसायिक लाभ

यदि बीमा कंपनी अपने बीमा उत्पादों को बेचने में तथा दावों को निबटाने में नैतिक व्यवहार का प्रयोग करती है तो यह दीर्घ अवधि में कंपनी के लिए प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा।

### सी 1 बीमा कंपनी तथा व्यक्तियों के लिए नैतिकता का महत्व

कंपनी का व्यवसाय बढ़ाने में नैतिकता के मानक सहायक होते हैं। बीमा उत्पादों की नैतिकता पूर्ण बिक्री न केवल कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली होगी बल्कि यह उस बीमा एजेन्ट के लिए भी व्यक्तिगत रूप से लाभकारी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एक बीमा कंपनी तथा एजेंट किसी व्यक्ति को नैतिक तरीके से बीमा पॉलिसी बेचते हैं तथा उसे उपयुक्त पॉलिसी बेचते हैं तो यह न केवल उस ग्राहक को भारी वित्तीय दबाव से बचाता है वरन् एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण दावे के निबटान के समय भी सहायक होगा।

एजेन्ट तथा उसकी बीमा कंपनी के लिए नैतिकता के महत्व को निम्न प्रकार से सारांश में प्रस्तुत किया जा सकता है:

**सकारात्मक छवि—**यदि एक बीमा कंपनी नैतिकता के उच्च मानकों का अनुपालन करती है तो यह लोगों के बीच उसके प्रति विश्वास और भरोसे को बढ़ावा देती है। कंपनी की सकारात्मक छवि दीर्घ अवधि में कंपनी की सफलता का कारण बनती है। एक अच्छी छवि वाली बीमा कंपनी का उत्पाद बेचना किसी बीमा एजेन्ट का काम आसान करते हैं।

**साख—**नैतिक व्यवहार कंपनी की साख के निर्माण में सहायक होते हैं। एक बार जन समर्थन मिल जाए तो यह कंपनी के लाभ तथा बिक्री पर सीधा तथा सकारात्मक असर डालते हैं। दीर्घ अवधि में यह कंपनी के लिए प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा। लोगों के विचारों से मिला प्रचार कंपनी तथा बीमा एजेन्ट को लंबे समय तक ग्राहक के विश्वास तथा भरोसे को बनाये रखने में सहायक होते हैं जो बदले में कंपनी को नये ग्राहक प्रदान करते हैं।

**दोनों ओर से सुरक्षा—**उच्च नैतिक मानक कंपनी तथा व्यक्ति दोनों के लिए लाभदायक होते हैं। नैतिक तरीके से बेची गयी बीमा पॉलिसी कंपनी को तेजी से दावे निबटाने में सहायक होती है। समय से मिला दावे भुगतान परिवार के लिए भावनात्मक तथा वित्तीय हानियों की भरपाई करने में सहायक होगा।

**दूसरों के लिए मॉडल—**बीमा कंपनी जो उच्च नैतिक मानकों का पालन करती है, अपनी व्यावसायिक सफलता तथा निष्ठावान ग्राहकों की पृष्ठभूमि के रूप में दूसरी कंपनियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर अग्रणी बन जाती है।

**गोपनीयता—**तथ्य खोज के दौरान एक ग्राहक अपने सारे वित्तीय, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण एजेंट को देता है। नैतिक आचरण के रूप में एजेंट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे मिली यह सूचनाएं गुप्त रहें तथा इनका गलत प्रयोग न हो।

### प्रश्न 15.1

बीमित के परिवार के सदस्यों पर बीमा की अंडरसेलिंग का क्या प्रभाव पड़ेगा?

## डी विशिष्ट नैतिक व्यवहार

ग्राहक को सुझाव पेश करते समय, नैतिक व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए, एक एजेंट को निम्न चरणों का पालन करना चाहिए:

1. ग्राहक को जरूरत के अनुसार, उपयुक्त बीमा पॉलिसी का सुझाव दें।
2. पॉलिसी के समस्त लाभों को पूरी तरह से समझाएं, तथा पॉलिसी के लाभों को प्राप्त करने के लिए समस्त शर्तों को भी समझाएं, और यदि कोई अपवर्जन है तो उसे भी बताएं।
3. पर्याप्त बीमा सुरक्षा राशि सुझाएं।
4. ग्राहक की जरूरत के मुताबिक उसे भुगतान का उपयुक्त तरीका बताएं।
5. ग्राहक की आवश्यकतानुसार नियम व शर्तें उसे समझाएं।

### प्रकरण अध्ययन

मदन मोहन एक टेलीकॉम कंपनी में जूनियर इंजीनियर है। उसका तीन साल का एक बेटा रोशन है। मदन, रोशन की शिक्षा तथा शादी के लिए निवेश करना चाहता है। वह एक बीमा कंपनी के ग्राहक सेवा विभाग को फोन करके बच्चों के लिये योजनाओं के बारे में जानकारी लेता है। वह ग्राहक सेवा कार्यकारी से किसी बीमा एजेंट को उसके घर भेजने के लिए कहता है, ताकि वह कंपनी की बच्चों की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ले सके।

राहुल गुप्ते एक नवनियुक्त बीमा एजेन्ट है जो मदन के घर जाता है। राहुल, मदन को कंपनी की बच्चों की योजनाओं के बारे में बताने लगता है। उससे बात करते हुए वह यह जान जाता है कि मदन को बाजार की विभिन्न बीमा योजनाओं के बारे में काफी जानकारी है। उसे पता चलता है कि मदन ने सावधि योजना में आय सुरक्षा के लिए तथा निधि की बढ़ोत्तरी के लिए यूलिप में निवेश कर रखा है। राहुल यह भी जान जाता है कि मदन ने बच्चों की योजनाओं

के बारे में काफी शोध किया है, क्योंकि उसने मित्रों तथा सहयोगियों से चर्चा की हुई है साथ ही बाजार में उपलब्ध प्रकाशित सामग्री भी पढ़ी है।

मदन फिर राहुल से बच्चों से संबंधित योजनाओं में प्रयोग की जाने वाली शब्दावलियों जैसे 'विलंबित अवधि', 'विहित तारीख' तथा 'जोखिम शुरुआत तारीख' के बारे में पूछता है। नवनियुक्त एजेन्ट होने के कारण राहुल को इन शब्दों की पूर्ण एवं सही जानकारी नहीं है, अतः वह अपने मैनेजर द्वारा दिये गये विभिन्न सूचना पत्रों में इन सूचनाओं को ढूँढ़ता है, लेकिन उसे वंछित जानकारियां नहीं मिलती हैं, अतः वह मदन के सवालों का जवाब नहीं दे सका।

ऐसी स्थिति में आगे बढ़ने के लिए राहुल के पास नैतिक रूप से क्या सही मार्ग बचते हैं?

1. क्या राहुल को अपने ग्राहक का ध्यान उत्पाद के अन्य गुणों जैसे मूल्य आदि पर केन्द्रित करना चाहिए जिससे राहुल भलीभांति परिचित हैं?
2. क्या राहुल को परिपक्वता राशि के बारे में बात करनी चाहिये जो मदन को 15 से 20 वर्षों के बाद, उसके बच्चे की शिक्षा के लिए मिलेगी(क्योंकि मदन पहले ही बच्चों की योजनाओं के बारे में काफी जानकारी रखता है)?
3. क्या राहुल को अपने सेल्स मैनेजर को बुलाना चाहिये जो अधिक अनुभवी तथा ज्ञान संपन्न है तथा मदन के प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है?

सही उत्तर संख्या 3 है। नैतिक रूप से यह अधिक उपयुक्त होगा कि राहुल अपने मैनेजर को बुलाए जो अधिक अनुभवी तथा सूचना संपन्न है तथा मदन के प्रश्नों का जवाब देने में सक्षम है, ताकि मदन को पॉलिसी के नियम व शर्तों से संबंधित सभी सूचनाएं सही—सही दी जा सके, जैसे जोखिम कब शुरू होगा, विलंबित अवधि, विहित तारीख आदि।

आप देख सकते हैं कि यह बेहद महत्वपूर्ण है कि बीमा एजेन्ट तथा बीमा कंपनी ग्राहक को सही तथा पूरी सूचना दे ताकि उन्हें पॉलिसी के सभी लाभों तथा संबंधित शर्तों को समझने में सहायता मिल सके। कुछ भी नहीं छुपाया जाना चाहिये। यह तथ्य कि ग्राहक को बच्चों से संबंधित पॉलिसी के बारे में बीमा एजेन्ट से अधिक जानकारी है, से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

## ई. नैतिक ढांचे में नैतिक संहिता का समावेश

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संगठन के भीतर नैतिकता की संस्कृति का समावेश हो। यह एक सुव्यवस्थित ढांचे के विकास से संभव है जो निम्नलिखित तत्वों से बनेगा:

- नैतिक संहिता
- नैतिकता के समावेश की प्रक्रिया तथा संरचना

### ई 1 नैतिक संहिता

बीमा कंपनी के लिए नैतिक आचार संहिता बेहद जरूरी है। इनका विकास कर्मचारियों तथा बोर्ड सदस्यों में, उनके नैतिक आचरण के संदर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारण से होगा। किसी बीमा

कंपनी के सीईओ से निदेशक तथा कर्मचारियों तक से इस नैतिक संहिता का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्मचारियों तथा बोर्ड के सदस्यों को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिये जिनमें इस संहिता का उल्लंघन होता हो।

बीमा कंपनियां अपनी मानक नैतिक संहिता को परिभाषित कर सकती हैं जो उनकी कंपनी के लिए विशिष्ट हो या वे उद्योग-विशिष्ट संहिता को अपना सकती हैं।

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में नैतिक व्यवहार करना, उस व्यक्ति के उचित अनुचित के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन बीमा एजेन्ट के लिए सभी स्थितियों के लिए कोई निश्चित परिभाषित चेकलिस्ट नहीं होती है। हलांकि, बीमाकर्ता तथा बीमा एजेन्ट के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने वाली सामान्य चेकलिस्ट तथा संहिता एक महत्वपूर्ण मापदण्ड हो सकता है, ताकि नैतिक आचार का अनुश्रमण तथा आकलन हो सके।

#### ध्यान दें

भारत में बीमा विनियामक, IRDA, ने बीमा एजेंटों के लिए आचार संहिता का IRDA(बीमा एजेंटों के लिए लाइसेंसिंग) विनियम 2000 के अंतर्गत निर्धारण किया है। (IRDA आचार संहिता का अनुच्छेद एच देखें)

## ई 2 नैतिकता की पैठ

पैठ से तात्पर्य यह सुनिश्चित करने से है कि सभी परिस्थितियों में व्यवसाय के सभी स्तरों पर नैतिकता का सतत् तथा सुसंगत अनुपालन हो। कंपनी द्वारा अपनायी जा रही नैतिक संहिता की जानकारी कर्मचारियों को होनी चाहिये तथा इस बात का सदनिर्णय होना चाहिये कि संहिता का अनुपालन हो रहा हो। ऐसा करने के लिए, कंपनियों को उन मूल्यों का प्रदर्शन करना चाहिये जो नैतिक संहिता को दर्शाएं। भूमिका निर्वहन स्थितियों के दौरान कर्मचारियों द्वारा नैतिकता पूर्ण निर्णय लेना इसमें शामिल हो सकता है।

### ध्यान दें

बीमा कंपनियों की अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व हैं:

- गलत तथ्यों के प्रसार से बचना चाहिये तथा उपयुक्त उत्पाद को बेचना चाहिये;
- पॉलिसी के नियम व शर्तों की पूरी जानकारी दी जानी चाहिये;
- ग्राहक को उपयुक्त बीमा राशि हेतु सुरक्षा लेने का सुझाव देना चाहिये तथा प्रदान किया जाना चाहिए ; तथा
- ग्राहकों को निर्दिष्ट राशि का दावा भुगतान किया जाना चाहिये तथा भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिये।

यदि बीमा कंपनी अपने ग्राहक को उपरोक्त सेवाएं दे पाने में असफल रहती है तो, उस बीमा कंपनी के नैतिक व्यवहार पर प्रश्न उठ सकता है।

## एफ. व्यवसायिक उत्तरदायित्वों को निर्धारित करना

IRDA तथा जीवन बीमा समिति की यह उत्तरदायित्व है कि बीमाकर्ताओं तथा बीमा एजेन्टों के व्यवसायिक उत्तरदायित्व निर्धारित हों। इस भाग में हम IRDA तथा जीवन बीमा समिति के लक्ष्यों पर चर्चा करेंगे।

### एफ 1 IRDA के लक्ष्य

IRDA के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना |विनियमक ने पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए(जैसी कि अध्याय 14 में चर्चा की गयी है), IRDA(पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा) विनियम 2002 जारी किया है।

बीमा उद्योग की विनियमित तथा प्रोत्साहित करना तथा सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना(जैसी कि अध्याय 13 में चर्चा की गयी है)।

यह सुनिश्चित करना कि सभी हितधारकों द्वारा बीमा व्यवसाय सर्वाधिक पूर्ण रूप से नैतिकता के साथ किया जाय।इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए IRDA ने एक आचार संहिता जारी की है, जिसका सभी बीमा एजेन्टों द्वारा अनुपालन किया जाना परम आवश्यक है (इसके बारे में इस अध्याय के भाग एच में चर्चा करेंगे)

## एफ 2 जीवन बीमा समिति के लक्ष्य

जीवन बीमा समिति का मुख्य लक्ष्य, भारत के जीवन बीमा उद्योग को जीवन्त, विश्वसनीय तथा लाभप्रद सेवा के रूप में रूपान्तरित करने के लिए प्रभावी तथा पूरक भूमिका निभानी है, तथा साथ ही लोगों की समृद्धि की यात्रा में सहायता प्रदान करना है। जीवन बीमा समिति के अन्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाधारकों को सेवा देने तथा  
आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने में  
सहायता, सुझाव तथा सहायक की भूमिका निभाने  
हेतु एक सक्रिय फोरम की तरह कार्य करना।

नीतिगत मामलों में सरकार तथा अन्य संस्थाओं के  
साथ चर्चा करना।

भारत में बीमा संबंधी जागरूकता के प्रसार में सक्रिय  
रूप से भागीदारी करना।

बीमा में शोध तथा शिक्षा के विकास हेतु प्रभावी  
कदम उठाना।

बीमाकर्ताओं तथा उनके एजेंटों के मध्य नैतिक उत्तरदायित्व के उच्चतम् मानकों को स्थापित  
एवं लागू करना तथा उनका अनुश्रमण करना भी जीवन बीमा समिति का उत्तरदायित्व है।

### प्रस्तावित गतिविधियां

किन्हीं तीन प्रमुख बीमाकर्ताओं के विज्ञापनों को चुनिये। प्रत्येक में दी गयी सूचना का  
विश्लेषण करिये। क्या आपको कोई सूचना किसी भी तरह का मिथ्याचार लगती है? यदि  
आपको सूचना मिथ्याचार लगती है तो क्या आप इसे सुधारना चाहेंगे?

## जी मूल्यांकन, अनुश्रमण, अनुशासन

बीमाकर्ताओं तथा बीमा एजेंटों द्वारा किये जा रहे नैतिक व्यवहारों के अनुपालन का अनुश्रमण तथा  
आंकलन एक कठिन काम है। इस संबंध में आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं कि कंपनी के उत्पाद  
तथा सेवाओं के विरुद्ध कितनी शिकायतें दर्ज हुई हैं जैसे प्रीमियम संग्रहण, दावा निबटान आदि,  
जिसके द्वारा कंपनी के आचरण का एक आंतरिक चित्र सामने आ सकता है।

### जी 1 मूल्यांकन तथा अनुश्रमण

#### जी 1 ए व्यपगमन/निरस्तीकरण/फ्री-लुक अवधि

व्यपगत हुई तथा समाप्त की गयीं पॉलिसियां या तो ग्राहक के प्रीमियम भुगतान में असमर्थता  
का परिणाम होती हैं या कंपनी की सेवाओं से असंतुष्टि का द्योतक हो सकती है। दोनों ही  
स्थितियां, बीमा एजेंट द्वारा बिक्री के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनाए गये अनैतिक  
व्यवहार का परिणाम हो सकती है। यदि पॉलिसी, प्रीमियम के भुगतान में ग्राहक की असमर्थता

के कारण व्यपगत या समाप्त हो जाए तो यह इस बात का संकेत है कि ग्राहक के वित्तीय एसेट तथा देयताओं का आंकलन उपयुक्त तरीके से नहीं किया गया था। यह एजेंट की गलती है जिसके कारण ग्राहक के साथ –साथ स्वयं बीमा कंपनी को भी वित्तीय हानि उठानी पड़ सकती है।

पॉलिसीधारक को अनैतिक एजेन्टों से सुरक्षित करने के लिए, IRDA ने पॉलिसी के प्राप्त होने के बाद 15 दिन की फ्री-लुक अवधि पॉलिसीधारकों को प्रदान की है। इस अवधि के दौरान पॉलिसी धारक पॉलिसी खरीदने के अपने निर्णय की समीक्षा कर सकते हैं।

यदि पॉलिसीधारक को प्रतीत हो कि:

- पॉलिसी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करती है; या
- पॉलिसी के नियम व शर्तें, एजेंट के द्वारा पॉलिसी की बिक्री के दौरान बताए गयह तथ्यों के अनुसार नहीं हैं; या
- वे बीमा कंपनी की सेवाओं से असंतुष्ट हैं; तो

वे बीमा पॉलिसी को 15 दिन के भीतर लौटा सकते हैं तथा प्रीमियम की वापसी करा सकते हैं, जिसका उन्होंने भुगतान किया है।

यदि पॉलिसीधारक बीमा कंपनी द्वारा दी गयी सेवा से असंतुष्टि(उदाहरण के लिए, बीमा एजेंट की प्रभावी तथा समयानुसार बिक्री पश्चात् सेवा में कमी) के कारण व्यपगत हो गयी है या उसका समर्पण किया गया है, तो यह कंपनी के द्वारा समयानुकूल तथा कार्यकुशल तरीके से उसके उत्तरदायित्वों के निर्वहन के संबंध में शंका उत्पन्न करता है।

अतः फ्री-लुक अवधि में जितनी अधिक संख्या में पॉलिसी व्यपगत, वापसी तथा समर्पित होंगी, उतना ही अधिक बीमा कंपनियों तथा उसके एजेंटों द्वारा नैतिक आचरण के पालन के संबंध में शंका उत्पन्न होगी।

### जी 1 बी शिकायत का परिमाण

बीमाकर्ता द्वारा कुछ विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करने के संबंध में लगातार मिल रही शिकायतें इस बात की घोतक हैं कि समस्या लगातार बनी हुई है। शिकायतों के निबटान के दौरान बीमा कंपनियों द्वारा किए गये विश्लेषण से मामलों को समझ कर उपयुक्त कार्रवाही करने में सहायता मिलेगी। यदि कंपनी को उसके अधिकांश उत्पादों तथा सेवाओं के संबंध में ढेर सारी शिकायतें मिल रही हैं तो यह इस बात का संकेत है कि अवश्य ही कोई गंभीर समस्या है जिसमें नैतिक मानकों का पालन भी शामिल है तथा बिक्री, प्रीमियम संग्रहण तथा दावा निबटान के दौरान स्टाफ का व्यवहार भी एक कारण हो सकता है।

### जी 1 सी प्रस्तावित उत्पादों का विश्लेषण

बीमा कंपनियों तथा बीमा एजेंटों को सदैव ग्राहकों की जरूरत के अनुरूप ही उत्पाद बेचने चाहिए। अतः उत्पादों का विश्लेषण इस परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिये कि क्या प्रस्तावित लाभ वास्तव में ग्राहक को मिल रहे हैं, और यदि नहीं तो इसका क्या कारण है। इन कारणों के आधार पर, उत्पादों को ग्राहकों की जरूरत के अनुसार पुनःनिर्मित करने की आवश्यकता हो सकती है।

## जी 2 अनुशासन

IRDA द्वारा निर्धारित आचार संहिता जिसका अनुपालन प्रत्येक एजेंट को करना अनिवार्य है के अतिरिक्त बीमा कंपनियों की नैतिक आचार संहिता तथा की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु उसके (कंपनी के) आंतरिक दिशा निर्देश हो सकते हैं। उनके पास सुधार की एक अपनी प्रक्रिया हो सकती है जिसके द्वारा दोषी बीमा एजेंटों पर कार्यवाही की जा सके। कोई बीमा एजेंट जो कंपनी के दिशा निर्देशों को भंग करे या किसी ऐसे गलत व्यवहार का दोषी पाया जाय जो बीमा कंपनी के लिए हानिकारक हो तो उसे दंडित किया जा सकता है। यदि एक बार बीमा कंपनी किसी बीमा एजेंट के विरुद्ध शिकायत या गलत आचरण के मामले का विश्लेषण कर ले तो यदि आवश्यक हो तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

कुछ मामलों में समस्या की और अधिक जांच तथा उपचारात्मक कार्यवाही की जरूरत हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में कोई बीमा कंपनी निम्न चरणों को अपना सकती है:

### आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रियाओं का पुर्नगठन

- बीमाकर्ताओं को नैतिकता के प्रोत्साहन के लिए अपने संगठन के भीतर एक ढांचे के निर्माण की जरूरत होती है तथा बीमा एजेंटों के नैतिक आचरण के लिए, सामान्यतः उनके पास 'करने और न करने योग्य' एक चेकलिस्ट होती है। नैतिक आचरण के भविष्य के मानकों को बेहतर बनाने के लिए, सुधार प्रक्रिया के रूप में नैतिक आचरणों के दिशा निर्देश तथा चेकलिस्टों की समीक्षा तथा पुनर्निर्धारण शामिल होना चाहिये तथा साथ ही आंतरिक प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं का संशोधन भी होते रहना चाहिये।

### दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

- प्रोत्साहन राशि को स्थायी रूप से या एक विशिष्ट अवधि के लिए रोकना, अवनति, निलंबन या निष्कासन, कुछ अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ हैं, जो अनैतिक आचरण करने के दोषी बीमा एजेंटों के विरुद्ध बीमा कंपनियां कर सकती हैं।

#### प्रश्न 15.2

अच्छे नैतिक व्यवहार के कुछ उदाहरणों की सूची बनाइयह।

### एच. IRDA के द्वारा निर्धारित आचार संहिता

IRDA (बीमा एजेंटों की लाइसेंसिंग) विनियम, 2000 बीमा एजेंटों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित करता है। प्रत्येक लाइसेंसधारी व्यक्ति को नियमानुसार आचार संहिता का अनुपालन करना चाहिए। आचार संहिता निम्नवत् है:

**(i) प्रत्येक बीमा एजेंट को:**

- (ए) स्वयं की तथा उस बीमा कंपनी की पहचान प्रस्तुत करनी चाहिये जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है।
  - (बी) संभावित ग्राहक की मांग पर लाइसेंस प्रस्तुत करना चाहिये।
  - (सी) उसके बीमाकर्ता द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत बीमा उत्पाद के संदर्भ में आवश्यक सूचना का वर्णन करना चाहियह तथा किसी विशिष्ट बीमा योजना का सुझाव देने से पहले संभावित ग्राहक की जरूरत पर ध्यान देना चाहिये।
  - (डी) यदि संभावित ग्राहक पूछे तो कमीशन की दरों को स्पष्ट करें।
  - (ई) बिक्री के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पाद हेतु बीमाकर्ता द्वारा लिए जाने वाले प्रीमियम को बताएं।
  - (एफ) संभावित ग्राहक के समक्ष प्रस्ताव फार्म में पूछी गयी जरूरी सूचनाओं की प्रकृति स्पष्ट करें, तथा साथ ही इन सूचनाओं को घोषित करने का बीमा अनुबंध के प्रभावी होने में महत्व भी बताएं।
  - (जी) संभावित ग्राहक की आय संबंधी किसी विसंगति या बुरी आदतों को बीमाकर्ता की जानकारी में लाएं, यह सूचनाएं एक रिपोर्ट(बीमा एजेंट की गोपनीय रिपोर्ट) के रूप में प्रस्तुत करें, ऐसा हर प्रस्ताव के साथ करें। संभावित ग्राहक के बारे में कोई भी ऐसा तथ्य जो बीमा प्रस्ताव की स्वीकृति से संबंधित बीमाकर्ता के निर्णय को विपरीत तरीके से प्रभावित कर सकता है, सभी तर्कसंगत जानकारी के साथ प्रस्तुत करें।
  - (एच) बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में संभावित ग्राहक को तुरंत सूचना दें।
  - (आई) प्रस्तावक द्वारा फार्म भरते समय समस्त आवश्यक प्रपत्र तथा दस्तावेज प्राप्त करें तथा कोई अन्य दस्तावेज जो बीमाकर्ता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु बाद में मांगे जाएं, भी प्राप्त करें।
  - (जे) पॉलिसी धारकों या दावाकर्ताओं या लाभार्थियों को आवश्यक सहायता प्रस्तुत करें, जो बीमाकर्ता द्वारा दावों के निबटान के लिए आवश्यक हो।
  - (के) प्रत्येक पॉलिसीधारक को नामांकन या समनुदेशन या पते में परिवर्तन या विकल्पों का चयन करने में जब तथा जैसी आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करें।
- (ii) कोई भी बीमा एजेंट निम्नांकित नहीं करेगा:**
- (ए) बिना वैध लाइसेंस के बीमा व्यवसाय के लिए याचना या उसे प्राप्त करना।

(बी)	संभावित ग्राहक को किसी महत्वपूर्ण सूचना को प्रस्ताव फार्म से विलोपित करने के लिए प्रेरित करना।
(सी)	संभावित ग्राहक को प्रस्ताव फार्म पर किसी गलत सूचना देने या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना।
(डी)	संभावित ग्राहक से अशिष्ट तरीके से व्यवहार करना।
(ई)	किसी अन्य बीमा एजेंट के द्वारा प्रस्तावित बीमा में हस्तक्षेप करना।
(एफ)	बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दरों, शर्तों तथा नियमों से भिन्न दर, नियम व शर्त प्रस्तुत करना।
(जी)	बीमा अनुबंध के अंतर्गत लाभार्थी से किसी भी प्रकार के लाभ में हिस्सेदारी की मांग करना और दिये जाने पर लेना।
(एच)	वर्तमान पॉलिसी के समर्पण के लिए बाध्य करना तथा ऐसे समापन की तिथि के तीन वर्ष के भीतर नयह प्रस्ताव को पेश करना।
(आई)	निगमित एजेंट के मामले में, किसी एक वर्ष में, किसी एक व्यक्ति(या जो एकल व्यक्ति न हो) से कुल प्राप्त बीमा प्रीमियम के 50 प्रतिशत से अधिक का बीमा व्यवसाय पोर्टफोलियो ग्रहण करना, ऐसा एक ही संगठन तथा संगठनों के एक समूह पर भी लागू होगा।
(जे)	यदि किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया हो तो इस निरस्तीकरण प्रक्रिया के पांच वर्षों के भीतर नये लाइसेंस के लिए आवेदन करना।
(के)	किसी बीमा कंपनी का निदेशक बनना और बने रहना।
(iii)	प्रत्येक बीमा एजेंट को पहले से प्राप्त किये गये बीमा व्यवसाय के संरक्षण हेतु सभी संभव प्रयास करना चाहिये ताकि पॉलिसीधारक समय के भीतर प्रीमियम का भुगतान करता रहे, ऐसा करने के लिए बीमाधारक को लिखित या मौखिक नोटिस देनी चाहिये।

## एच 1 आचार संहिता का पालन न करना

बीमा लाइसेंस धारी प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार आचार संहिता का पालन करना चाहिये। बीमा अधिनियम 1938 के अनुच्छेद 42(4)(जी) के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन करने में किसी प्रकार का उल्लंघन एजेंट को अयोग्य बना सकता है।

अनुच्छेद 42(4)(सी) के अनुसार यदि किसी एजेंट को आपराधिक अपयोजन, आपराधिक विश्वास भंग, धोखा, जालसाजी करने या करने के प्रयास करने के लिये किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी पाया जाता है तो यह उसकी अयोग्यता का कारण बन सकता है।

सक्षम अधिकारी द्वारा एजेंट की अयोग्यता के संभावित उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त यदि बीमा कंपनी किसी एजेंट को गलत आचरण या गलत व्यवहार का दोषी मानती है तो कंपनी बीमा एजेंट के विरुद्ध आंतरिक कार्रवाही शुरू कर सकती है (जैसा कि इस अध्याय के जी 2 भाग में चर्चा की जा चुकी है)।

**प्रमुख बिंदु****नैतिकता से आप क्या समझते हैं?**

नैतिकता की व्याख्या निम्न तरीके से का जा सकती है:

- वे मान्यताएं जिन्हें हम सामान्यतः 'अच्छा' या 'सही' मानते हैं;
- किसी व्यक्ति के वे व्यवहार जो उसके नैतिक निर्णय पर आधारित हैं; तथा
- एक अध्ययन जो किसी व्यक्ति के कार्य को गलत या सही साबित करती है।

**अनैतिक व्यवहार के खतरे**

- अनैतिक आचरण के परिणाम स्वरूप बीमा एजेंट तथा उसके द्वारा प्रतिनिधित्व की गई कंपनी की नकारात्मक छवि बनती है।

**नैतिकता के व्यवसायिक लाभ**

- अच्छे नैतिक आचरण का पालन करने से कंपनी को अपनी साख और सकारात्मक छवि का निर्माण करने में सहायता मिलती है।
- बीमा कंपनी जो नैतिक आचरण के उच्च मानकों का पालन करती है, दूसरी कंपनियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करती है।

**विशिष्ट नैतिक आचरण**

विशिष्ट नैतिक आचरण में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. ग्राहक को जरूरत के आधार पर, उपयुक्त बीमा पॉलिसी का सुझाव देना।
2. पॉलिसी के समस्त लाभों को पूरी तरह से समझाएं, तथा उन लाभों को प्राप्त करने के लिए समस्त शर्तों को समझाएं, और यदि कुछ अपवर्जन है तो उसे भी बताएं।
3. एक पर्याप्त बीमा सुरक्षा राशि सुझाएं।
4. ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उसे भुगतान का उपयुक्त तरीका बताएं।
5. ग्राहक की आवश्यकतानुसार नियम व शर्तें उसे समझाएं।

**नैतिक संहिता सहित नैतिक ढांचा**

- नैतिक संहिता को कर्मचारियों तथा बोर्ड के सदस्यों के आचरण के संबंध में मानकों तथा स्थापना के लिए परिभाषित किया जाता है।
- बीमा कंपनियां अपनी मानक नैतिक संहिता को परिभाषित कर सकती हैं जो उनकी कंपनी के लिए विशिष्ट हो या वे उद्योग-विशिष्ट संहिता को अपना सकती हैं।
- नैतिकता का कंपनी के भीतर ही समावेश होना चाहियो, जिसका तात्पर्य है कि व्यवसाय के सभी स्तरों पर विभिन्न परिस्थितियों में नैतिकता का अनुपालन सुसंगत तथा सतत रूप से हो।

**व्यावसायिक उत्तरदायित्व का निर्धारण**

• IRDA तथा LIC के लक्ष्य हैं:

- पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना;
- बीमा उद्योग की प्रगति को प्रोत्साहित करना;
- बीमाकर्ताओं तथा बीमा एजेंटों के बीच नैतिक उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों की स्थापना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना; तथा
- बीमा उद्योग का विनियमन तथा यह सुनिश्चित करना कि बीमा क्षेत्र में बीमाधारकों के प्रति सभी समव्यवहार उचित हैं।

**मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा अनुशासन**

- बीमाकर्ताओं के नैतिक आचरण का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण के लिए कंपनी के उत्पाद तथा सेवाओं के विरुद्ध दर्ज हुई शिकायतों जैसे प्रीमियम संग्रहण, दावा निबटान आदि, की संख्या

संबंधी आकड़ों का विश्लेषण करके किया जा सकता है।

- नैतिक मानकों तथा नैतिक आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियां अपनी आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया का पुनर्गठन तथा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकती हैं।

### IRDA की आचार संहिता

- IRDA के द्वारा बीमा एजेंटों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की गई है जिसका प्रत्येक जीवन बीमा लाइसेंस धारी व्यक्ति को पालन करना होता है। ऐसा न करना अयोग्यता का कारण बन सकता है।

## प्रश्नोत्तर

### 15.1

बीमा अंडरसेलिंग वहां पर हुई है जहां पर ग्राहक को कम राशि की सुरक्षा प्रदान की गयी है जबकि ग्राहक अधिक राशि की बीमा सुरक्षा लेने का इच्छुक है। यदि बीमित की शीघ्र मृत्यु हो जाये है तो उसके परिवार को हानि होती है, क्योंकि बीमे के दावे की राशि उसके परिवार की वित्तीय आवश्यकताओं तथा देयताओं को पूरा नहीं कर पायेगी।

### 15.2 नैतिक आचरण में शामिल हैं:

1. ग्राहक को जरूरत के आधार पर, उपयुक्त बीमा पॉलिसी का सुझाव दें।
2. पॉलिसी के समस्त लाभों को पूरी तरह से समझाएं, तथा पॉलिसी के लाभों को प्राप्त करने के लिए समस्त शर्तों को समझाएं, और यदि कोई अपवर्जन है तो उसे भी बताएं।
3. एक पर्याप्त बीमा सुरक्षा राशि सुझाएं।
4. ग्राहक की जरूरत के मुताबिक उसे भुगतान का उपयुक्त तरीका बताएं।
5. ग्राहक की आवश्यकतानुसार उसे नियम व शर्तें समझाएं।

## स्व-परीक्षण प्रश्न:

1. बीमे की ओवरसेलिंग क्या है?
2. नैतिक संहिता को सारांश में समझाइये।
3. नैतिक आचरण किस प्रकार एक कंपनी को अपनी सकारात्मक छवि बनाने में सहायक हो सकती है?

## स्व-परीक्षण प्रश्नों के उत्तर

### 1.

एक अत्यंत महत्वकांक्षी बीमा एजेन्ट ग्राहक को बहका कर उसकी जरूरत या क्षमता से अधिक की बीमा सुरक्षा बेच सकता है। यदि पॉलिसीधारक प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ रहता है

तो यह बीमा पॉलिसियों के व्यपगमन का कारण बनता है।

2.

बीमा कंपनी के लिए नैतिक आचार—संहिता परमावश्यक है। कर्मचारियों तथा बोर्ड सदस्यों में, उनके आचार के संदर्भ में उत्तरदायित्व निर्धारण के रूप में आचार संहिता को परिभाषित किया जाता है। बीमा कंपनी के भीतर, सीईओ से निदेशक तथा कर्मचारियों तक से इस नैतिक संहिता का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है। कर्मचारियों तथा बोर्ड के सदस्यों को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जिनमें इस संहिता का उल्लंघन होता हो।

3.

बीमा कंपनी द्वारा नैतिक आचरण के उच्च मानकों का पालन जनता के बीच विश्वास तथा कंपनी में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। इस भरोसे तथा विश्वास के परिणामस्वरूप कंपनी के बारे में ग्राहकों द्वारा सकारात्मक विचार व्यक्त किये जाते हैं जो कंपनी की सकारात्मक छवि बनाते हैं।